राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6] सप्तम् विधान सभा के षष्ठम् सत्र का बीसवां दिवस [संख्या 14

मंगलवार

दिनांक 8 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

उपनिवेशन विभाग में रिक्त पद

328. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत): क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि उपनिवेशन विभाग में आयुक्त, उपनिवेशन का पद गत पांच माह से रिक्त है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) उपनिवेशन विभाग में कौन-कौन से पद कितने समय से अधिकारियों की नियुक्ति के अभाव में रिक्त हैं ? कृपया पद रिक्तता की अवधि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

मन्त्री, राजस्थान नहर परियोजना (श्री चन्दनमल बैद) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न कार्मिक विभाग से सम्बन्धित है इस वास्ते मुख्य मन्त्रीजी इसका अपने टर्न पर जवाब देंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, कई दफा सरकार को आपने कहा है कि इस प्रकार से दूसरे विभाग से सम्बन्धित प्रश्न आता है तो पूर्व में ही सूचना दे।

श्री अध्यक्ष : यह आपका फर्माना सही है।

श्री देवीसिंह भाटी : मन्त्री महोदय क्या करते हैं फिर ? कार्मिक विभाग के मन्त्री हैं. इस प्रकार की लापरवाही से....

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। प्रश्न का उत्तर आ जायेगा, माननीय सदस्य।

अगला प्रश्न। श्री बालचन्द आर्यवीर।

गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल, डग

329. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) :** क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) झालावाड़ जिले के डग कस्बे के गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल में प्रधानाध्यापिका का पद कितने समय से रिक्त चल रहा है ? उक्त पद कब तक भर दिया जावेगा ?

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

(2) क्या यह भी सही है कि डग के गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल में 2 वर्षों से लगातार गणित के अध्यापक भी नहीं हैं? क्या सरकार वहां गणित के अध्यापक की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती कमला): (1) झालावाड़ जिले के डग कस्बे के बालिका माध्यमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापिका का पद दिनांक 19-12-81 से दिनांक 9-2-83 तक रिक्त रहा जिसे दिनांक 10-2-83 को भरा जा चुका है।

(2) जी नहीं। डग के बालिका माध्यमिक विद्यालय में गणित अध्यापक का पद दिनांक 2-2-82 से 21-2-83 तक रिक्त रहा है। इस पद पर पदस्थापना कर दी गई है और सम्बन्धित अध्यापिका ने दिनांक 22-2-83 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर: माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी ने बताया है कि यह पद रिक्त नहीं है। पिछले दो वर्षों से यह पद रिक्त चलता आ रहा है और आप बता रहे हैं कि भर दिया गया है। मैं तो अभी वहां होकर आया हूं। सदन में गलत सूचना गुमराह करने के लिए देते हैं। आप कभी डग गयीं क्या? डग देखा या नहीं कभी?

श्रीमती कमला: इसका डग देखने या नहीं देखने से ताल्लुक नहीं है। जो प्रश्न पूछा उसका जवाब देने से ताल्लुक है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर: गलत जवाब दिया है।

श्रीमती कमला: एक मिनट सुनिये। मैंने यह नहीं कहा है जो आप कह रहे हैं। मैंने कहा है कि इस तारीख से इस तारीख तक पद खाली रहा है और फलां तारीख को भर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन): अध्यक्ष महोदय, पद भर जाता....

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा): क्या प्रधानाध्यापिका ...

श्री अध्यक्ष: एक माननीय सदस्य बोलें।

श्रीमती कमला: यदि प्रधानाध्यापिका ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है तो उसको तकाजा करवा दिया जायेगा।

श्री अनंगकुमार जैन: प्रधानाध्यापिका ने अभी तक जोइन नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष: इस बात को एक माननीय सदस्य खड़े होकर शांति से कह सकते हैं। चार पांच माननीय सदस्यों को एक साथ उठने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अनंगकुमार जैन: शांति से ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: तो पूछ लीजिए।

श्री अनंगकुमार जैन: प्रधानाध्यापिका ने अभी तक जोइन नहीं किया है। कागजों में पद भर गया है। बच्चों को पढ़ाने के लिए वहां प्रधानाध्यापिका चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधानाध्यापिका ने जोइन

Page No.3

(श्री अनंगकुमार जैन)

कर लिया है ? और नहीं किया है, तो आप जोइन करवाने के लिए कब तक प्रयास करेंगी ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, आम तौर पर हम सब जानते हैं कि जहां तक बालिका विद्यालय में महिला अध्यापक और प्रधानाध्यापिका को भेजने का सवाल है उसमें परेशानी रहती है, वह जोइन नहीं करती हैं । ट्रान्सफर कराने की कोशिश करने हैं तो उसमें काफी विलम्ब होता है । उनको जोइनिंग पीरियड देते हैं उसमें भी जोइन नहीं करती हैं। जोइनिंग पीरियड के बाद मेडिकल और प्रिविलेज लीव ड्यू हो जाती हैं और दूसरी अर्न्ड लीव भी ड्यू हो जाती है वह उनको लेती रहती हैं। लेकिन इस बार काफी सख्ती की है कि अगर जोइनिंग पीरियड के बाद कोई नहीं आता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये तुरन्त दूसरे को लगाकर उसके खिलाफ जो अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है वह की जाये ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री कैलाश मेघवाल !

गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा की शाखाओं के कार्यालयों का निर्माण

330. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा) व श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या गृह रक्षा दल एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा की विभिन्न ब्रांचों अर्थात् अर्बन होम गार्ड, बोर्डर होम गार्ड, रूरल होम गार्ड एवं सिविल डिफेन्स के लिए राज्य सरकार ने इन सेवाओं की स्थापना से अभी तक दफ्तरों, बैरेक्स, स्टोर्स, आवासीय क्वार्टर आदि का बिल्कुल निर्माण नहीं कराया है? यदि हां, तो ये सेवायें राजस्थान में कब से चालू की गई और अब तक इस तरह का निर्माण नहीं कराने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस तरह के निर्माण नहीं कराने से इन सेवाओं की कार्यक्षमता व कार्य प्रणाली में ढिलाई चल रही है और इस तरह सारा कार्य किराये की इमारतों में ही चलाया जा रहा है ?

(3) इन सेवाओं हेतु कहां-कहां कितने कितने भवन आदि किराये पर लिए हुए हैं? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति (श्री घासी राम यादव) : (1) जी हां, ये सेवाएं-

1. शहरी गृह रक्षा-1962 में,
2. नागरिक सुरक्षा-1964 में,
3. सीमान्त गृह रक्षा-1968 में, एवं
4. ग्रामीण गृह रक्षा-1971 में भारत सरकार द्वारा निर्देशित नीति के अनुसार स्थापित की गई हैं ।

जिला पुलिस अधीक्षक, शहरी एव ग्रामीण गृह रक्षा दल का पदेन समादेष्टा (कमान्डेन्ट) है अतः जिला स्तर पर इन सेवाओं का कार्यालय पुलिस अधीक्षक के अधीनस्थ परिसरों में है । इसी प्रकार नागरिक सुरक्षा का जिले में नियन्त्रक (कन्ट्रोलर) जिलाधीश स्वयं है अतः नागरिक सुरक्षा के कार्यालय जिलाधीश के अधीनस्थ परिसर में

(श्री घासीराम यादव)

ही हैं। सीमान्त गृह रक्षा बटालियन सीमा के चार जिलों में है और स्वतंत्र भवनों में कार्यरत है। इन जिलों में इनके कार्यालय किराये के भवनों में हैं।

ये सेवाएं शुरू में अस्थायी तौर पर चालू की गई थीं। 1972-73 में इन सेवाओं को स्थायी किया गया। स्थायित्व के पश्चात् समय-समय पर कुछ भवनों जैसे, जिला प्रशिक्षण केन्द्रों, बटालियन मुख्यालय, कम्पनी मुख्यालय के लिये प्रस्ताव किये गये थे, किन्तु वित्तीय स्थिति की वजह से भवनों का निर्माण हाथ में नहीं लिया जा सका है।

(2) जी नहीं। जिला स्तर पर कार्यालय या तो जिलाधीश या जिला पुलिस अधीक्षक के अधीनस्थ परिसर में ही कार्य कर रहे हैं। कार्य क्षमता एवं कार्य प्रणाली में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं चल रही है। सारा कार्य किराये के भवनों में नहीं चलाया जा रहा है। केवल चार जिलों में होम गार्ड के लिए जिला पुलिस अधीक्षक के परिसर में स्थानाभाव के कारण किराये के भवन लिये हैं। सीमा बटालियनों के कार्यालय सभी किराये के भवनों में हैं।

(3) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट I देखें)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि समाज के लिए उपयोगी सेवाओं पर केन्द्रीय सरकार ने 75 पर्सेन्ट खर्चा दिया है? यदि इसका इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया जाय तो इन सेवाओं को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार मदद करने के लिए तैयार है?

दूसरा, जो आपने बताया जिला स्तर पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक के अधीनस्थ परिसर और कलेक्टोरेट में हैं और जिलाधीश उनके प्रभारी अधिकारी हैं, तो क्या यह भी सही है कि जो दूसरा स्टाफ है उसको बैठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिलता है? यह हमेशा अपेक्षित सेवायें हैं और बहुत उपयोगी हैं। क्या अब राज्य सरकार स्थायी रूप से इनके कार्यालय बनाने का कार्य हाथ में लेगी?

श्री घासीराम यादव : यह बात सही नहीं है कि भारत सरकार होम गार्ड्स की जो चार तरह की बटालियनें हैं उन सभी को 75 प्रतिशत खर्चा देती है। भारत सरकार सिर्फ जो बोर्डर की होमगार्ड्स बटालियन हैं उनको 75 प्रतिशत देती है और 25 प्रतिशत हम देते हैं। बाकी बटालियन का 50 प्रतिशत खर्चा राजस्थान सरकार और 50 प्रतिशत भारत सरकार देती है। यह बात सही है कि जो कार्यालय चल रहे हैं उनमें बैठने की बहुत असुविधा है, स्टाफ को भी जगह नहीं है। उसको हम पर्याप्त नहीं मानते हैं। दिक्कत यह है कि यहां भवन निर्माण के लिए भारत सरकार आधा तो क्या एक पैसा भी नहीं देना चाहती। हम इस बात के प्रयत्न में हैं कि वह इसमें शेयरेबल अपना खर्चा दे। बाकी तो वित्तीय साधनों के भीतर यह निर्माण कार्य होगा। इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री हरिसिंह

Page No.5

न्यायिक अधिकारियों को आवास सुविधा

331. श्री हरिसिंह (कुम्हेर): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कुल कितने न्यायिक अधिकारी हैं और उनमें से कितनों को सरकार ने आवास हेतु मकान आवंटित कर रखें हैं ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) जिन न्यायिक अधिकारियों को सरकारी आवास की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है उन्हें यह सुविधा दिये जाने के संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

विधि मंत्री (श्री अहमद बक्श सिंधी) : (1) राजस्थान में कुल 392 न्यायिक अधिकारी हैं और उनमें से 207 अधिकारियों को सरकारी आवास आवंटित किये हुये हैं । जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(2) राज्य सरकार के वित्तीय साधन सीमित हैं फिर भी, सप्तम वित्त आयोग की सिफारिश मुताबिक केन्द्र सरकार की सहायता से वर्ष 1981 में 36.12 लाख रुपयों से राज्य सरकार ने 48 न्यायिक अधिकारियों के आवास गृह बनाने हेतु स्वीकृतियां जारी कर दी हैं और उक्त 48 आवास गृह इस वर्ष तक बन कर तैयार हो जायेंगे । आगे भी कुछ राशि प्रति वर्ष न्यायिक अधिकारियों के आवास हेतु पृथक से रक्षित करने पर विचार कर रही है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री हरिसिंह : श्रीमन्, यह जो सूची आपने दी है इसको देखने से बड़ी विसंगति मालूम पड़ती है । जयपुर शहर में 43 में से आपने 5 को मकान दे रखे हैं । जयपुर जिले में 23 में से 3 को मकान दे रखे हैं । क्या यह सही है कि आवंटन प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में है और वे न्यायिक अधिकारियों को मकान कम देते हैं ? जो विसंगतियां कर रखी हैं उनका क्या उपाय करेंगे ? तीसरी बात, क्या आप हर जिले में वहां के न्यायिक अधिकारियों की संख्या को देखते हुए, कार्य को देखते हुए अनुपात के हिसाब से मकान मिले, इसका कोटा निश्चित करेंगे ?

श्री अहमद बक्श सिंधी : अध्यक्ष महोदय, जो सूची सदन के पटल पर रखी गई है वह सही है ।

श्री हरिसिंह : मैंने गलत नहीं बतायी ।

श्री अहमद बक्श सिंधी : जयपुर शहर में कुल 43 न्यायिक अधिकारी हैं जिनमें से 5 को आवासीय सुविधा उपलब्ध है और 38 को किराये के मकानों में रखा गया है, यह सही है।

दूसरी बात, यह किसी हद तक सही है कि प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में आवंटन सुविधा होती है और वे न्यायिक अधिकारियों के प्रति उदारता से काम नहीं लेते हैं । इसके लिये कलेक्टर्स वगैरह को लिखा जा रहा है कि उनके साथ उदारता पूर्वक व्यवहार किया जाये ।

नम्बर तीन, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है । हर जिले में कोटा मुकर्रर करना संभव नहीं है ।

श्री हरिसिंह : प्रशासनिक अधिकारियों के लिये मकान ईयर मार्क्ड होते हैं । क्या

Page No.6

(श्री हरिसिंह)

आप न्यायिक अधिकारियों के लिये मकान ईयर मार्क करेंगे ? जैसे एस. डी. एम. कलेक्टर वगैरह के लिये मकान ईयर मार्क्ड होते हैं उसी प्रकार न्यायिक अधिकारियों के लिये आप मकान ईयर मार्क करने के लिये तैयार हैं ?

श्री अहमद बक्श सिंधी: अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट के जजान के लिये ईयर मार्क्ड हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के लिये ईयर मार्क्ड हैं, एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज के लिये ईयर मार्क्ड हैं लेकिन बाकी न्यायिक अधिकारियों के लिये राजकीय वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह करना सम्भव नहीं है ।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : अध्यक्ष महोदय, क्या एस. डी. ओ. के समानान्तर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को सुविधा दे सकते हैं ?

श्री अहमदबक्श सिंधी: यह प्रश्न कलक्टर के विचार के लायक है ।

श्री हरिसिंह : मकान कब तक पूरे हो जायेंगे ?

श्री अहमद बक्श सिंधी: 48 मकान बन रहे हैं, इसी साल पूरे हो जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री हरीश शर्मा : उपखण्ड अधिकारी के बराबर सुविधायें नहीं दे रहे हैं ।

श्री अहमद बक्श सिंधी: अध्यक्ष महोदय, सैशन जज के लिये तो टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है, बाकी के लिये यह सम्भव नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्रीमती विद्या पाठक ।

श्री हरीश शर्मा : क्या यह जरूरी नहीं समझते न्यायिक अधिकारियों के लिये....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शासन पैरों पर है । अगला प्रश्न ।

महिला बन्दी गृह, जयपुर

332. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या कारागृह राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) महिला बंदी गृह, जयपुर के लिये निर्मित नया भवन कब बन कर तैयार हो चुका था ? क्या नव-निर्मित भवन में महिला बन्दी गृह स्थानान्तरित कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) वर्तमान में उक्त महिला बंदी गृह में नियुक्त डिप्टी जेलर का इसी संस्था में ठहराव कब से व कितने वर्षों से है ?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष, 1979 में प्रभावशाली प्रशासन की दृष्टि से जयपुर स्थित उक्त महिला बंदी गृह के लिए एक महिला जेलर की नियुक्ति हुई थी ? यदि हां, तो क्या वर्तमान में वह इस पद पर पदस्थापित हैं ? यदि नहीं, तो उन्हें वहां से हटाये जाने का क्या कारण है ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त महिला जेलर उसी भवन के पुरुष जेल संभाग में जेलर पद पर नियुक्त हैं ?

राज्य मंत्री, कारागृह (श्री नरेन्द्रसिंह-भाटी) : (1) सार्वजनिक निर्माण विभाग

Page No.7

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

द्वारा सन् 1980–81 में महिला बन्दी गृह, जयपुर के भवन को पूर्ण होना बतला कर अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर को कब्जा दे दिया परन्तु उक्त भवन में सुरक्षा सम्बन्धी कई कमियां हैं, अत: महिला बन्दी कारागृह को इस नये भवन में स्थानान्तरित नहीं किया गया।

(2) महिला बन्दी सुधार गृह में उप कारापाल का पद स्वीकृत नहीं होने के कारण कोई उप कारापाल नियुक्त नहीं है।

(3) जी नहीं। सुश्री राजेन्द्र कुमारी, जेलर का पदस्थापन महिला बन्दी गृह, जयपुर में तारीख 3-1-81 को किया गया था परन्तु राजस्थान सिविल सर्विसेज अपील प्राधिकरण के निर्णय दिनांक 20-7-81 की अनुपालना में इन्हें केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में तारीख 20-8-81 को पदस्थापित कर दिया गया।

(4) जी हां।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं जैसा आपने बताया कि नया भवन बनकर तैयार हो गया है और सरकार को 'हैण्ड ओवर कर दिया गया लेकिन सुरक्षा सम्बन्धी कमियों के कारण ट्रांसफर नहीं किया। यह सुरक्षा सम्बन्धी कमियां क्यों रखी गई हैं, किस स्तर पर रखी गई हैं? महिला बंदियों को नये भवन में रखना था तो जब भवन बन रहा था तब सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान क्यों नहीं रखा गया ?

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि क्या महिला जेलर की पोस्ट आइसोलेटेड पोस्ट है? अगर आइसोलेटेड पोस्ट रखने की व्यवस्था को आप उचित मानते हैं तो जब एक जेलर को पोस्ट किया गया तो उसको हटाया क्यों गया ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में मेरा कहना यह है, जैसा मैंने जवाब में कहा, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कहा था कि बिल्डिंग पूरी हो गई। बिल्डिंग का चार्ज नार्मली, अध्यक्ष महोदय, आई. जी. जेल्स लेते हैं या उनके कोई अपाइन्टेड आफिसर लेते हैं। मुझे पता पड़ा है कि बिल्डिंग इन्कम्पलीट है और बगैर किसी अथोरिटी के इसका चार्ज पी. डब्ल्यू. डी. के एक आफिसर की गारन्टी पर ले लिया जो कि करेक्ट नहीं है। इसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले इन्क्वायरी शुरू करवा दी है क्योंकि बिल्डिंग की कन्डीशन काफी क्वेश्चनेबल थी। पिछले दो साल से इन्सपेक्शन किया ही नहीं।

दूसरा, माननीय सदस्या ने आइसोलेटेड पोस्ट का फर्माया। अध्यक्ष महोदय, I would like to refer to a judgment. जिस जजमेंट का मैं जिक्र करना चाहता हूं उससे क्लीयरली इन्डीकेट होगा कि आइसोलेटेड पोस्ट नहीं है। आपकी आज्ञा हो तो एक्सट्रैक्ट पढ़ दूं। यह जजमेंट, अध्यक्ष महोदय, तारीख 3-1-81 का है और इसमें पेज 2 पर लिखा है–

"The post held by the Jailor...."

(व्यवधान)

अपीलेन्ट इस केस में राजकुमारी नहीं है। She was respondent. But the post held was not an isolated post but was promoted on the post of Jailor on the recommendation of the D. P. C. She was not appointed as

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)
Jailor in the substantive capacity. No female Jailor was available, hence she was appointed as a Jailor.

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पत्रिका और दूसरे पेपर्स के जरिये 11 वेकेन्सीज का एडवर्टाइजमेंट हुआ है। इसके उपरान्त वे रिक्रूट हो गई थीं तो हमारे डिपार्टमेंट ने उनको as a female Jailor पोस्ट किया। उसके बाद मिस कमला ने ट्रिब्यूनल में अपील की जिसमें उनके फेवर में जजमेंट हो गया और हमें आदेश मिला "We desire the department to place before the record which may lead us to infer that the postof Female Jailor is the post of Cadre post...."

इसकी हमने अपील भी की, अध्यक्ष महोदय, और केस हाई कोर्ट तक गया। वह अपील भी खारिज हो गई।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से दो प्रश्न पूछना चाहती हूं। पहला, आपने बिना स्पेसिफिकेशन दिये भवन बनवाने की स्वीकृति दे दी उसके लिये अब क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैंने यह नहीं कहा, बिना हमारे डायरेक्शन दिए बिल्डिंग नहीं बनी। हमने स्पेसिफिकेशन दिया, अध्यक्ष महोदय, उस स्पेसिफिकेशन के आधार पर ही पी. डब्ल्यू. डी. को बिल्डिंग बनानी थी। उसने बिल्डिंग बना कर टेक ओवर करने को कहा। अध्यक्ष महोदय, दी दैन सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने चार्ज ले लिया जब कि वे अथोराइज नहीं थे। इसके बारे में इन्क्वायरी करा रहे हैं कि उस आदमी ने बिना अथोरिटी चार्ज कैसे और क्यों ले लिया। अब अगर, अध्यक्ष महोदय....

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : बस रहने दें अब।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : देवी सिंह जी, आप डरो मत, आपको कभी उसमें दाखिल नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : क्या यह सही है कि यह जो महिला जेल है इसके लिये आपने यह भी बताया कि इसमें सिर्फ आन्दोलनकारियों को ही रखना चाहते हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप 1977 से पहले वहां बिराजी थीं।

श्रीमती विद्या पाठक : उसके पहले कर्मचारियों को भी आपने वहीं रखा था।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अगर आप आन्दोलन करेंगी तो हो सकता है, शायद आपकी पार्टी के सदस्य और सदस्याओं को वहां रखा जाय। अध्यक्ष महोदय, अब हमने वहां पंखे लगवा दिये हैं और फ्लश लैट्रीन भी बनवा दी है।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : सरकार की नीयत खराब लगती है। वास्तव में कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे प्रजातन्त्र की हत्या की जाय।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप तो अभी पधारे हैं भरतपुर जेल से।

श्री अध्यक्ष: अन्तिम पूरक प्रश्न।

श्रीमती विद्या पाठक: अध्यक्ष महोदय, अगर महिला जेलर की पोस्ट आइसोलेटेड पोस्ट नहीं है तो फिर महिला जेलर की नियुक्ति क्यों नहीं की गई ? उसको क्यों हटाया गया ?क्यों नहीं रखा गया ?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, इसका उत्तर आ चुका है।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, बहुत से ऐसे प्ली है जो आपने बताये नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न । इस पर सम्पूर्ण चर्चा हो चुकी है।

(व्यवधान)

श्री सूरजपालसिंह !

जयपुर-जोधपुर मार्ग पर स्थित मिड-वे सुविधाएं

333. **श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल):** क्या पर्यटन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि जयपुर-जोधपुर सड़क मार्ग के मध्य स्थित बर नामक स्थान पर पर्यटन विभाग द्वारा मिड-वे का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो मिड-वे पर देशी एवं विदेशी पर्यटकों को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मिड-वे पर रात्रि विश्राम हेतु कमरों की सुविधा उपलब्ध है? यदि हां, तो कमरों का किराया क्या है ?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री बुलाकीदास कल्ला): (1) जी हां। मिड-वे पर पर्यटकों को जलपान, टायलेट एवं विश्राम की सुविधा उपलब्ध है।

(2) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जयपुर-जोधपुर के बीच जो बर नामक स्थान पर मिड-वे बना हुआ है वहां तीन कमरे बने हुए हैं। क्या राज्य सरकार यह उचित समझती है कि देशी या विदेशी पर्यटक जब कभी आड आवर्स में वहां पहुंचते हैं और ठहरने के लिये सुविधा मांगते हैं तो उनके ठहरने की व्यवस्था की जाय ? पहली बात तो यह है कि वहां पर जो अधिकारी हैं उनका व्यवहार पर्यटकों के प्रति अच्छा नहीं होता है। वैसे भी आपने जो मिड-वे बनाया है वह घाटे में चलता है, यदि आप उन कमरों में ठहरने की सुविधा दें तो आपकी आय बढ़ेगी और पर्यटकों को सुविधा भी मिलेगी । क्या भविष्य में कुछ कमरे और निर्मित करके देशी या विदेशी पर्यटकों को ठहराने की कोई व्यवस्था करने का विचार रखते हैं ?

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में दो कमरे बने हुए हैं। एक तो व्यवस्थापकों के लिए है और दूसरा कर्मचारियों के लिये है। मिड-वे पर आवासीय सुविधाओं की मांग को देखते हुए पुराने मिड-वे बने हुए हैं। बहरोड़, रतनपुर और महुआ में आवासीय कमरे बने हुए हैं। इस प्रकार जो भविष्य की योजना है उसमें 'बर' में एक्सटेशन करने के लिए दो कमरे बनाने का

(श्री बुलाकीदास कल्ला)
प्रावधान रखा गया है जिसे गुणावगुण के आधार पर हम देखेंगे। रतनपुर और बहरोड़ में जो दो कमरे बने हुए हैं वैसे बना सकेंगे।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि दो कमरे बने हुए हैं, एक तो व्यवस्थापक के लिये है और दूसरे में कर्मचारी रहते हैं। तो वे कमरे पर्यटकों के लिये बनाये गये थे या स्टाफ के लिये बनाये गये थे ?

श्री बुलाकी दास कल्ला : यह पर्यटकों के लिये न बनाकर जो व्यवस्थापक और कर्मचारी हैं उनके लिये बनाये गये थे इस मिडवे से आधे मील की दूरी पर एक डाक बंगला बना हुआ है उसमें तीन कमरे बने हुए हैं। यदि कोई पर्यटक वहां रहना चाहे तो रह सकता है।

श्री यदुनाथ सिंह : जानकारी आपकी सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री हेमा राम !

लूणी नदी पर गुढ़ा से जालौर सड़क पर रपट

334 **श्री हेमाराम चौधरी :** (गुढ़ा-मालानी) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि गुढ़ा से जालौर सड़क के बीच लूणी नदी के कारण उक्त सड़क बार-बार टूट जाती है और अनेक गांवों से सम्पर्क टूट जाता है जिससे लूणी नदी में उक्त सड़क पर रपट बनाया जाना आवश्यक है ?

राज्य मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री चेतराम) : जी हां।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा ..

श्री चेतराम : अध्यक्ष महोदय, यह सड़क गुढ़ा से जालौर अकाल राहत कार्यों के अन्दर भिन्न-भिन्न हिस्सों में निर्मित होती रही है। इसकी स्थिति यह है कि कहीं भी बी. टी. रोड नहीं है। गुढ़ा से 8 किलो मीटर पर लूणी नदी है उसकी चौड़ाई 800 मीटर है। जब वर्षा होती है तो यह रास्ता बिगड़ जाता है और वर्षा के बाद 20-30 हजार रुपये लगाकर पुनः आवागमन का साधन बना दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह पी. डब्ल्यू. डी. की रोड नहीं है। हमारे वित्तीय साधनों को देखते हुए यह सम्भव नहीं है कि यहां पर पुल बनाया जाय।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, कई दफा यह सड़क टूटी है। जितना इस पर नुकसान हुआ है उससे आधे खर्चे में ही रपट बनायी जा सकती थी, क्या यह सच है ?

श्री चेतराम : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया, इस सड़क का निर्माण अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत हुआ है। 800 मीटर की नदी पर रपट बनाते हैं तो

(श्री चेतराम)
30-40 लाख रुपये का खर्चा आयेगा। यदि पुल बनायें तो जो इस नदी की सीमा है वह और भी बढ़ जायेगी। यह सड़क अकाल राहत कार्यों के अन्दर बनी है। पी. डब्ल्यू. डी. की नहीं है। पब्लिक के आवागमन के लिये रास्ते खुले रहें, इसके लिये हम प्रयत्नशील रहते हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपने बताया कि अकाल राहत कार्यों में सड़क की मरम्मत करायी जाती है; यह सड़क पी. डब्ल्यू. डी. की नहीं है अकाल राहत कार्यों के अन्दर बनी है। प्रथम तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या हमेशा अकाल राहत कार्यों में मरम्मत होती रहेगी? क्या हमेशा अकाल पड़ता रहेगा और मरम्मत होती रहेगी?

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, यह बात इनकी सही नहीं है कि हर साल इसकी मरम्मत होती है। आप आज ही मौके पर जाकर देख लें, वहां नदी के अन्दर से गाड़ी पार नहीं हो सकती। जो मरम्मत की बात बतायी है वह गलत है। आज तक वहां मरम्मत नहीं हुई है। अगर मरम्मत हुई होती तो क्या जीप भी पार नहीं हो सकती थी। अध्यक्ष महोदय, दूसरे, यह जो सड़क है इसकी एक साइड पर 18 गांव और 5 पंचायत समितियां हैं उनकी जनता जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय और पंचायत समिति मुख्यालय पर जो सारी सुविधायें हैं उन सारी सुविधाओं से कट आफ है, यह सड़क आज तक कभी भी पूरी तरह सही नहीं हुई है। कभी भी लगातार एक महीने तक कोई गाड़ी इस पर से नहीं निकली, बस की बात तो दूसरी है जीप तक भी नहीं निकली। इसके बारे में पिछले बजट सत्र में भी मैंने प्रश्न पूछा था, सरकार से अनुरोध किया था कि इस सड़क के नहीं होने से पांच पंचायतों और 18 गांवों की जनता जिला स्तर पर जो जिला, तहसील, पंचायत और चिकित्सालय की सुविधायें हैं उनसे वंचित है। अभी मंत्री महोदय ने बताया कि धनाभाव के कारण विचाराधीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में जब कि पांच पंचायत हैड क्वार्टर हैं और...

श्री अध्यक्ष : वह कह दिया कि पांच पंचायत हैड क्वार्टर है।

श्री हेमाराम चौधरी : पिछले विधान सभा सत्र में मेरे प्रश्न के जवाब में बताया गया था कि 20 संकल्प कार्यक्रम के अन्तर्गत इसको हम ले रहे हैं। अभी आपने बताया है कि हम नहीं ले रहे हैं...

एक माननीय सदस्य : बीस संकल्प नहीं चल रहा है अब।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठे बैठे बात नहीं करें।

श्री हेमाराम चौधरी : इसको कब तक बना देंगे?

श्री अध्यक्ष : आपने पूछ लिया। पुनरावृति कर रहे हैं। मन्त्रीजी उत्तर दे दें, उसके बाद अगला प्रश्न लिया जाएगा।

श्री हेमाराम चौधरी : इसको कब तक ठीक कर देंगे?

श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत जो सड़कें

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)
बनती हैं. क्या वह पी. डब्ल्यू. डी. की गाइडेन्स के अनुसार नहीं बनतीं ? जो सड़कें बन जायं भविष्य में उनके संधारण के लिए क्या पी. डब्ल्यू. डी. जिम्मेदार नहीं है ? हर साल जो सड़कें बनती हैं क्या पी. डब्ल्यू डी. भविष्य में उनकी मेन्टीनेन्स करने को तैयार नहीं है ?

श्री अध्यक्ष: मन्त्रीजी !

श्री यदुनाथ सिंह : मन्त्री महोदय का कन्ट्रोल नहीं है, डिपार्टमेण्ट पर।

श्री चेतराम : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि उन गांवों को असुविधा होती है। मैंने मूल प्रश्न में आपको कहा है कि अनेक गांवों से सम्पर्क टूट जाता है। मैंने, "जी हां" कह कर इसको एडमिट किया है कि असुविधा होती है। जहां तक प्रश्न यह है कि जिले से सम्पर्क टूट जाता है, मेरा कहना है गुढ़ा गांव बाड़मेर जिले का है। माननीय सदस्य ने जालोर जिले की बात कही है इसलिए जो गांव हैं उनके लिए....

श्री हेमाराम चौधरी: डिस्ट्रिक्ट बोर्डर तक आप कह रहे हैं।

श्री सूरजपाल सिंह : बहुत से गांव आते हैं।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें कृपया।

श्री चेतराम : गुढ़ा से बाड़मेर जिले के बोर्डर तक रोड बनी हुई है। लूणी नदी गुढ़ा से चल कर 8 किलोमीटर पर पड़ती है। मैं मानता हूं कि वहां पर इस नदी की वजह से आवागमन रुक जाता है लेकिन वित्तीय साधनों के अभाव में यह कहना कि कब बनवा देंगे, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार चल रही है या दुकान खोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : बिना आसन की अनुमति के नहीं बोलें। अन्तिम पूरक प्रश्न।

श्री अमराराम चौधरी : मैं मंत्री महोदय से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि गुढ़ा से लूणी नदी तक क्या रपट बनाने का विचार रखते हैं ? मैं पुल की बात नहीं कह रहा हूं। आप पुल की बात कह रहे हैं। रपट बनाने का कहा है। नदी के जाने के बाद रेत को साफ करके लोग चल सकते हैं। तो क्या सीमेण्टेड रपट बनाने के लिए आप तैयार हैं ?

श्री चेतराम : जैसा मैंने निवेदन किया, इस पर यदि रपट बनायी जाय तो 30-32 लाख का खर्चा आयेगा। पुल पर तो और भी अधिक खर्चा आयेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, अध्यक्ष महोदय, वित्तीय साधनों की वजह से यह सम्भव नहीं हो सकेगा।

श्री हेमाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें। आर्डर प्लीज।

उदयपुर विश्वविद्यालय के लिये चम्पा बाग को भूमि की (प्रवाप्ति)

335. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या विश्वविद्यालयी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा मंत्री ने विधान सभा में यह बात कही थी कि चम्पा बाग की भूमि उदयपुर विश्वविद्यालय के विस्तार हेतु अवाप्त की जायेगी चाहे उसकी कीमत कितनी भी हो ? यदि हां, तो अब तक अवाप्ति की क्या-क्या कार्यवाही हुई ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त भूमि को तुरन्त अवाप्त कर विश्वविद्यालय को सौंपेगी?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री सुरेन्द्र व्यास) :

(1) जी हां। भूमि अवाप्ति की अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

(2) उच्च न्यायालय, जोधपुर के द्वारा स्थगन आदेश देने के कारण शेष आगामी कार्यवाही रोक दी गयी है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश कब प्राप्त हुआ और जिलाधीश को भूमि अवाप्ति के लिये आपने कब लिखा ? इस भूमि के एक्वीजिशन की कार्यवाही में कितनी अवधि लगी और आपने क्या कार्यवाही की ? इससे सदन को आवश्यकताए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, 3 अक्टूबर, 1981 को धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी हुई और दिनांक 24-2-1982 को धारा 6 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी हुई। 2 मार्च, 1982 को उच्च न्यायालय, जोधपुर से दूसरी पार्टी ने स्थगन आदेश ले लिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया: अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि जो कार्यवाही करने में आप को डेढ़ वर्ष लगा उस अवधि में उस व्यक्ति ने स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया, तो क्या आप यह महसूस नहीं करते हैं कि आपके विभाग की लापरवाही या जान-बूझकर डिले करने के कारण उस व्यक्ति ने जाकर हाई-कोर्ट से स्थगन आदेश लेकर भूमि अवाप्ति की कार्यवाही को रोक दिया ? क्या आपने स्टे को खारिज कराने के लिए कोई कार्यवाही की ? आपकी ओर से आज तक दावा भी पेश नहीं किया गया। आप बतायें, आपने क्या किया ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, पहले सैक्शन 4 का नोटिफिकेशन जारी होता है उस के बाद सैक्शन 6 का नोटिफिकेशन जारी होता है। सैक्शन 6 का नोटिफिकेशन 24-2-82 को हुआ है। 2 मार्च 1982 को स्टे आ गया था ; तो इसमें कोई लापरवाही या कोई दूसरी बात नहीं हुई है। दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है कि स्टे को वेकेट कराने के लिए क्या कार्यवाही की गयी ? अध्यक्ष महोदय, स्टे के लिये उच्च न्यायालय में इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि वह रिट को फाइनल आर्ग्यूमेन्ट के लिए रख देते हैं। यह ठीक है कि हमारी तरफ से जवाब दाखिल नहीं हुआ, वह अब होना है।

Page No.14

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

हमने राय जानने के लिए इस मामले को लॉ डिपार्टमेन्ट के पास भेजा है कि इसमें हम क्या कार्यवाही कर सकते हैं । उनकी राय आने के बाद कार्यवाही की जायेगी । जवाब तैयार है, वह दे दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री सी०पी०जोशी ।

श्री सी०पी०जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या इसमें संशय है कि उपरोक्त जमीन विश्वविद्यालय के विकास के लिए उदयपुर विश्वविद्यालय को मिले, इसके लिए छात्रों ने 10-15 दिन तक आन्दोलन किया ? क्या यह सच है कि जिस आदमी ने यह जमीन खरीदी, उसकी कीमत करोड़ों रुपये हो गयी ? क्या राज्य सरकार अब उस जमीन को विश्वविद्यालय को देगी ? क्या न्यायालय के स्टे के आधार पर म्यूनिसिपैलिटी के अन्दर जो अधिकारी हैं उनको उस व्यक्ति ने अपने पक्ष में कर रखा है ? क्या आप उस जमीन से उदयपुर विश्वविद्यालय को वंचित करके उदयपुर में छात्रों का एक और आन्दोलन कराना चाहते हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : स्टे के प्रश्न के बारे में निवेदन कर चुका हूं कि उस व्यक्ति को स्टे लेने के लिए 6 रोज का समय भी नहीं मिला, सैक्शन 6 की अधिसूचना के बाद भी स्टे आ गया । स्टे अब आ गया तो आ गया ।

श्री अध्यक्ष : अब मामला सब-जुडिस हो गया ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने नाम पुकार दिया ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आपने धारा 4 का जो नोटिफिकेशन किया उसके बाद जो धारा 6 का नोटिफिकेशन किया, इन दोनों नोटिफिकेशन के बीच की अवधि इतनी लम्बी होने का क्या कारण है ? क्या यह सच है कि वह आदमी करोड़पति है और किसी भी हालत में लैण्ड एक्वायर नहीं होने देता ? वह आफिसरों से मिलकर डिले करा रहा है ? यह भी बतायें कि स्टे आने और एक्वीजिशन का नोटिस सर्व होने के बाद क्या उस जमीन का रजिस्ट्रेशन हुआ ?

श्री अध्यक्ष : श्री तावड़ ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, लास्ट ईयर भी यह मामला सदन में आया था उस समय बड़ा हंगामा हुआ था । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या कलक्टर ने इमीजियेटली जमीन अवाप्त करने के लिए अपनी तरफ से राज्य सरकार को कोई लैटर लिखा था ? क्या कलेक्टर का इस तरह का कोई पत्र प्राप्त हुआ था ?

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जो प्लाट ने काट चुके हैं उन पर जो लोग निर्माण कराना चाहते हैं तो क्या राज्य सरकार ने अपनी ओर से कोई इस तरह के आदेश दिये हैं कि जब तक इसका फैसला नहीं हो जावे तब तक प्लाट निर्माण का कोई प्लान पास नहीं किया जावे ? अगर नहीं दिये हैं, तो क्या अब जारी करेंगे ताकि कन्स्ट्रक्शन रुकवाया जा सके ?

श्री सी० पी० जोशी : अध्यक्ष महोदय, उस जमीन को अवाप्त करने के लिए

(श्री सी. पी. जोशी)

सरकार मूक दर्शक बन कर बैठी रही और बिड़ला और टाटानगर वालों ने आकर वह जमीन ले ली। राज्य सरकार विश्व विद्यालय के विकास के लिए जमीन अवाप्त नहीं करना चाहती है। मेरा निवेदन है, अब भी राज्य सरकार गम्भीरता से सोचे। क्या पब्लिक इन्ट्रेस्ट में सरकार जो जमीन अवाप्त करना चाहती है क्या उसके लिए तुरन्त कार्यवाही करके भविष्य में डायरेक्ट एक्शन लेने के लिए नियमों में अमेंडमेंट लायेगी या नहीं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, एनवीजिशन की कार्यवाही में जो टाइम लगा है उसको जस्टिफाइड माना जा चुका है और डिले इमैटीरियल है। सैक्शन 6 के नोटिफिकेशन और स्टे आर्डर के बीच का टाइम पांच रोज का रहा है ?

श्री अनंग कुमार जैन : सैक्शन 4 और 6 के नोटिफिकेशन के बीच में कितना समय लगा, यह बता दीजिए ?

श्री अध्यक्ष : आपकी आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप फैक्ट को कन्फ्यूज कर रहे हैं। आप पांच दिन की डिले को डिले मानते हैं तो वह दूसरी बात है। गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन तो निकालना ही पड़ेगा उसमें डिले कोई मैटीरियल नहीं है। मैटीरियल यह है कि सैक्शन चार के नोटिफिकेशन के बाद में जो नोटिफिकेशन निकालना था वह टाइमली निकाल दिया गया।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इस बात का है कि जिस जमीन को राज्य सरकार उदयपुर विश्वविद्यालय के लिए एक्वायर करना चाहती है उस जमीन को जो पैसे वाला धनपति है वह नाजायज प्लाट बेच कर अपने पास रखना चाहता है, इस पर सरकार क्या फैसला करना चाहती है ? आगे इसमें सरकार की क्या मंशा है ? पूर्व में तो जो कुछ किया वह तो किया लेकिन अब सरकार की नीयत क्या है ? क्या इस जमीन को सरकार विश्वविद्यालय को हैंड ओवर करवा देगी ? इस बारे में क्या कार्यवाही करने वाले हैं, यह बतायें ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ....

श्री सी. पी. जोशी : मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था उसके बाद भी....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब मैं इजाजत नहीं दूंगा ! कृपया बैठ जावें....

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है, कृपया बैठ जावें। उस प्रश्न का उत्तर दे दें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाबदावा तैयार किया जा रहा है। स्टे एप्लीकेशन पर आर्ग्यूमेंट फाइनल होकर अन्डर प्रोसेस है। हमारी कोशिश है कि स्टे वेकेट करावें। स्टे वेकेट होने के बाद आगे कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है....

श्री अध्यक्ष: अब इजाजत नहीं दूंगा।

श्री मेघराज तावड़ : आगे से कंस्ट्रक्शन नहीं करवायें, इसके लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होंगे, माननीय सदस्य। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : जो कंस्ट्रक्शन होगा उसको रुकवायेंगे या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री मेघराज तावड़ : XXX

श्री अध्यक्ष : अब इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य। अगला प्रश्न। श्री राम कंवार बैरवा और श्री देवीसिंह भाटी !

भारत-पाक युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों को भू-आवंटन

336. श्री रामकंवार बैरवा (फागी) व श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि 1971 के भारत-पाक युद्ध में वीरगति प्राप्त नायक तेजपालसिंह, निवासी सेवड़ा, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर की विधवा मोहन कंवर को उपनिवेशन आयुक्त, बीकानेर के कार्यालय आदेश क्रमांक यूनिट बी-17571 दिनांक 4-9-1972 के अनुसार चक नं. 28 ए. एस. का मुरब्बा नम्बर 86/10 तादादी 25 बीघा नहरी भूमि का आवंटन किया गया था ? क्या यह भी सही है कि श्रीमती मोहन कंवर को मौके पर मात्र 6 बीघा का ही कब्जा दिया गया तथा शेष 19 बीघा पर 11 वर्षों से श्री मोहनराम पुत्र गणेशराम का न्यायालय की कार्यवाही से कब्जा है ?

(2) क्या यह सही है कि 1971 के भारत-पाक युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिक नारायणसिंह निवासी पलाना, तहसील बीकानेर की विधवा श्रीमती सुगन कवर को उप निवेशन आयुक्त, बीकानेर के कार्यालय आदेश क्रमांक यूनिट बी-17571, दिनांक 4-9-1972 के अनुसार चक नं० 28 ए एस. का मुरब्बा नम्बर 86/17 की 25 बीघा नहरी भूमि का आवंटन किया गया ? क्या यह भी सही है कि श्रीमती सुगन कंवर को मौके पर 10 बीघा भूमि का ही कब्जा दिया गया तथा शेष 15 बीघा पर किसी अन्य व्यक्ति श्री मोहनराम द्वारा कब्जा किया हुआ है ?

(3) क्या राज्य सरकार देश के लिए शहीद हुए वीरों के असहाय परिवारों को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए शीघ्र ही बाकी भूमि का कब्जा दिलाने अथवा अन्य नहरी भूमि का आवंटन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उपनिवेशन मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) :

(1) जी हां।

(2) जी हां।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री चन्दनमल बैद)

(२) इसी भूमि का आवंटन उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण देना सम्भव नहीं है। अन्यत्र बदले में तहसील कोलायत क्षेत्र में इस कार्य हेतु आरक्षित भूमि में आवंटन करने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। आवंटी को इस हेतु पत्र भी लिखा दिया गया है. परन्तु वह लेना नहीं चाहते।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने सन् 1972 के अन्दर यह आवंटन किये, कृपया यह बतायें कि इन दोनों शहीदों की विधवाओं को आपने 25-25 बीघा भूमि का आवंटन किया था तो क्या मौके पर आपने 25-25 बीघा का कब्जा दिया है ? अगर दिया है, तो किसके द्वारा और किस तारीख को ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अदालत के स्थगन आदेश के कारण से उनको पूरा कब्जा नहीं दिया जा सका। जब पूरा कब्जा नहीं दिया जा सका तो उनको बार-बार यह लिखा गया कि इस जमीन के बदले में दूसरी जमीन पसन्द कर लें। उनको एक बार नहीं पांच बार पत्र लिखे गये हैं। आज भी सरकार इस बात के लिये तैयार है कि कोलायत क्षेत्र में या राजस्थान नहर के द्वितीय फेज में कहीं भी जमीन पसन्द कर लें, सरकार उस जमीन को देने को तैयार है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है। मैंने प्रश्न पूछा है कि विभाग ने कब्जा मौके पर दिया या नहीं ? जब आप मौके पर कब्जा नहीं दिला सकते तो उस जमीन का आपने आवंटन क्यों कर दिया ? एक तरफ जब कोर्ट की तरफ से स्टे का आदेश था तो आपने उस जमीन को क्यों आवंटित किया ? जब आवंटित कर दिया तो मौके पर कब्जा दिलवायें। मैं यही पूछना चाहता हूं।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता लेकिन एक मिनट के लिए मान लीजिए कि जिस समय उनको इस जमीन का आवंटन किया गया उस समय रेवेन्यू बोर्ड का स्टे था, अब राज्य सरकार बार-बार यह कह रही है कि इस जमीन के बदले में दूसरी जमीन ले लीजिये लेकिन वे लेना नहीं चाहती हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, शहीदों के परिवारों को एक तरफ तो जमीन आवंटन करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ न्यायालय के स्थगन आदेश वाली जमीन देकर उनको परेशान करते हैं। एक शहीद की असहाय विधवा को इस प्रकार से परेशान करते हैं। सन 1972 के बाद कम से कम सैकड़ों पत्र विभाग को लिखे कि उसको कम से कम दूसरी जगह तो जमीन आवंटित कर दें।

श्री अध्यक्ष : दूसरी जगह के लिए तो मंत्री महोदय ने आश्वासन दे दिया है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। जब न्यायालय का स्थगन था, स्टे आर्डर किया हुआ था तो इस तरह की डिस्प्यूटेड लैंड का अलाटमेंट क्यों कर दिया ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य फर्मा रहे हैं उसके लिए कहीं कोई एतराज नहीं है । हम उनको दूसरी जगह भूमि देने को तैयार हैं । माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न मे यह पूछा है कि बाकी भूमि का कब्जा दिलाने अथवा अन्य नहरी भूमि का आवंटित करने विचार रखती है ? मैंने निवेदन किया कि विभाग द्वारा एक बार नहीं पांच बार उनको पत्र लिखा जा चुका है । मैंने पत्रों की प्रतिलिपियां प्रस्तुत की हैं लेकिन उनका कहना यह है कि वे दूसरी जगह जमीन लेना नहीं चाहती हैं । न्यायालय का फैसला होने के बाद में अगर यह जमीन फ्री हो जायेगी तो वे इस जमीन को ही लेंगी । और यदि जमीन फ्री नहीं होगी तब वे सोचेंगी कि दूसरी जगह जमीन लें । इसके बावजूद मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह और कहीं भी आरक्षित जमीन में से जमीन लेना चाहती हैं तो उनको जमीन देने को तैयार हूं ।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है । इन्होंने जो उत्तर दिया है उसके अनुसार एक तरफ तो ऐसी भूमि का आवंटन कर दिया जिस पर न्यायालय का स्टे था, मौके पर कब्जा दिलाया नहीं ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर आ गया है, माननीय सदस्य अगला प्रश्न ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इस विभाग की कितनी लापरवाही है भूमिहीन काश्तकारों को, शहीदों की विधवाओं को ....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, कम से कम मन्त्री महोदय की यह जिम्मेदारी तो हो जाती है कि इसकी जांच करायें कि जब स्टे था तो उस जमीन का आवंटन कैसे कर दिया ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि वे जहां जो जमीन पसन्द करेंगी वह जमीन उनको दिला दी जायेगी ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इसमें जो गलती हुई है उसकी जांच होनी चाहिए । इस प्रकार से शहीदों की विधवाओं को परेशान किया जाता है । यह तो एक स्पेसिफिक प्रश्न सामने आया है, ऐसे सैंकड़ों आवंटी हैं, अध्यक्ष महोदय, जिनको परेशानी हो रही है । वे दर दर भटक रहे हैं ।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकंवार बैरवा !

श्री रामकंवार बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न के मामले में तो सरकार अपनी खाना-पूर्ति करने के लिए यह कह रही है । अध्यक्ष महोदय, हरिजनों को कहीं भी प्लाट, आवास की जमीन दी गई है या खेती की जमीन दी गई है उनके साथ भी यही हो रहा है । अगर सैनिकों की पत्नियों के साथ में....

Page No.19

श्री अध्यक्ष : उन्होंने आश्वासन दे दिया है, माननीय सदस्य ।

श्री रामकंवार बैरवा : काफी तादाद में इस तरह के मामले हैं जिनमें जमीन देकर लोगों को परेशान किया जा रहा है ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी ने यही कहा है कि वे जहां पर भी जमीन पसन्द कर लेंगी वहां जमीन देने को तैयार हैं। यदि उसके बाद कार्यवाही नहीं होती है पांच महीने बाद, चार महीने बाद, अगले सत्र तक कार्यवाही नहीं होती है तो फिर विचार करेंगे। अगला प्रश्न ।

श्री मेघराज तावड़ : मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । अब कोई प्रश्न नहीं होगा । मन्त्री जी ने यह कहा है कि उनका पांच बार पत्र लिखे हैं। अब इजाजत नही दूंगा ।

श्री मेघराज तावड़ ; मन्त्रीजी ने यह कहा है कि पांच बार पत्र लिखे हैं तो क्या मन्त्रीजी उनकी तारीखें बता सकते हैं कि जमीन देने के लिए कब-कब पत्र लिखे हैं?

श्री चन्दनमल बैद : वह भी बता सकता हूं, आप चाहें तो । मेरे पास हैं ।

श्री अध्यक्ष : कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न । श्री नन्दलाल मीणा !

विद्युत मण्डल हड़ताल के दौरान घटित दुर्घटनाएं

337. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) राज्य में 1982 के दौरान विद्युत मण्डल कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल के समय विद्युत दुर्घटनाओं में कुल कितने कर्मचारियों की मृत्यु हुई व कितने घायल हुए ? कृपया दुर्घटना एवं कर्मचारियों के नाम पते सहित ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विद्युत मण्डल ने इन कर्मचारियों या उनके आश्रितों को सहायता दी ? यदि हां, तो क्या-क्या? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) हड़ताल के समय हताहत हुए कर्मचारियों में कितने स्थायी एवं कितने अस्थायी थे ?

(4) क्या सहायता में स्थायी एवं अस्थायी होने का मापदण्ड अपनाया गया ?

ऊर्जा मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) सन् 1982 के दौरान विद्युत मण्डल कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर 38 कर्मचारी कार्यरत रहते हुए दुर्घटनाग्रस्त हुए जिनमें से 7 की मृत्यु हो गई तथा 31 घायल हुए । कर्मचारियों के नाम-पते सहित विवरण देते हुए सूची 'अ' सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । विवरण उक्त सूची 'अ' में दर्शा दिया गया है ।

(3) हड़ताल के समय हताहत हुए कर्मचारियों में 8 अस्थायी बिना नियमित

(श्रीमती कमला)

वेतन श्रृंखला के कर्मचारी तथा अन्य सभी कर्मचारी स्थायी अर्थात नियमित वेतन श्रृंखला के थे।

(4) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं जैसा माननीय मंत्री महोदय ने सूचित किया कि हड़ताल के दौरान कुल 38 कर्मचारी घायल हुए हैं जब कि समाचार पत्रों में 100 से अधिक हताहत और घायल होने की चर्चा हुई है। माननीय मंत्री महोदय ने जो सूची 'अ' दी है उसमें उन्होंने घायल कर्मचारियों की संख्या 31 बताई है तथा 7 कर्मचारी मर गये। इनमें 7 हैल्पर हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह हैल्पर क्या तकनीकी जानकारी रखते थे जिनको खम्भे के ऊपर चढ़ा दिया और वह घायल हो गये ?

श्री अध्यक्ष : समझदार ऊपर कौन चढ़ता है।

श्री नन्दलाल मीणा : उनको ऊपर चढ़ा दिया। 31 लोग घायल हो गये।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, हड़ताल के दौरान सिस्टम को रेगुलर आपरेट करते रहने के लिये जिस प्रकार के कर्मचारी का जिस प्रकार का उपयोग किया जाना सम्भव हो सकता है उसका उस प्रकार उपयोग किया जाता है जिससे व्यवस्था में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। किसी जगह पर उनसे कोई इस प्रकार का काम लिया जाना आवश्यक पड़ गया तो वह व्यवस्था कायम रखने के लिये किया गया।

श्री नन्दलाल मीणा : इस सूची में क्लास फोर्थ के 7 सर्वेंट खम्भों पर चढ़ाये गये बताये हैं। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं आपका लम्बा चौड़ा विभाग है उसमें ए. ईएन., एक्स. ईएन., सुपरिन्टेन्डेंट इंजीनियर हैं वे काम जानते हैं। वे चढ़ते। उनको क्यों नहीं चढाया ? मैं कहना चाहूंगा कुछ लोगों को मारने के लिये बिजली के खम्भे पर चढ़ाया गया। उनको मारा गया। इस दुर्घटना में जो लोग घायल हो गये उन को अस्पताल में भर्ती किया गया। उनके लिए यह कहा कि चूंकि ये उस समय अस्पताल में भर्ती थे इसलिए उनको वेतन दिया गया। उनकी छुट्टी नहीं काटकर सवैतनिक माना गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या आप ऐसे घायल व्यक्तियों, जो आन ड्यूटी घायल हुए हैं, को सहायता देना चाहते हैं ? सिर्फ वेतन से काम नहीं चलने वाला है। जो मर गये उनके बारे में आपने क्या किया ? मुख्य मंत्री ने 18-18 हजार रुपये....

[व्यवधान]

परिवारों को दिये, यह बताया।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, जिस कैटेगरी के कर्मचारी या अधिकारी घायल हुए हैं अथवा हताहत हुए हैं उनकी सूची में सहायक भी हैं दूसरे भी हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : सभी सहायक है।

श्रीमती कमला : उसमें एक अभियन्ता भी है। जिस श्रेणी के जो लोग घायल हुए हैं उसी तरह का विवरण देंगे। जो घायल नहीं हुए उनका नाम कैसे लेंगे। दूसरा प्रश्न यह है,

(श्रीमती कमला)

आपने कहा कि जो घायल हुए हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की । अध्यक्ष महोदय, मैंने विवरण में दिया है जो इस वक्त एक्ट में प्रावधान है उसके अनुसार नौकरी के दौरान घायल हुए व्यक्तियों को काम न करने के लिए आधे माह की तनख्वाह दी जाती है। लेकिन जो भर्ती थे उनको पूरे माह की तनख्वाह दी जाती रही है । एक्ट में यह प्रावधान भी है कि अस्पताल से निकल कर घर आ जाय और उसके बाद जब तक काम करने की क्षमता में नहीं आये तब तक तनख्वाह दी जाती है । उनको रेगुलर तनख्वाह दी जाती रही है, अतिरिक्त सुविधाएं बोर्ड की तरफ से दी जाती रही हैं ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

[व्यवधान]

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : उनको मारा गया ।

श्री अध्यक्ष : तीन माननीय सदस्य एक एक पूरक प्रश्न पूछेंगे । श्री नाथूसिंह, श्री हरीश शर्मा व श्री मेघराज तावड़ !

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या यह सही है कि जो काम ट्रेंड लोग करते थे उन ट्रेंड व्यक्तियों के काम को अन ट्रेंड व्यक्तियों से लिया गया ताकि गवर्नमेन्ट यह शो कर सके कि हड़ताल में भी काम यथावत जारी रहा? क्या उसके कारण मौतें हुई हैं ?

श्री हरीश शर्मा : क्या यह सही है कि 40-40 व्यक्तियों को हड़ताल के कारण पुलिस ने जबरदस्ती खम्भों पर चढ़ाया और वे मर गये ? कोटा में केवल मात्र 50 व्यक्ति ऐसे हैं........

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, हड़ताल के दौरान जो कर्मचारी अस्पताल में भर्ती हुए, जिनको खम्भे पर चढ़ाया और जिनकी डैथ हो गई, क्या सरकार ने उनके घर वालों को नौकरी देने की कोई व्यवस्था की है ? हड़ताल के दौरान सरकार का कितना खर्चा आया ?

श्री अध्यक्ष: अलग प्रश्न ।

कृपया बैठ जायं । विषयान्तर हो रहे हैं । एक प्रश्न और ले लें ।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य ने यह कहा कि पुलिस के जरिये जबरन इन कर्मचारियों से काम लिया गया, यह बिलकुल गलत बात है ।

श्री हरीश शर्मा: यह बिलकुल सच है ।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप बीच में मत बोलिये । आप अन्दाज इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि आप यह समझते हैं समाज में सभी तत्व इस प्रकार के हैं जो असेन्सियल सर्विसेज को आये दिन डिस्टर्ब करने का इरादा रखते हैं । अध्यक्ष महोदय, समाज में इस तरह के तत्व भी है जो असेन्सियल सर्विसेज को ईमानदारी, निष्ठा से अन्जाम देना अपना फर्ज समझते हैं और आम जनता को कठिनाई में न डालने के लिए अपना काम स्वेच्छा से करते हैं । लोगों ने इसी प्रकार काम किया भी है । किसी प्रकार की पुलिस के जरिये जबरन कार्य करवाने की कोशिश नहीं की है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन पैरों पर है। मन्त्री महोदय, बिराज जायें। अगला प्रश्न पुकार लिया है।

श्रीमती कमला : बोलने की इच्छा रखते हैं तो सुनने की क्षमता भी रखिये।

श्री नाथूसिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, ये इन्होंने हत्याएं की हैं मजदूरों की।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। समय जा रहा है।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है, कृपया बैठ जायं।

श्री नाथूसिंह: अध्यक्ष महोदय; मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष: कृपया बैठ जायं। माननीय सदस्य, आवेश में न आवें। एक प्रश्न और ले लेते हैं।

सुश्री पुष्पा, संक्षेप में पूरक प्रश्न।

जयपुर शहर की गृह निर्माण सहकारी समितियों में प्रशासकों की नियुक्ति

338. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर नगर की किन-किन गृह निर्माण सहकारी समितियों पर कब-कब से कौन-कौन प्रशासक नियुक्त किये गये हैं और किन-किन पर नहीं और क्यों? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रशासक नियुक्त करने से पूर्व किन-किन सहकारी समिति के कार्य की कब-कब और किस-किस से जांच करवाई गई? ऐसी जांच का क्या-क्या परिणाम निकला?

(3) प्रशासक द्वारा चार्ज लेते समय किस-किस समिति के अधिकार में (वास्तविक अथवा अप्रत्यक्ष रूप में) कितनी-कितनी, किस-किस प्रकार की भूमि थी? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(4) ऐसी भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में प्रशासक द्वारा किस प्रक्रिया को अपनाया जायेगा? कृपया ऐसी प्रक्रिया का पूरा विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मन्त्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर): (1) तालिकाएं सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जी नहीं। प्रशासक नियुक्त करने से पूर्व समितियों से विस्तृत जानकारी मांगी गई थी।

(3) जिन समितियों का प्रशासकों द्वारा रिकार्ड का चार्ज लिया गया उनके पास किस-किस प्रकार की भूमि थी, की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। परिशिष्ट 'स'।

(4) प्रशासकों द्वारा भूमि आवंटन के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रस्तावित प्रक्रिया के सबंध में आवश्यक निर्देश दिये जा रहे हैं।

(तालिकाओं के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री भैरोंसिंह शेखावत: क्या यह समझा जाय आज तक कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर: प्रोसेस में है।

श्री भैरोंसिह शेखावत: निर्देश देने की अवधि में प्रशासक इन समितियों की भूमि का बेचान नहीं कर सकता, क्या इस प्रकार की रोक है ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर: हर समिति का अपना संविधान है उसमें भूमि कैसे दी जायेगी क्या दी जायेगी वह निर्धारित है। हम यह चाहते हैं, जो प्रक्रिया सोसायटी के संविधान में दी गई है उस प्रक्रिया का लाभ लोगों को मिलना चाहिए। वह लाभ शायद नहीं मिला है, ऐसी हमारी मान्यता है। उसके लिए जनरल सारा ठीक करना पड़ेगा। अलग-अलग सोसायटी का अलग-अलग संविधान है भूमि कैसे अलॉट की जायेगी वह प्रक्रिया निर्धारित है। वह प्रक्रिया संविधान में समाविष्ट कर दी जाय, उसके लिए कुछ प्रस्तावों पर कार्यवाही चल रही है।

श्री भैरोंसिह शेखावत: क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार नेकोआपरेटिव एक्ट की धारा 139 को नेगलेक्ट करके धारा 77 और 76 के मातहत प्रशासक नियुक्त किये हैं ? इस प्रकार की कार्यवाही राज्य सरकार ने पूर्व में की थी उसको राजस्थान उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : कुछ सोसायटीज कोर्ट में गई थीं। उनके कुछ स्टे आर्डर मिले हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, कोआपरेटिव एक्ट के सेक्शन 139 के अन्तर्गत कानून में रिलेक्सेशन देकर सेक्शन 37 में प्रशासक नियुक्त करने की कार्यवाही की है। क्या यह सच है कि केस घूड़ाराम बनाम स्टेट में हाई कोर्ट जजेज द्वारा प्रशासक नियुक्ति की सारी की सारी कार्यवाही को अवैध ठहराया गया है ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अर्बन बैंक का कोई केस था यह उसका जजमेंट है। उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। फिर उसमें हम अपील करेंगे। बाकी जहां तक हाउसिंग सोसायटीज का जो प्रश्न आपने पूछा है यह प्रश्न केवल हाउसिंग सोसायटी से संबंधित है। इसके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा आदेश नहीं है जिसमें प्रशासक की नियुक्ति को नल एंड वोइड किया गया हो। हां, कुछ मुंसिफ मजिस्ट्रेट से हमको स्टे आर्डर मिले हैं उसके खिलाफ हमने राजस्थान उच्च न्यायालय में रिवीजन फाइल किया है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, केवल उत्तर दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, मैं अधिक से अधिक प्रश्न लेने की पूरी कोशिश करता हूं।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : उत्तर दिला दीजिये, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : केवल उत्तर दे दीजिये।

अनुसूचित जाति / जनजाति के लिये गठित विशेष न्यायालय

339. **श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) व श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये कायम किये गये विशेष न्यायालय अनुपयुक्त

(श्री हीरालाल आर्य)

तथा अव्यावहारिक सिद्ध हुए हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा बार बार आश्वासन देने तथा इन न्यायालयों का हर स्तर पर विरोध होने के बावजूद भी अभी तक उन्हें समाप्त नहीं किये जाने का क्या कारण है ?

(2) क्या सरकार जन हित को मद्दे नजर रखते हुए शीघ्र ही विशेष न्यायालयों को समाप्त करने तथा स्थानीय न्यायालयों को ही अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के लोगों के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाये जाने के आदेश प्रदान करेगी ?

विधि मंत्री (श्री अहमद बक्श सिंधी): (1) जी हां। यह सही है कि विशेष न्यायालयों से अनुसूचित जाति के लोगों को अपेक्षित राहत उपलब्ध नहीं हो पाई क्योंकि प्रकरणों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई थी। नियमित न्यायालय भी अत्यधिक व्यस्त होने से अनुसूचित जाति के लोगों के मुकदमे शीघ्रतम निपटाने में सक्षम नहीं हैं अतः प्रकरण की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए तीन और भ्रमणशील न्यायालय....

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा) : यह भ्रमशील क्या होता है, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अहमदबक्श सिंधी : ध्यान से सुनिये। भ्रमणशील न्यायालय, दो कोटा एवं एक अलवर में स्थापित किया जा रहा है जिनकी स्वीकृतियां भी जारी कर दी गई हैं।

(2) जी नहीं। ऐसे प्रकरणों का शीघ्र निपटारा करने हेतु तीन और विशेष भ्रमणशील न्यायालय स्थापित किये गये हैं जो शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कर देंगे। राज्य सरकार के अनुरोध पर माननीय उच्च न्यायालय ने सभी अधीनस्थ न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मुकदमों की सुनवाई हेतु सप्ताह में एक दिन नियत करने एवं इस आदेश की कठोरता से पालना करने के निर्देश जारी किये हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। श्री भैरूसिंह गुर्जर !

श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि समय की कमी है और प्रश्न गम्भीर है इसलिये इसको स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष : दुबारा स्थगित नहीं होगा, माननीय सदस्य। मैं 2-3 सप्लीमेंट्री अलाउ कर दूंगा।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 23 फरवरी, 1983)

जिला पाली में अकाल राहत कार्य

101. श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पाली जिले में इस वर्ष अकाल राहत के तहत कितने कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं एवं विभिन्न कार्यों पर कितने श्रमिक कार्यरत हैं ? कृपया पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

अकाल राहत मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : अब तक 169 कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं जिन पर 17,293 श्रमिक

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

कार्यरत हैं । इनकी पंचायत समिति एवं अभिकरणवार तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर: मैं निवेदन करूंगा कि आपने जो सूची प्रस्तुत की है वह सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण और भू-संरक्षण विभाग के कार्यों की है । वन विभाग के कार्यों की सूची प्राप्त नहीं हुई है ।

दूसरे, सूची में जितने कार्यों की संख्या बताई है वह गलत है। 18-2 और 21-2 को अन्य कार्यों की सूची जारी हो चुकी है । इस समय जितने कार्य आरम्भ किये गये उनमें से एक भी मामला इसमें दर्ज नहीं है इसलिये मैं इस जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा । तुरन्त ही इसका उत्तर जानकारी में न होने के कारण मंत्रीजी दे नहीं पायेंगे इसलिये मैंने कहा था कि इस प्रश्न को स्थगित कर दें या इच्छा हो तब रख लें या इस पर आधे घंटे की चर्चा ...

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जहां तक पाली जिले का सवाल है, कुल 470 कार्य स्वीकृत किये हैं। उनमें से जो कार्य चालू हो चुके है उनकी सूची मैंने दी है । हो सकता है, मुझे सूचना प्राप्त होने के बाद कुछ और कार्य चालू हो गये हों परन्तु जहां तक मुझे सूचना मिली है, सार्वजनिक निर्माण विभाग के 70, सिंचाई विभाग के 208, वन विभाग के 54 और भू-संरक्षण के 138 कार्य कुल 362 लाख रुपये के स्वीकृत किये गये हैं । यह हो सकता है कि मुझे सूचना प्राप्त होने के बाद कुछ और काम शुरू हो गये हों लेकिन जो संख्या 169 दी है वह कार्य शुरू हो चुके हैं । टोटल 470 कार्य स्वीकृत किये गये हैं ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैं मंत्री जी की बात से सहमत हूं । मेरा निवेदन यह था कि पिछले दिनों शनिवार और रविवार को मैं पाली गया था । वहां अधिक तादाद में कार्य शुरू हो चुके हैं, श्रमिक भी ज्यादा लग चुके हैं । मैं इस बाबत जानकारी प्राप्त करना चाहता था ताकि अपने क्षेत्र की पूरी जानकरी मुझे रहे ।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, इनके पास पूरी लिस्ट है । ये जानते हैं कि कौन-कौन से क्षेत्र में काम मंजूर हुए हैं ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : गत वर्ष के कितने अधूरे कार्य आपने हाथ में लिये ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आपने इस वर्ष किस आधार पर स्वीकृत किये हैं ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : हमने एक तो संवत् 2037-38 में जो अधूरे कार्य रहे हैं उनको प्राथमिकता देने की कोशिश की है । उनके साथ-साथ जो कार्य जून, 1983 तक पूरे हो सकते हों उनको भी लेने का ध्यान रखा गया है । इसकें बाद दूसरे कार्य लिये गये हैं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : यह कार्य किसी कमेटी की सिफारिश पर या जिलाधीश के कहने से या मंत्री महोदय की इच्छा पर स्वीकृत किये गये हैं ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जहां तक मंत्रीजी की इच्छा का सवाल है, उनकी कहीं इच्छा नहीं है। जो प्रस्ताव जिलाधीश से प्राप्त हुए उनको ध्यान में रख कर स्वीकृत किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जिला स्तर पर जो अकाल राहत कमेटी है उसका मैं भी सदस्य हूं। मैंने कमेटी में जिन जगहों के प्रस्ताव दिये थे वहां काम स्वीकृत नहीं हुए।

श्री अध्यक्ष: इसको किसी अन्य तरीके से उठावें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, शान्त रहें। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान नहर का निर्माण

356. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान नहर के द्वितीय चरण में कुल कितने किलोमीटर लम्बी मुख्य नहर का निर्माण होना है तथा कितना निर्माण हो चुका है ?

(2) मुख्य नहर के साथ वितरिकाओं का कितना निर्माण होना है तथा कितना निर्माण हो चुका है ?

(3) क्या राज्य सरकार ने इस कार्य को समय पर पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार से योजना में आवंटित राशि के अलावा अतिरिक्त धनराशि की मांग की है ? यदि हां, तो कितनी तथा कितनी प्राप्त हुई, या कितनी प्राप्त होने की संभावना है ?

उत्तर

(1) कुल 256 किलोमीटर में से जनवरी, 83 तक 148 किलोमीटर लम्बाई में निर्माण हो चुका है।

(2) वितरिका प्रणाली पर कुल 3600 किलोमीटर लम्बाई में से जनवरी, 83 तक 192 किलोमीटर लम्बाई में निर्माण हो चुका है।

(3) जी हां। छठी पंचवर्षीय योजना में आवंटित 162.50 करोड़ रुपये के अतिरिक्त 40 करोड़ रुपये विशेष योजना सहायता के रूप में योजना के अन्तिम तीन वर्षों के लिए दिए हैं जो कि वर्ष 1982-83 में 15 करोड़, 1983-84 में 15 करोड़ और 1984-85 में 10 करोड़ होंगे।

राजस्थान नहर के निर्माण हेतु विदेशों से सामान

357. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पिछले दो वर्षों में राजस्थान नहर निर्माण हेतु कितना सामान किन-किन देशों से आयात किया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पिछले दो वर्षों में 5 नम्बर डी-8 रिपर ब्रिटेन से आयात किये गये जिनकी कुल राशि 80,00,000/-रुपये थी । इनको सुचारु रूप से चलाने के लिए अनुमानित 20,00,000/-रुपये के पुर्जे आयात किये गये हैं।

राजस्व अभियान के अन्तर्गत कोलायत तहसील में कार्य

358. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व अभियान के दौरान कोलायत तहसील नं. 1से4 में राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 15 एएए के अन्तर्गत कितने गैर-खातेदार काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया कारण स्पष्ट करें।

(2) राजस्व अभियान वर्ष 1981-82 व 1982-83 के दौरान राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1955 की धारा 22 के तहत कितने मामले अभियान के प्रारम्भ होने से पहले निपटा लिए गये और कितनों को बेदखल किया गया ?

(3) राजस्व अभियान (उपनिवेशन क्षेत्र) के तहत कितने अनुसूचित जाति के सदस्यों को भूमि आंवटित की गई ? जिला बीकानेर में वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में आवंटियों की उप-निवेशन तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि भाग(3)में उल्लिखित सदस्यों को आवंटित भूमि पर उन्हें आवंटन के पश्चात् किन्हीं लोगों ने बेदखल कर दिया है ? यदि हां, तो उप-निवेशन तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। क्योंकि इन्हें भूमि ट्रान्सफरेबल और हैरिटेबल अधिकार नहीं थे।

(2) राजस्व अभियान वर्ष 1981-82 के दौरान से पहले राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1955 की धारा 22 के तहत 3105 मामले निपटाए गये और 2589 मामलों पर बेदखली की कार्यवाही की गई।

राजस्व अभियान वर्ष 1982–83 के दौरान से पहले राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1955 की धारा 22 के तहत 2590 मामले निपटाये गये और 2328 में बेदखली की कार्यवाही की गई।

(3) राजस्व अभियान उपनिवेशन क्षेत्र के तहत वर्ष 1981-82 में 1010 अनुसूचित वर्ग के लोगों को 23806 बीघा भूमि का स्थायी आवंटन किया गया और वर्ष 1982-83में राजस्व अभियान के दौरान उपनिवेशन क्षेत्र में 522 अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को 9818 बीघा भूमि का स्थाई आवंटन किया गया।

बीकानेर जिले के क्षेत्र में वर्ष 81-82 में राजस्व अभियान में 359 लोगों को 9949 बीघा भूमि और 82-83 में 251 लोगों

(उप निवेशन मंत्री)

को 6107 बीघा भूमि आवंटित की गई है। तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

क्रय विक्रय सहकारी समिति दौसा द्वारा ऋण

359. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्रय विक्रय सहकारी समिति, दौसा द्वारा उधार में दिये गये माल की कितनी राशियां किन-किन लोगों में बकाया हैं? इस राशि में से बट्टे खाते नाम कितनी राशि डाली गई है? बट्टे खाते नाम लिखने का आधार क्या है?

(2) क्या प्रभावशाली व्यक्तियों को समिति द्वारा उधार दिया जाता रहा है? यदि हां, तो किन-किन को? मय नाम व पूर्ण पते के सदन की मेज पर एक प्रति रखने की कृपा करें?

(3) क्या श्री अखयसिंह डाबरिया के विरुद्ध हुई जुलाई 1980 में धारा 70 की जांच में एवं निरीक्षक आडिट ने इस समिति का आडिट वर्ष 1978-79 व 1979-80 करने के पश्चात् समिति के रिकार्ड को कब्जे में लेने का सुझाव दिया था? यदि हां, तो क्या रिकार्ड कब्जे में लेकर अग्रिम कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) दौसा क्रय-विक्रय सहकारी समिति द्वारा उधार में दिए गये माल की 4,009,86-93/-रु० राशि लोगों पर बकाया है। विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर है। कोई राशि बट्टे खाते नाम नहीं डाली गई है। अतः बट्टे खाते नाम राशि लिखने के आधार का प्रश्न ही नहीं है।

(2) जो व्यक्ति समिति से लेन-देन करते थे उन्हें ही उधार दिया गया है। प्रभावशाली अथवा गैर प्रभावी का कोई आधार नहीं था। अतः पृथक से सूची रखने का प्रश्न ही नहीं है।

(3) माह जुलाई, 80 की जांच के आधार पर श्री डाबरिया को प्रशासक एवं सहायक रजिस्ट्रार, दौसा द्वारा निलम्बित किया गया था। निरीक्षक आडिट का आडिट नोट वर्ष 78–79 अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त होने पर यदि आवश्यक हुआ तो अग्रिम कार्यवाही की जावेगी तथा वर्ष 79–80 का आडिट अभी तक नहीं हुआ है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

जिला बूंदी में अकाल राहत कार्य

360. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बूंदी जिले के कितने ग्राम अकाल-ग्रस्त घोषित किये गये हैं? विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

(2) अकालग्रस्त ग्रामों में कितने राहत कार्य कब से प्रारम्भ किये गये ? कृपया निर्वाचन क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) बूंदी जिले में कितने ऐसे कार्य है जो गत वर्ष अकाल राहत कार्य में शामिल किये गये थे और अभी तक अधूरे हैं ? इनको पूरा कराने के लिये विभाग द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

उत्तर

(1) बूंदी जिले में 379 ग्रामों को इस वर्ष अभावग्रस्त घोषित किया गया है, इनका तहसीलवार विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं	नाम तहसील	ग्रामों की संख्या
1.	के. पाटन	32
2.	बूंदी	101
3.	नैनवा	126
4.	हिण्डोली	82
5.	उप तहसील इन्द्रगढ़	38
	योग	379

(2) इस जिले के लिये 692 राहत कार्य स्वीकृत किये गये हैं। इनका विवरण संलग्न सूची में अंकित है। इनमें से जो कार्य चालू किये जा चुके उनके चालू होने के दिन का भी उल्लेख सूची में किया गया है।

(3) इस जिले में गत वर्ष कराये गये राहत कार्यों में से 93 राहत कार्य अधूरे रहे थे। इनमें से 57 राहत कार्य इस वर्ष स्वीकृत किये जा चुके हैं। शेष 36 कार्यों में से जो कार्य इस वर्ष अभावग्रस्त क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं उन्हें इस वर्ष राहत कार्यों के रूप में कराने हेतु प्रस्ताव जिला राहत सलाहकार समिति के अनुमोदन के बाद जिलाधीश से आने पर विचार किया जावेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

जिला पाली में गोचर सुधार कार्य

361. श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सन् 1982 में राहत कार्यों के तहत हुए कार्यों में गोचर सुधार कार्य के तहत पाली जिले में कितने कार्य प्रारम्भ किये गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन कार्यों के तहत तहसील देसूरी के ग्राम डामलाना कलां में हुए गोचर सुधार कार्य की मजदूरी का पूर्णतया भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों और अब भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) सन् 1982 में पाली जिले में राहत कार्यों के तहत हुये कार्यों में गोचर सुधार के 59 कार्य करवाये गये। सूची संलग्न है।

(2) तहसील देसूरी के ग्राम डायलाना कलां के गोचर सुधार कार्य की मजदूरी का पूरा भुगतान दिनांक 4-3-83 को कर दिया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

जिला जैसलमेर में अकाल राहत के दौरान टैंकरों द्वारा पेयजल व्यवस्था

362. श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जैसलमेर में इस वर्ष अकाल राहत के तहत पेयजल वितरण करने हेतु कितने व कौन-कौन से गांवों में वाटर टैंकर द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया गया ? कृपया ग्रामवार सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) इस कार्य हेतु जिला प्रशासन को कितने वाटर टैंकर उपलब्ध कराये गये ?

(3) क्या यह सही है कि अधिकतर वाटर टैंकर खराब होने के कारण जल वितरण व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं चली ? यदि हां, तो कितने टैंकर मरम्मत-अधीन रहे ?

(4) क्या उपलब्ध टैंकर जल वितरण व्यवस्था के लिये पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो अधिक टैंकर उपलब्ध क्यों नहीं कराये गये ?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में वर्तमान में 11 ग्रामों एवं 3 ढाणियों में परिवहन करके पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है । इसकी सूची संलग्न है ।

(2) इस हेतु जैसलमेर जिले में 64 वाटर टैंकर उपलब्ध हैं ।

(3) यह सही नहीं है । वैसे टैंकरों की जरूरत के अनुसार समय-समय पर मरम्मत होती रहती हैं ।

(4) उपलब्ध टैंकर पेयजल वितरण व्यवस्था के लिए पर्याप्त हैं ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

केशोरायपाटन चीनी मिल का हस्तांतरण

363. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या केन्द्र सरकार ने केशोरायपाटन चीनी मिल को राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का सरकार के सामने कोई प्रस्ताव भेजा है ?

(2) यदि हां, तो प्रस्ताव क्या है ? कृपया प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) इस मिल में अब तक कितना घाटा हुआ है ?

(4) क्या राज्य सरकार इसको लेने पर विचार कर रही है ?

(5) मिल के घाटे में चलने के क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(3) 30 जून, 82 तक इस मिल को करीब 506.49 लाख का घाटा हो चुका है ।

(सहकारिता मन्त्री)

(4) राज्य सरकार ने वर्ष 81 में पुनः वापस लेने का विचार किया था किन्तु मिल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से केन्द्र सरकार ने इस मिल को दि. 13-12-84 तक अपने नियंत्रण में ही रखने का निर्णय किया है।

(5) मिल के घाटे में चलने के मुख्यतः निम्न कारण हैं :-

1. मिल को आरक्षित क्षेत्र में मिल की पेराई क्षमता के अनुसार गन्ना उपलब्ध नहीं होना,

2. मिल की स्वयं की पूंजी न होने से रहन ऋण, दीर्घकालीन ऋण एवं अल्पकालीन ऋणों पर भारी मात्रा में ब्याज का भार वहन करना,

3. लेवी मुक्त चीनी के भावों में लगातार गिरावट आना,

4. कच्चा माल [रॉ-मैटीरियल] इंजीनियरिंग, केमिकल, मशीनरी, तेल आदि के भावों में लगातार वृद्धि के कारण लागत मूल्यों में वृद्धि।

शिव भोले ठेका सहकारी समिति, अजमेर के चुनाव एवं गबन

364. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि शिव भोले श्रमिक ठेका सहकारी समिति, अजमेर के पिछले चुनाव की कालावधि समाप्त हो जाने के बाद अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो इसके पिछले चुनाव कब हुए थे और उसमें कौन-कौन पदाधिकारी चुने गये और क्या वे ही पदाधिकारी अभी तक कार्यरत हैं, या उसमें कोई परिवर्तन हुए हैं ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस समिति के वर्ष 1978-79 के आडिट होने पर 1095.57 रुपये का अनियमित तथा अवैध खर्च एवं गबन होना पाया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि वह आडिट रिपोर्ट सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अजमेर एवं स्पेशल आडिटर सहकारी समितियां, अजमेर को प्रस्तुत कर दी गई ? यदि हां, तो वह कब प्रस्तुत की गई और उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ?

उत्तर

(1) जी हां। गत चुनाव दिनांक 28-4-76 को हुए थे जिसमें निम्न पदाधिकारी चुने गये थे :-

श्री मूलचन्द/श्री डालू	अध्यक्ष
श्री नाथूलाल/श्री मोतीलाल	मंत्री
श्री राधाकिशन/श्री गोरधनराम	कोषाध्यक्ष
श्री रमेश	सदस्य
श्री नारायण/श्री हमीरा	,,
श्री फतहलाल/श्री कल्याण	,,
श्री भंवरलाल/श्री बोदूराम	,,

समिति के सदस्यों की अरुचि एवं प्रबन्धकारिणी की निष्क्रियता के कारण इस समिति को सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी

(सहकारिता मन्त्री)
समितियां, अजमेर के आदेश क्रमांक 5050 दिनांक 18-6-79 के द्वारा अवसायन में लाया गया। अतः वर्तमान में पूर्व पदाधिकारियों के कार्यरत रहने का प्रश्न ही नहीं रहता।

(2) जी हां। समिति की आडिट रिपोर्ट वर्ष 1978-79 के अनुसार 1095.57रुपए के रोकड़ पोते का दुरुपयोग होना दर्शाया गया है।

(3) जी हां, वर्ष 1978-79 की आडिट रिपोर्ट स्पेशल आडिटर सहकारी समितियां, अजमेर को दिनांक 28-9-79 को एवं सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अजमेर को दिनांक 15-11-79 को प्रस्तुत की गई। स्पेशल आडिटर, सहकारी समितियां, अजमेर के आदेश क्रमांक 748-50 दिनांक 28-2-80 द्वारा राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74 (1) के अन्तर्गत श्री मांगीलाल नन्दवाना निरीक्षक (आडिट) को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

जिला जयपुर में अकाल राहत कार्य

365. **श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर):** क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनवरी, 1983 में जयपुर जिले के कौन-कौन से ग्रामों को अकालग्रस्त घोषित किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त घोषणा के अन्तर्गत जयपुर जिले की कौन-कौन सी तहसीलों में क्या-क्या राहत कार्य खोले गये ?

(3) कौन-कौन सी ऐसी तहसीलें हैं जिनमें राहत कार्य आरंभ ही नहीं किये गये और क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले के किसी भी ग्राम को जनवरी, 1983 में अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया। राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 1 (2) (6) स. प्र./खरीफ/ग्रुप -1/82-83/26097-260-123 दिनांक 11-12-82 के द्वारा जयपुर जिले के 2929 ग्रामों में से 2227 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।

(2) इस जिले में निम्न प्रकार राहत कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं:

क्र. सं	नाम अभिकरण	स्वीकृत कार्य संख्या
1.	सिंचाई विभाग	5
2.	सा० निर्माण विभाग	64
3.	वन विभाग	1
4.	भू-संरक्षण विभाग	7
5.	सिंचाई विभाग (पंचायत)	243
	योग	320

(3) अभी तक प्रभावित तहसीलों में से आमेर, चाकसू एवं सांभर में राहत कार्य प्रारंभ नहीं किये गये हैं। राहत कार्यों की स्वीकृति होने के बाद अभिकरणों को मौके पर अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं करनी होती

(अकाल राहत मन्त्री)

है। तदुपरान्त ही स्वीकृत कार्य चालू हो पाते हैं। इस कारण कुछ कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाये। स्वीकृत कार्यों में से बहुत से कार्यों की स्वीकृति दिनांक 3-3-83 को ही जारी हुई है। इनको चालू होने में स्वाभाविक रूप से कुछ समय लग सकता है। कुछ कार्यों में श्रमिक भी उपलब्ध नहीं हो पाते।

जिला बाड़मेर व जैसलमेर में पशु आहार केन्द्र

366. श्री अमीन खां (शिव): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जैसलमेर जिलों में पशु आहार के कितने केन्द्र स्वीकृत किए हैं प्रत्येक केन्द्र पर कितनी गायों के लिए व्यवस्था की गई है? तहसीलवाइज केन्द्रों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) पशु आहार केन्द्र की स्वीकृति किस आधार पर की जाती है?

(3) बाड़मेर-जैसलमेर जिलों में सस्ते घास के कितने गोदाम स्वीकृत किए हैं? तहसील वाइज सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(4) बाड़मेर जैसलमेर जिलों में माह मार्च से जुलाई, 1983 तक कितने अन्य केन्द्र स्वीकृत किए जाएंगे? तहसीलवाइज मय गायों की संख्या के सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले मे अब तक क्रमशः 70 एवं 53 पशु पोषण केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं प्रत्येक केन्द्र पर 500 तक पशुओं के लिये पशु आहार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती है। इन जिलों में स्वीकृत किये गये पशु पोषण केन्द्र के बाबत वांछित विवरण संलग्न तालिका में अंकित है।

(2) पशु पोषण केन्द्र कहां खुलें इसका निर्णय स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रख कर जिलाधीश करते हैं।

(3) बाड़मेर जिले में अभी सस्ती दर से घास की बिक्री करने के लिये कोई केन्द्र स्वीकृत नहीं किये गये हैं। प्रत्येक पंचायत समिति के माध्यम से चारे की खरीद करने व बिना हानि लाभ के आधार पर बेचने के लिये स्वीकृति दे दी गई है यह स्वीकृति 25 हजार क्वि. चारे के लिये दी गयी है। इस हेतु 2.50 लाख रुपये की स्वीकृति अनुदानस्वरूप दी गयी है जिससे पंचायत समिति 10 रुपये प्रति क्वि. तक परिवहन एवं अन्य खर्चों के लिये इसमें से दे सकें एवं पशु पालकों को सस्ती दर से चारा मिल पाये। पंचायत समितियों को बिना ब्याज 5 लाख रुपये की राशि बतौर ऋण के भी इस व्यवस्था के तहत उपलब्ध करा दी गयी है। जैसलमेर जिले में भी अभी ऐसे कोई केन्द्र स्वीकृत नहीं हैं। वैसे, जिलाधीश ने राजस्थान विकास सम्मेलन नामक संस्था को जिले में घास बहुल क्षेत्रों से घास की कटाई करके बिना हानि-लाभ के पशु पालकों को उपलब्ध कराने की अनुमति दे दी है एवं उनके द्वारा 5 घास बिक्री केन्द्र खोले जा रहे हैं जो पोकरण, बांधेवा, उजला, रामदेवरा एवं जैसलमेर मे स्थित होंगे।

(पशु पालन मन्त्री)

(1) मार्च मास में पशु पोषण केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का कोई विचार राज्य सरकार का नहीं है। आगे के महीनों में स्थिति के अनुसार विचार कर कार्यवाही की जावेगी।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

पंचायत समिति स्तर पर उप जिला शिक्षा अधिकारी के पद का सृजन

367. श्री जीतमल जैन (अलवर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति स्तर पर एक उप-जिला शिक्षा अधिकारी का पद सृजित करने की सरकार द्वारा घोषणा की गई ?

(2) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में नीति में कुछ परिवर्तन किया है? यदि नहीं, तो पद कब तक सृजित कर दिये जावेंगे।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

मांगरोल (कोटा) में विद्युत व्यवस्था

368. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के मांगरोल कस्बे में बिजली की अव्यवस्था की शिकायत वहां की जनता बार-बार करती रहती है ?

(2) यदि हां, तो सरकार ने इसके निराकरण करने हेतु समय-समय पर क्या व्यवस्था की तथा उसका क्या असर हुआ?

(3) क्या सरकार जनहित में मांगरोल में विद्युत व्यवस्था ठीक करने हेतु विशेष आदेश प्रदान करेगी तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मांगरोल कस्बे को रात-दिन लगातार विद्युत देने हेतु पृथक से 33/11 के0 वी0 सब स्टेशन व बारां से मांगरोल तक 33 के0 वी. लाइन की आवश्यकता है। उपलब्ध संसाधनों में यह व्यवस्था करना सम्भव नहीं हो सका।

(3) मांगरोल कस्बे की विद्युत व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु पंचायत समिति अन्ता ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की प्रस्तावित एम. एन. पी. योजना के तहत मांगरोल कस्बे में 33/11 के0 वी0 ग्रिड सब स्टेशन बनाये जाने का प्रावधान है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा इस योजना हेतु ऋण स्वीकृत होने पर इसे क्रियान्वित किया जाना सम्भव हो सकेगा। मांगरोल में विद्युत की वर्तमान व्यवस्था के लिए कोई व्यक्ति दोषी नहीं है। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

Page No.35

राज्य में औपचारिक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलना

369. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य सरकार प्रदेश में औपचारिक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलने का विचार कर रही हैं? यदि हां, तो ऐसे केन्द्र कहां कहां और कब खोले जावेंगे? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान में जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें औपचारिक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र तथा अनौपचारिक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का कोई भेद नहीं है। राजस्थान में वर्तमान में स्वीकृत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

राज्य में नेहरू युवक केन्द्र

370. श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) राजस्थान में नेहरू युवक केन्द्र कहां कहां है?

(2) जोधपुर संभाग में राजस्थान के कुल केन्द्रों का कितना प्रतिशत है?

(3) पाली में नेहरू युवक केन्द्र नहीं होने के क्या कारण हैं?

(4) राज्य सरकार पाली में नेहरू युवक केन्द्र खोलने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) राजस्थान में नेहरू युवक केन्द्र निम्न 19 जिलों में स्वीकृत है:-

1. टौंक
2. अजमेर
3. डूंगरपुर
4. बांसवाड़ा
5. भीलवाड़ा
6. बून्दी
7. भरतपुर
8. जयपुर
9. उदयपुर
10. बीकानेर
11. चित्तौड़गढ़
12. चूरू
13. सवाई माधोपुर
14. जैसलमेर
15. जोधपुर
16. बाड़मेर
17. कोटा
18. सिरोही
19. जालौर

नेहरू युवक केन्द्र भारत सरकार द्वारा खोले जाते हैं। शिक्षा विभाग के क्षेत्र विभाजन पर आधारित निम्न जिले जोधपुर संभाग में आते हैं;--जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, जालौर, नागौर एवं पाली। केवल नागौर एवं पाली जिलों को छोड़कर शेष जिलों में नेहरू युवक केन्द्र स्वीकृत किये जा चुके हैं।

(शिक्षा मन्त्री)

(2) राजस्थान में लगभग 70% जिलों में नेहरू युवक केन्द्र स्वीकृत हैं और जोधपुर संभाग का प्रतिशत भी लगभग 70% आता है।

(3) नेहरू युवक केन्द्र भारत सरकार द्वारा खोले जाते हैं। प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं।

(4) प्रस्ताव भेजा जा रहा है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय बटावड़ा पार (छबड़ा) में अध्यापक

371. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

उच्च प्राथमिक विद्यालय बटाबड़ा पार तहसील छबड़ा जिला कोटा में कितने अध्यापक अध्यापन कार्य कर रहे हैं तथा कितने अध्यापकों की आवश्यकता है?

उत्तर

उच्च प्राथमिक विद्यालय, बटाबड़ा पार तहसील छबड़ा जिला कोटा में द्वितीय श्रेणी का एक तथा तृतीय श्रेणी के 6 अध्यापक कार्यरत हैं, जो विद्यालय में छात्रों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त हैं और अध्यापकों की अब आवश्यकता नहीं है।

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोलसिया (झुन्झुनूं) के प्रधानाध्यापक द्वारा चिकित्सा

373. श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़): क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(1) क्या यह बात सही है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोलसिया जिला (झुन्झुनू) के प्रधानाध्यापक श्री मदन लाल शर्मा के खिलाफ अनियमितता और अनधिकृत रूप से चिकित्सा कराने की शिकायत है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

जी हां। नियमानुसार जांच कार्यवाही की जा रही है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, विवरण सदन के पटल पर रखा जाना सम्भव नहीं है।

पंचायत समिति सुल्तानपुर व सांगोद में विद्युत कनेक्शन

374. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कोटा जिले की पंचायत समिति सुल्तानपुर एवं पंचायत समिति सांगोद में किन-किन व्यक्तियों के कब-कब से एल फार्म एवं रुपये जमा हैं जिनको विद्युत कनेक्शन देना बाकी है? सूची मय नाम व ग्राम सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त व्यक्तियों को अब तक विद्युत कनेक्शन नहीं देने के क्या कारण हैं व अब कब तक कनेक्शन दे दिए जावेंगे।

उत्तर

(1) कोटा जिले की पंचायत समिति सुल्तानपुर में कुल 144 व्यक्ति एवं पंचायत समिति सांगोद में 70 व्यक्ति ऐसे है जिनके कनेक्शन हेतु रुपये एवं

(ऊर्जा मंत्री)

"एल" फार्म जमा हो चुके हैं, परन्तु जिन्हें कनेक्शन देना बाकी है। सूची मय नाम एव ग्राम के संलग्न है।

(2) कृषि कनेक्शन के लक्ष्य निर्धारित हैं। इसके अनुसार सांगोद पंचायत समिति के 12 कृषि कनेक्शनों में से 10 कनेक्शन माह मार्च 83 तक दिये जाने हैं। अकृषि कनेक्शन मीटर एवं अन्य सामान की कम उपलब्धि के कारण अभी तक नहीं दिये जा सके। अकृषि कनेक्शन आवश्यक सामान एवं उपकरण प्राप्त होने पर दे दिये जावेंगे।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

माउंट आबू के पास जल विद्युत योजना

375. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि माउन्ट आबू के पास जल विद्युत पैदा करने हेतु एक योजना बनाई गई थी ? यदि हां, तो उस पर कितनी धन राशि व्यय होगी ?

(2) उक्त योजना की क्रियान्विति कब तक होकर कार्य शुरू कर दिया जावेगा ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को अक्टूबर, 1979 में भेजे गये प्रतिवेदन के अनुसार माउन्ट आबू पन-विद्युत परियोजना की अनुमानित लागत 534 लाख रुपये आंकी गयी थी।

(2) उक्त योजना का परियोजना प्रतिवेदन अभी भी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विचाराधीन है तथा इसकी क्षमता एवं अन्य तकनीकी स्वरूप में संशोधन करने पर विचार विमर्श चल रहा है। योजना का कार्य शुरू होने व उसकी क्रियान्विति के बारे में, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी स्वीकृति एव योजना आयोग द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व कुछ बताना संभव नहीं है।

उप-जिला निरीक्षक गर्ल्स, सवाई माधोपुर का भवन

376. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि उप-जिला निरीक्षक गर्ल्स, सवाई माधोपुर का कार्यालय सवाई माधोपुर शहर में चल रहा था जिसका भवन पर्याप्त था ? यदि हां, तो जिलाधीश द्वारा उक्त कार्यालय को शहर से स्टेशन पर किराये के भवन में स्थानान्तरित करने के आदेश देने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जिलाधीश द्वारा कार्यालय को स्टेशन पर स्थानान्तरित कर सरकार को रु. 1000/- प्रति माह का घाटा दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्यालय को शहर में हस्तांतरित करेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। भवन अपर्याप्त होने एवं कर्मचारियों एवं अध्यापिकाओं की सुविधा को देखते हुए निदेशक, प्राथमिक एवं माध्य-

(शिक्षा मन्त्री)

मिक शिक्षा ने भवन स्थानान्तरित करने के आदेश दिये थे ।

(2) मकान का किराया पी० डब्ल्यू० डी० के मूल्यांकन के अनुसार किन्तु 995/- से अधिक नहीं होगा । यह भार अवश्य बढा है । किन्तु कार्यालय को शहर में स्थानान्तरण करने का कोई विचार नहीं है क्योंकि वहां उपयुक्त भवन उपलब्ध नहीं है ।

जिला झुन्झुनू के गांवों का विद्युतीकरण

377. श्री लच्छूराम (मण्डावा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जिला झुन्झुनू में कितने गांवों को विद्युतीकृत नहीं किया गया है ? कृपया पंचायत समितिवार सूची सदन को मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

जिला झुंझुनू के 77 गांवों को अभी तक विद्युतीकृत नहीं किया गया है । पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

केन्द्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर में अध्यापक

378. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर में नवीं, दसवीं एवं ग्यारहवीं कक्षाओं की पढ़ाई कराई जाती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन कक्षाओं को पढ़ाने हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है ?

(3) वर्तमान में यहां पर कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाएं कब से किस-किस शैक्षणिक योग्यता वाले हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) वर्तमान में यहां पर कुल 63 अध्यापिकाएं/अध्यापक कार्यरत हैं जिनकी योग्यता एवं पदस्थापना तिथि दर्शाते हुये सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

विद्युत् मण्डल के तकनीकी सदस्य के विरुद्ध समाचार

379. श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा-रामगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि दिनांक 2 अगस्त, 1977 के राजस्थान पत्रिका के अंक में पृष्ठ 2 के स्तम्भ नं. एक में तत्कालीन वित्त आयुक्त एवं राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के तकनीकी सदस्य के विरुद्ध कोई समाचार प्रकाशित हुआ था ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

(2) क्या इस समाचार के प्रकाशित किये जाने पर किसी अधिशासी अभियन्ता को बिना किसी कारण के निलम्बित किया गया था ?

(3) यदि हां, तो क्या यह निलम्बन आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये थे? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या निलम्बित अधिशासी अभियन्ता इन आदेशों के विरुद्ध न्यायालय में गया था ? यदि हां, तो कृपया न्यायालय के निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के अधिशासी अभियन्ता श्री मुरारीलाल गर्ग ने दिनांक 2 अगस्त, 1977 के राजस्थान पत्रिका के अंक में पृष्ठ 2 के स्तम्भ में इस आशय का समाचार-अनधिकृत "विज्ञापन" के तौर पर प्रकाशित करवाया था। इस सम्बन्ध में व्यवस्थापक, राजस्थान पत्रिका ने दिनांक 3 अगस्त, 1977 के अंक में खेद प्रकाश प्रकाशित किया था। प्रकाशित "विज्ञापन" एवं खेद प्रकाश की प्रति-सूची "अ" व "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के किसी भी कर्मचारी का इस प्रकार का आचरण राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल कर्मचारी आचरण एवं सेवा विनियम 1976 के अन्तर्गत "दुराचरण" की श्रेणी में आता है। फलत: इस मामले पर विद्युत् मण्डल ने अपनी 250वीं बैठक, जो दिनांक 3 अगस्त, 1977 को हुई थी, में विचार कर श्री मुरारीलाल गर्ग अधिशासी अभियन्ता को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने एवं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्णय लिया था।

(3) विद्युत् मण्डल के उपरोक्त निर्णय के पश्चात् ही, मण्डल के अध्यक्ष ने दिनांक 6-8-1977 को एक आदेश जारी कर श्री गर्ग को निलम्बित किया था। यह सही है कि यह आदेश मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसरण में नहीं होकर, अध्यक्ष द्वारा अपने अधिकारों का सन्दर्भ देते हुए प्रसारित किया गया था अत: इस आदेश की मण्डल द्वारा अपनी 255वीं बैठक, जो दिनांक 29-11-1977 को हुई थी, पुष्टि की गई।

(4) जी हां, श्री मुरारीलाल गर्ग, निलम्बित अधिशासी अभियन्ता ने निलम्बन आदेश के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया था। न्यायालय अपर मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग नं० 1, बीकानेर के निर्णय दिनांक 2-8-1979 व जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बीकानेर के निर्णय दिनांक 26-11-1979 के प्रभावी अंश की प्रति-सूची "स" व "द" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बगरू (जयपुर), में अध्यापकों की कमी

380. श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बगरू-कलां जिला जयपुर में वर्ष

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

1965-66 में छात्रों की संख्या क्या थी तथा कितने अध्यापक किस-किस ग्रेड के नियुक्त थे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त विद्यालय में छात्रों की संख्या श्रेणीवार कितनी-कितनी है और अध्यापक किस-किस ग्रेड के कितने-कितने हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विद्यालय निरीक्षक द्वारा उक्त विद्यालय के लिए पांच पद तृतीय ग्रेड अध्यापक के दिए हुए थे ? क्या इन्हें वर्तमान में समाप्त कर दिया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(4) उक्त विद्यालय में कक्षा 6 से 11 तक कितने सैक्शन हैं, तथा छात्रों व सैक्शनों की संख्या देखते हुए शिक्षा विभाग क्या अध्यापकों की संख्या बढ़ाने का विचार रखता है? यदि हां, तो कब तक? और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बगरूकलां, जयपुर में वर्ष 1965-66 में 334 छात्र एवं 15 अध्यापक थे जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

प्रथम श्रेणी (व्याख्याता)	5
द्वितीय वेतन श्रृंखला	5
तृ. वे. श्रृं. अध्यापक	4
प्रधानाध्यापक	1

(2) उक्त विद्यालय में कक्षा 6 से 11 तक के सैक्शनों व छात्रों की संख्या श्रेणीवार निम्न प्रकार है :

क्र सं.	कक्षा मय वर्ग	छात्रों की सं.
1.	कक्षा 6 ए	51
2	कक्षा 6 बी	50
3.	कक्षा 7 ए	53
4.	कक्षा 7 बी	34
5.	कक्षा 8 ए	29
6	कक्षा 8 बी	30
7.	कक्षा 9 ए	57
8.	कक्षा 9 बी	51
9.	कक्षा 9 सी	51
10.	कक्षा 9 डी	28
11.	कक्षा 9 ई	30
12	कक्षा 10 ए	42
13.	कक्षा 10 बी	49
14.	कक्षा 10 सी	33
15	कक्षा 10 डी	26
16	कक्षा 11 ए	33
17.	कक्षा 11 बी	60
18	कक्षा 11 सी	20
19.	कक्षा 11 डी	54
	योग ..	781

वर्तमान में विद्यालय में अध्यापकों की श्रेणीवार संख्या निम्न प्रकार है :—

(शिक्षा मन्त्री)

क्र सं.	नाम अध्यापक श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत
1	प्रधानाध्यापक	1	1
2	व्याख्याता	10	9
3.	द्वि. वे. श्र. अ.	11	11
4.	शारीरिक शिक्षक (द्वि० श्रे०)	1	1
	कुल योग....	23	22

(3) जी हां। तृतीय श्रेणी के अध्यापक माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक कक्षाओं को पढ़ाने की योग्यता नहीं रखते। अतः उक्त विद्यालय में तृतीय वेतन श्रृंखला के पदों को विभाग द्वारा समाप्त कर इन्हें द्वितीय वेतन श्रृंखला में क्रमोन्नत कर द्वितीय वेतन श्रृंखला के पदों को बढ़ा दिया गया है।

(4) उक्त विद्यालय में कक्षा 6 से 11 तक 19 सैक्शन है। सैक्शनों की संख्या को देखते हुए विद्यालय में अध्यापकों की संख्या पर्याप्त है।

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मगीसपुर (झालावाड़) में अध्यापकों की कमी

381. श्री बालचन्द्र आर्यवीर(डग): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) झालावाड़ जिले के मगीसपुर रा. उ प्रा. वि. में वर्तमान में प्रधानाध्यापक सहित कितने शिक्षक हैं ? नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वहां शिक्षकों में आये दिन विवाद होता रहता है जिसके कारण छात्र-छात्राओं की पढ़ाई नहीं हो पाती ?

(3) क्या यह भी सही है कि यदि उक्त विद्यालय की व्यवस्था तुरन्त अच्छी नहीं की तो विद्यार्थी अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करेंगे ?

(4) क्या यह भी सही है कि अध्यापकों का अभाव 3 वर्षों से लगातार चल रहा है ? इससे छात्र छात्राओं में भारी असन्तोष है ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले के रा. उ. प्रा. वि. मगीसपुर में वर्तमान में प्र० अ० सहित 6 शिक्षक हैं,जिनके नाम निम्नलिखित हैं :-

1. श्री रामकुमार गुप्ता, प्रधानाध्यापक
2. ,, रमेशचन्द्र पाटीदार
3. ,, मनोहर सिंह
4. ,, कन्हैयालाल गवाटिया
5. ,, नाश खां
6. ,, मजीद खां

(2) विभाग को ऐसे किसी विवाद की सूचना नहीं मिली है।

(3) ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(4) अब पूर्ति कर दी गई है।

राज्य में निजी क्षेत्र में पावर प्लांट

382. श्री रामकिशोर मीणा(सिकराय): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में 1 अप्रेल सन् 1981 से अब तक किस-किस व्यक्ति अथवा संस्थान

(श्री रामकिशोर मीणा)

ने निजी क्षेत्र में किस-किस क्षमता के पावर प्लान्ट लगाये हैं या लगाने की अनुमति मांगी है ?

(2) क्या यह सही है कि उत्पादन शुल्क लगाये जाने के कारण ऐसे प्लान्ट्स अपेक्षाकृत संख्या में नहीं लगाये जा सके ? यदि हां, तो इस विषय में क्या सरकार ने पुनर्विचार किया है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में 1 अप्रेल, 1981 से 28 फरवरी, 1983 तक जिन व्यक्तियों व संस्थानों को निजी क्षेत्र में पावर प्लांट (स्टीम टरबो आलटरनेटर सैट्स और गैस टरबाइन) लगाने की अनुमति दी है, उनके नाम व क्षमता बताते हुए सूची 'अ' सदन पटल पर रख दी गई है। गत तीन वर्षों से विद्युत की उपलब्धि में कमी को दृष्टिगत रखते हुए विद्युत मंडल ने यह निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति अथवा संस्था अपने स्वयं के जनरेटिंग सैट लगाना चाहे तो विद्युत मण्डल उन्हें अनुमति प्रदान करेगा। अतः जो भी व्यक्ति अथवा संस्थान इस प्रकार के सेट लगाना चाहता है उसे विद्युत मण्डल द्वारा तुरन्त अनुमति दे दी जाती है। तदनुसार उपरोक्त के अलावा, दिनांक 1 अप्रेल, 1981 से 28 फरवरी, 1983 तक विभिन्न श्रेणी के 1150 उपभोक्ताओं को कुल 93033 के. वी. ए. क्षमता के डीजल जनरेटिंग सैट्स लगाने की भी अनुमति दी गई है।

(2) ऊर्जा विभाग को इसकी जानकारी नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

राज्य में ऊर्जा स्रोतों की स्थापना

383. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रदेश में किस-किस प्रकार के विद्युत केन्द्र बनाने का विचार कर रही है ?

(2) ये विद्युत केन्द्र किस-किस वस्तु पर आधारित होंगे, और इन पर कितनी लागत आयेगी तथा कितना विद्युत उत्पादन होगा ?

(3) कितने विद्युत केन्द्रों की स्थापना के प्रस्ताव योजना आयोग के पास विचाराधीन हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रदेश में नये तापीय-विद्युत गृह लघु पन-विद्युत गृह एवं लघु गैस-तापीय विद्युत गृह बनाने का विचार किया जा रहा है।

(2) यह विद्युत गृह कोयला, लिग्नाइट जल एवं प्राकृतिक गैस पर आधारित होंगे। जिन विद्युत गृहों के प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजे जा चुके हैं उनकी अनुमानित लागत तथा प्रस्तावित ऊर्जा उत्पादन बताते हुये विवरण संलग्न तालिका 'अ' में सदन के पटल पर रख दिया गया है। इनके अलावा कुछ अन्य तापीय-विद्युत परियोजनायें एवं लघु पन-विद्युत गृहों की स्थापना के लिये सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) उपरोक्त में से 1) पलाना तापीय-विद्युत परियोजना, 2) दायीं मुख्य नहर (चम्बल) पन-बिजली परियोजना, एवं 3) सूरतगढ़ पन-बिजली परियोजना के प्रस्ताव योजना आयोग के पास विचाराधीन हैं।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

केसरीसिंह निर्वाचन क्षेत्र की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

381. श्री मनफूलराम (केसरीसिंहपुरा): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार निर्वाचन क्षेत्र (सु.) केसरीसिंहपुरा जिला गंगानगर के गांव मिर्जेवाला, मटोली, चूनावढ़, सुजावलपुर और फतूही की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी हां। मटोली राठान, फतूही (चक 1 एफ) तथा सुजावलपुर (चक 5 सी) इन तीनों गांवों की हरिजन बस्तियां विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत की हुई हैं तथा इन्हें चालू वित्तीय वर्ष में ही विद्युतीकृत किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। मिर्जेवाली व चूनावढ की हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु स्वीकृति के बारे में औपचारिकतायें पूर्ण होने पर ही कुछ कहना सम्भव होगा।

राज्य में प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा

385. श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा कब से लागू की गई तथा इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं ?

(2) जोधपुर जिले में प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा के कुल कितने पर्यवेक्षक कार्यरत हैं, और उनमें से कितने अनुसूचित जाति व जनजाति के हैं ? यदि अनुसूचित जाति व जनजाति के पर्यवेक्षक कार्यरत नहीं हैं, तो उसके क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा में अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को पर्यवेक्षक के पद पर लगाना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान में प्रौढ़ शिक्षा 2 अक्टूबर, 1978 तथा अनौपचारिक शिक्षा सन् 1980 से विस्तार रूप से लागू की गई। प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य परिशिष्ट-1 एवं अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य परिशिष्ट 2 के रूप में संलग्न हैं।

(2) जोधपुर जिले में प्रौढ़ शिक्षा में कुल 10 पर्यवेक्षक हैं। अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत जोधपुर जिले में 6 पद हैं जिनमें से 5 पद पर पर्यवेक्षक कार्यरत हैं।

उक्त कार्यरत पर्यवक्षकों में से कोई भी अनुसूचित जाति या जनजाति का नहीं है।

प्रौढ़ शिक्षा में पदस्थापन के लिए चयन प्रौढ़ शिक्षा विशेष चयन नियम, 1980 के अन्तर्गत सेवा में कार्यरत कर्मचारियों में से जिलाधीश की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है। वर्ष 1980 में जब आवेदन करने के लिए विज्ञप्ति प्रसारित की गई तो किसी भी अनुसूचित जाति या जन-जाति के सेवारत कर्मचारी ने जोधपुर

Page No.44

(शिक्षा मंत्री)

जिले में पर्यवेक्षक प्रौढ़ शिक्षा के पद हेतु आवेदन नहीं किया। अतः इन वर्गों में से किसी का भी चयन नहीं किया जा सका।

अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत पर्यवेक्षक पद हेतु विशेष चयन नहीं किया जाता है। जो अध्यापक शिक्षा विभाग में द्वितीय वेतन श्रृंखला में कार्यरत हैं और अनौपचारिक शिक्षा-क्षेत्र में रुचि रखते हैं उन्हें या जिन्हें-जिला शिक्षा अधिकारी पर्यवेक्षक के पद के योग्य समझते हैं उन्हें अनौपचारिक शिक्षा पर्यवेक्षक के पद पर रखा जाता है।

(3) जी हां। प्रौढ़ शिक्षा विशेष चयन नियम, 1980 के अन्तर्गत पात्रता रखने वाले अनुसूचित जाति व जनजाति के जो व्यक्ति पर्यवेक्षक पद हेतु प्रार्थना पत्र देते हैं उनके चयन पर विचार किया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा के पर्यवेक्षक शिक्षा विभाग के द्वितीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों में से पदस्थापित किये जाते हैं जिनके लिये नियमानुसार आरक्षण की व्यवस्था है।

(उद्देश्यों के लिये कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

जिला टोंक में अभियन्ताओं की कमी

386. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टोंक जिले के राजस्थान राज्य विद्युत मंडल कार्यालय में कनिष्ठ अभियन्ता सहायक अभियन्ता के कितने-कितने स्वीकृत पद हैं, और उनमें कितने-कितने से पद कब-कब से रिक्त पड़े हैं ? कृपया स्वीकृत पदों की ब्योरेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि रिक्त पदों के कारण विद्युत वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी रही है तथा विभाग और किसानों को भारी नुकसान हो रहा है ?

(3) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार वितरण व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) टोंक जिले में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के ओ. एण्ड एम. तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यालयों हेतु कनिष्ठ अभियन्ताओं के 20 और सहायक अभियन्ताओं के 6 पद स्वीकृत हैं। सहायक अभियन्ता का कोई पद रिक्त नहीं है। कनिष्ठ अभियन्ता का एक पद दिनांक 1-12-78 से, चार पद माह मई, 1980 से तथा पांच पद माह अप्रेल, 81 से सितम्बर, 81 की विभिन्न तिथियों से रिक्त हैं। स्वीकृत व रिक्त पदों का ब्योरा देते हुए सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

तीर्थ स्थल घोटिया-अम्बा का विद्युतीकरण

387. श्री बहादुरसिंह (दानपुर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति बागीदोरा, पंचायत बारीगामा में

(श्री बहादुर सिंह)

पड़ने वाले प्रसिद्ध तीर्थ स्थल घोटिया-अम्बा में बिजली पहुंचाने की कोई योजना है ?

(2) क्या यह सही है कि तीर्थ स्थल से मात्र 1 से $1\frac{1}{2}$ कि. मी. की दूरी पर विद्युत लाइन मौजूद है ? यदि हां, तो फिर उक्त तीर्थ स्थल को विद्युत से वंचित रखने के क्या कारण हैं, और अब इस स्थान का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां, यह सही है कि तीर्थ स्थल से एक-डेढ़ किलोमीटर की दूरी से विद्युत वितरण लाइन गुजर रही है, परन्तु उस क्षेत्र से किसी भी प्रकार का आवेदन पत्र उस स्थान के विद्युतीकरण हेतु प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ही इस स्थान पर बिजली पहुंचाने के बारे में विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

राज्य में बढ़िया शिक्षा संकल्प की घोषणा

388. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा) व

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या (प्रा. व मा.) शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में बढ़िया शिक्षा का संकल्प घोषित किया हुआ है ? यदि हां, तो यह बढ़िया शिक्षा कब से चालू की गई है और राज्य में कुल कितने विद्यालयों में चालू की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि "बढ़िया शिक्षा" हेतु पुस्तकों का क्रय बल्क पर्चेज में केन्द्रीय स्तर पर सचिवालय द्वारा किया गया ? यदि नहीं, तो यह पुस्तकें किस स्तर पर खरीदी गई ? और यदि हां, तो किस-किस पुस्तक की कितनी-कितनी प्रतियां किस-किस प्रकाशक अथवा पुस्तक विक्रेता से दि. 31-1-83 तक खरीद की गई ? प्रत्येक का क्रय मूल्य एवं उस पर डिस्काउन्ट या कमीशन कितना रहा ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सन 1981-82 के लिए राज्य सरकार द्वारा घोषित 20 संकल्प कार्यक्रम में "बढ़िया शिक्षा" का संकल्प घोषित किया गया था। इस संकल्प के अन्तर्गत 3629 प्राथमिक विद्यालयों, 3564 उच्च प्राथमिक विद्यालयों, 300 माध्यमिक विद्यालयों तथा 27 उच्च माध्यमिक विद्यालयों को चयनित किया गया।

(2) जी नहीं। "बढ़िया शिक्षा" के अन्तर्गत चयनित विद्यालयों के पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की केन्द्रीय खरीद निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा की गई थी।

राज्य में विद्यालयों की क्रमोन्नति

389. श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा वर्ष 1980-81 में कितने उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया ? कृपया विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(श्री हेमाराम चौधरी)

(2) सरकार द्वारा वर्ष 1980-81, 1981-82 एवं 1982-83 में कितने प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया ? कृपया विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गुढ़ामालानी में वर्ष 1980-81 से पूर्व माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या अन्य विधान सभा क्षेत्रों से कम होते हुए भी वर्ष 1980-81, 81-82 एवं 82-83 में इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम विद्यालय खोले गये ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1980-81 में 252 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। क्रमोन्नत विद्यालयों की जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1980-81, 1981-82 एवं 1982-83 में प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निम्न संख्या में क्रमोन्नत किया गया :—

1980-81	1981-82	1982-83
246	400	232

क्रमोन्नत विद्यालयों की जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) शिक्षा विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र के अनुसार खोले गये विद्यालयों के आंकड़े संकलित नहीं किये जाते हैं।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

फर्जी परमिटों से सीमेन्ट उठाने के मामले

390. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या रसद आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में फर्जी परमिटों से सीमेंट उठाने की कितनी शिकायतें गत 3 वर्षों में राज्य सरकार को प्राप्त हुईं व किस-किस के विरुद्ध ?

(2) उक्त शिकायतों में से कितने मामले किस-किस के विरुद्ध व कब-कब पुलिस को दिये गये ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 23 देखें)

मण्डावा कस्बे में गेहूं के वितरण में अनियमितता

391. श्री लच्छूराम (मण्डावा): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1980-81 से अब तक जिला रसद कार्यालय झुंझुनू से मण्डावा कस्बे के लिए किस-किस व्यापारी को कितना कितना गेहूं उचित मूल्य की दुकान से वितरण हेतु दिया गया ? कृपया वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री लच्छूराम)

(2) क्या यह सही है कि उक्त वर्षों में गेहूं का वितरण जनता में नहीं होने की शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो इन शिकायतों पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(2) जी हां । शिकायत की जांच जिलाधीश, झुंझुनू द्वारा की जा रही है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 24 देखें)

उदयपुर सुखाड़िया विश्वविद्यालय में सॉइल एण्ड वाटर कन्जरवेशन में चयन

392. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या विश्वविद्यालय शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि उदयपुर में श्री सुखाड़िया विश्वविद्यालय में जिन लोगों का सॉइल एण्ड वाटर कन्जरवेशन में चयन किया गया है उन्होंने आवेदन-पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं किये और उन्हें बुलाकर आवेदन पत्र कुछ दिन पूर्व भरवाये गये थे ? यदि हां, तो राज्य सरकार सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

उदयपुर सुखाड़िया विश्वविद्यालय में सॉइल एण्ड वाटर कन्जरवेशन के सह-आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों पर अन्तिम तिथि के पश्चात भी प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया गया । यह सही नहीं है कि किसी को बुलाकर प्रार्थना-पत्र कुछ दिन पूर्व भरवाये गये हों । किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

'रोशनी का रथ' भ्रमण प्रदर्शनी वाहन उदयपुर

393. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या जन सम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

'रोशनी का रथ' भ्रमण प्रदर्शनी वाहन, उदयपुर ने वर्ष 1982-83 में किन-किन नगरों एवं ग्रामों में प्रदर्शनी की और फिल्म प्रदर्शन किया ? कृपया विस्तृत ब्योरा सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

उदयपुर स्थित भ्रमणशील प्रदर्शनी वाहन 'रोशनी का रथ' द्वारा विभिन्न नगरों तथा गांवों में वर्ष 1982-83 में आयोजित प्रदर्शनियों एवं फिल्म प्रदर्शनों से सम्बन्धित विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 25 देखें)

पर्यटन स्थलों के विकास की योजनायें

394. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष पर्यटन स्थलों के विकास पर केन्द्रीय योजना के तहत राज्य ने किन-किन योजनाओं पर कितना-कितना रुपया खर्च किया है ?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(2 क्या यह भी सही है हल्दीघाटी क्षेत्र के विकास हेतु केन्द्र सरकार ने कोई योजना स्वीकृत की है ? यदि हां, तो इस पर कितना रुपया खर्च होगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि रणथम्भौर बाघ परियोजना पर भी केन्द्र सरकार ने स्वीकृति हेतु कुछ धनराशि दी है? यदि हां, तो कितनी ?

उत्तर

(1) इस वर्ष पर्यटन स्थलों के विकास हेतु केन्द्रीय योजना अन्तर्गत किसी प्रकार की राशि खर्च नहीं हुई है।

(2) जी नहीं। हल्दी घाटी क्षेत्र हेतु पृथक से कोई योजना स्वीकृत नहीं हुई है।

(3 केन्द्र सरकार द्वारा वन विभाग को इस वर्ष बाघ परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 4·61 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है।

बन्दियों को उद्योग वेतन व पारिश्रमिक का भुगतान

396. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या कारागृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के कारागृह में बन्दियों को उद्योग वेतन व पारिश्रमिक किस दर से दिया जाता है? कृपया गत 5 वर्षों की दरों के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) इतना कम पारिश्रमिक दिये जाने का क्या कारण है?इसका पुनः निर्धारण गत 10 वर्षों में कब–कब किया गया व क्या क्या ?

(3) क्या यह सही है कि गत कई वर्षों में राज्य की जेलों में उद्योगों में उत्पादन घटता जा रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? पिछले 5 वर्षों में हुये उत्पादन के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान प्रीजन्स रूल्स, 1951 के पार्ट 12 के नियम 31 में उन कठोर कारावास के दंडित बन्दियों, जो अपने निर्धारित कार्य से अधिक कार्य करते हैं, एवं अन्य दंडित बन्दी जो स्वेच्छा से पारिश्रमिक योजना के अन्तर्गत कार्य करने में इच्छुक होते हैं, को पारिश्रमिक(Labour Charges) दिये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में अपने निर्धारित कार्य से अधिक कार्य करने वाले बन्दियों को निम्न भांति पारिश्रमिक (Labour Charges) राज्य सरकार के आदेशों की पालना में दिनांक 27-7-78 से दिया जा रहा है :—

	बन्दियों को देय राशि	ओवर हैड चार्जेज	कुल योग
कुशल [Skilled]	2.50	1.50	4.00
अर्द्ध कुशल [Semi-Skilled]	2.00	1.00	3.00
अकुशल [Un-Skilled]	1.50	0.50	2.00

Page No.49

(कारागृह मन्त्री)

दिनांक 27.7.78 से पूर्व बन्दियों को दिनांक 1-6-69 से 26-7-78 तक की अवधि में निम्न भांति लेबर चार्ज दिया जाता था :—

विवरण	कोस्ट आफ लेबर	ओवर हैड	योग
कुशल श्रमिक	0.75	1.25	2.00
अकुशल	0.75	0.75	1.50

(2) पारिश्रमिक (Labour Charges) समुचित दर से दिया जा रहा है। इसका पुनर्निर्धारण 27-7-78 को किया गया है जिसका विवरण प्रश्न के भाग (1) में दिया हुआ है ।

(3) जी, नहीं । कुल उत्पादन में वृद्धि हुई है । गत 5 वर्षों के उत्पादन का विवरण निम्न भांति है :–

उत्पादित वस्तुओं का विवरण रुपयों में

वर्ष	कपड़ा	दरी एवं दरी पट्टियां	गलीचे	निवार रस्से फीते आदि	विविध	योग
1977-78	582423	450929	23796	72045	35667	1485863
1978-79	697263	528275	4429	48963	451203	1734133
1979-80	977939	635836	40192	80290	731506	2465563
1980-81	783759	806098	36020	49376	772716	2447969
1981-82	630597	943089	62898	86583	981347	2704514

कैलादेवी करणपुर रोड का निर्माण

398. श्री रंग जी मीणा (सपोटरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सपोटरा निर्वाचन क्षेत्र की कैलादेवी करणपुर रोड दोनों घाटी और सड़क अधूरी बनी पड़ी है? यदि हां, तो सड़क अब किस अवस्था में है ?

(2) क्या सरकार अब इस डाकूग्रस्त तथा अनुसूचित जन-जाति बहुल क्षेत्र की अधूरी सड़क को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां, सड़क एवं घाटी का कार्य अपूर्ण अवस्था में है ।

(2) धनाभाव के कारण अभी इन कार्यों को पूरा कराये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

जैसलमेर जिले के ग्रामों को सड़कों से जोड़ना

399. श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1 क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर के ग्राम राजमथाई, बान्धेवा साकडा व नोख सन् 1971 की जनगणना के अनुसार 1500 से अधिक आबादी के हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त गांवों को डामर सड़क से नहीं जोड़ा गया है ? यदि हां तो राज्य सरकार के निर्णय के मुताबिक अन्य जिलों की भांति जैसलमेर जिले के 1500 से अधिक आबादी वाले गांवों को डामर सड़क से क्यों नहीं जोड़ा गया ?

(3) क्या सरकार उक्त गांवों को डामर सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां।

(2 एवं 3) जी हां । धनाभाव के कारण जैसलमेर जिले के 1500 से अधिक की आबादी वाले गांव को डामर सड़क से जोड़ने की योजना विचाराधीन नहीं है ।

बनास नदी पर पुल का निर्माण

400. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर-दौसा रोड पर बनास नदी पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो काम कब तक पूरा कर दिया जावेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पुल के निर्माण में जितना समय अधिक लगेगा उतनी ही दरों में बढ़ोतरी होने से सारे खर्च का सरकार को भुगतान करना पड़ेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कार्य को शीघ्र पूरा करने का प्रयास करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, पुल का निर्माण माह दिसम्बर, 1984 तक पूर्ण होने की संभावना है ।

(2) जी नहीं । अनुबन्ध की धाराओं के अनुसार ही अधिक खर्चा सरकार अथवा ठेकेदार को वहन करना होगा ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर नगर खण्ड में स्वीकृत कार्यों पर व्यय

401. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर नगर खण्ड ने 1 अप्रेल, 1982 से 3

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जनवरी, 1983 तक कितने कार्यों की स्वीकृति प्राप्त की एवं कितने धन की स्वीकृति मिली ? कार्यों का विवरण एवं धन की स्वीकृति की जानकारी सदन की मेज पर पर रखें।

(2) उसमें से 31 जनवरी, 1983 तक कितना धन खर्च हो गया और कितना कार्य पूर्ण हो गया? सूची कार्यवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जितना पैसा व कार्य खण्ड को मिला है वह उसे पूर्ण कर लेगा ? यदि हां, तो कब तक ? व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1 एवं 2) वांछित सूचना प्रपत्र-"क" में संलग्न है।

(3) जो पैसा व कार्य खण्ड को मिला है उसे पूरा करने की पूरी संभावना है।

(सूचना के लिये परिशिष्ट 26 देखें)

सांचौर क्षेत्र में निर्मित सड़कों का मुआवजा

402. श्री कनकराज मेहता (सांचौर) क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि (1) बावलिया से पुर धाणता (ii) सांकड से टीटोप सुरावा व दुगावा (iii) सांचौर हरियाली व झाव आने वाली सड़कों के लिये अवाप्त भूमि का मुआवजा आज दिन तक किसानों को नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो अब इसका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

(2) सांचौर क्षेत्र में निर्मित और किन-किन सड़कों का मुआवजा काश्तकारों को आज तक नहीं मिला है व क्यों ?

उत्तर

(1) इन सड़कों का कार्य अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कराये जाने के कारण सहायता आयुक्त द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ-1[1]आर सी/खरीफ/जन/70-71/12409-443 दिनांक 30-4-71 के अनुसार मुआवजा देय नहीं था।

(2) सांचौर क्षेत्र में देदवा जखाल एवं सिवाना चीतलवाना सड़कों का मुआवजा देने हेतु भूमि अवाप्ति नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है तथा कार्यवाही संपूर्ण होने पर मुआवजा दिया जायेगा ।

बीकानेर जिले में 'ग्राम तक सड़क' संकल्प के अन्तर्गत व्यय

403 श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढा) व श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जिला बीकानेर में 'ग्राम तक सड़क' संकल्प के अन्तर्गत वर्ष 1981-82, 1982-83 में किन-किन गांवों को लाभान्वित किया गया? कितनी-कितनी राशि किस-किस सड़क पर व्यय की गई? कृपया मार्गों की तहसीलवार सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

जिला बीकानेर में ग्राम सड़क संकल्प नाम की कोई योजना विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं हुई है अतः वांछित सूचना दी जाने का प्रश्न नहीं उठता।

अन्ता से काचरी सड़क निर्माण

404. श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की अन्ता से काचरी तक की सड़क को पक्का बनाने की मांग की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त सड़क कब तक पक्की बना दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम काचरी पंचायत मुख्यालय भी है? क्या सरकार की पंचायत-मुख्यालयों को पक्की सड़क से जोड़ने की नीति है ? यदि हां, तो सरकार काचरी पंचायत मुख्यालय को पक्की सड़क से कब तक जोड़ देगी ?

उत्तर

(1) अन्ता काचरी सड़क को पक्का बनाने की कोई मांग इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। उक्त सड़क बनाये जाने की कोई योजना धनाभाव के कारण अभी विचाराधीन नहीं है।

(2) काचरी पंचायत मुख्यालय है। पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने की राज्य सरकार की कोई अलग से नीति नहीं है। काचरी पंचायत मुख्यालय को सड़क से जोड़े जाने की कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं है।

सिकराय में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट का प्रस्ताव

405. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): क्या विधि एवं न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या केसों की संख्या को देखते हुए सिकराय में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट खोलने का प्रस्ताव राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को भेजा गया है ? यदि हां, तो सिकराय में यह न्यायालय कब तक खोल दिया जायगा ?

(2) बांदीकुई मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में सिकराय तहसील के केसों का प्रतिशत क्या है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) बांदीकुई मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट एवं अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में सिकराय तहसील के मुकदमों का प्रतिशत 33.8 है।

अनुपस्थिति अनुमति

श्री अब्दुल रहमान चौधरी व श्री भंवरलाल शर्मा, सदस्य, राजस्थान विधान सभा को सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : अनुपस्थित रहने के लिये अनुमति।

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं

(श्री अध्यक्ष)

कि श्री अब्दुल रहमान चौधरी, सदस्य, विधान सभा ने अस्वस्थता के कारण दिनांक 7 मार्च, 1983 से 13 मार्च, 1983 तक व श्री भंवरलाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा ने जामाता की ट्रक दुर्घटना में अकस्मात मृत्यु हो जाने के कारण 1 मार्च, 1983 से 13 मार्च, 1983 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

1. श्री रामकिशोर मीणा : गोविन्दगढ़ थाना के अन्तर्गत ग्राम तिगरिया में एक अध्यापिका की हत्या के कथित अभियुक्त बदरी बागड़ा की पुलिस थाना में हुई रहस्यमय मृत्यु के विषय में,

(2) श्री हंसराज शर्मा : तहसील खन्डार जिला सवाई माधोपुर के ग्राम दौलतपुरा में भूतपूर्व सैनिकों को आवंटित की गई जमीनों पर अतिक्रमण और एस. डी. एम. द्वारा अन्य लोगों को जमीन के आवंटन के विषय में,

(3) श्री छीतरलाल आर्य : जीरोद ग्राम निर्वाचन क्षेत्र अटरू के कुछ किसानों के खातेदारी अधिकार, जिलाधीश कोटा द्वारा छीन लिये जाने के विषय में,

(4) श्री देवीसिंह भाटी - राजस्थान मुख्य नहर के कई स्थानों से पानी के निरन्तर रिसाव से वाटर लोगिंग की समस्या के विषय में,

(5) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी व डा० उजला अरोड़ा - गत 7 मार्च को सी-स्कीम जयपुर में एक महिला की सन्देहास्पद मृत्यु होने के विषय में,

(6) श्री घनश्याम तिवाड़ी-जयपुर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, जयपुर के अध्यक्ष व प्रबन्ध संचालक द्वारा नियुक्तियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों के साथ भेदभाव,

(7) श्री मेघराज तावड़- गत 3 जनवरी से आयुर्वेद चिकित्सकों के धरने व हड़ताल के विषय में,

(8) श्री कैलाश मेघवाल- अजमेर नगर परिषद द्वारा नगर में सफाई की पर्याप्त व्यवस्था न होने के विषय में,

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, शान्त रहें।

निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं :

(श्री अध्यक्ष)

(9) **श्री त्रिलोकसिंह**–ग्राम हिंगोनिया, तहसील चाकसू में एक व्यक्ति द्वारा हरिजन बस्ती के सामने शौचालय बनाने से वहां के हरिजनों को होने वाली परेशानियों के विषय में,

(10) **श्री दाऊदयाल जोशी**–राजस्थान राज्य अल्प बचत एवं लॉटरी विभाग द्वारा टिकटों को बिक्री के बाद पुरस्कार देने में अनियमितताओं के विषय में,

(11) **श्री बंशीलाल पटवा**–भीलवाड़ा नगर के राजेन्द्र मार्ग सैकण्डरी स्कूल को हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने के विषय में लिये गये निर्णय को कार्यान्वित न करने के विषय में।

यदि माननीय सदस्य चाहें तो इस व्यवस्था के बाद में इन विषयों पर दो मिनट बोल सकते हैं।

निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं हैं अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। इन पर किसी प्रकार की चर्चा की अनुमति भी नहीं होगी—

(1) **श्री गोपाल पचेरवाल**–पंचायत जलोदा के ग्राम बूडिया, पंचायत समिति केशोरायपाटन, जिला बूंदी में माडा योजना के तहत स्वीकृत शाला भवन के निर्माण कार्य को रोकने के विषय में,

(2) **श्री महावीर प्रसाद जैन**–टोंक जिले में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति तथा अल्पसंख्यकों को नागरिक आवश्यकताएं उपलब्ध न होने के विषय में,

(3) **श्री नाथूसिंह**–एक जनवरी को ग्राम मुकुरपुरा, तहसील बसवा में विजयसिंह नामक व्यक्ति को पुलिस द्वारा पूछताछ के लिये ले जाने के पश्चात से उस व्यक्ति का पता नहीं चल पाने के विषय में,

(4) **श्री नन्दलाल मीणा**–तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ के ग्राम चन्देरा, उमरी पाड़ की एक जमीन में ज्वार की कटाई पर झगड़ा होने के विषय में,

(5) **श्री बालचन्द्र आर्यवीर व श्री ज्ञानकुमार जैन**–झालावाड़ जिले के भवानी मण्डी कस्बे में परिवहन निगम के बस स्टेण्ड की अव्यवस्था के विषय में।

(6) **श्री हरीश शर्मा**–ग्राम मडाना, जिला कोटा में असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के विषय में,

(7) **श्री हीरालाल आर्य**–कोटा शहर में मच्छरों के आतंक के बारे में ...

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। शान्त रहें।

(8) **श्री महाराम चौधरी**–क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना अलाय, जिला नागौर के अनेक गांवों को इस योजना से पेयजल न मिलने के विषय में,

(9) **श्री भगवान दास शास्त्री**–गत 31 दिसम्बर को गांव मनहेडा, जिला अजमेर में एक महिला की हत्या के विषय में,

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों में से अन्तिम दो प्रस्तावों को राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है। श्री महाराम व श्री भगवानदास शास्त्री के प्रस्तावों को सरकार को भेजा जा रहा है पर इन पर कोई चर्चा नहीं होगी।

(श्री अध्यक्ष)

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हो गई है :–

(1) सर्वश्री मेघराज तावड़, रामकंवार बैरवा, गोपाल पचेरवाल, व अन्य अनेक सदस्य भू-प्रबन्ध विभाग में 89 अमीनों की पदोन्नति में रोस्टर प्रणाली का ध्यान न रखने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि निरीक्षकों के 89 पदों पर पदोन्नतियां निर्धारित नियमों के अनुसार रोस्टर प्रणाली को ध्यान में रखते हुए की गई हैं, जिसमें जोन आफ कंसीन्टरेशन में आने वाले अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के क्रमशः 11 व 1 उम्मीदवारों में से उपयुक्त पाये गये क्रमशः 4 व 1 उम्मीदवारों का चयन किया गया। इसके अतिरिक्त यह प्रकरण सक्षम अपील अधिकरण में विचाराधीन भी है।

(2) श्री मेघराज तावड़ - राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ द्वारा 1983 में होने वाली परीक्षाओं के बहिष्कार की घोषणा के विषय में,

(3) श्री रामकिशोर मीणा–राजस्थान प्रशासनिक सेवा के करीब 100 पद रिक्त होने से काश्तकारों को परेशानियां होने के विषय में,

श्री रामकिशोर मीणा का ही दूसरा स्थगन प्रस्ताव है --

सिकराय निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम नामनेर के राजस्व शिविर में किये गये नामान्तरणों को तहसीलदार द्वारा तस्दीक न करने के विषय में,

प्राप्त सूचनाओं के अध्ययन के पश्चात मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्री यदुनाथसिंह – भरतपुर की रूपारेल नदी से अलवर जिले में हो रही सिंचाई के लिये घाट खूटेटा पर पानी को रोकने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

इस मामले में राज्य सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया जायेगा जिसकी तिथि बाद में तय की जायेगी।

(व्यवधान)

मैं जिन माननीय सदस्यों के नाम पुकारूं वे ही बोलें। यह नहीं हो कि आसन अपना स्थान ग्रहण करे और आसन की कुछ भी व्यवस्था हो आप अपनी बात कहना शुरू कर दें। यह उचित नहीं है। यदि किसी माननीय सदस्य को शिकायत हो तो जब मैं दो-दो मिनट का समय दे दूं उसके बाद एक-एक करके माननीय सदस्य मेरे सामने अपनी बात कह सकते हैं।

(5) श्री यदुनाथ सिंह व श्रीउम्मेदसिंह-गत जनवरी माह में जैसलमेर मरू मेले के अवसर पर निदेशक, पर्यटन विभाग द्वारा ब्लैक बक का शिकार और एक ड्राइवर द्वारा विदेशी महिला के साथ किये गये दुर्व्यवहार के विषय में।

इस प्रस्ताव पर जानकारी का अध्ययन किया जा रहा है।

(6) श्री घनश्याम तिवाड़ी–राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा नियुक्तियों तथा मकानों के

(श्री अध्यक्ष)

आवंटन में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ भेदभाव।

सरकार ने सूचित किया है कि बिना साक्षात्कार, विज्ञापन एवं अधिकारों के मण्डल में की गई नियुक्तियों की जांच की जा रही है।

(7) **श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह**- नगर पालिका झूंझुनू के वार्डो के परिसीमन में आपत्तियों की सुनवाई न होना।

सरकार ने सूचित किया है कि नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आपत्तियों की सुनवाई का मौका देने का कोई प्रावधान नहीं है और परिसीमन कानूनों के प्रावधानों के अनुसार ही किये गये हैं।

(8) **श्री भूपालसिंह**-चित्तौड़गढ़ जिले का सैशन कोर्ट जिला हैड क्वार्टर पर न होकर प्रतापगढ़ में होने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि इस विषय में उच्च न्यायालय की राय मांगी गई है औरराय प्राप्त होने पर सरकार द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

(9) **श्री देवीसिंह भाटी**- तहसील कोलायत जिला बीकानेर में एक ज्वर के फैलने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि किसी अज्ञात बुखार के फैलने की कोई सूचना नहीं मिली है और विभाग द्वारा चिकित्सा एवं उपचार की व्यवस्था पूरी उपलब्ध है।

यह दूसरा भी देवीसिंह जी भाटी का है-

(10) जिला बीकानेर में ईंट के भट्टों पर रोजाना सैंकड़ों हरी खेजड़ी की कटाई से पेड़ों को नष्ट करने के विषय में।

सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस प्रकार के 24 मामले ध्यान में आये थे जिनमे आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है। विगत 2-3 माह में इस प्रकार का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्थगन प्रस्ताव विशेष परिस्थितियों में और महत्वपूर्ण विषयों पर लाया जाता है। मैंने आपकी सेवा में जितने भी स्थगन प्रस्ताव सदैव प्रस्तुत होते हैं, या आज प्रस्तुत हुए हैं, वह पढ़कर सुनाये। हो सकता है, माननीय सदस्यों को किसी मामले की शिकायत हो। इस पर मैं सब देख लेता हूं। यदि कोई जनहित की बात होती है, उसमें सरकार से जानकारी लेना आवश्यक है तो सरकार से जानकारी ले लेता हूं। जानकारी आने के पश्चात यह समझता हूं कि इसमें वक्तव्य होना चाहिए तो वक्तव्य दिलाने की कोशिश करता हूं। वक्तव्य की यदि उसमें सूरत नहीं बनती है तो उस अवस्था में आपको दो मिनट बोलने का समय देता हूं। इस सब के बावजूद स्थगन प्रस्तावों की संख्या बहुत अधिक होने लग गई है। पहले तो जितने स्थगन प्रस्ताव आते थे, उनमें आम तौर पर दो-दो मिनट बोलने का अवसर देता था लेकिन अब संख्या को देखते हुए मैंने यह निश्चय किया है कि कुछ प्रस्ताव तो राज्य सरकार को भेजता हूं, कुछ को मैं यहीं अस्वीकार कर देता हूं और उनमें दो मिनट की इजाजत देता हूं। कुछ प्रस्ताव ऐसे होते हैं जिनमें इजाजत देना भी मैं उचित नहीं समझता।

(श्री अध्यक्ष)

आप जानते हैं, आज की कार्य सूची का जहां तक प्रश्न है, दो तो आज वक्तव्य होने हैं और आज बजट की बहस का अंतिम दिन है। बहुत से माननीय सदस्य इस वाद-विवाद में हिस्सा लेना चाहेंगे। इसलिए माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों पर मैं दो-दो मिनट का अवसर दे रहा हूं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे दो-दो मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दें। उसके बाद में वक्तव्य होंगे, आय-व्ययक, पर सामान्य वाद विवाद होगा, इसलिए समय को ध्यान में रख कर माननीय सदस्य मेरी भावनाओं को समझते हुए अपने विचार प्रकट करें। माननीय सदस्य यह भी जानते हैं कि जो जन महत्व का मामला आपके सामने आ जाता है, मेरे सामने आ जाता है, मेरी सदैव यह कोशिश रहती है कि उस समस्या का कुछ समुचित हल निकाला जाये। आप यह भी जानते हैं कि पेयजल की समस्या है तो पेयजल की समस्या सब जगह है। आज खाटू की पेयजल समस्या का स्थगन प्रस्ताव दे दिया, कल रहुण की समस्या का दे दिया, परसों तीसरी जगह का दे दिया। चौथी जगह का अकाल की समस्या का दे दिया। यह भी भीषण समस्या है। माननीय सदस्यों के अपने-अपने क्षेत्र के हिसाब से उनकी समस्याओं को देखते हुए कई बातों पर लम्बी चौड़ी चर्चा की जा सकती है लेकिन बात यह है कि अपने पास समय सीमित है, बहुत ही महत्वपूर्ण मामले सदन के समक्ष आते हैं। आपकी ओर से मुझे अधिकार दिया हुआ है कि जो महत्वपूर्ण विषय हैं मैं उनको चयनित करूं। सदैव यही हो मैं व्यवस्था दे दूं कि इसमें मैं अमुक निर्णय दे रहा हूं, उसके बाद में माननीय सदस्य कहें कि नहीं यह निर्णय आपने ठीक नहीं लिया, तो इसका कोई अन्त नहीं हो सकता। इसलिए मुझ पर कृपया कृपा करें। जब मैं आपकी सेवा में निवेदन करूं आप फर्मा दिया करें। उसके बाद में यदि माननीय सदस्यों को शिकायत हो तो मुझसे मिल लें। मैं सदैव मदद करने की कोशिश करता हूं। कई दफा माननीय सदस्य आते हैं और कहते हैं, यह तो महत्वपूर्ण है। मुझे यदि वह समझा देते हैं कि वाकई महत्वपूर्ण है तो उस पर इजाजत देकर अन्य कोई व्यवस्था कर देता हूं। इसलिए मेरा निवेदन है, समय की बचत करें। जो माननीय सदस्य कहना चाहते हैं वह शांतिपूर्वक अपनी बात कह सकें, इसमें सभी माननीय सदस्यों का सहयोग होना चाहिए। अब मैं नाम पुकारता हूं।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : सब दो बुलाते हैं, तीन बुलाया करें। सरकार....

श्री अध्यक्ष: मैं इसी कोशिश में हूं कि सब ज्यादा हों। आप जानते हो, यह तो जनहित में होता है। मेरी बराबर कोशिश होगी, कोशिश करता हूं। इसके लिये नियमों में प्रावधान रखा है लेकिन सरकार की भी कई तरह की कठिनाइयां हैं।

जिन माननीय सदस्यों के मैं नाम पुकारूं वे दो-दो मिनट में अपनी बात कह दें। सब से पहले श्री त्रिलोकसिंह, शौचालय बना दिया है, उसके बारे में ...

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मेवराज तावड़ (गोगुन्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य सूची में ...

श्री अध्यक्ष : फिर वही । आर्डर प्लीज । पहले मैं....

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : पाइन्ट आफ आर्डर । आपने व्यवस्था दी थी, अध्यक्ष महोदय, नैनवां के झगड़े के बारे में वक्तव्य दिलायेंगे । वह कब तक होगा ?

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा हूं. दो-दो मिनट का अवसर दे दूं, उसके बाद मैं। प्रश्नकाल यहां आसन के साथ नहीं होगा। कृपया बैठ जायें

श्री हरीश शर्मा : मेरा इस बारे में बहुत ही विनम्र निवेदन है आपसे, वहां भयंकर स्थिति है । आपने कहा था गवर्नमेंट वक्तव्य देगी ।

श्री अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यों को मेरा कहना फिजूल ही गया । आर्डर, आर्डर । इस पर चर्चा नहीं होगी । श्री त्रिलोकसिंह ।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : शिकायत करने का मौका ही नहीं मिल रहा। 17 तारीख से कन्टीन्यू अब तक आपने जानकारी....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

प्रश्नकाल की इजाजत नहीं दूंगा। माननीय सदस्य, यदि किसी स्थगन प्रस्ताव पर सूचना नहीं आई तो उसके बारे में चैम्बर में मुझ से मिलें । मैं बराबर ताकीद करता हूं स्थगन प्रस्तावों की संख्या को देखते हुए आप जानते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण, होते हैं उनमें जानकारी जल्दी मंगवा लेता हूं ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । किसी को इजाजत नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर, आर्डर। प्रश्नकाल आसन के साथ नहीं होगा ।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, यह कार्य सूची में....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठ जायें। मैं बीच में किसी माननीय सदस्य ...

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायें । श्री त्रिलोकसिंह ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

श्री मेघराज तावड़: व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । बाधा उपस्थित करने के लिए कह रहे हैं । ऑर्डर प्लीज ! मैं बाद में सुनूंगा । अभी नहीं सुनूंगा । श्री त्रिलोकसिंह ।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो स्थगन प्रस्ताव है वह हरिजनों के बारे में है । उसके बारे में बताया गया है कि उस सवाल की कोई अहमियत नहीं है । अगर इस देश में हरिजनों का महत्व नहीं है, हरिजनों की अहमियत नहीं है....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में ।

श्री त्रिलोकसिंह : बहुत थोड़ा, दो मिनट बोलूंगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हिंगोनिया गांव में हरिजनों के घरों के आगे जागीरदारों ने अपने तारन, टट्टीघर बना लिये

(श्री त्रिलोकसिंह)

हैं। उनका निकलना बन्द कर दिया है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि पुलिस भेज कर वहां से वह गन्दगी हटाई जाये। इस तरह की हालत पैदा की जाय कि वहां वे हरिजन रह सकें। यह मैं मांग करता हूं। चाकसू तहसील में हिंगोनिया गांव है। वहां हरिजनों के साथ....

श्री अध्यक्ष: शांत रहें, माननीय सदस्य। बातें नहीं करें आपस में। आर्डर, आर्डर। माननीय हरीश शर्मा।

श्री त्रिलोकसिंह: चाकसू तहसील में हिंगोनिया गांव है। वहां हरिजनों के साथ घोर अत्याचार हो रहा है। उनका घरों से निकलना बन्द हो गया है। उनके साथ न्याय किया जाय।

श्री मेघराज तावड़: पाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर है मेरा। 28 तारीख को इस सदन में राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड एक्वीजिशन ऑफ लैण्ड ओनर्स एस्टेट्स अमेण्डमेन्ट बिल 1983 पेश हुआ। उसके बाद में वह वापस ले लिया गया। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है वह वापस क्यों लिया? शायद किसी दबाव या अन्य कारण से नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। यह वर्तमान में विचारणीय विषय नहीं है इसलिए इस आपत्ति को मैं निरस्त करता हूं। आप मेरे से अलग से मिलें, मुझे समझायें, मैं सहानुभूति पूर्वक विचार करूंगा। मनचाहे प्रश्न तत्काल सदन में नहीं आ सकते हैं, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): अध्यक्ष महोदय, अल्प बचत एवं राज्य लॉटरी की योजना को मैं और मेरा दल, दोनों जनता के साथ लूट का कृत्य मानते हैं और इसी नीति....

श्री अध्यक्ष: यह आप नीति सम्बन्धी बात कर रहे हैं इसको यहां उठाने का कोई औचित्य नहीं है। यदि इनाम वगैरह नहीं मिलते हों तो आप वह शिकायत बता दीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी: जनता शासन में राज्य लॉटरी विभाग को समाप्त कर दिया गया था। एक तरफ जहां यह सरकार शराबबन्दी समाप्त करके दारू पिला कर राज्य के कोष को भरना चाहती है, वहां दूसरी तरफ जूए के आधार पर अपने राजकोष की पूर्ति करना चाहती है, जूए और शराब के बाद तीसरा कृत्य रह जाता है वैश्यालय....

श्री अध्यक्ष: विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी: माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश का भगवान कैसे भला करेगा। मेरी तो मान्यता है कि इस प्रकार की गलत नीतियों के कारण ही राज्य में बारम्बार अकाल की स्थिति पैदा होती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना है कि राजस्थान लॉटरी के टिकट राजस्थान के भिन्न-भिन्न कोनों में बिकते हैं। भिन्न कोनों में जहां-जहां भी यह टिकट बिकते हैं वहां विशेष वाहनों के द्वारा प्रचारित किया जाता है कि 2 लाख रुपये की लॉटरी, दो लाख रुपये की लॉटरी खुल रही है। उस आधार पर लाखों रुपये के टिकट बिकते हैं। टिकट बिकने के बाद जो पुरस्कार की राशि दी जाती है उसमें 3 रुपये, 5 रुपये,

(श्री दाऊदयाल जोशी)

10 रुपये, 50 रुपये और दस हजार रुपये और उससे ऊपर की तक की राशि होती है। जहां तक 10 हजार, 5 हजार की राशि का प्रश्न है उसका क्लेम लेने के लिए तो लोग-बाग पूरी-पूरी भाग-दौड़ करके इनाम प्राप्त कर लेते हैं लेकिन 10 रुपये की लॉटरी खुली और....

श्री अध्यक्ष : इस पर विस्तृत चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 रुपये की लॉटरी खुली....

श्री अध्यक्ष : यह बजट भाषण में कहिये न आप।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, 5 रुपये और 10 रुपये के इनाम के 40हजार टिकट होते हैं। तो 40 हजार व्यक्ति जयपुर आकर अपना क्लेम करें, यह संभव नहीं है। मेरे कोटा नगर में एक टिकट नम्बर 275 की 5 रुपये की लॉटरी खुली थी उस व्यक्ति ने पच्चीसों चिट्ठियां राजस्थान स्टेट लॉटरी के दफ्तर को भेजीं कि मेरा 5 रुपये का पुरस्कार आया है....

श्री अध्यक्ष : आप इस टिकट को गुमा मत देना।

श्री दाऊदयाल जोशी : नहीं, अध्यक्ष महोदय, गुमेगा नही। उसको पेमेन्ट नहीं मिला। 5 रुपये का इनाम था। 5 रुपये की तो वह चिट्ठियां लिख चुका है लेकिन आज दिन तक उसको 5 रुपये प्राप्त नहीं हुये....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से 5 रुपये और 10 रुपये के इनाम वाले टिकटों की राशि राजकोष में जमा हो जाती है -

श्री अध्यक्ष : आय – व्ययक के ऊपर बहस के समय फर्मायें। आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन है कि....

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल पटवा - भीलवाड़ा नगर के राजेन्द्र मार्ग सैकण्डरी स्कूल को हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने के विषय में।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की ओर से पिछले वर्ष के बजट में हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने का प्रावधान किया गया था। राजेन्द्र मार्ग सैकण्डरी स्कूल, जो भीलवाड़ा में है, को इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स ने हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने के प्रपोजल्स भेजे थे, राज्य सरकार की नीति के अनुसार पंचायत समिति के हैड क्वार्टर पर हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है, इसके साथ-साथ कुछ अर्बन एरियाज में और कुछ दूसरी जगह भी हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। किन्तु इस नीति के विपरीत पॉलिटिकल बेसिस पर, राजनैतिक चश्मे के आधार पर इन्होंने स्कूल खोले। भीलवाड़ा नगर में विद्यार्थियों का लोड निरन्तर बढ़ता जा रहा है। राजेन्द्र मार्ग सैकण्डरी स्कूल को हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने की मांग पूर्व में भी उठी थी और इसके

(श्री बंशीलाल पटवा)

लिये पिछले दिनों विद्यार्थियों ने लम्बे समय तक आन्दोलन किया था। आन्दोलन करने पर वहां स्थिति थोड़ी सी बिगड़ने लगी, आन्दोलनकारी छात्र नेताओं से बातचीत के दौरान उस जिले के मंत्रीजी, जो कृषि मंत्री हैं, श्री देवेन्द्रसिंहजी ने यह आश्वासन दिया था कि निकट भविष्य में ही इसको क्रमोन्नत कर दिया जायगा, सैकण्डरी स्कूल को हायर सैकण्डरी स्कूल कर दिया जायगा। उन्होंने स्वयं स्टूडेंट्स के बढ़ते हुये लोड का अहसास किया लेकिन आज दिन तक उसे हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत नहीं किया गया। इसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों में असंतोष तो है ही साथ-साथ उन्होंने जो आश्वासन दिया था वह आश्वासन भी केवल थोथा साबित हुआ। जो विद्यार्थी आन्दोलन कर रहे थे, बातचीत के जरिये उन्होंने आन्दोलन समाप्त कर दिया था लेकिन आज उन छात्र नेताओं और विद्यार्थियों को धीरे-धीरे पुलिस एक-एक करके गिरफ्तार करती जा रही है। अभी 4 दिन पूर्व 4 विद्यार्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उस आन्दोलन के दौरान आप लोगों पर मुकदमें दर्ज किये गये हैं, इस तरह की बात कह कर के गिरफ्तारी की धमकियां दी जा रही हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। राजनैतिक चश्मे के आधार पर सोचने की प्रवृत्ति राज्य सरकार की बन चुकी है, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि भीलवाड़ा नगर में विद्यार्थियों के बढ़ते हुए लोड को देखते हुए राजनैतिक चश्में के आधार पर सोचना बन्द होना चाहिये। जो वायदा किया था उस वायदे को....

श्री अध्यक्ष: समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य। कृपया बैठ जायें।

श्री बंशीलाल पटवा: हायर सैकन्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने के बारे में तुरन्त निर्णय लें अन्यथा विद्यार्थियों में जो असंतोष होगा और वहां अव्यवस्था फैलेगी उसकी जिम्मेदारी इस सरकार पर होगी, प्रभारी मंत्रीजी पर होगी जिन्होंने स्कूल क्रमोन्नत करने का वायदा वहां पर किया था।

श्री अध्यक्ष: सर्वश्री मेघराज तावड़, रामकंवार बैरवा, गोपाल पचेरवाल–अमीनों की पदोन्नति के बारे में। इसमें 2-2 मिनट में माननीय सदस्य अपनी बात कह सकेंगे। श्री मेघराज तावड़ का विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव और है। इन दोनों के बारे में आप 2 मिनट में कह दीजिये। श्री मेघराज तावड़ व एक अन्य माननीय सदस्य को अवसर दूंगा। अमीनों की पदोन्नति के बारे में।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी): अध्यक्ष महोदय, यह जो जवाब हमारे स्थगन प्रस्ताव का आया है यह बिल्कुल गलत है। इस जवाब में सरकार ने एक बचाव का तरीका निकालने की कोशिश की है। इन्होंने कहा कि यह मामला विचाराधीन है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस सम्बन्ध में सरकार की तरफ से एक वक्तव्य दिलाया जाय कि कितने लोगों को रखा गया, कितनों की पदोन्नतियां की गई, उसमें अनुसूचित जाति और जन जाति व अन्य कर्मचारियों की संख्या क्या है, रोस्टर प्रणाली लागू की गई या नहीं की गई, क्या कुछ हुआ। तभी जाकर एस. सी. एस. टी. के लोगों में संतोष हो सकेगा वरना भारी असंतोष है. वह यह देखते हैं कि न तो जन प्रतिनिधियों के द्वारा सरकार तक हमारी आवाज पहुंचती

(श्री राम कंवार बैरवा)

है और न सीधे ही हमारी आवाज किसी तरह से पहुंचती है। अत: मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार की तरफ से एक वक्तव्य दिया जाना चाहिये, यही मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री मेघराज तावड़। आप दोनों विषयों पर बोलने का कष्ट करें।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले पर मेरे बोलने के बजाय आप गवर्नमेंट से वक्तव्य दिला दें तो ज्यादा अच्छा होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक काफी गंभीर मामला है। शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग धरने पर बैठे हुए है। रोस्टर प्रणाली के अनुसार लोगों के साथ न्याय नहीं किया गया है इसलिए सरकार की तरफ से....

श्री अध्यक्ष: मैंने व्यवस्था दे दी। माननीय सदस्य, इसके पश्चात् यदि आपकी कठिनाई हो तो अन्य किसी माध्यम से इस विषय को उठाने का कष्ट करें। मैंने विस्तृत अध्ययन करके ही व्यवस्था दी है। आप अपने विषय पर कह दें।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, रोस्टर प्रणाली का पालन नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष: मैं समझ गया। अन्य किसी माध्यम से उठायें। मैंने इस पर व्यवस्था दे दी।

श्री मेघराज तावड़: माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारी सरकार शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को रोस्टर प्रणाली के आधार पर नौकरियों में सुविधा दिलाने की बात करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भू-प्रबन्ध डिपार्टमेन्ट के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। वहां रोस्टर प्रणाली में यह गलती हुई है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 775 लोगों को लेना था उसमें से 11 व्यक्ति शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लेने थे। 4 शिड्यूल्ड ट्राइब्स और 7 शिड्यूल्ड कास्ट्स के लेने थे। डी. पी. सी. 23-4-82 को बैठी, उसमें कुल 5 पद यहां भर गये और 6 पद छोड़ दिये, उसके बाद क्या जरूरत पड़ी थी प्रमोशन की? एक महीने के अन्दर जो प्रमोशन ड्राप करना चाहिये था उसमें 35 लोगों का रोस्टर प्रणाली के जरिये प्रमोशन हो सकता था। उनको नहीं लेकर के, अध्यक्ष महोदय, एक अलग से सूची निकाली इसके साथ-साथ यह जो 24-6-82 को डी. पी. सी. बैठी उसने 6 को छोड़कर पांच को लिया। 1-7-82 को, अध्यक्ष महोदय, फिर 33 लोगों की सूची निकाली। उनमें भी शिड्यूल्ड ट्राइब्स के एक व्यक्ति को नहीं लिया गया। इसी के साथ, अध्यक्ष महोदय, 27-7-82 को फिर 10 लोगों की एक सूची निकाली। उसमें शिड्यूल्ड ट्राइब्स और कास्ट्स का एक भी आदमी नहीं लिया गया। तो जरूरत क्या थी, प्रमोशन करने की? अध्यक्ष महोदय, इसके साथ एक सूची 775 की बनती है। अगर जोन बना लिया होता तो आज यह झगड़ा भी नहीं होता। मूल बात यह है, अध्यक्ष महोदय, यह कह कर उनको लौटा दिया गया कि उनकी सी.आर. ठीक नहीं है। मैं, अध्यक्ष महोदय, एक पत्र बताता हूं। सुआलाल बुनकर करके एक कर्मचारी था, उसको मन-

(श्री मेघराज तावड़)

सुखलाल महेश्वरी ने मुर्गा बनाया। मुर्गा बनाया तो कर्मचारियों ने हड़ताल की। आप ही बताइये, अध्यक्ष महोदय, कब तक अपने अधिकारों के लिये मुर्गा बनेंगे। डिपार्टमेन्ट में अपनी मांग को लेकर के हड़ताल की, तो क्या यह गलत किया? हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। फिर उनकी सारी की सारी सी.आर. खराब हो गई। अब जहां सी.आर. की बात आती है, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, वहां पर जो आर. डी. गुप्ता बैठे हुए हैं वे हरिजन और आदिवासियों के साथ भेदभावपूर्ण नीति बरतते हैं। उनको कभी प्रमोशन नहीं दिया। उन्होंने अपने चहेते लोगों को लिया है, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और कास्ट्स के लोगों को छोड़ दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम बताना चाहता हूं, आप चाहें तो उनकी सी.आर. मंगवालें, जिन शिड्यूल्ड ट्राइब्स और कास्ट्स के लोगों की सी.आर. खराब बताते हैं। यह मानसिंह, भागीरथसिंह,

(व्यवधान)

राधेश्याम गुप्ता मोहनलाल शर्मा- इन लोगों की सी.आर. बहुत खराब है। उसके बावजूद इन लोगों को प्रमोशन दिया गया। वे लोग कोर्ट में गये। मैं, अध्यक्ष महोदय, इसलिए कह रहा हूं कि कोर्ट में लोग गये तो आज इन्हें डर इस बात का है कि उन्होंने जो गलत तरीके से प्रमोशन दे दिये हैं और शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज के लोगों को छोड़ दिया गया है, अब उनको रिवर्ट करना पड़ेगा। इसलिए सरकार ने एक प्रेस्टिज पाइन्ट बना लिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को प्रमोशन दिया गया है वह बिल्कुल भेदभाव पूर्ण तरीके से दिया गया है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों के साथ अन्याय किया गया है। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, मैं राज्य सरकार के आदेश की कापी आपके सामने रखना चाहता हूं। राज्य सरकार ने आदेश दिया, राज्य सरकार के सैक्रेटरी का यह आदेश है कि जोन बनाकर 30-9-82 तक रोस्टर प्रणाली के अनुसार पोस्ट्स पूरी भर दी जाय, इसके बावजूद 1-7-82 और 27-7-82 को जो 33 लोगों की सूची अलग से निकाली राज्य सरकार के आदेशों के बावजूद शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों के साथ अन्याय किया गया है अब आप बताइये, अध्यक्ष महोदय, सरकार केवल कोर्ट की बात को लेकर अपनी बात को छिपाना चाहती है, बचना चाहती है तो हम लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? आपके सामने, अध्यक्ष महोदय, संक्षेप में हमारी जो मजबूरियां हैं वह बताई हैं। वे लोग बाहर बैठे हैं। आज ही सरकार उनको जाकर कुछ कहे। वे लोग आज तक धरने पर बाहर बैठे हुए हैं लेकिन उनसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये कहते हैं कि उनसे बात नहीं करनी है। राजस्व मन्त्रीजी से बात की। उन्होंने कहा, मैं उनसे बात नहीं करना चाहता। अध्यक्ष महोदय इस तरह से उनको तिरस्कार की या घृणा की दृष्टि से देखने से समस्या का हल कोई नहीं हो सकता। मैं चाहूंगा, मन्त्रीजी वहां जाकर उनकी जो दूसरी मांगें हैं, उनकी छुट्टियों का प्रश्न है, उनको लेकर उनसे बात करें और उनके भविष्य का हल निकालें। हमारे साथ होने वाले अन्याय को रोकें, सख्ती से रोस्टर प्रणाली लागू करें यही सरकार को आदेश दें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विश्वविद्यालय शिक्षकों के बारे में। श्री तावड़।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय में जिस तरह से लेक्चरार और प्रोफेसर की नियुक्तियों में अनियमितता बरती गई उसको लेकर के विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, लेक्चरार और शिक्षकों ने सरकार को नोटिस दिया और घोषणा की है कि यदि हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो 1983 में होने वाली परीक्षाओं का बहिष्कार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके क्या दुष्परिणाम होंगे ? विद्यार्थियों के ऊपर क्या बीतेगी ? विद्यार्थियों के भविष्य का क्या होगा ? मैं यह चाहूंगा कि सरकार इस पर गम्भीरता से सोचे। विश्वविद्यालय के शिक्षकों की जो मांगें हैं उन पर गम्भीरता पूर्वक सोचे। इसको प्रेस्टिज पाइन्ट नहीं बनावे, नाक का सवाल नहीं बनायें। उनके साथ बात करके उनकी समस्या को निपटायें नहीं तो भयंकर रूप से हड़ताल होगी। यह विद्यार्थियों का मामला है। विद्यार्थियों का जीवन अन्धकारमय हो जायेगा, परीक्षाओं का बहिष्कार होगा, और फिर पुलिस को ले जाकर के परीक्षा कराने की बात सामने आयेगी। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, सरकार इसको गम्भीरता से ले।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशोर मीणा। आपके दो विषय हैं, प्रशासनिक सेवा के कुछ पदों का रिक्त होना और सिकराय निर्वाचन क्षेत्र के गांव नामनेर के राजस्व शिविर में किये गये रूपान्तरण को तहसीलदार द्वारा तस्दीक न करने के विषय में। संक्षेप में।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के करीब 100 पद रिक्त हैं। राज्य सरकार के विभिन्न न्यायालयों, जो ए. डी. एम. के न्यायालय हैं, में न्यायाधीशों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। इस वजह से काश्तकार 6-6 महीने तक चक्कर काटते रहते हैं। उनका पोस्टिंग नहीं होने की वजह से काश्तकार को सिर्फ तारीखें मिलती हैं। न्याय की आसानी के लिए जो तारीख बताई जाती है इस हिसाब से उनको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ पद सीधी भर्ती से भरे जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करूं, जनवरी माह में माननीय मुख्य मंत्री जी ने खुद राजस्थान तहसीलदार सेवा के जो अधिकारी हैं उनकी प्रमोशन के मार्फत राजस्थान प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति हेतु आदेश दिये थे लेकिन कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग में उच्च पद आसीन जो आई. एस. केडर के अधिकारी हैं वे उन पदों को भरने में अच्छा महसूस नहीं करते हैं इस वजह से, माननीय अध्यक्ष महोदय, अकेले जयपुर जिले में करीब 15 पद आर. एस. केडर के अधिकारियों के रिक्त हैं। हमारे बांदीकुई में कोई एस. डी. एम. नहीं है। एस. डी. एम. कोर्ट है वहां पर कोई अधिकारी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एस. डी. एम. कन्वर्शन की पांच पोस्ट है वह 6 महीने से जयपुर में रिक्त हैं। इन्सपेक्टर, रजिस्ट्रेशन स्टाम्प का एक पद है वह खाली पड़ा हुआ है। इस प्रकार राजस्थान प्रशासनिक सेवा के करीब 100 पद रिक्त हैं एक ही जिले में जहां सब से ज्यादा पद है। वहां पद रिक्त हैं। अकेले एस. डी. एम. हैड क्वार्टर दौसा, जिसमें बांदीकुई का एरिया भी लगता है, के काश्तकार 6 महीने

(श्री रामकिशोर मीणा)

से दर-दर भटक रहे हैं। मुख्य मन्त्री जी के आदेशों को पालना नहीं करने की वजह से यह सारा कुछ हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, इन पदों को भरने में कोई विशेष परेशानी नहीं है। दो बार अखबारों में भी छपा है। यह मुख्य मन्त्री को बदनाम करने के लिए कुछ अधिकारियों की साजिश है। जो ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान हैं, क्या वहां पर भी पद नहीं भरे जा सकते? काश्तकारों और जनता को बहुत परेशानी हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा राज्य सरकार से कि इसके ऊपर कार्यवाही को जाय और इन पदों को तुरन्त भरा जाय।

श्री अध्यक्ष : दूसरे विषय पर आ जाइये।

श्री रामकिशोर मीणा: माननीय अध्यक्ष महोदय, सिकराय तहसील के तहसीलदार के विरुद्ध 11-5-82 से लगातार वहां के कर्मचारियों, आम जनता की ...

श्री अध्यक्ष : आपने एक गांव का मामला उठाया है। आप भूमिका न बांधे इसमें।

श्री रामकिशोर मीणा : भूमिका बांधने के पीछे कारण है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य हमारे सामने जो विचारणीय विषय है, जो आपने स्थगन प्रस्ताव दिया है उसी तक सीमित रहें। उसके कई कारण हो सकते है। दो मिनट में जो रूपान्तरण का मामला आया, उसमें ज्यादतियां की गई हैं तो वह बात आप कह दीजिये।

श्री राम किशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 22-1-83 को नामनेर में राजस्व अभियान के तहत केम्प लगा था। 3-2-83 को ठीकरिया ग्राम पंचायत और 4-2-83 को हिंगो पंचायत में केम्प लगा था। करीब 480 रूपान्तरण के मामले पटवारी के द्वारा तस्दीक करके भेज दिये गये लेकिन जो रिकार्ड बोलता है, जो वायरलेस के मार्फत राजस्थान सरकार ने मंगवाया था, उसके अनुसार उनको तहसीलदार ने तस्दीक नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, 15 तारीख को जब यह पता पड़ा कि उनके नामान्तरण तस्दीक नहीं हुए, काश्तकारों को उनका पैसा नहीं मिला। उसमें पंचायत के सरपंच का नाम था। रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई कि तस्दीक कर दिया गया। उसके बाद एस. डी. ओ. ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माह जनवरी, 1983 को वहां पर तहसीलदार के बारे में ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विषय पर आवें।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, उसी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जो राजस्व अभियान राज्य सरकार द्वारा चलाया गया उसमे इस तहसीलदार ने सही रिकार्ड नहीं भेजा। वहां पर फर्जी कार्य हुआ है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, तहसीलदार ने सारा का सारा काम फर्जी

Page No.66

(श्री रामकिशोर मीणा)

किया है। उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये राजस्व मन्त्रीजी और मुख्य मन्त्रीजी को भी शिकायत की कापी दी गयी है। अध्यक्ष महोदय, उसमें लिखा है कि अगर इस तहसील दार को अन्याय करने के लिये पुनः यह पदस्थापित करते हैं तो तहसील के हम समस्त कर्मचारियों का अन्यत्र स्थानान्तरण कर दें, अन्यथा इस तहसील में जो अशान्ति इनके भय से फैली हुई है इससे कर्मचारियों को नुकसान हो सकता है। यहां तक कि हमको हड़ताल के लिये बाध्य होना पड़े। अध्यक्ष महोदय, वहां पर पांच रोज तक नायब तहसील के सारे के सारे कर्मचारी इसके विरोध में हड़ताल पर रहे पर इस पर भी इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसके बाद में कलेक्टर साहब से सम्पर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि इस राजस्व अभियान के तुरन्त बाद में इनको हटा देंगे। यहां से एक अधिकारी तहसील में भेजा गया। इसके बावजूद इन्होंने गलत रिकार्ड भेजा। सारा का सारा फर्जी काम इन्होंने राजस्व अभियान में किया है।

श्री अध्यक्ष माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, राजस्व अभियान में सारा का सारा फर्जी काम हुआ है इसलिये मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर राजस्व अभियान दुबारा चलाया जाय और इनके खिलाफ में अविलम्ब जांच करके इनको सस्पेन्ड करने की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जाय। सारा का सारा रिकार्ड जो खराब हो गया है उसको ठीक कराया जाय। बस, मुझे यही निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी, आवासन मन्डल के बारे में।

(अनुपस्थित)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : झुन्झुनू नगर पालिका के परिसीमन के बारे में।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : आवश्यक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, अगर आपकी इच्छा नहीं हो तो आप नहीं बोलें।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : मैं बोल रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उस के द्वारा मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब-जब नगरपालिका के चुनाव होते हैं, तब-तब इस बात की घोषणाएं होती हैं। हमारे झुन्झुनू में नगर पालिकाओं के वार्डों की सीमायें निर्धारित की गयीं। हमारे वहां के एम० एल० ए० साहब, जो कि प्रभारी मन्त्री भी है, वहां पर आप हिसाब से वार्डों की सीमायें निर्धारित कराते हैं। मेरे पास में प्रमाण है, अध्यक्ष महोदय। मैं आपको आपके चेम्बर में वह प्रस्तुत करूंगा। इसमें दर्शाया गया है कि कभी तो 20-30 घर इस वार्ड में पटक देते हैं, कभी बीस-तीस घर उस वार्ड में पटक देते हैं। किसी भी व्यक्ति का अगर किसी वार्ड में अटेचमेन्ट होता है तो उनका मन्तव्य यह होता है उस व्यक्ति को किस प्रकार से डिमोरलाइज किया जाय। उसका ध्यान कांग्रेस पार्टी की ओर आकर्षित करने के लिये यह किया जाता है। नगरपालिकाओं की सीमाओं के

(श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह)

परिसीमन के लिये कलेक्टर साहब को लिखा पढ़ी की गयी लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। राज्य सरकार को अपील की गई तो राज्य सरकार ने भी यही कहा कि इसकी अपील नहीं हो सकती है। मेरा आपको निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, अपील तो क्यों नहीं हो सकती है? हो सकती है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि राज्य सरकार का इस ओर ध्यान दिलाया जाय ताकि लोगों को न्याय मिल सके।

श्री अध्यक्ष : श्री भूपालसिंह–चित्तौड़गढ़ संशन्स कोर्ट के बारे में।

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव इस विषय का दिया था कि चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में हाईकोर्ट है। प्रतापगढ़ जो है वह एम० पी० के बोर्डर पर है। प्रतापगढ़ इधर तो कोटा से मिलता है और उधर वह बांसवाड़ा के नजदीक पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : हाई कोर्ट नहीं संशन कोर्ट।

श्री भूपालसिंह : हुजूर भूल गया, सैशन कोर्ट। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लोग कोटा से जाकर प्रतापगढ़ में जावें तो वह रास्ता करीब दो सौ मील या 250 मील पड़ता है। इतना सफर करना पड़ता है। यह सैशन कोर्ट तो पुराने जमाने का बना हुआ है जो चला आ रहा है। प्रतापगढ़ को तो वैसे भी, अध्यक्ष महोदय, जिला बनाने की बातचीत चल रही है पहले जनता पार्टी के राज्य में इसको जिला बनाने की बात लगभग तय हो चुकी थी लेकिन किन्हीं कारणों से वह बात पूरी नहीं हो सकी है। तो जो मुद्दे की बात मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि सैशन कोर्ट एक सप्ताह तो प्रतापगढ़ में लगता है और एक सप्ताह चित्तौड़गढ़ में उसका हैडक्वार्टर रहता है। मेरा निवेदन करना यह है कि निम्बाहेड़ा से चित्तौड़गढ़ 30 किलोमीटर और प्रतापगढ़ करीब 60 किलोमीटर पड़ता है। निम्बाहेड़ा से प्रतापगढ़ जाने के लिये कोई साधन भी नहीं हैं। जो है वह बहुत ही कम हैं। निम्बाहेड़ा और प्रतापगढ़ के बीच आने जानेके साधन बहुत ही कम हैं परन्तु चित्तौड़गढ़ और निम्बाहेड़ा के बीच आने-जाने के साधन बहुत ज्यादा है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि निम्बाहेड़ा के केसेज के लिये सैशन कोर्ट चित्तौड़गढ़ रखा जाय। फिलहाल सैशन कोर्ट हैडक्वार्टर चित्तौड़गढ़ कर दिया जाय ताकि वहां के लोगों, मुवक्किलों, वकीलों और मुलजिमों को राहत मिले।

श्री अध्यक्ष : सरकार ने जो उत्तर दिया है उसमें यह लिखा है कि इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय से राय मंगवाई जा रही है।

श्री भूपालसिंह : मैं अर्ज कर रहा हूं, हुकुम, सैशन कोर्ट के लिये हाई कोर्ट से राय मांगने की जो बात है वह तो बहुत लम्बा चौड़ा विषय है। अध्यक्ष महोदय, मेरा तो यह निवेदन है कि जो एक सप्ताह चित्तौड़गढ़ और एक सप्ताह प्रतापगढ़ सैशन कोर्ट लगता है उसमें निम्बाहेड़ा के जो केसेज है वह प्रतापगढ़ की बजाय चित्तौड़गढ़ में रखे जायें क्योंकि प्रतापगढ़ निम्बाहेड़ा से 100 किलोमीटर पड़ता है और चित्तौड़गढ़ के लिये सिर्फ तीस किलोमीटर ही जाना पड़ता। अध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा की दो

(श्री भूपालसिंह)

तहसील हैं। एक तो निम्बाहेड़ा और दूसरी छोटी सादड़ी। निम्बाहेड़ा जो कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, दो पंचायत समितियां भी हैं छोटी सादड़ी और निम्बाहेड़ा। अगर आप छोटी सादड़ी के केसेज प्रतापगढ़ सेशन कोर्ट में रखते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन फिलहाल निम्बाहेड़ा के जो केसेज है वह चित्तौड़गढ़ हैड क्वार्टर पर रख लिये जायें तो लोगों को सहूलियत होगी अध्यक्ष महोदय, इसके लिये राज्य सरकार के पास वकीलों का एक डेपूटेशन मिलने गया था उसकी बातचीत भी हुई थी। इस मामले में काफी प्रगति हुई थी। बृजसुन्दरजी शर्मा जब विधि मन्त्री थे तब उन्होंने चित्तौड़गढ़ के लिये वायदा भी किया था पर बाद में वह विधि मंत्री नहीं रहे तो वह बात अधूरी ही रही।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, न्याय प्रशासन की मांगों पर जब सदन में विचार हो तब इस प्रश्न को उठायें तो उपयुक्त रहेगा।

श्री भूपाल सिंह : हां, हुजूर, उस समय अर्ज करूंगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा): अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट से राय मांगी जा रही है यह राज्य सरकार का जवाब आया तो क्या सारे के सारे केसेज चित्तौड़गढ़ को ट्रान्सफर हो जायेंगे? इसके लिये कोई एप्लीकेशन भेजी है क्या?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थगन प्रस्तावों के बारे में विस्तृत चर्चा नहीं होगी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इसके लिये राज्य सरकार की तरफ से वक्तव्य दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, इस स्थगन प्रस्ताव पर हाई कोर्ट से राज्य सरकार ने राय मांगी है क्या? या क्या है?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य ने यह चाहा है कि सेशन कोर्ट को प्रतापगढ़ की बजाय चित्तौड़गढ़ हैड क्वार्टर पर रखा जाय।

(व्यवधान)

श्री भूपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह कहा है कि फिलहाल निम्बाहेड़ा के केसेज चित्तौड़गढ़ में लगने वाली सेशन कोर्ट में रखे जाय।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह तो फिर सारा रापट रौलिया हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, प्रतापगढ़ में डी. जे. कोर्ट रहे इसके लिये वहां पर समय-समय पर आन्दोलन चलाये गये हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, आप इस मसले को किसी अन्य तरीके से उठायें यह आपका अधिकार है। शासन को इस बात के लिये अधिकार नहीं कि वह एक कोर्ट के हैडक्वार्टर को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रान्सफर कर दे। आप इस मसले को अन्य किसी अवसर पर किसी और माध्यम से रखें। इस विषय पर चर्चा समाप्त हुई। आगे इस विषय पर चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य।

आर्डर

श्री देवीसिंह भाटी, कोलायत तहसील में ज्वर फैलने के विषय में और ईंट के

(श्री अध्यक्ष)

भट्टों पर हरी खेजड़ी के वृक्षों आदि की कटाई के संबंध में ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, जैसी कि सरकार के द्वारा सूचना मिली है कोलायत तहसील में कोई विशेष ज्वर नहीं फैला हुआ है । तो, अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उसमें विशेष ज्वर फैलने के बारे में नहीं लिखा । मैंने तो लिखा है, कोलायत तहसील में गत डेढ़ माह से हजारों ग्रामीण परिवारों का ज्वर के प्रकोप से पीड़ित होना व वहां पर उनके उपचार की व्यवस्था नहीं होना, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबध में पिछले दो माह पूर्व वहां पर जिलाधीश महोदय को कहा गया । जिलाधीश महोदय ने बीकानेर के पी० बी० एम० चिकित्सालय के स्टाफ को लिखा है । पिछले दिनों जब हमारे समाज कल्याण मंत्री जी बीकानेर पधारे थे तो कोलायत तहसील और पंचायत क्षेत्र में इस बात की शिकायत लोगों के द्वारा की गयी कि हर परिवार में दो-दो व्यक्ति ज्वर से पीड़ित हैं, लेकिन उपचार की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है । पंचायत समिति में सरपंचों ने भी कहा। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज दिन तक उन लोगों के उपचार की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । हर परिवार में एक बच्चा या एक औरत या दो व्यक्ति बीमार हैं । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार के द्वारा अलग से कोई ऐसी व्यवस्था करें कि वहां पर लोगों का उपचार हो सके । नहीं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि बिना उपचार के लोगों की मृत्यु हो जावे । यह एक गम्भीर मसला है इस पर सरकार गम्भीरता से विचार करे ।

श्री अध्यक्ष : अब आप दूसरे हरे वृक्षों के विषय में कह दें ।

श्री देवीसिंह भाटी अध्यक्ष महोदय, हरे वृक्षों की कटाई और खेजड़ो की कटाई के विषय में मैं निवेदन करना चाहता हूं । यह चौथा सत्र है जिसमे निरन्तर चौथी बार मैं इस मामले को उठा रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, मैंने इसके लिये जिला प्रशासन को बार - बार लिखा है । आपको जिला प्रशासन की ओर से यह उत्तर आया है कि जिला प्रशासन ने 24 मामले पकड़े हैं । तो यह वह 24 मामले हैं जो कि हमने ले जाकर पकड़वाये थे । हमारे प्रयासों से यह हुआ है वहां के जिला प्रशासन ने आज दिन तक कोई केस नहीं पकड़ा । आज जगह-जगह पर खेजड़ियों को काट कर बेचा जा रहा है । जहां जहां भी ईंटों के भट्टे हैं वहां पर आपको हरे वृक्षों और खेजड़ो की कटी हुई लकड़ियां मिलेंगी । अध्यक्ष महोदय, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, आज बीकानेर शहर के अन्दर बाजार में जो धर्मकांटे हैं वहां पर आप चाहें तो देख लें कि हरी खेजड़ियों के ढेर पड़े हैं या नहीं पड़े हैं । राज के अधिकारी उनको नहीं पकड़ रहे हैं । तो क्या यह हमारा ही काम है कि हम जाकर रोज रोज उनको सूचना दें कि आप जाकर उनको पकड़ो ? मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन है कि वह जिला प्रशासन को हिदायत दे कि वह ईंटों के भट्टों पर जाकर देखे । वहां पर हरे खेजड़ियों के पेड़ कटे हुए पड़े हैं उसके लिये कार्यवाही करे और उन लोगों को पकड़े ।

Page No.70

(श्री देवीसिंह भाटी)

यह राज्य सरकार क्या करती है, अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता। अध्यक्ष महोदय, सब जानते हैं बीकानेर बिल्कुल इतना सूखा क्षेत्र है कि जिसके अन्दर बड़ी मुश्किल से एक आदमी को छाया के लिए मीलों में जाकर एक पेड़ नजर आता है। उसको भी इस प्रकार निर्ममता से काटा जाता है। अध्यक्ष महोदय, हम इस सदन के अन्दर गम्भीर विषय बार बार उठाते हैं फिर भी यह सरकार चिन्तित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है....

श्री अध्यक्ष : इसके लिए सरकार सतर्क है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, कतई सतर्क नहीं है। यह आंकड़े पेश कर देते हैं कि हम इतने लाख पेड़ लगाने जा रहे हैं। अरे, नये पेड़ तो पता नहीं कब लगायेंगे और कब उगायेंगे, कई साल पहले से ही जो पेड़ लगे हुए हैं उनको तो काटने से रोको।

एक माननीय सदस्य : पुराने वृक्षों को काट कर नये लगा रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा और कम से कम आपसे सुरक्षा चाहूंगा, उस क्षेत्र के लिए आप अपनी ओर से सरकार को लिखें कि कटाई रोकने के लिए वह उड़न दस्ते नियुक्त करे, चेक पोस्ट लगाये। अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में है और सारा राजस्थान जानता है कि जब यह ... हुई थीं उससे पूर्व जोधपुर जिले के अन्दर खेतड़ली गांव में चिपको आन्दोलन क्यों हुआ था। उसका कारण यही था कि उस सामन्तशाही काल के अन्दर लोगों ने हरी खेजड़ी के पेड़ों को काटने में दिन रात एक कर दिया था। उसको रोकने के लिये वहां लोगों ने अपनी जाने दीं। जैसे कि चिपको आन्दोलन चला था, उस समय लोगों ने पेड़ों से चिपक चिपक कर अपनी जान दे दीं। फिर भी सरकार को चिन्ता नहीं है कि जब ऐसा काण्ड घटित हो चुका है तो राजस्थान के अन्दर इन पेड़ों का कितना महत्व है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी दर्दनाक घटनायें होने के उपरान्त यह सरकार चिन्तित नहीं है तो, अध्यक्ष महोदय मैं क्या करूं। कृपया आप फर्मा दीजिए, मुझे निर्देश दीजिए कि मैं मौके पर क्या करूं ?

श्री अध्यक्ष : जैसा इतने दिन किया वही ठीक रहेगा।

श्री देवीसिंह भाटी : बिलकुल, अध्यक्ष महोदय, ठीक है। जिस प्रकार यह हरी खेजड़ी को काट रहे हैं उसी प्रकार का इनके साथ व्यवहार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अध्यक्षीय व्यवस्था।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय आपने स्वयं कहा था कि जब यह खतम हो जाये उसके बाद आप लोग बोल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: मैं अध्यक्षीय व्यवस्था दे दूं उसके बाद में।

(अध्यक्ष)

अध्यक्षीय व्यवस्था

राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रति-[illegible]न के साथ स्पष्टीकारक ज्ञापन व राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखने में विलम्ब:-

कल दिनांक 7 मार्च, 1983 को सदन में सरकार की ओर से जब राजस्थान लोक सेवा आयोग का वर्ष 1979-80 व वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखा गया था उस समय विपक्ष के नेता, माननीय श्री भैरोंसिंह शेखावत ने निम्नांकित दो आपत्तियां उठाई थीं:-

(1) वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार द्वारा स्पष्टीकारक ज्ञापन दिया हुआ है, किन्तु वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन के साथ ऐसा कोई ज्ञापन नहीं, जो कि संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार आवश्यक है।

(2) राज्य सरकार का 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान लोक सेवा आयोग से प्राप्त हो चुका है किन्तु फिर भी अभी तक उसे सदन में क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया है ?

उपरोक्त आपत्तियों के संबन्ध में मेरी व्यवस्था इस प्रकार है :-

(1) संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) में यह व्यवस्था की गई है कि लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के साथ एक स्पष्टीकारक ज्ञापन भी दिया जावेगा, यदि किसी मामले में राज्य सरकार द्वारा आयोग की राय को स्वीकार नहीं किया गया हो और इस ज्ञापन में आयोग की राय को स्वीकार न करने के कारण भी अंकित किये जायेंगे। जैसा कि लोक सेवा आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन 1980-81 के पैरा 15 के अवलोकन से प्रकट होगा, आलोच्य वर्ष में ऐसा कोई मामला नहीं था जिसमें आयोग के परामर्श पर राज्य सरकार द्वारा अस्वीकृति दी गई हो। इन परिस्थितियों में संविधान की उपरोक्त धारा द्वारा वांछित स्पष्टीकारक ज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं है।

(2) जहां तक 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन को सदन की मेज पर रखने का प्रश्न है राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन अभी तक राज्य सरकार को प्राप्त ही नहीं हुआ है, अतः उसे सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

उपरोक्त परिस्थितियों में मैं विपक्ष के माननीय नेता द्वारा बताई गई आपत्तियों को निरस्त करता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन) : कल ही हो जाना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : मैंने निर्णय सुरक्षित रखा था। कानूनी पक्ष था।

व्यवस्था का प्रश्न

घना पक्षी विहार, भरतपुर में गोलीकाण्ड

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय सरकार द्वारा घना गोली काण्ड पर जो वक्तव्य दिया गया है उससे जो मुद्दे उठे थे वह अभी तक अनिर्णीत हैं। मैं उनको सर्वोपरि मानता हूं अलावा इन्क्वायरी के, जितना घना का क्षेत्रफल है उसमें से उतनी

(श्री राजबहादुर)

जमीन निकल सकती है जिससे 10 हजार मवेशी और 4 हजार परिवार का पालन हो सकेगा, इसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण आना चाहिए नहीं तो मैं हर रोज इस बात की याद दिलाता रहूं....

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य....

श्री राजबहादुर : और कोई मेरे पास रास्ता नहीं है। यह हाइएस्ट कोर्ट आफ अपील है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, आप वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ और सांसद हैं। आप इस सदन और संसद की सभी परम्पराओं से परिचित हैं। जब कोई वक्तव्य सरकार की ओर से दिलाया जाता है तो उसके पश्चात जहां तक सदन का प्रश्न है वह प्रकरण समाप्त हो जाता है। सरकार ने जो कहा है, उसके फालो अप में क्या करने जा रही है वह सदन के बाहर का प्रश्न होता है। इस प्रश्न पर सदन के बाहर भी कल विचार किया था, उस सम्बन्ध में जो कोई भी प्रशासनिक कदम, जज की नियुक्ति,आदि आदि सरकार उठाना चाहती है तो उसकी एक प्रक्रिया है। मैं समझता हूं कि इस तरह से इस प्रश्न को दुबारा सदन के अन्दर नहीं लाया जा सकता, जैसा कि मैंने पूर्व में ही माननीय सदस्यों को निवेदन किया था....

श्री यदुनाथसिंह (नदबई): अध्यक्ष महोदय, कल....

श्री अध्यक्ष: अब यह दुबारा चर्चा में नहीं आयेगा।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, सचेतक महोदय ने स्वयं कहा था कि मुख्य मंत्रीजी आकर सदन में कल इस बारे में कुछ घोषणा करेंगे।

श्री अध्यक्ष: यह सदन कोई जुडिशियल कोर्ट की तरह नहीं है कि एक केस सदन के समक्ष प्रस्तुत हो गया, उसमें पेशियां पड़ रही हैं और अब इस पर यह कार्यवाही होगी। माननीय सदस्य इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि यहां अल्पकाल के लिए कुछ मसले आते हैं। सदन में उसी दिन किसी न किसी रूप में, चाहे सदन अपना निर्णय मतदान के आधार पर दे, चाहे उस पर चर्चा करे उन प्रकरणों को समाप्त कर दिया जाता है। जब तक किसी प्रकरण के अन्दर ही अध्यक्ष द्वारा या सरकार द्वारा यह नहीं कहा जाय कि हम इस तरह की कार्यवाही करके या यह कदम उठा करके सदन को सूचित करेंगे अथवा सरकार कहे कि अध्यक्ष को सूचित करेंगे तब तक वह प्रश्न वापस नहीं आ सकता। मैं आपकी नाराजगी समझता हूं। मेरा माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन है कि इसमें समय की बचत करें....

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। अब इस पर चर्चा नहीं होगी। माननीय सदस्य, सदैव इस तरह के विवादास्पद विषय आते रहेंगे....

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। संसदीय नियमों में प्रणाली में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है....

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : यह सदन की भावनाओं का सवाल है ..

श्री अध्यक्ष : सदन की भावना लेने का भी, आप जानते हैं, एक रास्ता है। माननीय सदस्य, यह उचित तरीका नहीं है। आप कृपया ठंडे दिल और गहराई से विचार करें....

श्री राजबहादुर : पाइन्ट आफ आर्डर....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आसन पैरों पर है । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : मेरा निवेदन यह है, अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। आप बहुत उदारता से सारी व्यवस्थायें देते हैं, आपकी सारी व्यवस्था शिरोधार्य हैं....

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में शिकायत है तो अपनी जो कार्य पद्धति है, जो काम करने का तरीका है उसके अनुसार आप मुझे अलग से मिलें। यदि कोई शिकायत रह गयी है तो मैं यथा सम्भव कोशिश करूंगा।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर ।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। व्यवधान नहीं । कृपया बैठ जायं ।

(व्यवधान)

इस बात पर चर्चा नहीं होगी। आर्डर, आर्डर ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे नगर की बात है, सारा शहर जो है...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, प्रश्न आदि पर कोई विचार नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : यातायात मन्त्री यहां विराजे हुए हैं। पीने का पानी नहीं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस तरह से मांग नहीं आयेगी। आर्डर आर्डर। अंकित न हो।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : XXX

श्री अध्यक्ष : कृपया समय की बचत करें। आर्डर प्लीज। अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य कृपया बैठ जाय माननीय सदस्य, इस तरह से मांगने से न पानी मिल सकता है न..

(व्यवधान)

यातायात मन्त्री के बैठने से कुछ नहीं होगा।

विपक्ष के नेता महोदय, कृपया आप अपने गुड आफिसेस को काम में लें। यह कोई तरीका नहीं है।

श्री राजबहादुर : आन ए पाइंट आफ आर्डर । आपने जो व्यवस्था दी इस

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No.74

(श्री राजबहादुर)

सम्बन्ध में जो प्रश्न मैंने उठाया था उससे एक प्रश्न उठता है । यदि सीरियसली, गम्भीरता के साथ कोई घोषणा होती है तो..

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । मैंने इस सम्बन्ध में व्यवस्था दे दी । मैं उसको बदलने को तैयार नहीं हूं । माननीय सदस्य, कृपया इस सदन को चलने दें । माननीय सदस्य ।

श्री राजबहादुर : Is the matter closed for once and ever?

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

चम्बल सिंचित क्षेत्र विकास परियोजना बन्द करने की सम्भावना

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। सिंचित क्षेत्रीय विकास मन्त्री का ध्यान आकर्षण करेंगे, श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, श्री नाथूसिंह, श्री गुलाबचन्द कटारिया, श्री रघुवीरसिंह कौशल, श्री हीरालाल आर्य, श्री दाऊदयाल जोशी, श्री कमलेन्द्रसिंह ।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है काफी बड़ी संख्या में माननीय सदस्यों ने इस विषय के महत्व को समझते हुए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है, लेकिन मैं इस पर चर्चा के लिये आधे घन्टे का समय निश्चित करता हूं । कृपया जो बात पहले कह दी जाय उसको आप, माननीय सदस्य, न दोहरायें । जैसी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में व्यवस्था होती है, माननीय सदस्य, जिन्होंने यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है, संक्षेप में अपनी बात कहकर सम्बन्धित मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर दें ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री महोदय, इस चम्बल परियोजना को बन्द करने के विषय में जिस प्रकार की सम्भावना प्रकट की थी, मैंने जैसा प्रस्ताव पेश किया है, वह सम्भावना इस बजट के प्रारूप से प्रकट हो गई । मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वे गुण-अवगुण के आधार पर इस पर पूरा विचार करें और जो सरकार निर्णय ले रही है उस निर्णय को अविलम्ब स्थगित करें। 1960 में चम्बल का सारा काम पूरा हो गया । चम्बल की नहरें बन गई, सब कुछ हो गया । इसके बनने के बाद जो वाटर लोगिंग वहां हुआ, जो सीपेज हुआ, जो जमीन में खार उत्पन्न हो गई, जो फसल कम होने लगी इस कारण से 1974 में वहां सी० ए० डी० वर्क्स शुरू हुआ । 1974 से 1983 तक पहला फेज और 1983 के बाद दूसरे फेज का काम हुआ । विश्व बैंक ने इसमें अपना पूरा सपोर्ट, सहयोग करने का वायदा किया । वह लगातार इस वायदे को निभा रहा है । मैं माननीय मन्त्री महोदय से यही निवेदन करता हूं जो स्थिति बनी है 1974 से लेकर 83 तक, जो पहले चरण म काम हुआ, उस काम में 33 हजार हैक्टेयर भूमि में खेती सुधार का काम हो गया । यदि आप उस बात को देखेंगे, उसके जो परिणाम आये हैं उनको देखेंगे, तो प्रथम स्टेज में जो काम हुआ, उससे सिंचाई के पानी की उपलब्धता और उपयोगिता 33 प्रतिशत से बढ़कर 133 प्रतिशत हो गई, जस्ट इन्क्रीज ऑफ 400 पर्सेंट । मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा,

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

अगर आप आंकड़े देखें, 1974-75 में खरीफ की फसल 66, 861 एकड़ में पैदा हुई वह 1980-81 में बढ़कर 1,31,909 एकड़ में हुई। रबी की फसल 3,39,768 एकड़ में हुई थी वह बढ़कर 3,98,527 एकड़ में हुई। यही नहीं, माननीय मन्त्री महोदय, यदि आप ध्यान करें, प्रत्येक हैक्टेयर में जो पैडी की पैदावार थी वह भूमि सुधार करने के पहले, यानी सन् 1974 मे 2.4 मैट्रिक टन थी वह बढ़ कर 3.49 और 3.95 मैट्रिक टन प्रति हैक्टेयर हो गई ज्वार की पैदावार अगर देखें, तो जो 0.4 मैट्रिक टन प्रति हैक्टेयर थी, वह बढ़ कर 0.75 मैट्रिक टन प्रति हैक्टेयर, यानी नियरली दुगुनी हो गई। मैं, माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारी बातों को देखने के लिये अक्टूबर, 1981 में जो विश्व बैंक की टीम भ्रमण पर आई, उस विश्व बैंक की टीम ने अपना जो निर्णय दिया है, मूल्यांकन किया है, उस मूल्यांकन में स्पष्टतः कुछ बातों का उल्लेख किया है। सी. ए. डी. के प्रथम फेज के कार्य की दृष्टि से, उसने कहा कि खेती सुधार की दृष्टि से यह बड़ा कारगर कार्य है। उसने यह भी कहा है कि यह कार्य किया जाता रहना चाहिये। मूल्यांकन करते समय उन्होंने यह भी कहा है...

(1.16 म० प०)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

यह काम केवल चम्बल क्षेत्र में हुआ है, माफ कीजिये, किसी भी जगह ऐसा कार्य नहीं हुआ है। माननीय सभापति महोदया, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के कुछ अंश, तीन लाइनें पढ़ कर सुनाना चाहता हूं आपके सामने। वर्ल्ड बैंक ने कहा है—

"The World Bank Mission felt that D. F. D. works are very useful and have got to be continued The yields have also increased. The Mission conveyed that complete package of D.F.D. has only been implemented in the Chambal Command Area, whereas none of the projects in the country has been able to implement this type of work."

उसने अक्टूबर, 1980 में जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट का यह अंश है। विश्व बैंक की दूसरी टीम आई फरवरी, 1982 में जो पहली टीम ने मूल्यांकन किया था उसके बारे में उसने कहा है, यह मूल्यांकन बिल्कुल ठीक है। माननीय मन्त्री महोदय, आपको बताऊं, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात के जो इरिगेशन कमिश्नर हैं, वह कोटा के चम्बल कमाण्ड एरिया के डवलपमेंट को देखने के लिए कोटा आये। यूनिक है यह कोटा की भूमि हिन्दुस्तान की भूमि में। इस सी. ए. डी. योजना के कारण कृषि आधारित उद्योग बढ़े हैं, मण्डियां बनी हैं, व्यापारिक क्षेत्र बढ़े हैं। वाटर लौगिंग कम हुआ है, सीपेज कम हुआ है, पैदावार बढ़ी है। यह सारा नक्शा है वहां का। यह योजना 1983 से प्रारम्भ होने वाली थी एब्रप्टली इसको बन्द करने का निर्णय ले लिया था। मैंने एक पत्र वित्त मंत्री जी को

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

लिखा, जो दिल्ली में योजना आयोग के सामने विचार-विमर्श करके आये। आपका इन्टरव्यू पढ़ा उसको पढ़कर बड़ा आश्चर्य हुआ मैं तो विश्वास करता हूं, कोई कान्ट्रडिक्शन आपकी तरफ से नहीं आया है। उस पत्र में लिखा है, उन्होंने कहा, बन्द हो गई। कैसे बन्द हो गई ? हमने कार्य को चालू करवाया और चालू रखे हुए हैं। परन्तु जब बजट उठा कर देखा, 5 करोड़ रुपया चाहिये था इस एक वर्ष के लिए, 1.40 करोड़ रुपये का इस सारे बजट में प्रावधान किया गया है। यह प्रारूप रखा गया है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इतना कम प्रावधान क्यों है ? माननीय सभापति महोदया, 50 करोड़ की योजना प्रस्तावित थी पांच वर्ष के लिये। जो चम्बल कमान्ड क्षेत्र के दूसरे फेज का काम है उसके लिये 50 करोड़ में से 25 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार और 25 करोड़ रुपया राज्य सरकार का लगेगा। इस 25 करोड़ के खातिर आपने योजना बन्द कर दी तो भी नहरों के मेन्टेनेन्स रख-रखाव के लिये 10-12 करोड़ रुपया तो आपको लगाना ही होगा। 10-12 करोड़ रुपया तो लगने ही वाला है। 25 करोड़ केन्द्र सरकार देने वाली है, हम पर भार केवल 10-12-13 करोड़ का आता है, पांच वर्ष के अन्दर। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, अगर यह योजना बन्द हो गई, तो विकास कैसे होगा। मैं चाहता हूं, आप अभी वक्तव्य दें तो शायद इस बारे में कुछ कहेंगे। मैंने मुख्य मंत्री जी का एक वक्तव्य अखबारों में पढ़ा है। उन्होंने कहा है कि हम योजना बन्द नहीं करने जा रहे हैं ? तो फिर आप एनाउंस करें कि पांच करोड़ के बजाय 1.42 करोड़ ही क्यों दिया आपने ? क्या स्थिति बनी, मैं चाहता हूं, आप अपने वक्तव्य में घोषणा करें, नहीं, हम उन कार्यों को चालू रखे हुए हैं और लगातार वहां के विकास के लिये चालू रखे हुए हैं। मैं सभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, जिस योजना में केवल 10-12 करोड़ रुपया ~~अपना~~ लगने वाला है पांच वर्ष के अन्दर, उसमें आप केन्द्र से मिलने वाले 25 करोड़ रुपये क्यों गवां रहे हैं ? यह पैसा केन्द्र का भी नहीं है, विश्व बैंक जो सहयोग दे रहा है, फोर सी.ए.डी. वर्क्स ओनली, यह तो सी.ए.डी. में जो कार्य होगा उसका पैसा है। यह पैसा किसानों से 30 और 37 साल के बीच, इतनी लम्बी योजना अवधि में सात पर्सेन्ट ब्याज के हिसाब से वापस लिया जायेगा। कौन से कारण हो गये ? मैं कारण भी दो मिनट में बताने की कोशिश करूंगा बाद में किन्तु मैं पूछना चाहता हूं, मंत्री महोदय, यह जो सारा विकास का कार्यक्रम हो रहा है जिसमें राज्य सरकार को केवल 10-12 करोड़ लगाने हैं उस के कारण 25 करोड़ केन्द्र सरकार को मिलने वाला है जो विश्व बैंक से आने वाला है, जो किसानों की बहबूदी के लिये लगने वाला है, उस सबको समाप्त करने का आप ऐसा प्रयास क्यों कर रहे हैं? यह कारण किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। एक बहुत बड़ा प्रश्न वाचक चिन्ह सी.ए.डी. के बारे में सारे राजस्थान में बन गया है। सभापति महोदया, मैं राज्य सरकार से इसलिये कहना चाहता हूं ; कारण इसका यह हुआ है, कोटा जिले का क्षेत्र, जिसमें सी.ए.डी. के काम हो रहे हैं। राइट मेन केनाल पर है, और बून्दी जिले का क्षेत्र, जो आधा क्षेत्र है, उससे दुगुना कोटा जिले में है। जब

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

तक केशोरायपाटन से आने वाले माननीय सदस्य के क्षेत्र में सी. ए. डी. का काम होता रहा तब तक तो पहले फेज की योजना में कोई तकलीफ नहीं हुई अब शुरू हो गई। तालेड़ा, जो माननीय वित्त मंत्री जी का क्षेत्र है, में एक गांव अंथडा है उसमें कुछ बड़े किसान हैं जिन्होंने आज से कुछ वर्ष पूर्व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की जमीन को खरीद लिया। सभापति महोदया, जब सी. ए. डी. वर्क्स शुरू होते हैं, कैचमेंट होता है, भूमि सुधार होता है तो उस जमीन में जो फसल खड़ी है उसका मुआवजा दिया जाता है। अब मुआवजा दिया जायगा किसको? उसको, जिसके खाते जमीन बंधी हुई है। मुआवजा जायगा उन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को, इनको नहीं मिलेगा जिन्होंने जमीन खरीद ली है। ये बड़े किसान प्रभावित होंगे। कैचमेंट होने के बाद जो जमीन का बंटवारा होगा, उस जमीन के बंटवारे में, क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के में वह जमीन बंधी हुई है इसलिए उनके पास जमीन चली जायगी। इन वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के किसानों, बड़ी जमीन पर कब्जा किये हुए किसानों, अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों की भूमि पर काबिज किसानों में वित्त मंत्री जी इन्ट्रेस्टेड हैं। इसलिए उनको लाभ पहुंचाने की दृष्टि से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर कुठाराघात करने की दृष्टि से, इस अंथडा में आकर जब यह योजना शुरू हो गयी तब से पेट में तकलीफ हो गई, मरोड़ शुरू हो गया। माननीय सभापति महोदया, मैं इसलिए कहना चाहता हूं एक दूसरी बात और है। कुछ वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के किसान हैं जिन्होंने छोटे-छोटे खेतों में अपने पानी के मोगे ले लिये। सी. ए. डी. एरिया जब हो जाता है तो 600 बीघा पर एक मोगा मिलता है। इससे उनको मिलने वाले पानी की मात्रा कम हो जायेगी। गरीबों को तो पानी नहीं मिल रहा है, ये बड़े किसान ज्यादा पानी ले रहे हैं। लगातार वित्त मंत्री जी से सम्बन्ध स्थापित किये हुए हैं। इस कारण से स्थिति यह हो गई कि उनको लगता है अपना पानी जायगा और गरीबों में बंटेगा, उन पर कब्जा तभी हो सकता है जब कि सी. ए. डी. नहीं हो। सी. ए. डी. नहीं हो, हालांकि आधा क्षेत्र जरूर है, थोड़ा सा क्षेत्र जरूर है। दिल्ली के दरबार में जब मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी बैठे थे, मुख्य मंत्रीजी को पता ही नहीं है, सिंचित क्षेत्र के मंत्रीजी को पता ही नहीं है, वित्त मंत्रीजी ने एकदम घोषणा कर दी कि हम इस योजना को बन्द कर रहे हैं। मैं चाहता हूं, सिंचित क्षेत्र के मंत्री महोदय, आप इस पर गंभीरता से विचार करें, गंभीरता से विचार करने के पश्चात् इस प्रकार की स्थिति न बनायें कि जिसके कारण सारे क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो जाय।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जो 8 ओ. एफ. डी. क्षेत्र हैं, डिविजन्स हैं उनमें से जून में 6 समाप्त हो जायेंगे, दो रह जायेंगे। 7 जो सिंचाई के क्षेत्र हैं उनमें से 5 इस जून में चले जायेंगे, दो रह जायेंगे। 6 हजार लोग जो डेली वेजेज पर है उनकी नौकरी खतम हो जायगी, 2 हजार लोग जो परमानेन्ट हैं उनकी नौकरी जायेगी। जो साढ़े पांच सौ वर्क चार्ज कर्मचारी है उनकी नौकरी खतम हो

Page No.78

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

जायेगी। मैं, माननीय मंत्री महोदय, आपसे पूछना चाहता हूं, उदयपुर विश्वविद्यालय से निकलने वाले जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट छात्र हैं उनके लिये एक ही जगह है, इस प्रकार का काम कोटा क्षेत्र में हुआ है जिसमें उनको नौकरी पर लगाया जा सकता है। अब बेकारी बढ़ेगी, उनके लिए चान्सेज खतम हो जायेंगे और ये एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स बेकार हो जायेंगे, अनएम्पलायमेंट बढ़ेगा, लोग मारे मारे फिरेंगे। लोगों के जीवन में इस प्रकार का मौका नहीं आयेगा। केवल वेस्टेड इन्ट्रेस्ट, जो वित्त मंत्री महोदय के है, के कारण कोटा के विकास पर क्यों आंच आने देना चाहते हैं, क्यों इस प्रकार की स्थिति में डालना चाहते हैं ? पता नहीं कौनसा मुख्य मंत्री जी पर दबाव है? वित्त मंत्री महोदय ने हथियार चला दिये, एकदम तलवार चला दी, इसका परिणाम यह हुआ है कि इस प्रकार की स्थिति बन गई। सारे हाडौती क्षेत्र में इसका दुष्परिणाम हो रहा है। आवश्यकता यह थी कि इसमें जो गड़बड़ियां हैं, जो कमियां हैं उनको दूर किया जाता। जमीन का डिस्ट्रिब्यूशन करते समय अगर कुछ गल्तियां रही हैं, कुछ शिकायतें रही हैं तो उनका समाधान किया जाता परन्तु यह करना तो दूर रहा। जो इस प्रकार के ओवर हैड चार्जेज हैं, जो कि इस ओ.एफ.डी. के कारण आये हैं वे किसानों को बहुत अधिक लगते हैं। किसान पर डिपार्टमेंट का जो ओवर हैड चार्जेज हैं उनको कम करने की बात की जाती। कमियां दूर नहीं कीं, कमियों को दूर करने की बात नहीं है यहां तो सारी योजना को विदा कर दिया है। मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या बीकानेर में सी.ए.डी. वर्क्स खतम कर रहे हैं ? क्या राजस्थान केनाल पर सी.ए.डी. वर्क्स खतम कर रहे हैं ? नई नई योजना जो आ रही है, उस पर भी सी.ए.डी. की योजना चलाने का हमारा विचार है, तो फिर कोटा के साथ यह राजनैतिक पक्षपात राजनैतिक भेदभाव क्यों कर रहे हैं ? यह तलवार हमारी ही गर्दन पर क्यों चला रहे हैं ? किसानों की अगर कोई शिकायतें हैं, माननीय मंत्री महोदय, उनको दूर कीजिये। बहुत अच्छी योजना है, पानी के रिसाव को कम करने की योजना है, वाटर लौगिंग को कम करने की योजना है, फसल को बढ़ाने की योजना है, एम्पलायमेंट देने की योजना है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स जो आने वाले हैं उनको राहत देने की योजना है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही कहना चाहता हूं, अपना जो वक्तव्य दें, वित मंत्री जी ने जो गुलोटिन कर दिया उससे प्रभावित न हों, वह तलवार चलाने की कोशिश न करें। उन्होंने राजनैतिक दृष्टिकोण अपनाया है, राजनैतिक खेल खेलने का उनका एक स्वभाव बन गया है। वे वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोगों के कारण ऐसा कर रहे हैं। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं, आप वक्तव्य में घोषणा करें कि पांच का पांच करोड़ रुपया देंगे, पैसा कम नहीं करेंगे, पूरा पैसा मिले। प्रारूप में इस प्रकार का का बदल करेंगे। आने वाली जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को नहीं आने देंगे। यही शब्द कहते हुए मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री नाथूसिंह ।

कृपया आप 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें । माननीय सदस्य ने जो कहा है उसको रिपीट नहीं करें।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : रिपीट नहीं करूंगा, साहब. बिलकुल नई बात कहूंगा ।

सभापति महोदया, सी. ए डी. योजना जैसा माननीय सदस्य ने बताया, चम्बल कमान्ड क्षेत्र के विकास के लिए शुरू की गई थी। वहां पर सर्वे हुआ । सर्वे 1974-75 में हुआ 1975-76 में दूसरा सर्वे हुआ। दोनों सर्वे की रिपोर्ट विश्व बैंक ने दीं। उस रिपोर्ट में जब इस योजना को शुरू किया गया था उसके पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है, इन दोनों का वर्ल्ड बैंक ने कम्पेरिजन किया है । उसने सोशल इकानामिक स्टडी वहां के रहने वाले लोगों की की है। मैं आंकड़ों में तो नहीं जाना चाहूंगा लेकिन यह कहना चाहता हूं उसने अगर कहीं लिट्रेसी के बारे में सर्वे किया तो रिपोर्ट में कहा है, लिट्रेसी में वृद्धि हुई। रिपोर्ट में यह भी कहा, वहां के लोगों के रहने के स्टेण्डर्ड में वृद्धि हुई, उनकी इकानामिक कन्डीशन में सुधार आया, प्रोडक्शन में सुधार आया और इस तरह के कई लाभ मिले । सभापति महोदय, मुझे पता चला है जो प्लानिंग कमीशन की मीटिंग हुई थी उसमें माननीय वित्त मन्त्री जी गये, मुख्य मन्त्री जी गये ।

सभापति महोदय, वहां पर स्टेट की तरफ से मुख्य मंत्री जी वक्ता होते हैं, स्पोक्समेन होते । लेकिन वह तो चुप रहे और वित्त मंत्रीजी वहां बोले । उन्होंने यह कहा, सी.ए.डी. योजना की हमारे यहां कोई उपयोगिता नहीं है इसलिए इसको ड्राप कर दिया जाय । सभापति महोदय, सौ करोड़ का पहला फेज पूरा हो गया । दूसरे फेज का प्लान 15 करोड़ रुपये का रखा था लेकिन जोड़ बाकी निकाल कर इन्होंने 50 करोड़ का रख दिया । मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा, आंकड़ों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, लेकिन मैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, क्या आपको इस योजना सी ए. डी. प्रोजेक्ट को बन्द करने की जानकारी थी ? इनसे पूछा गया कि इसको क्यों बन्द किया जा रहा है, क्यों बन्द किया गया ? सभापति महोदय, हुआ यह कि जिला परिषद की मीटिंग में माननीय बृज सुन्दर जी गये थे। वहां उन्होंने अधिकारियों को सीधे ही आदेश दे दिया कि बूंदी एरिया के अन्दर इस योजना को स्थगित कर दिया जाय । किस अधिकार से उन्होंने आदेश दिया है, मैं यह जानना चाहता हूं ? सभापति महोदय, उन्होंने यह भी लिया बताया कि इसमें तो बहुत भ्रष्टाचार है । यह बात सही है कि इरिगेशन डिपार्टमेन्ट में, दूसरे डिपार्टमेन्ट के जितने भ्रष्ट आफिसर्स हैं, उनको वहां भेजा जा रहा है, उस योजना की इति श्री करने के लिए। लेकिन इस सरकार के चलते हुए भ्रष्टाचार कहां नहीं है, किस जगह नहीं है? अगर यही आधार माना जाये, इस योजना को समाप्त करने का, तो पहले भ्रष्टाचार को रोकिये। इस पूरी सी.ए.डी. योजनाको आप समाप्त करना चाहते हैं केवल भ्रष्टाचार का सहारा लेकर तो यह उचित नहीं है । मैं जानना चाहूंगा कि यह आदेश क्यों दिया ? सभापति महोदय, इन्होंने बताया, अभी यह भी पता चला कि साहब, इसको वर्ल्ड बैंक जो इसके पास पत्र ....

(श्री नाथूसिंह)

(व्यवधान)

अब यह कहेंगे पता नहीं। स्थिति बड़ी विचित्र हो रही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी से जब जयपुर के पत्रकारों ने पूछा कि क्या इस योजना को आप बन्द कर रहे हैं तो उन्होंने कहा है कि नहीं नहीं इसको हम बन्द नहीं कर रहे हैं, ओ. एफ. डी. प्रोग्राम को बन्द कर रहे हैं। कोटा में जाकर भी उन्होंने कहा कि हम इस प्रोग्राम को गतिशील बना रहे हैं। तो सिचुएशन क्या है, आज स्थिति क्या है इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। इतनी इम्पार्टेंट योजना है- वैसे तो पता चला है कि इसको बन्द कर दिया गया है। फाइनेन्स डिपार्ट- और प्लानिंग कमीशन से आपके पास पत्र आया है कि इसको बन्द कर दिया गया, वह पत्र कब आया है ? मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या प्लानिंग कमीशन और फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट से राज्य सरकार को कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? योजना बन्द करने सम्बन्धी यदि कोई पत्र प्राप्त हुआ है तो राज्य सरकार को कब मिला ? आपने फर्स्ट टाइम उन पत्रों को कब देखा ? कब आपको उनकी जानकारी हुई ?

श्री सभापति : आपकी जानकारी में कोई नये तथ्य हों तो बताइये। प्रश्न आप स्पष्टीकरण के समय पूछियेगा या कि अभी पूछना चाहते हैं। माननीय सदस्य, अब शीघ्र समाप्त करें। कोई नयी जानकारी है तो दे दें।

श्री नाथूसिंह : वही मैं बता रहा हूं। ऐसा पत्र है तो बता दीजिए। सभापति महोदया, प्रश्न ही पूछ रहा हूं। ऐसा है, सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि उनका वक्तव्य आयेगा, इसलिये मैं चाहता हूं प्रश्न भी साथ-साथ कर लूं ताकि उनका जवाब वह दे दें।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, हुआ यह, वास्तविक स्थिति यह है कि जो सी. ए. डी. प्रोग्राम था, वास्तव में बृजसुन्दर जी प्रारम्भ से ही उसके विरुद्ध थे। इस योजना के बन्द होने का और कोई रीजन नहीं है। वास्तविक स्थिति यह है कि वे 1972 से ही इसका विरोध कर रहे हैं। इसका कारण यह था कि 1972 के बाद जब माननीय हरिदेव जी मुख्य मंत्री बने तो उनको हरिदेव जी का विरोध करना था। उन्होंने इनको टिकट नहीं देने दिया तो उनका विरोध कैसे किया जाय इसका इनडायरेक्ट एक तरीका निकाला कि इस ओ एफ.डी प्रोग्राम का विरोध करो। इन्होंने इस ओ. एफ. डी प्रोग्राम का विरोध किया। पहाड़िया जी आये उनका भी इन्होंने विरोध किया। तब भी ये विरोध करते आये। जब स्वयं मन्त्री बन गये तो किसानों ने कहा कि अब बोलो, अब क्या कहते हो। अब यह बाध्य हो गये। तो ओ. एफ. डी. प्रोग्राम को बन्द करने के लिए उन्होंने यह नाटक रचा और कहा कि इसको बन्द कर दिया जाय। इस योजना के कारण वर्ल्ड बैंक का पैसा यहां यूज होता है; सड़कों का, निर्माण होता है, खेत अच्छे बनते हैं, खेतों का काण्ड का सुधार होता है, फसल बढ़ती है, खेतों की इन्टेन्सिटी बढ़ती है। सभापति महोदया, इस योजना को समाप्त करने के पीछे एक भी ऐसा रीजनेबल कारण नहीं है जिसके कारण इसको बन्द कर दिया जाय। इस योजना को देखकर पूरे देश में, चाहे गुजरात हो या दूसरे स्टेट हों, सब जगह इस

(श्री नाथूसिंह)

प्रकार की योजना को लागू किया गया। आज बाहर के लोग तो इसे लागू कर रहे हैं, दूसरे स्टेट तो लागू कर रहे हैं और आप इसको समाप्त करने जा रहे हैं। क्या आधार था इसको बन्द करने का? सभापति महोदया, एक और निवेदन करना चाहता हूं। यह इतना बड़ा प्रोजेक्ट था इसको बन्द करना था तो आपको चाहिए था कि केबिनेट में प्रस्ताव लाते, केबिनेट में डिस्कस करते। लेकिन इसको केबिनेट में डिस्कस नहीं किया गया। केबिनेट में नहीं बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा कि सदन में इस विषय को लाते और सदन की सहमति लेते कि 50 करोड़ के इतने बड़े प्रोजेक्ट को समाप्त करने जा रहे हैं, बन्द करने जा रहे हैं। सभापति महोदया, होना यह चाहिए था केबिनेट में इस विषय को लाते, उसके बाद हाउस में लाते, सदन में लाते, सदन की स्वीकृति प्राप्त करते, रीजन्स देते कि हम इसको इसलिये बन्द करने जा रहे है। लेकिन केवल बृजसुन्दर जी की पुरानी हठधर्मिता के कारण इसको बन्द कर दिया। हठधर्मिता भी ऐसी नहीं है, जैसा माननीय सदस्य ने बताया इसको मैं विस्तार से कहना चाहता हूं कि वहां पर एस० सी० और एस० टी० के लोगों की जमीन जो थी ..

श्री सभापति : रिपीट नहीं करें ।

श्री नाथूसिंह : मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। मैं दूसरी बात बता रहा हूं। रिपीट नहीं कर रहा हूं ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने काफी समय ले लिया । अब समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : बस एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं ।

इतना इम्पोर्टेन्ट मामला है । ऐसा नहीं था कि आप केवल एस०सी० और एस०टी० की जमीन का मुआवजा देना चाहते थे, सवाल यह था कि उस जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई। रजिस्ट्री एस. सी. और एस. टी. के लोगों की जमीन की हो नहीं सकती इसलिए खातेबन्दी उनके नाम हुई नहीं जिन्होंने जमीन खरीदी। तो वह जमीन उनके नीचे से चली जाती। वहां ओ०एफ० डी० का प्रोग्राम चालू हो जाता तो वह जमीन एस०टी० और एस०सी० किसानों के हाथों में चली जाती इसलिए बृजसुन्दरजी इस योजना की इति श्री करने की ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिए ।

श्री नाथूसिंह : मैं समाप्त कर रहा हूं। सभापति महोदया, मैं यह जानना चाहूंगा माननीय मन्त्री महोदय से कि

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप कुछ नहीं जानना चाहेंगे। अब आप स्पष्टीकरण के समय जान लें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह : फिर आप मुझे परमिशन दे दीजिए बोलने की....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप उस वक्त कोई डायरेक्ट स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ लीजिएगा। माननीय श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : सभापति महोदय, यह प्रश्न मेरे उदयपुर के

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

विश्वविद्यालय में 22 तारीख से चल रही हड़ताल से सम्बन्धित है। मैंने इससे पहले भी इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव दिया था कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कालेज, उदयपुर का........

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह सी० ए० डी० का है ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हां, वह इसी में । इसी सी० ए० डी० से सम्बन्धित है। उन की मांग भी यही है।

सभापति महोदया, 22 तारीख से वह छात्र हड़ताल पर चल रहे हैं, कालेज बन्द है। विश्वविद्यालय पिछली 26 तारीख से इसी कारण बन्द रहा है और पिछले 5 दिन से जिलाधीश कार्यालय के सामने अनशन चल रहा है। मैं, श्रीमान, आपके माध्यम से इस सदन से यह जानकारी चाहता हूं कि क्या इस योजना को बन्द करने का कारण विश्व बैंक से हमको पैसा नहीं मिलना था ? पैसा नहीं मिल रहा था इस कारण से यह योजना बन्द की ? या योजना आयोग ने अपने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया ? सभापति महोदया, मेरा निवेदन है, यह दोनों ही कारण न होकर कारण यह था, 12 जनवरी के दिन दिल्ली में जब योजना आयोग की मीटिंग हुई थी, उसमें हमारी तरफ से हमारे वित्त मंत्री ने चलाकर इस बात को कहा कि हम इस योजना को बन्द करना चाहते हैं और हमारे मुख्य मंत्री ने मौन बैठे रह कर इस योजना को बन्द कर दिया। इस योजना के बन्द हो जाने पर योजना के मन्त्री, स्वयं ने आश्चर्य प्रकट किया कि यहां आप कैसे क्या कह रहे हो ? मैं उनके वर्डिंग्स आप चाहें तो पढ़कर सुनाना चाहता हूं । जिस तरह का इन्होंने प्रस्ताव रखा है उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया है। 1983-84 की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप देने के लिए गत माह दिल्ली में हुई बैठक में जब इस योजना पर विचार प्रारम्भ किया तो वृज सुन्दर शर्मा बीच में ही बोल उठे कि राज्य सरकार इस योजना को वापस ले रही है, यह सुनकर केन्द्रीय योजना मन्त्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री एस० बी० चौहान भौंचक्के रह गये । अचानक इस उपयोगी योजना को क्यों त्यागना चाहते हैं ? क्या कारण था, किस कारण से इस योजना को बन्द किया गया ? उसके बाद भी सब लोगों को गुमराह रखा । इसका पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ । 11 फरवरी के दिन जब यह इतवारी पत्रिका में प्रकाशित हो गया उसके दूसरे दिन 12 फरवरी को पत्रकारों ने जब मुख्य मन्त्री से पूछा कि क्या आप सी०ए०डी० को समाप्त कर रहे हैं, तो हमारे मुख्य मंत्री ने ना किया, मैंने कोई सी०ए०डी० को समाप्त नहीं किया। उस समाचार का खण्डन किया, रेडियो से इस बात को ब्राडकास्ट किया कि सी०ए०डी० को हम समाप्त करके नहीं आये हैं। उसके बाद 27 जनवरी, 22 जनवरी के पत्र राज्य सरकार को प्राप्त हो गये उनका सी०ए०डी० मन्त्री, स्वयं को पता नहीं था। सी०ए०डी० मंत्री राजस्थान पत्रिका के संवाददाता को अपनी मजबूरी जाहिर की कि मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। यह नहीं हो सकता कि योजना समाप्त हो जाय। उसके बाद जब जाकर उन्होंने देखा कि पत्र आये हुए पड़े थे कि सी०ए०डी० समाप्त हो गयी। सभापति महोदया, उसके कारण से जो विद्यार्थी 75 से 85 और 90 प्रतिशत अंक प्राप्त करके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिये प्रवेश ले रहे हैं, अपने मां-बाप का इतना पैसा खराब

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

करके यह सोच रहे हैं कि हमको शायद कहीं जोब मिलेगा, ऐसे 26 इंजीनियर लोग उदयपुर से निकले हैं, आज इस सी.ए.डी. प्रोग्राम कोटा के अन्दर कार्य करते हैं, उनकी जिन्दगी का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा ? वह लोग कहां जायेंगे ? जो लोग इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं उनका कहां स्थान होगा ? राजस्थान में एग्रीकल्चर पोटेंशियलिटी होते हुए भी हम उनको जोब नहीं दे सकेंगे। वे लोग बेकार मारे मारे फिरेंगे। पिछले साल जो विद्यार्थी निकले वे आज भी मारे मारे फिर रहे हैं। इसलिए वहां के विद्यार्थियों ने इस बात को लेकर हड़ताल की है कि हमारी वह मांग जेनुइन है, सी.ए.डी.प्रोग्राम को समाप्त करके आप हमारे भविष्य को अन्धकार में क्यों डाल रहे हो। या तो आप सी ए डी. प्रोग्राम समाप्त करने के पहले कालेज को यहां बन्द करो ताकि कोई भी गरीब मां-बाप अपने बच्चों का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रवेश नहीं कराये। इतना पैसा खर्च करने के बाद गरीब बच्चा सड़क पर निकल करके मारा-मारा फिरे। वे सामान्य विद्यार्थी नहीं हैं, 75 से लेकर 90 प्रतिशत अंक लाने वाले विद्यार्थियों ने वहां प्रवेश लिया है। वहां से इन्जीनियरिंग पास करने के बाद उनके भविष्य पर आपने यह प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उसके कारण उदयपुर सुलग रहा है। आपने आश्वासन दिया था, मंत्रीजी, मुख्य मंत्री जी से वे मिल कर गये हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्हें आश्वासन दिया गया कि हम इसका रास्ता निकालेंगे। क्या रास्ता निकाल रहे हो ? जब आपने सारी स्कीम विथड्रा कर ली तो उनको गुमराह क्यों कर रहे हो ? जो भी बात थी उसको स्पष्ट करते। चाहिये तो यह था कि समय रहते आप स्थिति को स्पष्ट करते। आपने सारे राजस्थान को अन्धेरे में रखा। वहां केवल इन्जीनियर ही बेकार नहीं होंगे, लगभग आठ दस हजार लोग, जो जोब पर लगे हुए हैं वहां से मुक्त हो जायेंगे। वह कहां जाकर रहेंगे ? इस तरह से हम जोब ओरियेंटेड करने के बजाय जो भी काम पर लगे हुए हैं उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं, वह भी केवल किसी व्यक्ति के नाराज होने की बात पर। इसका मतलब यह नहीं है, हम किसी मंत्री को यह आजादी नहीं दे सकते कि वह हमारी योजना को अपने मन से चाहे तो विथड्रा कर ले। पहले ही जा कर के बूंदी में मीटिंग में कह आए कि कल से काम बन्द करो। काम बन्द करा दिया। हमारे मंत्री को पता ही नहीं कि मैं किस विभाग का मंत्री हूं। यह कैसी आश्चर्यजनक बात है। मैं चाहूंगा कि आप तुरन्त इस पर निर्णय करें। नहीं तो वह विद्यार्थी, जिनके जीवन के सामने बहुत बड़ा अन्धकार खड़ा हो गया है, इस उदयपुर में शांति और अमन-चैन के लिये खतरा बन कर खड़े हो जायेंगे। आप समय रहते फिर से विचार करके, किसी दबाव में न आ करके, किसी मंत्री के दबाव में न आकर निर्णय करें और कहें कि ऐसा नहीं होगा। जब आपको योजना आयोग पैसा देने को तैयार है, वर्ल्ड बैंक पैसा देने को तैयार है तो आप यह योजना बन्द क्यों करना चाहते हो ? यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

माननीय रघुवीर सिंह।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : माननीय सभानेत्री महोदया, "सिंचित क्षेत्र

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

विकास कार्यक्रम" यह कोई राजस्थान का कार्यक्रम नहीं है, यह एक अखिल भारतीय कार्यक्रम है जिसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सैल बनाया हुआ है। समय-समय पर इस कार्यक्रम का मूल्यांकन होता है और उस पर पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं। उस मूल्यांकन के आधार पर यह निश्चय किया गया कि सिंचित क्षेत्र विकास की जो योजनायें हैं वह चालू रखी जायें। समूचे देश में जितनी भी विशेष योजनायें चल रही हैं सिंचित क्षेत्र विकास के कार्यक्रम के अन्तर्गत, सभापति महोदया, उसके बारे में यह रिपोर्ट है कि चम्बल क्षेत्र में जो विकास योजना चल रही है वह सर्वोत्तम है। विश्व बैंक के अधिकारियों के सामने भी आपने कमेंट किये हैं। उसमें आपने कहा है कि खेती....।

(1-43 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई अध्यक्ष पदासीन)

सुधार कार्य का सम्पूर्ण क्रियान्वयन केवल मात्र चम्बल सिंचित क्षेत्र में ही हुआ है और देश के किसी भी अन्य भाग में इस प्रकार का कार्य पूरा नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : पिछले वर्ष दाऊदयालजी की राय कुछ और थी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : उस राय के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चम्बल सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम में कुछ कमियां हैं जो मैं आपको क्लियर कर दूं। अध्यक्ष महोदय, सिर दर्द का इलाज सिर काटना तो नहीं है इसलिए जो कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जा सकता है। चम्बल विकास आयुक्त ने एक परिपत्र जारी करके सारे जन प्रतिनिधियों को सूचित किया है कि इस कार्यक्रम की कमियों को दूर करने के बारे में आप हमको सुझाव दीजिए। जन प्रतिनिधियों की कमेटी बनी है जिसके द्वारा उन कमियों को दूर किया जा रहा है लेकिन हमारे वित्त मंत्री महोदय सिर दर्द का इलाज सिर काटने से कर रहे हैं। मंत्री महोदय, आज यहां आने की हिम्मत नहीं कर सकते, अध्यक्ष महोदय, क्योंकि वह इस अच्छी योजना के हत्यारे हैं। वह हमको फेस नहीं कर सकते इस हाउस को फेस नहीं कर सकते इसलिए आज वे सदन से गायब हैं। अध्यक्ष महोदय, अब आपने बीच में छेड़ दिया है तो मैं कहता हूं कि यह केबिनेट का अन्तः कलह है जिसने हमारा सत्यानाश कर दिया। भूतपूर्व वित्त मंत्री महोदय को नीचा दिखाने के लिए वर्तमान वित्त मंत्री ने यह सारा षड़यंत्र रचा जिसके हम शिकार हुए हैं। सी.ए.डी. मिनिस्टर को मालूम नहीं, सी.ए.डी. मिनिस्टर कहते हैं कि मुझको मालूम नहीं है। वित्त मन्त्री इस योजना की हत्या कर मुख्य मन्त्री के साथ आज लग रहे हैं इसलिए हमारी हत्या हुई है। इसके पीछे एक षड़यन्त्र है। षड़यन्त्र यह है, अध्यक्ष महोदय, उनके वेस्टेड इन्ट्रेस्ट है। हमारे वित्त मन्त्री को खेती से कोई मतलब नहीं है। उनके खेतों को पानी पिलाने के लिए ए.ई. एन. और एक्स. ई. एन. नियुक्त हैं। चम्बल का विकास आयुक्त हताश हो कर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। उनके बीज की व्यवस्था करने के लिए डिप्टी एग्रीकल्चर आफिसर है जो बीज की व्यवस्था करता है, उनकी खेती को देखता

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

है। उनका छोटे किसानों से कोई सम्बन्ध नहीं है। उनके पास कोई गरीब किसान नहीं आ सकता। उनके पास तो बड़े किसान आ सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मोटा उदाहरण दे देता हूं। अन्थड़ा गांव, जो उनका सबसे प्रिय गांव है, में पिछले महीने में दो सौ केस नहर काटने के आये। दो सौ इसका प्रमाण है कि कोर्ट में उनका चालान हुआ है। एक गांव के दो सौ केस हुए हैं नहर काटने के। जब कि ओ. एफ. डी. हो जाता है तो नहर नहीं कट सकती। उनकी जमीनों के बारे में मैं रिपोर्ट नहीं करना चाहता। जिनकी जमीनें सीलिंग में है उनको पजेशन दे दिया जाएगा। जो है, यह काटने की बात ऐसी है कि वहां के बड़े किसान उसका लाभ उठाते हैं।

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे है माननीय सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल पीछे की भूमिका आपको बताना चाह रहा हूं, ताकि आप उस क्षेत्र के किसानों के बारे में समझें, उन्हीं गांवों, जो इनके प्रिय गांव हैं में फफूंदी........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सी. ए. डी. पर आइये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय अध्यक्ष महोदय, सी.ए.डी पर ही आ रहा हूं। मैं आपको भूमिका बता रहा हूं कि इसके पीछे षड़यन्त्र क्या है। जिन गांवों में पटवारी सिंचाई की वसूली करने के लिए गए उनकी पिटाई हुई है। सारे पटवारी हड़ताल पर बैठे हैं। यह तो उनकी भूमिका है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछता हूं कि यह योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? क्या उस उद्देश्य के मूल्यांकन में यह योजना सफल सिद्ध नहीं हुई? क्या वाटर इन्टेंसिटी नहीं बढ़ी? क्या प्रोडक्शन नहीं बढ़ा? विश्व बैंक की रिपोर्ट हमारे पक्ष में है, योजना आयोग की रिपोर्ट इस योजना के पक्ष में हैं सैक्रेटेरियट में जो मीटिंग होती हैं विकास आयुक्तों के साथ उनकी सारी कार्यवाही इसके पक्ष में हैं, देश और विदेश के जितने विशेषज्ञ आये है सारे विशेषज्ञों ने एक स्वर में सर्वोत्तम योजना चम्बल सिंचित क्षेत्र विकास की बतायी है। फिर कौन सी ऐसी स्थिति आ गई, कौनसा ऐसा कारण हो गया, अध्यक्ष महोदय, उस योजना को समाप्त किया गया? एक और उदाहरण आप देखिये। 12 जनवरी को वित्त मन्त्री ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष की उपस्थिति में, योजना को समाप्त करने का निर्णय लिया। यह योजना बन्द नहीं की गई। हमने 12 फरवरी को रेडियो पर सुना। 12 फरवरी को आल इंडिया रेडियो पर समाचार आया कि यह योजना समाप्त नहीं की गई। अध्यक्ष महोदय, योजना आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें लिखा है यह बंद कर दी गई इसमें स्पष्ट लिखा है :

"Moreover, both the Chief Minister and Finance Minister of Rajasthan indicated that they were not quite satisfied about the benefits derived from the project. In view of the firm opinion expressed by the

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

Chief Minister and Finance Minister as well as the Chief Secretary of Rajasthan which has been endorsed by the Union Planning Minister also, it has been decided to drop this project entirely from our pipeline of the projects for World Bank."

अध्यक्ष महोदय, यह योजना बन्द कर दी गई और मुख्य मन्त्री कहते हैं कि बन्द नहीं की गई है। मैं कहता हूं कि यदि इसको आप राजनीतिक दृष्टि से भी लें तो भी कोटा के जिला प्रमुख ने कहा है कि यह योजना यहां के लिए लाभकारी है। वहां के सम्बन्धित मन्त्री, जन प्रतिनिधि सब यही कहते हैं कि यह योजना लाभकारी है। क्या है? अध्यक्ष महोदय, इस योजना में ओ एफ डी. कार्यक्रम ही नहीं है। ओ. एफ. डी. के लिए, मैं कहता हूं, यदि इसकी कमियां दूर कर दी जायें तो इससे अच्छा कोई प्रोग्राम है ही नहीं। हमारे खेतों में पानी भर गया, खेत बेकार पड़े रह गये, जहां-जहां ओ. एफ. डी वर्क्स हुए हैं वहां वहां उन खेतों की

श्री अध्यक्ष : वैसे यह योजना मेरी देखी हुई है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या मैं बैठ जाऊं?

श्री अध्यक्ष : मैंने केवल यह कहा कि यह योजना मेरी देखी हुई है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आपने देखी है और मैंने क्रियान्वित होते हुए देखी है। उन खेतों को जाकर देखा है। मैं वर्ल्ड बैंक की टीम के साथ गया हूं। मैंने उसकी कमियों को चम्बल विकास आयुक्त के सामने रखा है, अपने सुझाव रखे हैं। मैं उस क्षेत्र से आता हूं मुझे पता है इस योजना में जो कमियां हैं उनका विरोध किसान जरूर करते हैं। अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह एक कड़वी दवा है जो फ्यूचर को दृष्टिगत रखते हुए हमको पीनी पड़ेगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करता हूं, सी. ए. डी. मिनिस्टर साहब, अन्तःकलह से आपकी भले ही नहीं बनती हो लेकिन इतनी बड़ी जिस विकास योजना की हत्या की जा रही है, उसका श्रेय आप न लें। हमारा तो असल का कम असल और कम असल का असल हो रहा है। हमारा प्रतिनिधि हमारी हत्या करने पर उतारू है। हम आपसे चाहते हैं कि आप संबंधित मंत्री हैं आप इस विषय को केबिनेट में लाइये। कैसे निर्णय लिया गया बिना केबिनेट के निर्णय के? इतनी बड़ी योजना, जिसके लिए देश-विदेश के आदमी सर्वोत्तम योजना का नाम ले रहे हैं, को समाप्त किया जा रहा है।

मान्यवर अध्यक्ष महोदय, जो एक करोड़ चालीस लाख रुपया रखा है उसमें से एक करोड़ 25 लाख रुपया तो एस्टेब्लिशमेंट में पर ही खतम हो जाएगा। फिर क्या फायदा होगा इन योजनाओं का? अध्यक्ष महोदय, यदि आप हमारे क्षेत्र में पधारें तो मैं आपको वह खेत बताऊंगा जिन खेतों पर कुछ नहीं होता। फिर प्रोडक्शन के आंकड़े देखिये। मैं रिपीट नहीं करना चाहता कि प्रोडक्शन कितना बढ़ा है। अभी सी. ए. डी. मंत्रीजी

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

ने मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि 133 पर्सेंट वाटर इन्टेंसिटी हो गई है। तो मुझे यह उत्तर दे दीजिये, यह योजना किसलिये शुरू की गई थी। क्या इस योजना की कोई उपलब्धि नहीं है? यदि है तो क्या आपने उपलब्धि को समाप्त करने के लिए यह योजना समाप्त की है? अध्यक्ष महोदय, मैं किसान हूं। वहां की जो मिट्टी टैस्ट हुई है उसकी पी, एच. वेल्यू टेन तक जा पहुंची है। आठ तक आवे ही खतरे की घण्टी हो जाती है, जल रिसाव के कारण हमारी भूमि क्षरित होती जा रही है, लवणीय होती जा रही है। उसकी पैदावार निरन्तर गिरती जा रही है। यह ओ.एफ.डी. हमारी जमीन को बचा नहीं पायगा। दस साल के बाद सारी जमीन नष्ट हो जायगी, वह क्षेत्र बरबाद हो जायेगा। आप तो पंजाब होकर आये हैं। पंजाब में जल-रिसाव की क्या प्रॉब्लम है, खेत समाप्त हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, एक व्यक्ति के वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के कारण चम्बल के विकास की योजना, जिससे आज वहां का किसान फलीभूत हो रहा है, जिससे उनका उत्पादन बढ़ रहा है, जिससे वहां सड़कें बन रही हैं, जिसमें नाना प्रकार के विकास के कार्य हो रहे हैं उन सब कामों को समाप्त करने की योजना का जो षड्यंत्र रचा गया है, सी.ए.डी. मन्त्री महोदय, मैं आप से निवेदन करूंगा, आप इस षड्यंत्र को असफल करें।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य। संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप में।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले की एक मात्र विकास परियोजना श्री सी.ए.डी. जो सन् 1974 में प्रारम्भ हुई थी उसके प्रारम्भ होने से उस क्षेत्र का जिस तरह का विकास हुआ वह अपने आप में अजीब ही है। उस इलाके की जनता को इस योजना के प्रारम्भ होने से बड़ी राहत मिली है। इस परियोजना के माध्यम से उस इलाके में सिंचाई....

श्री अध्यक्ष : यह सभी तथ्य आ गये हैं। नयी बातें हों तो कहें। समय काफी हो गया।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं संक्षेप में कि यह परियोजना सिंचाई का काम करती है ड्रेनेज बनाने का काम करती है। इससे किसानों के ऊसर खेत थे वह ठीक हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : खेतों को ठीक करने के लिये ही है।

श्री हीरालाल आर्य : उत्पादन बढ़ा है। भूमि सुधार का काम भी यह कर रही है। इसमे उस इलाके में अच्छी तरह से सिंचाई होने लगी है। यह परियोजना सड़कें बनाने का काम भी करती है। अध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा, इस परियोजना के लागू होने से पहले मेरे पूरे क्षेत्र में एक भी सड़क डामर की नहीं थी लेकिन इस परियोजना के आने के बाद उस इलाके में सड़कों का जाल बिछ गया है जिससे लोगों को राहत मिली है। विस्तार कार्य करने से कृषि के क्षेत्र में उन्नति हुई

(श्री हीरालाल आर्य)

है, कृषि उत्पादन बढ़ा है। इस अच्छी परियोजना की सभी लोगों ने बड़ाई की है। देश-विदेश के जितने भी लोग आये हैं उन्होंने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश व गुजरात के लोगों ने भी इस परियोजना से सीख कर अपने यहां पर इस तरह की परियोजना प्रारम्भ करने का प्रयत्न किया है। विश्व बैंक की टीम, जो समय-समय पर इस परियोजना का अवलोकन करने आई है, ने भी इस परियोजना की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। भारतीय कृषि वित्त निगम, जो ...

श्री अध्यक्ष : यह सभी बातें, माननीय सदस्य, आ गई हैं।

श्री हीरालाल आर्य: अध्यक्ष महोदय, इस परियोजना की उन्होंने भी बड़ाई की है। इतनी अच्छी परियोजना, जिसको देश विदेश में प्रशंसा मिली, जिसमें विकास कार्य हुए हैं, जिससे लोगों का जीवन-स्तर बढ़े, लोगों को काम मिले, को समाप्त कर देना ठीक नहीं है। मैं नहीं कहता, इस परियोजना में कोई खामियां नहीं हैं। केवल ओ. ए. डी. प्रोग्राम में भूमि सुधार के काम से लोग जरूर असंतुष्ट हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री हीरालाल आर्य : हाथ में फोड़ा हो तो हाथ को ही काट दिया जाय, ऐसा नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, उसका इलाज कराया जाता है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। समाप्त कीजिए।

श्री हीरालाल आर्य: लेकिन इसके पीछे हमारे संभाग से आने वाले प्रभारी मन्त्री, वित्त मन्त्री हैं।

श्री अध्यक्ष : यह बातें आ चुकी हैं।

श्री हीरालाल आर्य : उनका यह षडयंत्र है, उस इलाके को यह समाप्त करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से इस परियोजना को समाप्त करने की चर्चा लोगों ने सुनी, उस इलाके में भयंकर असंतोष है। उस इलाके में इस परियोजना के समाप्त होने की बात को सुनकर लोगों को आश्चर्य हुआ। यदि यह परियोजना वहां पर समाप्त कर दी गयी, जैसी कि ऊपर की रिपोर्टिंग भी है, जैसी आपकी मंशा है, और जितना बजट अलॉट किया है उससे लगता है उस इलाके में अन्धकार हो जायगा, वह इलाका समाप्त हो जायगा। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रिमण्डल में आपस में जो द्वंद्व है ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ये बातें आ चुकी हैं।

श्री हीरालाल आर्य : मंत्रिमण्डल में निर्णय लिये बगैर इतनी बड़ी परियोजना को समाप्त कर देना उस इलाके की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, जनता के साथ ही नहीं वहां पर काम करने वाले जो हजारों लोग हैं जैसे कृषि अभियन्ता ....

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य, समय हो गया।

श्री हीरालाल आर्य : जैसा कि अभी गुलाब जी ने कहा, राजस्थान में केवल एक ही परियोजना ऐसी थी जो कृषि अभियन्ताओं को खपा रही थी। कृषि अभि-

(श्री हीरालाल आर्य)

यन्ताओं का जीवन अन्धकारमय हो गया है। उसके साथ ही परियोजना से संबंधित हजारों कर्मचारी हैं, उनका जीवन अन्धकारमय हो गया है। हमारा जो इलाका है वह एकदम नष्ट हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी, अगर कोई नयी बात हो तो।

श्री हीरालाल आर्य : मैं निवेदन करना चाहूंगी कि....(व्यवधान) नहीं हो, उस इलाके के जो प्रभारी मंत्री हैं उनकी काली करतूतों से वह इलाका समाप्त होने जा रहा है। उस इलाके के लोग मन्त्री जी को बख्शेंगे नहीं। वहां की जनता बख्शने वाली नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, आर्डर। ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री हीरालाल आर्य : इस तरह से षड्यन्त्र करके हमारे इलाके को समाप्त करना ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर। इन्जीनियर बेकार हो जायेंगे, इससे सिंचाई की क्षमता बढ़ रही है, लाभ की योजना है, वाटर लॉगिंग की समस्या इससे हल हो जायगी, इसमें राजनीतिक द्वेष-भाव है, यह है, वह है, सब तथ्य आ चुके हैं। कोई नयी बात हो तो आप कहें।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): अध्यक्ष महोदय, जिन कारणों से यह योजना लागू की गई थी, मैं माननीय सी. ए. डी. मंत्री से पूछना चाहूंगा, क्या वह सारे कारण अब समाप्त हो गये ? 90 करोड़ की लागत अब तक उन कार्यों पर लग चुकी है।

श्री अध्यक्ष: यह बात नयी है कि अब क्यों किया इसको समाप्त।

श्री दाऊदयाल जोशी : हिन्दुस्तान में अपने प्रकार की एक अलग तरह की योजना थी, सबसे बड़ी योजना, हिन्दुस्तान की जितनी योजनाएं वर्ल्ड बैंक ने स्वीकार की उनमें सबसे बड़ी योजना यह थी। अपने प्रकार की विशेष योजना थी इस पर अब तक पांच साल में 90 करोड़ रुपया लग चुका है।

श्री अध्यक्ष : इनके पास आंकड़े हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी: मेरा निवेदन करना यह है 90 करोड़ लगने के बाद द्वितीय चरण इसका लिया जा रहा था, जिसमें 1 अरब 15 करोड़ रुपया खर्च किया जाने वाला था। प्रथम चरण के जो कार्य अधूरे रह गये हैं उनको द्वितीय चरण में पूरा किया जायगा। प्रथम चरण की खामियों की पूर्ति द्वितीय चरण में की जायगी। मन्त्री महोदय, द्वितीय चरण में जो कार्य बाकी रह गया है, क्या अब अपने राज्य के बजट से आप उन कार्यों को पूरा करवा सकेंगे ? राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने कल एक वक्तव्य दिया है। वह वक्तव्य बीकानेर के लिये है। यह व्यवस्था दो जगह लागू थी, सी.ए.डी. योजना बीकानेर और सी.ए.डी. योजना कोटा के लिये भी है। वहां पर कैनाल एरिया डवलपमेंट के नाम से योजना चल रही है। वहां मुख्य मंत्री गये थे, घग्घर टूटने के कारण वहां पर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है। कैचमेंट समस्या और नहरी पानी रिसाव की समस्या एक सी है। हमारे चम्बल क्षेत्र में नहरी पानी रिसाव की समस्या ज्यादा भयंकर रूप में थी। यह वर्ल्ड बैंक ने देखा और उसी ने यह योजना यहां चालू की। आज कोटा में समस्या वही की वही

(श्री दाऊदयाल जोशी)

खड़ी हुई है। उस पर माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कहा, परसराम जी भी साथ गये थे कि राजस्थान नहर क्षेत्र में जल रिसाव के स्थायी समाधान की योजना बनाकर इसकी क्रियान्विति के लिये समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जायगा। मंत्री महोदय, आप कृपा करके बतायें कि जो 90 करोड़ लगा है इससे जल रिसाव की कुछ तो समस्या हल हुई है लेकिन क्या सम्पूर्ण समस्या समाप्त हो गई है? क्या अब कोटा क्षेत्र में वाटर लागिंग की समस्या नहीं रही? तीसरी बात। चौथा, मेरा निवेदन है कि यह जो योजना समाप्त होने जा रही है, अध्यक्ष महोदय, इसमें मंत्री महोदय बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार इसलिये हैं कि पंडित मन में जैलेसी रखते हैं, गांठ बांध कर रखते हैं....

श्री अध्यक्ष : यह बातें पहले आ चुकी हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं। आज से आठ साल पहले कोटा नगर में इन्द्रसिंह कावड़िया नाम के...

श्री अध्यक्ष : किसी व्यक्ति का नाम न लें।

श्री दाऊदयाल जोशी : एक कलेक्टर साहब थे पंडित बृज सुन्दर शर्मा के साथियों का उनके द्वारा चालान कर दिया गया था

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आप अलग विषय पर जा रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं उसका नाम नहीं लूंगा. रेडक्रास सोसायटी के तहत कुछ लोगों के मुकदमें खारिज करने के लिये पंडित जी ने कहा लेकिन इन्द्र सिंह कावड़िया ने वह बात नहीं मानी.....

श्री अध्यक्ष : विषय से हट रहे हैं। माननीय सदस्य, कृपया।

श्री दाऊदयाल जोशी : राजस्थान के सी.ए.डी. मिनिस्टर साहब ने इन्द्रसिंह कावड़िया को चम्बल सिंचित क्षेत्र विकास योजना का अफसर बना कर भेज दिया। इस लिये चूंकि पंडितजी की व्यक्तिगत रूप से जैलेसी है इन्द्रसिंह कावड़िया दर-दर की ठोकरें खाते फिरे, इस दफ्तर से उस दफ्तर जाना पड़ा। उस आदमी को हटाना ही था। पंडितजी आज की तारीख में फाइनेन्स मिनिस्टर हैं। भूतपूर्व वित्त मंत्री से भी ज्यादा पावरफुल मिनिस्टर हैं, वह चाहें तो इन्द्रसिंह कावड़िया को चाहे जो बना सकते हैं इसलिए हमारे कोटा के साथ बड़ा कुठाराघात करने जा रहे हैं। यह कोई चलने वाली बात नहीं है। मैं कहना चाहूंगा अंत में अपनी बात कि इस सी.ए.डी. योजना को समाप्त नहीं किया जाय, बल्कि इसमें जो कमियां हैं उनको समाप्त किया जाय।

श्री अध्यक्ष : यह सभी तथ्य आ गये हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : प्रथम चरण में रही समस्याओं का निराकरण किया जाय, चाहे प्रशासनिक खर्चों में कमी की जाय। भू-वितरण में.....

श्री अध्यक्ष : तेल और पेंट्रोल-वह भी शिकायतें हैं उनको भी खत्म किया जाय।

Page No.91

श्री बाऊदयाल जोशी : दुर्भाग्य है कि पिछले पांच साल से हमारे द्वारा विधान सभा में बार बार इस प्रश्न को उठाने के बाद लाइट टाइम तक पटवारी, कानूनगो और अमीन जो जमीन वापस देते हैं, उनमें जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके लिए सरकार ने कोई अपीलेट ऑथोरिटी तक नियुक्त नहीं की, जो तुरन्त की जाय। बड़े प्रभावशाली किसानों की साजिश से छोटे किसानों को सुरक्षित रखा जाए। अन्त में मेरा निवेदन है, जैसा भाई ललितजी ने चार्ज लगाया, कोटा जिले में सैकण्ड फेज में 11 क्षेत्र और बून्दी जिले में चार क्षेत्रों में यह योजना लागू होने लगी थी। लेकिन जब यह तालेड़ा में आ गई तो तालेड़ा में पं० बृजसुन्दरजी ने एक शिड्यूल्ड कास्ट की जमीन खरीद ली थी ..

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। इसकी इजाजत नहीं दूंगा। इसकी पूर्व सूचना नहीं दी। ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज, आक्षेप लगा रहे हैं आप।

श्री बाऊदयाल जोशी : राजनैतिक द्वेष और भेदभाव के आधार पर एक अरब बारह करोड़ की योजना को इस तरह से समाप्त नहीं किया जाय। राज्य सरकार इसकी व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाय। संक्षेप में। श्री कमलेन्द्रसिंह।

श्री कमलेन्द्रसिंह (वल्लभनगर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं यह पूछना चाहूंगा कि सी.ए.डी. की योजना, जो पहले लागू हुई थी, में इस साल 50 करोड़ का प्रावधान सैकण्ड फेज में किया था, उसको घटा कर 1.40 करोड़ क्यों कर दिया ? आखिर इसका उद्देश्य क्या है ? आपकी फाइनेंसियल डिफिकल्टीज हैं या किसानों का किसी तरह का नुकसान हो रहा है जिससे आप इस योजना को बन्द करना चाह रहे हैं ? जहां तक फाइनेन्स का सवाल है, पहले फेज में 100 करोड़ खर्च हो चुके हैं। 33 हजार हैक्टेयर जमीन का सुधार हो चुका है और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से उत्पादन 20 प्रतिशत बढ़ा है। 24 करोड़ की मशीनरी वर्ल्ड बैंक ने राजस्थान को फ्री दी है। इतने असेट्स बनाये हैं उनको खतम करने के लिये क्यों आप सी. ए. डी. की योजना को बन्द करना चाहते हैं ? सैकण्ड फेज में स्थिति यह है कि राजस्थान का एक पैसा नहीं लग रहा है। 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार और 50 प्रतिशत वर्ल्ड बैंक दे रही है। वर्ल्ड बैंक जो लोन दे रहा है, 50 प्रतिशत वह भी किसानों से 37 साल में रिकवर होगा। सरकार को असेट्स और उत्पादन बढ़ने का लाभ, इतना लाभ मिल रहा है, बल्कि फ्री मिल रहा है, सरकार की तरफ से एक पैसा खर्च नहीं हो रहा है, तो भी आप सी.ए.डी. को क्यों खतम करना चाहते हैं यह समझ में नहीं आता। जहां तक फाइनेंस का सवाल है 1-1 काश्तकार पर 20-20, 25-25 हजार लोन चढ़ रहा है। सी.ए.डी. के जो काम अधूरे रह गये हैं उनका क्या होगा ? इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि किसानों को जो इतना लोन एडवान्स किया है, जिनके काम अधूरे पड़े हैं, इस समस्या के लिये सरकार क्या

(श्री कमलेन्द्रसिंह)

करने जा रही है ? दूसरी बात यह है कि इसमें किसानों को कोई नुकसान हुआ हो इसलिए सी. ए. डी. का प्रोग्राम बन्द करते हों, तो बात अलग है। आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में हर जगह देखेंगे कि जहां 6 करोड़ का खर्चा हो रहा है, वहां 50 करोड़ के असेटस बन रहे हैं। जब इतने बड़े रेश्यो में राजस्थान के किसानों को फायदा हो रहा है, तो सी. ए. डी. बन्द करने से आपको क्या लाभ है, किसानों को नुकसान देने का क्या उद्देश्य है ? क्या केवल पालिटिक्स को लेकर इस योजना को समाप्त कर रहे हैं ? जैसा कोटा डिवीजन से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बृजसुन्दर जी पालिटिकली इन्ट्रेस्टेड हैं, इनका राजनीतिक अस्तित्व इस पर डिपेण्ड करता है कि उनकी तहसील, उनके क्षेत्र में सी.ए.डी. योजना आगे चले या नहीं, क्योंकि जितने बड़े जमींदार उनके एरिया में हैं उन्होंने अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों की जमीनें ले रखी हैं, रजिस्ट्री करा रखी हैं जो खाते में नहीं चढ़ सकतीं और जब सी. ए. डी. का काम चालू करेंगे तो ईयरली कम्पेनसेशन जमीदारों को नहीं मिल कर अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों को मिलेगा। उस पर रोक लगाने के लिये, उनको खुश करने के लिये बृजसुन्दरजी शर्मा यह कार्य करा रहे हैं। यह उद्देश्य हो तो मैं समझता हूं राजस्थान में जो बड़ी असेट्स बन रही हैं, 150 करोड़ के लगभग असेट्स बनेंगी उनको नजरअन्दाज करके सिर्फ राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिये यह बहुत महंगा पड़ेगा। किसानों पर जो लोन चढ़ रहा है उसके लिए सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम। दो मिनट का समय।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, सी. ए. डी. के जो काम चल रहे हैं उससे किसानों को वास्तव में व्यावहारिक रूप से ऐसा महसूस हो रहा है कि विशेष फायदा नहीं है। सी. ए. डी. कार्यक्रम की वजह से कोटा डिवीजन के आम किसान आतंकित हो गये थे और यही कारण था कि वहां जनता पार्टी को हमेशा समर्थन मिलता रहा। अध्यक्ष महोदय, जो भूमि सुधार के कार्यक्रम वहां चल रहे हैं उनके बारे में मैंने पसंनली सुवासा, तालेड़ा और अन्ता के आसपास में किसानों से व्यावहारिक जानकारी की तो उन्होंने बताया कि सवा दस प्रतिशत ब्याज लिया जायेगा और किश्तों में वसूल किया जायेगा। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, भूमि समतल करने में उनकी साढ़े सात प्रतिशत जमीन जिस तरह से आटा पीसते हैं और आटा छीजत में चला जाता है उसी तरह से चली जायेगी। किसानों को सिर्फ कर्जदार बनाने की योजना है। किसान कर्ज से दबने के बाद उत्पादन बढ़ा नहीं सकते। यों भी खेती में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना बढ़ गया है कि किसान ब्याज दर को चुकाने में कतई असमर्थ हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जब से यह व्यावहारिक योजना चालू की गई तब से अब तक करीब 100 करोड़ के आसपास इस पर खर्चा हो गया। वह चाहे वर्ल्ड बैंक ने दिया हो, चाहे दान या उधार से मिला हो, इसका मतलब यह नहीं है कि इसका दुरुपयोग किया जाय। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि अपने खेत में उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान खुद योजना बनाते हैं, वही सफल हो

(श्री मनफूलाराम चौधरी)

सकती है। जैसे अन्धे आदमी का हृदय खुला होता है उसी तरह से किसानों का भी हिया खुला होता है। वे स्वत: जो प्रोग्राम बनाते हैं, वही सफल हो सकता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जिन सरकारी अधिकारियों ने इतने दिन इस अनुपयोगी योजना को चलाया और इस तरह की अव्यावहारिक योजना बनाई उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे ? इसका भी आप थोड़ा जवाब दें। आइन्दा के लिए भी यह ध्यान में रखा जावे। इस के साथ इस तरह का किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है जिससे उत्पादन को बढ़ावा मिलने की गुंजाइश नहीं है वह न हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप कहते हैं वर्ल्ड बैंक वालों ने उसकी सराहना की है। वर्ल्ड बैंक वालों ने तो 20 सूत्री कार्यक्रम की भी सराहना की है लेकिन उसकी उपलब्धियां आपको कहीं देखने को मिली हैं ? डी. पी. ए. पी. के जो कार्यक्रम हैं उनको देखने जब वर्ल्ड बैंक वाले आते है, तो उनसे उन कार्यक्रमों की किस तरह से सराहना कराई जाती है। डी. पी. ए. पी. महकमे के अधिकारियों को यह कहा गया कि दारू पिलाओ। यह डी. पी. ए. पी. का महकमा है इसलिए मैं तो इसका विरोध करता हूं। सी. ए. डी. योजना को बन्द करने में जिसने देरी की है उसको भी सजा देनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी) : मैं तीन बार कह चुका हूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से काबू नहीं किया गया तो मामला और भी बढ़ सकता है। जुलूस पर पथराव करवाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हकीकत बात है।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां यह स्थिति हो रही है।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। एक विषय चल रहा है। कृपया बैठ जायें। बीच में नहीं बोलें।

श्री हरीश शर्मा : इतनी भयंकर स्थिति हो रही है, आखिर आप विचार तो करेंगे।

श्री अध्यक्ष: कृपया बैठ जायं।

श्री हरीश शर्मा : नैनवा वाले मामले का जवाब आज आ जाना चाहिए था। वहां गृह मंत्री जी और वित्त मंत्री जी होकर आ गये फिर भी गोलियां चली हैं। स्थिति ऐसी हो रही है कि घायलों को अस्पताल में एडमिट नहीं किया जा रहा है। घायल सड़ जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री चन्दनमल बैद (उपनिवेशन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, चम्बल नदी से निकली नहरों से 2.29 लाख हैक्टेयर की सिंचाई अपेक्षित है। चम्बल परियोजना द्वारा सिंचाई 1960 में शुरू हुई। यह ध्यान में आने के बाद कि सिंचित क्षेत्र में आवश्यक विकास न होने के कारण तथा कुछ क्षेत्रों में आवश्यकता से अधिक पानी लगने के कारण बहुत बड़ा रकबा जलाक्रान्त (वाटर लॉगिंग) हो गया और सिंचाई का

Page No.94

(श्री चन्दनमल बैद)

पूरा लाभ प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए सिंचित क्षेत्रीय विकास का कार्यक्रम हाथ मे लेने का निर्णय लिया गया।

सिंचित क्षेत्रीय विकास के फेज-I का कार्य विश्व बैंक की सहायता से सन् 1974 में शुरू हुआ तथा 30 जून, 1982 को समाप्त हुआ इस क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्य हाथ में लिए गए जिनमें निम्नलिखित भी सम्मिलित थे :—

[1] भूमि विकास कार्य [ऑन फार्म, डवलपमेन्ट वर्क्स],
[2] बाराबन्दी लागू करना,
[3] कृषि अनुसंधान एवं प्रसार कार्यक्रम,
[4] सड़क निर्माण,
[5] नहरों को आवश्यक स्थानों पर पक्का करना,
[6] जलोत्सरण [ड्रेनेज] तथा
[7] वन विभाग

सिंचित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के फलस्वरूप बहुत सा रकबा, जो जलाक्रान्त था वह दो फसली खेती के योग्य हो गया और सिंचाई की प्रगाढ़ता (इरिगेशन इन्टेन्सिटी) बढ़ी। दूसरी ओर काश्तकारों से शिकायतें भी प्राप्त हुई कि उनके खेतों में भूमि विकास का कार्य ठीक से नहीं हुआ और उसे पूरा करने में अत्यधिक समय लगा जिसके कारण काश्तकारों से देय राशि पर ब्याज की लागत जरूरत से ज्यादा बढ़ गई। काश्तकारों के इस असन्तोष को मिटाने के लिए कई कदम उठाये गये हैं। जिन कैचमेन्ट में काम ठीक नहीं हुआ है उसे ठीक ... किये जाने वाले भूमि विकास कार्यों में काश्तकारों का समितियों से मार्गदर्शन हासिल किया जा रहा है, और जहां-जहां काम खराब होने या लापरवाही की शिकायतें हैं, उनकी जांच की जा रही है।

चम्बल सिंचित क्षेत्रीय विकास फेज-I की समाप्ति के बाद फेज-II लिया जाना था अतएव फेज-II के लिए परियोजना बनाई गई। यह परियोजना वर्ष 1983-84 से शुरू की जानी थी। काश्तकारों में व्याप्त असन्तोष तथा राज्य की वित्तीय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई परियोजना में जो प्रावधान व कार्यक्रम प्रस्तावित हैं उनका पुनरावलोकन किया जाय। पुनरावलोकन का मुख्य उद्देश्य यह है कि सिंचाई की व्यवस्था को अधिक से अधिक प्रभावी बनाया जाय तथा क्षेत्र के आवश्यक विकास के साथ साथ भूमि विकास कार्य इस प्रकार लिया जाय जिससे काश्तकारों पर अनावश्यक भार न पड़े।

इस बीच चम्बल सिंचित क्षेत्रीय विकास का कार्यक्रम चल रहा है। इस समय लगभग 5670 हैक्टेयर में भूमि विकास के कार्य चल रहे हैं। कृषि अनुसंधान तथा प्रसार के कार्यक्रम यथावत चालू हैं। नहरों को पक्का करना, सड़क निर्माण, जलोत्सरण (ड्रेनेज बनाने) के कार्य भी चल रहे हैं।

राज्य सरकार का विश्वास है कि सिंचाई की परियोजनाओं में सिंचित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम काश्तकारों के आर्थिक उन्नयन में तथा देश में कृषि उत्पादन की बढ़ोतरी के लिए किया जाना परमावश्यक है। चम्बल सिंचित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और आवश्यक जांच तथा व्यवस्थाएं आयोजित

(श्री चन्दनमल बैद)

करने के बाद राज्य सरकार उसके क्रियान्वयन के लिए कटिबद्ध है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सवाल, जितने पॉइन्ट हमने रेज किये, not a single question has been answered.

श्री अध्यक्ष : एक आध प्रश्न आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद चर्चा समाप्त होगी। श्री ललित किशोर।

मैं इसमें लम्बी-चौड़ी चर्चा की इजाजत नहीं दूंगा। आपके एक सदस्य को इजाजत देता हूं। एक दो प्रश्न आप पूछना चाहें, पूछ सकते हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : राज्य सरकार, मंत्रि मण्डल ने इस काम के लिए पांच करोड़ रुपये इस वर्ष में खर्च करने का निश्चय करने के बाद यह योजना केन्द्रीय सरकार को भेज दी मंत्रि मण्डल का यह निर्णय होने के पश्चात तो क्या पांच करोड़ का सारा काम एक करोड़ बीस लाख रुपये में करवा लेंगे ? प्रश्न एक। प्रश्न दूसरा-आपने यह नहीं बताया कि भूमि सुधार हमने बन्द कर दिया है। आपके वक्तव्य से मैं समझता हूं, भूमि सुधार जो कैचमेन्ट एरिया में चल रहा था उसको आपने बन्द कर दिया। भूमि सुधार के अन्य उपाय या 20 सूत्रीटेहिंगरी में से कोई नये कार्य बनाने हो, तो।। पातके मुझे आपका वक्तव्य तो मुझे समझ में नहीं आया, अभी तक मैं तो नहीं समझ सका हूं, इसका मतलब यह भी है कि विश्व बैंक से मिलने वाला जो सहयोग इस परियोजना के लिए है राज्य सरकार ने उसकी इतिश्री कर दी है। तीसरी बात। चौथी बात, मेरा, माननीय मंत्री महोदय यह कहना है कि किस स्तर पर जाकर यह सारा निर्णय हुआ, इसके बारे में आपने बताया नहीं। माननीय सदस्यों ने सवाल किये हैं, आपका इन्टरव्यू भी कोट किया है, मुख्य मंत्री का इन्टरव्यू भी कोट किया, बृजसुन्दर जी ने किस समय कहा, इस बात की भी चर्चा की है। जब मंत्रि मण्डल में निर्णय हुआ, क्या आपकी सहमति ली गई, क्या सब बातें हुई थीं ? यह किस स्तर पर जाकर हो गया ? माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सब प्रश्नों का मंत्री महोदय उत्तर दें। आपके उत्तर ने इतना गोलमाल का मामला खड़ा कर दिया है कि यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप खतम कर रहे है या चालू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे देवें, मंत्रीजी, तब तक ....

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मुख्य उत्तर में यह कहा है कि भूमि सुधारों के कार्य चालू हैं। भूमि सुधार का मतलब ओ. एफ. डी. वर्क्स से है। नहीं समझे ? जी हां, कमाण्ड एरिया डवलपमेन्ट में ओ. एफ. डी. वर्क्स भी एक कार्य है। ओ. एफ डी. चल रहे हैं। वह मैंने बताया 5,600 कितने हैक्टेयर में चालू हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ठीक है। इस वर्ष में होने वाले भूमि सुधार के पूरे कार्य जब चालू हैं और रहेंगे ..

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं, मैंने पहले ही कहा

(श्री चन्दन मल बैद)

है सारी योजनाओं का पुनरावलोकन कर रहे हैं। कारण इसका यह है, किसानों की यह शिकायत थी कि कार्य करने में देरी हुई है, उन पर जो कुछ भी कार्य की लागत आई है वह बहुत ज्यादा है। वह इतनी बड़ी लागत नहीं दे सकते। हमारा यह फर्ज था, ठीक है, काम अच्छे हैं, उसके बावजूद अगर किसानों को शिकायत है कि इन कामों पर ज्यादा खर्चा है, हमारे पर बोझ ज्यादा आ रहा है, तो हमारा यह फर्ज हो जाता है कि हम उसका पुनरावलोकन करें और देखें कि किस स्थिति में किस तरह से काम करें जिससे कि किसानों पर बोझ कम आये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। आॅर्डर।

श्री चन्दन मल बैद : दूसरा प्रश्न यह पूछा है कि निर्णय क्या मंत्रि मण्डल से हुए अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि निर्णय सरकार का है। अब किसने क्या कहा, आप यह पूछेंगे तो मैं कहूंगा, मंत्रिमण्डल का निर्णय है, समझ लीजिये, तो आप कहेंगे कि किस मंत्री ने क्या कहा I am not supposed to tell all these things। यह निर्णय सरकार का है। निर्णय लेने में सक्षम है सरकार। यह निर्णय सरकार ने लिया है, इस योजना का पुनरावलोकन किया जाय, पुनरावलोकन करने के बाद जैसी भी स्थिति हो उस स्थिति में काम किया जाए। सरकार का यह भी मानना है कि ये काम उपयोगी हैं। उपयोगी होने के साथ-साथ जो किसानों पर एक बोझ आ रहा है उस बोझ को भी हम को देखना है। इस वास्ते इस स्थिति में जिस तरीके से उसको पूरा करना है, जिससे उपयोगी काम भी हो सके और साथ में जो वर्ल्ड बैंक हमसे कुछ ऐसे काम करवाना चाहता है जो किसानों के लिए उपयोगी नहीं हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक समझता है कि उपयोगी हैं, उन कामों को भी हम शुरू करें या नहीं करें। अगर वर्ल्ड बैंक हमारी स्थिति में हमारी बात मानता है तो हम वर्ल्ड बैंक से सहायता लेंगे। वर्ल्ड बैंक नहीं मानता है, राज्य सरकार अपनी स्थिति से करेगी। और हो सकता है कि नाबार्ड से उसके लिये सहायता के लिए बहुत सी एजेन्सियां हैं, केवल वर्ल्ड बैंक ही एक एजेंसी नहीं है। वर्ल्ड बैंक हमको दान नहीं दे रहा है, वह कर्जा दे रहा है। वह कर्जा किसानों पर हो रहा है। किसानों को यह कहने का पूरा हक है और उनका हक होना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं उससे हमारे पर इतना बोझ आ रहा है, यह बोझ सहने की स्थिति में नहीं है। हमारा फर्स्ट कन्सर्न्ड तो उन से है। मुझे खुशी है इस बात की कि विरोधी दल के अधिकांश सदस्यों ने इन सारे कामों की बड़ी प्रशंसा की है। मैं आपसे इतना ही कहता हूं कि इस काम को शुरू करें। महरबानी कर आप अपने वचनों पर कायम रहिये क्योंकि पहले किस सज्जन माननीय सदस्य, जो विरोधी दल से आते हैं इन कामों की....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा समाप्त हो गयी है। अब मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा।

श्री नाथूसिंह : लेकिन अध्यक्ष महोदय यह गलत है। वहां....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य। बैठ जायें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जब आप उसका पुनरावलोकन कर रहे हैं तब क्या मजदूरों की छटनी, मजदूरों, कर्मचारियों को निकालने की बात होगी या नहीं होगी? एक बात। दूसरा आज जो कार्य चल रहे हैं उन्हें पुनरावलोकन होने तक बन्द नहीं किया जायेगा? यह बता दें।

श्री चन्दनमल बैद : पहले ही निवेदन किया कि कार्य चल रहे हैं। जितने आज काम चल रहे हैं उन पर कार्य करने हेतु जितने इंजीनियर्स, मजदूर और कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, अस्थायी या स्थायी तौर पर उनको रखा जायेगा। अगर काम ही नहीं होगा तो रखने की बात कहां आती है। काम तो चल ही रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : काम अभी से धीरे करना शुरू कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, हमारा आरोप सही है वहां पर मजदूरों की छटनी की जायेगी ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण नहीं होगा।....

[व्यवधान]

ऑर्डर प्लीज। समय न लें।

श्री नाथूसिंह : ये तो यह आलरेडी कर चुके हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

अंकित नहीं हो।

श्री नाथूसिंह : XXX

श्री गुलाबचन्द कटारिया : XXX

श्री अध्यक्ष : क्या फायदा है, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : XXX

श्री अध्यक्ष : समय न लें, माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो रहा है।

अव्यवस्था न फैलायें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : XXXX

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। अंकित नहीं हो। कई प्रश्नों का जवाब नहीं आया है। सब प्रश्नों का जवाब आना सम्भव भी नहीं है।

[व्यवधान]

यह कोई तरीका नहीं है वाद विवाद का। कृपया बैठ जाइये। आसन पैरों पर है।

मंत्री द्वारा वक्तव्य। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हुयी।

(व्यवधान)

ऑर्डर ऑर्डर। अंकित नहीं हो रहा है। कृपया समय न लें।

श्री रामकिशोर मीणा : XXX

शासकीय वक्तव्य

सिरोही नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी द्वारा नगरपालिका कार्यो में बाधा व नगरपालिका के आदेशों की अवहेलना

श्री अध्यक्ष : राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन, सिरोही नगरपालिका के अधिशासी

XXXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

अधिकारी द्वारा नगरपालिका के कार्य में बाधा डालने व नगरपालिका के अध्यक्ष के आदेशों की अवहेलना करने के कथित आरोपों के संबंध में एक वक्तव्य देंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन) : विधान सभा सदस्य, श्री घनश्याम तिवाड़ी व सुश्री पुष्पा जैन ने सिरोही नगरपालिका में कार्यरत अधिशासी अधिकारी श्री बलवन्तदान आढ़ा के विरुद्ध आरोप लगाते हुए स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस नगरपालिका के अध्यक्ष, श्रीमती तारा भण्डारी, श्री बलवन्तदान आढ़ा के विरुद्ध उनके पदस्थापन के कुछ दिन बाद से ही उनके विरुद्ध आरोप लगाती रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भ से ही इनमें आपसी सामंजस्य नहीं है। श्री आढ़ा ने अधिशासी अधिकारी के पद का कार्यभार दिनांक 21-9-82 को ग्रहण किया था और उन्हें अभी 6 माह भी नहीं हुए हैं।

श्री आढ़ा पर पहला आरोप लगाया गया है कि बोर्ड द्वारा दी गई तामीर इजाजत को रोक लेते हैं और अतिक्रमणों को बढ़ावा देते हैं। उपनिदेशक, श्री वं०के० सरीसी, स्थानीय निकाय विभाग ने मौके पर जांच की है। जांच के समय उनके सामने श्री राजेन्द्र कुमार को दी गई तामीर इजाजत का मामला रखा गया। यद्यपि मण्डल ने उनके कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व इसकी इजाजत दे दी थी किन्तु श्री आढ़ा ने पाया कि जहां निर्माण हो रहा है, उसके आगे रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण हो रहा था इसलिए श्री आढ़ा ने जो रोक लगाई वह उचित थी। अलबत्ता तामीर इजाजत संबंधी लिपिक की पत्रावलियों को देखने से पाया गया कि तामीर शुदा नक्शों पर अधिशासी अधिकारी की मोहर लगी हुई है पर अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे। यह गलती अधिशासी अधिकारी की नहीं है बल्कि लिपिक की मानी जा सकती है। अनधिकृत अतिक्रमणों की विशेष समस्या नहीं है इस तरह के अतिक्रमण सभी शहरों/कस्बों में होते रहे है। अलबत्ता नगरपालिका प्रशासन को अतिक्रमण रोकने के लिए मुस्तैदी से काम कराना चाहिए। अधिशासी अधिकारी स्वयं व्यक्तिगत तौर पर दोषी नहीं पाये गये। किन्तु इस संबंध में सहजता से काम करने के लिए उपनिदेशक (प्रथम) द्वारा मौके पर ही निर्देश दे दिये गये।

श्री आढ़ा पर नगरपालिका की कार के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। अधिशासी अधिकारी श्री आढ़ा ने इस कार का उपयोग कभी भी अपने व्यक्तिगत तौर पर नहीं किया है। वे एक बार व्यक्तिगत रूप से कार ले गये थे जिसके पेटे उसने 121.50 जमा करा दिये। नगरपालिका कार्य हेतु इन्होंने कार का पहले उपयोग किया था किन्तु बाद में अध्यक्ष द्वारा मना कर देने पर उन्होंने ऐसा करना बन्द कर दिया है। लोग बुक अध्यक्ष के कब्जे में पाई गई। अधिशासी अधिकारी द्वारा जब भी कार काम में ली गई उसका इन्द्राज किया हुआ है। यह इन्द्राज ड्राइवर द्वारा किया गया किन्तु लोग बुक अध्यक्ष के कब्जे में होने से अधिशासी अधिकारी उस पर हस्ताक्षर नहीं कर सके।

अधिशासी अधिकारी पर यह आरोप लगाया गया है कि वह मुख्यालय छोड़ने से पूर्व अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त नहीं करते।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

जांच से पाया गया है कि अधिशासी अधिकारी जब भी बाहर गये हैं, तो वह पालिका कार्य हेतु ही गये हैं और सम्बन्धित कार्यालय से उन्होंने उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये हैं।

अधिशासी अधिकारी जब भी इस तरह बाहर गये अध्यक्ष ने पीछे से उनकी गैर हाजिरी लगा दी। कस्बे में कहीं पालिका कार्य हेतु गये तो भी इसी तरह की गैर हाजिरी लगा दी गई। अधिशासी अधिकारी ने कार्यालय में लौटकर अपनी हाजिरी के हस्ताक्षर कर दिये। इसी तरह अध्यक्ष द्वारा लगाये गये आरोप सही नहीं हैं। अध्यक्ष का यह कहना है कि उन्हें सफाई कर्मचारियों का हाजिरी रजिस्टर नहीं दिया जाता, सही नहीं है। जांच में उनके द्वारा इस तरह का कोई रजिस्टर मांगे जाने का प्रमाण नहीं पाया गया। कर्मचारियों का तो यह कहना है कि अध्यक्ष ने जब कभी कोई रिकार्ड या रजिस्टर मांगा, तो उन्हें प्रस्तुत किया गया।

जहां तक साधारण बैठक न बुलाने का प्रश्न है, अध्यक्ष ने जब भी अधिशासी अधिकारी से अपेक्षा की, तो उन्होंने बैठक बुलाई। कुछ विशेष बैठकें स्वयं अध्यक्ष ने बुलाई। वहां के लोगों का कहना है कि अध्यक्ष इस प्रकार से स्वयं बैठकें बुलाकर केवल उन्हीं के पक्ष के सदस्यों को बुलाती हैं। उनके विरोध के सदस्यों को बैठक में बुलाने की कोई सूचना नहीं देती हैं। अध्यक्ष द्वारा लगाया गया यह आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है।

चुंगी चोरी के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट से यह प्रमाणित होता है कि श्री आढ़ा के कार्यालय में पिछले साल की अपेक्षा चुंगी से होने वाली आय में बढ़ोतरी हुई है। उपनिदेशक ने मौके पर ऐसा कोई कार्य नहीं दिखाया गया जिसे कि अधिशासी अधिकारी ने रोक दिया हो।

प्रेमचन्द, सफाई निरीक्षक को अध्यक्ष ने सेवा से मुक्त कर दिया था जिसके विरुद्ध उसे न्यायालय में शरण लेनी पड़ी। न्यायालय से श्री प्रेम चन्द ने स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है और वे काम कर रहे हैं। श्री प्रेमचन्द से सम्बन्धित कोई पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई। आवक-जावक पंजिका का आरोप सामान्य सा लगता है और यह आरोप प्रमाणित होना नहीं पाया गया।

जांच अधिकारी ने नगरपालिका स्टोर का भौतिक सत्यापन एवं लेखों के बारे में बताया है कि श्री आढ़ा के पूर्व से ही इन्हें सुव्यवस्थित रूप से नहीं रखा जा रहा है और इसके सम्बन्ध में विशेष ऑडिट कराया जाना उचित बतलाया। जांच अधिकारी ने स्थिति का अध्ययन करने पर यह पाया गया कि अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी में आपसी सामन्जस्य नहीं है। अध्यक्ष के कमरे को घंटी का तार शायद अकस्मात किसी वजह से टूट गया, उनका आरोप है कि अधिशासी अधिकारी ने इसे ठीक नहीं करवाया है। अधिकारी ने तो इस बारे में जांच प्रारम्भ कर रखी है, ऐसा बतलाया गया कि अध्यक्ष स्वयं इसे ठीक नहीं कराना चाहतीं। इसके अलावा अधिशासी अधिकारी व कुछ कर्मचारियों द्वारा शराब पीने का आदी होना बतलाया है, लेकिन जांच के दौरान न तो अधिशासी अधिकारी एवं न ही किसी कर्मचारी पर शराब पीकर कार्यालय में आने का आरोप प्रमाणित हुआ है।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

जांच अधिकारी ने जांच में यह महसूस किया कि अध्यक्ष महोदय नगरपालिका तक कार्य प्रणाली के नियमों से विशेष परिचित नहीं हैं, उन्हें यह अधिक ख्याल रहता है कि वह अध्यक्ष है और नगरपालिका कार्य मात्र उन्हीं के निर्देश पर चलना चाहिये। मण्डल के सभी अधिकार वे स्वय में निहित होना मानती हैं। इन्हीं पूर्वाग्रहों के कारण यह स्थिति बन गई है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : बहुत अच्छा वक्तव्य है।

श्री नन्दलाल भीणा (प्रतापगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से ऐसे वक्तव्य की ही आशा थी। अध्यक्ष महोदय, इनका वक्तव्य कितना असत्य है, यह इस बात से प्रमाणित होता है, जैसा इन्होंने बताया, अधिशासी अधिकारी ड्यूटी से बाहर जाता है कार्यालय के काम से, उसकी गैर हाजिरी लगा दी जाती है, वापस आकर उसे काटकर हाजिरी करता है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को इसका ज्ञान नहीं है कि ड्यूटी पर बाहर गया है तो उसकी उपस्थिति नहीं लगती है, ओ. डी. लगता है। इस बात का आपको ध्यान नहीं रहा। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इन्होंने कहा, डिप्टी डायरेक्टर गये थे वहां जांच करके आये हैं। अध्यक्ष महोदय, इनकी रिपोर्ट एक-एक वाक्य, एक-एक शब्द गलत है, पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है। इन्होंने आरोप तो यह लगाया है कि माननीय अध्यक्षा हैं, नयी नयी है, उनको कानून का ज्ञान नहीं है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं आरोप लगाना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय को कानून का ज्ञान नहीं है। जब से वहां पर गये हैं, जब से 21.9.82 को चार्ज लिया, चार्ज लेने के बाद में 20 बार तारीख बताता हूं, उन्होंने कहा साधारण सभा की मीटिंग बुलाई जाये लेकिन साधारण सभा की मीटिंग उनके कहने से नहीं बुलाई गयी। बलवन्त दास आढा के वहां जाने के बाद सिरोही नगर पालिका की साधारण सभा की एक भी मीटिंग नहीं हुई। उन्होंने एक भी मीटिंग नहीं करने दी। जहां तक इन्होंने तामील इजाजत के बारे में कहा, अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक प्रक्रिया बना रखी है। बोर्ड की मीटिंग में 31.9.82 को तामीर इजाजत दी गयी। उस तामीर इजाजत को अधिशासी अधिकारी ने निरस्त कर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, बोर्ड द्वारा दी गयी तामीर इजाजत को निरस्त करने का ई. ओ. को कोई अधिकार नहीं है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कानून का ज्ञान तारा भण्डारी को नहीं है? या आपको नहीं है। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि स्वायत्त शासन मंत्री को कानून का ज्ञान नहीं है। अध्यक्ष महोदय अधिशासी अधिकारी मीटिंग नहीं बुलाता है, मीटिंग बुलाने के आदेश देते हैं, उनकी अवहेलन करता है, अवहेलना के बाद में स्पेशल और इमर्जेन्सी मीटिंग बुलाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, मैं आपको सुनाऊंगा 4 घण्टे तक गैर कानूनी मीटिंग बुलाई गयी, उस गैर कानूनी मीटिंग में बलवन्त दास आढा ने साफ साफ कहा कि मुझे

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

स्वायत्त शासन मंत्री ने इसीलिए भेजा है, मुझे देवीसहाय गोपालिया का इसलिए आशीर्वाद प्राप्त है, श्रीमती तारा भण्डारी को लज्जित करो, शर्मिन्दा करो, उनको इस्तीफा देने के लिए बाध्य करो। टेप है उस मीटिंग का, जो 4 घटे चली। गैर कानूनी मीटिंग का टेप, अध्यक्ष महोदय, आपके चैम्बर में आपको सुनाऊंगा और आप कहेंगे तो सदन में पेश करूंगा, इस से बड़े दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, यही बात नहीं. स्पेशल मीटिंग बुलाई गयी और चार घण्टे तक.....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपको मैं निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री महोदय ने लीपापोती करने की कोशिश की है। आपको निवेदन करता हूं। कार का मामला इन्होंने बताया, पर मामला ऐसा नहीं है। कार के मामले में, 1-02.82 को बार-बार आदेश दिया गया उनका गांव 15 किलोमीटर दूर है। गांव रोजाना कार से आते और जाते हैं। बार-बार जाते हैं और नगरपालिका की कार को किराये पर चलाते हैं। 13.10.82 को लॉग बुक जब्त की गई लेकिन 13.10.82 से लेकर 22.10.82 तक कार को फिराते रहे। 22.10.82 को जब पैट्रोल के पैसे खतम हो गये, कार खराब हो गयी उसके बाद में नगरपालिका के कार्यालय में लेकर डाल दी। कार उनके आदेश से ठीक नहीं हुई इस प्रकार उन्होंने कार की कार्यवाही की।

स्पेशल और आपात कालीन मीटिंग बुलाने का सिर्फ चैयरमेन को ही अधिकार है चैयरमेन के आदेश के बावजूद इन्होंने मीटिंग बुलाई। चैयरमेन ने मना कर दिया, उसके बावजूद मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुलाकर चार घण्टे तक भाषण दिया, उसमें इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से, आज स्थगन प्रस्ताव के बाद में इन्क्वायरी करने के लिए भेजा उसके पहले 20 बार स्वायत्त शासन मंत्री को पत्र लिखे, डायरेक्टर को पत्र लिखे, सैक्रेटरी को, यहां तक कि चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखे। चीफ मिनिस्टर से जाकर तारा भण्डारी जी मिली। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, इससे बड़ी शर्म की और असत्य बात नहीं हो सकती है कि स्थगन प्रस्ताव उठाने के बाद चीफ मिनिस्टर के प्राइवेट सैक्रेटरी का फोन आया, आदर्श किशोर सक्सेना का, उन्होंने कहा, मुख्य मंत्री ने आर्डर भेजा और ऑर्डर्स कर दिये। हमें दुःख है इस बात का कि हम उसको नहीं हटा सके हम क्षमा चाहते हैं। उसके बावजूद मंत्री महोदय इस सदन के अन्दर आकर कहते हैं कि इस प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, महिला के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया है उससे हमको डूब कर मर जाना चाहिये। एक महिला इलेक्टेड प्रतिनिधि है, उस इलेक्टेड महिला प्रतिनिधि के साथ इस प्रकार की कार्यवाही की गई है।

हैड क्वार्टर छोड़ने की बात, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। 10.10.82 और 18.10.82 को लिखित आदेश दिया गया था कि इन दिनों के अन्दर, दशहरा मेला है और इस प्रकार का कार्य है इसलिये आप हैड क्वार्टर छोड़कर नहीं जाओगे। उसके बावजूद हैड-

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

क्वार्टर छोड़कर गये। बीच में दो दिन की एबसेन्ट लगाई हुई है, अध्यक्ष के द्वारा एबसेन्ट लगाई हुई है। उसको काटकर अपने दस्तखत करके अपनी प्रजेन्स दिखाते हैं, उसकी फोटो स्टेट कापी मुख्य मंत्री को डायरेक्टर, सैक्रेटरी और स्वायत्त शासन मंत्री को उन्होंने भेजी है।

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूं। सीधा सादा नियम है कि नगरपालिका का सारा पैसा बैंक में जमा हो, बैंक में जमा होने के पश्चात् चैक के द्वारा भुगतान हो। आपको 20 उदाहरण देता हूं, नाम भी बताता हूं, डायरेक्ट चुंगी चौकी से पैसा आता है चुंगी का, उस चुंगी के पैसे से बीस स्थानों पर भुगतान किया गया बिना बिल के बिना वाउचर के, बिना बैंक में जमा कराये। अध्यक्ष महोदय, श्रीमती तारा भण्डारी ने जब से चार्ज सम्भाला उस समय नगर पालिका की चुंगी की आय 66 हजार थी। जब तक बलवन्तदास आढ़ा नहीं आये उसके पहले चुंगी की आय बढ़ कर एक लाख रुपये हो गयी थी। नगर पालिका अध्यक्ष को चुंगी चोरी रोकने का अधिकार है, चुंगी की चोरी पकड़ने का अधिकार है। उन्होंने आने के बाद में, उस अधिकार को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा, आप को कोई अधिकार नहीं हैं. लिखित में आदेश दिया, नगर पालिका के चुंगी चौकी नाकेदारों को। उसके बाद में जब दो पार्षदों ने जाकर एक ट्रक को पकड़ा, चुंगी चोरी बरामद की, 10 गुना पनल्टी लगाई तो अधिशासी अधिकार ने दो कर्मचारियों को ले कर उन नगरपालिका के पार्षदों के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करवाई। 160 ... आज वहां पर चुंगी है 40 हजार ... आय हर महीने अधिशासी अधिकारी मिल कर खा जाते हैं और नगर पालिका का भट्टा बैठा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं चार्ज लगाना चाहता हूं इसमें प्रद्युम्न सिंह जी का हाथ है, इसमें चीफ मिनिस्टर का हाथ है देवी सहाय जी गोपालिया का हाथ है...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, स्वायत शासन) : अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल गलत है. इस प्रकार के....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अव्यवस्था नहीं करें। माननीय सदस्य, आपको स्पष्टीकरण का अवसर दे दूंगा....

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): इन्होंने उनको मरवाने के लिए बिजली के खुले तार कुर्सी में लगा दिये..

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : इतनी छोटी रकम वह थोड़ी खाते....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं समाप्त कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। यह बात इस पत्र से प्रमाणित है, इस पत्र की प्रति आपको दे सकता हूं। एक मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग की प्रॉसिडिंग लिखने के लिए नगरपालिका के अध्यक्ष ने ई. ओ. को कहा कि प्रॉसिडिंग लिखो तो उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद में दूसरे अधिकारी से कहा तो उन्होंने भी मना कर दिया, कर्मचारियों से कहा तो उन्होने मना कर दिया। उन्होंने कहा, लिख कर दीजिए, सारे के सारे कर्मचारियों

Page No.103

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लिख कर दिया कि अधिशासी अधिकारी के आदेश से हम मीटिंग प्रॉसिडिंग नहीं लिखेंगे। इसके बाद उस महिला ने तीन घण्टे तक स्वयं के हाथ से सारी की सारी मीटिंग की प्रॉसिडिंग लिखी। उस प्रॉसिडिंग की कॉपी आपके पास भी भेजी।

यह नहीं है, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय स्वीकार करते हैं जब से उनको लगाया तब से उनमें सामंजस्य नहीं है, शुरू से सामंजस्य नहीं है तो आज तक मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन मंत्री क्या करते रहे? अगर नगर पालिका के अध्यक्ष और उनमें सामंजस्य नहीं हो तो सामंजस्य बैठाने के लिए वहां जा नहीं सकते थे? अध्यक्ष महोदय, यह बलवन्त सिंह आढ़ा वही है जिसके खिलाफ पाली से आने वाले माननीय सदस्य, श्री गोकुल चन्द जी शर्मा ने 9 चार्ज लगाये थे, उन चार्ज की कापी लिये फिरते रहते हैं। 2-2 महीने से ज्यादा वह अधिकारी किसी जगह टिका नहीं है, उसके बाद में जान बूझकर के यह महिला सदस्या है इसको किसी न किसी प्रकार से बरखास्त किया जाय, इसको लज्जित किया जाय, अपमानित किया जाय, शर्मिन्दा किया जाय, किसी प्रकार से प्रताड़ित करके भगाया जाय इसके लिए ...

श्री अध्यक्ष: समाप्त करिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: अध्यक्ष महोदय, इसलिये वहां भेजा गया था कि डेढ़ महीने के अन्दर जाकर श्रीमती तारा भण्डारी से इस्तीफा दिलवा दो। वह यह प्रतिज्ञा करके गया था, स्वायत्त शासन मंत्री को कि डेढ़ महीने के अन्दर इस्तीफा दिलवा दूंगा। इस कारण से उसको सस्पेंड नहीं किया गया। गोकुल चन्द शर्मा के आरोपों के बावजूद आज वह वहीं पर लगा हुआ है। अध्यक्ष महोदय ..

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: मैं निवेदन करना चाहता हूं इससे बड़ी बेशर्मी की बात नहीं हो सकती कि चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ इस तरह का व्यवहार अधिकारी करे। सैकण्ड ग्रेड नगर पालिका का अधिशासी अधिकारी बनने लायक वह नहीं है। वह सी श्रेणी की नगर पालिका का अधिशासी अधिकारी रहने लायक है, उसको बी श्रेणी की नगर पालिका में जान बूझकर लगाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चुने हुए जन-प्रतिनिधियों को और चुने हुए अध्यक्ष को अगर आप यू०डी० सी० ग्रेड के लोगों से इस प्रकार अपमानित करवायेंगे तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में स्वायत्तशासी संस्थाओं पर आपका अधिकार नहीं होगा। स्वायत्तशासी संस्थाओं के अन्दर पैसा देते हैं वहां के लोग, टैक्स देते हैं वहां के नागरिक और आप वहां यू0 डी0 सी0 लगा कर भेज देते हैं। वह अध्यक्ष की बात नहीं मानेगा, अध्यक्ष को प्रताड़ित करेगा, अध्यक्ष को अपमानित करेगा, आप उन सब की बातों को सुनेंगे और यहां आकर के लीपा-पोती का स्टेटमेंट देंगे। उसको यह ख्याल नहीं रहता कि लीव में जाने के बाद एबसेन्ट की प्रजेन्ट नहीं होती है, सी. एल. लगाई जाती है....

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण कीजिए ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी: अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि

श्री अध्यक्ष: समाप्त कीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: ऐसी परिस्थिति के अन्दर इस बलवन्तदास आढ़ा को तुरन्त सस्पेन्ड किया जाय, उसका वहां ट्रान्सफर किया जाय और हैड क्वार्टर पर ड्यूटी लगाई जाय। उसको 30 पत्र जो दिये हैं, उनकी जांच की जाय। यदि जांच करने के बाद सही प्रमाणित हो जाते हैं तो उसको बर्खास्त किया जाय।इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि....

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: स्वायत्तशासी संस्थाओं के साथ इस प्रकार का मजाक करेंगे, पंगु बनाने की कोशिश करेंगे, उनसे राजनैतिक भेदभाव करेंगे, राजनैतिक बदला लेने की कोशिश करेंगे और हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम देख लेंगे ...

श्री अध्यक्ष: सुश्री पुष्पा जैन।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: सिरोही नगर के अन्दर सिरोही नगरपालिका के अन्दर मजाक की बात नहीं है ...

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। अन्य माननीय सदस्य का मैं नाम पुकार चुका हूं। आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी: पंगु बनाने की कोशिश छोड़ दें और सीधे-सीधे यह कहें कि कमियां रही हैं, गलतियां हुई हैं।मेरी छः बातों का जवाब दिला दें, मैं बता देता हूं....

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने स्वयं अपने वक्तव्य में स्वीकार किया, शुरू से ही श्री आढ़ा और चैयरमेन, सिरोही नगरपालिका में सामंजस्य नहीं बैठा। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि श्री आढ़ा के आने से पूर्व भी कोई ए. ई. ओ. रहे होंगे वहां पर। उनके लिये तो आपने नहीं कहा कि उनका सामंजस्य चैयरमेन से नहीं बैठा। इसका कारण क्या है कि श्री आढ़ा से उनका सामंजस्य नहीं बैठा ?

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी। यह स्पष्ट बात है कि श्रीमती तारा भण्डारी एक राजनैतिक पार्टी से सम्बन्ध रखती हैं। भारतीय जनता पार्टी से वह चुनकर आई हैं और भारतीय जनता पार्टी की नुमाइन्दा हैं. इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन सिरोही नगरपालिका की चैयरमेन बन गई हैं, पहले वह चैयरमेन हैं, किसी राजनैतिक पार्टी की कार्यकर्ता बाद में हैं। अध्यक्ष महोदय चुनाव हुये, कांग्रेस का प्रत्याशी हार गया, इस बात का बड़ा खेद था वहां के विधायकों में। इस बात का बदला निकालने के लिये उन्होंने सरकार से मिलकर एक साजिश की। उन्होंने कहा कि यदि श्रीमती तारा भण्डारी को किसी तरह से वहां से नहीं हटाया गया, उन्हें प्रताड़ित नहीं किया गया तो सरकार के खिलाफ जो असंतुष्ट गुट बना हुआ है, मैं भी उसमें शरीक हो जाऊंगा। सरकार ने घुटने टेक दिये। घुटने टेकने के बाद इन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि जो सबसे भ्रष्ट अधिकारी था, जो फोर्थ क्लास की श्रेणी की नगरपालिका में था, उसे सैकण्ड ग्रेड नगरपालिका के अन्दर लगा दिया। वह किस अधिकार के तहत लगाया?

Page No.105

(सुश्री पुष्पा जैन)

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी, मुझे खुशी है कि दो विधायक यहां मौजूद है बाकी को मैं नहीं देख पा रही हूं। अध्यक्ष महोदय, पाली जिले में सुमेरपुर नगरपालिका में भी यही ए. ई. ओ. थे, इनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें थीं जिनके सम्बन्ध में हाई कोर्ट में केसेज चल रहे हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालतों में केस चल रहे हैं, विभागीय जांच चल रही है। कई विभागीय जांचों में यह पाया गया कि वास्तव में श्री आढ़ा सस्पेन्ड होने के काबिल हैं। लिहाजा उन्हें सस्पेन्ड कर दिया गया। उसके बावजूद सरकारी प्रेशर से उन्हें वापस बहाल किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पाली जिले के 5-5 विधायकों ने लिखकर के दिया कि यदि सुमेरपुर से श्री आढ़ा को हटाया नहीं गया तो सरकार को भी परेशान करेंगे और सरकार के खिलाफ सदन में आवाज उठायेंगे। सुमेरपुर से उनको हटा दिया क्योंकि कांग्रेस (आई) के 5 विधायकों ने लिखकर दिया था। उनमें से 2 विधायक श्री गोविन्द आमलिया और श्री माधवसिंह दीवान यहां बैठे हुये हैं। मैं आज इनको उस राखी की सौगन्ध दिलाती हूं जो वह अपनी बहनों से बंधवाते हैं, श्रीमती तारा भण्डारी और मैं भी आपकी बहनों के बराबर हैं, उस रक्षा बन्धन की कसम है, इस राखी की कसम है, जो वास्तविकता है, सदन में खड़े होकर बतायें, उसे वहां से क्यों हटाया था आपने, सुमेरपुर में क्या आरोप थे उस पर ?

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद है, मुझे शर्म आती है माननीय मंत्री महोदय पर ज्यादा, मंत्री महोदय, आप जिस सोसाइटी और वर्ग में रहते हैं, जिस समाज से आते हैं वह समाज हमें इस बात की परमिशन नहीं देता। वह समाज इतना गिरा हुआ नहीं है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों से आप महिलाओं को अपमानित करवायें, गुण्डागर्दी करवा कर उनकी इज्जत लेने का प्रयास करें। अध्यक्ष महोदय, राजनैतिक चालाकियां अलग होती हैं लेकिन जिस समाज से हम आते हैं, जिस परिवार से हम सम्बन्ध रखते हैं वह संभ्रान्त परिवार है। उनमें से श्री प्रद्युम्नसिंह जी का भी एक परिवार है। मुझे खुशी है, मुझे फख्र है कि एक बहुत बड़े परिवार से आप ताल्लुक रखते है, बहुत बड़े संभ्रान्त परिवार से आपका ताल्लुक है इसके बावजूद आप इन ओछी हरकतों के शिकार हो गये। अध्यक्ष महोदय, जिस माननीय विधायक के कहने से इन्होंने नगरपालिका के चेयरमेन को प्रताड़ित कराने, अपमानित कराने, लज्जित कराने का प्रयास किया, उनकी इज्जत लेने का प्रयास किया उन विधायक महोदय का खुद का क्या चरित्र है। अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका आबू रोड में वाइस चेयरमेन हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी कि वाइस चेयरमेन कौन हैं नगर पालिका में, यह सर्वविदित है कि माननीय विधायक माउन्ट आबू के हैं, अभी कुछ दिन पूर्व इसी सदन में यह घोषणा की गई थी कि कुछ नगरपालिकाओं को नोटिफाइड एरिया कमेटी बनाया जायगा। उनमें से आबू नगरपालिका भी एक थी। उस समय हमने बोला भी था, उस समय मंत्री महोदय थे श्रीराम जी गोटेवाला, यह घोषणा की गई थी कि आबू पर्वत नोटिफाइड एरिया कमेटी की शीघ्र घोषणा की जायगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मंत्री महोदय, किस प्रेशर के अन्दर नोटिफाइड एरिया

(सुश्री पुष्पा जैन)

कमेटी नहीं बनाई अभी तक ? क्यों वहां से चेयरमेन को हटाया ? इसलिये कि चेयरमेन हटते ही उस माननीय विधायक से चेयर मेन का काम लें और मनमाने तरीके से माउन्ट आबू की नगरपालिका को चलाया जाय। अध्यक्ष महोदय, माउन्ट आबू में इस चेयरमेन का एक मकान है। उनकी मां श्रीमती वुर्द्धा देवी गोपालिया का आबू फोरेस्ट डिपो के सामने बहुत मशहूर होटल है, लेन्टन के पास उनका मकान है, उस मकान के पास सरकारी जमीन है, नगरपालिका की जमीन है जो 500/- रुपये गज आराम से बिक सकती है। सिर्फ 11 रुपये वर्ग गज वाइस चेयरमेन ने अपने नाम से करा ली, अपनी मां के नाम से करा ली। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, उस भवन के पूर्व में 450 वर्ग जमीन जो सरकारी है.... ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप विषयान्तर हो रही हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : नगर पालिका एरिया में है उस एरिया को अनाप-शनाप तरीके से हजम कर लिया होटल बनाने के लिये उन्होंने सारे बाई-लॉज को ताक में रखकर....

श्री अध्यक्ष : विषय से हट रही हैं, माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं, अध्यक्ष महोदय, जानती हूं कि आप मुझे परमिट नहीं करेंगे। मैं यह भी जानती हूं कि यह सब बातें यहां पर नहीं लानी चाहिये। लेकिन यह सारी बातें लानी पड़ रही हैं। अध्यक्ष महोदय, इस परिप्रेक्ष में मैं जानना चाहूंगी कि सिरोही नगरपालिका के चेयरमेन के पीछे कौन से तत्व काम कर रहे हैं, कौन से राजनैतिक प्रभाव काम कर रहे हैं किसकी नाक की प्रतिष्ठा काम कर रही है ? अध्यक्ष महोदय, मैं खुद प्रद्युम्नसिंह जी से मिली थी। मैंने कहा था, आज जरा भी आप में ईमानदारी हो, कुर्सी का मोह छोड़कर कह दें कि वास्तव में जो कह रही हैं, सही कह रही हैं। लेकिन आप पर राजनैतिक दबाव है, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि विभाग से सम्बन्धित कमिश्नर ने भी इनसे कहा था कि जो कुछ भी शिकायतें इस व्यक्ति के खिलाफ हैं वह सही हैं इसलिये इस व्यक्ति को सस्पेन्ड किया जाना चाहिये। इनमें हिम्मत नहीं कि सदन में खड़े होकर यह कह दें कि उस व्यक्ति को सस्पेन्ड किया जाता है और दूसरे व्यक्ति को लगाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना एवं निवेदन करना चाहती हूं, यह स्वीकार कर रहे हैं कि उस ए. ई. ओ. का चेयरमेन से सामंजस्य नहीं बैठ रहा है तो फिर कौन सी परिस्थितियां हैं कि उस ए. ई. ओ. को हटाकर दूसरे ए. ई. ओ. को नहीं लगाया जाता है ? सरकार तैयार नहीं है तो मैं समझती हूं कि उसको हटाने से सरकार पर कोई भयंकर वज्रपात तो नहीं हो जाता। क्या कारण है कि आपने कबूल कर लिया है कि ए. ई. ओ. का चेयरमेन से सामंजस्य नहीं बैठ रहा है? आखिर आप क्या चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय मैं यह आरोप लगाना चाहती हूं कि जान बूझकर के आप अपनी कुर्सी को बचाने के लिये कि कहीं आपके विधायक आपको छोड़कर असंतुष्टों में न चले जायं, और किसी राजनैतिक दल में न चले जायें, सिर्फ इसलिये महिला चेयरमेन को परेशान कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, उसकी इज्जत

(सुश्री पुष्पा जैन)

लेने का प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एलान करना चाहती हूं कि यदि सरकार ने यथा शीघ्र उस भ्रष्ट ए. ई. ओ. को वहां से नहीं हटाया तो आप कानून के तहत कुछ कर सकें या न कर सकें, मैं महिला हूं, महिला होने के नाते एलान करती हूं कि मैं स्वयं सिरोही जाऊंगी और XXX।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। आर्डर। आवेश में इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें।

सुश्री पुष्पा जैन : उस समय सरकार का कानून दोषी होगा हम नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर। अब मैं इस विषय पर अधिक चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा ...

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मसला है। माननीय सदस्य को खड़ा किया जाय, पूछा जाय कि ए. ई. ओ. को हटाने के लिए उन्होंने लिखकर दिया था या नहीं दिया था? उन्होंने लिखकर दिया था तो किस कारण के वशीभूत हो कर दिया था?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य चाहें तो बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

मैं अब चर्चा की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या पुष्पा जी ने जो बात कही इस बारे में मेरा इतना सा ही स्पष्टीकरण है कि कुछ शिकायतें जो क्षेत्र के लोगों से प्राप्त होती हैं हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि उनके ऊपर टिप्पणी लगाकर राज्य सरकार को भेजें कि इनकी जांच करायें। जो शिकायतें उनके बारे में प्राप्त हुईं उनके ऊपर टिप्पणी लगाकर वह हमने अवश्य ही श्री शेरमजी, जो मंत्री थे, को जांच के लिए भेजी थीं। वह सही थीं या गलत थीं, इसका हमको पता नहीं है।

अध्यक्ष : मन्त्री महोदय। दो ही मिनट में।

[व्यवधान]

श्री महावीर प्रसाद जैन(टोंक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि किस प्रकार से जांच हुई? आपका नगरपालिका एक्ट बना हुआ है उसके सैक्शन 307 के तहत नगरपालिका के ई. ओ. का अपाइन्टमेन्ट होता है उसमें क्या इस प्रकार का प्रावधान है कि नगरपालिका ई. ओ. चैयरमेन के सुपरवीजन और कण्ट्रोल में काम करेगा? नगरपालिका का ई. ओ., जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है, बिना परमिशन के गया लेकिन आफिसियल काम के लिये गया। तो क्यों किसी भी डाइरेक्टर लोकल बॉडीज या किसी भी संस्था को यह अधिकार है कि नगरपालिका एक्ट में जो प्रावधान है कि उनके कण्ट्रोल और सुपरवीजन में वहां का ई.ओ. रहेगा, उसको सुपरसीड करके वह वहां से परमिशन दे दे कि नगरपालिका का काम वह देखेगे? फिर एक बाडवट आफ

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

बिजनेस रूल्स बने हुए है उनमें लिखा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका कण्डक्ट आॅफ बिजनेस रूल्स की धारा 3 में यह लिखा हुआ है कि हर एक महीने नगरपालिका का ई.ओ. वहां की मीटिंग कॉल करेगा। तो क्या नगरपालिका का ई. ओ. मीटिंग नहीं बुलायेगा ?

श्री अध्यक्ष : इतनी विस्तृत चर्चा में नहीं जायं। प्रश्न पहले पूछ लें।

श्री महावीरप्रसाद जैन : रेजिडुअरी प्रोविजन है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : हां, समझ गया। आर्डर प्लीज। मन्त्री महोदय, कुछ कहना चाहेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो तथ्य इन्क्वायरी के तहत मेरे सामने आये थे उनसे मैंने आपकी मार्फत इस सदन को अवगत कराया। बड़े खेद की बात है, दुःख की बात है कि सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने बिना तथ्यों की जानकारी के भावावेश में, जोश में होश खोकर मेरे ऊपर चार्ज लगा दिया....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : होश के साथ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जोश में होश खोकर मेरे ऊपर चार्ज लगाया कि नगर पालिका की आमदनी में जो चुंगी में चोरी होती हैं उसमें से मैं हिस्सा बंटाता हूं। यह आरोप असत्य है।

(व्यवधान)

आप जैसे हैं, दूसरों को वैसा ही समझते हैं।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपको मैं बहुत नजदीक से जानता हूं क्योंकि उस ई.ओ. को बचाने की चेष्टा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बाधा नहीं पहुंचावें। माननीय मन्त्री महोदय।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब तक तो चेष्टा नहीं की थी, अब जरूर बचाऊंगा !

(व्यवधान).

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें, माननीय सदस्य। अव्यवस्था न फैलायें। शान्त रहिये, माननीय सदस्य। कृपया बैठ जायं....

(व्यवधान)

उत्तर आने दीजिये

(व्यवधान)

अंकित न हो। माननीय सदस्य, उत्तर आने दीजिये। कृपया बैठ जायं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : x x x

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। चर्चा समाप्त हुई।

श्रीमती उजला अरोड़ा : x x x

श्री घनश्याम तिवाड़ी : x x x

---

x x x माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। चर्चा समाप्त हुई। ऑर्डर ऑर्डर। अंकित न हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : x x x

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं। माननीय सदस्या, बैठ जायं। शासन पैरों पर है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप मुझ पर चार्ज लगायेंगे, तो मैं क्या कहूं।

श्री अध्यक्ष : आप भी बैठ जायं। उत्तर आने दीजिये। आर्डर आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : x x x

श्री घनश्याम तिवाड़ी : x x x

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्या। माननीय सदस्या, व्यर्थ समय ले रही हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : x x x

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : x x x

श्री अध्यक्ष : आय-व्ययक पर वाद-विवाद,

श्री घनश्याम तिवाड़ी : x x x

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सदस्या, बैठ जायं। अंकित न हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : x x x

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्या। व्यर्थ में समय ले रही हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय यह कह चुके "अब तक तो मैंने नहीं बचाया अब मैं बचाऊंगा" उसके बाद में सरकार की ओर से सफाई या उत्तर की कोई आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कुछ उत्तेजना का वातावरण था। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह अपनी बात का स्पष्टीकरण करें। एक मिनट।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्पष्टीकरण किस बात का ? माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है और आपने सुना है सदन ने सुना है कि अब तक तो मैंने उसको नहीं बचाया था, चाहे वह प्रवोकेशन में कह गये, मैं आपकी बात मान सकता हूं। घनश्याम जी ने जो चार्ज लगाया उससे उनको प्रवोकेशन हुआ। उस प्रवोकेशन में वह कह गये कि अब तक तो मैंने नहीं बचाया लेकिन मैं अब बचाऊंगा। उसके बाद में, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा हम सरकार के जवाब से सन्तुष्ट हैं, कोई जवाब दिलाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इस चीज के बारे में मैं पूछना चाहता था। इस तरह की दुर्भाग्य पूर्ण बात नहीं होनी चाहिये।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री राम गोटेवाला (राज्य मंत्री, पशुपालन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं निवेदन करना चाहता हूं।

---

x x x माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बीच में नहीं.......

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। शान्त रहें, माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में ही कहा कि जोश के अन्दर होश खो बैठे और मेरे ऊपर चार्ज लगा दिया। इन ई. ओ. महोदय की वहां पर नियुक्ति 2.1.9.82 को हुई थी। तब इन्होंने चार्ज ग्रहण किया जब यह डिपार्टमेन्ट ही मेरे पास नहीं था। मैं इस आदमी को शक्ल से नहीं जानता, देखा नहीं मैंने आज तक, कौन है। आपने यहां पर इस किस्म के आरोप लगाकर इस किस्म से मिनिस्टर को बुली करने की चेष्टा की कि घबराकर मैं कुछ कह जाऊं। यह तो है नहीं कि घबराकर मैं कुछ कह जाऊं। अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न इन्होंने यहां पूछे ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय यहां पर जो कहा, उसका तो जवाब है मेरे पास। जिस भाषा का प्रयोग आमेर से आने वाली माननीय सदस्या ने किया कि मैं वहां जाऊंगी और मारेंगे हम इसको पीटेंगे तब सरकार को बचाव करना पड़ेगा। अधिकारी का बचाव करेगी....

(व्यवधान)

सुश्री कृष्णा जैन : हिन्दुस्तान की संस्कृति

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : कानून हाथ में लेना चाहें और यह कहना चाहें कि हम अधिकारियों को जा करके मारेंगे और पीटेंगे, तो क्या सरकार उनकी रक्षा नहीं करेगी? सरकार काहे के लिए बैठी है यहां?

(व्यवधान)

जान बचायेगी सरकार....

श्री अध्यक्ष: शान्त रहें, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सदस्य ने जो दो चार बातें कही हैं, जो प्रश्न पूछे हैं, यदि आप इजाजत दें तो निवेदन कर दूं....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन्होंने उत्तर नहीं दिया....

श्री अध्यक्ष : नहीं, इन्होंने दे दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: नहीं दिया, इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। आमेर से आने वाली माननीय सदस्या ने उसको पीटने की बात कही, तो इन्होंने बचाने की बात कही। यही है ना? यह बात इस सन्दर्भ में नहीं है। बात इस सन्दर्भ में है श्री घनश्यामजी ने....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी का नाम लिया था इन्होंने।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, शान्त रहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने अच्छी तरह सुना है। मैं यह मानता

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हूं कि श्री घनश्याम तिवाड़ी ने आरोप लगाये, उससे माननीय मन्त्री महोदय प्रवोक हो गये। स्वाभाविक है, प्रवोकेशन हो सकता है। मैं उसमें भी कोई आपत्ति नहीं समझता। प्रवोकेशन में मन्त्री महोदय ने कहा कि मैंने अब तक नहीं बचाया था, अब बचाऊंगा। इसका यदि आप यह अर्थ निकालते हैं...

श्री अध्यक्ष : यह तो सफाई देने की बात है, तो बात सफाई से ही कहनी पड़ती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह मान लें कि जो चप्पलों की बात कही गई यह उससे ही बचायेंगे, इन्क्वायरी में उसको नहीं बचायेंगे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्क्वायरी होगी उसमें अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जायगा, तो राज्य सरकार उसके खिलाफ में कार्यवाही करेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, समय बहुत हो गया।

सुश्री पुष्पा जैन : आप एक मिनट बैठ जाइये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर देता हूं। यहां पर यह कहा गया कि पिछले 6 महीने से आज दिन तक बोर्ड की मीटिंग नहीं बुलाई गई है, नम्बर एक। 30-9-82 को बोर्ड की साधारण मीटिंग बुलाई गई है तथा इसके अतिरिक्त 24-10-82 व 3-2-83 को बोर्ड की मीटिंग बुलाई गई है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : किसने बुलाई ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, बैठ जाइये। मन्त्री जी, अब उत्तर की कोई आवश्यकता नहीं। चर्चा समाप्त हुई/ इस तरह आप व्यवधान उपस्थित करके चर्चा को लम्बा करना चाहते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मीटिंग नहीं बुलाई गई। अध्यक्ष महोदय, मीटिंग बुलाई अध्यक्षा ने, अध्यक्षा मीटिंग में बैठी, ई. ओ. था ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से सिर्फ दो सवाल पूछना चाहता हूं मन्त्री महोदय उनका जवाब दें।

मेरा पहला प्रश्न तो यह है, क्या मन्त्री महोदय की यह जानकारी में नहीं है कि वह अधिशासी अधिकारी शराब पीता है ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है, क्या यह सही है कि उनकी नियुक्ति पहले भीनमाल हुई थी, वहां भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनको सस्पेन्ड किया गया, उसकी इन्क्वायरी आज तक पेन्डिंग है। बीच में राजनैतिक कारणों से उनको बहाल किया गया ? क्या यह सही नहीं है कि उन आरोपों में शराब पीने का भी आरोप है ? क्या भीनमाल के बाद में उनकी सुमेरपुर में नियुक्ति की गई किन्तु सुमेरपुर में जो आरोप लगाये गये उनमें भी भ्रष्टाचार के अतिरिक्त उस पर शराब पीने और शराब पीकर कार्यालय में आने का आरोप लगाया

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गया था ? क्या यह दोनों मामले आपके पास अब भी विचाराधीन पड़े हुए हैं ? जैसा कि मैंने कहा मन्त्री महोदय ने जिस तरह उनकी तारीफ की, वह तो पदम-श्री मिलने योग्य अधिकारी हैं। क्या मन्त्री महोदय की यह जानकारी में है कि उसको लगाने के लिए अध्यक्ष महोदय, मामला केवल इतना है, जिस नगरपालिका में महिला अध्यक्षा हैं, उसमें शराबी अधिकारी को न लगायें। राजनैतिक मोटिवेशन से किसी को भी लगायें। आपको भले ही उसके लगाने पर आपत्ति नहीं हो, पर हमको तो आपत्ति हो सकती है। एक महिला जहां पर महिला अध्यक्षा है, बात तो इतनी सी है, आप किसी दूसरे को नियुक्त कर देते लेकिन जो शराब पीता है, जाना-माना शराबी है तो उसको वहां नियुक्त करके आप कौन सा राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं ? अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के कार्य करने से आपकी सरकार की प्रतिष्ठा गिरती है और काम करने वाले लोगों की भी प्रतिष्ठा गिरती है। अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत विपक्ष के नेता व इस सदन को जो कह रहा हूं, बिलकुल ईमानदारी से कह रहा हूं। मैंने पूर्व में भी कहा कि उस अधिकारी को मैंने कभी देखा ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने कब कहा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं सदन से ईमानदारी से कह रहा हूं मेरी जानकारी में नहीं है कि वह शराब पीता है या नहीं पीता है। यह मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मेरी कोई पर्सनल नोलेज नहीं है।

(व्यवधान)

यों आप सुनना नहीं चाहें।

सुश्री पुष्पा जैन : सुनिये साहब।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया कि मेरे आने से पूर्व 24-9-82 को He took over charge and I got over this department. मेरे पास तो यह डिपार्टमेन्ट 17-10-82 को आया है।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय ने जो दो प्रश्न पूछे हैं, उनका जवाब नहीं आया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जब वह रिपोर्ट देखी तो इसमें एक दो पोइन्ट खुद नजर आये हैं जिनकी पर्सनल इन्क्वायरी करूंगा।

श्री अध्यक्ष : वह शराब वाली बात।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह जो पॉइन्ट उठाये गये हैं, मैं डिप्टी डायरेक्टर को छोड़कर उसकी और जानकारी करूंगा। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि वहां पर जो महिला चेअरमेन हैं, चाहे वह दूसरे ग्रुप की हों इसमें राजनैतिक द्वेष से फलीभूत होकर काम करने की कोई भावना नहीं है। अगर कोई अधिकारी दोषी है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी। उसको हटाने की बात ही नहीं है बल्कि इससे भी ज्यादा और कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो आरोप, मिथ्या आरोप इस तरह से लगाये गये हैं मुझे बड़ा दुःख हुआ, मुझे बड़ा खेद हुआ तब मैंने यह कहा कि ...

श्री अध्यक्ष : यह तो आपने निराशा के वातावरण के अन्दर कह दिया ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अब इतना निराशावादी तो नहीं होना चाहिये, अध्यक्ष महोदय। सीकर से आने वाले माननीय सदस्य, जो कि मेरे मित्र हैं, से, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इन्होंने कहा कि मैंने उसको वहां पर लगाया है। मैंने उसको वहां पर नहीं लगाया है। मुझसे, पहले चार्ज ले लिया, मैंने कहा आप मेरे ऊपर कह रहे हैं ।

आय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : ठीक है, चर्चा समाप्त हुई ।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद । विपक्ष के नेता महोदय ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं वित्त मन्त्रीजी को बधाई देना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार के इस वर्ष के बजट को प्रस्तुत करने का उनको अवसर मिला। अध्यक्ष महोदय, इस बजट का अच्छी तरह से विश्लेषण किया जाय तो एक बात तो स्पष्ट रूप से सामने आ जायेगी कि बजट भाषण का आकार छोटा हो नहीं हो रहा है साथ ही बजट भाषण में जिन बातों की आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता की पूर्ति इससे नहीं हुई है । अध्यक्ष महोदय, मैं अर्थशास्त्री तो नहीं हूं किन्तु किसी भी अर्थशास्त्री को इसे दिखा लें, सरकार स्वयं इससे संतुष्ट नहीं होगी इस भाषण से । राष्ट्र की सही आर्थिक स्थिति का इसमें चित्रण नहीं किया गया है । राज्य के सामने समस्यायें क्या हैं, उनका इसमें कोई भी उल्लेख नहीं है । इसके साथ ही उन समस्याओं के समाधान का भी उल्लेख नहीं किया गया है, साथ ही राज्य सरकार की उपलब्धियां क्या हैं और लक्ष्य हमने निर्धारित किये थे उनकी पूर्ति हमने किस प्रकार से नहीं की और किस-किस की की है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं और इस सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण होता है उसमें जिन कार्यक्रमों का उल्लेख किया जाता है, जिन नीतियों का उल्लेख किया जाता है, उन कार्यक्रमों और उन नीतियों को किस प्रकार से क्रियान्वित किया जायगा उसके लिये कितनी धन-राशि की आवश्यकता है, उसका समावेश बजट में किया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण के रूप में यह निवेदन करना चाहूंगा, मेरी समझ में पहला अवसर है जब कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में और वित्त मन्त्रीजी के बजट भाषण में कोई तारतम्य ही नहीं है । बजट में जितने आंकड़े दिये गये हैं, बजट में जो नीतियां निर्धारित की गयी हैं, उनको किस प्रकार से क्रियान्वित किया जायेगा, उसका आलेख किया जाय तो आवश्यकता इस बात की होती है कि राज्यपाल महोदय, ने किन बातों का उल्लेख किया है और उनकी पूर्ति किस प्रकार से इस बजट के द्वारा की जायेगी । इसमें कई खामियां हैं, उनका तो उल्लेख करके मैं आपका समय नहीं लेना चाहता हूं पर उदाहरण के रूप मे एक बात आपको निवेदन करना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पृष्ठ पांच में लिखा है,

Page No.114

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

"गत वर्ष की योजनाओं के अतिरिक्त इस वर्ष सिद्धमुख नोहर फीडर तथा साधुवाली लिंक नई योजनाओं का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।" अध्यक्ष महोदय, मैंने सारे बजट और बजट के जितने भी वाल्यूम सदन में प्रस्तुत किये गये हैं को देखा है। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को चुनौती दे कर यह कहना चाहता हूं कि सिद्धमुख नहर के बारे में एक भी पैसे का प्रावधान कहीं भी किया गया हो तो बता दें मुझे। प्रावधान आगे के वर्ष का होगा। आपने लिखा है कि गत वर्ष की योजनाओं के अतिरिक्त इस वर्ष सिद्धमुख नहर का कार्य प्रारम्भ किया गया है। कार्य कहां प्रारम्भ किया है बजट में तो इसके लिये कोई प्रावधान ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बजट में बात कही है। शुरुआत तो हुई है ना !

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, किया गया है। यह तो मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की कह रहा हूं। राज्यपाल के अभिभाषण, जैसा मैंने कहा, की पूर्ति बजट से हो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कार्यक्रमों का जो ब्यौरा दिया जाता है वह कार्यक्रम किस प्रकार से क्रियान्वित होंगे, बजट में उसका प्रावधान होता है। सिद्धमुख नहर का कार्य प्रारम्भ किया गया है, इसका उल्लेख बजट में मुझे कहीं भी नहीं मिला। मन्त्री महोदय बता दें उत्तर देते समय कि सिद्धमुख नहर के लिये किस जगह क्या प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिये निवेदन कर रहा था कि वर्ष में जो बजट है इसका रिफ्लेक्शन फाइनेन्स कमीशन के एवार्ड में होगा। फाइनेन्स कमीशन इस समय बैठा हुआ है, राज्य सरकार ने शायद अपना ज्ञापन भी उसको दे दिया होगा। मेरी जानकारी के अनुसार फाइनेन्स कमीशन राजस्व खाते के प्रश्नों पर चिन्ता करता है। यदि राज्य सरकार को राजस्व खाते में घाटा है तो घाटे की पूर्ति के लिये हम फाइनेन्स कमीशन को कह सकते हैं। लेकिन बचत है तो राजस्थान की दृष्टि से फाइनेन्स कमीशन का कोई महत्व ही नहीं है और महत्व इस आधार पर नहीं है, अध्यक्ष महोदय, घाटे की पूर्ति किस प्रकार से की जावे। और प्रश्न हो सकते हैं जिन पर फाइनेन्स कमीशन हमारी बात सुनकर सरकार की मदद कर सकता है लेकिन कम से कम इस प्रश्न पर नहीं कर सकता। जैसे, अध्यक्ष महोदय, सन् 1982-83 में 29.82 करोड़ का राजस्व खाते में बचत थी। मेरा कहने का मतलब यह है, मैं बचत की कोई बुराई नहीं करता मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमने फाइनेन्स कमीशन के सामने किस प्रकार का केस अपना प्रजेन्ट किया है। फाइनेन्स कमीशन को प्लान के खर्चे से, प्लान आउट ले से कोई संबंध नहीं है। उसका संबंध केवल राजस्व खाते से है। जब राजस्व खाते की बचत करके हम प्लान में पैसा लगाते हैं तो फाइनेन्स कमीशन से हमें भविष्य में किसी प्रकार की सहायता मिलेगी, इस प्रकार की हम आशा नहीं कर सकते। इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि यह बजट आखिरी बजट है। फाइनेन्स कमीशन की दृष्टि से इस बजट में कम से कम उन बातों का उल्लेख होना चाहिए था कि पिछले फाइनेन्स कमीशन ने कौन-कौन सी सिफारिशें की थीं।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं तो उदाहरण के रूप में ही बताना चाहूंगा कि जुडिशियरी के लिए काफी पैसे का प्रावधान फाइनेन्स कमीशन ने किया था। पुलिस के लिए काफी पैसे का प्रावधान किया था। मैं वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि मैंने आपका पुलिस का बजट भी देख लिया, जुडिशियरी का भी बजट देख लिया इन दोनों बजट प्रावधानों के अन्दर फाइनेन्स कमीशन की सिफारिश के अनुसार जितना रुपया खर्च किया जाना चाहिए था, जिन कामों पर रुपया खर्च किया जाना चाहिए था उसमें उसका किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। परिणाम यह निकलेगा, अध्यक्ष महोदय, पुलिस के लिए अब राजस्थान को पैसे की आवश्यकता नहीं है, जुडिशियरी के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। दो मद में राजस्थान को कोई विशेष सहायता फाइनेन्स कमीशन के द्वारा मिल जाये, इस प्रकार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यह मैंने केवल दो उदाहरण दिये हैं। मैं, वित्त मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस समय आप भाषणों का उत्तर दें उस समय कम से कम यह बतायें कि फाइनेन्स कमीशन की उन रिकमन्डेशन्स को आपने किस सीमा तक पूरा किया है, किस सीमा तक लागू किया है? कहीं ऐसी स्थिति नहीं बन जाये कि फाइनेन्स कमीशन हम पर यह आरोप लगाये कि जो रिकमण्डेशन्स पिछले फाइनेन्स कमीशन ने की थीं उन रिकमण्डेशन्स का ठीक प्रकार से पालन नहीं किया गया इसलिए हम अन्य सहायता किसी प्रकार की देने के प्रश्न पर विचार नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय चन्दनमल जी बैद ने जो पिछले साल बजट पेश किया था उस बजट के पेज 11 पर उन्होंने कुछ सुझाव दिये थे। उनका यह कहना था कि राजस्थान इस समय आर्थिक दृष्टि से भयंकर संकट में है इस संकट का निराकरण कैसे किया जा सकता है तो इनके भाषण के पृष्ठ 11 पर लिखा हुआ है, "माननीय सदस्यों को मैंने पहले ही अवगत करा दिया कि वित्तीय स्थिति सुधारना हमारे लिए अत्यन्त जरूरी है। इसके लिए इस प्रकार से कारगर कदम उठाये जायेंगे :-

योजना खर्च को योजना आयोग द्वारा मन्जूर की गयी राशि तक सीमित रखा जाये।"

अध्यक्ष महोदय, इसकी अवेहलना हुई है। माननीय वित्त मंत्री जी स्वीकार करेंगे कि योजना 340 करोड़ रुपये की थी वह योजना 318.65 करोड़ रुपये की होकर खत्म हो रही है। आपने इसका उल्लंघन किया।

दूसरी इन्होंने सिफारिश की थी कि "गैर योजना खर्च को कड़ाई से कम किया जाय।" अध्यक्ष महोदय 48 करोड़ रुपये के टैक्स लगाने के साथ वित्त मंत्री जी भूतपूर्व वित्त मंत्री जी को याद होगा उन्होंने इसी सदन में कहा था कि 10 करोड़ रुपये की खर्चे में कटौती की जायेगी। वह 10 करोड़ की खर्च में कटौती का 1 पर्सेन्ट भी कोई अचीवमेन्ट इस सरकार ने नहीं किया तो गैर योजना खर्च को कड़ाई से कम किया जाये इसकी भी वित्त मंत्री जी ने अवहेलना की है।

अध्यक्ष महोदय, तीसरा इन्होंने कहा था, "अकाल राहत कार्यों को उत्पादक कार्यों में बदला जाये।" यह अब किस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

से देखे । वित्त मंत्री जी ने जो घोषणा की या सुझाव दिया था उस सुझाव का किस सीमा तक पालन हुआ है, वह किस आधार पर यह सदन कह सकता है उस सिफारिश का पालन किया है या उस सिफारिश का पालन नहीं किया है । जहां तक बजट के आंकड़ों को देखें और उसमें केपिटल असेट्स, जो राजस्थान सरकार के हैं, में नाममात्र की भी वृद्धि नहीं हुई है । इसलिए जो माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि उत्पादक कार्यों मे बदला जाये, असेट्स निर्माण किये जायें वह असेट्स की गिनती यदि मैं बजट के आंकड़ों के आधार पर चलूं तो 1 पर्सेन्ट भी राजस्थान सरकार के असेट्स में वृद्धि नहीं हुई । तो यह कहना पड़ेगा कि 66 करोड़ रुपये चाहे अकाल में खर्च कर दिये हों हमने केपिटल असेट्स का निर्माण नहीं किया और केपिटल असेट्स का हम निर्माण करते तो निश्चित रूप से बजट में उसका रिफ्लेक्शन होता । वह भी इसका रिफ्लेक्शन नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय चौथी उन्होंने मांग की थी कि "वसूली की प्रक्रिया को तेज किया जाये ।" मैं कहना नहीं चाहता, अध्यक्ष महोदय, आज 32 करोड़ रुपये की बकाया राजस्थान की सरकार की पड़ी है । आपसे यह कहें कि कुछ कोर्ट्स के कारण पड़ी है लेकिन कोर्ट्स से निकालने के बाद भी 18 करोड़ रुपये की बकाया ऐसी है कि जिसको राज्य सरकार वसूल कर सकती है लेकिन वसूल नहीं की गयी । गये साल की अपेक्षा इस साल में बकाया ज्यादा बढ़ी है । यह इस बात का प्रमाण है कि चौथे का भी इन्होंने ठीक प्रकार से पालन नहीं किया ।

अध्यक्ष महोदय, पांचवा-राजस्व कमाने वाले विभाग अपने निश्चित टार्गेट्स को पूरा करे तथा इसके लिए बराबर मानीटरिंग की जाये । मैं कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, भू-राजस्व में 18 करोड़ रुपये के गये साल के बजट एस्टीमेट रिवाइज्ड एस्टीमेट्स में इस साल के हैं 18 करोड़ उसके अगेंस्ट में 16 करोड़ भू-राजस्व की वसूली हुई है । यदि पिछली बार 18 करोड़ हो गये बावजूद इसके कि 22 हजार गावों में अकाल पड़ा था इस बार भी शायद उतना ही अकाल है जितना अकाल पड़ने के बावजूद आपने 18 करोड़ के अगेंस्ट में 16 करोड़ राजस्व की आय रखी है, इसका मतलब उस आय के स्रोतों का भी जिस प्रकार से दोहन करना चाहिए था उसकी आपने चिन्ता नहीं की ।

इसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष, महोदय, माइन्स एण्ड मिनरल्स डिपार्टमेन्ट की । उसमें भी यदि आप देखें तो पहले रिवाइज्ड एस्टीमेट में 4 करोड़ रुपए का प्रावधान था आय का वह आय का प्रावधान घट कर इस साल 39 करोड़ हो गया । उसमें भी कमी हो गयी । जो रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी आय तो गिरती जा रही है । माल और यात्रियों पर कर पिछले साल 38 करोड़ रुपये का प्रावधान था अब भी वह प्रावधान घटाकर 15 करोड़ रुपये का कर दिया तो मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो हमारे राजस्व आय के स्रोत हैं वह स्रोत धीरे-धीरे, ऐसा लग रहा है, सूख रहे हैं और सरकार की आमदनी गिरती जा रही है । इसका भी आपने ठीक प्रकार से पालन नहीं किया ।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जो विभाग अपने मन्जूरशुदा खर्चे से ज्यादा खर्चे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करते है उनके अध्यक्षों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर ली। मैं नहीं समझता कि किसी भी विभाग के अन्दर भी सरकार ने कोई कड़ी कार्यवाही की हो। मेरे पास एक लम्बा चौड़ा स्टेटमेन्ट है। वह स्टेटमेन्ट मैं पढ़ कर सदन का समय नहीं लेना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, चाहे आप कोई भी विभाग ले लें। अब मैं उन विभागों का तो जिक्र करना चाहूंगा जिन विभागों का सम्बन्ध मंत्री जी से है और मेरे से सीधा है, राजस्थान विधान सभा, इसमें पहले प्रावधान था केवल 1982-83 में 96 लाख का वह 1 करोड़ 15 लाख कर दिया, अब की कर दिया 1करोड़ 14 लाख रुपया। उसमें भी, अध्यक्ष महोदय, खर्च बढ़ गया। न्याय प्रशासन का खर्च बढ़ गया। खास तौर से मंत्रिमण्डल में जहां 48 लाख रुपये का खर्चा था वह बढ़ कर 67 लाख रुपये का खर्चा कर दिया तो किन के खिलाफ आप एक्शन लेंगे ? यह सारे विभाग हैं, भू-राजस्व विभाग में खर्चा बढ़ गया, जिला प्रशासन में खर्चा बढ़ गया और कई विभागों में खर्चा तो बढ़ गया, आमदनी नहीं बढ़ी। मंत्री महोदय ने कहा था कि खर्चा बढ़ेगा तो उनके खिलाफ सख्त प्रकार से एक्शन लिया जावेगा। एक भी अध्यक्ष के खिलाफ आज तक एक्शन नहीं लिया गया है। इसका मतलब यह है कि उस सिफारिश की भी इन्होंने अवहेलना की है।

अन्तिम एक सिफारिश और, "राज्य विद्युत मण्डल, राज्य परिवहन निगम जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम अपने बजट को संतुलित करें।" अध्यक्ष महोदय, स्वयं वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में स्वीकार किया है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 58 करोड़ रुपये का घाटा है। यदि राज्य पथ परिवहन निगम के कागजों को देखें तो 4.5 करोड़ रुपये का घाटा होता है। वह भी घाटा बढ़ रहा है। उसमें भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। पेज 15 पर वित्त मंत्री जी ने स्वयं यह बात कही है। "राज्य के प्रमुख उपक्रमों में निरंतर घाटे की स्थिति हमारे लिए विशेष चिन्ता का विषय है। अतः इस स्थिति में सुधार लाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।" मैं पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय यह बात पिछले वित्त मंत्री जी ने भी कही थी, आपने इस संबंध में अब तक क्या सुधार किये, उन सुधारों का क्या परिणाम निकला ?

अध्यक्ष महोदय, आगे फिर 9वीं सिफारिश इन्होंने की थी, "राज्य के अगले साल के बजट में कोई घाटा नहीं छोड़ा जाये।" अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी है कि इस वर्ष 23.84 करोड़ रुपये का घाटा रखा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पिछले वित्त मंत्री जी ने सदन में जो कार्यवाही करने का आश्वासन दिये थे वर्तमान वित्त मंत्री जी ने सेन्ट पर्सेन्ट उनकी अवहेलना की है। बजट की प्रक्रिया और बजट के साथ जिस प्रकार की सैंक्टिटी होनी चाहिए उस सैंक्टिटी की उन्होंने अवहेलना कि और बजट के महत्व को बिल्कुल घटा दिया। या मैं तो यह कहूंगा कि पिछले वित्त मंत्री जी ने जिस समय सदन में यह सिफारिश की थी उन्होंने इन सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया को गम्भीरता से नहीं लिया या वित्त मंत्री जी, जिन्होंने इस समय बजट पेश किया है, ने इन चीजों को किसी प्रकार से नहीं देखा। इस आधार पर मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, सरकार ने बजट की सैंक्टिटी को इस प्रकार

Page No.118

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

से घटाया है, विधान सभा में दिये गये आश्वासनों की इस प्रकार अवहेलना की है, सरकार की जितनी निन्दा की जाय उतनी ही कम है।

अध्यक्ष महोदय अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान की स्थिति क्या है। यह मैंने मोटे तौर पर बजट बनाने के संबंध में जो सरकार ने प्रक्रिया अपनाई उस संबंध में आपसे निवेदन किया है। राजस्थान की स्थिति क्या है ? राजस्थान की स्थिति का यदि सही मूल्यांकन करना है तो हमें लोगों के जीवन स्तर को देखना पड़ेगा। जीवन स्तर का आधार या तो भोजन होता है या आवास होता है या उसकी पर्चेजिंग पावर याने क्रय शक्ति होती है या फिर लिट्रेसी का पर्सेन्टेज होता है। अध्यक्ष महोदय यहां यह कुछ इन्डेक्स हैं जिन इन्डेक्स के आधार पर आप यह निर्णय कर सकते हैं कि राजस्थान के लोगों का किस प्रकार का जीवन स्तर है। अब यह जीवन स्तर निर्भर किस बात पर करेगा ? यह निर्भर करता है कृषि पर, यह निर्भर करता है उद्योग पर, यह निर्भर करता है यातायात पर, यह निर्भर करता है विद्युत और इसी प्रकार के अन्य विषयों पर। यदि यह सारा जीवन स्तर आपको बढ़ाना है तो इस प्रश्न को आधार आपको बनाना पड़ेगा। अब यह प्रश्न कितना आधार रखता है, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का प्रश्न है, मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान देश के बड़े 17 राज्यों में, मेघालय हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा जैसे राज्यों को आप निकाल दीजिये, में प्रति व्यक्ति स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की गति आती है राजस्थान उन 17 राज्यों में 13 वें नम्बर पर है। स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ नहीं रहा। 1960 से लेकर 1980 तक जो राजस्थान 9वें स्थान पर था स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के प्रश्न के ऊपर वह राजस्थान 13 वें स्थान पर चला गया। इससे अन्दाजा ले लें स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट राजस्थान का बढ़ नहीं रहा है, राजस्थान का स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट घट रहा है। अध्यक्ष महोदय, प्रति व्यक्ति आय का जहां तक प्रश्न आता है जिस गति से अन्य राज्यों में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है राजस्थान उन 17 राज्यों मे 16 वें नम्बर पर आता है। कृषि उत्पादन का जहां तक प्रश्न है, 1960 से लेकर 1980 तक हम स्टेगनेंट हैं, प्रेक्टिकली स्टेगनेंट है, 1.5 पर्सेंट जो इसमें एनुअल वृद्धि है उसके आगे हम कुछ नहीं कर पाते, न हम आगे बढ़े हैं। हमारा डवलपमेंट कृषि उत्पादन के पाइंट ऑफ व्यू से स्टेगनेंट हो गया। ऐसी स्थिति, अध्यक्ष महोदय, उद्योगों की हो गई। उद्योगों के सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, हमारा राजस्थान 15 राज्यों में केवल 13वां राज्य है और हमारा कन्ट्रीब्यूशन केवल 2.3 पर्सेंट है। राजस्थान में सबसे ज्यादा गिरा हुआ है। उसी प्रकार से, अध्यक्ष महोदय, यदि हम इन्फ्रास्ट्रक्चर के इन्डेक्स को अपने सामने रखें और यह मान कर चलें कि औसत इन्डेक्स बनाने के लिये यदि हम 100 को इन्डेक्स का बेस बनाकर चलें तो पंजाब में 217 सबसे ज्यादा हिन्दुस्तान में इन्फ्रास्ट्रक्चर का इन्डेक्स आता है। त्रिपुरा में 56 और राजस्थान में 77। यह राजस्थान पंजाब से तो तीसरे नम्बर पर है लेकिन पिछले 30 वर्षों से, अध्यक्ष महोदय, इन्फ्रा-

Page No.119

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

स्ट्रक्चर के इन्डेक्स के पाइंट ऑफ व्यू से राजस्थान बिल्कुल स्टेगनेंट है। राजस्थान किसी भी प्रकार से आगे नहीं बढ़ रहा। अध्यक्ष महोदय, जीवन स्तर का जहां तक प्रश्न है, 15 राज्यों में हमारा 14वां स्थान है। गरीबी की रेखा के नीचे 51 पर्सेन्ट लोग आज राजस्थान में निवास कर रहे हैं। इसमें कुछ विवाद है, कुछ 56 बताते हैं, कुछ उससे भी कम बताते हैं। लेकिन यदि एवरेज फिगर भी ले लें तो 51 प्रतिशत लोग आज गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय छठी पंचवर्षीय योजना में यदि प्रति व्यक्ति आउट ले का हम हिसाब लेकर चलें तो अखिल भारतीय एवरेज के आधार पर अखिल भारतीय एवरेज इन्डेक्स आता है 108 का और राजस्थान में आता है 98 का और सिक्स्थ प्लान में प्रति व्यक्ति आउट ले को आधार बना कर चलें तो आल इण्डिया एवरेज आता है 687 और राजस्थान का आता है 577। भारत सरकार के विनियोजन का प्रश्न बहुत ही इम्पार्टेंट क्वेश्चन है। अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा आगे बताऊंगा, कौन कौनसा विनियोजन हो सकता है लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, वित्त मंत्री जी ध्यान से सुन लें, इसी सदन में जिस समय पहाड़िया जी मुख्य मंत्री थे उस समय पहाड़िया जी ने कहा था और उसके पहले के मुख्य मंत्रियों ने इस सदन को जानकारी दी थी कि राजस्थान में केन्द्रीय सरकार का केवल दो प्रतिशत विनियोजन है। लेकिन पिछले तीन वर्षों में अन्य राज्यों में विनियोजन हुआ। नतीजा यह निकला कि अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में भारत सरकार का इन्वेस्टमेंट दो पर्सेन्ट से गिर कर 1.9 पर्सेन्ट रह गया। वहां पर भी हम पीछे रह गये। अध्यक्ष महोदय, आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि 30 वर्षों में कुल विनियोजन बिहार में 3152 करोड़ रुपये का हुआ, मध्य प्रदेश में 2231 करोड़ रुपये का हुआ, उड़ीसा में 928 करोड़ रुपये का हुआ और इस सदन को सुनकर दुःख होगा कि राजस्थान में केवल 3 8 करोड़ रुपये का विनियोजन हुआ है। भारत सरकार भी हमारे साथ भेदभाव कर रही है। लेकिन हम भारत सरकार के समक्ष अपने ठोस प्रस्ताव रखें तो मैं समझता हूं हमें सफलता मिलेगी। दुर्भाग्य है कि हम यह ठोस प्रस्ताव रखने में भी सफल नहीं हुए। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से यह गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया का इन्वेस्टमेंट ही नहीं, प्राइवेट सैक्टर का भी जो इन्वेस्टमेंट है, वह भी राजस्थान में कम है। गुजरात में औसत आता है 250 रुपये प्रति व्यक्ति, महाराष्ट्र में आता है 226 रुपये और राजस्थान में, आपको सुनकर दुःख होगा, यह औसत आती है 69 रुपये का। इससे भी आप अन्दाजा लगा लें, न भारत सरकार का इन्वेस्टमेंट, न राजस्थान सरकार के निजी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट, न राजस्थान सरकार का इन्वेस्टमेंट, तो जीवन स्तर बढ़ने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, इस आधार पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो राजस्थान की बहबूदी का नक्शा लेकर, सामने रखकर हम चल रहे हैं, वह बहबूदी नहीं, जो कुछ आज राजस्थान में है उसका यदि एग्जिटेन्स भी हो जाय तो मैं मानकर चलूंगा, अध्यक्ष महोदय, हमने कुछ सफलता प्राप्त की है।

अध्यक्ष महोदय, योजना के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी और मुख्य मन्त्री

Page No.120

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जी बार बार कहते हैं कि इस योजना में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 416.74 करोड़ रुपया हमें इस योजना में इस वर्ष में खर्च करना है जिसमें से 157 करोड़ रुपया केन्द्रीय सहायता के रूप में मिलेगा, 259 करोड़ रुपया राज्य के स्वयं के साधनों के आधार पर हमें उपलब्ध होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आखिर योजना है 2025 करोड़ रुपये की। 2025 करोड़ रुपये की योजना में 1980-81 में आपने 13 करोड़ रुपया एडवांस प्लान असिस्टेंस में ले लिया, 198 -82 में 67 करोड़ रुपया एडवांस प्लान असिस्टेंस में ले लिया, 1982-83 में आपने 19.20 करोड़ रुपया एडवांस प्लान असिस्टेंस में ले लिया। मेरा निश्चित मत है कि यह वर्ष जिस समय तक पूरा होगा, अकाल की जो भयंकर स्थिति राजस्थान में है आपको 60 करोड़ रुपये तक की एडवांस प्लान असिस्टेंट और लेनी पड़ेगी। नतीजा यह होगा कि 180 करोड़ रुपया इस छठे प्लान के पीरियड में हम एडवांस प्लान असिस्टेंस का ले चुके होंगे। नतीजा यह होगा, अध्यक्ष महोदय, 180 करोड़ रुपये तो यह और स्वयं सरकार ने मन्जूर किया है हमें 2025 करोड़ रुपये का प्लान बनाने में 750.70 करोड़ रुपये के अपने साधन जुटाने थे, वित्त मन्त्री जी ने इसको स्वीकार कर लिया है, यह साधन केवल 677.89 करोड़ रुपये के बन पायेंगे। इस आधार पर 84 करोड़ रुपये की और कमी रह जायेगी। तो 180 करोड़ रुपये तो एडवांस प्लान असिस्टेंस के और 84 करोड़ रुपये यह, अध्यक्ष महोदय, इसको निकाल लें तो प्लान रहता है हमारा 1760 करोड़ रुपये का। 1760 करोड़ रुपये के प्लान में वित मन्त्री के आंकड़ों के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि इस वर्ष तक की योजना तक 1442 करोड़ रुपये हमने खर्च कर दिये तो अगले साल के लिये, माननीय वित मन्त्री जी सुन लें आपका प्लान बड़ा नहीं होने वाला है 340 और 417 का नहीं होगा, यह प्लान आपका घट कर 318 करोड़ रुपये का रह जायेगा। इससे आप अन्दाजा लगायें, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में किस प्रकार से बहबूदी होगी। मैं इस आधार पर कहना चाहता हूं कि राजस्थान का जीवन स्तर बढ़ाना है तो आपको विनियोजन करना पड़ेगा, प्लान एक्सपेंडीचर करना पड़ेगा। न विनियोजन बढ़ रहा है, न प्लान एक्सपेन्डीचर बढ़ रहा है नतीजा यह होगा कि अगले वर्ष राजस्थान में प्लान के खाते में केवल अनकमिटेड एक्सपेन्डीचर करेंगे, जो अधूरे काम हैं उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस समय हम राजस्व खाते से लेकर प्लान के अन्दर पैसा खर्च कर रहे हैं। कैपिटल हम बढ़ा रहे हैं लेकिन अगले वर्ष स्थिति क्या होने वाली है। माननीय वित मन्त्री ने इसी सदन में कहा है कि हमारे ऊपर 283-46 करोड़ रुपये का जो ओवर ड्राफ्ट था उसको मीडियम टर्म लोन में भारत सरकार ने कन्वर्ट कर दिया है।

(3.28 म. प.)

(श्री माधवसिंह दीवान, सभापति, पदासीन)

और इस कन्वर्शन में एक वर्ष का मॉरिटेरियम पीरियड दिया है। उस आधार पर सन 84-85 से इस रकम की वसूली शुरू होगी। नतीजा यह होगा, सभापति महोदय

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

1984-85 में प्रिन्सीपल के रूप में हमें 56 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। इन्ट्रेस्ट मोरिटेरियम पीरियड का देना पड़ेगा 3 7 करोड़, टोटल इस्ट्रेस्ट देना पड़ेगा 18.42 करोड़। 78.79 करोड़ रुपये 84-85 के बजट में राजस्व खाते से हमें चुकाने होंगे। इसका मतलब राजस्व खाते में कैपीटल में ट्रांसफर करने की स्थिति में एक पैसा भी आपके पास नहीं रहेगा। उसी प्रकार से सभापति महोदय, 1985-86 में आपको 75.4 करोड़ रुपये का कर्जा चुकाना पड़ेगा। 1986-87 में 72 करोड़ रुपया आपको देना पड़ेगा। 1987-88 में आपको 68 करोड़ रुपया देना पड़ेगा और 1988-89 में 65 करोड़ रुपया। कुल मिलाकर 283 के अगेंस्ट आपको ब्याज सहित 360 करोड़ रुपये का चुकारा करना पड़ेगा। मैं तो यह कह सकता हूं कि राजस्थान के सामने एक संकट आने वाला है कि सरकारी कर्मचारियों को हटाओ और सरकारी कर्मचारियों को नहीं हटाते हैं तो हमारे पास तनख्वाह देने के लिये भी पैसे नहीं हैं। वित्त मन्त्री जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, राजस्थान की जनता यह कहेगी कि राजस्थान को आपने एक व्यापारी के हिसाब से कंगाली की स्थिति में ला कर खड़ा कर दिया है। ऐसी हालत में राजस्थान में बहबूदी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो आंकड़े दिये हैं आज वह आंकड़े दिये हैं। पिछली बार रिवाइज्ड एस्टीमेट में 219 करोड़ का प्रावधान रखा था और इस बार केवल 242 करोड़ का रखा है। पिछली बार 23 करोड़ की वृद्धि दिखाई गई थी और इस बार केवल 20 करोड़ की वृद्धि दिखाई है। मैं ऐसा समझता हूं, माननीय वित मंत्री जी आंकड़े रखने में एक्सपर्ट हैं, फिर भी ट्रेनिंग की गुंजाइश है। बजट फिगर में कूशन रखा जाता है लेकिन कूशन एक सीमा तक रखा जाता है। सभापति महोदय, आज तक का बजट उठाकर देख लें इन्होंने जिस प्रकार का कूशन रखा है, मैं समझता हूं वह बजट की सैंक्टिटी के खिलाफ है, बजट की प्रक्रिया के खिलाफ है, बजट किस आधार पर बनाया जाय, उसके खिलाफ है। मैं निवेदन इसलिये करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपको जानकारी है भारत सरकार ने पैट्रोलियम प्रोडक्ट पदार्थों पर 800 करोड़ के टैक्स बढ़ाये हैं। उसी प्रकार रेलवे में 488 करोड़ के टैक्स लगाये हैं, पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ में 70 करोड़ के टैक्स बढ़ाये है....

(व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : राजस्थान ने नहीं बढ़ाये हैं।..

श्री भैरोंसिह शेखावत : देखिये जनार्दनसिंह जी, थोड़ा समझें, फर्क है समझ का।

मैं इसलिये कह रहा हूं कि जो बजट फिगर रखे गये हैं वह कम दिखाये गये हैं। आय हमारी ज्यादा होने वाली है, केन्द्रीय करों से जितना मिलना चाहिए वह ज्यादा मिलेगा। किस आधार पर ज्यादा मिलेगा वह मैं सदन के सामने पढ़ कर सुना रहा हूं-एक्साइज और कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 916 करोड़ की व्यवस्था की है। फरवरी, 1983 में नोटिफिकेशन निकाल कर 11

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करोड़ उन्होंने बढ़ाये हैं और बजट में 755 करोड़ बढ़ाये हैं। 3040 करोड़ रुपये गत वर्ष में भारत सरकार ने चीजों के मूल्य बढ़ा कर या नये कर लगाकर अर्जित किये हैं। मैं नहीं समझता, भारत सरकार से अब कोई कम हिस्सा मिलेगा। भारत सरकार से हिस्सा कम मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो बजट में फिगर दिये हैं, आय दिखाई है उसमें जरूरत से ज्यादा कुशन रखा है जरूरत से ज्यादा कम दिखाने की व्यवस्था की गई है। इसका मतलब है सदन के सामने कोई सही आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

सभापति महोदय, यहां महंगाई का जिक्र किया गया है। मैं समझता हूं, चाहे भारत सरकार हो और चाहे राजस्थान की सरकार हो, एक ही बात कहती है कि होल सेल प्राइस इन्डेक्स बिल्कुल स्थिर है। मुझे समझ में नहीं आता है, सभापति महोदय, या तो कोई इन्होंने ऐसा मेकेनिज्म किया है कि होल सेल प्राइस इन्डेक्स जो बनाया जाय, उसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं आये। यह समझ में नहीं आ रहा है, एक तरफ होल सेल प्राइस इन्डेक्स यों का यों स्थिर है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है लेकिन रिटेल प्राइस में वृद्धि का आधार और कुछ नहीं हो सकता है तो भारत सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के एक वर्ष में 8 इन्स्टालमेंट देने हैं, यह किस बात का संकेत करता है? यह इस बात का संकेत करता है कि प्राइस इन्डेक्स बढ़ता जा रहा है। चाहे आपका होल सेल प्राइस का इन्डेक्स स्थिर हो लेकिन इसके बावजूद भी जिस रिटेल प्राइस से कन्जूमर का सीधा सम्बन्ध आता है वह बढ़ती जा रही है। भारत सरकार ने, मेरी जानकारी गलत हो सकती है, 5 या 6 इन्स्टालमेंट का भुगतान तो कर दिया और 2 इन्स्टालमेंट और देने हैं, उसका अभी विवाद चल रहा है। ऐसी स्थिति में, सभापति महोदय, यह कह कर नहीं चल सकते कि प्राइसेज बढ़ी नहीं है। सही स्थिति इस सदन के सामने रखने के लिये मैंने आपके सामने यह फिगर रखे हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्या राजस्थान में हम कोई नया टैक्स लगा सकते हैं? माननीय वित्त मंत्री जी को मालूम है कि पिछले वर्ष हमने 48 करोड़ के टैक्स लगाये जिसमें विदेशी शराब की नीलामी का भी क्वेश्चन आता है, जिसमें सैल्स टैक्स का क्वेश्चन भी आता है, नये उद्योगों में कच्चे माल पर जो टैक्स लगा है उसका क्वेश्चन भी आता है, स्टाम्प ड्यूटी में जो परिवर्तन आता है वह भी आता है, सिंचाई दरों में वृद्धि की उसका क्वेश्चन भी आता है। कुल मिलाकर 48 करोड़ का टैक्स है और रोडवेज में जो पैसेंजर का किराया बढ़ाया है उसको मिला कर देखें तो 58 करोड़ एक वर्ष में अतिरिक्त रेवेन्यू रिसोर्सेज के रूप में मान सकते हैं। चाहे कुछ भी कहें लेकिन मैं कह सकता हूं कि 1952 से लेकर आज तक के बजट देख लें, कभी भी इतनी ज्यादा मात्रा में टैक्स नहीं लगे हैं। टैक्स जितना लगना चाहिये था, राजस्थान सरकार ने भरपूर टैक्स लगा दिया। फिर सभापति महोदय, हिन्दुस्तान के सारे राज्यों में से केवल दो राज्य राजस्थान से पीछे है पर केपिटा टैक्स के मामले में। यदि गत वर्ष के आंकड़े लिये जायं तो राजस्थान उन राज्यों में है जो पर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कैपिटा टैक्सेशन के नाते हिन्दुस्तान में सबसे ऊपर है, इसलिये हम उस स्थिति में भी पहुंच गये कि अब कोई टैक्स लगाने का भी सवाल पैदा नहीं होता है। पिछली बार माननीय वित्त मंत्री जी ने कुछ रियायतें दी थीं लेकिन वे रियायतें इतनी ज्यादा नहीं हैं कि कर आय के पूरे ढांचे को परिवर्तित कर दें। उनसे आय कम होने का अब कोई सम्बन्ध नहीं है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, इस बार का जो बजट पेश हुआ यह बजट न तो लोगों के जीवन स्तर को बढ़ायेगा, न बेकारी की समस्या का समाधान करेगा न राजस्थान में कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ायेगा, न राजस्थान में प्लान के खर्चे को बढ़ायेगा। सभापति महोदय, मैं निवेदन इसलिये करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : राजनैतिक बेकारों को तो बढ़ायेग ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो आप भी बढ़ा रहे हैं। यह तो कांग्रेस पार्टी का अच्छा सिस्टम है मंत्री बदलते हैं, मुख्य मंत्री बदलते हैं और बेकारी की समस्या का घर में ही समाधान करते रहते हैं।

मैं, सभापति महोदय, निवेदन कर रहा था कि पिछली बार वित्त मन्त्री जी ने जो बजट भाषण दिया था, सभापति महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि पिछली बार का बजट भाषण राजस्थान के उद्योगों की विदाई-समारोह का उद्घाटन भाषण था, वह मुख्य मन्त्री जी ने गत वर्ष कर दिया। इस वर्ष मुख्य मन्त्री जी ने बजट भाषण के माध्यम से उस समारोह का समापन कर दिया। मैं इतना ही कह सकता हूं कि राजस्थान में कोई नये उद्योग नहीं लगेंगे और नये उद्योग नहीं लगेंगे, न निजी क्षेत्र में विनियोजन होगा। विनियोजन नहीं हुआ तो राजस्थान में बेकारी की समस्या का समाधान भी नहीं होगा।

सभापति महोदय, बजट भाषण में आपने देखा होगा कि बिजली शुल्क में कुछ कमी की है। जो डीजल द्वारा संचालित कैपिटल यूनिट्स हैं, जिनसे बिजली पैदा की जाती है उन पर 6 पैसा प्रति यूनिट विद्युत शुल्क था वह 83-84 में कम कर दिया है, 6 पैसे से घटा कर 2 पैसे कर दिया है। उस समय भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि कोई भी पावर प्लाण्ट लगाये, केपेटिव पावर प्लाण्ट लगाये उस पर 6 पैसे प्रति यूनिट ले तो मुनाफे का सवाल ही नहीं, वह मुनाफे में चल ही नहीं सकता है। इसलिये घाटे में कोई भी उद्योग चलाने को कोई आदमी तैयार नहीं होगा। सभापति महोदय, वह शुल्क घटाकर दो पैसा कर दिया। लेकिन क्या इससे औद्योगीकरण का आधार बनेगा? डीजल सैट से जो पावर जनरेट होगी उसके लिये तो 6 पैसे प्रति यूनिट कर दिया लेकिन आज कई इन्डस्ट्रीज हैं जिनमें थर्मल से पावर जनरेट की जाती है उनके शुल्क में कमी नहीं की है। आप जाकर देख लें, जो प्राइवेट सैक्टर में इस प्रकार बिजली का उत्पादन किया करते थे थर्मल पावर प्लान्ट लगे हुए थे वे सब आज बन्द पड़े हैं।

बिजली की समस्या है भी राजस्थान में। सभापति महोदय, मैं इसी आधार पर कहना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चाहता हूं नये उद्योगों पर किसी प्रकार के कच्चे माल पर कोई सेल्स टैक्स नहीं था। राजस्थान सरकार ने एक प्रतिशत सेल्स टैक्स बढ़ाया है। पांच वर्ष के बाद दो प्रतिशत टैक्स देने की व्यवस्था कर दी। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में, सभापति महोदय नये उद्योग आ जायं, इसकी तो हमें कोई आशा ही नहीं करनी चाहिये। इस आधार पर मैं कहना चाहूंगा, पिछले वर्ष 1980 में बिजली की कटौती 33 प्रतिशत रही, 1981 में 44 प्रतिशत रही, 1982 में 61 प्रतिशत रही और 7 जनवरी से लेकर अब तक, आज के दिन से पहले तक 100 प्रतिशत की कटौती है। अब सभापति महोदय, मैं आपसे ही जानकारी करना चाहता हूं कि कौन राजस्थान में उद्योग लगायेगा? कोई भी राजस्थान में उद्योग नहीं लगायेगा। मैं इस आधार पर कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मन्त्री जी जब मुख्य मन्त्री बने तो उन्होंने टैक्सटाइल मिल एसोसियेशन में घोषणा की थी, घोषणा तो लम्बी है मैं इस सदन में पूरी पढ़ कर नहीं सुनाना चाहता हूं केवल दो लाइन पढ़ना चाहूंगा?

"Shri Shiv Charan Mathur said yesterday that the industries will no longer be subjected to power cut in the state."

अंग्रेजी के अखबारों में हैड लाइन छपी कि राजस्थान से विद्युत संकट का जमाना गया। मैं ऐसा समझता हूं कि विद्युत संकट का जमाना तो नहीं गया अलबत्ता यदि इन आंकड़ों के आधार पर विद्युत संकट का मूल्यांकन करें तो ऐसा लगता है कि उनकी घोषणा के बाद राजस्थान में विद्युत का संकट और ज्यादा बढ़ा है। सभापति महोदय, मैं इस आधार पर कहूंगा कि राजस्थान में अब कोई यह समझ कर चले कि हमें विद्युत ज्यादा मिल जायेगी और ज्यादा इन्डस्ट्रीज लगा पायेंगे तो यह बहुत ही मुश्किल है।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री प्रास्पेक्टिव प्लानिंग की बहुत बात किया करते हैं। वे यह सोचते हैं कि वे डागमेटिज्म के आधार बात नहीं करते है वह तो प्रास्पेक्टिव प्लानिंग के आधार पर बात करते हैं। राजस्थान में प्रास्पेक्टिव प्लानिंग की क्या स्थिति है? अगले वर्षों में और बढ़ने वाली हैं उन सब को जोड़ ले तो 1719 मेगावाट का उत्पादन कर पायें हैं जब कि आज 20 लाख यूनिट की डिमान्ड हैं। हम केवल 17 लाख यूनिट ही जनरेट कर पायेंगे, और वह भी तब जब कि सतपुड़ा से मिले पौंग से मिले, गांधी सागर में पानी पूरा भरा रहे और पावर का पूरा जनरेशन होता रहे। सभापति महोदय, इसमें वह भी शामिल हैं जिसकी दोनों यूनिटों में कभी एक यूनिट बन्द होती है तो कभी दूसरी यूनिट बन्द होती है और कभी दोनों यूनिट बन्द होती है। उस आधार पर मैं कहना चाहूंगा कि बिजली के प्रश्न के ऊपर राजस्थान सरकार को चिन्ता करनी चाहिए। अगर चिन्ता नहीं की तो आप यह मान कर चलो कि राजस्थान में किसी प्रकार का उद्योग नहीं आयेगा। सभापति महोदय, ऐसी बात नहीं है

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि हमारे पास बिजली के स्रोत नहीं हैं। मुख्य मंत्रीजी घोषणा करने में बड़े प्रवीण हैं। जोधपुर में घोषणा कर आये, भीलवाड़ा में घोषणा कर आये; अजमेर में घोषणा कर दी, उदयपुर में घोषणा कर दी, अलवर भरतपुर और गंगानगर में घोषणा कर दी कि 60 मेगावाट के यहां प्लान्ट्स लगाये जायेंगे। मुख्य मंत्रीजी तो नहीं हैं, वित्त मंत्रीजी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या इस 60 मेगावाट के प्लान्ट्स के सम्बन्ध में योजना कमीशन और विद्युत मंत्रालय भारत सरकार को कोई प्रपोजल बना कर भेजे है? आप ज्यादा से ज्यादा यह कहेंगे कि हमने राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कह दिया कि इसके लिए योजना बनायी जाय। घोषणा आप करके आते हैं और हर जिले में तालियां बजवाते हैं किन्तु तालियां बजवाने के बाद, मैं पूछना चाहता हूं, आपने इस सम्बन्ध में क्या किया है? सभापति महोदय, यही मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कि न्यूक्लियर प्लान्ट हम भीलवाड़ा और अलवर में बनायेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, वित्त मंत्रीजी, भीलवाड़ा अलवर के न्यूक्लियर प्लान्ट के बारे में क्या हुआ? क्या भारत सरकार के सामने कोई प्रस्ताव किया है? क्या राजस्थान सरकार ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है? न प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की, न भारत सरकार के सामने किसी प्रकार का प्रस्ताव किया। मुख्य मंत्रीजी, मैं कहना चाहता हूं, इस प्रकार की थोथी घोषणाओं से प्रशासन को नहीं चलाया जा सकता, राजस्थान में ठोस कार्य करके बताने पड़ेंगे तभी प्रशासन चलेगा। सभापति महोदय, यह मुख्य मंत्रीजी की कमजोरी का कारण है कि नाथपा झाकड़ी की 1028 मेगावाट बिजली में राजस्थान का हक होता था किन्तु नाथपा झाकड़ी में 1028 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा उसमें से राजस्थान को निकाल दिया। सभापति महोदय, मुकेरिया में 260 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, राजस्थान को उसके हिस्से से महरूम कर दिया। आनन्दपुर साहब में 110 मेगावाट बिजली का जेनरेशन होगा, उसमें राजस्थान को महरूम कर दिया। थीन डेम में 480 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, वहां से भी हम बिजली लेने में वंचित रह गये। पोंग डेम पार्वती का समझौता किया है, इस समझौते के अनुसार कोई बिजली मिल जाय, मैं समझता हूं इससे हमें कोई आशा नहीं करनी चाहिए। इसी आधार पर मैं कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी घोषणा कुछ भी करें, प्रास्पेक्टिव प्लानिंग की कुछ भी बात करें किन्तु आवश्यकता इस बात की है थोड़ा बहुत अपना प्रभाव बढ़ायें, दिल्ली के ऊपर प्रभाव बढ़ायें। यहां के एम0 एल0 एज० को धमकाने से काम नहीं चलेगा। दिल्ली के दरबार में हिम्मत के साथ जाकर खड़े हों कि राजस्थान को आपको बिजली देनी पड़ेगी। सभापति महोदय, मैंने परसों भी, जिस समय विद्युत के सम्बन्ध में यहां चर्चा हो रही थी, एक निवेदन किया था कि आज आर.एस. ई. बी. में 58 करोड़ रुपये का घाटा है, उसके कारण तो अनेक हैं, जिन पर कन्ट्रोल किया जा सकता है लेकिन प्रधान मंत्री का विभाग एटामिक एनर्जी का है, आर. ए. पी. पी. जिसमें आता है, उस आर. ए. पी. पी. के कारण राजस्थान का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ज्यादा से ज्यादा घाटे में जा रहा है। उस घाटे का दायित्व है भारत सरकार का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भारत सरकार को हम कहें कि आप का 110 मेगावाट बिजली इस प्लान्ट से देने का कमिटमेंट है, वह यदि आप पूरा नहीं करते तो सिंगरोली में जो उत्पादन हो रहा है, उसका जो 50 प्रतिशत अनकमिटेड है, भारत सरकार जिसको देता है उस आधार पर उसको दी जाय। लेकिन मुझे खेद है अब तक मेरी जानकारी के अनुसार राजस्थान के मुख्य मंत्री की ओर से भारत सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया। इस आधार पर मैं कहता हूं, सभापति महोदय, राजस्थान में बिजली की समस्या बहुत खड़ी होगी।

मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि कोटा थर्मल पर हम बहुत आशा लगाये बैठे हैं। कोटा थर्मल के बारे में इस सदन में बहुत घोषणा की गयी, एक मेरा ही लिखा हुआ है, मैं पढ़ कर सुना देता हूं। वर्ष 81-82 के बजट अनुमान प्रस्तुत करते समय तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री जगन्नाथ पहाड़िया ने कोटा तापीय परियोजना की प्रथम इकाई से मार्च 1982 तक उत्पादन प्रारम्भ किये जाने की घोषणा की थी। एक घोषणा बेकार गयी। दूसरी, इसी इकाई के दिनांक 29 दिसम्बर, 1981 को बायलर लाइट अप के समय वर्तमान मुख्य मंत्री ने प्रथम इकाई के मार्च 1982 एवम् द्वितीय इकाई के सितम्बर, 1982 तक प्रारम्भ होने की घोषणा की थी। यह घोषणा भी, अध्यक्ष महोदय बेकार गयी। राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने दिनांक 2[illegible]-2-1982 के अभिभाषण में प्रथम इकाई के शीघ्र चालू होने तथा दूसरी इकाई के 82-83 में चालू होने की सम्भावना व्यक्त की थी, बाद में प्रथम इकाई को मई, 82 के अन्त तक प्रारम्भ करने के प्रयत्न किये, वह भी बेकार चली गयी। सभापति महोदय, इसके बाद प्रथम इकाई और दूसरी इकाई की जितनी भी घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं में से एक भी सही साबित नहीं हुई। इस आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बिजली का संकट जितना भयंकर चल रहा है, उस संकट में भी हमारा मन्त्रिमण्डल या सरकार किसी भी प्रकार से यह नहीं सोचती कि किसका पक्ष लिया जाय और किसका पक्ष नहीं लिया जाय। सभापति महोदय, मैं पूछना चाहूंगा वित्त मंत्रीजी से, आप जरा नोट कर लें कि जिस समय हण्ड्रेड परसेन्ट पावर कट था, सत्तर परसेन्ट पावर कट था, उस समय आपको एलको बैक्स, जोधपुर को बिजली दी और अन्य उद्योगों को आपने बिजली बन्द कर दी। आपने इसी आधार पर चोपड़ा मैटल्स, जोधपुर को बिजली दी, अबैक्स ट्यूब्स, जोधपुर को आपने बिजली दी, मल्टी मैटल्स, कोटा को आपने बिजली दी, मैटल्स, जयपुर को आपने बिजली दी, आर० एस० मैटल्स, जयपुर को आपने बिजली दी, नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज, जयपुर को आपने बिजली दी, ओरियन्टल पावर केबल्स को आपने बिजली दी, गोरगम इण्डस्ट्रीज को आपने बिजली दी, बरगी स्टील्स, भिवाड़ी, जे० के० टायर्स, कांकरोली को आपने बिजली दी। मैं आप को पूछना चाहता हूं, यह आपको अधिकार किसने दिये, मैं इस आधार पर कहना चाहता हूं कि इसमें भी, अध्यक्ष महोदय, पक्षपात है। यह पक्षपात इस आधार पर नहीं कि एक की कोई शक्ल देखी थी, माननीय सदस्य नाराज न हों, एक बात आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि पहाड़िया जी जिस समय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मुख्य मंत्री थे, उस समय टैक्स टाइल मिल्स एसोसिएशन की तरफ से उनको एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में उनसे मांग की गयी कि हमें बिजली दी जाय। उसके थोड़े दिन बाद वह चले गये। टैक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने 14 लाख रुपये राजस्थान सरकार को देने के लिए इकट्ठे किये थे, उनका रिकार्ड उठा कर देख लीजिए, जब्त कर लीजिए रिकार्ड। 14 लाख रुपये का कलेक्शन किया गया। मैं मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह 14 लाख रुपये कहां गये? मुख्य मंत्री जी यह कह सकते हैं कि हमने जो कांग्रेस की रैली निकाली थी, उसमें 26 करोड़ रुपये का भुगतान देना था, उस भुगतान के पेटे जमा हो गये होंगे। मैं आरोप लगाता हूं, सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी के ऊपर कि जो रोडवेज का पैसा जमा कराया, वह पैसा कहां से आया? यदि उनमें ईमानदारी है तो वह इस सदन के सामने हिसाब पेश करें। कौन से जिले की कांग्रेस पार्टी ने कितना पैसा दिया, कांग्रेस पार्टी के कौन न सदस्यों ने कितना पैसा दिया, वह हिसाब सदन के अन्दर पेश करें। मैं समझता हूं, वह हिसाब पेश नहीं कर सकते। मैं मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि 14 लाख रुपया, जो टैक्स-टाइल मिल्स एसोसिएशन ने इकट्ठा किया था, कहां गया? मैं, सभापति महोदय, इस आधार पर कह रहा हूं कि राजस्थान में अब किसी प्रकार का कोई उद्योग लग जाय, इसकी तो आशा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसी सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहूंगा। सभापति महोदय, यह बिजली के अन्दर जो भेदभाव किया गया, इस भेदभाव के सम्बन्ध में भी व्यापार मण्डल की तरफ से शिकायत की गयी। शिकायत करके यह कहा गया कि हमें बिजली नहीं दी जा रही है तो और लोगों को बिजली किस तरह से दी जा रही है। उस समय कहा कि हम कुछ ऐसी यूनिट्स को बिजली देना चाहते हैं जो डिफेन्स का प्रोडक्शन करती हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इनमें से कौन से उद्योग हैं, जो डिफेन्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं जिनको डिफेन्स का प्रोडक्शन करने की वजह से एग्जेम्पशन दिया, 30 प्रतिशत बिजली दी गयी?

सभापति महोदय इस आधार पर मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि अब खर्चा कहां से आयेगा। कटौती किस प्रकार से की जायेगी? सभापति महोदय राजस्थान की जितनी भी पब्लिक अण्डरटेकिंग हैं, उन पब्लिक अण्डरटेकिंग में बिजली मण्डल का 58 करोड़ रुपये का घाटा है। इसी प्रकार से, सभापति महोदय, यदि स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन को लें तो एकुमुलेटेड लास 81–82 तक 31 करोड़ रुपये का होता है। 1981–82 तक 31 करोड़ रुपये और इस साल 4.5 करोड़ का घाटा है। एग्रो इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन को यदि हम लें, सभापति महोदय, एकुमुलेटेड लास 1 करोड़ 51 लाख रुपये है। कल ही एक प्रश्न का उत्तर दिया गया, इस वर्ष में 59.43 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, हमारे सामने जितने भी कार्पोरेशन और बोर्ड्स हैं, यह सफेद हाथी बन गये हैं, इन सफेद हाथियों को राजनैतिक आधार पर यदि आप पनपाना चाहें तो जनता की बहबूदी की चिन्ता नहीं करें। आप अपने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लोगों को पनपायेंगे तो इनको पनपाने का मतलब यह होगा कि राजस्थान पर अतिरिक्त पैसे का भार बढ़ेगा। कोई कह सकता है आज के दिन हमारा कोई कार्पोरेशन ठीक प्रकार से चल रहा है ? कोई यह कह सकता है कि उस कार्पोरेशन के अन्दर हमने इस प्रकार की योजनाएं बनायी हैं कि जिनसे हमें लाभ हो ? सभापति महोदय, किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो रहा है। मैं तो निवेदन करना चाहूंगा इस सरकार से कि सरकार की यदि हिम्मत हो तो कुछ कार्पोरेशन्स का तो एमलगमेशन कर दीजिये। एक बात कई दिनों से चलती आ रही है टूरिज्म कार्पोरेशन, होटल कार्पोरेशन, स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन इनका एमलगमेशन कराया आपने ? लाखों रुपये की इससे बचत होगी इसी प्रकार, सभापति महोदय, समय आगया है, आप सैल्स टैक्स से बचने और बाकी के टैक्सेशन से बचने के आधार पर कोर्पोरेशन बना कर भारत सरकार से पैसा लेने की व्यवस्था कर रहे थे। अब तो हालत यह है कि भारत सरकार का पैसा भी खतम हो रहा है और घाटे के कारण से लोग परेशान हो रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे बोल्ड स्टेप यह लें कि राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कोर्पोरेशन के लिए ही विशेषज्ञों की समितियां बनाने तक सीमित न रहे बल्कि जितने भी कार्पोरेशन बने हुए हैं उन सारे के वर्किंग की जांच करवायें। जांच कराने के बाद यदि किसी में सुधार हो सकता है तो मैं नहीं कहना चाहूंगा कि उसको समाप्त किया जावे वरना जितने भी छोटे मोटे कार्पोरेशन हैं उनको खतम कर दिया जावे।

सभापति महोदय एक आंकड़ा मैं रफली इकट्ठा कर पाया हूं, उस आंकड़े के आधार पर 1 करोड़ 26 लाख रुपये अतिरिक्त खर्च हुए हैं ये सारे चेयरमेन बनाने पर। तो मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, इन सफेद हाथियों पर राजस्थान की गरीब जनता का 1 करोड़ 26 लाख रुपया खर्च कर आप यदि राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी की बात है। सभापति महोदय, एक वे कार्पोरेशन के चेयरमेन है, उन्होंने पैट्रोल पैट्रोल पर एक महीने में 58 हजार रुपया खर्च किया है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन आंकड़े आडिट रिपोर्ट के आधार पर आप देखें तो आपको ताज्जुब होगा कि किस प्रकार से सरकार चल रही है। मैं, सभापति महोदय इस आधार पर कहना चाहूंगा कि राजकीय उपक्रमों के सम्बन्ध में इस सरकार को कोई जांच करानी चाहिए। एक उपक्रम बनाया राजस्थान में, उसका नाम है राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ। मेरी समझ में नहीं आता कि इसकी आवश्यकता क्या है ? भारत सरकार जो कस्टम में माल पकड़ती है उस माल को बिक्री के लिए यहां भेजती है। अभी-अभी एण्टी करप्शन डिपार्टमेंट ने उस राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ पर रेड डाली, जितना माल था सारा का सारा माल बदला हुआ था या गायब था। क्या आपने चेयरमैन इसलिए बनाये हैं कि वह माल गायब करते रहें या बदल देवें ? मैं इस आधार पर ज्यादा नहीं कह कर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब प्रश्नों पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। यदि गंभीरता से हमने चितन नहीं किया और ऐसे सफेद हाथियों को खतम नहीं

Page No.129

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

किया, तो राजस्थान की हालत बहुत खराब हो जायगी।

सभापति महोदय, मैंने आरम्भ में ही निवेदन किया था कि राजस्थान में भारत सरकार का विनियोजन बहुत कम है। सुपर जिंक स्मेल्टर चित्तौड़ में लगाने की सिफारिश कई दिनों पहले हो गई थी। स्थान का सलेक्शन हो गया लेकिन वह क्यों नहीं लग रहा है, इसका कारण केवल यह है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री चाहते हैं कि चित्तौड़ में न लग कर आगूचा के पास भीलवाड़ा में लग जाय। सभापति महोदय, मेरे सामने चित्तौड़ और भीलवाड़ा का प्रश्न नहीं है। मेरे सामने प्रश्न है सारे राजस्थान का। राजस्थान में दो सौ करोड़ का विनियोजन सुपर जिंक स्मेल्टर लगने से होगा और एक सौ करोड़ रुपये का उनको बिजली का उत्पादन करने के लिये करना पड़ेगा तीन सौ करोड़ रुपयों का, वित्त मंत्रीजी, विनियोजन इसलिये नहीं हो पा रहा है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री चाहते हैं कि वह चित्तौड़ में नही लग कर भीलवाड़ा में लगे। इस बात के लिए वे दिल्ली के दरबार में खड़े होते हैं। न वह भीलवाड़ा में लग रहा है और न चित्तौड़ में लग रहा। यदि आज से एक दो साल पहले फैसला हो जाता तो राजस्थान में तीन सौ करोड़ रुपयों का विनियोजन होता, वह अभी तक नहीं हुआ।

सभापति महोदय, भीलवाड़ा के लिए मैं कहना चाहता हूं, भीलवाड़ा में यदि वे इंट्रेस्टेड हैं तो माइका ट्रेडिंग कार्पोरेशन, जिसमें 22 करोड़ का विनियोजन होता, के सम्बन्ध में तो प्रयत्न करते। उस प्रयत्न के आधार पर यदि वह कार्पोरेशन वहां बन जाता तो कोई व्यवस्था होती। सभापति महोदय, भीलवाड़ा जिले के लिए भारत सरकार ने 13 टैक्सटाइल मिल, उद्योगों को स्वीकार किया था। कोई यह न समझ लें कि मुख्य मंत्री भीलवाड़ा के हैं इसलिए स्वीकार किए थे। उनमें से दस तो जनता पार्टी के शासन में हुए हैं और दो पहले हुए हैं। इन्होंने केवल एक स्वीकार कराया है। इसका नतीजा क्या है? 1980-81 से अभी तक केवल पांच का काम चालू हुआ है बाकी के लोग भाग रहे हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता ने आपको राजस्थान का मुख्य मंत्री बनाया, लेकिन आपने अपने कार्यों से अपने आपको भीलवाड़ा तक सीमित कर लिया है। मैं भीलवाड़ा के मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि 13 टैक्सटाइल मिल का जो लाइसेंस मिला था उसमें से पांच में ही काम शुरू क्यों हुआ और बाकी वहां से क्यों चले गए? मैं समझता हूं, सभापति महोदय, यह मुख्य मंत्री की कमजोरी है। इस कमजोरी को कितनी बार ही कहा जाय, इसकी कोई सीमा नहीं है। मैं यह कह सकता हूं कि यदि राजस्थान में वर्त्तमान मुख्य मंत्री का शासन रहा तो राजस्थान में केन्द्रीय सरकार का विनियोजन नहीं होगा। राजस्थान डूबेगा। मैं और आगे कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, जो मिनी सीमेंट प्लान्ट की आठ इकाइयों की बात चल रही थी, 66 हजार टन की क्षमता के आशय पत्र प्राप्त हो चुके थे दो डी. जी. टी. डी. यहां पर पंजीकृत हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूं, सभापति महोदय, इन आठ मिनी सीमेंट प्लान्ट का क्या हुआ? जिनके लिए भारत सरकार कमिटेड है, जिनसे भारत सरकार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

को कोई विरोध नहीं है उस भारत सरकार से आप आठ मिनी सीमेंट प्लान्ट मंजूर करा कर राजस्थान में क्यों नहीं लगा सके? यह राजस्थान के मुख्य मंत्री की कमजोरी है। सभापति महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं उद्योग विभाग द्वारा छोटी इकाइयां लगाने हेतु 157 का पंजीयन किया, रजिस्ट्रेशन किया। सात करोड़ तक की पूंजी का उसमें विनियोजन होता लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, बिजली के कारण यह विनियोजन नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, मैं सदन को यह भी जानकारी देना चाहूंगा, जनता पार्टी के शासन में हमने इस बात का प्रयत्न किया था कि नेचरल गैस किसी एक राज्य की सम्पत्ति नहीं है। यह सब राज्यों की सम्पत्ति है। सब राज्यों की सम्पत्ति है तो गैस बेस्ड जितने भी स्मेल्टर कारखाने बनेंगे उसमें राजस्थान का भी हिस्सा आएगा। आप पत्रावली उठा कर देख लें। बहुगुणा जी की चिट्ठी पड़ी है जिस चिट्ठी के आधार पर उन्होंने स्वीकार किया है कि राजस्थान को दो गैस बेस्ड फर्टीलाइजर प्लान्ट लगाने की अनुमति दी जाएगी। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि दो की जगह तो एक हो गया और एक के लिए भी झगड़ा हो रहा है, सवाई माधोपुर में लगे या कहां लगे। भारत सरकार ने सवाई माधोपुर के किसी गांव का चयन कर लिया लेकिन हमारे मुख्य मंत्रीजी की हिम्मत नहीं है कि उस चयन को फाइनल करवा कर वहां पर इन्वेस्टमेंट की कार्यवाही चालू करवा लें।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक): वह तो फाइनल हो गया है। आप पुरानी बात कह रहे हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत: वह तो हो चुका है। अब तो कोई नई बात कहिये इस बारे में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: देखिये, मैं नई बात ही कह रहा हूं। सवाई माधोपुर में हो गया, चयन हो गया यह मैं भी कह चुका हूं आपके पहले। चयन हो गया....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत: अब तो विनोबा गांव तय हो गया है, उसके बाद क्या बच गया? कोई नई बात कहो, साहब आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: नई बात ही कह रहा हूं। आप तो बड़े उतावले हो रहे हैं नई बातों के लिए।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत: खाद के कारखाने के लिए कहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: आप जरा उतावले इस बात के लिए भी होइये कि दो की जगह एक क्यों हुआ....

(व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत: उतावला इसलिए था कि सवाई माधोपुर से किसी दूसरी जगह चला जाता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: आपको संतोष हो गया। दो की जगह एक हो गया....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत: दो तो पहले भी थे। आपके टाइम में भी थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: दो से एक हो गया उससे आपको सन्तोष है?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत: नहीं, एक तो आपके टाइम में ही चला गया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे टाइम में तो दो हो गए थे। आपको पता ही नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, पशुपालन) : जुबानी हुए थे या क्या हुए थे? हुए कहां थे ये ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पशुपालन मंत्रीजी, यह गोबर गैस नहीं है, यह बायो गैस है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : गोबर गैस तो मेरे अन्तर्गत नहीं आती है। अगर आप कहोगे तो मैं आपके लिए व्यवस्था जरूर करा दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर ये इण्ट्रप्ट करेंगे तो सोच लें, साहब, टाइम आपको ज्यादा देना पड़ेगा मुझे। इन्ट्रप्शन से मुझे तो थोड़ा आराम मिलेगा।

श्री सभापति : आप चालू रखिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो की जगह एक हो गया। सबसे पहले आप इस चुनौती को स्वीकार कर लें और पत्रावली मंगा कर देख लें कि नेचरल गैस राजस्थान की सम्पत्ति है या राष्ट्र की सम्पत्ति है? एक बम्बई की या गुजरात की सम्पत्ति नहीं हो सकती। यह फार्मूला तय हुआ, उस फार्मूला के तय होने के बाद राजस्थान में दो प्लान्ट लगेंगे, भारत सरकार का कमिटमेंट है। उनमें से एक प्लान्ट लगा और एक प्लान्ट के लिये स्थान का चयन हुआ किन्तु काम शुरू नहीं हुआ। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी काम शुरू नहीं हुआ तो हमारे मुख्य मन्त्री जिस तरह से प्रभावहीन हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि गैस का कारखाना भी चला जाय और उनकी भी गैस निकल जाय। मैं इसलिए कहना चाहता हूं....

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब माननीय सदस्य मुख्य मन्त्री थे तब उनको बड़ी भारी गैस से कितने कारखाने उन्होंने लगवा दिए ? यह जानकारी कृपा करके दे दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी गोबर गैस से एक ही पैदा हुआ है, सभापति महोदय, जिस प्रोजेक्ट का नाम है श्रीराम गोटेवाला।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है कि सम्माननीय सदस्य को गोबर ही गोबर दिखाई देता है। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य गोबर के अन्दर ज्यादा पले हुए दिखते हैं।

श्री सभापति : कृपया विपक्ष के नेता को बोलने दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा कारखाना चालू है। उस कारखाने में ऐसा ही उत्पादन होगा।

मैं यह निवेदन कर रहा था, सभापति महोदय, भरतपुर में हिन्दुस्तान ऐरोनोटिक्स लिमिटेड के रक्षा सामग्री उत्पादन के सम्बन्ध में राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने क्या एफर्ट्स किए ? जिस समय हमने एफर्ट किए उसके बाद में एक भी चिट्ठी राजस्थान सरकार की तरफ से नहीं लिखी गई कि एरोनोटिक कारखाना राजस्थान में लगे। उसके लिये कोशिश नहीं की गई। पेट्रो केमिकल काम्पलेक्स, भरतपुर में बनाने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की सारी कार्यवाही पूरी हो गयी थी। मथुरा रिफाइनरी की सब्सीडियरी एक कारखाने के रूप में भरतपुर में लगनी चाहिए, उसकी मन्जूरी का मामला करीब करीब फाइनल पर पहुंच गया था लेकिन उसका भी कुछ नहीं हुआ। इसी तरह से पाइराइट पर आधारित सलादीपुरा के कारखाने के लिए माननीय सदस्य भी बहुत ज्यादा इन्ट्रेस्टेड होंगे, उस मामले को आपकी सरकार ने सदा के लिए दफन कर दिया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सदन के लिए दफन नहीं हुआ। मैं, माननीय सदस्य, सम्माननीय विपक्षी दल के नेता महोदय को इसकी जानकारी दे दूं कि भारत सरकार ने, योजना कमीशन ने उसकी स्वीकृति दे दी है, व कारखाना लगाए जाने की घोषणा बहुत जल्दी होने वाली है। सम्माननीय विपक्षी दल के नेता महोदय ने कुछ एफर्ट्स किये हुए हों तो वे बतायें। अपने एफर्ट्स से उन्होंने क्या किया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छी बात है, इन्होंने यह घोषणा कर दी कि स्वीकृत हो चुका है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी के मुंह से कहलवा दें कि स्वीकृत हो चुका।....

श्री श्रीराम गोटेवाला : स्वीकृति के बाद, माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन कर दूं, मुख्य मंत्री के पास पाइराइट फास्फेट लिमिटेड के मिस्टर जग्गी आये थे। मुख्य मंत्री से उन्होंने तीन बातों की स्वीकृति चाही थी, सीकर के सलादीपुरा की सड़क को डबल कराने की, 132 के.वी. का सब स्टेशन वहां पर बनाने की, तीसरी बात वहां पर पानी की व्यवस्था कराने की। तीनों बातों की स्वीकृति मुख्य मंत्री ने दे दी। मुख्य मंत्री ने कहा, हम राजस्थान की तरफ से सारी व्यवस्था करेंगे। उसके हिसाब से पाइराइट प्रोजेक्ट वहां पर लगाने की बात तय हो चुकी है।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : शाबाश।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, खाद कारखाना जो सात सौ करोड़ रुपये का था उसके बजाय 36 करोड़ रुपये की बात चल रही है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपके नेता महोदय तो कह रहे थे, बात ही नहीं चल रही है, कृपा करके जानकारी तो दे दो। बात ही नहीं चल रही है बात पक्की भी हो गई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जिसकी पहले पाइराइट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गयी थी, माननीय शेखावत साहब के टाइम पर वह खाद कारखाने की बात ..

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपके नेता महोदय को ...

श्री श्रीराम गोटेवाला : इनके टाइम में तो कुछ हुआ ही नहीं, खाली भाषण ही भाषण हुए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह सारे के सारे काम करवाते। इसको आपने डुबो दिया। पाइराइट प्रोजेक्ट बन गया था, दो करोड़ का प्रावधान हो गया था....

श्री श्रीराम गोटेवाला : दो करोड़ नहीं ढाई करोड़ रुपया तो वहां खर्च हो चुका। आपके टाइम में तो एक धेला ही खर्च नहीं हुआ था। मेरे को पता है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बरसाना से लेकर वामनवास तक सड़क बन चुकी थी, और दो करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी, खंडाला में केमिकल प्रोजेक्ट के सौ कारखानों की स्वीकृति हो गई थी, वह कहां गये सब के सब ? केमिकल प्रोजेक्ट खण्डाला के डुबाए आपकी सरकार ने राज में आने के बाद।

श्री श्रीराम गोटेवाला : डुबोने वाले तो डुबो कर चले गये, भई, हम तो इसको ला रहे हैं। यह तो वह श्रीमान खाली भाषण दे दे कर चले गये। भाषण से कुछ....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यूरेनियम की खुदाई का काम जो खण्डाला में हो रहा था. दो यूनिट काम कर रही थी....

श्री श्रीराम गोटेवाला: सभापति महोदय, सम्माननीय सदस्य को जानकारी तो दे दो, यूरेनियम कहां है ? किस जगह किस जिले में यूरेनियम की बात कर रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उन दो यूनिट्स को बिहार में ट्रांसफर कर दिया। उनके लिये मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था उस पर यहां बोला था दो यूनिट वहां पर चली गयीं केमिकल की जो बात थी वह केमिकल वाली और चली गयी।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बरसाना से लेकर वामन वास तक सड़क बनायी जानी थी, सड़क का काम बन्द हो गया, पानी का काम बन्द हो गया। यह राज आने के बाद में खण्डाला का पूरा का पूरा हजम कर गये, उसमें आपका भी हाथ है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह हाथ वाथ बताने में तो आप बड़े माहिर हो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय सभापति महोदय, आप पानी लेंगे थोड़ा।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : और, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, पानी की बात हो रही है....

श्री श्रीराम गोटेवाला : मौका दे दिया आपने नेता महोदय को। वह पानी पीने गये जिससे पानी पी पी के पुकारो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सारे के सारे काम डुबाये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : XXX

श्री घनश्याम तिवाड़ी : XXX

श्री भैरोंसिंह शेखावत : XXX

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : XXX

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप इसकी चिन्ता मत करो। पानी तो हमने आपको देने की सारी व्यवस्था कर दी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: सभापति महोदय, मुझे खुशी है श्री गोटेवाला ने बताया कि पाइराइट के आधार पर एक फर्टिलाइजर प्लांट वहां लगने वाला है, मुख्य मंत्री जी ने सब बातें स्वीकार कर ली हैं। मैं मुख्य मंत्री जी की स्वीकृति के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। मैं यह पूछ रहा था भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया? उसका जवाब मुख्य मंत्री दे देंगे तो मैं मानूंगा भारत सरकार ने इस योजना को स्वीकार कर लिया और यह प्लांट राजस्थान में लगेगा। सभापति महोदय, बीच में हमने यह कर दिया यह कर दिया, सब मालूम है मुझे, आपको ज्यादा मालूम होगा, मुझे थोड़ा बहुत मालूम है। मालूमात के आधार पर राजस्थान में काम शुरू हो या भारत सरकार इसको स्वीकार कर ले, इसकी आपको जानकारी होगी, मैं पूछना चाहता हूं यह प्लांट लगायेगा कौन? राजस्थान सरकार लगायेगी या भारत सरकार लगायेगी? बताइये!

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, यह सारी जानकारी चाहें तो मैं जानकारी निवेदन कर दूं

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, यहीं पर बता दें। मैं ज्यादा लम्बी चौड़ी बात नहीं चाहता।

श्री श्रीराम गोटेवाला : पाइराइट फास्फेट इण्डिया लिमिटेड उस प्रोजेक्ट को एक्जीक्यूट करेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, वह तो सही है, राजस्थान सरकार का कितना कंट्रीब्यूशन होगा?

एक माननीय सदस्य : यह कोई एग्जामिनेशन है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एग्जामिनेशन का सवाल नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह तो सारा बता दूंगा, राजस्थान सरकार का कितना कन्ट्रीब्यूशन होगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता कभी से कह रहे हैं हमारे मुख्य मन्त्री जी का कतई असर नहीं है, भारत सरकार उनको गिनती नहीं है। सभापति महोदय, जो बजट स्पीच मास्टर आदित्येन्द्र जी ने दी थी 1979-80 में उसको देखिये। योजना के लिए केन्द्रीय सहायता, जिसमें यह है, किन्तु खेद है कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता पर जो निर्णय हाल ही में लिए हैं, उसके फलस्वरूप राजस्थान को राहत मिलने के बजाय और अधिक धक्का पहुंचा है।

(व्यवधान)

पूरा सुनिये, पूरा सुनिये।

उसमें से राजस्थान का हिस्सा नये सिद्धान्तों के अनुसार केवल 5.15 प्रतिशत होगा, जब कि गाडगिल फार्मूला के आधार पर यह लगभग 5.761 होता असर तो इतना था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय मन्त्री महोदय ने अध्ययन किया इसके

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लिए तो बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। लेकिन सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहूंगा, वह जरा बता दें गाडगिल फार्मूला क्या है?

(व्यवधान)

इसलिये मैंने पूछा है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक मिडल स्कूल का हैड मास्टर बनाओ, साहब, इनको, आप पूछ रहे हैं, क्या मामला है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सिवाय चन्दन मल जी और बृज सुन्दर शर्मा जी बता दें तो ठीक है। खेतसिंह जी बता दें कि गाडगिल फार्मूला क्या है तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा? आप बैठ जाओ ना, आपको पता ही नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : फार्मूला बताने का काम तो वित्त मन्त्री जी का है मैंने तो यह कहा है, आपका असर कितना था भारत सरकार में?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिये निवेदन कर रहा था जिस चीज को आप जानते नहीं है उस चीज को उठाया नहीं करें। आइन्दा के लिये इसके बारे में ध्यान रखें।

मैं निवेदन कर रहा था राजस्थान में केन्द्र सरकार के विनियोजन के बारे में। टेलीफोन एक्सचेंज के जो उपकरण होते हैं, उसका एक कारखाना लगने वाला था, वह राजस्थान से गया। सभापति महोदय, रेलवे में कितना विस्तार हुआ, यह माननीय सदस्य जानते हैं। इस साल जो रेलवेज में विस्तार होना था वह भी अवरुद्ध हो गया। पोस्ट आफिस राजस्थान में कितने खोले? पोस्ट आफिस के संबंध में एक जांच आयोग नियुक्त किया था, राजस्थान में किस संख्या में पोस्ट आफिस की कमी है। उसका थ्री ईयर प्लान बना। उस प्लान के अनुसार राजस्थान में पोस्ट आफिस नहीं खुले। सभापति महोदय, नेशनल परमिट जितनी संख्या में मिलने चाहिए थे, राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से विस्तार की दृष्टि से क्षेत्र की दृष्टि से, उस संख्या में हमको नेशनल परमिट नहीं मिले। उसके आधार पर मैं कहना चाहूंगा, माननीय चंदन मल जी को मालूम है, भारत सरकार हिली क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योग लगाने वालों को कई कन्सेशन देती है, उनके कन्ट्रीब्यूशन का जो शेअर है उसमें कमी करती है इन्ट्रेस्ट रेट कम करती है। भारत सरकार लगभग कमिटेड थी इस बात पर कि हिली क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में जो सुविधाएं दी जाती हैं इस प्रकार की सुविधायें, सभापति महोदय, रेतीले रेगिस्तानी क्षेत्रों में दी जायें। उस संबंध में राज्य सरकार ने अब तक क्या किया, मेरी समझ में नहीं आया। मैं इसी आधार पर यह कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, राजस्थान में विनियोजन बहुत कम हो रहा है। राजस्थान में विनियोजन भारत सरकार का नहीं बढ़ा तो राजस्थान के रिसोर्सेज की समस्या सामने आयेगी, बिजली की समस्या, फाइनेन्स की समस्या सामने आयेगी। उद्योगपति बिजली के कारण से नहीं आ रहा है टैक्सेज ज्यादा बढ़ गये इस कारण से नहीं आ रहा है। भारत सरकार ने यदि विनियोजन नहीं किया तो राजस्थान में बहुत बड़ी समस्या

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

खड़ी हो जायगी। अध्यक्ष महोदय, विनि-योजन के बारे में बात इस सदन में पहले भी कह चुका हूं, आज भी कहना चाहता हूं,

श्री सभापति : आपको एक घंटा और दस मिनट हो गये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने बोलने कितना दिया मुझे ?

श्री सभापति : जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जल्दी समाप्त कर रहा हूं। सभापति महोदय, जयपुर उद्योग, जयपुर उद्योग के संबंध में अब फिर माननीय खेतसिंह जी कहेंगे आपने क्या किया हैं। मैं यह कहना चाहता हूं 1979 में भारत सरकार ने जयपुर उद्योग लिमिटेड एक्वीजिशन एण्ड ट्रान्सफर आफ सीमेंट अण्डरटेकिंग बिल, 1979 पेश किया। सभापति महोदय, उस समय हमने एक आपत्ति की कि सीमेंट कार्पोरेशन आफ इण्डिया को यह उद्योग न देकर राजस्थान सरकार को दिया जाये। राजस्थान सरकार को इसलिये दिया जाये, कुल कम्पेनसेशन लगभग साढ़े दस करोड़ रुपया देना था। साढ़े दस करोड़ में से साढ़े तीन करोड़ भारत सरकार ने माना। हमारे हिसाब से साढ़े पांच करोड़ रुपये रायल्टी के, इलेक्ट्रिसिटी के और बाकी के करों के उस उद्योग में बाकी थे। 50-55 करोड़ के असेट्स हैं, पूंजी 50-55 करोड़ की लगी हुई है, इसलिये राजस्थान सरकार अगर इसको लेती तो निश्चित रूप से राजस्थान का हित होता। लेकिन, सभापति महोदय, यह बिल 1979 में पेश हुआ, इसके बाद में कोई कार्यवाही नहीं हुई, बल्कि मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, यह उद्योग अब वापस मालिकों को दिया जायेगा। उसने अपने शेयर पर्चेज कर लिये अपनी वोटिंग स्ट्रेन्थ बढ़ा ली, वोटिंग स्ट्रेन्थ तब बढ़ा ली, माननीय वित्त मंत्री जी जानकारी कर लें, प्रधान मंत्री को जाकर या और कोई मंत्री आपके परिचित हों, भारत सरकार ने आज के चार महीने पहले इस जयपुर उद्योग को टेक ओवर करने के लिये, सीमेन्ट कार्पोरेशन आफ इण्डिया को देने के लिये केबिनेट में फैसला किया, यह फैसला किया कि आर्डिनेन्स इश्यू किया जाये और सात दिन के बाद वह फैसला बदल गया। बदलने के बाद अब आप सुन लीजिये, सीमेन्ट के भाव बढ़ गये हैं, इसके कारण जयपुर उद्योग करोड़ों के मुनाफे में चलेगा। करोड़ों रुपया मुनाफे वाली इण्डस्ट्री है। मैं मुख्य मंत्री से कहना चाहता हूं, वह पक्के समाजवादी है, समाजवाद की बहुत चर्चा किया करते हैं और निजी क्षेत्र के बहुत खिलाफ हैं। मैं उनसे कह रहा हूं कि उन करोड़पति सेठों को यह फैक्ट्री वापस देने के बजाय राजस्थान सरकार 50-55 करोड़ की पूंजी की यह फैक्ट्री दस करोड़ में ले सकती थी दस करोड़ रुपये में नहीं ली अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देना चाहूंगा। चुनाव के दिनों में जब हैदराबाद में गया था इस फैक्ट्री के मालिक मुझे हैदराबाद एयरपोर्ट पर मिले। कहने लगे कि यह फैक्ट्री मेरे पास आ रही है। मैंने कहा आपके पास फैक्ट्री कैसे आयेगी ? कहा, मैंने मेनिपुलेशन कर लिया। वह मेनीपुलेशन क्या ? मुख्य मन्त्री जी यहां होते तो बताता

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उनकी एक्सेंस में मेनिपुलेशन नहीं बताना चाहता। सभापति महोदय, इस आधार पर मैं आज मांग फिर करता हूं कि राजस्थान में घाटे की स्थिति को पूरा करना है, विनियोजन पर राजस्थान में नियंत्रण करना है तो 50-55 करोड़ की पूंजी के एवज में दस करोड़, जिसमें साढ़े तीन करोड़ राजस्थान के हैं, साढ़े सात करोड़ देकर इस उद्योग पर कब्जा करिये और फिर बताइये कि राजस्थान में यह उद्योग किस प्रकार से चलता है। सभापति महोदय, पहले भी घाटे में चली, 1976 में यह बन्द रही, 1977 में राजस्थान सरकार ने फैसला किया कि इसका कंट्रोल अपने हाथ में लिया जाय। भारत सरकार से इसकी जांच कराई। जांच कराने के बाद हमने राजस्थान के एक आई.ए.एस. आफिसर को इसका चेयरमैन बना कर बैठाया। इससे इसकी हालत सुधरने लगी। चीजों के भाव चढ़ गये, भाव बढ़ गये तो, सभापति महोदय, 50-55 करोड़ की यह पूंजी राजस्थान सरकार के हाथ में से निकल जाय मैं समझता हूं कि यह राजस्थान के लिये दुर्भाग्य की बात होगी।

सभापति महोदय, एक रेवेन्यू की आमदनी की बात और कहना चाहता हूं। आप सबको मालूम है कि एक गांधी गृह निर्माण सहकारी समिति की जमीन के ट्रान्सफर को लेकर हाई कोर्ट में विवाद चला हाई कोर्ट ने उस के पक्ष में फैसला कर दिया। फैसला किस आधार पर किया, मैं जजमेंट क्वोट कर रहा हूं फैसला इस आधार पर किया कि वह जमीन एग्रीकल्चर लैण्ड है, इस एग्रीकल्चर लैण्ड को साबित करने के लिये सरकार ने न तो कोई रिकार्ड पेश किया, न खसरा गिरदावरी पेश की और न और कोई डाक्यूमेंट पेश किया, इस आधार पर इसको एग्रीकल्चर लैण्ड नहीं माना जाकर आबादी की जमीन मानी गई। अब राजस्थान की सरकार एक अमेण्डमेन्ट लाना चाहती है उस अमेंडमेंट में वह जमीन कवर होगी नहीं। मैं समझता हूं कि श्री राम जी गोटेवाला इस बात को स्वीकार करेंगे कि वह जमीन लगभग 30-35 करोड़ रुपये की है। वह 30-35 करोड़ रुपये की जमीन आज एक गृह निर्माण सहकारी समिति के नाम की सेठ के कब्जे में चली जाय, सभापति महोदय, यह आप मान कर चलें कि यह सारी स्थिति ऐसी स्थिति नहीं हो सकती, जिसमें कहीं न कहीं दाल में काला न हो।

सभापति महोदय, मैं एक प्रश्न की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। भूतपूर्व और वर्तमान दोनों माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं। इसी सदन में कई माननीय सदस्यों ने पिछली बार प्रश्न उठाया जोगा, रायरा ईसवगोल के ऊपर सेल्स टैक्स की जो गड़बड़ हुई जिसमें लाखों रुपये किसानों से लिये गये लगभग 80 लाख रुपये किसानों से लेकर लोग हजम कर गये, सरकार को घाटा पहुंचाया। मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आपने क्या किया? विधान सभा को जानकारी देने का आपका कर्तव्य नहीं था? कितने आदमियों की इन्क्वायरी करवाई, कौन उसमें दोषी थे, उस सम्बन्ध में आपने क्या किया?

इसी प्रकार से, सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, बिक्री कर के सम्बन्ध में एक सिन्थेटिक यार्न की बिक्री का मामला कई

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दिनों से चल रहा है। सिन्थेटिक यार्न के मामले में चार पर्सेन्ट और तीन पर्सेन्ट, पहले चार पर्सेन्ट लगाया फिर तीन पर्सेन्ट हुआ। आफिसर्स ने यह इन्टरप्रिटेशन लिया कि नहीं चार पर्सेन्ट है, चार पर्सेन्ट में एक पर्सेन्ट की छूट, कानून में संशोधन करके नहीं, उनको छूट दी। करोड़ों की जो आय हो सकती थी वह आय गई। कानून में संशोधन होता तो मेरे समझ में आता लेकिन कोई संशोधन नहीं।

मैं इस आधार पर निवेदन करना चाहूंगा, मुख्य मन्त्री जी यहां नहीं हैं, बिजोलिया, बेगूं में खनन का काम होता है लोगों ने खनन का काम नाजायज तौर से किया। जो जमीन उनके अधिकार में नहीं थी, पट्टे के आधार पर नहीं थी उस जमीन पर खनन का काम किया। उनकी जांच हुई, पहले कोटा के एक इन्जीनियर से जांच कराई, उसके बाद में एस. ई. से जांच कराई। जांच कराने का परिणाम यह निकला कि उनके ऊपर 1.10 करोड़ की पैनल्टी लगाई जा सकती थी, सरकार यदि वसूल करना चाहती तो कर सकती थी लेकिन धन्य हो मुख्य मंत्रीजी कि उन लोगों ने ऐसा विधायक चुन कर भेजा जो अपने क्षेत्र में जो खनन का काम करने वाले थे उनको 1.10 करोड़ की छूट दे दी। मैं मुख्य मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा कि यह छूट किस बात की? क्या इस छूट का कारण यह भी है कि उनके कुछ रिश्तेदार खनन का काम किया करते थे? क्या इस छूट का कारण यह भी है कि कुछ लोगों ने उनको चुनाव के दिनों में मदद दी हो उनको ओब्लाइज करना चाहते थे? मैं कारण पूछना चाहता हूं, 1.10 करोड़ के मामले में पैनल्टी की छूट किस आधार पर दी? यदि पत्रावली देखें तो डिस्कशन हुआ। उन डिस्कशन्स के आधार पर छूट दे दी। मैं कहना चाहूंगा, जब तक कानून में संशोधन नहीं हो, इस प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती। सभापति महोदय, हाल ही में राजस्थान की सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला। उस नोटिफिकेशन में व्यवस्था की कि जिन लोगों के खेत में जिन लोगों की कृषि भूमि में कोई भी खनन पदार्थ हो तो उस जमीन को भारत सरकार को, राजस्थान सरकार को सरेण्डर करेंगे। राजस्थान सरकार ने उनको आश्वासन दिया है कि यदि वह खनन कार्य करना चाहे तो उसको अनुमति दी जायेगी लेकिन नोटिफिकेशन में बेगूं और बिजोलिया को एग्जेम्प्ट किया गया। मैं पूछना चाहता हूं, बेगूं और बिजोलिया को एग्जेम्प्ट क्यों किया गया? मैं मुख्य मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार से यह स्थिति बदली है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जयपुर और सवाई माधोपुर ... ...

श्री सभापति : आपकी पार्टी के 30 मिनट शेष थे। आपने एक घण्टा पन्द्रह मिनट ले लिये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ले लिये तो ले लिये। आप कहेंगे तो बैठ जाऊंगा।

श्री सभापति : आप जल्दी से समाप्त कर दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जल्दी कर रहा हूं। मैं इसलिए भी ले रहा हूं कि मैं गवर्नर के एड्रेस पर भी नहीं बोल सका।

दूसरा मामला, खेतसिंह जी आपके ध्यान में होगा, यहां पर हैण्ड पम्प का मामला उठा, उस हैण्ड पम्प के मामले में सरकार मौन क्यों बैठी है? सभापति महोदय,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आपको जानकारी होगी, 1500 हैण्ड पम्प के लिए टेण्डर इन्वाइट किये गये। तीन वर्ष में ठेकेदारों से 12 हजार हैण्ड पम्प लगाने का उस समय अनुमान था। 12 हजार के अगेंस्ट में हमने ठेकेदारों को 30 हजार हैण्ड पम्प का काम दिया। 2 करोड़ की लागत का उस समय अनुमान था जिस समय टेण्डर इन्वाइट किये गये उस समय अनुमान था खर्चा 2 करोड़ का, अब खर्चा हो गया 18 करोड़ का। जिस समय टेण्डर इन्वाइट किये गये, उस समय यदि 18 करोड़ का लोगों को पता होता तो कम्पीटेटिव रेट्स आतीं। लेकिन 18 करोड़ का पता नहीं। दो करोड़ का काम देना है इसके लिए टेण्डर इन्वाइट किये गये और टेण्डर इन्वाइट करने के बाद जिन लोगों ने टेण्डर दिये वह चार कम्पनियां हैं, एक है कालूराम एण्ड सन्स, भीलवाड़ा, दूसरी है, मैसर्स जनरल एजेन्सी एण्ड सप्लाई, भीलवाड़ा, एक है एच. आर. ट्रेडर्स, भीलवाड़ा, एक है जनरल एजेन्सी मराठवाड़ा बोरिंग कम्पनी भीलवाड़ा। यह चार प्रमुख है। कुछ छोटी मोटी हैं लेकिन उनको पूल कर देते हैं और पुलिंग के बाद में जो टेण्डर उनके मन्जूर हुए उसके बाद में उनको काम दिया था जयपुर सवाई माधोपुर, टौंक, कोटा, अजमेर, सीकर, झुंझनू, जोधपुर, पाली और नागौर इनके लिए टेण्डर इन्वाइट किये। इन्होंने पूरे राजस्थान को कवर कर लिया। अब राजस्थान को कवर करने के साथ राजस्थान की सरकार कह सकती है कि हमने इस मामले को फाइनेन्स कमेटी को रेफर किया है। मैं कहना चाहता हूं, वित्त मंत्रीजी फाइनेन्स कमेटी को किसने अधिकार दिये कि 2 करोड़ की जगह 18 करोड़ का काम लोगों को दे दे। फाइनेन्स कमेटी को किसने अधिकार दिये थे ? फाइनेन्स कमेटी न तो राजस्थान अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड की केपेसिटी और न राजस्थान की डिपार्टमेन्टल केपेसिटी का असेसमेंट करे, उसने किसको अधिकार दिये थे कि महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश में कितनी कीमत पर हैण्ड पंप बनते है उसका असैसमेंट नहीं करें ? उसको किसने अधिकार दिये थे कि इस काम में अपनी मर्जी आये, पूरे राजस्थान को कवर कर ले। मैं समझता हूं कि फाइनेन्स कमेटी ने यदि इसके अन्दर कोई डिसीजन लिया है तो मैं आज यह तो नहीं कह सकता कि यह मेलाफाइड है लेकिन इतना मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि उनको डिसीजन लेने का कोई अधिकार नहीं है। सभापति महोदय, इतना यही होता तो मैं आगे नहीं कहता। अब हालत यह है कि इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार को पिछली बार विधान सभा में कहा गया कि 24 फर्म से अतिरिक्त लोगों ने राजस्थान के डिपार्टमेन्ट्स में काम करना शुरू किया है और दूसरी कम्पनियों को काम देना शुरू किया तो अजमेर के कोर्ट में दावा पेश कर दिया। अजमेर के कोर्ट से 24-7-81 को इन्होंने स्टे आर्डर आब्टेन कर लिया। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं राजस्थान सरकार ने 24-7-81 से आज तक इस स्टे आर्डर को वेकेट करने के लिये काम क्यों नहीं किया ? सभापति महोदय, इसलिये कि भीलवाड़ा में जिला प्रमुख श्री हाफिज हैं, उनकी एक बोरिंग मशीन है। एक पाली में पूजा एण्ड कंपनी है उनकी भी बोरिंग मशीन है। पूजा एण्ड कम्पनी हमारे पी. एच. ई. डी. मिनिस्टर के रिश्तेदार हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि, मुख्य मंत्री जिला प्रमुख को बचाने के लिये

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और पूंजा एंड कंपनी को बचाने के लिये और पूंजा एंड कंपनी को डायरेक्ट नहीं मिलता, सभापति महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा, जो काम भीलवाड़ा की एजेंसीज को मिलता है उनकी कैपेसिटी नहीं है लेकिन पूंजा एण्ड कंपनी से नॉमिनल चार्जेज लेंगें दूसरी कंपनी को यदि काम दिया जाय तो सब लेटिंग की फीस 10 हजार रुपये लेंगे। यह, सभापति महोदय; हिन्दुस्तान में अनहोनी बात है कि राजस्थान सरकार इसके लिये मजबूर हो जाय। मैं चाहूंगा कि इस सारे मामले में सरकार कैटेगरिकली जवाब दे कि उस स्टे आर्डर को वेकेट क्यों नहीं कराया? उसको वेकेट करने के लिये अपर कोर्ट में इन्होंने दावा पेश किया? दावा पेश कर देते तो इस सदन को सुन कर आश्चर्य होगा कि वह मजिस्ट्रेट, जिसने स्टे आर्डर दिया था, एडिशनल सेशन जज के पास जाता है और उसको कहता है कि आप इसको क्यों वेकेट कर रहे हैं। आप थोड़ा सा ठहरिये, आपको इससे क्या मतलब उसने उसकी शिकायत की और मामला हाई कोर्ट में चला गया। लेकिन आज तक स्टे आर्डर वेकेट नहीं हुआ। हुआ क्या, सभापति महोदय, वह बड़ी अजीब बात है। हुआ यह कि राज्य सरकार की तरफ से एक राजीनामा पेश किया गया स्टे आर्डर वेकेट कराने के लिये नहीं, राजीनामा पेश किया गया वह राजीनामा मैं सदन में पढ़ कर सुनाना चाहूंगा।

"Both the parties as above" नाम लिखे हुए हैं "and the State have compromised the matter pending in the civil court of Munsif and Additional Judge City East Jaipur

'The terms of compromise are as under.

'The defendent will not refer to the plantiff at detailed hearing" इसके बाद डिटेल्स हैं।

"The other term and conditions will remain the same as mentioned in the agreement dated 12.3.81

"Both the parties would bear their own cost'

इस डिग्री पर हमारी तरफ से भी दस्तखत हैं और प्लेन्टिफ की तरफ से भी, सभापति महोदय, इससे ज्यादा कोई शर्मनाक चीज नहीं हो सकती है, जब इसका पता लग गया कि लोगों को पता लग गया है तो एक तो डिप्टी सेक्रेटरी को सस्पेंड कर दिया कि तुमने क्यों किया। सभापति महोदय, काम कितनी जल्दी हुआ। अब मैं अपने कागजों के आधार पर नहीं सेक्रेटरियट की जिस फाइल में यह डील किया है उस फाइल के कुछ एक्सट्रेक्स पढ़ कर सुनाना चाहूंगा जिससे कि आपको अंदाजा हो जायेगा कि कितना भयंकर करप्शन किया है। राजस्थान को हैंड पम्प के नाम पर किस प्रकार से लूटा है इसकी जानकारी देना चाहता हूं। सभापति महोदय, इसमें लिखा है, आप चाहें तो पूरी

Page No.141

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नोटिंग में आपको बताना चाहता हूं, सभापति महोदय, ये ही चार फर्में हैं, यह चार फर्में सेक्रेटेरियट में घुस गयी, पी. एच. ई. डी. में घुस गयीं, पी. एच. ई. डी. से मूव करवाया, कागज मूव करवा दिया लॉ डिपार्टमेंट में यह पार्टियां घुस गई। लॉ डिपार्टमेंट से कम्प्रोमाइज का ड्राफ्ट एप्रूव करवा कर मंगवा लिया । राजस्थान सरकार की तरफ से आर्डर करवा लिये । उस सम्बन्ध में कुछ एक्सट्रेक्ट्स पढ़ कर सुनाना चाहूंगा ।"Allegations were also made" यह सैक्रेटरी का नोट है। यह पी. एच. ई. डी. के सैक्रेट्री का नोट है ।

"It is suspected that the things have not been moved in the routine manner but someone interested in the firms has examined it and has given it a twist.

"Allegations were made in a recent meeting that the firms concerned" यह सैक्रेटरी लिख रहे हैं । "actually all these four firms belong to the same person in some form or the other) about bribing officials/officers for getting such a compromise letter issued."

आगे लिखा है ।

"This eventuality cannot be ruled out particularly considering the manner in which the file has been dealt with."

आगे लिखा है ।

The firms had followed up the case in the Secretariat and had discussions with the Dealing Assistant."

मैं पूछना चाहता हूं, सभापति महोदय, यहां का गरीब आदमी सैक्रेटेरियट में नहीं है । आज किसान के सामने बिजली की समस्या है । कोई मंत्री के घर में नहीं है । आज किसान को कोई पुलिस वाले मार दें वह सैक्रेटेरियट में नहीं जा सकता लेकिन चूंकि भीलवाड़ा की फर्में है राजस्थान के मुख्य मन्त्री भीलवाड़ा के हैं, राजस्थान के जिला प्रमुख से उनकी साझेदारी है, इस कारण, सभापति महोदय, सारा डिक्टेशन जिला प्रमुख का है । राजस्थान सरकार को इससे भी शर्म नहीं आती तो इससे बड़ी घटना राजस्थान के इतिहास में दूसरी नहीं हो सकती है ।

सभापति महोदय, मैं आगे इसी फाइल से पढ़ कर सुनाना चाहता हूं;

"It was clear from the perusal of notings that the same has been done with ulterior motives and for consideration. If such a compromise comes through, then tremendous loss would accrue to the Government. It was felt that if bribe has been given to officials, it must be from the firms who would fortutiously benefit from such a compromise.

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सभापति महोदय, इससे ज्यादा और क्या चाहिये ? किस बात का प्रमाण चाहिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं सदन के माननीय सदस्य यह न सोचें कि विरोधी दल का सदस्य बोल रहा है, यह सोचें कि आपकी जेब से पैसा जा रहा है, वह पैसा लोग खा रहे हैं और उस पैसे की पूर्ति के लिए जब जनता पर टैक्स लगाया जाता है, जनता आवाज करती है। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी इसका स्पष्टीकरण करें। अगर उनका दामन साफ है तो मुख्य मन्त्री जी इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा करें वरना मुख्य मन्त्री जी और पी० एच० ई० डी० मिनिस्टर यह लीपापोती करना चाहेंगे तो लीपापोती को सदन सहन नहीं करेगा। मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि लीपा-पोती करने के बजाय इस सारे मामले की जुडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा की जाय तभी जाकर काम चलेगा।

सभापति महोदय यहां पर एक माननीय सदस्य श्री ...सिंह जी ने मुख्य मन्त्री जी पर एक आरोप लगाया कि मुख्य मन्त्री जी का हिस्सा के० वी. इलेक्ट्रोनिक्स में है। मैं अध्यक्ष महोदय, ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन मुख्य मन्त्री जी पर चार्ज लगाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचारी तत्व जितने भी सिंचाई विभाग में थे उन सब का पूल बनाया और पूल बना कर के के. वी. इलेक्ट्रोनिक्स नाम की फर्म बनायी। उस फर्म में हिस्सेदार कौन-कौन है। एक है प्रदीप माथुर सन ऑफ शिव चरण माथुर, एजड 35 ईयर्स, रेजीडेंट 8, सिविल लाईन्स जयपुर, पार्टी ऑफ द फर्स्ट, टू रणजीत सिंह दुग्गल, यह दुग्गल वही है घग्घर में जो ब्रीच हुआ है जिसके लिए वह जिम्मेदार है और जिसको सस्पेण्ड नहीं कर रहे हैं। यह रणजीत सिंह दुग्गल का लड़का है एजड 21 ईयर। बहुत बड़ा बिजनेस है और उम्र है 21 ईयर्स, सन ऑफ एम. एस. दुग्गल, ई-14, कैलाश कॉलोनी, न्यू दिल्ली, पार्टी ऑफ दी सैकण्ड-थर्ड-अनिल कश्यप यह दुग्गल का लड़का है और कश्यप यह दूसरे चीफ इंजीनियर का लड़का, है यह कश्यप का तीसरा लड़का कश्यप एजड 22 वर्ष है, यह उद्योग कर रहा है और तीसरी है श्रीमती पोमी कश्यप, वह उसके लड़के की बहू है उम्र है 22वर्ष। तो, सभापति महोदय, आप अन्दाजा लगायें, ये कागज कोई मेरे पास यों ही नहीं हैं ये कागज सर्टिफाइड हैं। आप देखना चाहें, तो यह पार्टनरशिप डीड है इस पार्टनरशिप डीड में मुख्य मन्त्री के लड़के का हिस्सा 40 प्रतिशत है बाकी के लोगों का हिस्सा कुछ और है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आखिर इन इंजीनियर्स को इतनी छूट कैसे मिली ? कश्यप के दो लड़के, इन्होंने दो फर्म खोल रखी हैं एक फर्म का नाम है राय एजेंसी, दूसरी का नाम है मरुधर एजेंसी। मकान पर चले जाइये, वहीं पर ही आफिस हैं। सिंचाई मन्त्री जी यहां नहीं है। सिंचाई मन्त्री जी जांच कर लें सिंचाई विभाग को सामान सप्लाई करने वाले चीफ इंजीनियर्स के लड़कों की एजेन्सी है। वह सामान सप्लाई कर रहे हैं। सभापति महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं यदि सदन को समय हो और आप अनुमति दे दें तो दुग्गल के उपर अब तक कितने करोड़ के चार्जेज़ हैं वह पढ़ कर आपको सुना दूं, कश्यप के ऊपर कितने करोड़ के चार्जेज हैं उसको पढ़कर सुना सकता हूं, सक्सेना, जो इनको सपोर्ट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कर रहा है, पर कितने चार्जेज है उसको पढ़कर सुना सकता हूं। इसी प्रकार से सभापति महोदय, एक इंजीनियर हैं, ढड्ढा ... ढड्ढा। पर कितने चार्जेज हैं? करोड़ों रुपये, सभापति महोदय, आप चाहें तो सदन का समय नहीं है, समय कम है यह चार्ज शीट जो मैंने बनायी है वह जिम्मेदारी के साथ आपको देना चाहता हूं। एक आइटम भी झूठा इसमें से साबित कर दें। करोड़ों रुपये का बंगलिंग इन लोगों ने किया है। लेकिन, सभापति महोदय आप जानते हैं कि बनास चम्बल में गिरती है, चम्बल यमुना में गिरती है, यमुना गंगा से मिलती है और गंगा जाती है समुद्र में, उसी प्रकार से सारे इंजीनियर्स का पैसा के. जी. इलेक्ट्रोनिक्स में जमा होता है। उसमें चीफ मिनिस्टर का लड़का 40 प्रतिशत हिस्से का भागीदार है। मैं चाहता हूं, सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी इनका स्पष्टीकरण करें। चार्जेज एक नहीं है अनेकों हैं माननीय वित्त मंत्री जो पिछली बार थे उन्होंने कहा था कि फाइनेन्सियल डिसिप्लीन लागू करने की आवश्यकता है। क्या इसी को फाइनेन्सियल डिसिप्लीन के आधार पर राजस्थान के रिसोर्सेज बढ़ेंगे। लूट कर खा रहे हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट को लोग लेकिन सरकार इसको रोक नहीं पा रही है और रोक इसलिए नहीं पा रही है कि इसमें चीफ मिनिस्टर के वेस्टेड इन्ट्रेस्ट हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं और निवेदन इसलिये करना चाहता हूं एक ही प्रश्न है कि राजस्थान की सरकार ने जनता के साथ में बहुत बड़ा फ्राड किया है उसके सम्बन्ध में जानकारी कर भाषण समाप्त करूंगा। सभापति महोदय, वह फ्राड क्या है? राजस्थान सरकार ने "राजस्थान भू-राजस्व नगरीय क्षेत्रों में आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि का आवंटन रूपान्तरण व विनिमयन नियम, 1981" लागू किये उसके नियम 4 व 5 में विस्तार से लिखा हुआ है कि कौनसी-कौनसी भूमि का रूपान्तरण स्वीकार नहीं किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं समयाभाव के कारण उसको पढ़कर नहीं सुनाना चाहता हूं लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, आप नियम 4 पढ़ लें और 5 पढ़लें। उसको पढ़ने के बाद आप किसी नतीजे पर पहुंचे सभापति महोदय, इसके अलावा मैं एक बात कहना चाहूंगा कि रूपान्तरकरण की राशि जमा होने के बाद रूपान्तरण नहीं हो सकता। होता है तो वायोलेशन है, राजस्थान टाउन म्यूनिसिपैलिटी एक्ट का वायोलेशन है, राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट एक्ट का वायोलेशन है, राजस्थान लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट का वायोलेशन है, राजस्थान अरबन लैण्ड सीलिंग एक्ट का वायोलेशन है, एग्रीकल्चर लैण्ड सीलिंग एक्ट का वायोलेशन है, प्रिवेन्शन ऑफ फ्रेगमेण्टेशन एक्ट, जिसको कुछ अमेण्ड किया है, का भी वायोलेशन है, टिनेन्सी एक्ट का वायोलेशन है, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का वायोलेशन है, को-ऑपरेटिव सोसायटीज एक्ट का वायोलेशन है, लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स एक्ट का वायोलेशन है, नेशनल हाइवे के सम्बन्ध में और स्टेट हाइवे के सम्बन्ध में जो रूल्स बने हुए हैं, उनका वायोलेशन है, मास्टर प्लान एण्ड टाउन प्लानिंग का वायोलेशन है, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जमीन किसी दूसरे आदमी को नहीं जा सकती लेकिन सोसायटी को चली जाये और वह नियमित

Page No.144

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कर दी जाये, यह उसका वायोलेशन है, गैर मुमकिन जमीन में खातेदारी अधिकार गैर काश्तकार को नहीं दिये जा सकते लेकिन सोसायटी लेना चाहें तो उनको दिये जा सकते हैं, गवर्नमेण्ट लैण्ड पर कब्जा लोगों ने कर लिया, उसका वायोलेशन है, रेवेन्यू बोर्ड के कई जजमेन्ट हो गये उनका वायोलेशन है, सभापति महोदय, वक्फ एक्ट का वायोलेशन है और मंदिरों की सम्पत्ति पर एक प्रकार का कब्जा किया जाये, उसका वायोलेशन है। इन सारे वायोलेशन के बावजूद इस सरकार ने घोषणायें कीं और हमारे राजस्व मंत्री ने एक विज्ञप्ति निकाली, उसकी हैड लाइन है "यदि आपने कृषि भूमि पर मकान बना लिया है, या अन्य गैर कृषि उपयोग में ले लिया तो ऐसे अवैध रूपान्तरण को नियमित करने का एकमात्र सुनहरा अवसर"। इस कानून की जो अवहेलना करें, उसके लिए सुनहरा अवसर राजस्थान की सरकार ने प्रोवाइड किया। आगे, सभापति महोदय, श्रीमानजी लिखते हैं, "विषय: भूमि अवाप्ति और मास्टर प्लान की अवहेलना के मामले" जिन मामलों में, अध्यक्ष महोदय, 20 अगस्त, 1981 के पूर्व कृषि भूमि को रूपान्तरित कर रियायती अथवा वाणिज्य कार्य हेतु प्रयोग में लाया गया और ऐसी भूमियों के सम्बन्ध में भूमि अवाप्ति की अधिसूचनायें प्रसारित की गयीं अथवा जिन शहरों के लिये मास्टर प्लान घोषित हैं तथा उनमें मास्टर प्लान की अवहेलना हुई है उन पर भी सहानुभूति और गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाय।

विशेष रूप से भूमि अवाप्ति, सामान्यत: यदि परिवर्तन भूमि तथा उस पर किये गये निर्माण का समायोजन विचाराधीन योजना के प्रयोग में बिना विशेष कठिनाई के हो सकता है तो ऐसे मामलों को नियमित करने का प्रयास किया जाये।

मास्टर प्लान, जिन शहरों में मास्टर प्लान घोषित हो चुके हैं उनमें विवादास्पद रूपान्तरण के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा, यथा संभव ऐसे रूपान्तरण विशेष रूप से रियायती मकानों से सम्बन्धित नियमित करने की चेष्टा की जायेगी। सभापति महोदय, 24 करोड़ रुपया 3 आइटम में इन्होंने वसूल कर लिए। 3 आइटम क्या, कन्वर्शन चार्जेज, पैरीफेरियल डवलपमेन्ट चार्जेज और डवलपमेन्ट चार्जेज। इन तीनों आइटमों में 24 करोड़ रुपया वसूल कर लिये। आज मैं गारन्टी से कह सकता हूं, जब तक कानून बने हुए हैं 95 प्रतिशत कन्वर्शन के मामले आप नियमित नहीं कर सकते, यह जनता के साथ आपने फ्राड किया है। मैं पूछना चाहता हूं वित्त मंत्रीजी से, आप बतायें कि जिन लोगों ने 24 करोड़ रुपये कन्वर्शन चार्जेज के वसूल कराये, उसमें कितने लोगों की जमीन को आपने रेगुलेराइज किया। एक वर्ष का पूरा समय निकल गया। रेगुलेराइजेशन नहीं हो पाता। मैं पूछना चाहता हूं जनता के साथ आपने किस प्रकार का फ्राड किया है। अध्यक्ष महोदय, एक फ्रॉड वह था...

श्री भैरोंसिंह गुर्जर (खारची) : पिछले साल भी आपने बताया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ... वह जबर्दस्त था। वह क्या है, जमीन के एक्वीजिशन की कार्यवाही। सभापति महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, आप सरकारी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रयोजन के लिए जमीन का एक्वीजिशन करें लेकिन एक्वीजिशन भी करें और डी-एक्वीजीशन भी करें! सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने एक आदेश निकाला, वह सक्यूंलर मेरे पास है 1 मार्च, 1982 का, उसके बाद में दूसरा सक्यूंलर निकला वह 3 अप्रेल, 1982 का है, उस सक्यूंलर में यह व्यवस्था कर दी कि जिस भूमि को हम एक्वायर कर रहे हैं उस भूमि में यदि कोई हाउसिंग को-आॅपरेटिव सोसायटी ने मकान बना लिया हैं, या मकान बनाने की योजना है, हाउसिंग को आॅपरेटिव सोसायटी के पास वह जमीन किसी रजिस्टर्ड डीड से ट्रान्सफर हुई है, उसकी चिन्ता मत करो, बैक डेट में जाली सर्टिफिकेट लाकर या स्टाम्प लाकर एग्रीमेण्ट कर लिया उस एग्रीमेण्ट को मान्यता दो और उस जमीन का डी-एक्वीजिशन करो। सभापति महोदय, यदि वह सिद्धान्त आम तौर पर लागू किया जाये तो मेरे समझ में आता है कि सरकार की मंशा साफ है लेकिन एक गजट नोटिफिकेशन अभी निकाला है, उस गजट नोटिफिकेशन की तारीख है 23 दिसम्बर 1982। इस 23 दिसम्बर 1982 के गजट नोटिफिकेशन को यदि आप देखें तो मेरी समझ मे नहीं आता, एक आदमी के चार बीघा जमीन है आपने तीन बीघा एक्वायर कर ली और एक बीघा डी-एक्वायर कर दी। यह समझ में नहीं आता, कौनसी योजना है, कौनसी योजना में डी-एक्वीजिशन आपने किया है? सभापति महोदय, यह नोटिफिकेशन सभी माननीय सदस्यों के पास है, इस तारीख का नोटिफिकेशन निकाल लें और निकालकर देखें, सभापति महोदय, एक आदमी की 6 बीघा जमीन है, 4 बीघा एक्वायर कर ली 2 बीघा छोड़ दी। एक आदमी की सात बीघा जमीन है 6 बीघा एक्वायर कर ली है और एक बीघा छोड दी। सभापति महोदय, यह कौनसा डी-एक्वीजिशन प्रासीजर आ गया? मेरी समझ में नहीं आया। इस आधार पर निवेदन करता हूं, सभापति महोदय, इतना ही नहीं कई लोगों की जमीन पूरी की पूरी छोड़ दी अब यह जमीन पूरी क्यों छोड़ दी, उसमें भी यदि आप कहें, तो लोगों का वेस्टेड इन्ट्रेस्ट है। वेस्टेड इन्ट्रेस्ट छोटे आदमियों का नहीं है, मुख्यमन्त्री का वेस्टेड इन्ट्रेस्ट है। मुख्य मन्त्रीजी ने जमीन पर मकान बनाया, मकान बनाया उस जमीन पर लैण्ड एक्वीजीशन की जिस पर कार्यवाही हो रही है। 1979 में गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन निकला, 1979 के नोटिफिकेशन के अन्तर्गत सेक्शन 52(2) के अन्तर्गत पूरी कार्यवाही हो गयी। लैण्ड एक्वीजिशन आॅफिसर ने अपना अवार्ड देकर भारत सरकार और राजस्थान सरकार को लिख दिया और सरकार को कहा कि पार्ट 1 का नोटिफिकेशन निकालो ताकि 9 हजार बीघा जमीन यू. आई. टी. को चाहे जे. डी. ए. को, या हाउसिंग बोर्ड को, जिसको चाहे उसको मिल जाये, लेकिन उसको नहीं निकाला। क्यों नहीं निकला? सभापति महोदय, मुख्य मन्त्रीजी ने श्याम नगर हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी में अपना मकान कितना बनाया, किन किन ने बनाया? एक है प्रमोद माथुर, एक पी. एन माथुर, जो भाई है, एक नारायण प्रकाश माथुर और सी. बी. माथुर ने, इन चारों ने मकान बनाये। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं यह जमीन लैण्ड एक्वीजिशन में आयी। लैण्ड एक्वीजिशन में गवर्नमेंट ने स्वीकार किया है। एक प्रश्न के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उत्तर में उन्होंने यह स्वीकार किया है। न्यू पिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति की सूचना के अनुसार समिति के खसरा नं3 सो सो ग्राम सोडाला, ग्राम मदरामपुरा की जमीन निम्न खातेदारों से दिनांक सो सो को क्रय की। उसने तो यह लिख दिया अब गवर्नमेंट ने जवाब दिया है "जी हां" क्वेश्चन यह था, " क्या यह सही है कि उक्त भूमि की अवाप्ति के लिए नगर विकास अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस जारी हुआ? यदि हां, तो कब और इस अवाप्ति के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी? सरकार की ओर से जवाब मिला। "जी हां," लैण्ड एक्वीजिशन की कार्यवाही अवाप्ति संबंधी नोटिस राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 52(2 के तहत राजस्थान राजपत्र में 10-2-7 को प्रकाशित हुआ है। भूमि अवाप्ति के अधिकारी द्वारा नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3 के अन्तर्गत अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार का पेश किया है। जो राज्य सरकार के विचाराधीन है। कौन सी सरकार के विचाराधीन है? राज्य सरकार में है कौन? मुख्य मंत्रीजी। मुख्य मंत्री कौन हैं, जिन्होंने इस अवाप्त की जाने वाली भूमि के अन्दर अपना मकान बनाया। सभापति महोदय मकान बनाया, यह कह सकते हैं कि मैंने जमीन पहले ली थी। हो सकता है, मुख्य मन्त्री बनने के पहले ली हो लेकिन मुख्य मंत्री आज नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं 300 गज का प्लाट पहले लिया, बाद में मुख्य मंत्री बनने के बाद 680 स्क्वायर गज और ली, 700 स्क्वायर गज और ली। एक हजार स्क्वायर गज और है, यह जानते हुए कि मुख्य मंत्री बन गये एक्वीजिशन की हुई जमीन उनके भाई, जिनके पास 400 गज जमीन थी, ने एक हजार गज जमीन और ली और 600 गज और ली। मैं पूछना चाहता हूं, सभापति महोदय, वह जवाब देंगे इस बात का कि इस जमीन पर इन्होंने एक्वीजिशन होते हुए जमीन कैसे ली? आज कोई साधारण आदमी, सभापति महोदय, याद नहीं आ रहा है, आज सुबह मुझे एक कच्ची बस्ती के लोग मिले थे, जिन कच्ची बस्ती के लोगों ने मकान बना लिये, जिन लोगों ने मकान कई दिनों से बना लिये उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। एक बस्ती में, सभापति महोदय मकान बना लिये, जे. डी. ए. ने अपने अधिकारियों को भेजा, अधिकारियों ने, मकान बने हुए लोग रह रहे हैं, लेकिन रिकार्ड पर यह लिख दिया कि हमने मकान उनके तोड़ दिये हैं। मैं चाहता हूं, यदि यह न्याय है, यदि माननीय सदस्यों में दम है, यदि कांग्रेस पार्टी की आत्मा नहीं मरी है तो जैसे गरीबों के मकान पर कब्जा किया जा रहा है, वैसे शिवचरण माथुर के मकान पर कब्जा किया जाये। मैं सभापति महोदय, इसलिए कहना चाहता हूं, राजस्थान में यह धारणा बने कि पैसा नहीं है, बेरी कमीशन की रिपोर्ट, जिसको पिछले सत्र में मन्त्री महोदय ने इस हाउस में प्रस्तुत किया था, 500 करोड़ की जमीन है, राजस्थान में चंदनमलजी को रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी यदि 500 करोड़ रुपयों की जमीन, जिसको नेता खा गये जिसको पूंजीपति, जिसको सरकारी अफसर खा गये, बेरी साहब ने अपनी फाइण्डिग में लिखा है कि जमीन उनको नहीं मिल सकती है, 500 करोड़ की बेरी कमीशन की रिपोर्ट आयी, जिस पर सांप की तरह कुंडली मार कर बैठे हैं, कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं, राजस्थान में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, राज-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

स्थान में डवलपमेंट पोटेंशियल की भी कमी नहीं है, पोटेंशियल चाहिए राजस्थान के लीडर में, राजस्थान की सरकार में लेकिन सरकार में दम नहीं है। भारत सरकार ने एक छोटा सा काम किया। राजस्थान हाउस सभापति महोदय, हमने खाली करवाया, शिवचरण माथुर के जमाने में या पहले बीकानेर हाउस खाली करवाया, करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी है। राजस्थान सरकार के ताले लग गये। मैं कहता हूं, राजस्थान की सरकार को डूब मरना चाहिए, दिल्ली की पुलिस आयी और राजस्थान सरकार के ताले तोड़कर अपने ताले लगा गयी। क्या आपकी इसी तरह की प्रतिष्ठा है क्या आप राजस्थान की बहबूदी करना चाहते हो?

मैं अंत में, सभापति महोदय, माननीय वित्त मन्त्रीजी ने बजट पेश किया उसके लिए बधाई और धन्यवाद देता हूं।

(4.4० म. प.)

(श्री देवदत्त तिवाड़ी, सभापति पदासीन)

लेकिन जिस प्रकार का यह बजट है और इस बजट के सम्बन्ध में जिस प्रकार के तथ्य सामने आ रहे हैं उन तथ्यों का यदि सरकार ने ठीक प्रकार से विवेचन नहीं किया, तो राजस्थान डूबेगा, डूबते हुये राजस्थान को बचा नहीं सकते।

इन शब्दों के साथ, सभापति महोदय, आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद देते हुये अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री मोहनलाल मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का 1983-84 का बजट जो माननीय वित्त मंत्रीजी ने पेश किया है, राजस्थान की वित्तीय स्थिति को को देखते हुये जिस तरह उन्होंने राजस्थान के विकास के लिये साधन उपलब्ध किये उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इसके लिये मैं उनकी सराहना किये बिना नहीं रह सकता। पिछले वर्ष भी राजस्थान की वित्तीय स्थिति अकाल की वजह से खराब थी और इस वर्ष भी अकाल की स्थिति है। इन सारी स्थितियों के बावजूद राजस्थान में सरकार की तरफ से विकास के लिये वित्त मंत्रीजी ने बजट में जो प्रावधान किया है उसके लिये मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। विरोधी दल के माननीय सदस्यों को इस बजट में निकालने के लिये कोई त्रुटि नहीं मिलती है, क्योंकि वित्त मंत्रीजी ने कोई टैक्स नहीं लगाये। पहले विरोधी दल के सदस्य समझते थे कि न मालूम राजस्थान में कितने टैक्स लगाये जायेंगे, लेकिन जब कोई टैक्स नहीं लगाये और विकास कार्यों के लिये भी पूरा पूरा प्रावधान किया गया है इसलिये बौखला कर सिवाय थोथी बातों के उनके पास कहने को और कुछ नहीं है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के विकास के लिये बजट में इन सारी परिस्थितियों को देखते हुये जो व्यवस्था की गई है उसके लिये वित्त मंत्रीजी धन्यवाद के पात्र हैं।

मैं वित्त मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आपने कोई टैक्स नहीं लगाये और जब सारे टैक्स छोड़ दिये तो आप छोटे से छोटे टैक्स पर आये हैं। उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं, शायद आपको सारी जानकारी न हो, आप उस पर पूरा गौर करें। विद्युत में यूनिट टैक्स बढ़ाया है उसकी तरफ आप ध्यान देंगे।

सभापति महोदय, 1981 से पहले जो एच. टी. कन्जूमर है उस से 23 पैसा प र

Page No.148

(श्री मोहनलाल मोदी)

यूनिट चार्ज लिया जाता था और एक पैसा पर यूनिट फ्यूल सरचार्ज लिया जाता था। अगस्त, 1981 के अन्दर यूनिट चार्ज 23 पैसे से बढ़कर 33 पैसे हुआ और 2 पैसे फ्यूल सरचार्ज के हुये। जब 1979-80 में जनता पार्टी की सरकार आयी तो दो पैसे इन्होंने फ्यूल सरचार्ज के लिये थे। यह चार्ज 1982-83 में बढ़कर 33 पैसे से 39 पैसे हो गया और 6 पैसे फ्यूल सरचार्ज के हो गये। अब आपने जनवरी, 1983 में 12 पैसे और बढ़ा दिये और इस प्रकार अब, वित्त मंत्रीजी, कुल चार्ज 57 पैसे एक यूनिट पर एच. टी. कन्जूमर का आपने कर दिया और कोई गारन्टी नहीं है कि विद्युत मिलेगी ही। विद्युत सप्लाई आज जैसी है उसके बारे में सारे लोग जानते हैं कि विद्युत के ऊपर आधारित यह उद्योग धन्धे आज किस तरह बन्द होते जा रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है। आज प्रदेश में बिजली की 100 प्रतिशत कटौती आपने बड़े उद्योगों पर कर दी। फरवरी मास के अन्दर 100 पर्सेन्ट कटौती जो एच. टी. कन्जूमर थे, उन पर लागू कर दी। वित्त मंत्री महोदय, 100 पर्सेन्ट कटौती के बाद उन कन्जूमर्स को आपने पूरे बिल भेजे, मिनिमम चार्जेज के भेजे। जब आप पूरे महीने बिजली नहीं दे सकते तो बिजली के बिल भेजने का क्या अधिकार रहता है? जब बिल भेज दिये और वह पार्टी बिल जमा नहीं कराती है, तो कनेक्शन काट देते हैं। एक यूनिट बिजली आपने उनको नहीं दी और मिनिमम चार्जेज के बिल भेज दिए, क्या चाहते हैं आखिर आप? क्या राजस्थान के उद्योग धन्धों को पनपाना नहीं चाहते हैं, क्या उनको बन्द करवाना चाहते हैं? यह एक ऐसी स्थिति है जिस पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विरोधी दल के जो सदस्य यहां जीत कर आते हैं वह उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के पैसे पर जीत कर आते हैं और जब किसानों की कोई बात आती है तो हामी भर देते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 1979-80 में इन्होंने जो बजट पेश किया था उस बजट में इन्होंने 25 पर्सेन्ट टैक्स राजस्व पर बढ़ाया और आज यह किसानों की हमदर्दी कपते हैं। यह हालत है किसानों की हमदर्दी करने वालों की जो पहली दफा सत्ता में आये थे। जैसे मकोड़ा कहता है कि मैं बड़ा होऊंगा तो ब्राह्मण खाऊंगा, लेकिन तू बड़ा ही काहे को होगा, उसकी मां कहती है। पहली दफा ये सत्ता में आये और आते ही किसानों पर 25 पर्सेन्ट पैसा भू-राजस्व पर बढ़ा दिया। सभापति महोदय, कल बजट पर एक माननीय सदस्या बोल रही थीं, लगान के ऊपर जो जयपुर के अन्दर सिंचित क्षेत्र में लगाने की बात कह रही थीं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचित क्षेत्र में किसान ने अपने पैसे से कुआं बनाया, उस जमीन पर अभी तक बारानी लगान लगता था लेकिन जैसे ही 1977 में इनकी सरकार आई, 1979 में इन्होंने उस पर सिंचित जमीन का लगान लेना शुरू कर दिया। आप इनकी नीतियां देखें। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इनकी सारी की सारी बातें ऐसी ही हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मन्त्रीजी इस बात पर ध्यान देंगे। मैं समझता हूं कि यह बहुत उचित बात है जो मैंने विद्युत के बारे में कही। क्योंकि इसकी कोई गारन्टी

(श्री मोहनलाल मोदी)

नहीं है कि हम कन्जूमर को पूरी पूरी बिजली दे सकें। जब प्रदेश में विद्युत संकट होता है तो 100 पर्सेन्ट कटौती एकदम से उन उद्योगों को बन्द कर देते हो। इसमें आपको रिवीजन करना चाहिये। 15 लाख यूनिट तक जो कन्जूम करने वाला है वह भी एच. टी. कन्जूमर है और 125 के. वी. का जो कन्जूमर है वह भी एच. टी. कन्जूमर में आ जाता है। तो इस पर ध्यान दें, 125 के. वी. वाले कंजूमर और 15 लाख यूनिट खर्च करने वाले कन्जूमर दोनों को आप एक कैटेगरी मे नहीं लें।

पेयजल के बारे में राजस्थान के लिए आपने जो बजट दिया है और गांवों में पेयजल की पूरी सुविधा के लिए जो आश्वासन दिया है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। कई माननीय सदस्यों ने बात कही कि आपकी हैण्ड पम्प को जो पेयजल की सुविधा है वह कुछ डिफेक्टिव है, उसको दुरस्त करें। मेरा क्षेत्र पहाड़ी एरिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पहाड़ी एरिया में हैण्ड पम्प योजना बड़ी सक्सेस रही है और ग्रामवासियों को इससे बहुत ही लाभ मिला है, फिर भी, इसमें एक त्रुटि तो यह है कि पंचायत समिति के आधार पर अपने गांव के अन्दर हैण्ड पम्प लगाये हैं। छोटे छोटे, ढाणियां कहे जाने वाले जो गांव हैं, उनके अन्दर हैण्ड पम्प की व्यवस्था नहीं की गई है। 250 की आबादी पर एक हैण्ड पम्प दिया गया है जिसके कारण ढाणियां इस योजना से महरूम रह गई हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक ढाणी में कम से कम एक हैण्ड पम्प जरूर लगे। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, साथ ही मैं अकाल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि इस वर्ष भी बारिश नहीं हुई, पिछले साल भी अकाल पड़ा। मेरा क्षेत्र एक पहाड़ी एरिया है वहां कुओं में पानी बहुत नीचे चला गया है इसलिये आप कोई व्यवस्था करें। किसान आपको पैसा दे। रिग मशीनें राजस्थान में कम हैं उसकी ज्यादा व्यवस्था करें। रिग मशीनें कुओं में बोरिंग कर सकती हैं उसकी मेरे क्षेत्र में व्यवस्था करायें। वैसे यह समस्या सभी पहाड़ी क्षेत्रों में होगी इसलिये ज्यादा से ज्यादा रिग मशीन्स की व्यवस्था करें। कुओं में बोरिंग कराने की व्यवस्था करें। 25 पर्सेन्ट किसानों को छूट दें। राज्य सरकार सब्सिडी दे, यह भी मेरा निवेदन करना है।

शिक्षा के बारे में आपने काफी प्राइमरी स्कूल भी खोलने की घोषणा की है। सैकण्डरी स्कूल और हायर सैकण्डरी स्कूल इस वर्ष खोल दिये हैं। हमारे यहां नीमकाथाना कालेज में 90 पर्सेन्ट किसान और गरीब हरिजनों के बच्चे पढ़ते हैं। उस कालेज के लिए बारबार हमारी मांग रही है कि उसको पी. जी. कालेज बना दिया जाय। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें पी. जी. विषय चालू करने के लिये आप बजट में प्रावधान रखेंगे।

चिकित्सा के मामले में मैं समझता हूं, वित्त मन्त्रीजी बहुत उदार हृदय से आपने यह बजट बनाया है। राजस्थान में इतनी दिक्कतों के बावजूद आपने राजस्थान में हर विभाग को जो बजट दिया, उसको देखते हुए आपने चिकित्सा विभाग

(श्री मोहनलाल मोदी)

के बजट में बहुत कम प्रावधान किया है। केवल 25 नई ग्रामीण डिस्पेन्सरीज खुलेगी। मन्त्री महोदय स्वास्थ्य के मामले में राजस्थान वैसे ही बहुत पिछड़ा हुआ है बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां 25-25, 30-30 मील तक लोगों की सुविधा के लिए डिस्पेन्सरीज है। पांच-पांच पंचायतों के ब्लाक के अन्दर एक डिस्पेन्सरी निश्चित रूप से आप रखें। इसके अन्दर आप यह घोषणा करेंगे तो आम आदमी को लाभ मिलेगा। आपने जो मातृ शिशु कल्याण केन्द्र खोले हैं उनके सम्बन्ध में मैं, निवेदन करना चाह रहा हूं आपसे। पहले तो गांवों में दाइयां होती थीं और वह दाइयां सारा काम कर लेती थीं। आज, जैसी स्थिति है, मैं समझता हूं, हर नागरिक को इन केन्द्रों की आवश्यकता होने लगी है, छोटी छोटी जगहों में भी इसकी जरूरत है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि इसमें कम से कम यह प्रावधान जरूर करें कि प्रत्येक तहसील हैड क्वार्टर पर एक मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र खोला जाय। मैं आपसे थोड़ा सा यह भी निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजस्थान की स्थिति देखते हुए आपने जैसा बजट बनाया है, राजस्थान का आम आदमी इसको भुला नहीं सकता। मैं थोड़ी सी बातों के लिए आपसे और निवेदन करना चाहूंगा कि टैक्सों की बजाय हम नान टैक्स रेवेन्यू की तरफ भी थोड़ा ध्यान दें। मैं वित्त-मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि नान टैक्स रेवेन्यू में पिछले साल के मुकाबले इस साल हम पिछड़े हैं। पिछले साल नान टैक्स रेवेन्यू 113.65 करोड़ थी जबकि आज उसके मुकाबले में 112.87 करोड़ है। 81-82 के मुकाबले हम जरूर बढ़े हैं लेकिन उसमें भी हुआ यह कि हमारी ग्रान्ट-इन-एड कम हो गई। कुछ मुद्दों में हम आगे आये हैं लेकिन इस वर्ष आवश्यकता हमें नान टैक्स रेवेन्यू की है इसलिए इसकी तरफ पूरा ध्यान दें।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सदन का समय एक घण्टा और बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति: क्या समय बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

सदन की अनुमति से सदन का समय एक घण्टा बढ़ा दिया जाता है।

(व्यवधान)

आय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री मोहनलाल मोदी : नान टैक्स, रेवेन्यू के बारे में हम विशेष ध्यान दें। कई माननीय सदस्यों ने खनिज सम्पदा के बारे में कहा कि खनिज का दोहन राजस्थान में बहुत कम हो रहा है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं ..

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में कहेंगे।

श्री मोहनलाल मोदी : बहुत संक्षेप में कह रहा हूं, सभापति महोदय।

श्री सभापति : बचत करियेगा समय की।

श्री मोहनलाल मोदी : हम इस ओर के सदस्य तो वैसे ही संक्षेप में कहते हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, खनिज सम्पदा के बारे में। आज आप नई लीज किसी को दे नहीं सकते जो पुरानी लीज हैं उनको आप रिन्यू नहीं कर सकते। फारेस्ट की लीज के अन्दर इतना बड़ा झगडा है कि फारेस्ट में आप लीज नहीं दे सकते। मैंने पिछली दफा भी यह कहा था कि अगर राजस्थान में आप खनिज उद्योग को, खनिज की लीज को बढ़ावा देना चाहते हैं तो इस बारे में सैन्टर से बात करिये कि फारेस्ट वाली जो अड़चन है उसको आप हटाइये। जब तक यह फारेस्ट की दिक्कत नहीं हटेगी राजस्थान के खनिज का विकास नहीं होगा। और आज जो हो रहा है उसमें आप रायल्टी बढ़ा सकते है, बजट में कमी बेशी कर सकते हैं उससे चाहे आप को रेवेन्यू का लॉस नहीं होगा लेकिन आप वास्तविक मात्रा में उत्पादन नहीं बढ़ा पायेंगे, यह मेरा आपसे निवेदन है।

मैं एक बात और निवेदन करना चाह रहा हूं, माननीय विद्युत मन्त्री महोदय, जो परसों कुछ बोल रही थीं, मैंने एक बात कही थी, मेरे यहां 132 के. वी. का सब ग्रिड स्टेशन है वह मेरे यहां बन्द पड़ा है। 34 किलोमीटर लाइन कम्पलीट हो गई है जिस पर तीन लाख रुपया एक किलोमीटर पर खर्च हुआ है। 6 किलोमीटर की लाइन होने का सारा सामान है, वहां पर जमीन का पजेशन ले लिया, कब्जा ले लिया और वहां का जो ट्रान्सफार्मर है मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, वह ट्रान्सफार्मर ऊर्जा मन्त्री महोदया के यहां शाहपुरा चला गया, यह बहुत बड़ी शर्म की बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा वह ट्रान्सफार्मर वहां से वापस भिजवा कर और जल्दी से जल्दी उस काम को चालू करावें ...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री मोहनलाल मोदी : यह मेरा निवेदन है।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : तो यह ट्रान्सफार्मर पर भाषण दे रहे हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : यह बजट है, श्रीमान्, ट्रान्सफार्मर नहीं। बजट की आपको तो जानकारी है नहीं और किसानों की बहबूदी की बात करते हैं। सौ-सौ मोटरें किसानों की जल जाती है। मैं चाहता हूं, 132 के. वी. का स्टेशन लग जाय ताकि हमारी बिजली में फ्लक्च्युएशन नहीं हो। आपको सारी स्थिति तो पता है नहीं। आप तो यहां आकर खाली भाषण दे देते हैं। मैं 6 मार्च, 1978 की घटना बताता हूं, जब किसानों का जुलूस आया था। आप बात करते हैं किसानों की।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आसन को सम्बोधित करें।

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : माननीय सदस्य को मैं याद दिला रहा हूं, 6 मार्च, 1978 की घटना की। माननीय सदस्य को याद दिला रहा हूं कि 6 मार्च, 1978 को किसानों का जुलूस आया था, जब इनकी जनता पार्टी की सरकार थी, तब इन्होंने जुलूस पर लाठी-

(श्री मोहनलाल मोदी)

चार्ज कराया था और फायरिंग कराई थी। मैं इनसे बात कह रहा हूं। समझ की बात क्या कर रहे हैं ? आप समझिये।

(व्यवधान)

लेकिन जनता पार्टी की सरकार के समय में उनको अन्दर घुसने नहीं दिया गया। तत्कालीन मुख्य मन्त्री महोदय उस वक्त उनसे मिलने तक नहीं गये।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात) : आपका तो जन्म भी नहीं हुआ था उस समय।

श्री यदुनाथ सिंह : जनता पार्टी वालों के डण्डे खाए हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : और आज आप इस्तीफे की बात करते हैं। मैं थोड़ा-सा निवेदन और करना चाह रहा हूं, सभापति महोदय। 28.2.83 को राजस्थान विधान सभा अधिकारियों एवं सदस्यों की परिलब्धि और पेन्शन (संशोधन) अध्यादेश पर माननीय कटारियाजी, जो उदयपुर से आने वाले सदस्य हैं, बोल रहे थे और उस अध्यादेश का विरोध कर रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि आपके कई लोगों ने यह पैसा ले लिया होगा। उस पर मैंने यह भी कहा कि विरोधी दल के अधिकांश माननीय सदस्यों ने जो राशि बढ़ी है वह ले ली है। उस पर सीकर से आने वाले माननीय सदस्य बहुत उत्तेजित हो गये और उन्होंने मेरे ऊपर कई झूठे आरोप लगाये। आप भी उस समय चेयर पर थे और आपने कहा था कि यह एक्सपन्ज कर दिया जाय। लेकिन मैंने कार्यवाही पढ़ी, उसमें कुछ आरोप हैं, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पर सारे आरोप मिथ्या लगाये हैं उन्होंने। मैं उनसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि ढाई साल जनता पार्टी की सरकार रही। ढाई साल के अन्दर उन्होंने एक ही काम किया। वह यह कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ जितने मुकदमें बना सकते थे, जितने केसेज बना सकते थे, जितनी जांच करा सकते थे, वह सारी की सारी उन्होंने की। लेकिन कहीं भी एक पर्सेन्ट, एक पैसे भर की भी गलती नहीं पायी। उसके बावजूद भी अगर उनका पेट नहीं भरा तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि वह यहां नियमों के तहत चार्ज लगायें और अगर वह चार्ज साबित कर दें तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा। वरना उनको मैं चैलेन्ज करता हूं वह भी इस्तीफा दे दें।

श्री सभापति : कृपया टू दी पॉइन्ट रहें। विषय पर बोलिये।

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदय, बहुत गम्भीर विषय है, पर्सनल चार्जेज लगाये हैं इसलिये मैं उत्तर दे रहा हूं।

मैं तो, सभापति महोदय, यही निवेदन करना चाह रहा था कि वित्त मन्त्री जी ने जो बजट सदन में प्रस्तुत किया है उसके लिये मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, आशा करता हूं कि राजस्थान का जो बजट प्रस्तुत किया है उससे राजस्थान का विकास होगा और राजस्थान की जनता का चहुंमुखी विकास होगा। बस मैं, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, श्री केसरी चन्द चौधरी।

श्रीमती कमला (विद्युत मन्त्री) : सभापति महोदय, अभी-अभी जो माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त कर विराजमान हुए हैं उन्होंने मुझ पर व्यक्तिगत आरोप लगाये हैं उनका जवाब देना मैं वाजिब समझती हूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती कमला : सभापति महोदय, पहले भी जब यहां पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद हो रहा था, इन्हीं माननीय सदस्य ने मेरे ऊपर यह आरोप लगाया था कि कमलाजी हमारे यहां से ट्रान्सफार्मर उठाकर शाहपुरा ले गयीं। जी, सभापति महोदय, क्या उनके यहां के ट्रान्सफार्मर पर टीका लगा हुआ है क्या? दूसरी जगह पर बिजली विभाग के जो सब स्टेशन्स बन रहे हैं, सभापति महोदय, वहां पर यह ट्रान्सफार्मर लगाया गया। सभापति महोदय, यह अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस जमीन को एक्वायर किया गया है आर. एस. ई. बी. द्वारा, वह जमीन एक मिलिट्री आफिसर की है उसको आर. एस. ई. बी. एक्वायर करना चाहती है पर मुख्य मन्त्री जी ने रोक रखा है क्योंकि वह जमीन मिलिट्री मैन की है इसलिए यह सारा मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है फिर भी माननीय सदस्य मेरे ऊपर जान बूझकर आरोप लगा रहे हैं। सभापति महोदय, मेरे इलाके में ट्रान्सफार्मर लगे और वहां पर तरक्की हो यह माननीय सदस्य नहीं चाहते हैं। मैं चूंकि विद्युत मन्त्री हो गयी हूं इसका मतलब यह है क्या कि मेरे इलाके को तरक्की नहीं हो सकती है। तीन-तीन, चार-चार साल से जहां पर विद्युत के कार्यक्रम, ड्यू-ओवर हो गये हैं क्या वहां पर विद्युत का विकास नहीं होना चाहिये? माननीय सदस्य ने कहा कि ट्रान्सफार्मर हमारे यहां से उठ गया, यह कोई तरीका है क्या? कहीं पर अगर कोई ट्रान्सफार्मर लगे तो क्या वह नीम के थाने का ही है क्या?

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, यहां पर बहस ट्रान्सफार्मर के बारे में हो रही है या बजट के बारे में हो रही है।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य पीछे बैठकर आरोप लगा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। अंकित नहीं हो।

श्री यदुनाथसिंह : XXX

श्री सभापति : अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, आप इनको ताड़ना दीजिये। यह जब चाहें तब बोलने खड़े होते हैं और लोगों पर आरोप लगाते रहते हैं।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

XXX माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री देवीलाल (शाहपुरा) : सभापति महोदय, मैं बोलना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, आप इनको ताड़ना दीजिये ताकि माननीय सदस्य आरोप नहीं लगावें। यह हमारे सदन की गरिमा के खिलाफ है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर। अंकित नहीं हो।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : xxx

श्री यदुनाथ सिंह : xxx

श्री मोहनलाल मोदी : xxx

श्री सभापति : माननीय सदस्य नियमों की अवहेलना नहीं करें। नियमों की परिधि में बोलें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, यह लोगों की छवि बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। आप इनको ताड़ना दीजिये।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर। श्री देवीलाल जी।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय माननीय सदस्य लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, छींटाकशी कर रहे हैं। क्या इनको यह अधिकार है कि दूसरे माननीय सदस्यों पर पीछे बैठकर आरोप लगायें।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर। आप स्थान ग्रहण करें। श्री देवीलाल जी।

श्री देवीलाल : सभापति महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी ने हाउस में 1983-84 का बजट पेश किया है ऊं के मायने काश्तकारों के ऊपर कर नहीं लगाया उसके लिये मैं बजट रो स्वागत करूं हूं। म्हारी तो मन्त्रीजी ने आ ही केंणी है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

श्री देवीलाल : सभापति महोदय, काश्तकारों की जो समस्या है वह बिजली री है और काश्तकारां को जीबो और मरबो सिर्फ बिजली और पानी माले ही रहवे है।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, माननीय सदस्य पीछे बैठ कर छींटाकशी कर रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। मैं पहले कह देता हूं यह विधान सभा की गरिमा के अनुकूल नहीं है। फिर हम भी छींटाकशी करेंगे। यह हमारे हाउस की गरिमा की बात है। इसमें हाउस के बाहर के लोग भी बैठे हैं।

(व्यवधान)

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) : सभापति महोदय, यह पण्डितों वाला काम है। जन्म कुण्डली बनाकर हाथ में लेकर बैठे हुए हैं। यह हम पण्डितों का काम कहां से सीख लिया ? यह बनिये होकर पण्डितों का काम कैसे करते हैं।

(व्यवधान)

---

xxx माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर। आपस में बातें नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री भेरू सिंह गुर्जर : सभापति महोदय, मैं इसके लिए आसन से व्यवस्था चाहता हूं। माननीय सदस्य, पीछे बैठकर सामने जन्म पत्रिका बताते हैं, यह लोगों के उपर आक्षेप लगा रहे हैं। फिर हम भी इन पर आक्षेप लगायेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जो भी आक्षेप लगायें वह नियमों की परिधि में लगावें।

(व्यवधान)

श्री भेरू सिंह गुर्जर : आप इनको ताड़ना दीजिये, सभापति महोदय।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री देवीलाल !

श्री देवीलाल : तो, सभापति महोदय, मैं बिजली की बात कर रियो हूं। म्हारो निवेदन है कि बिजली की हमारे क्षेत्र में बड़ी भारी समस्या रही है। काश्तकारां रा तो जन-जीवन ही बिजली है। आप पहले खूब बिजली दे देओ और बाद में बिजली नहीं दो तो हमारी खड़ी फसल नष्ट हो जावे है, फसलें सूख जाती हैं इसलिये, सभापति महोदय, म्हारो आपने निवेदन है कि काश्तकारां ने पूरी बिजली दी जावे और अधिक से अधिक बिजली री व्यवस्था आप करो। दूसरी बात में आपने आ निवेदन कर रियो हूं कि आप जो बिजली काश्तकारां ने दो हो बाही काश्तकारां की समस्या है। काश्तकारों को बिजली की कमी से बहुत नुकसान होवे है। दूसरी बात मैं आ कह रियो हूं कि म्हारा क्षेत्र में चार पंचायत समितियां हैं छोटा पुलिउ, इट, माण्डा और बिन्डोलिया। चारों पंचायत समिति में बिजली की कमी है। वहां पर बिजली का दो तीन साल पहले सर्वे भी हो चुका है पर आज दिन तक कोई बिजली नहीं पहुंची है। मेरे क्षेत्र में, आपको निवेदन करूं, सभापति महोदय, कि चार पंचायत समितियों में बिजली की व्यवस्था जल्दी से जल्दी पूरी करावो। अगली बात मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर बिजली नहीं है। वहां पर जगहों पर बिजली के खम्भे लग गये हैं। कहीं पर तीन खम्भे लग गये हैं, कहीं चार खम्भे लग गये हैं, पर वहां पर बिजली नहीं मिल रही है। वहां जिला परिषद् की मीटिंग हुई तो हमने उनसे कहा। उन्होंने स्वीकृति भी दे दी है पर अभी भी पांच सात पचायत समितियां मेरे क्षेत्र में ऐसी हैं जहां पर बिजली नहीं हैं। वहां पर हरिजन बस्ती है, शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं। तो म्हारो मन्त्रीजी ने यह निवेदन है कि आप हमारे क्षेत्र में बिजली की पूरी व्यवस्था कराओ। दूसरी बात मैं आपको हमारे यहां पर सिंचाई के बारे में कहनो चाहूं हूं। सिंचाई के लिए हमारे यहां पर कुए हैं नहीं छोटे-छोटे तालाब हैं, एक दो बांध भी हैं। उसमें सभी तालाब कच्चे बने हुए है, नहरें भी वहां पर कच्ची बनी हुई हैं जिससे पानी खेतों में चला जाता है और हमारी फसलें खराब हो जाती हैं। इसलिये मन्त्रीजी आपने म्हारो निवेदन करनो है कि फसलां खराब नहीं होवे उणरे वास्ते आप वहां

(श्री देवीलाल)

पर पक्की नहरां बनाओ। हमारे वहां अरबर बांध और नाहर सागर और उम्मेद सागर तालाब हैं। वहां उस बांध में कच्ची नहरें हैं उनको आप पक्की करावें ताकि फसलों को नष्ट होने से बचाया जा सके। इसलिये मैं यह भी निवेदन करना चाहूं के आप पक्की नहरें बनाओ ताकि फसलें नष्ट नहीं होवे। इसके अलावा दूसरी बात जो मैं निवेदन करनो चाहूं वो आ है, सभापति महोदय, कि हमारे वहां पर खड़ी फसल को जबरदस्ती भेल देते हैं और वहां पर सिचाई की सुविधा भी नहीं है। उसकी चाहे हम पंचायतों में जाकर शिकायत करें, चाहे थानों में जाकर शिकायत करें पर कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार उनको भेलो करने से रोके ताकि वहां पर जो खेती है वो नष्ट नहीं हो। मैं कानून मन्त्री जी ने यह निवेदन करनो चाहूं कि आप इसके बारे में कार्यवाही कराओ और काश्तकारों का जो धन खेती है उसको आप नष्ट होने से बचावो। जो डकैती का केस लगता है घर में घुसने का, कोई डकैती करता है और जिस तरह से उसके ऊपर मुकदमा लगता है उसी तरह से हमारी फसलों को कोई भेलता है तो उसके ऊपर भी वही मुकदमा चलाना चाहिए।

दूसरी बात मैं वृक्षों की कटाई के बारे में कहना चाहूंगा। सब सदस्य कहते हैं कि हमारे यहां वृक्षों की कटाई हो रही है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि हम दरखतों को लगाते हैं, उनको पालते हैं, उनको बड़ा करते हैं, जब हमारा हल टूट जाता है या कोई घर के अन्य कामों के लिए लकड़ी चाहिए तो जब हम अपने काम के लिए लकड़ी काट लेते हैं तो पटवारी रिपोर्ट करता है हमारी तहसीलों में पेशियां पड़ती हैं। पटवारी कहता है कि थाने में जाओ और थाने में जाते हैं तो वहां हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हम कहते हैं कि पहले केस रजिस्टर करिये तो उसके लिये हमको कहते हैं कि सौ रुपये लाओ। फिर आप ही बताइये कि हम गरीब आदमी सौ रुपये कहां से दे सकते हैं। इसलिए काश्तकार वहां रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते और वापस आ जाते हैं। पैसा देकर केस दर्ज कराते हैं तो दूसरे आदमियों को मालूम हो जाता है कि वह आदमी थाने में गया है, तो रातों रात उन दरखतों को गायब कर देते हैं और उस आदमी को फिर थानेदार तंग करता है कि तुमने झूठा मुकदमा दर्ज कराया है इसलिए 182 का मुकदमा उसके ऊपर ही लगा देते हैं। इसलिये इस कानून को आप बदलिये और काश्तकारों की मदद करिये। हमारे खड़े दरखत जबरदस्ती काट लेते हैं उसका मुआवजा हमको मिलना चाहिये। चाहे वह मुआवजा पंचायत दे या फिर राज्य सरकार दे। कानून में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हमारे दरखतों का मुआवजा कोई नहीं दे तो राज्य सरकार की तरफ से हमको मुआवजा मिलना चाहिये।

आप काश्तकारों को सब्सिडी के द्वारा, बीज के द्वारा, खाद के द्वारा और पानी के द्वारा और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन देकर मदद करते हैं लेकिन फिर उसके खेत को भेल देते हैं तो सारी मेहनत किसान की बेकार हो जाती है। जिसकी खड़ी फसल भेल दे तो उसका मुआवजा

Page No.157

(श्री देवीलाल)

मिलना चाहिये। उसके बारे में पांच-पांच और छः-छः साल तक अदालतों में मुकदमें चलते रहते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिये मेरा निवेदन करना यह है कि 6 महीने में तो हमारी फसल ही आ जाती है तो 6 महीने के अन्दर-अन्दर उसका फैसला हो जाना चाहिये। जो गरीब आदमी हैं जिनकी फसल भेल देते हैं, सरकार की तरफ से तहसील के अन्दर एक अधिकारी को कायम किया जाये। मेरा निवेदन यह है कि काश्तकारों का जी जानता है कि वह फसल कितनी दिक्कतों से बोते हैं। चाहे ऐसे में ओला पड़ जाय या बिजली नहीं मिलने के कारण से फसल जल जाये या बरसात नहीं होने से जल जाये, तो भी उसको कोई मुआवजा नहीं मिलता है न कोई उसको बीज की छूट होती है, न खाद की छूट होती है आप तो अपनी तरफ से सब्सिडी देते हैं और यह सब्सिडी 30 रुपया देते हैं जिससे कुछ नहीं होता है, पांच-सात बीघा खेत के अन्दर पहले ही उसका दो-ढाई हजार रुपया खर्च हो जता है और फिर भी फसल खराब होने पर उसको कुछ नहीं मिलता है। इसलिए मंत्रीजी से मेरा यही निवेदन है कि काश्तकारों की फसल के ऊपर पूरा ध्यान दें, उनकी मदद करें और उनको आप मुआवजा दें। यह भी नहीं हो तो शिड्यूल्ड कास्ट्स की कुछ तहसीलें है वहां के लिए कोई ऐसा कानून बना दें कि दरख्त और खड़ी फसल को भेल दें, तो इसके बारे में सरकार की तरफ से कार्यवाही की जायेगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, थोड़े में ही समाप्त करें।

श्री देवीलाल : दूसरी बात मंत्रीजी किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान दें। जो गरीब किसान है, जमीन उसके खाते है लेकिन दूसरा आदमी उसको जबरदस्ती बो रहा है और उसको बोते-बोते चार साल हो गए, किसी को पांच साल हो गए। "प्रशासन गांवों की ओर" के लिए सरकार ने कहा है इसलिए इसकी तरफ भी सरकार ध्यान दें। ऐसे मामले कई तहसीलों में 40-50 के अन्दाज से होंगे। इसके बारे में मेरा निवेदन यह है कि जिसके पास जमीन कम है, उसको भी दूसरे लोग जबरदस्ती काश्त कर रहे हैं और वह आदमी मुकदमा लड़ता है, तो उसको हजार आठ-सौ रुपया तो वकील के लिए चाहिये और वह कभी इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता इसलिए इस कानून में संशोधन करके गरीब की जमीन को गरीब को दिलायें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री देवीलाल : मैं थोड़ा शिक्षा के बारे में भी निवेदन करूंगा। शिक्षा मंत्रीजी तो रहे नहीं। हमारे स्कूलों में मास्टर नहीं हैं और कई पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। मैंने इसके बारे में तीन-चार बार मंत्रीजी को भी लिखा लेकिन अभी तक खाली जगहों पर मास्टर नहीं भेजे गये। शाहपुरा तहसील के अन्दर शाहपुरा में कालेज है। सरकार की तरफ से उसके लिए आर्डर हो गया, लड़कों की भर्ती कर ली गई फीस ले ली गई और बाद में उनको कह दिया कि आपके आदेश कैंसिल हो गए। इसलिये मेरा निवेदन है कि जब भी आप कालेज की संख्या बढ़ायें तो मेरी मांग है कि हमारे शाहपुरा के अन्दर कालेज को जरूर बढ़ायें।

(श्री देवीलाल)

अन्त में, माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो 1983-84 का बजट पेश किया है उसका में स्वागत करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

धन्यवाद !

श्री सभापति : श्री रामधन चौधरी !

श्री रामधन चौधरी (लाडनूं): माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और उसकी सराहना करता हूं क्योंकि हमारा राजस्थान पिछले कई वर्षों से अकाल और बाढ़ से जूझता रहा है और किसी प्रकार का बिना कर लगाये हमारे विकास गति को आगे बढ़ाये रखने के लिए वित्त मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है इससे अच्छा बजट इन स्थितियों में नहीं हो सकता। अलग-अलग क्षेत्रों से विधायक इस सदन में आते हैं जो अपने-अपने क्षेत्र में काम करवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा चेष्टा करते हैं लेकिन जिन परिस्थितियों में यह बजट आ गया है इससे अच्छा बजट मैं समझता हूं कोई भी वित्त मंत्री रख नहीं सकता। इसलिये मैं हृदय से इस बजट की सराहना करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में एक दो उदाहरण देना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्रीजी ने इस बजट में दर्शाया है कि पीने के पानी के लिये जो 21 करोड़ रुपया इस बजट में रखा गया है उसमें मात्र 10 करोड़ रुपया गांवों के लिए और 11 करोड़ रुपया शहरी जनता के लिये रखा गया है। माननीय वित्त मंत्रीजी से मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी 80-85 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और उसमें उन्होंने आंकड़े भी दिये हैं 17,000-17,500 गांवों में पीने का पानी सुलभ करायेंगे। इस पर मंत्री महोदय विचार करेंगे क्योंकि जब 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है, आज भी हम देखते हैं कि शहरों में 10 से 12 घण्टे बिजली मिलती है और 10 से 12 घण्टे पीने का पानी सप्लाई होता है जबकि गांवों में दो-तीन, ज्यादा से ज्यादा पांच घण्टे बिजली मिलती है और एक-एक जल योजना से 10-12 गांव जुड़े हुए हैं। उनको आज की स्थिति में पीने का पानी सुलभ नहीं होता है। तो इसके बावजूद जो बजट की राशि का जो आवंटन शहरों और गांवों के बीच में किया गया है वह मैं समझता हूं कि गांवों के साथ अच्छा नहीं किया गया है। इस राशि को थोड़ा और बढ़ाया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा।

दूसरा, पशु-चिकित्सालयों के विषय में एक मुद्दे की बात कही है यह कहा गया है कि पश्चिमी राजस्थान में हमारे पशु पालक पशु पालन से ही अपना जीवन-यापन करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय सदन में बिराज रहे हैं इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस पश्चिमी शब्द को बरकरार रखें और पशु चिकित्सालय पश्चिमी राजस्थान में ही खुलने चाहिये। पश्चिमी राजस्थान के किसानों का सारा या यूं कहना चाहिये उनके जीवन-यापन का मुख्य साधन मात्र पशु ही हैं तो पशु चिकित्सालय भी पश्चिमी राजस्थान में ही खुलने चाहिये क्योंकि बजट भाषण में यह साफ लिखा गया है कि पश्चिमी राजस्थान के लिये है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय के पास

(श्री रामधन चोधरी)

जैसे-जैसे सिफारिशों वाले पहुंचते हैं, जिस एरिया में पशु नहीं भी होंगे वहां पशु-चिकित्सालय खुल जायेंगे और जहां ज्यादा पशुपालन हैं वहां पर पशु चिकित्सालय नहीं खुल पायेंगे। आज हालत यह है कि पश्चिमी राजस्थान की तहसीलों में एक-एक पशु चिकित्सालय भी नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस पश्चिमी शब्द को कायम रखा जाए और पशुपालन मंत्रीजी उसी आधार पर पशु चिकित्सालय खोलने के आदेश करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मुझे विशेष ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मैं तो शिक्षा मंत्रियों का आभारी हूं कि पिछले तीन साल से मेरे यहां एक भी स्कूल क्रमोन्नत नहीं किया गया। मैंने हर बार लिख कर दिया। उस पक्ष में बैठने वाले तो कहते हैं कि हम विरोधी हैं इसलिये हमारे क्षेत्र में नहीं खोलते लेकिन मैं तो सत्तारूढ़ पार्टी का एम. एल. ए. हूं। इस सरकार को प्रशासन किस प्रकार के अंधेरे में रखता है और कितना विचार करता है, इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मेरे लाडनूं क्षेत्र में पिछले तीन साल में एक भी प्राथमिक शाला क्रमोन्नत नहीं की गई। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिये। बजट बहुत अच्छा है, अगर इसका सदुपयोग हो तो। लेकिन होता क्या है? मैंने देखा है कि जब गिरदावरी या जमाबन्दी होना शुरू होती है तो क्या करते हैं कि एम.एल.ए., प्रधान, सरपंच सारे के सारे इस काम में लगते हैं कि अकाल लिख दो, हमारे यहां भयंकर अकाल है, हमें अकाल का सामना करने के लिये ज्यादा पैसा मिलना चाहिये। लेकिन जो पैसा मिलता है, उस पैसे का सही उपयोग नहीं होता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि मेरे यहां एक सड़क है जो नागौर और लाडनूं तहसील है, इनके बीच में एक रास्ता है 70-72 किलोमीटर का, जबकि गत सत्र में, पिछले बजट में, गवर्नर के भाषण में राज्य सरकार ने एक नीति की घोषणा की थी कि पंचायत हैड क्वार्टर को हम सड़क से जोड़ेंगे। लेकिन मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आज तहसीलें ही तहसील हैड क्वार्टर से नहीं जुड़ी हुई हैं तो पंचायतों की क्या उम्मीद करते हैं। 140 किलोमीटर घूम कर वाया डीडवाना होकर के हम नागौर जाते हैं डबल किराया और डबल टाइम उसमें लगता है। मैं निवेदन इसलिये कर रहा हूं कि उस सड़क की मरम्मत के लिये हर साल 10-12 लाख रुपया लगता है। इतने रुपये में तो वह पक्की बन सकती है। इस तरह से हमारे बजट में पैसा रखा जाता है उसका दुरुपयोग होता है। हमारी प्रशासनिक मशीनरी जो है उसमें एक तरह का इन्ट्रेस्ट लग गया है कि पक्के काम भले न हों, अकाल राहत के काम चलें ताकि उसमें जिस तरह से भी गबन हो सकता है वह होता रहे।

मैं साफ शब्दों में मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप चाहें जितना अकाल राहत पर पैसा खर्च करें लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि इससे ज्यादा से ज्यादा पक्के काम हों ताकि परमानेंट सोर्सेज भी हो जायें। जैसा बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने आज सुबह

(श्री रामधन चौधरी)

में एक क्वेश्चन रखा था कि इस तरह पुल टूटे हुए है, पांच-पांच पंचायतों की जनता हैड क्वार्टर पर पहुंचने के लिये महरूम रहती है उस सड़क पर आये साल अकाल का पैसा लगता है, उस पैसे से वह पुल बन सकता था लेकिन हमारी प्रशासनिक मशीनरी इस बात को हमेशा गोल करती है। उसमें जन-प्रतिनिधियों का सहयोग या राय नहीं ली जाती, इसी वजह से हमारे बजट का दुरुपयोग भी होता है/हम जो काम करना चाहते हैं, जिसके लिये बजट में प्रावधान रखा है उसका 10 प्रतिशत फायदा नहीं मिलता है। माननीय सभापति महोदय, जो बजट हमारे वित्त मंत्रीजी ने और हमारी सरकार ने इस सदन में रखा है वह बहुत ही अच्छा बजट है।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता था कि इस सदन में नहर मंत्रीजी ने पहले घोषणा की थी, राजस्थान नहर से नागौर, बाड़मेर साइड में लिफ्ट सिंचाई योजना होगी लेकिन इसका जिक्र इस बजट में कहीं नहीं आया। मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जगह-जगह लोग खेतों की सिंचाई करने के लिये, धान पैदा करने के लिये, ज्यादा खुशहाली लाने के लिये और साधन सम्पन्न बनने के लिये पानी मांग रहे हैं लेकिन नागौर और चुरू ऐसे जिले हैं जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। जब तक यह लिफ्ट सिंचाई योजना लागू नहीं होगी तब तक वहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं होगा....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में कह दें।

श्री रामधन चौधरी : सभापति महोदय, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लिफ्ट सिंचाई योजना का प्रावधान इस बजट में रखें ताकि नागौर और चूरू जैसे पिछड़े हुए जिलों को पीने का पानी तो कम से कम मिल सके।

सभापति महोदय, मैं तहे दिल से इस बजट की सराहना करता हूं और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इन परिस्थितियों में भी जो बजट रखा है वह बहुत ही सराहनीय है और इसको सुचारू रूप से लागू करने में हमारी सरकार सजग रहेगी।

जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री मेघराज तावड़!

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट इस साल रखा है, उसके संबंध में सत्ता पक्ष से जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं वे भी यह जानते हैं कि यह बजट कितना सार्थक है, लेकिन उनके मुंह पर ताले लगे हुए हैं, इसलिये वे पूरी बात खुल कर नहीं कह सकते जिस प्रकार से उसको हम कहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, वित्त मंत्रीजी ने जो बजट रखा है, इसको शुरू से आप देखें। उन्होंने कहा है कि थोक मूल्य सूचकांक नहीं बढ़े। माननीय सभापति महोदय, चन्दनमलजी यदि ऐसा बजट रखते तो चिन्ता नहीं होती लेकिन माननीय बृजसुन्दरजी शर्मा, जो मजदूरों के लीडर हैं, समाजवादी विचारधारा के हैं, से हम ऐसी आशा नहीं करते थे कि वह इस तरह का

(श्री मेघराज तावड़)

बजट पेश करेंगे। इन आंकड़ों से जाहिर होगा, सभापति महोदय, किन-किन चीजों पर सूचकांक बढ़ा है। किसानों के रॉ-मैटिरियल हैं उसके ऊपर सूचकांक बढ़ा है। खाद्यान्न सामग्री में सूचकांक नहीं बढ़ा है, जो पैसे वाले कच्चा माल खरीद कर किसानों को, गरीबों का शोषण करते हैं उन पूंजीपतियों का पेट भरा है।

दूसरा, सभापति महोदय आपने यह कहा है कि मूल्य सूचकांक नहीं बढ़े। खाद्यान्न के नवम्बर के भाव बढ़े हैं। चन्दनमलजी यह कहते तो कोई बात नहीं थी। सभापति महोदय, यह चिन्ता का विषय है। मैं तो कहना चाहता हूं बड़ा खेद का विषय है कि वित्त मंत्रीजी ने यह कहा कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। सभापति महोदय, आपको मालूम है कि राजस्थान में एक तरफ भयंकर अकाल है, लगातार अकाल पड़ते जा रहे हैं, गये साल भी अकाल की स्थिति थी और इस साल भी है, फिर कैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है यह मेरी समझ में नहीं आता है। मैं तो कहना चाहता हूं कि मन्त्रियों की और पूंजीपतियों की आय बढ़ी है लेकिन गरीब आदमियों की प्रति व्यक्ति आय घटी है।

सभापति महोदय यह बात मैं इसलिये भी कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो कारखाने बन्द हैं, हड़तालें चल रही हैं। सन् 1981 में 6 लाख कार्य घण्टों की हानि हुई और सन् 1982 में 14 लाख कार्य घण्टों की हानि हुई। इसी तरह तालाबन्दी 1981 में 18 और 1982 में 25 हुई है। सभापति महोदय, आज बिजली के अभाव के कारण जो छोटे-छोटे उद्योग हैं, कारखाने हैं वे बन्द हैं। काश्तकारों को समय पर बिजली नहीं मिल रही है इसलिये उनकी पैदावार घट रही है। इस आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्रीजी ने जो आंकड़े दिये हैं वे सरासर बिलकुल गलत हैं। आम गरीब आदमी को कुछ नहीं मिला है यह केवल पूंजीपतियों की थैली भरने का बजट है।

सभापति महोदय, आर्थिक अध्ययन पुस्तिका में आपने देखा होगा कि प्रति व्यक्ति आय 1150/- रुपये बढ़ी है लेकिन विरोधी दल के माननीय नेता ने बताया कि प्रति व्यक्ति आय घटी है और राजस्थान का ग्यारहवां नम्बर है। लघु उद्योग धन्धों में कितना उत्पादन हुआ, पूंजीपतियों का कितना उत्पादन हुआ, उन्होंने कितना मुनाफा कमाया, उन्होंने कितना गरीब लोगों को लूटा और कितनी चोरियां कीं, उसके आंकड़े नहीं दिये। उसका अध्ययन नहीं किया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपने जवाब में यह बतायें कि पूंजीपतियों ने किस तरह करों की चोरी करके, पूंजीपतियों ने गरीबों से सस्ता माल लेकर के किस तरह से पैसा बढ़ाया है ? एक तरफ तो जयपुर में एन. बी. सी. का कारखाना बन्द, कोटा में मजदूरों की छंटनी, साढ़े चार हजार मजदूरों को निकाल दिया गया। सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी मजदूर नेता हैं इसलिये मैं ऐसा समझता था कि मजदूर नेता होने की वजह से कुछ तो मजदूरों को लाभ देने वाला बजट लायेंगे लेकिन यह मजदूरों को लाभ दिलाने वाला बजट नहीं है, मुझे दुःख इस बात का है।

(श्री मेघराज तावड़)

सभापति महोदय, दूसरी वित्त मंत्रीजी ने डीजल सैट लगाने के लिये एक करोड़ का अनुदान डीजल सैट लगाने वाले को देने की बात कही। तो वित्त मंत्रीजी जब अपना जवाब दें तब यह भी बताने की कृपा करें कि जिन किसानों के खेतों पर डीजल पम्प लगे हुये हैं, वाटर पम्प डीजल के लगे हुए हैं तो क्या उनको भी अनुदान देने की घोषणा करेंगे। लेकिन उनको अनुदान नहीं देंगे पूंजीपतियों को देंगे और बाकी भी पूंजीपतियों को ही छूट देंगे। इसलिये यह बजट यथा स्थिति रखने वाला जो बताया गया है वह नहीं है। मुझे आशंका इस बात की है कि इस बजट का घाटा कहां से पूरा होगा? यह पिछले दरवाजे से पूरा करेंगे, आर्डिनेन्स के जरिये से इस बजट के घाटे को पूरा करेंगे। आर्डिनेंस के जरिये से नये नये कर लगाये जायेंगे इसलिये मजदूर वर्ग के हित का बजट नहीं है।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, एक बात आपने और कही कि हम केन्द्र से बड़े उद्योग लगाने के लिये कर्जा लेंगे, राजस्थान नहर के लिये कर्जा लेंगे। यह बड़ी हिम्मत की बात है. लेकिन मैं ऐसा मानता हूं यह हिम्मत आप में नहीं है कि आप सेन्टर से ज्यादा पैसा ला सकें। दूसरा घाटा पूरा करने का सबसे बड़ा मजदूरों के साथ धोखा किया गया और वह यह किया गया कि गत वर्ष में 30 करोड़ की बचत थी इस वर्ष 14 करोड़ और आगे 85 करोड़ की बचत की जो बात कही जा रही है, वह कहां से पूरा करेंगे? गरीबों का खून पीकर, गरीबों का शोषण करके? यह खर्चा कहां होता है, किस तरह से होता है? यह आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जितना खर्चा होता है, बड़े-बड़े अधिकारियों पर होता है, जैसा आज सदन में बताया गया था कि जितने चेयरमैन बनाये है उनको एक करोड़ 10 लाख का खर्चा और दिया है। दूसरी तरफ बड़े-बड़े मिल मालिकों में जो करोड़ों रुपयों का टैक्स बकाया है उसको वसूल नहीं करते हैं, गरीबों से ही अकाल के समय में वसूली करते हैं और उनके सामान की कुर्की करके पुलिस के जरिये नीलामी की जाकर वसूली की जाती है। एक तरफ राजस्थान सरकार घोषणा करती है कि जहां अकाल है वहां पर वसूली नहीं होगी यह सरकार की दोहरी नीति है।

सभापति महोदय, जो ओवर ड्राफ्ट है वह ऋण में बदल दिया गया, उसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप उस ऋण को चुकायेंगे ही नहीं। अगर समय पर नहीं चुकायेंगे तो कितना ब्याज बढ़ जायेगा? सभापति महोदय, छठी पंचवर्षीय योजना में 750 करोड़ रुपये की राशि जुटाने का अनुमान था। आपने तीन साल में 675 करोड़ रुपये जुटा दिये। सभापति महोदय, आज आप अन्दाज लगाइये 675 करोड़ रुपया छठी पंचवर्षीय योजना का आपने खर्च कर दिया जिसमें भी कोई बड़ी योजना नहीं है। बहुत बड़ी योजना हो और लक्ष्य प्राप्त किये हों, वह भी बात नहीं है। सभापति महोदय, यही नहीं, इन्होंने 90 प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया लेकिन खर्च बड़ी योजना में नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर आप घाटा कहां से पूरा करेंगे? मैं यह पूछना चाहता हूं।

श्री सभापति: संक्षेप में, माननीय सदस्य

श्री मेघराज तावड़: सभापति महोदय मेरा आधे घण्टे का टाइम है। सभापति

(श्री मेघराज तावड़)

महोदय, मैं आंकड़ों में न उलझकर असली मुद्दे पर आना चाहता हूं। आप घाटा पूरा करने की बात कर रहे हैं, वह कहां से पूरा करेंगे ? राजस्थान नहर की जमीन बेच कर, शहरों में एग्रीकल्चर की जमीन को शहरी भूमि में कन्वर्ट करके घाटा पूरा करेंगे ? उससे किसको फायदा होगा ? सभापति महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान नहर की जमीन बेची जायेगी वह छोटे किसानों को नहीं दी जावेगी। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय वित्त मन्त्री जो एक मजदूर लीडर हैं और खेतिहर मजदूरों के भी नेता हैं। क्या आप इस बात का जवाब देंगे कि आप राजस्थान नहर पर इन गरीब मजदूरों को, खेतिहर मजदूरों को जमीन अलाट करवाने में मदद करेंगे। किस को जमीन देंगे; किसको जमीन की बिक्री करेंगे? वही बड़े बड़े धन्ना सेठों को क्योंकि वही कुलक इनको पैसा दे सकते हैं उन्हीं को ये जमीन देंगे। गरीब और छोटे काश्तकारों को जमीन नहीं मिलेगी जो रोजी-रोटी के लिए दर-दर भटकते फिरते हैं। सभापति महोदय, यही नहीं है, इसके साथ आज जितनी सोसायटीज हैं....

श्री सभापति : समय कम है, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़: सभापति महोदय, मुझे 25 मिनट का समय है। मैं समय का ध्यान रख रहा हूं। उन सोसायटियों ने आपकी एग्रीकल्चर जमीन दबा रखी है। उसमें कौन-कौन हैं श्री राम गोटेवाला जो मिनिस्टर है और इनकी पार्टी के नेता हैं वे सब इसमें शरीक हैं। तो कहां से आपको पैसा मिलेगा ? उस गरीब आदमी को तो आप और गरीब बनाते जा रहे हैं और धन्ना सेठों और पूंजीपतियों के बंगले बनाते जा रहे हैं। सभापति महोदय, जैसा आ पिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति का सदन में जिक्र आया। माथुर साहब की 600 बीघा जमीन एक्वायर होने से रोकी गई। क्या पिंक सिटी सोसायटी ने आपको एक करोड रुपया नहीं दिया। वह किस बात के लिये दिया था और 600 बीघा जमीन उनके रिश्तेदार से एक्वायर नहीं की ? इस तरह से बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार आपसे रोका नहीं गया सभापति महोदय. और घाटा पूरा करने की बात करते हैं। इनकी जमीन के लिए कैमेज कोर्ट में भी चल रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड के वकील ने यह कहा था कि आप कागज भेजिये कोर्ट में पेशी है लेकिन कागज नहीं भेजे जाते हैं और वह इसलिये नहीं भेजे जाते हैं कि फैसला हमारे खिलाफ जायेगा। क्यों नहीं रिकार्ड भेज पा रहे, क्यों नहीं सबूत भेज पा रहे क्योंकि वह माथुर साहब के रिश्तेदार हैं अगर कोर्ट में जायेंगे तो पर्दाफाश हो जायगा। सभापति महोदय मैं यही कह सकता हूं कि ऐसे मामले में अनावश्यक खर्च होता है, एक तरह से मिस यूज होता है। दूसरी तरफ मुख्य मन्त्री के बंगले को सजाने में 7 लाख रुपये खर्च होते हैं। सभापति महोदय, 7 लाख रुपये मुख्य मन्त्री जी के निवास स्थान को बंगले को सजाने के लिए खर्च होते हैं तो जनता के धन का यह मिस यूज है या नहीं है. सभापति महोदय, आप मेरी तरफ ज्यादा इशारा कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, थोड़ी बात और कहकर जल्दी ही अपनी बात खतम करता हूं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री मेघराज तावड़: सभापति महोदय, "बीस सूत्री कार्यक्रम" में और "प्रशासन गांवों की ओर" जाकर बहुत बड़े लक्ष्य प्राप्त कर लिये। आप ताज्जुब करेंगे, सभापति महोदय, भीलवाड़ा जिले में शाहपुरा में....

श्री सभापति: माननीय सदस्य समय का ध्यान रखें।

श्री मेघराज तावड़: दो मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: केवल एक मिनट।

श्री मेघराज तावड़: दो मिनट। सभापति महोदय, शाहपुरा में धनोत गांव में प्रशासन गांवों की ओर कार्यक्रम में सरपंच ने पटवारी को पीटा जिससे पूरे भीलवाड़ा जिले के पटवारी हड़ताल पर हैं। भीलवाड़ा के कलेक्टर ने यह लिख कर दिया है....

श्री सभापति: कृपया बजट की बात करिये।

श्री मेघराज तावड़: कि आप इनको सस्पेण्ड करिये, निलम्बित करिये। प्रशासन गांवों की ओर जायेगा तो क्या करेंगे। सरपंच कौन है? सरपंच जो नरेन्द्रसिंह प्रधान हैं, उनके भाई हैं। वह प्रधान मुख्य मन्त्री जी की मूंछ के बाल हैं। वह कहते हैं कि कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है। इसी तरह से सभापति महोदय, उन्होंने पहले एक गुर्जर को मारा, उसकी हत्या की साल भर तक उनको पकड नही सके, एक पटवारी को पीटा उसके बाद उनको पकड़ नहीं सके। वह कहते हैं कि हम तो मुख्य मन्त्रीजी की मूंछ के बाल हैं....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, टू दो पाइण्ट आयेंगे।

श्री मेघराज तावड़: हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सभापति महोदय, इतना ही नहीं इसके साथ जो किसानों को राहत दिलाने की बात करते हैं, यह 28 तारीख को जो भू-सम्पदा कानून लागू करने का बिल सदन में पेश हुआ, उसको विथड्रा कर लिया क्योंकि सत्ता पक्ष के बड़े-बड़े भू-स्वामी इसमें शामिल हैं। आज वह नहीं चाहते हैं कि भू-सीलिंग कानून लागू हो। बड़े-बड़े भू-स्वामियों की जमीन को कानून में संशोधन करके हड़पा जायगा इसलिए उन्होंने विरोध किया। सभापति महोदय, यही नहीं कहां-कहां पैसों का घोटाला हो रहा है वह मैं बताना चाहता हूं।

श्री सभापति: समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़: सभापति महोदय, आज राजस्थान नहर में करोड़ों रुपयों का घोटाला किया, आज उसको पकड़ नहीं सकते हो। आज जनता के ऊपर टैक्स बढ़ा करके, भार बड़ा करके जनता को लूटना चाहते हो, मारना चाहते हो। आप करोड़ों रुपये का घोटाला नहीं पकड़ सकते। एडीशनल चीफ इंजीनियर बी. सी. जैन के खिलाफ विधान सभा में गये साल भी मामला उठा था। आज सोम कामला से सिंचाई की बात करते हैं, अभी वह नहर अधूरी पड़ी है....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, टू दो पाइण्ट रहेंगे।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, आज करोड़ों रुपये बड़े-बड़े अधिकारी डकार रहे हैं उनका कुछ नहीं कर सकते। गोकुलेन्द्र शर्मा के ऊपर जो करोड़ों रुपये के घोटाले के केस हैं उनके बारे में मैंने निवेदन किया। और एक ऐसा आदमी बैठा रखा है, मुख्य मन्त्री श्री माडू, पी. एल. माथुर, जो अयोग्य है, राजस्थान सरकार में विद्युत निरीक्षक है। उनको विद्युत निरीक्षक पद पर से इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टर के पद पर बैठा रखा है। गये साल तो उन्होंने अपने हाथ से पदोन्नति कर ली थी, फिर रिवर्ट कर दिया। उनकी सारी फाइलें और सारी कापियां मेरे पास है। सभापति महोदय, मैं इनको सदन में रखूंगा और उनकी अयोग्यता के कारण ......

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मेघराज तावड़ : राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय सभापति महोदय, इस तरह जो करोड़ों रुपये का नुकसान यह भ्रष्ट अधिकारी करते हैं, मुख्य मन्त्री माथुर के रिश्तेदार करते हैं, राजस्थान की जनता को जेब पर डाका मारते हैं ऐसे भ्रष्ट लोगों के साथ मुख्य मन्त्री माथुर हैं जिस वजह से राजस्थान की जनता का करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा और करोड़ों रुपये का नुकसान आर्डिनेंस के ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराज जायें। मैं दूसरा नाम पुकारता हूं, बैठ जायें।

श्री मेघराज तावड़ : जरिये राजस्थान की जनता की जेब पर डाका डालना चाहते हैं और एक ऐसे बजट का हमसे अनुमोदन, स्वीकृति करना चाहते हैं। सभापति महोदय, यह केवल यथास्थितिवाद है, दिशाहीन है। यह केवल भ्रमात्मक आंकड़ों का एक पुलिन्दा है आश्वासनों के आंकड़े हैं इसमें आश्वासनों के सिवाय कुछ नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। श्री रूपलाल परमार!

श्री मेघराज तावड़ : इसलिये मैं इसका भयंकर विरोध करता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : अब तो, सभापति महोदय, ध्यान दीजिये। दो दिन से इन्तजार कर रहे हैं।

श्री सभापति : अभी आ जायेगा। थोड़ा धीरज रखिये।

श्री रूपलाल परमार (खैरवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने राजस्थान सरकार का जो बजट पेश किया है, इस बजट को हम बहुत ही अच्छा मानते हैं। यह बजट हमारे राजस्थान के गरीब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जिसका मैं समर्थन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र की कुछ हमारे सामने समस्यायें हैं जो मैं आपकी सेवा में रखना चाहता हूं और उनकी तरफ मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं। खैरवाड़ा तहसील एक आदिवासी क्षेत्र है, पूरा पहाड़ी इलाका है। वहां का पानी बह कर समुद्र में व्यर्थ जाता है। खैरवाड़ा तहसील में आदिवासी आज भी बहुत दुखी है। खैरवाड़ा तहसील में....

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : कोरम हम बनाते हैं और हमी को समय नहीं मिलता है। हम यहां इसलिए बैठते हैं कि हमको बोलने के लिए समय दिया जाय। कोरम ही नहीं है। हम चले जायें तो कोरम कहां से रहेगा ?

श्री सभापति : कोरम है।

श्री हरलाल परमार : माननीय सभापति महोदय, लगातार तीन वर्षों से मेरी तहसील अकाल में से गुजर रही है। इस वर्ष में अकाल राहत कार्य खुले जरूर हैं लेकिन कम मात्रा में खुले हैं इस कारण वहां के किसानों, मजदूरों को रोजी-रोटी नहीं मिल रही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि खैरवाड़ा तहसील में अकाल के जो काम शुरू किये हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करें। मेरा आपसे यह निवेदन है कि खेरवाड़ा तहसील में पूरे आदिवासी किसान हैं। किसानों का भला तभी हो सकता है जब अच्छे तालाब हों, अच्छे एनीकट हों और अच्छे कुएं हों। मैं, सभापति जी आपसे यह निवेदन करूं मुख्य मन्त्री जी खेरवाड़ा तहसील में बाबलावाड़ा स्थान पर पधारे उस वक्त हमने और आम जनता ने एक निवेदन किया था कि टेकवास बांध दा नदी पर बांधा जाय और खैरवाड़ा तहसील को पूरा पानी दिया जाय। उसके लिए मुख्य मन्त्री जी ने यह वायदा किया था कि हम सर्वे पार्टी भेजेंगे और इसी वर्ष में इसे शुरू करवाने के लिए प्रयत्न करेंगे। मैं आप और वित्त मन्त्री से निवेदन करूं कि मेहरबानी करके टेकवास बांध का काम शुरू करावें जिससे हमारे आदिवासी क्षेत्र का बहुत ही भला हो सकता है।

दूसरी बात आपसे यह अर्ज करूं कि आजादी प्राप्ति के बाद हमारे देश व राज्य ने हर क्षेत्र में चहुंमुखी प्रगति की है किन्तु जब तक गरीबी से छुटकारा नहीं मिल जाता है तब तक हमारी यह स्वतन्त्रता तथा प्रगति अधूरी है। आज हमारी खैरवाड़ा तहसील के आदिवासी भाई किस तरह रह रहे हैं वह मैं आपसे निवेदन करूं। खैरवाड़ा तहसील गुजरात की बॉर्डर पर है और सारे लोग गुजरात में अहमदाबाद में जाकर पैसे वाले लोगों के कप-प्लेट धोते हैं उनका जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है। मैं आपसे इन शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि वास्तव में उन गरीबों का भला, मुझे उम्मीद है हमारी कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। दूसरी जो पार्टियां हैं वह गरीबों का भला नहीं कर सकेगी। मेरे से पूर्व विरोधी कम्युनिस्ट दल के माननीय नेता भाषण दे रहे थे उनमें बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए मैं तो उनसे यही निवेदन करूंगा कि आपमें भगवान ने ताकत दी है, बुद्धि दी है तो इस बुद्धि को आपको विकास की ओर लगानी चाहिए और हमारे साथ रहकर विकास का काम करना चाहिए। इस तरह देश का भला नहीं होता है। मैं आपसे, सभापति महोदय, यही निवेदन करूं कि उस तहसील में यदि तीन और अच्छे बांध बांधे जावे या छोटे-मोटे तालाब बनाये जाय तो फिर भी हमारा भला हो सकता है। मेरे क्षेत्र में 39 पंचायतें हैं 39 पंचायतों मे अगर किसानों को बराबर पानी मिल गया तो किसान सदा के लिए अकाल से सुरक्षित हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं और आगे बढ़ना चाहता हूं। हमारी खेरवाड़ा तहसील में गवर्नमेन्ट ने स्कूल बहुत खोले हैं लेकिन आज उन स्कूलों में

(श्री रूपलाल परमार)

अध्यापकों की कमी है। उस कमी की पूर्ति करने की मेहरबानी करें तो बहुत अच्छा हो और पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो सके।

इसके बाद मैं आपसे एक और निवेदन करूं। मेरे विधायक बनने के बाद ढाई वर्षों में मेरे क्षेत्र में विद्युतीकरण का कोई काम नहीं हुआ है। मैं आपसे आशा रखता हूं कि मेरे क्षेत्र में खैरवाड़ा से बामरवाड़ा, खैरवाड़ा से करावड़ा और कदीमपुर से बरियावाड़ा, इन गांवों में आप बिजली देने की कृपा करें। वहां पर अच्छे कुएं हैं, अच्छा पानी है, अगर किसानों को बिजली मिलेगी तो उनका भला होगा। बिजली मिलने के बाद पानी की सुविधा हो जाने से किसान सदा के लिए अकाल से मुक्त हो सकते हैं।

दूसरी बात आपसे और कहना चाहता हूं। हमारे उस क्षेत्र में हास्पिटल की बहुत कमी है। आज भी यदि आदिवासी बीमार होता है तो वह भगवान के भरोसे ही जिन्दा रहता है, नहीं तो गया। खैरवाड़ा से उदयपुर बहुत दूर है, वहां से डूंगरपुर भी बहुत दूर है और मेरी तहसील में केवल एक हास्पिटल है। 134 गांवों में जो रेफरल हास्पिटल है उनसे सारी व्यवस्था नहीं हो सकती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि मेरे क्षेत्र के कदमपुर गांव में अगर एक डिस्पेंसरी खोल दी जावे तो वहां की 10 पंचायतों का भला हो सकता है। आप इसको याद रख कर माननीय मुख्य मंत्रीजी और स्वास्थ्य मंत्रीजी की सेवा में रखें। उसके अलावा एक डिस्पेंसरी बहुत ही जरूरी है करावाड़ा में। यह दो डिस्पेंसरी अगर खैरवाड़ा तहसील को मिल गई तो हमारा आदिवासी मौत के दरवाजे से बचा रह सकता है।

श्री सभापति : थोड़ा संक्षेप में कहें, माननीय सदस्य।

श्री रूपलाल परमार : अरे, मेरे से पूर्व में तो लोग बहुत ज्यादा बोले हैं। मैं तो मामूली बोला हूं। और अभी तो कुछ समय भी नहीं हुआ हूं। मैं तो बहुत ही आशा रखता हूं।

श्री सभापति : दो मिनट और।

श्री रूपलाल परमार : सभापति महोदय, आप मुझे इजाजत देंगे कि मेरे क्षेत्र की पूरी समस्या आपकी सेवा में रख सकूं नहीं तो नहीं रख सकूंगा।

मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में 234 गांव हैं। इन 234 गांवों में अगर प्राइमरी स्कूल नहीं खोले तो वहां के आदिवासी शिक्षा से वंचित रहेंगे। उनका भविष्य कभी भी उज्ज्वल नहीं होगा। इसलिए मेहरबानी करके वित्त मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी को, सभापति महोदय, आप मेरी ओर से निवेदन करेंगे कि मेरे क्षेत्र में हर गांव में प्राइमरी स्कूल होना चाहिये। 39 पंचायतें हैं उसमें हर पंचायत में मिडिल स्कूल होना चाहिए तभी आदिवासी पढ़ सकेंगे वरना नहीं पढ़ सकेंगे। अगर आप गरीबों का भला चाहते हैं, अनपढ़ को शिक्षा देना चाहते हैं तो हर पंचायत में मिडिल स्कूल होना आवश्यक है। मेहरबानी करके मिडिल स्कूल की जो हमारे यहां कमी है उसको आप पूरा करवाने की कृपा करेंगे।

(श्री रूपलाल परमार)

इससे आगे मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र में जो आदिवासी है वह कच्चे मकान के उपर लकड़ी चढ़ा कर अपना मकान बनाना चाहते हैं। पिछले दो तीन वर्षों से वहां आदिवासियों को लकड़ी लाने के लिए पास नहीं दिया जा रहा है। पहले पास मिलता था। पास से लकड़ी लाकर वह मकान बना देते थे। पिछले दो वर्षों से मिट्टी म बने हुए मकान हजारों की तादाद में गिर गये हैं। यह भी मेरा दुख है जो आपकी सेवा में रखना चाहता हूं। हमें लकड़ी लाने का पास मिलना चाहिये जो पहले मिलता था।

इसी तरह एक दूसरा समस्या मेरी तहसील में यह है कि जंगलात पर आपने कब्जा कर रख है लेकिन बीच जगल में आदिवासियों के मकान हैं, आदिवासियों के कुएं खुदे हुए हैं और उनके ऊपर....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय अधिक ले रहे हैं, आप समाप्त कीजिये।

श्री रूपलाल परमार : मेहरबान करके उनको जंगलात से निकाल कर राजस्व विभाग में लेकर उनकी जमीं ....ते में करवाने की कृपा करें तो बहुत ही बड़ा काम हो सकता है और सभी किसानों का भला हो सकता है।

इसके बाद मैं आपसे एक और लास्ट निवेदन करना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र में लोगो के आने जाने की सुविधा नहीं है....

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, आधे घण्टे का समय बढ़ा दीजिये।

श्री रूपलाल परमार : हर पंचायत को रोड से जोड़ने की कृपा करें तभी जा करके हमारा काम पूरा हो सकता है।....

(व्यवधान)

इन शब्दों के साथ अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। वित्त मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है वह हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए और हमारी राजस्थान सरकार के लिए बहुत लाभदायक है। आपने समय दिया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामसहायजी सोनड़।

श्री यदुनाथ सिंह : हम तो कोरम बना कर बैठे हुए हैं और आप हमको समय नहीं दे रहे हैं। अगर आप समय नहीं देंगे तो हम चले जायेंगे और आपका कोरम नहीं रहेगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : यह आपकी मर्जी है, साहब। यह आपकी इच्छा है लेकिन ..

श्री रामसहाय सोनड़ (लालसोट) : माननीय सभापतिजी, हमारी सरकार ने जो बजट रखा है....

श्री सभापति : जो समय का बंटवारा है उसके अनुसार आपकी पार्टी को समय दूसरी पार्टी से प्राप्त हो रहा है, इसलिए मैं आपको समय तो दूंगा लेकिन जो रेश्यो अभी समय का है उसके अनुसार मुझ काम करना आवश्यक है।

(व्यवधान)

Page No.169

श्री रामसहाय सोनड़ : सरकार ने जो बजट पेश किया है उस बजट का मैं स्वागत करता हूं। यह बहुत अच्छा बजट है. इस बजट का मैं स्वागत करता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तहसील लालसोट में बाढ़ से भयंकर नुकसान हुआ। मोरेल नदी का बांध टूटने से, नालों के टूटने की वजह से, तालाबों के गहरा कराने से कुएं और कोठी में किसानों का पानी बहुत कम हो गया। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र की तरफ आकर्षित करता हूं। उन बांधों के साथ एनीकट बन जाय तो सब किसान पानी से दुखी नहीं रहें।

साथ ही उस क्षेत्र में एक भी पशु चिकित्सालय नहीं है, 42 ग्राम पंचायतें हैं उनमें एक पशु चिकित्सालय है। इसलिए उस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पशु चिकित्सालय खोले जावें।

सड़कों का अभाव है। हमारे रामगढ़ से तुंगा तक बीस किलोमीटर का टुकड़ा न बनने की वजह यह है कि प्लान में 38 किलोमीटर से कम दूरी की सड़क नहीं लेते हैं। सन् 1961 से लगातार इस सड़क का अभाव चल रहा है लेकिन आज तक इस सड़क को पूरा नहीं किया गया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सड़क की कमी को दूर की जावे।

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री यदुनाथसिंह : समय बढ़ा दें, साहब।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय सदस्य के बोलने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : माननीय सदस्य के बोलने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री रामसहाय सोनड़ : सभी गांवों में बिजली का अभाव है इसलिए सभी गांवों में बिजली लगाई जावे। बजट का मैं स्वागत करता हूं।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, यह तो हो गया। अब दूसरे माननीय सदस्य को समय दे दें।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 9 मार्च, 1983 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक म.प. 5.59 बजे बुधवार, दिनांक 9 मार्च, 1983 के म. प. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 330 का विवरण

नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा विभाग के निम्नलिखित कार्यालय किराये के भवनों में चल रहे हैं :—

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	मासिक किराया
1.	नागरिक सुरक्षा	
	1. मुख्यालय, जयपुर	4000.00
	2. नाल [बीकानेर]	58.00
	3. सूरतगढ़ [गंगानगर]	350.00
2.	शहरी गृह रक्षा	
	1. उप समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर	500.00
	2. उप समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, भीलवाड़ा	356.00
	3 उप समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, उदयपुर	700.00
	4. उप समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, बीकानेर	300.00

3. सीमान्त गृह रक्षा दल

सीमान्त गृह रक्षा दल चूंकि राज्य के चार सीमान्त जिले क्रमशः बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं गंगानगर में कार्यरत हैं। इन गणों की कम्पनियों का कार्यक्षेत्र सीमान्त के कई स्थानों पर सीमा के बिल्कुल नजदीक है। इन क्षेत्रों में सरकारी आवास व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने के कारण किराये के भवन में कम्पनी मुख्यालय स्थापित किये गये हैं।

1.	बाड़मेर :–	गण मुख्यालय, बाड़मेर	237.00
		कम्पनी मुख्यालय, चौहटन	50.00
		कम्पनी मुख्यालय, धोरीमना	22.00
		कम्पनी मुख्यालय, सांचौर	122.00

Page No.171

1	2	3
2.	जैसलमेर :- गण मुख्यालय, जैसलमेर	170.00
	कम्पनी मुख्यालय, नाचना	136.00
	कम्पनी मुख्यालय, मोहनगढ़	54.00
	कम्पनी मुख्यालय, म्याजलार	63.00
3.	गंगानगर :- गण मुख्यालय, गंगानगर	270.00
	कम्पनी मुख्यालय, मिरजेवाला	150.00
	कम्पनी मुख्यालय, रायसिंहनगर	125.00
4.	बीकानेर :- गण मुख्यालय, बीकानेर	350.00
	कम्पनी मुख्यालय, सत्तासर	141.00
	कम्पनी मुख्यालय, बज्जू	130.50

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न सं 331 की सूची

प्रपत्र "अ"

Information received from the district and Session Judges *as on 31-12-82*

न्याय क्षेत्र का नाम	कुल न्यायिक अधिकारी	न्यायिक अधिकारी जिनको की सरकार ने आवास हेतु मकान आवंटित किया	न्यायिक अधिकारी जो किराये के मकान में रहते हैं	न्यायिक अधिकारी जो निजी मकान में रहते हैं
1. अजमेर	25	14	10	1
2. अलवर	21	16	5	–
3. बांसवाड़ा	5	5	–	–
4. बालोतरा	8	7	1	–
5. भरतपुर	25	13	12	–
6. भीलवाड़ा	15	7	8	–
7. बीकानेर	10	9	1	–
8. बूंदी	9	8	1	–
9. चूरू	8	3	5	–
10. डूंगरपुर	5	3	2	–
11. गंगानगर	25	17	8	–
12. जयपुर शहर	43	5	38	–
13. जयपुर जिला	23	3	20	–
14. जालौर	6	6	–	–
15. झालावाड़	7	7	–	–
16. झुंझुनू	7	4	3	–
17. जोधपुर	22	6	16	–
18. कोटा	28	23	5	–
19. मेड़ता	15	6	9	–
20. पाली	16	6	10	–
21. प्रतापगढ़	11	8	3	–
22. सवाई माधोपुर	13	10	3	–
23. सीकर	10	6	4	–
24. टोंक	7	5	2	–
25. उदयपुर	28	10	17	1
योग....	392	207	183	2

सूची "अ"

परिशिष्ट—3

तारांकित प्रश्न संख्या 337 की सूची

1982 को हड़ताल के दौरान कार्यरत रहते हुए विद्युत दुर्घटनाओं में दुर्घटनाग्रस्त, कर्मचारियों/श्रमिकों का विवरण

क्रमांक	श्रमिक का नाम एवं पद	श्रमिक का पता	दुर्घटना का परिणाम	स्थाई/अस्थाई	आश्रितों को दी गई सहायता
1.	श्री विजयसिंह सहायक (हेल्पर)	सहायक अभियन्ता (वितरण) भादरा	घायल	स्थायी	स्वास्थ्य लाभ की अवधि में, कार्य से अनुपस्थिति के समय के मुआवजे के रूप में पूर्ण वेतन का भुगतान
2.	श्री बजरंगसिंह सहायक	कार्यालय स. अ. (ग्रा. वि.) लूणकरणसर	घायल	स्थायी	,, ,,
3.	श्री भेहराम सहायक	नगर उपसंभाग, श्री गंगानगर	घायल	स्थायी	,, ,,
4.	श्री लेखराज सहायक	स. अ. (ग्रा. वि., खण्डार)	मृत्यु	अस्थायी	18000/- क्षति पूर्ति राशि + 5000/- अनुग्रह राशि
5.	श्री किशनलाल सहायक	कार्यालय स. अ. (ग्रा. वि.) बान्सूर (अलवर)	मृत्यु	स्थायी	21000/- क्षतिपूर्ति एवं 5000/- अनुग्रह राशि
6.	श्री रामकिरण सैनी सहायक	कार्यालय स. अ. जिला अलवर	घायल	दैनिक वेतन भोगी (अस्थाई)	स्वास्थ्य लाभ की अवधि में कार्य से अनुपस्थिति के समय के मुआवजे के रूप में पूर्ण वेतन का भुगतान

						स्वास्थ्य लाभ की अवधि में कार्य से अनुपस्थिति के समय के मुआवजे के रूप में पूर्ण वेतन का भुगतान ।
7.	श्री प्रदीपसिंह	सहायक	कार्यालय स. अ., (ग्रा. वि.) नदबई	घायल	,,	,, ,,
8.	श्री दीपचन्द	सहायक	कार्यालय स. अ. (ग्रा. वि.) तिजारा	घायल	स्थायी	,, ,,
9.	श्री किशनलाल	सहायक	कार्यालय स. अ. (उत्पादन) अलवर	घायल	दैनिक वेतन भोगी (अस्थाई)	,, ,
10.	श्री शिवराज	सहायक	कार्यालय स. अ. (वितरण) शाहपुरा (भीलवाड़ा)	मृत्यु	अस्थाई	18000/- क्षतिपूर्ति राशि एवं 5000/- अनुग्रह राशि
11.	श्री भगवान सहाय	सहायक	कार्यालय स. अ. (ग्रा. वि.) जमवारामगढ	घायल	स्थाई	स्वास्थ्य लाभ की अवधि में कार्य से अनुपस्थिति के समय के मुआवजे के रूप में पूर्ण वेतन का भुगतान ।
12.	श्री नाथूलाल	सहायक	कार्यालय स.अ.(ग्रा. वि.)जमवारामगढ़	घायल	स्थायी	,, ,,
13.	श्री श्रवण	सहायक	कार्यालय स. अ. आमेर	घायल	स्थायी	,, ,,
14.	श्री ओमप्रकाश	सहायक	कार्यालय स. अ. आमेर	घायल	स्थायी	,, ,,
15.	श्री भग्गा	सहायक	कार्यालय नगर उपखण्ड, उदयपुर	मृत्यु	स्थायी	चूंकि कर्मचारी राज्य बीमा योजना का सदस्य था अत: उसका केस क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु ई. एस. आई. को भेजा जा चुका है ।
16.	श्री कानजी	सहायक	कार्यालय स. अ. प्रतापुर	मृत्यु	दैनिक वेतन भोगी (अस्थाई)	5000/ – अनुग्रह राशि मुआवजा विचाराधीन है ।

1		2	3	4	5	6
17.	श्री करणाराम जाखड़	कनिष्ठ अभियन्ता	जोधपुर वृत्त	मृत्यु	स्थायी	35000/– क्षतिपूर्ति राशि एव 10000/– तत्काल नकद सहायता इलाज व परिवार हेतु तथा तत्काल तथा 5000/- अनुग्रह राशि।
18.	श्री कैलाशचन्द	सहायक	कार्यालय स. अ. विलाड़ा	मृत्यु	स्थायी	21600/– क्षतिपूर्ति राशि एवं 5000/- अनुग्रह राशि
19.	श्री मोती	सहायक	कार्यालय स. अ. चौमू	घायल	स्थायी	स्वास्थ्य लाभ की अवधि में, कार्य से अनुपस्थिति के समय के मुआवजे के रूप में पूर्ण वेतन का भुगतान
20.	श्री घन्ना	सहायक	कार्यालय स. अ. चौमू	घायल	स्थायी	,, ,,
21.	श्री नानू	सहायक	कार्यालय स. अ. दौसा	घायल	स्थायी	,, ,,
22.	श्री ईश्वर	सहायक	कार्यालय स. अ. जमवारामगढ़	घायल	स्थायी	,, ,,
23.	श्री गोधा	सहायक	कार्यालय स. अ. जमवारामगढ़	घायल	स्थायी	,, ,,
24.	श्री नारायण	सहायक	कार्यालय स. अ. जमवारामगढ़	घायल	स्थायी	,, ,,
25.	श्री अनिल	सहायक	कार्यालय स. अ. खैरथल	घायल	स्थायी	,, ,,
26.	श्री रामप्रसाद	सहायक	कार्यालय स. अ. राजगढ़	घायल	स्थायी	,, ,,
27.	श्री चौथमल पुत्र कल्याण	सहायक	कार्यालय स. अ. सुल्तानपुर	घायल	स्थायी	,, ,,
28.	श्री रामगिरी	सहायक	कार्यालय स. अ. बालोतरा	घायल	दैनिक वेतन भोगी (अस्थायी)	,, ,,

						स्वास्थ्य लाभ की अवधि में कार्य से अनुपस्थिति के समय के मुआवजे के रूप में पूर्ण वेतन का भुगतान	
29.	श्री जुगलकिशोर	सहायक	कार्यालय स. अ. डेगाना	घायल	दैनिक वेतनभोगी	,,	,,
30.	श्री मन्ना	सहायक	कार्यालय स. अ. नगरII उदयपुर	घायल	स्थायी	,,	,,
31.	श्री बुद्धाराम	सहायक	कार्यालय स. अ. खारची	घायल	स्थायी	,,	,,
32.	श्री सीताराम पुत्र भेरू	सहायक	कार्यालय स. अ. झाकरोटा जयपुर	घायल	स्थायी	,,	,,
33.	श्री भैंरूराम	सहायक	कार्यालय स. अ. मालपुरा	घायल	स्थायी	,,	,,
34.	श्री रामेश्वरलाल	सहायक	कार्यालय स. अ. मकराना	घायल	स्थायी	,,	,,
35.	श्री सत्तार	सहायक	कार्यालय स. अ. मालपुरा	घायल	स्थायी	,,	,,
36.	श्री मोहनलाल	सहायक	कार्यालय स. अ. सांभर	घायल	स्थायी	,,	,,
37.	श्री भूरा पुत्र गणेश	सहायक	कार्यालय स. अ. केकड़ी	घायल	स्थायी	,,	,,
38.	श्री लक्ष्मीनारायण	सहायक	कार्यालय स. अ. बस्सी, जयपुर	घायल	स्थायी	,,	,,

परिशिष्ट 4

तारांकित प्रश्न संख्या 338 की तालिका

जयपुर नगर की गृह निर्माण सहकारी समितियों की तालिका जिनमें प्रशासक नियुक्त किये गये

क्रम सं.	नाम गृह निर्माण सहकारी समिति	प्रशासक नियुक्ति का दिनांक	नाम प्रशासक
1.	भारत भवन गृह निर्माण स. स. लि.	1-1-83	श्री ताराचन्द जैन संयुक्त रजिस्ट्रार
2.	वन्ध गृह नि. स. स. लि.	,,	,,
3.	जगजीवन ,,	,,	,,
4.	श्री कृष्ण ,,	,,	श्री सतीशचन्द्र शर्मा संयुक्त रजिस्ट्रार
5.	ज्योति जगजीवन ,,	,,	,,
6.	बजाजनगर हाउसिंग को-ऑप. सोसा.	,,	,,
7.	जवाहरपुरी गृह नि. स. स. लि.	,,	श्री के. सी. भार्गव संयुक्त रजिस्ट्रार
8.	किसान ,,	,,	,,
9.	लाला लाजपतराय ,,	,,	,,
10.	ओमशिव ,,	,,	श्री विनोदविहारी सक्सेना संयुक्त रजिस्ट्रार
11.	विश्वकर्मा ,,	,,	,,
12.	जयपुर हसनपुरा वी गृह नि. स. स.	,,	,,
13.	आनन्द भवन गृह नि. स. स. लि.	,,	श्री डी. के. महर्षि संयुक्त रजिस्ट्रार
14.	अम्भेश्वर	,,	,,
15.	बदनपुरा कोरों की डूंगरी गृह नि. स. स. लि.	,,	,,
16.	जलमहल गृह नि. स. स. लि.	,,	श्री डी. के. जैन मुख्य अंकेक्षक
17.	अरविन्द नगर	,,	,,
18.	भवनेश्वरी भवन निर्माण स. स. लि.	,,	,,

1	2	3	4
19.	बस्सी सीतारामपुरा वो गृह नि. स. स.	1-1-83	श्री मदनलाल जैन उप. रजि.
20.	श्री मौजी हाउ. को-आप. सोसा. लि.	,,	,,
21.	सिविल लाइन्स गृह नि. स. स. लि.	,,	,,
22.	जयपुर हाउस बिल्डिंग को-आप. सोसा.	,,	श्री पी. एम. खत्री उप. रजि.
23.	महेश नगर नि. स. स. लि.	,,	,,
24.	रामनगर भवन निर्माण स. स.	,,	,,
25.	मालवीय नगर हाउ. को-आप. सोसा.	,,	श्री हरेश्याम शुक्ला
26	एवरेस्ट हाउ. को-आप. सोसा.	,,	,,
27.	श्री गणेश ,,	,,	,,
28.	इन्द्रा नगर गृह नि. स. स.	,,	श्री रामगोपाल शर्मा
29.	सुभाष सिन्धी गृह नि. स. स.	,,	,,
30.	हीरा को-आप. हाउ. सोसायटी	,,	,,
31.	जय जवान गृह निर्माण स. स. लि.	,,	श्री के. सी. शृंगी स्पेशल आडिटर
32.	रामराजपुरा गृह नि. स. समिति	,,	श्री के. सी. शृंगी विशेष लेखा परीक्षक
33.	अम्बेडकर	,,	,,
34.	दी शिवा को-आप हाउ. लि.	,,	श्री ए. सी. जैन परियोजना निदेशक
35.	गोपालपुरा गृह नि. स. स. लि.	,,	,,
36.	मदरामपुरा ,,	,,	,,
37.	विकास भवन ,,	,,	श्री रणवीरसिंह चौधरी क्षेत्रीय अंकेक्षक
38.	स्वर्णकार ,,	,,	,,
39.	करतारपुरा ,,	,,	,,
40.	बाबा रामदेव ,,	,,	श्री शिवकुमार जैन उप-मुख्य अंकेक्षक
41.	भैरव ,,	,,	,,
42.	दी लक्ष्मी ,,	,,	,,
43.	झांकरोटा स्कीम पेज नं. 1 गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	,,	श्री के. एन. गुप्ता उप– रजि.
44.	डिस्ट्रिक स्पेशल ब्रांच को-आप. हा. सो.	,,	,,
45.	टेलीफोन एम्पलाईज हाउ. को-आप. सो.	,,	,,
46.	सहकारी मित्र गृह. नि. स. स. लि.	18-6-79	श्री केशवसिंह निरीक्षक

1	2	3	4
47.	मित्र गृह नि. स. स. लि.	9-10-79	श्री नवल किशोरअग्रवाल निरी.
48.	आदर्श ,,	24-9-80	श्री उमावल्लभ शर्मा निरीक्षक
49.	सुदर्शनपुरा ,,	15-10-81	श्री सहायक रजिस्ट्रार जयपुर शहर
50.	जय अम्बे ,,	5-3-82	श्री श्यामलाल चौधरी निरी.
51.	बडौदिया बस्ती गृह नि. स. ली.	10-10-79	
52.	बस्सी सीतारामपुरा कच्ची बस्ती गृह नि. स.	8-10-80	श्री महेन्द्रसिंह राजावत निरी. ,,
53.	सिन्धी को-आप. हाउसिंग सोसायटी लि.	,,	श्री एम. एल. जैन उप रजिस्ट्रार

जयपुर नगर की गृह निर्माण सहकारी समितियों की तालिका जिनमें प्रशासक नियुक्त नहीं किये गये

क्रम सं०	नाम समिति	प्रशासक नियुक्त नहीं किये जाने के कारण
1.	पंजाबी हा. को. सो. लि.	पुनर्वास एवं नगर विकास न्यास द्वारा भूमि आंवटित की गई।
2.	चांदपोल रिफूजी शोपकीपर को. हा. सो. लि.	,,
3.	जयपुर रिफूजी को. हू. सो. लि.	,,
4.	ब्रह्मपुरी रिफूजी को हा. सो. लि.	,,
5.	धर्म हिस परसल को. हा. सो. लि.	,,
6.	पंजाबी रिहबिलेशन हा. को. सो. लि.	,,
7.	जयपुर पुरुषारथी को. हा. सो. लि.	,,
8.	श्री रामपुरा को. हा. सो. लि.	भूमि रूपान्तरण हेतु आवेदन किया जाना एवं जिलाधीश महोदय द्वारा सूचना चाहे जाने पर प्रस्तुत करना
9.	लक्ष्मी नगर गृह नि. स. स. लि.	,,
10.	जयपुर मैटल एण्ड इले. एम. हा. सो. लि.	,,
11.	गुलाबीनगर गृह नि. सो. लि.	,,
12.	शिल्पाचार्य विश्वकर्मा,	,,
13.	अपोलो नगर नि. सो. लि.	,,

Page No.180

1	2	3
14.	मोती भवन गृह नि. सो	भूमि रूपान्तण हेतु आवेदन किया जाना एवं जिलाधीश महोदय द्वारा सूचना चाहे जाने पर प्रस्तुत करना
15.	श्री छत्रपति शिवाजी ,,	,,
16.	प्रतापनगर ,,	,,
17.	कृष्णापुरी ,,	,,
18.	गोविन्द ,,	,,
19.	न्यूपिंक सिटी ,,	,,
20.	शंकर भवन ,,	,,
21.	स्वास्तिक ,,	,,
22.	संयुक्त ,,	,,
23.	नवजीवन ,,	,,
24.	खुदाबादी सोनारा ,,	,,
25.	जनता हा. को. सा लि. ,,	,,
26.	पथिक भवन ,,	,,
27.	न्यूलाइट ,,	,,
28.	गोवरमेन्ट एम. ,,	,,
29.	रामजीपुरा ,,	,,
30.	महालक्ष्मी ,,	,,
31.	नेशनल ,,	,,
32.	राज. सैकेटेरियट एम. ,,	,,
33.	मोडर्न ,,	,,
34.	दी महावीर ,,	,,
35.	महालेखापाल कर्म. भवन नि. स. स. ,,	,,
36.	श्री 108 गृ. नि. स. स. लि.	,,
37.	जयपुर इन्डस्ट्रीयल स्टेट को. हा, सो. लि.	,,
38.	महाराज गोपालपुरा गृ. नि. स. स.	,,
39.	मालवीय नगर कच्ची बस्ती गृ. नि. स. स.	,,
40.	श्री लक्ष्मीनारायणपुरी भवन नि. स. स. लि.	,,
41.	हथरोईगढ़ी गृ. नि. स. स.	,,
42.	जयपुर भवन निर्माण ,, ,,	,,
43.	जयपुर वाल्मिकी ,, ,,	,,
44.	सीणा कालोनी ,, ,,	

1	2				3
45.	फोरेस्ट गृ. नि. स. स.				भूमि रूपान्तरण हेतु आवेदन किया जाना एवं जिलाधीश महोदय द्वारा सुनना चाहे जाने पर प्रस्तुत करना।
46.	विद्युत अभियन्ता	,,	,,		,,
47.	नवगृह	,,	,,		,,
48.	जय चामुन्डा		,,		,,
49.	सहकारी विभाग कर्मचारी				भूमि रुपान्तरण हो चुकी है।
50.	बसन्त बहार सिन्धी		,,		,,
51.	इन्कमटैक्स गजटेड ऑफी. हा. को. सो. लि.				,,
52.	इन्कमटैक्स नान गजटेड एस.		,,		,,
53.	कीर्तिनगर		,,		
54.	इन्दु पुरी	गृह निर्माण	सहकारी	समिति,	न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया जाना
55.	माणकपुरी	,,	,,	,,	
56.	गुलाबवाड़ी	,,	,,	,,	
57.	सेन कालोनी	,,	,,	,,	,,
58.	दी कृष्ण	,,	,,	,,	,,
59.	तोपखाना देश	,,	,,	,,	,,
60.	मोचूवल	,,	,,	,,	,,
61.	सिन्धुनगर	,,	,,	,,	,,
62.	माधवनगर	,,	,,	,,	,,
63.	नानकपुरी	,,	,,	,,	,,
64.	राजहंस	,,	,,	,,	,,
65.	पहाड़गंज	,,	,,	,,	,,
66.	गांधी	,,	,,	,,	,,
67.	स्टेट बैंक आफ इण्डिया एम.	,,	,,	,,	कृषि भूमि का न होना
68.	श्रीराम कालोनी	,,	,,	,,	,,
69.	अशोकपुरा	,,	,,	,,	,,
70.	शिवाजी नगर	,,	,,	,,	,,
71.	महाराणा प्रताप नगर	,,	,,	,,	,,
72.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर आफीसर	,,	,,	,,	,,
73.	श्रीराम पुरी	,,	,,	,,	,,
74.	बुनियादी विकास	,,	,,	,,	,,

1	2	3		
75. बरकत कालोनी	गृह निर्माण	सहकारी समिति		कृषि भूमि का न होना
76. लाखा जी की ढाणी	,,	,,	,,	,,
77. पटेलनगर	,,	,,	,,	,,
78. कंकेश्वर महादेव	,,	,,	,,	,,
79. सुन्दर नगर	,,	,,	,,	,,
80. लक्ष्मणडूंगरी	,,	,,	,,	,,
81. फतहनगर	,,	,,	,,	,,
82. राजेन्द्र नगर आदर्श	,,	,,	,,	,,
83. अमृतपुरी विकास	,,	,,	,,	,,
84. श्यामपुरी लक्ष्मीनारायण पुरी	,,	,,	,,	,,
85. दयानन्दपुरी	,,	,,	,,	,,
86. बलाई बस्ती	,,	,,	,,	,,
87. प्रेमनगर	,,	,,	,,	,,
88. रामदेवपुरी	,,	,,	,,	,,
89. विजय	,,	,,	,,	,,
90. जय बैंक कर्म.	,,	,,	,,	,,
91. नागरिक	,,	,,	,,	,,
92. रिजर्व बैंक एम्प.	,,	,,	,,	,,
93. जालूपुरा	,,	,,	,,	,,
94. जयपुर जिला कर्मचारी	,,	,,	,,	,,
95. हथरोई बावड़ी	,,	,,	,,	,,
96. जैल कर्मचारी	,,	,,	,,	,,
97. श्याम पुरी	,,	,,	,,	,,
98. सूरजपोल	,,	,,	,,	,,
99. जैन कॉलोनी	,,	,,	,,	,,
100. पुरानी बस्ती कोली	,,	,,	,,	,,
101. हुसन पुरा 'ए'	,,	,,	,,	,,
102. दयाल भवन	,,	,,	,,	,,
103. कस्साव पुरा	,,	,,	,,	,,
104 सीकर हाउस	,,	,,	,,	,,
105. रघुनाथपुरी	,,	,,	,,	,,
106. सूरजनगर	,,	,,	,,	,,
107. शान्तिनगर	,,	,,	,,	,,
108. सैतोषनगर	,,	,,	,,	,,

1	2	3
109.	अन्नादासकी बगीची गृह निर्माण सहकारी समिति	कृषि भूमि का न होना
110.	लालकोठी ,, ,,	,, ,,
111.	शिव शंकर ,, ,,	,, ,,
112.	विवेकानन्द ,, ,,	,, ,,
113.	नृसिंह पुरी ,, ,,	,, ,,
114	गणपत ,, ,,	,, ,,
115.	सुदामा ,, ,,	,, ,,
116.	हनुमानपुरी "सी" ,, ,,	,, ,,
117.	मेजर खन्ना ,, ,,	,, ,,
118.	इन्द्रा श्रमिक ,, ,,	,, ,,
119.	लोकनायक व्यास ,, ,,	,, ,,
120.	वैबपुरी ,, ,,	,, ,,
121.	नव युवक ,, ,,	,, ,,
122.	नेहरू नगर ,, ,,	,, ,,
123.	मुख्य सोडाला ,, ,,	,, ,,
124.	आजाद ,, ,,	,, ,,
125.	स्वामी कच्ची बस्ती ,,	,, ,,
126.	गोतम बुद्ध ,, ,,	,, ,,
127.	शिव नगर ,, ,,	,, ,,
128.	बेरिया बस्ती ,, ,,	,, ,,
129.	कैलाश पुरी ,, ,,	,, ,,
130	टैगोर नगर ,, ,,	,, ,,
131.	बैकुन्ठ नगर ,, ,,	,, ,,
132.	सुतरखाना ,, ,,	,, ,,
133.	बर्मा ,, ,,	,, ,,
134.	बापू कालोनी गृ. नि. स. स. लि	,, ,,
135.	शिव शक्ति गृ. नि स. स. लि.	,, ,,
136.	सीता रामपुरी गृ. नि. स. स. लि.	,, ,,
137.	महात्मा गांधी गृ. नि. स. स. लि.	,, ,,
138.	गोवर्धन पुरी गृ. नि. स. स. लि.	,, ,,
139.	मण्डी खटीकान गृ. नि. स. स. लि.	,, ,,
140	अवधपुरी गृ. नि. स. स. लि.	,, ,,
141.	शांति गृह गृ. नि. स. स. लि.	,, ,,
142.	जीवन ज्योति गृ. नि. स. स. लि.	,, ,,

1	2	3
143.	मदनमोहन मालवीयनगर गृ. नि. स. स. लि.	कृषि भूमि का न होना
144.	सरस्वती हरिजन गृ. नि. स. स. लि.	,,
145.	गलता घाटी गृ. नि. स. स. लि.	,,
146.	इन्द्रा गृ. नि. स. स. लि.	,,
147.	अमृतपुरी भवन गृ. नि. स. स. लि,	,,
148.	श्रीमहावीर नगर गृ. नि. स. स. लि.	,,

परिशिष्ट "स"

जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों के रिकार्ड का चार्ज प्रशासकों को उपलब्ध कराया में उपलब्ध भूमि की तालिका

क्रमांक	नाम समिति			भूमि उपलब्ध
1.	लाला लाजपतराय गृह निर्माण सहकारी समिति लि॰			7 बीघा 9 बिसवा
2.	हसनपुरा	,,		9790 वर्ग गज
3.	अरविन्द नगर	,,		81 बीघा 7 बिसवा
4.	महेश	,,		23 बीघा 6 बिसवा
5.	रामनगर भवन	,,		15600 वर्ग गज
6.	मालवीय नगर कच्ची बस्ती		,,	271 बीघा 16 बिसवा एवं 24578 स्कावयर
7.	एवरेस्ट	,,	,,	13 बीघा
8.	इन्द्रा नगर	,,	,,	129 बीघा 3 बीसा 7874 वर्गगज
9.	सुभाष सिन्धी	,,	,,	221 बीघा 5 बिसवा ,,
10.	जय जवान	,,	,,	91 बीघा 15 बिसवा
11.	रामराजपुरा	,,	,,	2750 वर्ग गज
12.	गोपालपुरा	,,	,,	14 बीघा 13 बिसवा एवं 1865 वर्ग गज
13.	मदरामपुरा	,,	,,	25 बीघा 3 बिसवा
14.	टेलीफोन कर्मचारी	,,	,,	6 बीघा 12 बिसवा
15.	झांकरोटा स्कीम	,,	,,	17 बीघा 18 बिसवा
16.	श्री कृष्ण		,,	6400 वर्ग गज
17.	बजाज नगर		,,	64 बीघा 15 बिसवा

Page No.186

परिशिष्ट—5

तारांकित प्रश्न संख्या 101 की तालिका

क्र. सं.	नाम पं० समिति	सिंचाई कार्य		सा० निर्माण विभाग		भू-संरक्षण कार्य	
		संख्या कार्य	श्रमिक संख्या	संख्या कार्य	श्रमिक संख्या	संख्या कार्य	श्रमिक संख्या
1.	पाली	5	913	5	236	2	125
2.	रोहट	6	1304	6	1097	–	–
3.	रानी	5	515	–	–	–	–
4.	मारवाड़ जंक्शन	8	850	9	996	–	–
5.	जैतारण	9	1573	6	206	6	255
6.	रायपुर	6	191	12	502	4	269
7.	सोजत	12	1299	10	1971	3	284
8.	सुमेरपुर	6	933	1	351	–	–
6.	देसूरी	8	435	4	122	9	874
10.	बाली	10	967	4	491	13	534
	योग–	75	8980	57	5972	37	2341

परिशिष्ट-6

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

जयपुर शहर व जयपुर जिले की नगरपालिकाओं को आवंटित सीमेंट

340. श्री तेजपाल यादव (चौमू) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: --

(1) जयपुर शहर एवं जयपुर जिले की नगरपालिकाओं में अप्रेल 1982 से दिसम्बर, 1982 तक कुल कितनी लेवी सीमेन्ट दी गई ?

(2) जयपुर जिले की पंचायत समितियों में अप्रेल 1982 से दिसम्बर 1982 तक कुल कितनी सीमेन्ट अलाट की गई तथा उसमें कितनी सीमेन्ट कृषि कार्य के लिये किसानों को दी गई ? जयपुर जिले की पंचायत समितियों को अलाट सीमेन्ट में से सार्वजनिक कार्यों एवं मकान निर्माण कार्य के लिये कुल सीमेन्ट कितनी दी गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अप्रेल, 1982 से दिसम्बर, 1982 तक जयपुर शहर में 5912 मैं० टन तथा जिले की अन्य नगरपालिकाओं में 2718 मैं० टन सीमेन्ट आवंटित की गई।

(2) जयपुर जिले की पंचायत समितियों को अप्रेल, 82 से दिसम्बर, 82 तक 7170 टन सीमेन्ट आवंटित की गई। कृषि कार्यों हेतु, 43624 कट्टे सार्वजनिक निर्माण कार्यों हेतु 21665 कट्टे एवं मकान निर्माण कार्य हेतु 6167 कट्टे सीमेन्ट दी गई। सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

सूची

(मात्रा कट्टों में)

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	कृषि कार्य हेतु	सार्वजनिक कार्य हेतु	मकान निर्माण हेतु	कुल योग
1	3	4	4	5	5
1.	झोटवाड़ा	179	775	—	954
2.	सांगानेर	2856	764	—	3620
3.	चाकसू	2658	1842	—	4500

1	2	3	4	5	6
4.	बस्सी	1090	1464	—	2554
5.	आमेर	4981	2579	340	7900
6.	जमुवा रामगढ़	3650	2300	600	6550
7.	गोविन्दगढ़	5466	2414	1081	8961
8.	दौसा	2015	1451	—	3466
9	बांदीकुई	3166	904	812	4882
10.	सिकराय	724	598	442	1764
11.	लालसोट	1207	1614	595	3416
12.	कोटपूतली	2665	711	440	3816
13.	बैराठ	2967	379	277	3623
14.	शाहपुरा	4835	1161	504	6520
15.	सांभर	3174	1150	376	4700
16.	दूदू	41	922	37	1000
17.	फागी	1950	637	663	3250
	योग —	43624	21665	6167	71456

सन् 1964 से 1971 तक के शरणार्थियों का पुनर्वास

341 श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : क्या पुनर्वास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सन् 1964 से 1971 तक व उसके बाद बंगला देश (पहले पूर्वी पाकिस्तान) से कितने शरणार्थी राजस्थान में आकर बसे ? कृपया वर्षवार संख्या सदन की मेज पर रखें।

(2) शरणार्थियों के पुनर्वास के साथ ही उन्हे क्या-क्या सुविधाएं दी गईं ?

(3) क्या सरकार ने 1964 से 1971 के दरम्यान आये शरणार्थियों को सरकार द्वारा प्रदत ऋण माफ किया था ?

(4) क्या यह सही है कि वर्तमान में इन लोगों से ऋण की वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सन् 1964 से 1971 तक व उसके बाद निम्नानुसार शरणार्थी बंगला देश (पहले पूर्वी पाकिस्तान) से राजस्थान में आये :—

(1) सन् 1964 से 1969	शून्य
(2) सन् 1970	3834
(3) सन् 1976	182
(4) सन् 1977	510
	4,526

(2) शरणार्थियों के पुनर्वास के साथ ही उन्हें ऋण व अनुदान की निम्न सुविधाएं दी गई :-

(1) व्यावसायिक योजनाओं के अन्तर्गत निम्न सुविधाएं :-

(अ) ऋण (क) व्यावसायिक ऋण
(ख) मकान मय दुकान (मकान एव दुकान बनाकर दिये गये)

(ब) अनुदान निर्वाह भत्ता

(2) कृषि परियोजनाओं में मकान ऋण, बैलजोड़ी, व अन्य कृषि उपकरण, बैलगाड़ी, खाद एवं बीज, भूमि विकास ऋण, निर्वाह भत्ता ऋण, चारा ऋण, कृषि भूमि आदि सुविधाए उपलब्ध कराई गई।

(3) इसके अतिरिक्त सिचाई सुविधा, रख-रखाव सहायता, आवासीय भूखण्डों के विकास हेतु अनुदान, पीने के पानी हेतु कुओं का निर्माण, चिकित्सा सुविधा, प्राथमिक शिक्षा सुविधा एवं सड़कों का निर्माण आदि अनुदान दिया गया।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

नोखा में महाविद्यालय खोलना

342. श्री सुरजाराम टांक (नोखा) : क्या महाविद्यालय शिक्षा राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष नये महाविद्यालय कितने खोले गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुरजाराम टांक)

(2) क्या सरकार की जानकारी में है कि 400 नये उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में उसी अनुपात में अभिवृद्धि होगी ?

(3) यदि हां, तो उन छात्रों के उच्चतर विद्याध्ययन हेतु सरकार किस योजना पर विचार कर रही है ?

(4) क्या सरकार नये महाविद्यालय खोलते समय ग्रामीण व पिछड़े, घनी आबादी के क्षेत्रों को प्राथमिकता दिये जाने पर विचार करेगी ?

(5) क्या सरकार घनी आबादी क्षेत्र/किसान बहुल एरिया। विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए नौखा नगर में महाविद्यालय खोलने की योजना पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) सन 1982-83 में राज्य सरकार ने कोई भी नया राजकीय महाविद्यालय नहीं खोला है।

(2) जी हां। नये उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कुछ अभिवृद्धि हो सकती है।

(3) उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् विद्यार्थियों को प्रवेश नियमों के आधार पर महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है। राज्य सरकार वित्तीय साधनों को दृष्टि में रखते हुए महाविद्यालयों में अतिरिक्त सैक्शन प्रारम्भ करने की स्वीकृति भी प्रदान करती है।

(4) यदि राज्य सरकार कोई नया राजकीय महाविद्यालय खोलने का निर्णय लेती है तो ग्रामीण व पिछड़े/घनी आबादी के क्षेत्रों की तुलनात्मक आवश्यकताओं पर भी विचार करेगी।

(5) 1983-84 के लिए उपलब्ध आयोजना बजट में कोई नया राजकीय महाविद्यालय खोलने का प्रावधान नहीं है।

'राजमहल पहियों पर, के प्रचार हेतु अधिकारी को विदेश यात्रा

343. श्री हरसहाय मीणा (किशनगंज, श्री दीपेन्द्रसिंह (श्रीमाधोपुर) व श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) ; क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पर्यटकों के लिए राजमहल पहियों पर, नामक रेलगाड़ी चालू करने पर कितना व्यय किया गया ?

(श्री हरसहाय मीणा)

(2) क्या उक्त गाड़ी के चालू होने के लिए पूर्व प्रचार एवं टिकटों की बुकिंग के लिए किसी अधिकारी को विदेशों में भी भेजा गया? यदि हां, तो उक्त अधिकारी पर कितना व्यय हुआ ?

(3) उक्त अधिकारी द्वारा अपनी विदेश यात्रा के दौरान कितनी राशि बुकिंग के माध्यम से एकत्रित की गई ?

(4) उक्त अधिकारी कितनी अवधि तक कहां-कहां विदेश यात्रा के दौरान रहे तथा इस यात्रा का उद्देश्य क्या था ?

उत्तर

(1) पर्यटकों के लिए 'राजमहल पहियों पर नामक, रेलगाडी चालू करने पर राजस्थान विकास निगम द्वारा अब तक रु. 14,63,337.42 व्यय किये गये ; जिसमें रु. 6,5..743-08 पूंजीगत एवं रुपये 8, 2,594,34 राजस्व व्यय है।

(2) जी हां, तत्कालीन सचिव पर्यटन, राजस्थान सरकार एवं पर्यटन विभाग व प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान पर्यटन विकास निगम को विदेश भेजा गया। सचिव के द्वारा की गई यात्रा पर रुपये 21.173.10 एवं निदेशक पर्यटन व प्रबन्ध निदेशक, राज. पर्यटन विकास निगम की यात्रा पर रु. 30.595.85 व्यय हुए।

(3) तत्कालीन सचिव, पर्यटन विभाग भारतीय रेलवे के वित्त आयुक्त के नेतृत्व में बने डेलीगेशन,, के एक सदस्य के रूप में विदेश यात्रा पर गये जहां अग्रिम आरक्षण के पेटे 4,12,405 रु. की राशि एकत्रित हुई। जापान की यात्रा निदेशक पर्यटन द्वारा चेयरमेन रेलवे बोर्ड के साथ शाही रेल पैलेस ऑन व्हील्स के प्रचार हेतु की गई।

(4) तत्कालीन सचिव पर्यटन अपनी विदेश यात्रा के दौरान 24 अप्रैल 1982 से 3 मई, 1982 तक लन्दन (इंग्लैंड) एवं निदेशक पर्यटन विभाग एवं प्रबन्ध निदेशक राजस्थान पर्यटन विकास निगम अपनी यात्रा के दौरान 10 मई, 1982 से 16 मई 82 तक टोकियो (जापान) एवं बैंकाक (थाइलैंड) की यात्रा पर रहे। उक्त यात्रा का उद्देश्य विदेशों में मुख्य ट्यूर आपरेटर्स एवं यात्रा एजेन्सियों से सम्पर्क कर शाही रेलगाड़ी का प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग करना था।

सार्वजनिक निर्माण विभाग का क्वालिटी कन्ट्रोल खण्ड

344. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि निर्माण कार्यों में विभाग द्वारा सही माल काम में लाया जाये तथा खराब माल काम में लाये जाने वाले ठेकेदारों को दण्डित किया जा सके, इस हेतु

(श्री माधव सिंह दीवान)

क्वालिटी कन्ट्रोल का एक अलग से महकमा खोल रखा है ? यदि हां, तो उस महकमे में कहां-कहां पर कितने-कितने किस-किस पद के व्यक्ति कार्यरत हैं तथा उनके वेतन पर प्रति माह कितना खर्चा होता है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पिछले एक वर्ष में क्वालिटी कन्ट्रोल खण्ड में कार्यरत किस-किस अधिकारी द्वारा कहां-कहां से कितने नमूने लिये गये तथा कितनों को सही नहीं पाया गया तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस विभाग द्वारा किये गये कार्यों में सिर्फ मैटेरियल देखने का ही कार्य है और वर्कमैनशिप देखने बाबत कोई अधिकार नहीं है ? यदि हां, तो इस विषय में सरकार क्या करने का विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) विभाग के निर्माणाधीन कार्यों पर गुण नियन्त्रण हेतु जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर एवं उदयपुर में गुण नियन्त्रण खण्ड स्थापित किये गये हैं। इन खण्डों में कार्यरत कर्मचारियों की सूची एवं प्रति माह खर्चे का विवरण (प्रपत्र क) सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) गुण नियन्त्रण खण्ड के अधिकारियों द्वारा पिछले लगभग एक वर्ष में लिये गये नमूनों की संख्या आदि का विवरण (प्रपत्र ख) सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) गुण नियन्त्रण खण्ड का कार्य सिर्फ मैटिरियल देखने का ही है। वर्कमैनशिप देखने का नहीं। यह व्यवस्था उपयुक्त है।

प्रपत्र 'क'

क्र. सं.	पद	वेतन
1	2	3
	जयपुर	
1	अधीक्षण अभियन्ता	2 837.00
2.	अधिशासी अभियन्ता	2,191.00
3.	टेस्टिंग अधिकारी	2,359.57
4.	सहायक टेस्टिंग अधिकारी	1,298.40
5.	,, ,,	1.257.50
6.	सहायक अभियन्ता	1,588.80

1	2	3
7.	सहायक अभियन्ता	1,791.80
8.	,,	1350.30
9.	वैज्ञानिक	1042.10
10.	,	1042.10
11.	,,	881,10
12.	,,	881.10
13.	,,	881.10
14.	लेब आपरेटर	770 05
15.	,,	800.00
16.	,,	800.00
17.	,,	800.00
18.	,,	800.00
19.	,,	669.00
20.	,,	856.10
21.	,,	658.85
22.	,,	694.85
23.	लेब अटेन्डेन्ट	454.10
24.	,,	454. 0
25.	,,	454.10
26.	,,	454.10
27.	उप अभियन्ता	820.10
28.	,,	821.10
29.	स्टेनो	840.10
30.	कनिष्ठ लिपिक	670.80
31.	च. श्रे. कर्मचारी	517.00
		31726.95

कोटा

1.	अधिशासी अभियन्ता	1980.00
2.	सहायक अभियन्ता	1325.00
3.	कनिष्ठ अभियन्ता (2)	1640.00
4.	वैज्ञानिक	1045.00
5.	लेखाकार	1480.00

Page No.194

1	2	3
6.	कनिष्ठ लेखाकार	1175.00
7.	शीघ्रलिपिक	1025.00
8,	कनिष्ठ लिपिक	640.00
9.	प्रयोग शाला प्रवर्तक	655.00
10.	प्रयोगशाला परिचारक	445.50
11.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	499.00
		11409.50

	उदयपुर	
1.	अधिशासी अभियन्ता	2425.00
2.	सहायक अभियन्ता	1861.20
3.	,,	1265.00
4.	सहा. परी. अधिकारी	1460.00
5.	लेखाकार	1480.00
6.	कनिष्ठ लिपिक (शीघ्रलिपिक के पद पर)	830.00
7.	कनिष्ठ लिपिक	630.00
8.	वैज्ञानिक	1025.00
9.	उप-अभियन्ता	805.00
10.	लेब आपरेटर	635.00
11.	लेब अटेन्डेन्ट	445.50
12.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	466.50
13-	,,	448.50
		13776.70

	जोधपुर	
1.	अधिशासी अभियन्ता	2149.00
2.	सहायक अभियन्ता (2)	3370.00
3.	सहायक परीक्षण अधिकारी	1450 00
4.	लेखाकार	1455.00
5.	वरिष्ठ लिपिक	1175.00

Page No.195

1	2	3
6.	शीघ्र लिपिक	1295.00
7.	कनिष्ठ लिपिक	640.00
8.	उप अभियन्ता (2)	2300.00
9.	केमिस्ट	865.00
10.	लेब आपरेटर	755.00
11.	लेब अटेन्डेन्ट	448.50
12.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (2)	1037.00
13.	कार्य प्रभारी कर्मचारी (4)	1959.00
14.	ड्राइवर (यान्त्रिक खण्ड)	1030.00
		19928.50
	अजमेर	
1.	अधिशासी अभियन्ता	2055.00
2.	सहायक अभियन्ता (2)	3400.00
3.	सहायक परीक्षण अधिकारी	1295.00
4.	लेखाकार	1055.00
5.	उप अभियन्ता (2)	1710.00
6.	वैज्ञानिक	1025.00
7.	कनिष्ठ लेखाकार	795.00
8.	शीघ्रलिपिक	815.00
9.	लेब आपरेटर	655.00
10.	कनिष्ठ लिपिक	630.00
11.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	463.50
12.	ड्राइवर	1025.00
13.	कार्य प्रभारी कर्मचारी (6)	2700.00
		17663.50
	बीकानेर	
1.	अधिशासी अभियन्ता	1987.00
2.	सहायक अभियन्ता	1770.00
3.	,,	1265.00

1	2	3
4.	सहायक परीक्षण अधिकारी	1235.00
5.	उप अभियन्ता (2)	1730.00
6.	प्रयोगशाला प्रवर्तक	855.00
7.	रिक्त पद वैज्ञानिक (2)	1650.00
8.	प्रयोगशाला सहायक	445.00
	क्षेत्रीय प्रयोगशाला	
9.	सहायक अभियन्ता	1235.00
10.	भू-वैज्ञानिक	975.00
11.	प्रयोगशाला प्रवर्तक	785.00
12.	प्रयोगशाला सहायक	473.00
13.	प्रयोगशाला सहायक	457.00
14.	लेखाकार	1455.00
15.	कनिष्ठ लेखाकार	1055.00
16.	वरिष्ठ लिपिक	1085.00
17.	कनिष्ठ लिपिक	650.00
18.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	469.00
19.	कनिष्ठ लिपिक	640.00
20.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (रिक्त पद)	439.00
		19390.00

प्रपत्र 'ख'

कार्य का नाम	पद का नाम	नमूने की संख्या	सही नहीं पाये नमूने की संख्या	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
पुल निर्माण कार्य किमी 224/200 जयपुर आगरा रोड़	अधिशाषी अभियन्ता/	2	—	सम्बन्धित अधिकारी को सूचित किया
स्ट्रेन्थनिंग ऑफ रोड़ किमी 215/228 जयपुर आगरा रोड़	सहायक अभियन्ता	3	—	,,
स्ट्रेन्थनिंग ऑफ रोड़ किमी 203 से 223 जयपुर आगरा रोड़	गुण नियंत्रण कोष्ठ	3	1	,,
स्ट्रेन्थनिंग ऑफ रोड़ किमी 283 से 295 जयपुर अजमेर रोड़	जयपुर	4	4	,,
सरफेस ड्रेसिंग का कार्य किमी 219/0 से 220/0 जयपुर दिल्ली रोड़	,,	2	1	,,
सरफेस ड्रेसिंग का कार्य किमी 219/0 से 220/0 जयपुर दिल्ली रोड़	,,	1	1	,,
हाट मिक्स प्लॉंट कोटपुतली जयपुर दिल्ली रोड़	,,	4	—	,,
हाट मिक्स प्लॉंट कोटपुतली जयपुर बड़ का बालाजी अजमेर रोड़	,,	2	—	,,
स्ट्रेन्थिंग ऑफ रोड किमी 148 से 160 जयपुर दिल्ली रोड़	,,	2	2	,,
कारपेट का कार्य क्वीन्स रोड़ जयपुर	,,	3	—	,,
चौकीदार क्वाटर का निर्माण कार्य कृषि फार्म दुर्गापुरा	,,	1	1	,,

सामरिया अप्रोच सड़क का निर्माण कार्य किमी 11 से 13 जयपुर	अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, गुण नियन्त्रण कोष्ठ जयपुर	3	3	सम्बन्धित अधिकारी को सूचित किया गया।
मनोहरपुर से खोरालाड खानी सड़क का निर्माण कार्य	,,	4	4	,,
गन्दा नाला का निर्माण कार्य कलवर्ट नं0 1/2	,,	1	1	,,
लेवलिंग कोर्स का कार्य जयपुर टोंक रोड नेहरू पार्क के सामने	,,	6	3	,,
सोसीयल वैल फेयर निदेशक के भवन का निर्माण कार्य	,,	2	1	,,
गांधी नगर में [6+,] क्वार्टरों का निर्माण कार्य	,,	1	1	,,
गांधी नगर में [6+6] क्वार्टरों का निर्माण कार्य	,,	1	—	,,
सोसीयल वैल फेयर निदेशक का भवन निर्माण का कार्य	,,	3	2	,,
जयपुर सीकर रोड़ किमी 2/3 में सी डी कार्य	,,	3	3	,,
शास्त्रीनगर जयपुर में सड़क निर्माण कार्य (शिकायत)	,,	14	14	,,
मण्डा भादवा सड़क का निर्माण कार्य	3	3	3	,,
लेबोरेट्री ऑफिस मुख्य अभियन्ता कार्यालय जयपुर	,,	1	1	,,
गन्दा नाला कलवर्ट नं० 1 से 2 जयपुर	,,	1	1	.
गन्दा नाला कलवर्ट नं० 2 से 3 जयपुर	,,	1	1	,,
गन्दा नाला कलवर्ट नं० 5 से 6 जयपुर	,,	1	1	,,

1	2	3	4	5
गन्दा नाला कलवर्ट नं० 6 से 7 जयपुर	अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, गुण नियन्त्रण कोष्ठ, जयपुर	1	1	सम्बन्धित अधिकार को सूचित किया गया ।
लेबोरेट्री मुख्य अभियन्ता कार्यालय	,,	1	1	,,
कूकस से पुल निर्माण का कार्य जयपुर	,,	1	1	,,
आश्रम स्कूल टाण्ड का निर्माण कार्य	,,	1	1	,,
आश्रम स्कुल रामगढ़ का निर्माण कार्य	,,	1	1	,,
आश्रम स्कूल रेनो निर्माण कार्य	,,	1		
अलवर में ट्रेजरी का निर्माण कार्य जयपुर टोंक रोड पर नालीनिर्माण कार्य जयपुर ।				
टोंक रोड पर नाली निर्माण कार्य जयपुर । कम्पाउण्ड वाल का निर्माण कार्य गांधी नगर (584-20-4-82)	,,	1	1	,,
रामगढ़ रोड पर पुलिया निर्माण कार्य कि.मी. 17/600 (585-21-4-82)	,,	1	1	,,
पाइप कलवर्ट का निर्माण कार्य किमी 9 रामगढ़ रोड	,,	1	1	,,
पाइप कलवर्ट का निर्माण कार्य कोल्वे किमी 12/800	,,	1	1	,,
पाइप कलवर्ट का निर्माण कार्य लाली का नाला	,,	1	1	,,
टोवाल का निर्माण कार्य झालाना	,,	1	1	,,
नाली का निर्माण कार्य जे. एल. एन. मार्ग जयपुर	,,	1	1	,,

बाण्डी नदी पर अतिरिक्त स्पेन्स का कार्य मालपुरा रोड	अधिशाषी अभियन्ता सहायक अभियन्ता, गुण नियन्त्रण कोष्ठ, जयपुर	1	1	सम्बन्धित अधिकारी को सूचित किया गया।
कम्पाउन्ड वाल के निर्माण कार्य गांधी नगर, जयपुर	,,	1	1	,,
ढूण्ड नदी पर काजवे का निर्माण कार्य	,,	1	1	,,
पाइप कलवर्ट का निर्माण कार्य रामगढ़ रोड	,,	1	1	,,
कृषिफार्म दुर्गापुरा में भवन निर्माण कार्य जयपुर	,,	1	1	,,
पक्के नाले का निर्माण कार्य टोंक रोड पर जयपुर	,,	1	1	,,
गन्दा नाला पुलिया न० 3 व 4 के बीच	,,	1	1	,,
गन्दा नाला पुलिया न० 5 व 6 के बीच जयपुर	,,	1	1	,,
मेडिकल कालेज के सामने फुटपाथ का निर्माण कार्य, जयपुर	,,	1	1	,,
जवाहर लाल नेहरु मार्ग पर पक्के नाले निर्माण कार्य जयपुर	,,	1	1	,,
मुख्य अभियन्ता कार्यालय के सैंट्रल स्टोर के छत का कार्य गन्दा नाला पुलिया न० 2 व 3 के बीच	,,	1	1	,,
गोपालपुरा बाईपास में कलवर्ट निर्माण कार्य	,,	1	1	,,
कृषि प्रशिक्षण केन्द्र दुर्गापुरा जयपुर	,,	1	1	,,
दुर्गापुरा के [illegible] का कार्य	,,	1	1	,,

1	2	3	4	5
मुख्य अभियन्ता कार्यालय में गुण नियंत्रण खण्ड का निर्माण कार्य	अधिशाषी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता, गुण नियन्त्रण कोष्ठ जयपुर	1	1	सम्बन्धित अधिकारी को सूचित किया गया।
गन्दा नाला कलवर्ट न० 3 व 4 के बीच	,,	1	1	,,
टोंक रोड पर नाले का काम दन्त चिकित्सालय दुर्गापुरा के पास जयपुर	,,	1	1	,,
गन्दा नाला पुलिया नं० 2 व 3 के जयपुर	,,	1	1	,,
शास्त्रीनगर मे सुभाष क्लीनिक के सामने नाले का काम जयपुर	,,	1	1	,,
गन्दा नाला पुलिया न० 3 व 4 के बीच का निर्माण कार्य जयपुर	,,	1	1	,,
गन्दा नाला पुलिया न० 3 व 4 के बीच का निर्माण कार्य जयपुर।	,,	1	1	,,
गन्दा नाला पुलिया न० 3 व 4 के बीच का निर्माण कार्य जयपुर।	,,	1	1	,,
भवानी सिंह सडक जयपुर पर पुल निर्माण कार्य	,,	1	1	,,
गन्दा नाला पुलिया नं० 6 व 7 के बीच जयपुर	,,	1	1	,,
गन्दा नाला पुलिया नं० 5 व 6 के बीच जयपुर	,,	1	—	,,
गन्दा नाला पुलिया नं० 4 व 5 के बीच जयपुर	,,	1	—	,,
मुख्य अभियन्ता कार्यालय में गुण नियन्त्रण भवन की सीढियों का कार्य जयपुर	,,	1	1	,,
खातीपुरा नाले का कार्य जयपुर	,,	1	1	,,
पुलिया नं० 2 व 3 के बीच गन्दा नाला जयपुर	,,	1	1	,,

मिर्ज़ा इस्माइल रोड पर नाले का कार्य जयपुर	अधिशासी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता, गुण नियन्त्रण कोष्ठ, जयपुर			सम्बन्धित अधिकारी को सूचित किया
कलवर्ट नं० 1 व 2 के बीच गन्दे नालों का कार्य जयपुर	,,	1	1	,,
नाले का निर्माण कार्य सरदार पटेल मार्ग पर कार्य जयपुर	,,	1	1	,,
महाराजा कॉलेज में नाली के निर्माण कार्य जयपुर	,,	1	1	,,
मिर्ज़ा इस्माइल रोड पर नाली का कार्य जयपुर	,,	1	1	,,
गुण नियन्त्रण कमरे का कार्य मुख्य अभियन्ता कार्यालय, जयपुर	,,	1	1	,,
पुलिया नं० 2 व 3 के बीच गन्दा नाला का निर्माण	,,	1	1	,,
पुलिया नं० 1 व 2 के बीच गन्दा नाला का कार्य	,,	1	1	,,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर नाले का कार्य	,,	1	1	,,
पुलिया नं० 2 व 3 के बीच गन्दा नाला	,,	1	1	,,
पुलिया नं० 3 व 4 के बीच गन्दा नाला	,,	1	1	,,
समाज कल्याण विभाग भवन निर्माण कार्य जयपुर	,,	1	1	,,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर नाले का कार्य	,,	1	1	,,
गांधी नगर में क्वार्टर निर्माण	,,	1	1	,,
एम० आई० रोड नाली निर्माण	,,	1	1	,,

	2	3	4	5
समाज कल्याण भवन निर्माण	अधिशासी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता गुण नियन्त्रण कोष्ठ, जयपुर			सम्बन्धित अधिकारी को सूचित किया गया
भवानीसिंह सड़क पर पुलिया निर्माण	,,	1	1	,,
पुलिया नं० 6 से 7 नाला निर्माण	,,	1	1	,,
,, 2 व 3 ,,	,,	1	1	,,
,, 1 व 2 ,,	,,	1	1	,,
सेन्ट्रल स्टोर पी० डब्ल्यू० डी०	,,	1	1	,,
मुख्य अभियन्ता कार्यालय	,,	1	–	,,
,,			1	
पुलिया नं० 3 व 4 के बीच गन्दा नाला जयपुर	1	1	1	,,
पुलिया नं० 2 व 3 के बीच गन्दा नाला जयपुर	,,	1	1	,,
पुलिया नं० 6 व 7 के बीच गन्दा नाला जयपुर	,,	1	1	,,
पुलिया नं० 6 व 7 के बीच गन्दा नाला जयपुर	,,	1	1	,,
पुलिया नं० 1 व 2 के बीच गन्दा नाला जयपुर	,,	1	1	,,
टोंक रोड पर इन्स्टीयूट ऑफ इन्जीनियर्स के पास फुटपाथ जयपुर	,,	1	1	,,
पादरी स्कूल के पास वाला नाला का कार्य जयपुर	,,	1	1	,,

भवानीसिंह मार्ग पर पुल निर्माण कार्य जयपुर	अधिशाषी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता गुण नियन्त्रण कोष्ठ जयपुर	1	—	सम्बन्धित अधिकारी को सूचित किया गया
पुलिया नं० 3 व 4 के बीच गन्दा नाला जयपुर	,,	1	1	,,
एम. आई. रोड का सुधार नाला का निर्माण का कार्य जयपुर	,,	1	—	,,
ताल रोड के पास वाले का निर्माण कार्य रेलवे लाइन के पास जयपुर	,,	1	1	,,
पुलिया नं० 1 व 2 के बीच गन्दा नाला का निर्माण कार्य जयपुर	,,	1	—	,,
पुलिया नं० 2 व 3 के बीच गन्दा नाले का निर्माण कार्य जयपुर	,,	1	1	,,
हवा सड़क पर नाली का निर्माण कार्य जयपुर	,,	1	1	,,
भवानीसिंह मार्ग पर पुल निर्माण कार्य जयपुर	,,	1	1	,,
जमनालाल बजाज मार्ग पर नाले का निर्माण कार्य जयपुर	,,	1	1	,,
कालवाड़ सड़क पर पुल निर्माण कार्य जयपुर	,,	1	1	,,
झोटवाड़ा; खातीपुरा सड़क पर नाले का कार्य जयपुर	,,	1	—	,,
हसनपुरा में नाले का निर्माण कार्य जयपुर	,,	1	1	,,
पुलिया नं० 3 व 4 के बीच गन्दा नाला का निर्माण कार्य जयपुर	,,	1	1	,,
पुलिया नं० 3 व 4 के बीच गन्दा नाला का निर्माण कार्य जयपुर	,,	1	—	,,
पुलिया नं० 6 व 7 के बीच गन्दा नाला का निर्माण कार्य जयपुर	,,	1	1	,,

1	2	3	4	5
जमनालाल बजाज मार्ग पर नाले का निर्माण कार्य, जयपुर	अधिशासी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता गुण नियन्त्रण कोष्ठ जयपुर	1	1	सम्बन्धित अधिकारी को सूचित किया गया
पुलिया नं० 5 व 6 के बीच गन्दे नाले का निर्माण कार्य	,,	1	1	,,
पुलिया नं० 2 व 3 के बीच गन्दे नाले का निर्माण कार्य	,,	1	-	,,
पुलिया नं० 5 व 6 के बीच गन्दे नाले का निर्माण कार्य जयपुर	,,	1	1	,,
भवानीसिंह मार्ग पर पुल निर्माण कार्य जयपुर	,,	1	1	,,
पुलिया नं० 1 व 2 के बीच गन्दे नाले का निर्माण कार्य	,,	1	—	,,
काली पहाड़ी दौसा में आश्रम स्कूल का निर्माण कार्य	,,	1	1	,,
अस्पताल भवन दौसा का निर्माण कार्य	,,	1	1	,,
लालवास में आश्रम स्कूल का निर्माण कार्य	,,	1	1	,,
पुलिया नं० 2 व 3 के बीच गन्दे नाले का निर्माण कार्य	,,	1	—	,,
दौसा तूंगा काजवे निर्माण कार्य	,,	1	1	,,
दौसा तूंगा-काजवे पर निर्माण कार्य नाला	,,	1	1	,,
गुण नियंत्रण खण्ड जयपुर का निर्माण कार्य	,,	1	1	,,
आश्रम स्कूल का टांढ	,,	1	1	,,
कूकस में नाले का निर्माण	,,	1	—	,,

आश्रम स्कूल का निर्माण		1	—	सम्बन्धित अधिकारी को सूचित किया गया
भवानी सिंह मार्ग पर पुल निर्माण	,,	1	—	,,
पुलिया नम्बर 2 व 3 के नाले का निर्माण	,,	1	1	,,
,,	,,	1	—	,,
पुलिया नम्बर 6 व 7 के नाले का निर्माण कार्य	,,	1	1	,,
भवानी सिंह मार्ग पर पुल निर्माण	सहा. अभि.	1	1	,,
पुलिया नम्बर 3 व 4 के नाले का निर्माण	अधि. अभि.	1	—	,,
,,	,,	1	1	,,
भावनी सिंह मार्ग पर पुल निर्माण	,,	1	1	,,
,,	,,	1	1	,,
पुलिया नम्बर 5 व 6 के नाले का निर्माण	,,	1	1	,,
पुलिया नम्बर 6 के पास का नाले का निर्माण	,,	1	—	,,
पुलिया नम्बर 6 व 7 के नाले का निर्माण	,,	1	—	,,
समाज कल्याण भवन का निर्माण	,,	1	1	,,
भवानीसिंह मार्ग पर पुल निर्माण	,,	1	1	,,

1	2	3	4	5
एम. आई रोड सुधार कार्य नाला	अधि. अभि.	1	—	सम्बन्धित अधिकारी को सूचित किया गया
,,	,,	1	1	,,
सचिवालय भवन के सामने कातला बिछाने का कार्य	,,	1	1	,,
समाज कल्याण भवन निर्माण कार्य	,,	1	1	,,
पुलिया नम्बर 2 व 3 नाले का निर्माण	,,	1	—	,,
समाज कल्याण भवन निर्माण कार्य	,,	1	1	,,
पुलिया नम्बर 6 व 7 का निर्माण कार्य	,,	1	1	,,
ब्रम्हपुरी में पुल निर्माण	,,	1	1	,,
राजस्थान कॉलेज मार्ग पर नाले का निर्माण	,,	1	1	,,
,,	,,	1	1	,,
नारायण सिंह चौराहे के पास नाले का निर्माण	,,	1	1	,,
पुलिया नम्बर 2 के नाले का निर्माण	,,	1	1	,,
दिल्ली बाईपास नाले का निर्माण	,,	1	1	,,
पुलिया नम्बर 2 व 3 के नाले का निर्माण	,,	1	1	,,
सूरजपोल दरवाजे के पास नाले का निर्माण	,,	1	1	,,

जयपुर-दिल्ली बाईपास सड़क के नाले का निर्माण	अधि० अभि०	1	—	सम्बन्धित अधिकारी को सूचित किया गया
,,	,,	1	1	,,
ब्रम्हपुरी में पुल निर्माण	,,	1	1	,,
भवानी सिंह मार्ग पर पुल निर्माण	,,	1	1	
जमनालाल बजाज मार्ग पर नाले का निर्माण	,,	1	1	,,
,,	,,	1	1	,,
जगन पथ पर नाले का निर्माण	,,	1	1	सम्बन्धित अधिकारी
खेतान पोलीटेक्नीक निर्माण	,,	1	1	को सूचित किया गया
पुलिया नम्बर 6 व 7 के बीच नाले का निर्माण	,,	1	1	,,
पोद्दार स्कूल के सामने नाले का निर्माण	,,	1	1	,,
जे० एल० एन० मार्ग पर गणेश मार्ग नाले का निर्माण	,,	1	1	,,
एम० आई० रोड नाली का कार्य	,,	1	1	,,
सचिवालय में कातले लगाने का कार्य	,,	1	1	,,
दुर्गापुरा में ट्रेनिंग सेन्टर का निर्माण	,,	1	1	,,
जे० एल० मार्ग पर नाले का निर्माण	,,	1	1	,,

1	2	3	4	5
राम निवास बाग में नाली का निर्माण	अधि. अभि.	2	2	सम्बन्धित अधिकारी को सूचित किया गया
जे० एल० एन० मार्ग पर नाली का निर्माण	,,	2	2	,,
सरदार पटेल मार्ग पर नाली का निर्माण	,,	2	1	,,
गन्दे नाले का निर्माण कार्य पुलिया नम्बर 1 से 2	,,	1	1	,,
रायसर रामगढ़ रोड पर सड़क निर्माण	,,	2	1	,,
पुलिया नम्बर-1 से 2 नाले क निर्माण	,,	1	1	,,
नारायणसिंह क्रोसिंग के पास नाले का निर्माण	,,	1	1	,,
महावीर मार्ग नाले का निर्माण	,,	1	1	,,
झोटवाड़ा नाले का निर्माण	,,	1	1	,,
देवी मार्ग नाले का निर्माण	,,	2	2	,,
नारायणसिंह सकिल नाले का निर्माण	,,	2	2	,,
पुलिया 6 से 7 नाले का निर्माण कार्य	,,	1	1	,,
सरदार पटेल मार्ग नाले का निर्माण	,,	1	1	,,
पुलिया 2 से 3 नाले का निर्माण	,,	1	1	,,
एम० आई०, रोड नाली का सुधार	,,	2	1	,,

पुलिया 1 से 2 नाले का निर्माण	अधि. अभि.	1	–	सम्बन्धित अधिकारी को सूचित किया गया,
खातीपुरा सड़क नाली का निर्माण कार्य	,,	1	1	,,
सरदार पटेल मार्ग नाली के निर्माण कार्य	,,	1	1	,,
जयपुर सड़क व सीकर सड़क पर नाले का कार्य	,,	1	–	,,
नाग तलाई जयपुर पर नाली के निर्माण कार्य	,,	1	–	,,
एफ० डी० आर० आमेर बाई पास	,,	1	1	,,
नाले का निर्माण कार्य सरदार पटेल मार्ग	,,	1	1	,,
नाले का निर्माण कार्य जे० एल० एन० मार्ग पर	,,	2	1	,,
वार्डन क्वार्टर का निर्माण कार्य दुर्गापुरा ट्रेनिंग सेन्टर पर	,,	1	1	,,
जी० एफ० भवन निर्माण कार्य दुर्गापुरा, जयपुर	,,	3	2	,,
नाली के निर्माण कार्य जयपुर बाई पास कि० मी० 260 जयपुर		1	1	,,
गन्दे नाले के निर्माण कार्य पुलिया नं० से 4 जयपुर		1	1	,,
नाली के निर्माण कार्य जे० एन० एन० मार्ग जयपुर		1	1	,,
मीणा होस्टल निर्माण कार्य काली पहाड़ी दौसा		1	1	,,
मुख्य अभियन्ता कार्यालय में निर्माण कार्य		1	1	,,

1	2	3	4	5
गन्दे नाले के निर्माण कार्य पुलिया नं० 2 से 3 जयपुर		1	1	सम्बंधित अधिकारी को सूचित किया गया,
गन्दे नाले का निर्माण कार्य पुलिया नं० 1 से 2, जयपुर		1	1	,,
गन्दे नाले का निर्माण कार्य पुलिया नं० 6 से 7, जयपुर		1	1	,,
टोवाल का निर्माण कार्य मालवीया इन्जीनियरिंग कॉलेज, जयपुर		1	1	,,
काजवे का निर्माण कार्य जगतपुरा सांगानेर रोड, जयपुर		1	1	,,
टोवाल के निर्माण कार्य ओ० टी० एस० बिल्डिंग, जयपुर		1	1	,,
नाली के निर्माण कार्य खातीपुरा रोड		1	1	,,
होस्टल निर्माण कार्य दुर्गापुरा, जयपुर		1	1	,,
नाली के निर्माण घाट की गूणी, जयपुर		3	3	,,
गन्दे नाले पर पाइप कलवर्ट 7 का निर्माण कार्य		1	1	,,
गन्दे नाले के निर्माण कार्य 2 से 3		1	1	,,
गन्दे नाले के निर्माण कार्य 3 से 4		1	1	,,
नाली के निर्माण कार्य जे० एल० एन० मार्ग, जयपुर		1	1	,,
नाली के निर्माण कार्य रामगंज, चौपड़, गलता रोड		1	1	,,
नाली के निर्माण कार्य नागतलाई कि० मी0 269/ 0		1	1	,,

III टाइप क्वाटर के निर्माण कार्य जयपुर 6 से 4 गांधीनगर, जयपुर	3	2	सम्बंधित अधिकारी को सूचित किया गया;
नाली का निर्माण कार्य जमनालाल बजाज मार्ग	1	–	,,
गन्दे नाले का निर्माण कार्य पुलिया नं० 2 से 3	1	–	,,
गन्दे नाले का निर्माण कार्य पुलिया नं० 3 से 4	1	1	,,
कृषि प्रशिक्षण केन्द्र दुर्गापुरा निर्माण कार्य	1	–	,,
गन्दे नाले का निर्माण कार्य पुलिया नं० 5 से 6	1	1	,,
गन्दे नाले का निर्माण कार्य पुलिया नं० 102	1	1	,,
नाली का निर्माण कार्य जमनालाल बजाज मार्ग	1	1	,,
भवानीसिंह रोड पर पुल का निर्माण कार्य	1	1	,,
गन्दे नाले का निर्माण कार्य पुलिया नं० 1से2	1	1	,,
गन्दे नाले निर्माण कार्य पुलिया नं० 2 से 3	3	2	,,
गन्दे नाले का निर्माण कार्य पुलिया नं० 5 से 6	2	2	,,
गन्दे नाले का निर्माण कार्य पुलिया नं० 3 से 4	1	1	,,
जयपुर बाई पास टोवाल का निर्माण कार्य	1	1	,,
गन्दे नाले का निर्माण कार्य पुलिया नं० 5 से 6	2	2	,,
III टाईप क्वाटर्स का निर्माण कार्य (656) गांधीनगर, जयपुर	1	1	,,

1	2	3	4	5
गन्दा नाला निर्माण कार्य पुलिया नं० 3 से 4		3	12	सम्बंधित अधिकारी को सूचित किया गया.
गन्दा नाला निर्माण कार्य पुलिया नं० 1 से 2		2	—	,,
निदेशालय समाज कल्याण विभाग के निर्माण कार्य		1	1	,,
भवानीसिंह रोड पर पुल का निर्माण कार्य		4	1	,,
हॉस्पिटल भवन निर्माण कार्य; दौसा		1	1	,,
समाज कल्याण निदेशक के भवन का निर्माण कार्य, जयपुर।		2	2	,,
पु० नं० 2 से 3 नाला निर्माण	अधि० अभि०	1	-	सम्बन्धित अधिकारी को सूचित किया
,, 1 से 2 ,,	,,	1	—	
,, 6 से 7 ,,	,,	1	1	,,
हवा सड़क नाली निर्माण	,,	2	2	,,
गोविन्द मार्ग ,,	,,	1	1	,,
पु० नं० 5 से 6 नाला निर्माण	,,	1	1	
हॉस्टल बिल्डिंग दुर्गापुरा	,,	2	2	
तिलक नगर नाले का निर्माण	,,	1	—	,,
गोविन्द मार्ग ,,	,,	1	—	

कलवर्ट निर्माण जयपुर-सीकर रोड	अभि, अधि.	1	–	सम्बंधित अधिकारी को सूचित किया गया
पु० नं० 1 से 2 नाला निर्माण	,,	1	1	,,
पु० नं० 3 से 4 ,,	,,	1	–	,,
निदेशालय समाज कल्याण विभाग निर्माण कार्य	,,	1	1	,,
जल महल रोड पर पक्का नाला	,,	1	–	,,
जोबनेर मण्डा से भादवा सड़क निर्माण	,,	1	1	,,
पुलिस स्टेशन भवन निर्माण जोबनेर	,,	1	1	,,
आश्रम स्कूल चौय का बरवाड़ा	,,	2	–	,,
बस स्टेण्ड दुदू का सुधार कार्य	,,	1	1	,,
III टाईप क्वार्टर [6 + 6]	,,	1	1	,,
गांधीनगर निर्माण कार्य	,,	1	1	,,
भवानीसिंह मार्ग पर पुल निर्माण कार्य	,,	1	1	,,
नाली का निर्माण कार्य जमना लाल बजाज मार्ग	,,	1	1	,,
समाज कल्याण निदेशालय भवन निर्माण कार्य	,,	1	1	,,

अधोक्षण अभियन्ता गुण विभाग का 1-4-82 से 28-2-82 तक निरीक्षण रिपोर्ट

क्र. सं.	कार्य का नाम	पद का नाम	नमूनों की संख्या	सही नहीं पाये नमूनों की संख्या	की गई कार्यवाही
1.	2	3	4	5	6
	जयपुर				
	नगर सीकरी सड़क (16-4-82)	अधोक्षण अभियन्ता, गुण नियन्त्रण	8	8	सम्बधित अधिकारी का एस. ई./क्यू.सी/डी/-783 दिनांक 24-4-82 से सूचित किया गया।
1.	ई. एस. आई. चिकित्सालय, कोटा 3-5-82	अधीक्षण अभियन्ता	4	—	—
2.	पी. इस. सी. भवन, कोटा।		1	1	,, न. एस. ई./ क्यू.सी/डी-743 दिनांक 3-6-82
3.	खेरा वूढ़ा सड़क		5	4	,, ,,
4.	खैरावाद-गोन्डा सड़क		3	3	,, ,,
	वडगांव से डीडवाना सड़क 7-6-82	अधीक्षण अभियन्ता	6	3	एस. ई/क्यू. सी/डी-927 दि. 7-7-82
1.	लघुकुल पुल का निर्माण जयपुर-आगरा राज. मार्ग 3-7-82	अधीक्षण अभियन्ता	2	2	,,- 987 दि. 14-7-82

1	2	3	4	5	6
2.	वी/टी कार्य जयपुर-आगरा मार्ग पर किमी. 206 से 205		1	1	
3.	सड़क को ऊंचा किया जाना जयपुर-आगरा, राज. मार्ग कि. मी. 205		1	1	
1.	छात्रावास भवन का निर्माण कार्य दौसा 13-7-82	अधीक्षण अभियन्ता, गुण नियन्त्रण	2	2	एस. ई./क्यू.सी/डी-937 दि. 14-7-82
2.	आजम स्कूल का निर्माण कार्य		1	1	
[illegible]	काली पहाड़ी, दौसा				
8.	नागल काजवे का निर्माण कार्य दौसा सवाई माधोपुर सड़क कि.मी. 204		1	1	
4.	लालवास में आजम स्कूल का निर्माण	अधीक्षण अभियन्ता, गुण नियंत्रण	2	2	
1.	जयपुर-रामगढ़ सड़क का कार्य 4-7-82	अधीक्षण अभियन्ता	10	10	एस. ई. क्यू. सी/ डी-946 दिनांक 20-7-82
1.	राजगढ़ से सान्कू सड़क कार्य 24-9-22	अधीक्षण अभियन्ता	4	4	एस. ई. क्यू. सी / डी-1047 दिनांक 3-11-82
2.	राजगढ़ से सिन्धमुख सड़क का कार्य		10	10	
	राष्ट्रीय राज. मार्ग नं० 12 21-10-82	अधीक्षण अभियन्ता	10	8	एस. ई. क्यू. सी/ डी-1164 दिनांक 6-1-83

1	2	3	4	5	6
1:	आजम स्कूल भवन गुठाचन्द्रजी का निर्माण दि. 31-10-82	अधीक्षण अभियन्ता, गुण नियन्त्रण	1	1	एस. ई. क्यू. सीडी./-1176 दिनांक 15-1-83
2:	पी. एस. सी. भवन का निर्माण कार्य गंगापुर		5	5	,, ,,
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 11 का चौड़ा किया जाना 13-11-82 (बीकानेर वृत).	अधीक्षण अभियन्ता, गुण नियन्त्रण	21	13	एस.ई. क्यू.सी./ डी-1111 दिनांक 2-12-82
2.	सारासर से लडम सड़क का निर्माण		16	13	,, ,,
1.	सातावर से अनूपगढ़ सड़क का निर्माण कार्य 14-11-82	अधीक्षण अभियन्ता, गुण नियन्त्रण	5	5	एस. ई. क्यू. सी/डी/-1121 दिनांक 16-12-82
1.	अजमेर बाई पास का निरीक्षण कार्य 12-10-82		31	18	एस. ई. क्यू.सी/ डी-1074 दिनांक 10-11-82
	राजकीय पुस्तकालय, करौली का निर्माण कार्य	अधीक्षण अभियन्ता, गुण नियन्त्रण सेल	6	6	म. अ. (क्वा कट्रौलर) डी-1131
1.	राष्ट्रीय रा. मार्ग नं० 11 पर सड़क निर्माण कि. मी. 350/0		12	7	,, ,,
2.	छात्रावास भवन, लूणकरणसर का निर्माण कार्य				अ. प्र. ....

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	विजय नगर से गोविन्दगढ़ तक सड़क निर्माण 21.12.82	अधीक्षण अभियन्ता गुण नियंत्रण	8	8	अ.अ./क्वा. कन्ट्रोल/डी-1140 दिनांक 21.12.82
	[ii] विजय नगर से राज्यासर तक सड़क निर्माण		3	3	
	[iii] विजय नगर से राज्यासर पर कार्य किलो मीटर 10/0 से 1/0		2	1	
	राष्ट्रीय राज मार्ग 11पर सड़क का कार्य कि. मी. 246, 247	अधीक्षण अभियन्ता	4	2	
	[i] अजमेर बाई पास [ ] का निर्माण कार्य 10.1.83	अधीक्षण अभियन्ता गुण नियन्त्रण	24	21	अ.अ./क्वा. कन्ट्रोल/डी-1204 दिनांक 24.1.83
	[ii] ब्यावर भीम सड़क दूदू बस स्टेण्ड का सुधार कार्य	,, ,,	3	2	अ.अ./क्वा. कन्ट्रोल/डी-1194 दिनांक 19.1.83
	पारली से निम्बाहेड़ा सड़क का निर्माण कार्य 17.2.82	अधीक्षण अभियन्ता गुण नियन्त्रण	6	4	अ.अ./क्वा. कन्ट्रोल/डी-1287 दिनांक 23.2.83

प्रपत्र 'ख'

क्र. सं.	कार्य का नाम	पद का नाम	नमूने की संख्या	सही नहीं पाये गये नमूनों की संख्या	की गई कार्यवाही
1	2	3	4		5
1.	तार्येड अण्ता रोड का सुधार कार्य कोटा	अधिशाषी अभियन्ता	4	4	नमूनों की निरीक्षण रिपोर्ट सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता स्वयं अधिशाषी अभियन्ता को समय समय पर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित किया गया।
2.	निर्माणाधीन सीसवारी मांगरोल रोड	,,	2	2	,,
3.	निर्माणाधी डावी-बुधपुरा रोड	,,	3	1	,,
4.	निर्माणाधीन ई. एस. आई. अस्पताल, कोटा	,,	4	3	,,
5.	तार्येड़-अण्ता रोड़ पर सुधार कार्य	सहायक अभियन्ता	6	3	,,
6.	निर्माणाधीन बेवटा-खेरावदा रोड	,,	2	2	,,
7.	निर्माणाधीन खेरावदा–गोविन्दा रोड	,,	2	1	,,
8.	निर्माणाधीन आसलपुर वाला रोड	,,	1	—	,,
9.	निर्माणाधीन गंगाधार-उनेल रोड	,,	3	1	,,
10.	निर्माणाधीन छावरा-कुम्भराज रोड	,,	5	3	,,
11.	निर्माणाधीन कोटा-झालावाड़ रोड	,,	1	1	,,

1	2	3	4	5	6
12,	निर्माणाधीन डाबी बुद्धपुरा रोड	सहायक अभियन्ता	5	2	नमूनों की निरीक्षण रिपोर्ट सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता स्वयं अधिशाषी अभियन्ता को समय-समय पर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित किया गया।
13,	निर्माणाधीन ई. एस आई. अस्पताल	,,	3	2	,,
14.	निर्माणाधीन मोरक में 30 पलंग अस्पताल	,,	4	3	,,
15.	निर्माणाधीन तहसील भवन, पचपहार	,,	2	1	,,
16.	निर्माणाधीन प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, बामला	,,	2	1	,,
17.	निर्माणाधीन प्राथमिक चिकित्सा, केन्द्र किशनगंज	सहायक अभियन्ता	4	1	,,
18.	निर्माणाधीन आश्रम स्कूल, पचोला	,,	2	1	,,
19.	निर्माणाधीन प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, पिड़ावा	,,	1	—	,,
20.	निर्माणाधीन प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, भटरु (तीन दौरा)	,,	6	1	,,
21.	निर्माणाधीन छात्रा-छात्रावास, डग	,,	1	—	,,
22-	रेफरल होस्पीटल खाटू श्यामजी, सीकर (अजमेर)	अधिशाषी अभियन्ता	9	—	सम्बन्धित कार्यालयों से इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की सूचना इस खण्ड को प्राप्त नहीं होती है।
23.	डी० इ० ओ० भवन, सीकर	,,	6	—	,,
24.	उमरा गांव रोड, सीकर	,,	4	1	,,

1	2	3	4	5	6
25.	नीम का थाना सीपलोटा रोड, सीकर	अधिशाषी अभियन्ता	5	—	सम्बन्धित कार्यालयों से इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की सूचना इस खण्ड को प्राप्त नहीं होती है ।
26.	सबगर सिवल पुल शाहपुरा-चिड़ावा, राजगढ़ रोड कि० मी० 92	,,	3	—	,,
27.	डीगल से बसार रोड, झुंझुनूं	,,	2	—	,,
28.	मुवाना से सतनाली रोड झुंझुनूं	.	10	—	,,
29.	खेतड़ी जसरापुर रोड, खेतड़ी	,,	16	4	,,
30.	पी० एच० सी० भवन, मण्डावर	,,	10	—	,,
31.	हिण्डौन से जगर रोड	,,	2	—	,,
32.	हिण्डौन से खारेटा रोड	,	8	—	,,
33.	आर० एफ० डब्ल्यू० सी० भवन, बामनवास	,,	4	—	,,
34.	पी० एच० सी० भवन, बामनवास		6	—	,,
35.	आर० एफ० डब्ल्यू० सी०, गंगापुर	,,	3	—	,,
36.	पी० एच० सी० भवन, गंगापुर	,,	2	—	,,
37.	मावलपुर से जगनेर रोड	,	9	—	,,
38.	करौली से मण्डरायल रोड	,,	3	1	,,

1	2	3	4	5	6
39.	केला देवी से करनपुर रोड	अधिशाषी अभियन्ता	3	1	सम्बन्धित कार्यालयों से इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की सूचना इस खण्ड को प्राप्त नहीं होती है।
40.	दूदू-किशनगढ़ रा० रा० ऊ० मार्ग-8	,,	41	1	,,
41.	अजमेर बाई पास रा० रा० ऊ० मार्ग-8	,,	65	35	,,
42.	होस्टल भवन, गोविन्दगढ़	,,	2	—	,,
43.	काजवे सरस्वती नदी, पुष्कर गोविन्दगढ़ रोड	,,	11	3	,,
44.	ब्यावर भीम रोड रा० रा० ऊ० मार्ग-8	,,	18	5	,,
45.	गोरीर से शिमला रोड खेतड़ी	,,	7	2	,,
46.	काजवे ऑन कांटली रीवर, खेतड़ी	,,	14	1	,,
47.	आर० एफ० डब्ल्यू० सी० भगवतगढ़	,,	6	1	,,
48.	भगवतगढ़ रोड	,,	16	1	,,
49.	आर० एफ० डब्ल्यू० सी० बोली	,,	7	—	,,
50.	प्राथमिक स्कूल भवन चौथ का बरवाड़ा	,,	4	—	,,
51.	ई० एस० आई० डिस्पेन्सरी अजमेर	सहायक अभियन्ता.	9	—	,,
52.	"ए" टाईप क्वार्टर, अजमेर	,,	8	—	,,

1	2	3	4	5	6
53.	होस्टल भवन तोपदड़ा स्कूल, अजमेर	सहायक अभियन्ता	4	—	सम्बन्धित कार्यालयों से इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की सूचना इस खण्ड को प्राप्त नहीं होती है ।
54.	जेवानाइल रिफोरमेन्ट्री, अजमेर	,,	8	—	,,
55.	राउकेला रोड, केकडी	सहायक अभियन्ता	7	1	,,
56.	काजवे सरस्वती नदी पर पुष्कर गोविन्दगढ रोड	,,	8	—	,,
57.	होस्टल भवन, गोविन्दगढ	,,	9	—	,,
58.	खारेटा रोड, हिण्डौन	,,	4	—	,,
59.	ब्यावर भीम रोड	,,	12	3	,,
60.	पी. एच. सी. भवन, मण्डावर	,,	3	—	,,
61.	होस्टल भवन, बडागांव	,,	3	—	,,
62.	आर. एफ. डब्ल्यू. सी. भवन वालघाट	,,	2	—	,,
63.	हिण्डौन से जगर रोड	,,	2	—	,,
64.	आर. एफ. डब्लू. सी. भवन, मंडावर	,,	3	—	,,
65.	पी. एच. सी. भवन, गंगापुर	,,	2	1	,,

1	2	3	4	5	6
66.	आर. एफ. डब्लू. सी. भवन, बामनवास	सहायक अभियन्ता	2	1	सम्बन्धित कार्यालयों से इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की सूचना इस खण्ड को प्राप्त नहीं होती है।
67.	होस्टल भवन गुढाचन्द जी	,,	4	1	,,
68.	आर. एफ. डब्लू. सी. भवन, गंगापुर	,,	4	1	,,
69.	माचिलपुर से खेडा रोड	,,	4	—	,,
70.	केला देवी से करनपुर रोड	,,	11	6	,,
71.	करौली से मंडरायल रोड	,,	3	1	,,
72.	माचिलपुर से जगनेर रोड	,,	7	1	,,
73.	रिटेनिंग दीवार कि. मी. 92 जयपुर टोंक रोड	,,	9	1	,,
74.	टोंक देवली रोड	,,	41	14	,,
75.	ओ. पी. डी. होस्पिटल, अजमेर	,,	2	—	,,
76.	ई. एस. आई. डिस्पेन्सरी अजमेर	,,	1	—	,,
77.	सर्किट हाउस, अजमेर	,,	2	—	,,
78.	होस्टल भवन तोपदडा स्कूल, अजमेर	,,	2	—	,,
79.	'ए' टाइप क्वार्टर पी.एण्ड टी. कोलोनी, अजमेर	,,	2	—	,,
80.	जेनेनाइल रिफोरमेट्री, अजमेर	,,	4	—	,,
81.	वी. ई. डब्लू. वे सेन्टर टोंक	,,	5	—	,,
82.	ट्रेजरी भवन, टोंक	,,	16	—	,,

1	2	3	4	5	6
83.	होस्टल भवन, अलीगढ, टोंक	सहायक अभियन्ता	11	–	सम्बन्धित कार्यालयों से इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की सूचना इस विभाग को प्राप्त नहीं होतो है।
84.	काकोड नगर रोड	"	6	2	"
85.	भगवतगढ रोड, सवाई माधोपुर	"	13	–	"
86.	पी. एच. सी. भवन, बोली	"	2	–	"
87.	आर. एफ. डब्लू. सी. भवन, बोली	"	3	–	"
88.	पुलिस स्टेशन भवन, चौथ का वरवाड़ा	"	2	–	"
89.	होस्टल भवन, गोविन्दगढ	"	22	–	"
90.	पी. एच. सी. से मदारगेट रोड, अजमेर	"	3	1	"
91.	होस्पीटल से नसीया जी मन्दिर तक रोड अजमेर	"	7	2	"
92.	काजवे सरस्वती नदी पर पुष्कर से गोविन्दगढ रोड, अजमेर	"	8	–	"
93.	केकड़ी से बघेरा रोड	"	1	–	"
94.	आर.एफ.सी.डब्लू.सी. भवन भगवतगढ रोड़ सवाईमाधोपुर	"	8	–	"
95.	ब्यावर भीम रोड	"	51	18	"
	क्षेत्रीय प्रयोग शाला, अजमेर				
96.	जेवेनाइल रिफोरमेन्ट्री सेन्टर, अजमेर	सहायक परीक्षण अधिकारी	578	334	
97.	जोब नं. 185 ब्यावर, भीम रोड	"	126	25	"

1	2	3	4	5	6
98.	छात्रावास भवन तोपदडा हा.से. स्कूल, अजमेर	सहायक अधिकारी परीक्षण	238	36	सम्बन्धित कार्यालय से इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की सूचना इस विभाग को प्राप्त नहीं होती है ।
99.	'ए' प्रकार के दो भवन डाकतार कॉलोनी, अजमेर	"	99	24	"
100.	अजमेर बाईपास	"	172	95	"
101.	सी. डी. वर्क कि. मी. 81,83, ब्यावर भीमरोड	"	37	15	"
102.	ओ. पी. डी. 11 फ्लोर, अजमेर	"	20	—	"
103.	रामगढ़ क्वारी. ब्यावर,	"	2	—	"
104.	ब्यावर-भीम रोड, कि.मी. 376,66 सी.डी. वर्क	"	21	15	"
105.	नारेली क्रेशर, अजमेर	"	3	—	"
106.	किशनगढ–नसीराबाद रोड	"	20	10	"
107.	सेरा क्वारी. देवरीमाता क्वारी, अजमेर	"	9	1	"
108.	रोजाहेडी क्वारी, सियादाहडी क्वारी	"	16	7	"
109.	डूमेरी क्वारी, अजमेर	"	6	—	"
110.	केसरपुरा क्वारी, अजमेर	"	5	2	"
111.	काजवे पुष्कर गोविन्दगढ रोड	"	27	7	"
112.	लिंक रोड कायद गांव, अजमेर	"	4	—	"
113.	निम्बाहेडा सीमेन्ट वर्क्स	"	100	15	"
114.	उप-तहसील भवन, विजयनगर	"	53	23	"

1	2	3	4	5	6
115.	साकडवाली क्वारी अजमेर	सहायक परीक्षण अधिकारी	4	—	सम्बन्धित कार्यालय से इस सम्बन्ध मे की गई कार्यवाही की सूचना इस विभाग को प्राप्त नहीं होती है ।
116.	साखून क्वारी किशनगढ़	,,	3	—	,,
117.	अजमेर क्रेशर	,,	3	—	,,
118.	बिचून क्वारी	,,	3	—	,,
119.	अकोदा क्वारी	,,	3	—	,,
120.	झूमली खान क्वारी	,,	3	—	,,
121.	पाटन क्वारी, किशनगढ	,,	3	—	,,
122.	मोखमपुरा क्वारी किशनगढ	,,	3	—	,,
123.	बडगांव क्वारी, किशनगड	,,	3	—	,,
124.	पारोसोली क्वारी, किशनगढ	,,	3	—	,,
125.	इंडोर स्टेडियम पटेल मैदान, अजमेर	,,	15	9	,,
	जोधपुर				
126.	बी क्लास ट्रेस भवन पाली	सहायक अभियन्ता	6	1	,,
127.	अप्रोच रोड रथारोया पाली	,,	2	—	,,
128.	डी. ई. ओ., जालौर	,,	5	2	,,
129.	होस्टल भवन पलरी, सिरोही	,,	6	3	,,

1	2	3	4	5	6
130.	आबू रोड से निचलागढ़, सिरोही	सहायक अभियन्ता	5	—	सम्बन्धित कार्यालय से इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की सूचना इस विभाग को प्राप्त नहीं होती है।
131.	आर. ए. सी. बैरक नम्बर–3 जोधपुर	,,	4	2	,,
132.	निदेशक तकनीकी शिक्षा भवन, जोधपुर	,,	3	2	,,
133.	साईकेट्रीक ब्लाक एन.टी.एच., जोधपुर	,,	5	5	,,
134.	कोवाल यूनिट एट एन.टी.एच., जोधपुर	,,	2	2	,,
135.	आर.सी.पी. भवन, मोहनगढ़, जैसलमेर	,,	2	2	,,
136.	आर.सी.पी. नचना, जैसलमेर	,,	4	4	,,
137.	चिकित्सालय भवन, बलेसार	सहायक अभियन्ता	2	2	,,
138.	कोषालय भवन, पाली	स. प. अधिकारी	7	1	,,
139.	होस्टल भवन अहोर,	सहायक अभियन्ता	2	–	,,
140.	डी० ई० ओ० जालौर	,,	3	3	,,
141.	तहसील भवन आबू रोड, सिरोही	,,	5	2	,,
142.	,,	,,	1	1	,,
143.	आबू रोड से निचलागढ़	,,	3	–	,,
144.	छात्रावास भवन, मोरीसस	,,	3	2	,,
145.	छात्रावास भवन, पालारी	,,	3	2	,,
146.	अल्या सामीन सड़क, नागौर	स. प. अधिकारी	4	–	,,
147	छात्रावास भवन घोरीमना, बाड़मेर	सहायक अभियन्ता	2	–	,,

1	2	3	4	5	6
148.	पर्वतदरा से निकाई	सहायक अभियन्ता	8	1	सम्बन्धित कार्यालय से इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की सूचना इस विभाग को प्राप्त नहीं होती है।
149.	सी० डी० कार्य बोड़ी घडाल मिल्क हट पर	,,	8	2	,,
150.	छात्रावास भवन पाली	स. प. अधिकारी	2	2	,,
151.	सोजत कण्टलाई सड़कें, पाली	,,	7	—	,,
152.	आबू रोड से निचलेगढ़	,,	8	—	,,
153.	छात्रावास भवन पलारी	,,	5	4	,,
154.	छात्रावास भवन, सुमेरपुर	,,	8	2	,,
155.	भोंडको कलाई रोड	सहायक अभियन्ता	2	—	,,
156	अस्पताल भवन बेलासर	,,	2	2	,,
157	छात्रावास भवन, शेरगढ़	,,	6	5	,,
158.	छात्रावास भवन, अहोर	,,	2	2	,,
159.	डी० ई० ओ० जालोर	,,	2	—	,,
160.	भीनमाल, पाटोदी	,,	7	—	,,
161.	चौपासनी कदम कंडी, जोधपुर	,,	6	5	,,
162.	पाली नागोर नगर इत्यादि से सीमेन्ट	स. प. अधिकारी	13	3	,,
163.	छात्रावास भवन, पाली	,,	1	—	,,
164.	छात्रावास भवन, सुमेरपुर	,,	6	1	,,

1	2	3	4	5	6
165.	कोष कार्यालय भवन, पाली	स. प. अधिकारी	7	2	सम्बन्धित कार्यालय से इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की सूचना इस विभाग को प्राप्त नहीं होती है।
166.	भौतिक प्रयोगशाला एवं पुर्नवास केन्द्र एम.जी.एस	"	7	2	"
167.	वन विभाग प्रशासनिक ब्लाक, जोधपुर	"	4	4	"
168.	चन्देलोम से बीनावास	"	7	—	"
169.	आबू रोड से निचलागढ़	"	8	3	"
170.	मांऊट आबू से सिरोही रोड	"	3	1	"
171.	ग्रिट आफ जोधपुर		6	3	"
172.	भौतिक प्रयोगशाला पुर्नवास केन्द्र महात्मा गांधी चिकित्सालय	"	2	—	"
173.	वन विभाग का प्रशासनिक ब्लाक	"	2	2	"
174.	चोपासनी कदमकंडी सड़क	"	2	1	"
175.	बर पाली सिरोही रोड	"	2	—	"
176.	डी० डी० वर्क, जालोर	"	15	6	"
177.	सिरोही माऊंट आबू वाया गुलाबगंज	"	18	1	"
178.	सिरोही शिवगंज सड़क	"	18	5	"
179.	छात्रावास भवन, आहोर	"	5	—	"
180.	डी० ई ओ०, जालोर	"	2	2	"
181.	छात्रावास भवन, आहोर	"	2	5	"
182.	तहसील भवन, जालोर	"	6	—	"

Page No.231

1	2	3	4	5	6
	उदयपुर :				
1.	घोडी टपाना सड़क	अधिशाषी अभियन्ता	25	14	
2.	रेफरल अस्पताल ऋषभदेव	,,	12	4	
3.	जोब नम्बर 135 नेशनल हाईवे नं. 8 उदयपुर रतनपुर सेक्शन)	,,	9	4	
4.	आश्रम स्कूल झोडोल	,,	6	3	
5.	ऐप्रोच रोड मोही	,,	7	3	
6.	लाखाला सोनियाना सड़क	,,	2	2	
7.	महेन्द्रगढ़ ग्रामले सड़क	,,	1	—	
8.	महात्मा गांधी अस्पताल भीलवाड़ा	,,	7	—	
9.	जेल भवन गंगापुर	,,	2	—	
10.	होस्टल बिल्डिंग वस्सी	,,	7	2	
11.	कुरावड़ जगत सड़क	,,	10	4	
12.	होस्टल बिल्डिंग दिवेर	,,	8	3	
13.	जोब नं. 186 नेशनल हाईवे नं. 8 (अजमेर उदयपुर सेक्शन)	,,	21	7	
14.	पुलिस स्टेशन घानमण्डी	,,	6	5	
15.	पुलिस स्टेशन अम्बामाता	,,	1	1	
16.	पोली क्लिनिक भवन पशु चिकित्सालय, उदयपुर	,,	1	1	

17.	जनजाति विकास भवन उदयपुर	अधिशासी अभियन्ता	10	5
18.	गुरू गोविन्द सिंह होस्टल भवन, उदयपुर	,,	5	1
19.	उदयपुर चित्तौड़ सड़क	,,	18	12
20.	बांसवाड़ा प्रतापगढ़ सड़क	,,	6	4
21.	एडीशन आल्टेशन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिमलवाड़ा	,,	10	4
22.	लघु स्वास्थ्य केन्द्र शेरगढ़	,,	3	1
23.	रेफरल अस्पताल परतापुर	,,	19	5
24.	एप्रोच रोड जगपुरा	,,	2	—
25.	आसपुर विजवामाता सड़क	,,	10	6
26.	आई. टी. आई. भवन, डूंगरपुर	,,	3	2
27.	लघु स्वास्थ्य केन्द्र, रामगढ़	,,	4	2
28.	देवल गामडी सड़क	,,	1	—
29.	जिला शिक्षा अधिकारी भवन, डूंगरपुर	,,	2	1
30.	वेवडा बावरमल सड़क	,,	5	1
31.	रेफरल अस्पताल, सलूम्बर	,,	13	2
32.	लघु स्वास्थ्य केन्द्र देवपुरा	,,	3	2
33.	आश्रम स्कूल, छापी	,,	15	3
34.	सेमारी कल्याणपुर सड़क	,,	7	3
35.	ओवरहेड टेंक टी. बी. अस्पताल बडी (उदयपुर)	,,	—	—

Page No.233

1	2	3	4	5	6
36.	आश्रम स्कूल, भवराना	अधिशासी अभियन्ता	10	2	
37.	एप्रोच रोड केशरियाबाद	,,	21	9	
38.	आश्रम स्कूल धरियावद	,,	11	[illegible]	
39.	भवान्सी धरियावद सड़क	,,	31	14	
40.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बडी सादड़ी	,,	18	6	
41.	आश्रम स्कूल करडिया	,,	13	4	
42.	प्रशासनिक भवन आयुर्वेदिक महाविद्यालय, उदयपुर	,,	2	1	
43.	नगरपालिका कार्य नाथद्वारा (डिपोजिट वर्क)	,,	9	4	
44.	पुलिस स्टेशन, सुहागपुरा	,,	8	—	
45.	पुलिस आवासीय भवन, सुहागपुरा	,,	7	1	
46.	जेल भवन, बांसवाडा	,,	8	1	
47.	ब्रीज नं. 62 नेशनल हाईवे नं. 8 उदयपुर रतनपुर सेक्शन	,,	8	4	
48.	ब्रीज नं. 82 नेशनल हाईवे नं. 8 उदयपुर रतनपुर सेक्शन	,,	4	2	
49.	पुलिस आवासीय भवन खेरवाड़ा	,,	18	6	
50.	कांकरोली रेलमगरा सड़क	,,	13	3	
51.	ऐप्रोच सडक फरारा महादेव	,,	[illegible]	[illegible]	
52.	आश्रम स्कूल रावच	,,	[illegible]	[illegible]	
53.	ऐप्रोच सडक बुन्ड	,,	8	6	

54.	निकुम्भ बर्डी सादडी सडक	अधिशासी अभियन्ता	6	3
55.	नगर परिषद् कार्य उदयपुर डिपोजिट वर्क-सिटी रोड	,,	—	—
56.	माली खेडा सतकुन्डिया सड़क	,,	—	—
57.	होस्टल भवन बिगोद	,,	2	—
58.	बिगोद नन्दराय सड़क	,,	3	3
59.	जोब नं०–188 नेशनल हाईवे नं०–8 उदयपुर–रतनपुर सेक्शन	,,	4	1
60.	पुलिस स्टेशन खेरवाडा	,,	—	—
61.	टोंकर कल्याणपुर सड़क	,,	1	—
62.	नीनोर–पम्बीरामा सरकोट सडक	,,	1	1
63.	प्रतापगढ नीमच सड़क	,,	2	1
64.	आई०टी०आई० भवन प्रतापगढ	,,	1	1
65.	आश्रम स्कूल घोलापानी	,,	2	1
66.	थूर मदार सडक	,,	5	3
67.	सोम झाडोल सडक	,,	6	5
68.	एप्रोच रोड मघरातलाब	,,	3	1
69.	एप्रोच रोड मिश्रियों की पिपली	,,	6	1
70.	सागवाडा सरोदा लसोडा सड़क	,,	—	—
71.	लघु स्वास्थ्य केन्द्र भिलूडा	,,	—	—

1	2	3	4	5	6
72.	एप्रोच सडक बोडामली	अधिशासी अभियन्ता	–	–	
73.	कन्या छात्रावास फलासिया	,,	–	–	
74.	सालिया करजी सड़क	,,	3	1	
75.	एप्रोच सडक डूंगला	,,	1	1	
76.	झामर कोटडा सड़क	अधिशासी अभियन्ता	–	–	
77.	वेगु चेची रोड	,,	3	1	
78.	डाक बंगला, चित्तौडगढ	,,	4	2	
79.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पलोदडा	,,	3	1	
80.	कानोड लसाडिया सड़क	,,	13	1	
81.	अमेसर-भरसानी सड़क	,,	5	3	
82.	आश्रम स्कूल लोहारिया कलां	,,	4	1	
	कुल योग :–		518	205	
उदयपुर					
1.	घोडी टपीना सड़क	सहायक अभियन्ता	3	2	
2.	रेफरल अस्पताल ऋषभदेव	,,	1	–	
3.	जोब नम्बर 135 नेशनल हाइवे न.–8 उदयपुर-रतनपुर सेक्शन)	,,	16	6	
4.	आश्रम स्कूल झाडोल	,,	13	6	
5.	एप्रोच रोड मोही	,,	3	2	

6.	लोखोला सोनियाना सड़क	सहायक अभियन्ता	–	–
7.	महेन्द्रगढ आमली सड़क	,,	–	–
8.	महात्मा गांधी अस्पताल, भीलवाडा	,,	–	–
9.	जेल भवन, गंगापुर	,,	–	–
10.	होस्टल बिल्डिग, बस्सी	,,	6	1
11.	कुराबड जगत सड़क	,,	–	–
12.	होस्टल बिल्डिग दिवेर	,,	7	3
13.	जोब न. 186 नेशनल हाइवे न. 8 (अजमेर उदयपुर से.)	,,	–	–
14.	पुलिस स्टेशन धानमण्डी	,,	9	6
15.	पुलिस स्टेशन अम्बामाता	,,	5	2
16.	पोलिक्लिनिक भवन पशु चिकित्सालय, उदयपुर	,,	2	–
17.	जनजाति विकास भवन उदयपुर	,,	2	–
18.	गुरु गोविन्दसिंह होस्टल भवन, उदयपुर	,,	–	–
19.	उदयपुर चित्तौड सड़क	,,	6	1
20.	बांसवाडा प्रतापगढ सडक	,,	7	3
21.	ऐडीशन-अलट्रेशन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामलवाडा.	,,	5	–
22.	लघ स्वास्थ्य केन्द्र, शेरगढ,	,,	6	3
23.	रेफरल अस्पताल परतापुर	,,	–	–

1	2	3	4	5	6
24.	एनीकट रोड जसपुरा	सहायक अभियन्ता	—	—	
25.	आसपुर-विजवामाता सड़क	,,	9	3	
26.	आई. टी. आई. भवन डूंगरपुर	,,	—	—	
27.	लघु स्वास्थ्य केन्द्र, रामगढ़	,,	14	5	
28.	देवल-गामड़ी सड़क	,,	2	2	
29.	जिला शिक्षा अधिकारी भवन डूंगरपुर	,,	—	—	
30.	केवड़ा बाबूरमल सड़क	,,	—	—	
31.	रेफरल अस्पताल सलूम्बर	,,	3	2	
32.	लघु स्वास्थ्य केन्द्र देवपुरा	,,	—	—	
33.	आश्रम स्कूल छाणी	,,	6	1	
34.	सेमारी कल्याणपुर सड़क	,,	—	—	
35.	ओवरहेड टैंक टी. बी. अस्पताल (बड़ी) उदयपुर	,,	5	1	
36.	आश्रम स्कूल भबराना	,,	—	—	
37.	एनीकट रोड केशरियाजी	,,	—	—	
38.	आश्रम स्कूल धरियावद सड़क	,,	3	—	
39.	बांसी-धरियावद सड़क	,,	—	—	
40.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ी सादड़ी	,,	2	—	
41.	आश्रम स्कूल बरड़िया	,,	—	—	
42.	प्रशासनिक भवन, आयुर्वेदिक महाविद्यालय उदयपुर	,,	2	1	
43.	नगर पालिका कार्य नाथद्वारा (डिपोजिट वर्क)	,,	8	4	

44.	पुलिस स्टेशन सुहागपुरा	सहायक अभियन्ता	–	–
45.	पुलिस आवासीय भवन सुहागपुरा	,,	–	–
46.	जेल भवन बांसवाडा	,,	–	–
47.	जोब नं 062 नेशनल हाईवे नं 0-8 उदयपुर-रतनपुर से०	,,	2	4
48.	जोब न 082 नेशनल हाईवे नं 0-8 उदयपुर-रतनपुर से०	,,	7	2
49.	पुलिस आवासीय भवन-खेरवाडा	,,	2	1
50.	कांकरोली रेल मगरा सडक	,,	6	–
51.	ऐप्रोच सडक फरारा महादेव	,,	2	1
52.	आश्रम स्कूल रावच	,,	5	2
53.	एप्रोच सडक [illegible]	,,	–	–
54.	निकुम्भ बडी सादडी सडक	,,	–	–
55.	नगरपरिषद कार्य उदयपुर (डिपोजिट वर्क-सिटी रोड)	,,	32	18
56.	माली खेडा मत कुन्डिया सडक	,,	2	1
57.	होस्टल भवन बिगोद	,,	4	–
58.	बिगोद नन्दराय सडक	,,	9	4
59.	जोब नं 188 नेशनल हाईवे न-8 उदयपुर-रतनपुर से.	,,	9	3
60.	पुलिस स्टेशन खेरवाडा	,,	2	1
61.	टोकर कल्याणपुर सडक	,,	–	–

1	2	3	4	5	6
62.	नीनार–अम्बीरामा सरकोट सड़क	सहायक अभियन्ता	–	–	
63.	प्रतापगढ़–नीमच सड़क	,,	–	–	
64.	आई. टी. आई भवन प्रतापगढ़	,,	1	–	
65.	आश्रम स्कूल धोलापानी	,,	–	–	
66.	शूर–मदार सड़क	,,	–	–	
67.	सोम–झाडोल सड़क	,,	6	4	
68.	एप्रोच रोड मदुरा तलाव	,,	–	–	
69.	एप्रोच रोड मिश्रियों की पीपली	,,	–	–	
70.	सागवाडा खेरोदा लसाडा सड़क	,,	2	2	
71.	लघु स्वास्थ्य केन्द्र भिलु[illegible]ा	,,	7	2	
72.	एप्रोच रोड वोडामली	,,	4	2	
73.	कन्या छात्रावास फलासिया	,,	2	–	
74.	सालिया–करजी सड़क	,,	–	–	
75.	एप्रोच सड़क [illegible]गला	,,	–	–	
76.	झामर कोटडा सड़क	,,	10	8	
77.	बेगू–चेची रोड	,,	–	–	
78.	डाक बंगला चित्तौड़गढ़	,,	–	–	
79.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पलोदडा	,,	–	–	
80.	कानोड–लसाडिया सड़क	,,	–	–	
81.	अमेसर–भरसानी सड़क	,,	–	–	
82.	आश्रम स्कूल लोहारिया कलां	,,	–	–	

सा. नि. वि. वृत्त श्री गंगानगर अप्रेल, 1982 से फरवरी 1983 क्वालिटी कन्ट्रोल खण्ड अधिकारियों द्वारा लिये गये नमूनों की सूची

1	2	3	4	5	6
	अधिशासी अभियन्ता	(1) एप्रोच रोड जोगी वाला वाया लाधु वाला	4	–	—
		(2) सूरतगढ़-झारवारा वाली सड़क	4	2	10 एम. एम. ग्रिट व नाल कंकर छोटी पाई गई
	अधिशासी अभियन्ता	(1) सात्यू हडियाल सड़क	2	2	10 एम. एम. ग्रिट व 12 एम. एम. ग्रिट छोटी पाई पत्र नं. 1466-68 दि० 20- 0-82
		(2) राजगढ़-सांखू सड़क	2	1	स्टोन एग्रिमेन्ट फलंकी पाया गया. पत्र नं. 1514 17 दिनांक 23-10-82
		(3) जालबरेसर-पाटमदेसर सड़क	5	2	10 मि. मि. व 12 मि. मि. ग्रिट कंकरी पाई गई, नं. 1573-75 दिनांक 2-11-82
	अधिशासी अभियन्ता	(1) नाथवाना किकरावाली सड़क	1	1	बैलास्ट छोटा पत्र नं. 2336-30 दिनांक 14-2-83
		(2) टी. बी. एलनाबाद सड़क	3	1	10 मि. मि. ग्रिट छोटी पत्र नं. 2340-44 दिनांक 14-2-83
		(3) एप्रोच रोड टू सरदारगढ़	1	1	बैलास्ट छोटा पाया गया, पत्र नं. 232[illegible]-30 दिनांक 14-2-83

1	2	3	4	5	6
		(4) गोलुवाला-उमेवाला सड़क	1	1	बैलास्ट छोटा पाया गया, पत्र नं. 2331-35 दिनांक 14-2-83
		(5) होस्टेल भवन हनुमानगढ़	3	—	—
	सहायक अभियन्ता	(1) एप्रोच सड़क सरदारगढ़	8	1	मिट्टी का कम्पेक्शन कम पाया गया, पत्र नं. 1539-42 दिनांक 22-10-82.
		(2) एन. एच. 15 से जोगी वाला सड़क	1	—	—
		(3) जीवनदेसर रिडमलसर सड़क	2	—	—
		(4) सूरतगढ़-भाखम वाली सड़क	6	1	सड़क की सतह खराब, पत्र नम्बर 1849–52 दिनांक 10-2-82
		(5) मादेसर-रूट सड़क	3	—	—
		(6) सुधार कार्य काली बंगा-दौलता बाग ढाणी	1	—	—
		(7) सिधमुख से सवानी सड़क	3	—	—
		(8) राजगढ़ से सिधमुख 18/0-25/0	3	1	मुरम नोन-प्लास्टिक पाई, पत्र नम्बर 1857-60 दिनांक 10-12-82
		(9) भोगेरा वाया खजेरा सड़क	4	2.	मुरम नान प्लास्टिक व थिक. 10 एम० एम० छोटी, नं. 1706-09 दिनांक 19-11-82

	(10) एप्रोच सड़क सातू-तारानगर	4	–	—
	(11) हॉस्टल भवन हनुमानगढ़ टाऊन	2	–	—
	(12) होस्टल भवन परिहारा	8	–	—
	(13) सैनिक विश्राम घर, चूरू	2	1	कंक्रीट की ताकत कम पाई गई, पत्र नं. 22?9- दिनांक 4-2-83
	(14) राजगढ़ साखू सड़क	8	4	10 व 12 एम. एम. ग्रिट छोटी पत्र नं. 1853-56 दिनांक 10-12-82 व 2286-88 दिनांक 4-2-83
	(5) भादरा से लदासर सड़क	1	1	सतह खराब पाई गई, पत्र नं. 1836-39 दिनांक 8-12-82
सहायक अभियन्ता	(1) एप्रोच सड़क सरदारगढ़	4	–	—
	(2) एप्रोच सड़क रीढ़मसलर4		–	
	(3) भादरा-लदासर सड़क	6	2	क्रेशर डस्ट व ग्रिट छोटी पाई गई
	(4) होस्टल भवन, परिहारा	4	2	सुर्खी बारीक, चूने की ताकत कम पत्र नं 603-09 दिनांक 5-7-82
	(5) राजगढ़-सिधमुख सड़क	6	2	10 व 12 एम.एम. ग्रिट छोटी पत्र नं० 603-09 दिनांक 5-7-82
	(6) ए. डी. जे.कोर्ट भवन रायसिंह नगर	5	1	सूखी बारीक पाई गई, पत्र नं० 580-83 दि.30-6-82

1	2	3	4	5	6
		(7) सब तहसील भवन बीज वायला	2	–	—
		(8) जोगीवाला-लघुवाला सड़क	3	1	भ्रिट छोटी पाई गई, पत्र नं. 580-88 दि. 30-6-82
सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त प्रथम अप्रेल 1982 से फरवरी 1983					
अधिशासी अभियन्ता		मुकाम से पीपासर सड़क का निर्माण कार्य	4	3	कंकर छोटी पाई गई, पत्र नं. 201-4 दि. 7-5-82
"		"	2	2	मुरम नोन प्लास्टिक पाई गई व कंकर पत्थर नं. 1733 से 36 दि. 22-11-82
"		लोकल कार्य बीकानेर	2	–	पत्र नं. 1020 दिनांक 26-8-82
"		नोखा से कक्कू सड़क का निर्माण कार्य.	1	1	कंकर छोटी पाई गई, पत्र नं. 173[illegible]-36 दिनांक 2[illegible]-11-82
"		सेसर गांव एप्रोच सड़क कार्य	4	2	पत्र न. 738-40 दिनांक 31-7-82 कंकर छोटी पाई गई
" "		राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं० 15 का वाईडिंग का निर्माण कार्य कि. मी. 65/0 से 80/.0	5	2	कंकर छोटी पाई गई, पत्र नं. 2413 दि. 23-2-83
सहायक अभियन्ता		मुकाम से पीपासर सड़क निर्माण कार्य	3	1	पत्र नं. 205-8 दिनांक 7-5-82 मुरम नोन प्लास्टिक पाई गई
"		होस्टल विल्डिग गोर्वमेन्ट हायर सैकेण्डरी स्कूल, बीकानेर	6	–	पत्र नं. 1256-59 दिनांक 22-9-82

सहायक अभियन्ता	स.ई. द्वितीय वृत्त आफिस बिल्डिग बीकानेर	2	–	पत्र न. 1238-82 दिनांक 28-9-82
,,	इमरजेन्सी वार्ड का निर्माण कार्य बीकानेर अस्पताल	4	1	चूने की बजरी के साथ स्ट्रेन्थ कम पाई गई, पत्र नं. 1292-95 दिनांक 30- -82
,,	होस्टल बिल्डिग लूणकरणसर	5	1	पत्र न. दिनांक
,,			1	बजरी बारीक पाई गई, पत्र नं. 758–61 दिनांक [illegible]-9-82
,,	राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं० 15 का वाईडिंग का निर्माण कार्य कि. मी. 50/0 से 65/0	14	9	ग्रिट व कंकर छोटी पाई गई तथा ग्रिट भी ज्यादा है पत्र नं. 1692 से 95 दिनांक 19-11-82
,,	नोखा से कक्कू सड़क का निर्माण कार्य	3	2	कंकर व ग्रिट छोटी पाई गई, पत्र न. दिनांक
,,	मुकाम से पीमासर सड़क का निर्माण कार्य	5	4	कंकर व ग्रिट छोटी है
,,	दियातरा से गिराजसर वाया गड़ियाला	5	2	पत्र नं. 1737 से 40 दिनांक 2[illegible]-11-82
,,	लूणकरणसर से राजपुरिया सड़क निर्माण कार्य	3	2	पत्र नं. दिनांक कंकर छोटी है
,,	मेहराना प्याऊ से अजीतमाना	5	5	ग्रिट व कंकर छोटी है, पत्र नं. दिनांक

सा0 नि0 वि0 वृत्त द्वितीय बीकानेर माह अप्रेल, 1982 से फरवरी, 1983 क्वालिटी कन्ट्रोल खण्ड अधिकारियों द्वारा लिये गये नमूनों की सूची :–

क्र० सं०	पद का नाम	कार्य का नाम	नमूनों की संख्या	सही नहीं पाये गये नमूनों की संख्या	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
1	अधिशासी अभियन्ता	(अ) सत्तासर से 1 ए. डी. एम. सड़क	4	–	–
		(ब) श्री विजयनगर से गोविन्दसर	5	–	–
	अधिशासी अभियन्ता	(अ) सत्तासर से 1 ए. डी. एम. सड़क	5	3	नाल कंकर छोटी पायी गयी, पत्र नं० 15 9-06 दिनांक 22-11-82 लिखा गया
		(ब) सुधार कार्य सत्तासर से एस. एल. डी. रोड़	3	1	10 एम. एस. ग्रिट छोटी पायी गयी, पत्र नं० 1534-37 दि० 29-10-82
		(स) सुधार कार्य श्री विजयनगर से राजियासर सड़क	5	3	ढुलमेरा कंकर छोटी पायी गयी, पत्र नं० 1569-72 दि० 2-11-82
		(द) घडसाना से 6 एस. एम. रोड़	4	1	नाल कंकर छोटी पायी गयी, पत्र नं० 1687-90 दि० 19-11-82
	अधिशासी अभियन्ता	(अ) सत्तासर से 1 ए. डी. एम. सड़क	2	–	–

अधिशासी अभियन्ता	(ब)	सत्तासर से 2 एम. एल. डी. सड़क	5	1	10 एम. टी. ग्रिट छोटी पायी गयी, पत्र 2999-0 दिनांक 14-1-83
	(स)	सुधार कार्य सत्तासर-अनूपगढ़ रोड़	2	1	नाल ककरी छोटी पायी गयी, पत्र नं० 2105-08 दिनांक 14-1-83
	(द)	घरसाना से 6 एस. एम. सड़क	8	1	—
			43	11	
सहायक अभियन्ता	(अ)	सत्तासर से 1 ए. डी. एम. सड़क	2	1	नाल कंकर छोटी पायी गयी, पत्र नं० 2052-55 दिनांक 5-1-83
	(ब)	सत्तासर से 2 एम. एल. डी. सड़क	5	1	बीकानेर बजरी मोटी पायी गयी, पत्र नं० 2048-51 दिनांक 1-5-83
	(स)	अनूपगढ़ से रायसिंहनगर सड़क	1	1	नाल कंकर छोटी पायी गयी, पत्र नं० 2065-68 दिनांक 1-6-83
	(द)	श्री विजयनगर से गोविन्दसर सड़क	4	1	10 एम. एम. ग्रिट छोटी पायी गयी, पत्र नं० 2008-11 दिनांक 3-1-83
	(इ)	विलेज रोड नं० 17	1	—	—
सहायक अभियन्ता	(अ)	श्री विजयनगर से गोविन्दसर सड़क	5	1	10 एम. एम. ग्रिट छोटी पायी गयी, पत्र नं० 1095-98 दिनांक 6-9-82

1	2	3	4	5	6
	सहायक अभियन्ता	(ब) श्री विजयनगर से राजियासर सड़क	5	2	10 एम. एम. ग्रिट छोटी पायी गयी, एवं मिट्टी का कम्पेक्शन कम पाया गया,
		(स) धरसाना से 6 एस एम. सड़क	3	1	नाल कंकर छोटी पायी गयी, पत्र नं० 1687-90 दिनांक 19-11-82
		(द) सतासर से 2 एम. एल. डी. सड़क	4	1	सन्धी सा पत्थर बड़ा पाया गया,
		(उ) सुधार कार्य सत्तासर-अनूपगढ़ सड़क	4	1	नाल कंकर छोटी पायी गयी,
		(ढ) विलेज रोड़ नं० 13	5	–	–
		(झ) विलेज रोड़ नं 17	2	–	–

राजस्थान नहर में पानी की उपलब्धता

345. श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा) एवं श्री सुनील कुमार विश्नोई (सूरतगढ़) : क्या राजस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान नहर की पानी की उपलब्ध क्षमता कितनी है ?

(2) राजस्थान नहर को इस समय कितना पानी उपलब्ध हो रहा है ?

(3) क्या उपलब्ध पानी का शत प्रतिशत उपयोग किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर की पानी की कुल क्षमता शीर्ष हरिके पर 18500 क्यूसेक है।

(2) वर्तमान में राजस्थान नहर में हरिके से 8,000 क्यूसेक पानी उपलब्ध हो रहा है।

(3) राजस्थान नहर में उपलब्ध पानी का उपयोग शत-प्रतिशत किया जा रहा है

भू संरक्षण विभाग को उपलब्ध सीमेंट

347. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अकाल राहत कार्यों के लिये भू-संरक्षण विभाग को 1980 से अब तक कितने ट्रक सीमेंट उपलब्ध कराया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में भू-संरक्षण विभाग को एनीकट निर्माण का कार्य दिया गया है ? यदि हां तो सरकार ने अब तक सीमेंट उपलब्ध कराने की क्या व्यवस्था की है ?

उत्तर

(1) भू-संरक्षण विभाग को अकाल राहत कार्यों हेतु 275.30 टन सीमेंट उपलब्ध कराया गया।

(2) एनीकट निर्माण के कुछ कार्य भी भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से कराये गये हैं। राहत कार्यों के लिए सीमेंट उपलब्ध कराने की व्यवस्था जिलाधीश करते है। उपलब्धि के अनुसार विशेष आवंटन कराने का प्रयास भी किया जाता है :

राजस्थान वक्फ बोर्ड

348. श्री चाव खां (कामां) : क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान वक्फ बोर्ड में जो 11 व्यक्ति सम्मिलित किये गये हैं वे सब ही कांग्रेस-(आई) के हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री चाव खां)

(2) राजस्थान वक्फ बोर्ड में वर्ष 1980-81 व 1981-82 में कितना-कितना आय और खर्चा हुआ ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि बोर्ड के 11 सदस्यों में से एक सदस्य के न आने पर बोर्ड की बुलाई गई मीटिंग कैन्सल कर दी जाती है ? यदि हां, तो क्या एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वक्फ बोर्ड के गठन में सदस्यों का मनोनयन, वक्फ एक्ट की धारा 11 के अनुसार दर्शाये गये वर्ग से सम्बन्धित व्यक्तियों का ही किया जाता है। मनोनीत सदस्य किस राजनैतिक दल से है, मनोनयन के बारे में यह बात अर्थहीन है।

(2) राजस्थान वक्फ बोर्ड में वर्ष 1980-1981 व 1981-82 में आय और खर्च निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	आय	व्यय
....	....	....
1980—81	2,58,864—73	1,91,356-1
1981—82	1,56,000—00	1,47,000—00

(3) जी नहीं। वक्फ एक्ट की धारा 68(2) के लिये बनाये गये राजस्थान मुस्लिम वक्फ रेगूलेशन, 1964 में निर्धारित कोरम पूरा न होने पर ही, मीटिंग स्थगित की जाती है।

राज्य को केन्द्र द्वारा आवंटित गेहूं, चावल व पाम आयल

349. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : - क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र द्वारा राज्य सरकार को गत तीन वर्ष में गेहूं चावल व पाम आयल उचित मात्रा में दिया गया है ? यदि हां, तो वर्ष 1980, 1981 1982 व 1983 तक उपरोक्त 3 वर्षों में राज्य ने कितनी मात्रा की मांग की और केन्द्र ने मांग के विरुद्ध कितनी मात्रा आवंटित की ? कृपया मांग और प्राप्त आंकड़ों की सूची वर्ष 1980 से 1983 जनवरी तक सदन की मेज रखें।

(2) क्या गेहूं व चावल को बाजार भाव से सामान्य नागरिक खरीद कर सकने में सक्षम हैं ? यदि नहीं तो राशन कार्डों द्वारा सस्ते भावों में कब तक सुविधा प्रदान कर दी जायेगी ?

(3) क्या सरकार के पास चावल व गेहूं का स्टॉक है ? यदि हां तो किस-किस डिपो पर और किस-किस जिले में कितनी मात्रा में ? कृपया विवरण सदन की मेज़ रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। वर्ष 1980, 1981, 1982 व 1983 में राज्य की मांग व केन्द्र से प्राप्ति की तालिका सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) अक्टूबर,, 82 तक गेहूं व चावल के बाजार में भाव सामान्य थे। नवम्बर 82, से गेहूं व चावलों के बाजार भाव में सामान्य वृद्धि हुई है। केन्द्र सरकार से प्राप्त गेहूं व चावल राज्य के समस्त उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।

(3) राज्य सरकार के पास गेहूं व चावल का कोई स्टाक नहीं है। भारतीय खाद्य निगम के राज्य में स्थित विभिन्न डिपो में जितनी-जितनी मात्रा में गेहूं व चावल का स्टाक उपलब्ध है, उसकी सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत हैं।

मात्रा मे. टनों में

गेहूं

क्र. सं.	नाम वर्ष	भारत सरकार से की गई मांग	भारत सरकार से प्राप्त आवंटन
1.	1980	600000	437000
2.	1981	720000	206000
3.	1982	720000	291000
4.	1983 (जनवरी केवल)	60000	28000
	चावल		
1.	1980	47000	113000
2.	1981	60000	90000
3.	1982	33000	31000
4.	1983 (जनवरी केवल)	2000	1000
	पाम आयल		
1.	1980-81	5000	3850 (आर. बी. डी. एवं आर.एस.ओ.)
2.	1981-82	25000	4532 ,,
3.	1982-83	30000	1120 (आर. बी.डी.) (नवम्बर, 82 से फरवरी, 83 तक)

नोट : पाम आयल का आवंटन तेल वर्ष के आधार पर होता है जो नवम्बर से अक्टूबर तक माना जाता है।

Q.No.	Name of FCI Distt./Revenue Distt./Centre.	Name of Centre	Stock of wheat	Stock of Rice
1	2	3	4	5
1.	ALWAR	FD Alwar	8151	28
		ADC Moongaska	—	—
		FD Kherli	7649	4
		FWC Kherthal	—	13
		RSWC Alwar	1072	-
2.	BHARATPUR	FSD Bharatpur	13219	22
		RSWC Bayana	—	4
		RSWC Nadbai	—	10
		RSWC Bharatpur	441	—
3.	DHOLPUR	FSD Dholpur	3422	—
		RDC Dholpur	—	915
4.	AJMER	FSD. Ajmer	20476	11
		FSD Kishangarh	6361	—
		FSD Beawar	298	—
		RSWC Kekri	—	4
5.	JAIPUR.	FSD. Bandikui	12936	7
		FSD Gandhinagar	21871	291
		FSD Durgapura	28422	—
		RSWC Dausa	—	8
		RSWC Lalsot	1122	3
		RSWC Chomu	—	7
6.	TONK	FSD Niwai	11768	5
		RSWC Tonk	—	2
7.	BARMER	FSD Barmer	7793	209
8.	JALORE	FSD Jalore	6450	—
9.	SIROHI	FSD Sirohi	6465	539

1	2	3	4	5
10.	JAISALMER	FSD Pokaran	9874	358
		RSWC Jaisalmer	90	34
11.	JODHPUR	FSD Jodhpur	26377	218
		HG Khema Ka Kua	6224	—
		HG Piparoity	1015	--
12.	PALI	FSD Jawai Bandh	—	—
		FSD Marwar Jn.	1007	—
		FSD Pali	4837	88
13.	KOTA	FSD Shivpura	3099	355
		FSD Baran	4123	1015
		HG Ramganjmandi	2978	—
		RSWC Sultanpur	—	—
		RSWD Baran	2698	—
14.	BUNDI	FSD Bundi	1995	441
		RSWC Bundi	—	95
		RSWC . Patan	—	136
		RSWC Kapran	--	86
15.	JHALAWAR	FSD Bhawani-mandi	9967	—
16.	S. MADHOPUR	RSWC Hindon City	–	23
		FSD S.Madhopur	11769	28
		H.G.S. Madhopur	11953	7
		HG Gangapuroity	5193	284
		RSWC S.Madhopnr	1453	—
		RSWC Gangapur-city	865	—

1	2	3	4	5
17.	BIKKNER	FSD Bikaner	16725	138
		FSD Deshnoke	2142	—
		Nokha-II	—	—
		Nokha-III	6413	—
18.	CHURU	FSD Churu	5995	–
		FSD Sadulpur	6870	—
		FSD Sujangarh	5494	—
19.	JHUNJHUNU	FSD Jhunjhunu	7089	1
		Baggar	—	—
		Makher	9645	—
		Mukandgarh	6476	—
		Surajgarh	808	—
20.	SIKAR	FSD Sikar	5875	—
		Fathehpur	3929	—
		Laxmangarh	8953	—
		Srimadhopur	1061	—
21.	NAGOUR	FSD Nagour	9843	—
		piti Godwans	—	—
		Parbatsar	433	3
22.	SRIGANGANAGAR	Sriganganagar I	10279	1
		Sriganganagar II	9020	1
		FSD Srivijayn-agar	2154	1768
		FG Srivijaynagar	2609	—
		FSD Hanuman-garh Town	28258	1736
		HG Hanuman-garh Town	1209	6543

1	2	3	4	5
		FSD Kesarisinghpur	4045	—
		CAP NOHAR	—	—
		CWC Ganganagar	6	7
		CWC Hanumangarh	2196	2454
		CAP Bhadra	7	—
		RSWC Suratgarh	—	533
		RSWC Anupgarh	59	231
		RSWC Bhadra	—	—
		RSWC Nohar	75	12
		RSWC Sadulshaher	—	—
		RSWC Pilibangan	2729	2706
		RSWC Padampur	—	—
		RSWC Raisinghnagar	154	—
		RSWC Sangaria	1249	1594
		RSWC Srikaranpur	1379	—
		RSWC Kesrisingpur	—	—
		RSWC Gharasana	(80	—
		RSWC Gajsihgpur	225	1
23.	UDAIPUR	FSD Udaipur	30418	670
24.	BHILWARA	FSD Bhilwara	6294	270
25.	CHITTORGARH	Chandairiya	10015	85
26.	BANSWARA	FSD Banswara	4305	—
27.	DUNGARPUR	FSD Dungarpur	177	—

राजस्थान पर्यटन विकास निगम की टूरिस्ट टैक्सीज

350:-श्री राम किशोर मीणा (सिकराय) :- क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम के पास कितनी टूरिस्ट टैक्सियां हैं और इनको कब-कब क्रय किया गया ?

(2) उक्त गाड़ियों को विभाग के कौन-कौन अधिकारी उपयोग में लेने हेतु अधिकृत हैं ?

(3) 1 अप्रेल, 1980 से अब तक ये गाड़ियां किन-किन अधिकारियों के पास किस-किस कारण से रही हैं ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम के पास तीन टूरिस्ट टैक्सियां हैं तथा इनको निम्नांकित दिनांक को क्रय किया गया है :—

टैक्सी नं०	क्रय दिनांक
1-आर एस टी:626	20-6-1981
2-आर एस टी:620	15-5-1982
3-आर एस टी:610	14-5-1981 को स्टाफ कार के रूप में थीं तथा दिनांक 8-6-82 से यह टैक्सी के रूप में चल रही है।

(2) प्रबन्ध निदेशक की पूर्व अनुमति से निगम के संचालक मण्डल का कोई भी सदस्य एवं निगम के अधिकारी उक्त गाड़ियों को निगम के अतिआवश्यक कार्य हेतु उपयोग में लेने हेतु अधिकृत हैं।

(3) टैक्सी कारें किसी अधिकारी को सामान्यत: आवंटित नहीं की जाती हैं, किन्तु निगम के अति आवश्यक कार्य हेतु अन्य गाड़ी उपलब्ध न होने पर कार्य में टैक्सियां समय-समय पर जिन अधिकारियों द्वारा उपयोग में ली गई हैं, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

क०सं०	टैक्सी नं०	उपयोग करने का दिनांक	उपयोगकर्त्ता अधिकारी	कारण
1.	आर. एस. टी: 626 (टोयटा)	28-1-1982	प्रबन्ध निदेशक	शाही रेलगाड़ी के कार्य हेतु
2.	आर. एस. टी: 626	22-2-1983	अध्यक्ष, निगम	निगम कार्य हेतु।
3.	आर. एस. टी: 620 [होल्डन]	30-11-1982	अध्यक्ष, निगम	पुष्कर मेला हेतु।
4.	आर. एस. टी: 620	22-1-1983	अध्यक्ष, निगम	स्थानीय निगम कार्य हेतु।
5.	आर. एस. टी: 610	10-6-82 से 13-6-82 तक	प्रबन्ध निदेशक	निगम कार्य हेतु।
6.	आर. एस. टी: 610	7-9-1982	अध्यक्ष, निगम	स्थानीय निगम कार्य हेतु।
7.	आर. एस. टी: 610	8-9-1982	अध्यक्ष, निगम	स्थानीय निगम कार्य हेतु।
8.	आर. एस. टी: 610	9-9-1982	अध्यक्ष निगम	स्थानीय निगम कार्य हेतु।
9.	आर. एस. टी: 610	10-9-1982	अध्यक्ष निगम	स्थानीय निगम कार्य हेतु।
10.	आर. एस. टी: 610	11-9-1982	अध्यक्ष निगम	स्थानीय निगम कार्य हेतु।
11.	आर. एस. टी: 610	2-10-1982	प्रबन्ध निदेशक	स्थानीय निगम कार्य हेतु।
12.	आर. एस. टी: 610	3-10-1982	प्रबन्ध निदेशक	स्थानीय निगम कार्य हेतु।
13.	आर. एस. टी: 610	14-11-1982	अध्यक्ष, निगम	स्थानीय निगम कार्य हेतु।
14.	आर. एस. टी: 610	14-1-1983	प्रबन्ध निदेशक	स्थानीय निगम कार्य हेतु।

हमीदपुर-खोहरी तहसील बहरोड की सीमान्त सड़क का निर्माण

351. श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार तहसील बहरोड़ के हमीदपुर-खोहरी ग्राम को हरियाणा सीमा तक सड़क निर्माण कराकर जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

धनाभाव के कारण इस सड़क को बनाये जाने की कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं है ।

कोटा के निजी उद्योगों में हाड़ौती क्षेत्र के व्यक्तियों का नियोजन

352. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटा के निजी उद्योगों में स्थानीय हाडौती क्षेत्र के लोगों को नौकरी में प्राथमिकता दिये जाने की मांग वहां के विद्यार्थी समय-समय पर करते रहे हैं ?

(2) यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस हेतु अब तक क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1 व 2) जी हां ।

इस प्रकार की मांग के संदर्भ में राज्य सरकार ने स्थिति का अध्ययन करने तथा उचित परामर्श देने के लिये श्री अनिल बोर्दिया, तत्कालीन निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान की अध्यक्षता में एक परामर्शदात्री समिति का गठन दिनांक 17 जनवरी, 1973 को किया था । समिति की रिपोर्ट जुलाई, 1973 में प्राप्त होने पर तथा उस पर विचारोपरान्त राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि कोटा स्थित औद्योगिक इकाइयों में ऐसे रिक्त पदों पर भर्ती हेतु जिनकी परिलब्धियां 1000 – मासिक से अधिक न हों, औद्योगिक इकाइयां स्थानीय नियोजन कार्यालयों को सूचित करें और वहां से निर्धारित योग्यता वाले पंजीकृत आशार्थियों के नाम प्राप्त कर उन रिक्तियों को भरें और जहां ऐसा न किया जा सके वहां लिखित में कारण सूचित किया जाय । इस आशय का परिपत्र राज्य सरकार के उद्योग विभाग द्वारा दिनांक 5-12-1974 को प्रेषित कर संबंधित उद्योगों से यह अपेक्षा की गई थी कि इस संबंध में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे । नियोजन कार्यालय [रिक्तियों की अनिवार्य सूचना] अधिनियम, 1959 के

(नियोजन मन्त्री)

अन्तर्गत सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के नियोजकों को केवल रिक्तियां ज्ञापित करना ही अनिवार्य है। उन्हें इन रिक्तियों को संप्रेषित अभ्यर्थियों से ही भरने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

बाड़मेर जिले में राहत कार्यों के तहत सड़क निर्माण

353. श्री अमरा राम चौधरी (पचपदरा) :- क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बाड़मेर जिले में अकाल राहत के तहत वर्ष 1982 में कुल कितनी नई सड़कों का निर्माण कार्य हाथ में लिया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन सभी सड़कों पर ग्रेवल डाल दिया गया हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सड़क पर ग्रेवल नहीं डालने से बाड़मेर जैसे रेतीले जिले में अर्थ. वर्क एक साल या दो साल के बाद ही दिखाई नहीं देता ?

(4) बाड़मेर जिले के कुल कितने ऐसे तालाब हैं जिनकी खुदाई सड़को पर ग्रेवल डालने के लिये की गई और ग्रेवल को नहीं उठाया गया जिसके कारण तालाब तो खराब हुए ही हैं साथ में सरकार को भी लाखों रुपये का नुकसान हुआ ? कृपया ऐसे तालाबों की सूची सदन की मेज पर रखें जहां आज भी ग्रेवल पड़ा हुआ है।

उत्तर

(1) गत वर्ष अकाल. राहत कार्य के तहत बाड़मेर जिले में 204 सड़कों के निर्माण कार्य हाथ में लिये गये। सूची संलग्न है।

(2) गत वर्ष राहत कार्य 31 जुलाई, 82 में समाप्त हो जाने के कारण कुछ कार्यों पर ग्रेवल नहीं डाला जा सका।

(3) केवल अर्थ वर्क ही हो पाये तो उसका टिकना कठिन है।

(4) जिन तालाबों पर ग्रेवल पड़ा है वे निम्न प्रकार हैं :-

1. चिड़िया
2. मोखंडी
3. पिण्डारन
4. घोलकी नाडी
5. उमरलाई नाडी
6. माणक नाटी
7. रेवाड़ा तालाब
8. डोली नाडी

सड़कों के लिए ग्रेवल उपलब्ध कराने के लिये इसकी खुदाई तो करवानी ही पड़ती है। इसके कारण तालाबों के खराब होने अथवा राज्य सरकार को नुकसान होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

क्रम संख्या	नाम कार्य
1	2
	सहा. वि. राज. जयपुर स. एफ 1 (2) 80-81 2015-37/ Date-21/1/81
1.	निर्माण कार्य डामर सड़क बाड़मेर से गुडा वाया महाबार गरल नोखड़ा कि. मी. 10/0 से 35/0 तक सह. वि. राज. जयपुर क. एफ 1 (3) 80-81 6026-47 Date 27/4/81
2.	निर्माण कार्य डामर सड़क सिणदरी से जालोर सम्मिलित पादरू सिणदरी रोड कि. मी. 0/0 से 43/0 तक सहा. वि. राज. जयपुर स. एफ 1 (2) 80-81 2015-37/ Date 21/1/81
3.	निर्माण कार्य डामर सड़क धोरीमना से गुडा कि. मी. 0/0 से 31/0 तक सहा. वि. राज. जयपुर क. एफ 1 (3) 80-81 6026-47 Date 27/4/81
4.	डामर सड़क पचपदरा वायतु बागुड़ी बाड़मेर पर पटरियों का कार्य कि. मी. 41/0 से 89/0 तक सहा. वि. राज, जयपुर स. एफ. 1(3)80-81 2015-37 Date 21/1/8.
5.	निर्माण कार्य डामर सड़क कल्याणपुर समदरी से सिवाना कि. मी. 0/0 से 50/0 तक सहा. वि. राज. जयपुर क. एफ 1 (2) 80-81 2365-75 Date 23/1/81
6.	निर्माण कार्य डामर सड़क बालोतरा से खेड मन्दिर कि. मी. 2/0 से 8/0 तक सहा. वि. राज. जयपुर क. एफ 1 (2) 80-81 9665 Date 12-3-81
7.	निर्माण कार्य ग्रेवल सड़क राजराड से चोछडा

1	2
8.	निर्माण कार्य डामर सड़क वाटाडु ऊन्डु झाख वाया काश्मीर कि. मी. 0/0 से 35/0 तक
	सहा. वि. राज. जयपुर क्र. एफ 1 (2) 80-81 2365-75 Date 23-1-81
9.	निर्माण कार्य ग्रेवल सड़क गिराब फानटा से सुन्दरा 0/0 से 5/0 तक
10.	निर्माण कार्य ग्रेवल सड़क खानीयानी से रातरेडी कि. 0/0 से 25/0 तक
	सहा. वि. राज. जयपुर क्र. एफ 1 (3) 80-81 60 26-47 Date 27-4-81
11.	निर्माण कार्य ग्रेवल सड़क चवा से बायतु 0/0 से 20/0
12.	निर्माण कार्य ग्रेवल सड़क बायतु से नोसर सिणदणी 0/0 से 42/0 तक
	जिलाधीश बाड़मेर सहा/कार्य/81/3281/2/381
13.	निर्माण कार्य ग्रेवल सड़क चौहटन मिढ़राऊ वाया मते का तला जिलासीमा तक 0/0 से 35/0
	सहा. वि. राज. जयपुर क्र. एफ 1 (2) 80-81 9665 Date 12/3/81
14	निर्माण कार्य ग्रेवल सड़क इन्द्रोई से सुरा
	जिलाधीश बाड़मेर सहा/कार्य 81/3281 Date 2/3/81
15	निर्माण कार्य ग्रेवल सड़क कोनरा से नवातला वाया इन्टादा गोडकातला तालसर कि. मी 0/0 से 55/500
	सहा. वि. राज. जयपुर स. एफ, 1 (2) 80-81 9665 Date 12-3-82
16	निर्माण कार्य ग्रेवल सड़क धारासर से अरबोका गफन भोजारीया कि. मी. 0/0 से 32/0 तक
	सहा. वि. राज जयपुर क्र. एफ. 1 (2) 80-81 2015-37 Date 12-1-81

1	2
17	निर्माण कार्य ग्रेवल सड़क बाखासर से गड़रा रोड कि. मी. 17/0 से 127/0 तक जिलाधीश बाड़मेर/सहा कार्य/ 6649/Date/ 18-5-81
18	निर्माण कार्य ग्रेवल सड़क कुरला से शिवकर कि. मी. 0/0 से 7/0 तक सहा. वि. राज. जयपुर स. एफ. 1(2) 80-81 201537 Date 21-1-81
19	निर्माण कार्य ग्रेवल सड़क पादरूसे सिवाना सम्मिलित कोजवे का कार्य 0/0 से 19/0 उप शासन सचिव राज. जयपुर क. एफ 1 (262) 80/ 19171– 13-2-81 III आर. एन. पी./ 24
20	निर्माण कार्य ग्रेवल सड़क पहुंच होडु गांव 0/0 से 14/0 तक उप शासन सचिव सहायता विभाग राज. जयपुर के क्रमांक एफ. 1 (2) (32) स. आ / सा. नि. वि./अग्रिम योजना/ 81–82/ 41860–97 दिनांक 19–12–81
1.	निर्माण कार्य पहुंच डामर सड़क खोखर से पाटोदी वाया परेऊ सड़क । विशिष्ट शासन सचिव सा. वि. – एफ/2 (30) स. अ./खरीफ रा. का. 81–82/ 227–69 ता. 4–1–82
2.	अपूर्ण कार्य ग्रेवल सड़क काठाडी से घरवाला भागवा तेलवाडा निभवलान
3.	अपूर्ण कार्य ग्रेवल मजल से समूजा
4.	ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य रामसर के खारची वाया मांसेरी
5.	गुंगा से झांफली कला वाया भेसका ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य
6.	गुंगा से घारवी कला पोसड ग्रेवल सडक का निर्माण कार्य
7.	ग्रेवल सड़क मोखाव से झाक सडक का निर्माण कार्य

1	2
8.	डामर सड़क बाड़मेर बायतु वागुन्डी पचपदरा की क्रुस्ट मजबूत करने का कार्य
9.	नई डामर सड़क सवाऊ पदमसिंह से जिला सीमा तक
10.	डामर एप्रोच सड़क धारासर (2069) कि. मी. से 6 तक चौहटन केलनोर सड़क से
11.	डामर एप्रोच सड़क लीलसर (2972) वाछडाऊ से कि. मी. से 6/0 तक
12.	डामर सड़क डोली से कोरना (2853) कि.मी. 0/0 से 18/0 तक
	विशिष्ट शासन सचिव सा. वि. - एफ/2 (30) स. अ./ खरीफ/ रा. का. 81-82/227-69 ता. 4-1-82
13.	डामर एप्रोच सड़क तामलोर (726) कि. मी. 0/0 से 3/0 तक
14.	डामर एप्रोच सड़क मेंदूसर गडरा रोड से कि.मी. 2/0 से 7/0 तक
15.	डामर एप्रोच सड़क गांव भीमरलाई कि. मी. 0/0 से 2/0 तक
16.	डामर सड़क सिवाना से हिंगलाज माता मन्दिर कि. मी. 0/0 से 11/0 तक
17.	डामर सड़क कुशीप से भीमगुडा मन्दिर कि.मी. 0/0 से 5/0 तक
18.	डामर सड़क वागुडी से मलवा महादेव मन्दिर कि. मी. 0/0 से 10/0 तक
19.	डामर सड़क कल्याणपुरा समदड़ी सिवाना में समदड़ी के पास लूनी नदी पर काजवे (रपट) का बनाने कार्य एक कि. मी.
20.	ग्रेवल सड़क गागरिया रेल्वे स्टेशन से पांदी का पार कि.मी. 0/0 से 12/0 तक
21.	कवास वाटाडू डामर सड़क के पटरियों को मजबूत करने का कार्य कि. मी. 0/0 से 31/0 तक
22.	डामर सड़क आटा बालेबां के पटरियों को मजबुत करने व पुलिया का कार्य कि. मी. 0/0 से 32/0 तक

1	2
23.	गुगेरिया से जिला सीमा तक कि. मी. 0/0 से 5/0 तक
	विशिष्ट शासन सचिव सा. वि. एफ/ 1 (2) स
	अ / खरीफ/ रा. का. 81-82/3477-94 ता. 10-2-82
1	ग्रेवल सड़क व पुलिया का निर्माण सड़क पादरू से सिवाना कि. मी 0/0 से 30/0 तक
2	ग्रेवल सड़क क्वरली-मलवा सन्वरा कि. मि. 11/0 से 16/0 तक
3	ग्रेवल सड़क धनवा से सराणा वाया जुना मिठाखेड़ा कि. मी. 5/0 से 10/0 तक
4	ग्रेवल सड़क साथूनी से खनोड़ फान्टा कि. मी. 4/0 से 5/0 तक
5	ग्रेवल सड़क वाभसीन से देवलीवाली बालोतरा समदड़ी सडक तक 0/0 से 1/0 तक
6	ग्रेवल सड़क पारलू से काकराला 2/0 से 6/0 तक
7	ग्रेवल सड़क खटुवेरा से खटूगांव कि. मी. 2/0 से 3/500 तक
8	ग्रेवल सड़क मोंखव से चोखला फान्टा वाया पोसाल की ढाणी कि. मीं. 2/0 और 22/0 तक
9	ग्रेवल सड़क गिराब फान्टा से सुन्दरा कि. मी 23/0 से 50/0 तक
10	ग्रेवल सड़क एप्रोच गुड़ीसर 6/0 से 10/0 तक
11	ग्रेवल सड़क खनियानी से रातरेडी कि. मी. 7/0 से 31/0 तक
	विशिष्ट शासन सचिव सा. वि. एफ/ 1 (2) स. अ./खरीफ/रा का.81-82/3477-94 ता० 10-2-82
12	ग्रेवल सड़क गडरा से पावूसरिया कि. मी. 14/0 से 8/0 व 22/500 से 28/0 तक

1	2
13	नव निर्माण ग्रेवल सड़क गिराब से झिझगीयाली जिलासीमा तक 2/0 से 6/0 व 7/0 से 12/0 तक
14	नव निर्माण ग्रेवल सड़क इन्द्ररोई से नुरा कि. मी. 3/0 से 16/0 तक
15	नव निर्माण ग्रेवल सड़क सावऊ पदमसिंह से हीरो की ढाणी कि. मी. 0/0 से 12/0 तक
16	नव निर्माण ग्रेवल सड़क छीतर का पार से कोलु वाया कोसरिया कि. मी. 9/0 से 16/0
17	ग्रेवल स क कानोड़ से रतेउ कि. मी. 2/0 से 4/0
18	ग्रेवल सड़क देरासर सेवसरा कि. मी. 9/0 से 11/0
19	ग्रेवल सड़क गुडीसर से बिसालू कि. मी. 8/0 से 12/0
20	ग्रेवल सड़क भाडखा से पोसड कि. मी. 6/0 से 14/0 तक
21	ग्रेवल सड़क रानासर से भीलों की ढाणी वाया खुडाणी कि. मी. 5/0 से 12/0 तक
22	नव निर्माण ग्रेवल सड़क एप्रोच सड़क ग्राम मालानी शिव गडरा सड़क से
	विशिष्ट शासन सचिव सा. वि एफ/1 (2) स. प्र./खरीफ/रा का.81-82/3477-94 ता 10-2-82
23	नव निर्माण ग्रेवल सड़क सोनड़ी से नोरवा कि. मी 5/600 से 7/0 तक
24	ग्रेवल सड़क पाबूसरिया से गोरडियाँ कि. मी. 0/0 से 1/500 तक
25	ग्रेवल सड़क एप्रोच टू लीलसर स्कूल खानयानी रातरेची सड़क से कि. मी. 0/0 से 3/0 तक
26	ग्रेवल सड़क नीमला से यूम्बली कि. मी. 2/540 से 4/760 तक

1	2
27	मरम्मत व नव निर्माण कार्य बाटाडू से सन्तरा वाया कोलू कि. मी. 13/750 से 33/0 तक
28	मरम्मत कार्य ग्रेवल सड़क रानीगांव से सनावड़ा कि. मी. 2/0 से 19/0 तक
29	नव निर्माण ग्रेवल सड़क एप्रोच सड़क नवातला राठोड़ान कि. मी. 2/300 से 7/0 तक
30	निर्माण कार्य ग्रेवल एप्रोच सड़क बुठ सनावड़ा गुडा सड़क से कि. मी. 2/000 से 5/0 तक
31	नव निर्माण ग्रेवल सड़क रानीगांव से धनाऊ कि. मी. 0/0 से 35/0 तक
32	नव निर्माण कार्य ग्रेवल सड़क चोहटन से गिठडाऊ वायामुनो का तला देदूसर नवातला गुमाने का तला सीमा तक 5/0 से 33/0 कि. मी.
33	नव निर्माण ग्रेवल सड़क धारासार से अरणी की गफन वाया जैतासर-रतासर-भोजासार कि. मी. 7/0 से 32/0
	विशिष्ट शासन सचिव सा. वि. एफ/ 1 (2) स. अ./खरीफ. रा. का. 81-82/ 3477-94 ता० 10-2-82
34	निर्माण कार्य ग्रेवल सड़क मोठडाऊ से गुमाने का तला कि.मी. 0/0 से 5/300 तक
35	नव निर्माण ग्रेवल सड़क कुन्दनपुरा से बुरान का तला कि. मी. 3/500 से 5/0 तक
36	नव निर्माण ग्रेवल एप्रोच सड़क ग्राम धनाऊ कि. मी. से 1/500 तक
37	ग्रेवल सड़क गागरिया सेपाघी का पार कि. मी. 0/0 से 7/0 तक
38	नव निर्माण ग्रेवल सड़क डपरला खड़ीन कि. मी. 2/500 से 3/200 तक

1	2
39	नव निर्माण ग्रेवल सड़क कुन्दनपुरा से मूनिया कि. मी. 2/500 से 3/500 तक
40	नव निर्माण ग्रेवल सड़क कोनरा से पूठ कि. मी. 1/0 से 7/0 तक
41	नव निर्माण ग्रेवल एप्रोच सड़क साइयों का तला चौहटन बाखासर सड़क से कि. मी. 0/0 से 3/0 तक
42	नव निर्माण ग्रेवल एप्रोच सड़क आकोड़ा बाड़मेर चौहटन सड़क से कि. मी. 2/500 से 4/0 तक
43	नव निर्माण ग्रेवल एप्रोच सड़क भाचभर से गंगाला वाया तामालीपार कि. मी. 3/0 से 10/0 एवं 12/0 से 20/0 तक
44	नव निर्माण ग्रेवल सड़क बाखासर से ब्रहामणों की ढाणी कि. मी. 4/500 से 10/0 तक
	विशिष्ट शासन सचिव सा. वि. एफ/1 (2) स. अ./खरीफ/रा का. 81-82/347794 ता० 10-2-82
45	नव निर्माण ग्रेवल सड़क लीलसर से बाड़मेर कि. मी. 0/0 से 14/0 तक
46	नव निर्माण ग्रेवल एप्रोच सड़क भांटिया कि. मी. 4/50 से 5/500 तक
47	नव निर्माण ग्रेवल सड़क भीमरलाई से चान्देसरा कि. मी. 2/0 से 8/0 तक
48	नव निर्माण ग्रेवल एप्रोच सड़क नोख स्कूल कि. मी. 4/0 से 8/0 तक
49	नव निर्माण ग्रेवल सड़क पोडवा से नोसर भाखरी कि. मी. 1/5 से 5/0 तक
50	नव निर्माण ग्रेवल सड़क परेऊ से हीरों की ढाणी कि. मी. 0 से 25 तक
51	नव निर्माण ग्रेवल सड़क धीपा से होलोनी कि. मी. 0 से 6/0 तक

Page No.267

1	2
52	नव निर्माण ग्रेवल सड़क नोसर से भीमरलाई कि. मी. 15/0 से 17/0 तक
53	नव निर्माण ग्रेवल सड़क हाथी तला से गरल कि. मी. 0/0 से 7/0 तक
	जिलाधीश सहायता बाड़मेर, क्रमांक/सा०/82/1579 दिनांक 20-4-82
1	बाड़मेर सिणदरी सड़क को चौड़ा करने का कार्य कि. मी. 0/0 से 66/ तक
2	ग्रेवल सड़क बामणोर से सिसवा कि. मी. 0/0 से 5/0 तक
3	नव निर्माण ग्रेवल सड़क बाखासर से गडरा कि. मी. 25/0 से 35/0, 39/0 से [illegible]/0, 65/0 से 7[illegible]/0, 79/0 से 113/0, 124/0 से 137/0, 140/0 से 14[illegible]/0 कि. मी. गडरा पर
4	मरम्मत कार्य ग्रेवल सड़क जालीपा फन्टा से रामदेवर सड़क 0/0 से 70/0
5	ग्रेवल सड़क एप्रोच सड़क शिवकर ग्राम बाड़मेर, सिणदरी कि. मी. 16 से 0/0 से 8/0
6	मरम्मत सड़क कार्य ग्रेवल मारुडी फन्टा से निम्बड़ी वाया आटी 12 कि. मी.
7	ग्रेवल सड़क बनिया-साडां धोरा से भाडखा कि. मी. 5, 6, 12, 13, व 17/0 से 24/0
8	नव निर्माण ग्रेवल एप्रोच सड़क ग्राम सोनड़ी कि. मी. 8/0 से 10/0
9	नव निर्माण ग्रेवल सड़क सियाणी से भदरु कि. मी. 1/640 से 3/0 तक
10	ग्रेवल सड़क काकरोल से पिण्डारन कि. मी. 2/0 से 6/0 तक
11	नव निर्माण ग्रेवल सड़क एप्रोच टू ग्राम समरखिया कि. मी. 0/0 1/0 तक

1	2
12	मरम्मत व नव निर्माण कार्य ग्रेवल सड़क बाटाडु से किसने का तला कि. मी. 0/0 से 8/0
13	नव निर्माण ग्रेवल सड़क कोलु से कानोड़ कि. मी. 1/0 से 6/0
14	एप्रोच ग्रेवल सड़क ढोक से चौहटन केलनोर सड़क कि. मी. 0/0 से 2/0
15	ग्रेवल सड़क सारला से नवा तला कि. मी. 0/0 से 8/0 तक
	जिलाधीश सहायता बाडमेर, क्रमांक/ सा./82/ 1579 दिनांक 20-4-82
16	नव निर्माण ग्रेवल सड़क कोनरा से नवा तला वाया दुदरीम का तला मोहर का तला भालीखा बीसासर कि. मी. 14/0 से 55/0
17	ग्रेवल एप्रोच सड़क सुराली मेघवालों की स्कूल गांगरीया बीजराड सड़क से कि. मी. 9/0 से 3/0
18	ग्रेवल सड़क दूदवा से वामनोर वाया सुरते की बेरी कि. मी. 2/0 से 5/0
19	ग्रेवल सड़क एप्रोच कापराऊ कि. मी. 1/500 से 3/0
20	ग्रेवल सडक बावरी कला से गुमाने का तला कि. मी. 8/0 से 5/0
21	ग्रेवल सड़क सणतरा से देवडा की ढाणी हाथमा, वाया मिठाराऊ फकीरों का तला कि. मी. 4/0 से 14/0
22	ग्रेवल सड़क भूणिया से नवा तला कि मी. 3/0 से 5/0 तक
23	ग्रेवल सड़क इशरोल से गोलियार कि. मी. 0/0 से 7/0 तक
24	ग्रेवल सड़क सोनड़ी से गंगासरा कि. मी. 4/0 से 14/0 तक
25	ग्रेवल सड़क बावड़ी से बुठ कि. मी. 4/500 से 6/500 तक
26	ग्रेवल सड़क आलमसर से इटादा कि. मी. 4/500 से 7/500 तक

1	2
27	ग्रेवल सड़क कितनोरीया भलकीया चवा फन्टा कि. मी. 3/0 से 4/0
28	ग्रेवल एप्रोच सड़क सेवणीयाला चवा वायतु सड़क से कि. मी. 0/0 से 5/0
29	ग्रेवल सड़क सिणदरी वाईपाए कि. मी. 0/0 से 5/0 तक
30	ग्रेवल सड़क गोदसरा से गांधव कि. मी. 30/0 से 68/0 तक
	जिलाधीश सहायता बाड़मेर, क्रमांक/सा०/82/1579 दिनांक 20-4-82
31	नव निर्माण कार्य ग्रेवल सड़क वुठ से साता वाया सोभाला रोहिला लूखू खत्रीयों की बेरी कोजा केकड़ कि, मी. 4/0 से 31/0 से 31/0 से 156/0
32	मरम्मत कार्य ग्रेवल सड़क धोरीमना से सता कि. मी. 8/से 44/0
33	नव निर्माण ग्रेवल सड़क नवातला से दूधवा कि. मी. 0/0 से 5/0 तक
34	नव निर्माण ग्रेवल सड़क भूनिया से रानासर कि. मी. 0/0 से 2/500
35	ग्रेवल सड़क खारिया राठोड़ान से चाडार चाराडयानी राठोड़ान कि. मी. 0/0 से 5/0
36	ग्रेवल एप्रोच रामसर का कुआ कि. मी. 0/0 से 3/0 तक
37	ग्रेवल सड़क सनापा से होडू कि मी. 11/0 से 14/0
38	ग्रेवल सड़क गुड़ा से जालोर कि. मी. 0/0 से 19/0
39	ग्रेवल सड़क मालपुरा फान्टा से वगद कि. मी. 3/5000 से 20/0
40	ग्रेवल सड़क लोहारवा से नाड़यों की ढाणी कि. मी. 0/0 से 14/0

Page No.270

1	2
41	ग्रेवल सड़क मांगता से मेहलू कि. मी. 0/0 से 16/0
42	एप्रोच सड़क बुठिया-बाड़मेर -गडरा कि. मी. 0/0 से 2/0
43	नव निर्माण ग्रेवल सड़क कोटड़ा से मोडा वाया स्वामी का गांव कि. मी. 0/6 से 16/0
44	नव निर्माण ग्रेवल सड़क कानासर से बान्धेवा कि. मी. 7/850 से 0/0
45	आकली से कोटड़ा नान्द रोड़ तक थापा धोलकीया तथा मिडल स्कूल कि. मी. 0/0 से 2/0
	जिलाधीश सहायता बाड़मेर, क्रमांक/सा०/82/1579 दिनांक 20-4-82
46	ग्रेवल सड़क उन्डू से कसुम्बला कि. मी. 0/0 से 18/0 तक
47	राज्य मार्ग से संख्या 28 बालोतरा सिणदरी रोड को चौड़ा करने का कार्य कि. मी. 20/0 से 55/0
48	ग्रेवल सड़क लोहारों की ढाणी से रणिया देशीपुरा कि. मी. 0/0 से 3/0
49	ग्रेवल सड़क खारापार वाया व गुन्डी कि. मी. 0/0 से 17/0 19/0 से 24/0
50	ग्रेवल सड़क लापुन्दरा से होलानी, वाया तारकी
51	नव निर्माण ग्रेवल सड़क सनाऊ परमसिंह से गिड़ा कि. मी. 0/0 से 15/0 तक
52	नव निर्माण ग्रेवल सड़क गिड़ा से खोखसर वाया दानपुरा खारडा 0 0 से 25/0
53	नव निर्माण ग्रेवल सड़क बायतु से गाजवा वाया अकदड़ा कि. मी. 0/0 से 25/0
54	नव निर्माण ग्रेवल सड़क माडपुरा से अमानियों की ढाणी चवा वाया माडपुरा बावाला पंचायत घर एवं माध्यमिक स्कूल कि. मी. 0/0 से 6/0

Page No.271

1	2
55	नव निर्माण ग्रेवल सड़क देरासर से खारा कि. मी. 0/0 से 25/0
56	नव निर्माण ग्रेवल सड़क विशाला से बानोडा वाया केरवा चुरा-दुदा बेरी कि. मी. 0/0 से 30/0
57	नव निर्माण ग्रेवल सड़क बनिया सांडा घोरा से तिलवाड़ा वाया बायतु भीमजी सोमेसर कि. मी. 0/0 से 40/0
58	भूखा से डंडाली कि. मी. 0/0 से 15/0
59	मिण से धनवा 0/0 से 5/0
60	नव निर्माण ग्रेवल सड़क भूलरोकम वाड़ा से होतरड़ों की ढाणी कि. मी. 0/0 से 10/0
	जिलाधीश सहायता बाड़मेर, क्रमांक/सा/82/1579
	दिनांक 20-4-82
61	जेनत निर्माण ग्रेवल सड़क जेठन्तरी रेल्वे स्टेशन जेठन्तरी कि. मी. 0/0 से 2/0
62	नव निर्माण ग्रेवल सड़क लाखेटा से रातड़ी वाया कमोका वाड़ा कि. मी 0/0 से 14/0
63	नव निर्माण ग्रेवल सड़क मियों का वाड़ा से पिरडिया कि. मी. 0/0 से 5/0
64	नव निर्माण ग्रेवल सड़क वाछड़ाऊ इदिया कि. मी. 0/0 से 12/0
65	नव निर्माण ग्रेवल सड़क सांभाला से रमजान की गफन कि. मी. 0/0 से 15/0
66	नव निर्माण ग्रेवल सड़क सेतराऊ से भूणिया वाया धारासर कि मी. 0/0 से 50/0
67	नव निर्माण ग्रेवल सड़क विरातरा से रते का तला कि. मी. 0/0 से 10/0

1	2
68	नव निर्माण ग्रेवल सड़क बावड़ी से दला कि. मी 0/0 से 25/0
69	नव निर्माण ग्रेवल सड़क खड़ीन रेल्वे स्टेशन से गंगाला कि. मी. 0/0 से 10/0
70	नव निर्माण ग्रेवल सड़क बोला वा डेर (ककेड़ा शाही) से बामणोर (भलीसर तालाब) कि. मी. 0/0 से 14/0
71	नव निर्माण ग्रेवल सड़क मेगवालों का तला से साइला का तला कि. मी. 0/0 से 3/0
72	नव निर्माण ग्रेवल सड़क नोख से खाने का तला वाया बक्से का तला कि. मी. 0/0 से 1/0
73	नव निर्माण ग्रेवल सड़क सगाऊ से मेहलु कि. मी. 0/0 से 10/0
74	नव निर्माण ग्रेवल सड़क बाटाडू से नगदड़ा कि. मी. 0/0 से 20/0
75	नव निर्माण ग्रेवल सड़क कवास से मगने की ढाणी वाया ढूंढा कि. मी 0/0 से 15/0
	जिलाधीश सहायता वाड़मेर, क्रमांक/सा./82/1579 दिनांक 20-4-82
76	मरम्मत कार्य पाटोदी से बरतावा कि. मी. 0/0 से 14/0
77	नव निर्माण ग्रेवल सडक सजु पाटोदी से नवातला कि. मी. 0/0 से 18/0 मरम्मत
78	नव निर्माण ग्रेवल सड़क गोल रेल्वे स्टेशन से कोलगांव तक कि. मी. 0/0 7 से 0/0
79	नव निर्माण ग्रेवल सड़क कुड़ला से उतरलाई कि. मी. 0/0 से 10/0
80	नव निर्माण डामर सड़क थोब से आगोलाई वाया माडपुर कि. मी. 0/0 से 38/0

Page No.273

1	2
81	नव निर्माण सालवियों की ढाणी से उन्डू रोड कि. मी. 0/0 से 12/0
82	नव निर्माण ग्रेवल सडक राडा से अरवा जेहाड वाया उन्डों का वास कि. मी. 0/0 से 10/0
83	ग्रेवल एवं निर्माण कोलु से चिड़िया कि. मी. 0/0 से 25/0
84	नव निर्माण सोखडो की बेरी से लाबुन्दड़ा कि. मी. 0/0 से 15/0 सहायता विभाग राज० जयपुर क्रमांक-एफ 1 (2) (2) स०/ आ०/आ०/ख०/81-8./8147-77 दिनांक 11-5-82
1	नव निर्माण ग्रेवल सड़क लुडान से रामदान का तला 0/0 से 10/0
2	नवनिर्माण ग्रेवल सड़क बायतु से सोमेश्वर वाया जोगनसरा तला 0/0 से 15/0 तक
3	नव निर्माण ग्रेवल सड़क आकली से कोटड़ा 0/0 से 12/0
4	नव निर्माण बी० टी० सड़क देतानी से डागरिया 0/0 से 13/0
5	नव निर्माण ग्रेवल सड़क पटियाला से कुपलीया 0/0 से 8/0 कि. मी.
6	मरम्मत सड़क पारलू से रेवाड़ा 0/0,0/0 से 27/0 कि. मी.
7	नव निर्माण ग्रेवल सड़क थूम्बली से रोड़वा कला 0/0 से 6/0 कि. मी. .
8	नवनिर्माण डामर सड़क जोधपुर से बालोतरा 46/0 से 95/0 कि. मी.
9	नवनिर्माण ग्रेवल सड़क दूधवा से दोबी वाया खारापार 0/0 से 6/0 कि. मी.
10	नवनिर्माण ग्रेवल सड़क साजियाली पदमसिंह से नवा तला वाया बाबों की स्कूल 0/0 से 20/0
11	नव निर्माण ग्रेवल सड़क गुमाने का तला से सैयद मोहम्मद अली का तला कि. मी. 0/0 से 12/0

1	2
	सहायता विभाग राज० जयपुर क्रमांक-एफ-1 (2) (2)स०/भा०/ /ख०/81-82/814777 दि. 11-5-82
12.	नव निर्माण ग्रेवल सड़क साईयों का तला से नेतयड़ा C/0 से 9/0 कि० मी०
13.	नव निर्माण डामर एप्रोच सड़क विरातरा गांव चौहटन केलनूर रोड से 0/0 से 6/0 कि० मी०
14.	नव निर्माण ग्रेवल सड़क सणपा से नोसर 10 कि० मी०
15.	नव निर्माण ग्रेवल सड़क धोरीमना बाजार से बाणासर पीपराली डामर सड़क 0/0 से 6/0
16.	नव निर्माण सड़क उच्च राज मार्ग (एन. एस. डब्लू. से धोरीमना) बाजार/वाया उच्च माध्यमिक स्कूल
17.	नव निर्माण डामर सडक सिंधरी बस स्टेण्ड को मुख्यालय मार्ग (एस. एच. डब्लू. 028) से जोड़ना 0/0 से 1/0 कि० मी०
18.	नव निर्माण ग्रेवल सड़क मोकलसर से मोतीसरा कि० मी० 0/0 से 14/0
19.	ग्रेवल सड़क उमरलाई से लाहोरों की ढाणी कि० मी० 0/0 से 10/0
20.	ग्रेवल सड़क गोल स्टेशन से भीमरलाई ग्राम कि० मी० 0/0 से 10/0 तक
21.	ग्रेवल सड़क कवरली से कालेवा 0/0 से 4/0 कि० मी०
22.	जिलाधीश बाड़मेर सहा./कार्य/82/2691 दि. 1-8-82 धोलानाडा से खरंटिया स्कूल तक कि० मी० 0/0 से 4/0
23.	B/T Road Baitu-Kanod khokhsar via Keeron ki Dhani Km./0/0 to 76/0
24.	G/R Ghaghria to Bhijrad Km. 0/0 to 25/0.

राजगढ़ (अलवर) में विशेष न्यायालय की स्थापना

354. श्री समर्थलाल (राजगढ़) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार की अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के मुकदमों का निपटारा करने के लिये राजगढ़ में न्यायालय स्थापित करने की योजना है ?

(2) क्या यह सही है कि अलवर स्थित अनुसूचित जाति/जनजाति के न्यायालय में करीब 3000 मुकदमें विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। अलवर में एक अतिरिक्त विशेष न्यायालय स्थापित करने की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

(2) अलवर में अब तक कुल 3158 मुकदमें दर्ज हुये जिनमें से 1503 मुकदमों का निपटारा किया जा चुका है और शेष 1655 मुकदमें लम्बित हैं।

राजस्थान विश्वविद्यालय को प्रदत्त राशि का उपयोग

355. श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : क्या विश्वविद्यालयीय शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय को पिछले वर्ष कितना धन किन-किन मदों में खर्च करने हेतु राज्य सरकार ने दिया ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने एक बड़ी राशि विश्वविद्यालय को समय पर परीक्षा परिणाम घोषित करने हेतु दी थी ? यदि हां, तो कितनी ?

(3) क्या विश्वविद्यालय द्वारा इस धन-राशि को खर्च करने हेतु कोई कमेटी गठित की है ? यदि, हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

उत्तर

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय को गत वित्त वर्ष 1981-82 में योजना एवं गैर योजना बजट के अन्तर्गत विभिन्न मदों हेतु दी गई धनराशि का विवरण संलग्न तालिका, "अ" एवं "ब" में दिया गया है।

(2) राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय को वित्त वर्ष 1981-82 में वर्ष 1981 की परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं के स्थानीय मूल्यांकन हेतु 8.80 लाख रुपये स्वीकृत किये थे।

(3) जी नहीं।

STATEMENT—A (Plan)

Details of approved item for grant-in-aid to Rajasthan University for the year 1981–82

Revenue Items:

1	2	3
1.	Central Library	0.79 Lacs
2.	Law College	0.22 „
3.	Hostels	0.12 „
4.	Central Office	1.68 „
5.	Commerce College	0.06 „
6.	VC & Pro-VC Secretariat	0.28 „
7.	Maharani's College	0.05 „
8.	Physical Department	0.09 „
9.	Health Centre	0.12 „
10.	U. S. I. C.	0.05 „
11.	Chemistry Department	0.06 „
12.	Chair Sufism	0.26 „
13.	B. S. Home Science	0.50 „
14.	Medical Charges	0.16 „
15.	Impact of Increased D. A. I. R. & C. C. A.	0 33 „
	Sub-total	4.77 Lacs

Capital Items:

1.	66 Seated Women Hostel	0.95 Lac
2.	Botanical Garden	0.28 „

1	2	3
3.	Commerce Block	1.66 ,,
4.	Physics Building	0.69 ,,
5.	Canteen Commerce College	0.16 ,,
6.	Extension of Library Building Maharani College	1.11 ,,
7.	Canteen Maharani's College	0.09 ,,
8.	Extension Law College II Phase	1.54 ,,
9.	Lab & Lecturer theatre Maharaja College	0.71 ,,
10.	Canteen Maharajas College	0.12 ,
11.	Two rooms Dramatic Arts.	0.40 ,
12.	Class Rooms Maharaani's College	3.17 ,,
13.	Building for Podar Institute of Management	0.45 ,,
14.	Two rooms for drawing & Painting	0.90 ,,
15.	Construction of Administrative Block	3,50 ,,

Sub Total....15.73 Lacs

Grant Total ..20.50 Lacs

STATEMENT X–B (Non-Plan)

Statement showing the grant-in-aid released by the State Government during the Year 1981–82

Sanction letter Number and date		Particulars	Amount released Non-Plan
F.13 (2) Edu./VI/ 80	dt.7-5-1981	Ist instalment of block grant	75,44,000
—do—	dt.26-6-1981	Advance against 2nd instalment	30,00,000
—do—	dt.27-7-1981	Balance against 2nd inst.	45,44,000
—do—	dt.17-8-1981	Release of grant for D.A. & I. R.	10,00,000
—do—	dt.16-10-1981	3rd instal. of block grant	75,44,000
—do—	dt.26-10-1981	D. A. & I. R.	5 85,000
—do—	dt.24-10-1981	D.A., I.R. & CCA	5,00,000
F.15 (19)Edu./Gr.III/ 80	dt. 20-1-1982	Local evaluation of Ans. books for University Exam. 1981	8,80,000
F.15(2)Edu./Gr.VI/ 80	dt. 5-2-1982	4th instal.	75,44,000
—do—	dt.5-2-1982	DA. CCA, I.R.	5,00 000
—do—	dt.30-3-1982	balance to the extend of R.E. 1981-82	21,26,744
		Total	3,57,67,744

झुंझुनूं जिले के अभावग्रस्त ग्रामों में वसूलियों का स्थगन

356. श्री लच्छूराम (मण्डावा) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला झुंझुनूं के 434 गांव अकालग्रस्त घोषित हैं ? यदि हां, तो इन गावों में लगान वसूली व अन्य प्रकार की वसूलियां स्थगित नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि पटवारी अकालग्रस्त घोषित गावों से लगान की वसूली कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार 4 सालों से पड़ रहे अकाल की वजह से लगान माफ करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1 इस वर्ष झुंझुनूं जिले के 440 ग्रामों को दिनांक 6-1-83 को अभावग्रस्त घोषित किया है एवं दिनांक 7-1-83 को यह आदेश जारी कर दिये हैं, कि अभावग्रस्त ग्रामों की ऐसी भूमियों के सम्बन्ध में जो भू-अभिलेख में बारानी, तालावी अथवा सेलावी दर्ज हैं, व जिस पर किसी भी स्रोत से वर्तमान में सिंचाई नहीं होती एवं केवल खरीफ की ही फसल का उत्पादन होता है, चालू भू-राजस्व की वसूली 30 सितम्बर, '83 तक स्थगित रखी जावें। जहां तक पंचायत समिति की तकाबी, राजस्व तकावी एवं सहकारिता के अल्प कालीन ऋणों का सम्बन्ध है, यह व्यवस्था की गई है कि इनकी वसूली के स्थगन के बाद जिलाधीश अपने प्रस्ताव सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के वित्त विभाग को भेजकर निर्णय करावेंगे।

(2) अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों में चालू भू-राजस्व की वसूली स्थगित करने के आदेश दिनांक 7-1-83 को जारी कर दिये गये थे। जिलाधीश को इस बाबत दिनांक 3-3-83 को पुनः लिख दिया गया है। वैसे जो लोग स्वेच्छा से लगान जमा करावें उनका लगान लेने में कोई रोक नहीं है।

सवाई माधोपुर में सड़क निर्माण कार्य

357. श्री कुन्जी लाल (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला सवाई-माधोपुर में चालू वर्ष में कितनी सड़कों का कार्य चल रहा है ? कृपया अलग-अलग तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री कुंजीलाल)

(2) क्या बौंली तहसील का कार्यालय भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में है ? यदि हां, तो नवीन निर्माण कार्य कब तक चालू कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर में चालू वित्तीय वर्ष में चल रहे सड़कों के कार्यों की तहसीलवार सूची (प्रपत्र 'क') सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) बौंली तहसील भवन कार्यालय की देख-रेख सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन नहीं है । नवीन भवन का निर्माण कार्य संबंधित विभाग द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने पर ही कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया जायेगा ।

प्रपत्र-"क"

क. सं.	तहसील का नाम	सड़कों के चल रहे कार्यों का नाम
1.	सवाईमाधोपुर	1. सूरवाल भगवतगढ़ सड़क निर्माण
		2. सम्पर्क सड़क शिवाड़ सी०डी० कार्य सहित का निर्माण
		3. रेलवे ओवर हैड ब्रिज से लिंक रोड का निर्माण सवाई माधोपुर शहर की ओर
2.	खण्डार	1. खण्डार बालेर सड़क का निर्माण ।
		2. मेई कलां से गंडावर सड़क
3.	बौंली	1. बौंली खिरनी सड़क निर्माण ।
		2. अपूर्ण बौंली निवाई सड़क को पूर्ण करने का कार्य बेन्टेड काजवे के निर्माण सहित ।
4.	गंगापुर	1. सम्पर्क सड़क बिछोछ वाया बरनाला गंगापुर नादौती सड़क से
5.	बामनवास	1. लालसोट गंगापुर सड़क से मोरासागर वाया अमावरा, डूंगर पट्टी सुकार सड़क निर्माण ।
6.	नादौती	1. गंगापुर नादौती, सिकन्दरा, राजगढ़, अलवर सड़क राजपथ नं. ?5
		2. सम्पर्क सड़क बरदाला गंगापुर नादौती सड़क

1	2
7. करोली	1. सांकरा से सरमथुरा तक उपागमन सड़क
	2. मासलपुर से खेड़ा तक उपागमन सड़क
	3. करोली सरमथुरा बाडी धौलपुर सड़क
	4. केलादेवी करणपुर नदी गांव सिलीपुर सड़क (5 किमी)
	5. करोली मण्डरायल से मुरेना (मध्य प्रदेश)
	6. करोली मासलपुर से जगनेर (उत्तर प्रदेश) तांतपुर सड़क ।
8. सपोटरा	1. कैलादेवी करणपुर नदी गांव सिलीपुर सड़क (29 कि0मी0)
9 महुवा	1. महुआ से ओड सड़क का
	2. मुख्य सड़क से नदी के सहारे रसीदपुर ग्राम तक उपागमन सड़क ।
	3. रसीदपुर से पाखर तक सड़क
	4. काला पहाड़ पाली भोपर तक सड़क
	5. महुवा हुडला तक सड़क
	6 पीलवा से रसीदपुर तक सड़क
	7. मण्डावर से कोट सड़क
10. टोडाभीम	1. जैसिनी से नांगल वाया बालघाट सड़क
	2. निर्माण कार्य डामर की सड़क टोडाभीम से मेहदीपुर का वालाजी एवं घाटी सुधार कार्य ।
	3. सड़क निर्माण कार्य टोडाभीम से पदमपुरा गुढाचन्द्रजी इस सड़क की कुल लम्बाई 35 कि. मी. है इसमें से 5 कि. मी. सड़क नादोती तहसील में है ।
	4 मूंडिया से धौलेटा वाया नांगल मोरडा कमलापुर
11. हिण्डौन	1. झिरना से कोटरी तक उपागमन सड़क
	2. कोटरी नगर से झिरना उपागमन सड़क
	3. हिण्डौन से खारेटा डामर की सड़क (सी. डी. वर्क्स के निर्माण कार्य सहित)
	4. खारेटा से झिरना डामर सड़क सी. डी. वर्क्स सहित
	5. हिण्डौन लोपावली सड़क को मूंडिया घरगमन धौलेटा सड़क से मिलाने हेतु सुधार कार्य ।
	6. जसौदा बरगमा डामर सड़क

1	2
	7. महुवा हिण्डौन सड़क से तिगरिया गांव तक सड़क
	8. जगर से हिण्डौन सड़क
	9. बाजना कला से खुर्द तक सड़क
	10. सूरोठ से फतेहसिंह पुरा सड़क

विद्युत कटौती से काश्तकारों को हानि

358. श्री माथूराम प्रहारी (डूंगरपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा काश्तकारों एवं अन्य उपभोक्ताओं से बिजली का न्यूनतम चार्ज वसूल किया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान में गत दो वर्षों से बिजली की कटौती होने से काश्तकारों एवं कई कनेक्शन प्राप्त लोगों को भारी नुकसान हुआ है ?

उत्तर

(1) जी हां, विद्युत मण्डल के टेरिफ एवं विद्युत सप्लाई की शर्तों के अन्तर्गत सभी प्रकार के उपभोक्ताओं से जिसमें कृषि उपभोक्ता भी शामिल हैं, न्यूनतम चार्जेज लिए जाते हैं।

(2) बिजली उपलब्धी को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण फीडरों से संबंधित उपभोक्ताओं को प्रति दिन निर्धारित घंटों में ही विद्युत उपलब्ध कराई गई। बड़े व मध्यम उद्योगों के उपभोक्ताओं पर बिजली की कटौती लागू की गई है। मांग की तुलना में विद्युत की उपलब्धी कम होने के कारण उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

जयसमंद झील में मत्स्य आखेट

359. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) जयसमंद झील में मछली आखेट सहकारी सोसायटी कितने आदिवासियों की बनायी गई है ?

(2) यह आदिवासी सोसायटी कब बनाई गई ? क्या इन सहकारी सोसाइटीज की देख-भाल राजस्थान जनजाति सहकारी संघ द्वारा की जाती है ? अब तक आदिवासी सोसाइटीज को कितना मुनाफा रहा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

(3) क्या राजस्थान जनजाति सहकारी संघ द्वारा सदस्यों को दैनिक मजदूरी दी जाती है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(4) जयसमन्द झील में मछली पकड़ने वाले प्राइवेट कितने ठेकेदारों को ठेका दिया गया है ?

(5) राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय सहकारी संघ के अधिकारी कितने हैं ? इनका मुख्यालय कहां-कहां है तथा मछली आखेट से संघ को 1980-81, 1981-82 में कितना लाभ हुआ ?

(6) क्या यह सही है कि देखरेख करने वाले अधिकारियों द्वारा आखेट मछली प्राइवेट ठेकेदारों को बेच दी जाती है ? यदि हां, तो ऐसे कितने केस निगम द्वारा पकड़े गये और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जयसमन्द झील में मछली आखेट की 698 आदिवासियों की 7 सहकारी समितियां बनाई गई है।

(2) पांच सहकारी समितियां वर्ष 77-78, एक सहकारी समिति वर्ष 78-79 व एक सहकारी समिति वर्ष 79-80 में बनाई गई।

जी हां। अब तक हरेक आदिवासी सोसाइटियों को हुए मुनाफे का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्रम सं.	नाम समिति	कुल लाभ	कुल हानि	हानि के कारण
1.	वीरपुरा मछली उत्पा. स. स.	3677.80	—	
2.	सगाडी मछली उत्पा. स. स.	4256.79	—	
3.	घाटी मछली उत्पा. स. स.	4659.12	—	
4.	भेपूड़ो मछली उत्पा. स. स.	3229.31	—	
5.	गामडी मछली उत्पा. स. स.	3275.01	—	
6.	अम्बिका मछली उत्पा. स. स.	9002.37	—	
7.	राजपुरा मछली उत्पा. स. स.	—	—	सदस्यों द्वारा रुचि नहीं लेने के कारण बन्द है।

(3) जी नहीं। जनजाति सहकारी संघ, सहकारी समिति के माध्यम से सदस्यों की पकड़ी गई मछलियों को किस्म व वजन के अनुसार निश्चित दर पर कीमत देता है।

(सहकारिता मंत्री)

(4) जी किसी को नहीं।

(5) वांछित सूचना संलग्न परिशिष्ट 'अ' में अंकित है। मछली मार्केट में संघ को वर्ष 1980-81 में 1.42 लाख रुपये का लाभ तथा वर्ष 81-82 में 3.88 लाख रुपये की हानि हुई है।

(6) जी नहीं।

सूचना

परिशिष्ट (अ)

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	मुख्यालय
1.	श्री सत्यनारायण सिंह	प्रबन्ध निदेशक	उदयपुर
2.	श्री पद रिक्त	महा प्रबन्धक	,,
3.	डा0 गोविन्द सिंह चुण्डावत	प्रबन्धक, कृषि एवं इनपुट्स	उदयपुर
4.	श्री अरविन्द भण्डारी	प्रबन्धक, वित्त	उदयपुर
5.	श्री प्रतापसिंह तलेसरा	प्रबन्धक, सह०	उदयपुर
6.	श्री राधाकृष्ण माहेश्वरी	सहायक लेखा.	,,
7.	श्री गणेशलाल टेलर	,,	,,
8.	श्री चन्द्रसिंह चौधरी	मत्स्य विपणन अधि०	,,
9.	श्री नरेन्द्रसिंह महियारिया	सहा. प्रबन्धक, (वन) अधिकारी	,,
10.	श्री पृथ्वीसिंह राठौड़	सहा.प्रबन्धक (कार्मिक)	,,
11.	श्री गजराजसिंह राठौड़	सहा. प्रबन्धक (आयोजना)	,,
12.	श्री महेशचन्द्र गुप्ता	क्षेत्रीय प्रबन्धक	उदयपुर (पूर्व)
13.	श्री रफीक अहमद शेद	,,	उदयपुर (पश्चिम)
14.	श्री वृद्धिचन्द्र जैन	,,	डूंगरपुर
15.	श्री जिनेन्द्रलाल जैन	,,	बांसवाड़ा
16.	श्री महेन्द्रसिंह मेहता	,,	बांरा
17.	श्री अर्जुनसिंह शक्तावत	स0 क्षे0 प्र0	गिर्वा पं0 स0 उदयपुर
18.	श्री छोगालाल सुथार	,,	बांरा/ प्रतापगढ़
19.	श्री जितेन्द्रसिंह राठौड़	,,	जयसमन्द

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	मुख्यालय
20.	श्री मनोज भटनागर	सहा. म. वि. अ.	वण्डाडीकर(बांसवाड़ा)
21.	श्री मनोहरसिंह चुण्डावत	स0 क्षे0 प्र0	झाड़ोल
22.	श्री नन्दलाल धाकड़	,,	कोटड़ा
23.	श्री वेलाराम मीणा	,,	सराड़ा
24.	श्री देवनारायण त्रिवेदी	,,	आवूरोड़
25.	श्री चुन्नीलाल चौधरी	,,	घाटोल
26.	श्री जमनालाल पारख	,,	बागीदोरा
27.	श्री बापूलाल गर्ग	,,	कुशलगढ़
28.	श्री मोतीसिंह राठौड़	,,	सागवाड़ा
29.	श्री कालूराम रोत	,,	डूंगरपुर
30.	श्री रामचन्द्र शर्मा	,,	शाहबाद
31.	रामस्वरूप मीणा	,,	किशनगंज
32.	वीरेन्द्रसिंह राठोड	,,	शेरवाड़ा

बांसवाड़ा-सामरिया सड़क का निर्माण

360. श्री बहादुरसिंह (दानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा से सामरिया वाया नावागांव सड़क स्वीकृति शुदा है ? यदि हां, तो अभी तक इस सड़क का कार्य चालू क्यों नहीं हुआ ?

(2) क्या राज्य सरकार इस सड़क के कार्य को अब 1983-84 के वर्ष में प्रारम्भ कर पूरा कराना चाहती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त सड़क के बनाने के लिये राज्य सरकार ने क्या कोई धन राशि पूर्व में स्वीकृत की है ? यदि हां, तो कितनी ?

उत्तर

(1) यह सड़क स्वीकृत शुदा है तथा तखमीना बनाया जाकर टेण्डर आमंत्रित कर लिये हैं और शीघ्र ही सड़क का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

(2) कार्य 1983-84 में चालू कर लगभग ढाई वर्ष की अवधि में 11 कि0मी0 की लम्बाई में पूर्ण किये जाने की संभावना है ।

(3) राज्य सरकार ने इस कार्य के लिये प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति 20.80 लाख रुपये की प्रदान की है तथा वर्ष 1982-83 में इस कार्य हेतु 6000/– रुपये का प्रावधान रखा गया है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यालय, रींगस के स्टोर्स में घपला

361. श्री जगनसिंह (बयाना)

श्री हरीसिंह (महुवा)

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 25-3-1982 को अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण विद्युतीकरण एवं सहायक अभियन्ता, ओ. एण्ड एम., रींगस के स्टोर को सीज किया गया था ? यदि हां, तो उसकी जांच में क्या-क्या अनियमितता पाई गई एवं किन-किन अधिकारियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि जांच नहीं हुई, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि जांच में ऐसे फर्जी बिल पाये गये जिनके सामान की खरीद ही नही हुई थी ? यदि हां, तो कितनी राशि के कितने बिल पाये गये ?

उत्तर

(1) जी हां। अधिशाषी अभियन्ता (ओ. एण्ड एम.), रींगस तथा सहायक अभियन्ता ओ. एण्ड एम, (व सहायक अभियन्ता) (आर. ई. सी.) रींगस द्वारा वर्ष 1981-82 के दौरान की गई खरीद के अभिलेखों की जांच मे वित्तीय एवं अन्य प्रक्रिया संबधित अनियमितता पाई गई। जांच के दौरान फर्मो के कुछ ऐसे बिल भी कार्यालय में उपलब्ध मिले, जिनका सामान जांच की तिथि तक स्टोर में आना नहीं पाया गया। अभिलेखों की जांच में 57 पास शुदा बिल की राशि रु० 278:0/- के ऐसे पाये गये जिनके माल का इन्द्राज-बिलों पर किये गये सत्यापन के अनुसार स्टोर लेजर में नहीं मिला। संबधित अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता तथा स्टोर कीपर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय लिया गया है तथा उनको चार्जशीट जारी की जा रही है। इन दोनों अधिकारियों तथा स्टोर कीपर को उनके वर्तमान पद से तत्काल अन्यत्र स्थानान्तरण के आदेश भी जारी कर दिये गये हैं। विभागीय जांच पूरी होने तक इन दोनों अधिकारियों के वित्तीय अधिकार भी ले लिये गये हैं।

(2) जांच के दौरान सहायक अभियन्ता (ओ. एण्ड एम.) उपखण्ड रींगस के कार्यालय में 9 बिल कुल राशि 4458/- रुपये के ऐसे पाये गये जिनका माल जांच की तिथि तक स्टोर में प्राप्त होना नहीं पाया गया। साथ ही 567 बिल कुल राशि 27277/- के ऐसे पाये गये जिन पर दिए गये सत्यापन प्रमाण-पत्र में अंकित स्टोर लेजर के पृष्ठों पर, उस माल का इन्द्राज नहीं मिला जिससे इन बिलों का संदिग्ध होना प्रकट होता है।

बाली नगर में दानदाताओं द्वारा निर्मित स्कूल भवन

362. श्री असलम खां (बाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या बाली (पाली) कस्बे में दानदाताओं द्वारा विद्यालय भवन बनवाये गये ? यदि हां, तो कितने और कौन-कौन से वर्ष में ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालय भवनों पर दानदाताओं द्वारा कितनी राशि भवन निर्माण करने हेतु लगायी गयी ? कृपया दानदाताओं के नाम व निर्माण राशि की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विद्यालय भवन शिक्षा विभाग ने अपने अधीन कब-कब लिये तथा उन भवनों के रख-रखाव पर राज्य सरकार द्वारा कितना रुपया व्यय किया गया ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दानदाताओं द्वारा बनवाये गये विद्यालय भवनों की वर्षवार सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) उक्त विद्यालय भवनों पर दानदाताओं द्वारा व्यय की गयी राशि तथा दानदाताओं के नाम की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) उक्त विद्यालय भवन शिक्षा विभाग के अधीन क्रमशः वर्ष 1972, 1973, 1974, 1981, 1982 एवं 1983 से है, तथा इनके रख-रखाव मरम्मत आदि पर राज्य सरकार द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया।

दानदाताओं द्वारा बनवाये गये विद्यालय भवनों की सूची

क्र. स.	नाम विद्यालय	निर्माण वर्ष
1	2	3
1.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नं. 1 पाली	1973
2.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नं. 2 बाली	1972
3.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नं. 3 बाली	1972
4.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नं. 4 बाली	1973
5.	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय बाली	1972
6.	राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय बाली	1981

दानदाताओं द्वारा बनवाये गये विद्यालय भवनों की सूची

क्र. सं.	नाम विद्यालय	दानदाताओं के नाम	व्यय की गई राशि
1.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नं० 1 बाली	1. श्री बक्तावरमल बस्तीमल सिरोया 2. श्री बस्तीमल जुहारमल 3. श्रीमती हुलासीबाई बस्तीमल 4. ,, हुलासी बक्तावरमल 5. श्री जोरावरमल बस्तीमल 6. श्री धीरजमल बस्तीमल 7. श्री जेठमल बस्तीमल 8. श्री कुन्दनमल बस्तीमल	65000/-
2.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नं० 2 बाली	1 श्री मोहनलाल पुखराज सिंघवी	54,000 -
3.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नं० 3 बाली	1. श्री उदयभान प्रेमचन्द निवासी बाली	65000/-
4.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नं० 4 बाली	1. श्रीमती हंजाबाई अजयराज बाली	90000/-
5.	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय बाली	1. विभिन्न दानदाताओं द्वारा	200523/-
6.	राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय बाली	1. श्री पुखराज गेमावत	1,00,000/-

अजमेर जिले के गांवों का विद्युतीकरण

363. श्री विष्णुप्रकाश बजारी (ब्यावर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर जिले की पंचायत समितियों में कितना प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है ?

(2) जवाजा पंचायत समिति में कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बिजली है ? यदि नहीं, तो क्या इसे बिजली से जोड़ने की अतिशीघ्र कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

1. माह जनवरी, 1983 के अन्त में अजमेर जिले की विभिन्न पंचायत समितियों के विद्युतीकरण का प्रतिशत निम्न प्रकार है:—

क्र० सं०	पंचायत समिति का नाम	विद्युतिकृत का प्रतिशत
1.	केकड़ी	100%
2.	मसूदा	60.9%
3.	पीसांगन	77.57%
4.	श्रीनगर	57.84%
5.	सिलोरा	100%
6.	अराई	51.97%
7.	जवाजा	21.02%
8.	भिनाय	39.47%
	सम्पूर्ण जिले प्रतिशत का	58.92%

2. पंचायत समिति जवाजा में 34 ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं, जिसमें से 17 ग्राम पंचायत मुख्यालय विद्युतीकृत हैं। शेष 17 ग्राम पंचायत मुख्यालयों के विद्युतीकरण करने की फिलहाल कोई योजना स्वीकृत नहीं है। अत. इनके विद्युतीकरण के बारे में अभी कुछ कहना सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न संख्या 358 की सूची

प्रपत्र "ख"

जिला बीकानेर के क्षेत्र में अनुसूचित जाति/ जन जाति के भूमिहीनों को राजस्व अभियान वर्ष 1981-82 व 1982-83 के दौरान आवंटित भूमि का विवरण।

क्रम सं०	नाम तहसील उपनिवेशन	वर्ष 1981-82 के राजस्व अभियान में अनुसूचित वर्ग को आवंटित भूमि का विवरण		वर्ष 1982-83 के राजस्व अभियान के दौरान अनुसूचित वर्ग को आवंटन का विवरण	
		संख्या	क्षेत्रफल बीघों में	संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
1.	श्री कोलायत I	—	—	10	202
2.	श्री कोलायत II	—	—	24	419
3.	श्री कोलायत III	—	—	25	552
4.	श्री कोलायत IV	—	—	54	953
5.	लूणकरनसर	24	420	1	17
9.	छत्तरगढ़ I	234	6723	—	—
7.	बीकानेर	—	—	—	—
8.	पूगल	—	—	75	1585
9.	छत्तरगढ़ 2	101	2806	61	2379
	योग...	359	9949	251	6107

Page No.291

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 359 का विवरण

दौसा क्रय विक्रय सहकारी समिति लि० दौसा
बकाया सूची सहकारी समितियां,

क्र० सं.	नाम सहकारी समिति			उधार देने का दिनाक	राशि
1.	बनियाना ग्राम सेवा सहु० समिति			11-8-82	665-00
2.	खावा ग्राम सेवा सह०		,,	3-8-82	1984-42
3.	नागज राजावतान		,,	3-8-82	21885·00
4.	रजवास ग्राम सेवा सहकारी		,,	3-8-82	9595-34
5.	रलावता राम पुरा	,	,,	66-67	61-65
6.	भांडारेज	,,	,	66·67	25308-50
7.	बकोली ग्राम सेवा		,,	66-67	12752·21
8.	सिगवाड़ा	,	,,	66-67	4696-04
9.	छोडली	,,	,,	66·67	590-96
10.	सैथल	,,	,,	66-67	16178-64
11.	छारेड़ा	,,	,,	2-8-82	1844-00
12.	खैरवाल	,,	,,	2-8-82	80·80
13.	अलूदा	,,	,,	2-8-82	9368-25
14.	नागल बेरली ग्राम सेवा सहु० समिति			27-7-82	6564·53
15.	श्यालावास	,,	,,	27-7-82	3257-75
16.	काली पहाड़ी	,,	,,	68-69	6269-32
17	कालाखो	,,	,,	68-69	11887-85
18	जसौला	,,	,,	68-69	2585-09
19.	धरणवास	,,	,,	68-69	401-28
20.	हरिपुरा	,,	,,	68-69	4966-83
21.	कावरेश्वर	,,	,,	68-69	4654-12
22.	मानपुर	,	,,	68-69	58-00
23.	राधास	,,	,,	68-69	9579·70
24.	देवली	,,	,,	68-69	1822·05
25.	शिव सिंग पुरा	,,	,,	68-69	6519-85
26.	चांदसैन	,,	,	68 69	3147-55
27.	काकरिया	,,	,,	68-69	1579·46

1	2	3	4
28	कालुवास ग्रा. से. सह. समिति	68-69	1634-22
29.	होदायली ,, ,,	68-69	1492-23
30.	डूंगरपुर ,, ,,	68-69	5774-35
31.	सोनल	68–69	10,882-45
32.	डोल	,,	813-00
33.	टूटियावास	,,	13,827-98
34.	राणोजी	,,	20-09
35.	खूजा	,,	4546 00
36.	टांकाटेकला	30-6-82	531-60
37.	माहरिया	,,	220-00
38.	सूरजपुरा	,,	315-90
39.	बिरोना	,,	2454-55
40.	बिच्छा	,,	6673-26
41.	निजामपुरा ग्रा. से. स. स.	66-67	6673-56
42.	खोडली	,,	213 75
43.	श्यामपुरा	,,	. . —
44.	संवाला	,,	1154-03
45.	लाखाटि किसान	,,	9459-22
46.	आकावरी	,,	3391-16
47.	चांदसेन	,,	361-30
48.	सिकन्दरा	,,	1612-69
			1159-85
		योग ..	5,43,167-30

व्यक्ति सदस्य

49.	श्री हरिसिंह राजपूत नांगलाराजावतान	67:68	370-00
40.	,, रणजीत मीणा रोजापुरा	,,	106-00
51.	,, मोरीलालसिंह मण्डावरी	,,	60-00
52.	,, राधेश्याम तिवाड़ी सिंगवाला	,,	715-00
53.	,, जमनालाल रामबांस तिरवाड़ा	,,	58-15
54.	,, कल्याण सहाय ,	,,	57-15
55.	,, लक्ष्मीनारायण पूर्बिया खोखाल	,,	298-50
56.	,, सत्यनारायण तिवाडी सिंगवाडा	,,	275-00
57.	,, जयनारायण काश्तकार ,,	,,	18-70

Page No.293

1	2	3	4
58.	श्री पृथ्वीसिंह चांवडेडा	67-68	90-08
59.	,, साधूराम किसान गणेशपुरा	,,	72-00
60.	,, गैंदीलाल मीणा शेरपुरा	,,	147-50
61.	,, बृजकिशोर खण्डेलाल कल्लावास	,,	400-00
62.	,, रामकिशोर खण्डेलवाल कल्लावास	,,	2945 50
63.	,, कजोडमल खेरवाल	,,	1161-16
64.	,, किस्तूरीलाल पंजाबी दौसा	,,	63-49
65.	,, कल्याणसिंह राजावत जीरोता	,,	669-28
66.	,, नथूसिंह विजयसिंह मलारणा	,,	4000-00
67.	,, वंशीधर अग्रवाल सैथल	64-65	20-00
68.	,, भारतसिंह राजावत जीरोता	,,	1684-63
69.	,, कन्हैयालाल कुण्डल	76-77	622-23
70.	,, कजोड़मल मीणा शेखपुरा	,,	110-00
71.	,, जैता पुत्र हुंता	,,	500-50
72.	,, घीया मीणा	,,	75-00
73.	,, छोटु पुत्र पांचू	,,	198-50
74.	,, रामचन्द्र मीणा	30-6 82	796-95
75.	,, रामजीलाल सैनी दौसा	,,	100-00
76.	,, रामचन्द्र मीणा चोनी चीलर	,,	10-00
77.	,, बद्री पेलदार महसरा	,,	150-00
78.	,, सीताराम गुप्ता	27-6-80	1-40
79.	,, सोहनलाल बन्शीलाल दौसा	,,	216-62
		योग	15,992-85

अन्य सदस्य

1	खोरातीलाल कुण्डल	वर्ष 65-66	813-46
2.	राम मनोहर ग्रा. दौसा	65-56	267-50
3.	भगवानसिंह भरतपुर	65-66	43-85
4.	निरंजनलाल गुप्ता दौसा	65-66	24-13
5.	रंगलाल मीना	65-66	241-78
6.	नरेन्द्रसिंह सरदार	62-63	281-00
7.	बृज मोहन विजय कुण्डल	65-66	442-70
8.	रामेश्वर प्रसाद दयालपुर	65-66	412-40

1	2	3	4
9.	रामगोपाल दयालपुरा	67-68	59-00
10.	महादेव चौकीदार सिंगवाड़ा	67-68	81-20
11	नरेन्द्रसिंह ग्रा. से. लाललोट	"	150 40
12.	राम सहाय ग्राम सेवक, दौसा	"	50·00
13.	राधामोहन दौसा	"	23-42
14.	नन्दकिशोर चौधरी दौसा	"	110·00
15.	सत्य नारायण प्रेम नारायण	"	86-92
16.	रामजीलाल ग्रा. सेवक	"	469-80
17.	रामस्वरूप	"	20·00
18.	नन्दलाल ग्राम सेवा	"	23-80
19.	मन्नालाल बैरवा कृषि कार्यालय दौसा	"	200·00
20.	रामकिशन विकास अधिकारी दौसा	"	29-65
21.	जगनाथ मीना चीनी डीलर	"	1-00
22.	मूलचन्द मीना प्यारीवास	"	12·00
23.	राम किशोर खाडेलवाल दौसा	"	450·00
24.	जगदीश कारीगर बसवा	80-81	210·00
25.	ए. एस. वर्मा एडवोकेट	"	100·00
26.	कानूराम धोनी डीली थूमडी	"	10·00
27.	बिसना माली सिडोली	"	10·00
28.	बिरजीलाल	"	0·36
29.	देवीशंकर भागल बेरली	"	1-00
			4625-37

कर्मचारी गण

1.	रतनसिंह राजावत भू. पू. लेखापाल	वर्ष 62-63	1012-41
2.	राधेश्याम उपाध्यक्ष (दिरानपुर)	66-67	82·00
3.	नाथूलाल शर्मा सेल्य महुसरा	13-5-81	28·00
4.	शीतल प्रसाद जैन भू. पू.	"	700·00
5.	मूल चन्द शर्मा लेखापाल, दौसा	10-3-82	413 -84
6.	रघुवीर सिंह केशियर	12-11-62	275·59
7.	भवानी शंकर शर्मा स्टोर कीपर	6-11-82	172·68
8.	नानासिंह चपरासी	27-1-83	509·00

1	2	3	4
9.	सीताराम मीना	72-1-83	50-36
10.	छीतर मल चौकीदार	13-11-82	50·00
			6822.08

व्यापारियान तथा फैक्ट्रीयां

1.	मुकुट ट्रेडिंग कम्पनी, सवाईमाधोपुर	65-66	21332-50
2.	सत्यनारायण शिव चरण, दौसा	,,	232-03
3.	डिस्ट्रिक सुपर मारकेट, जयपुर	,,	27·45
4.	लल्लू राम	,,	122-90
5.	किशनलाल राधेश्याम	,,	100-00
6.	भोजा राम शंकरलाल	,,	59-05
7.	राधेश्याम रामेश्वरलाल, दौसा	,,	280-65
8.	श्रलाम चन्द्र रामचन्द्र, जयपुर	,,	270-00
9.	जगदीश नारायण कमलेश्वर कुमार, दौसा	,,	299-15
10.	चिरंजीलाल महादेव प्रसाद, दौसा	,,	230 80
11.	इण्डियन पोटास लि.	80-81	634-57
12.	रिजनल मैनेजर	67-28	52-27
13.	उदयपुर फर्टीलाईजर	74-75	216-76
14.	डी. सी. एम. केमिकल, कोटा	80-81	8943-51
15.	उदयपुर सीमेंट वर्क्स	80-81	8943-51
		योग	35579-35

सरकारी कार्यालय :–

1.	जिला कृषि अधिकारी, दौसा	81-82	35548.67
2.	सन्डोज इण्डिया लि.	81-82	1776.15
3.	अरोड प्रा. लि.	81-82	84.76
4.	राजस्थान स्टेट सीड्स को.	,,	36486.40
5.	भारतीय खाद निगम	,,	367.68
6.	उपभोक्ता शाखा, जयपुर	,,	377.66
7.	लेड पेपर हाउस	,,	450.00
8.	मलेरिया विभाग, दौसा	,,	38.82

1	2	3	4
9.	डिस्ट्रिक पोल, जयपुर	81-82	258.80
10.	न. पा. दौसा	"	488.00
11,	प्र. स. दौसा	"	—
12.	राज. छात्रवास, दौसा	"	1634.10
13.	अति. जिला शिक्षा अधिकारी	"	—
14.	प्रबन्ध कारागार गृह, दौसा	"	123.10
15.	राज्य बीमा विभाग, दौसा	"	423.16
		योग –	
16.	महालेखाकार, जयपुर		350.40
17.	कृषि उपज मण्डी, दौसा	30-6-82	756.83
18.	निर्वाचन शाखा, दौसा	"	4969 55
19.	एन. सी. सी. एम.	"	367 68
20.	कृषि उपज मण्डी, बान्दीकुई	"	127.30
21.	कोपरेटिव यूनियन	"	440.00
22.	पडासोली	"	92.06
23.	कृषि मार्ग बडव	"	42 82
24.	ग्राम प., रजवास	"	554.62
25.	ग्रा. प., श्यालावास,	"	700.00
26.	बान्दीकुई क्रय विक्रय	30-6-75	801.00
27.	चौमू क्रय विक्रय	"	170.25
28.	लालसोट ग्राम पंचायत	30-6-66	5850.89
29.	पंचायत समिति लालसोट	"	3501.89
		योग....	94799-98
	कुल योग:—		4,00,986.93

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 360 को सूची

सूची स्वीकृत राहत कार्य प्रभाव स्थिति सं० 2039 जिला बून्दी

क्र. सं.	नाम तहसील	अभिकरण	कार्य का नाम	कार्य चालू होने की दिनांक
1.	बून्दी	सा. नि. वि.	बून्दी-चित्तौड़ रोड आधुनिकरण	27-2-83
2.	„	„	एप्रोच रोड़ लक्ष्मीपुरा डोरा-सुतड़ा	—
3.	„	„	पाकलपुरिया से मंडावरा	—
4.	„	„	नमाना से मडावरा वाया आमली	—
5.	„	„	गरड़दा से भोपातपुरा	1-3-83
6.	„	वन विभाग	मुदेड़ क्लोजर	—
7.	„	„	खटकड़ क्लोजर क्षेत्र नेनमा)	29-1 83
8.	„	„	झरपीर क्लोजर	—
9.	„	„	काली डुंगरी क्लोजर	—
10.	„	„	केवडिया कमलोई क्लोजर	29-1-83
11.	„	„	डाबी पंलका क्लोजर	—
12	„	सिंचाई वि.	चांदा का तालाब	...
13.	„	„	माला का तालाब	—
14.	„	„	डोरा टेंक	—
15.	„	„	अस्तोवी एनीकट (क्षे० हिन्डोली)	30-1-83
16.	„	„	भेरू की पुल	—
17.	„	„	कल्याणपुरा टेंक	—
18.	„	„	कंवरपुरा टेंक	—
19.	„	„	गांव की पुल	—
20.	„	„	थड़ी टेंक	—
21.	„	„	हरदा पिकअप वियर	—
22.	„	भू-संरक्षण	चरागाह विकास कछालियां	—
23.	के० पाटन	वन विभाग	लुनावा क्लोजर	—
24	„	सा.नि.वि.	पापड़ी से बांसवाड़ा	—

1	2		3	4
25.	के. पाटन	सा. नि. वि.	फोलाई से भेसखेड़ा	—
26.	उप तहसील इन्द्रगढ	,,	इन्द्रगढ़ से डीबरी	
27.	(क्षेत्र पीपल्दा)	,,	इन्द्रगढ़ से कमलेश्वर	—
28.	,,	,,	एप्रोच रोड़ अन्धोरा	—
29.	,,	वन विभाग	गेंदापुरा क्लोजर	—
30.	नैनवां	सा. नि. वि.	आंतरदा से करवर	1-3-83
31.	,,	,,	जरखोदा से करवर	26-2-83
32.	,,	,,	खासपुरिया से गम्भीरा-समिधि	—
33.	,,	,,	बामन गांव से समिधी	—
34.	,,	सिंचाई वि.	अरनेठा तालाव	—
35.	,,	,,	बटावदी टैंक	—
36.	,,	,,	फलास्तुनी एनीकट	21-2-83
37.	,,	,,	गुरजतिया एनीकट	17-2-83
38.	,,	भू. सं. वि.	बम्बूली वाटर रोड	4-2-83
39.	,,	,,	रेठोदा चरागाह	2-2-83
40.	,,	,,	चरागाह विकास-कोलाहेडा	—
41.	,,	सिंचाई वि.	बांक्या नया गांव	—
42.	,,	वन विभाग	पीपल्या माणकचौक क्लोजर	1-2-83
43.	,,	,,	अरियाली बुढ करवर	1-2-83
44.	,,	,,	रामगढ़ नर्सरी	16-2-83
45.	,,	,,	जजावर क्लोजर	—
46.	हिण्डोली	सा. नि. वि.	डाट्टन्दा से बसोली–ओवन	25-2-83
47.	,,	,,	नेगढ से बसोली	23-2-83
48.	,,	,,	एप्रोच रोड थाना-वाया रघुनाथपुरिया सहसपुरिया	—
49.	,,	सिंचाई वि.	विषधारी डेम	21-2-83
50.	,,	,,	मरडिया बांध	3-2-83
51.	,,	,,	विजयगढ टैंक	20-2-83
52.	,,	,,	खेरखटा एनीकट	4-2-83
53.	,,	,,	ब्राहम्णी की झो. एनीकट	20-2-83
54.	,,	,,	सतवाना तालाब	—
55.	,,	,,	थाना का तालाब [मेंढी]	—

1	2		3	5
56.	हिन्डोली	भू-संरक्षण	चरागाह विकास वगारा	—
57.	,,	,,	चरागाह विकास बटवाडी	—
58.	,	,	चरागाह विकास पायरा	—
59.	,.	.	चरागाह विकास भीमगंज	—
60.	,,	सिंचाई विभाग	फतेहगढ एनीकट	6-2-83
61.	.,	वन विभाग	शिकारबुर्ज क्लोजर	—
62.	,	,,	डाबेटा क्लोंजर	1-2-83
63.	,,	,,	डाट्टन्दा क्लोजर	7-2-83
64.	,,	,,	विजयगढ क्लोजर	8-2-83
65.	,,	;	खीन्या क्लोजर	2-2-83
66.	,,	,,	पंगारा क्लोजर	1 2-83
67.	,,	,,	विशनपुरा क्लोजर	8-2-83
68.	,,	,	भीमगंज क्लोजर	8-2-83
69.	,,	,,	बसोली नर्सरी	1-2-83

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 361 की सूची

वर्ष 1982 में कराये गये अकाल राहत गोचर सुधार कार्यों की सूची :—

क्र. सं.	नाम कार्य	क्र. सं.	नाम कार्य
1.	गुन्दोज	31.	निपल
2.	किरवा	32.	निपल
3.	चांगवा	33.	बागोल
4.	चांगवा	34.	देसुरी
5.	बिजोवा	35.	बिजापुर
6.	घेनडी	36.	बेडा
7.	देसुरी	37.	पाचुन्डा
8.	डायलाना	38.	खिवाडा
9.	ढालोप	39.	पोमावा
10.	भगर तालाब	40.	मालपुरिया
11.	सादड़ी	41.	चन्दलाई
12.	करणावा	42.	धिनावास
13.	रघुनाथपुरा	43.	बिलावास
14.	खिमेल	44.	धिनावास
15.	कोटवालिया	45.	धुरासनी
16.	बलवाना	46.	सिन्दरली-II
17.	बडगांव	47.	बलाडा
18.	बिलावास	48.	मोहराई
19.	धुरासनी	49.	पाटवा
20.	गांगुडा	50.	विरमपुर
21.	सुरायता	51.	कुडकी
22.	खातीखेडा	52.	सिन्दली II
23.	दयालपुरा	53.	दुदोड
24.	चोखेडी	54.	बलुन्दा
25.	खारडा	55.	कालू
26.	जवाली	56.	आगेवा
27.	आकडावास	57.	सांगावास
28.	मांडल	58.	थरासी
29.	सिन्दरली	59.	आसरलाई
30.	आणा		

परिशिष्ट-11

परिशिष्ट "11"

अतारांकित प्रश्न संख्या 362 की सूची

प्रभाव ग्रस्त क्षेत्र में वाटर टैंकरों से किये जा रहे पेयजल परिवहन वाले ग्रामों की सूची

क्र० सं०	नाम ग्राम जहां टैंकरों से जल परिवहन किया जा रहा है
1.	सलखा
2.	दोमोदरा
3.	दुजासर
4.	पोछीना
5.	करडा
6.	बीजराज का तला
7.	छःढाणी
8.	हमीरनाडा
9.	सीके की ढाणी
10,	रूपसिंह की ढाणी
11.	जियाई
12.	छबेल
13.	जियाई
14.	काहला

परिशिष्ट-12

अतारांकित प्रश्न संख्या 366 की तालिका

जिला-बाड़मेर

क. सं.	नाम तहसील	नाम पशुपोषण केन्द्र	पशु संख्या
1	2	3	4
1.	बाड़मेर	बाड़मेर प्रथम	500
2.	,,	बाड़मेर द्वितीय	,,
3.	,,	बाड़मेर तृतीय	,,
4.	,,	बाड़मेर चतुर्थ	,,
5.	,,	गाणीगांव	,,
6.	,,	जसाई	,,
7.	,,	बायतु भीमजी	,,
8.	,,	बायतु चिमनजी	,,
9.	,,	कवास	,,
10.	,,	बाटाड़	,,
11.	,,	कानोड़	,,
12.	,,	भीमड़ा	,
13.	,,	भाडखा	,,
14.	,,	गिड़ा	,,
15.	,,	क्षाक	,,
16.	,,	गगाला	,,
17.	,,	खड़ीन	,,
18.	,,	रड़वा	,,
19.	,,	दूदाबेरी	,,
20.	,	सुरा	,,
21.	,	चूली	,,
1.	शिव	कोटड़ा	,,
2.	,,	भीमड़ला	,,
3.	,,	मोखाब	,,
4.	,,	गुंगा	,,
5.	,,	गडरारोड़	,,
6.	,,	हरसानी	,,
7.	,,	राणासर	,,
8.	,,	रेडाणा	,,
9.	,,	बालेवा	,,

1	2	3	4
10.	शिव	फोगरा	450
1.	चोहटन	चोहटन	,,
2.	,,	नेतराड़	,,
3.	,,	बीजराड़	,,
4.	,,	मिठराउ	,,
5.	,,	बाखासर	,,
6.	,,	बावडीकलां	,,
7.	,,	आलमसर	,,
8.	,,	साता	,,
9.	,,	बामणोर	,,
10.	,,	ऊपरला	,,
11.	,,	कितनोरिया	,,
12.	,,	कातरवा	,,
1.	गुडामालानी	दूधू	500
2.	,,	गुडामालानी	,,
3.	,,	पायलाकलां	
4.	,,	खुडाला	,,
5.	,,	नोखडा	,,
6.	,,	सिणधरी	,,
7.	,,	छोटू	,,
8.	,,	खुडासा	,,
9.	,,	रावतसर	,,
10.	,,	सणपता	,,
11.	,,	जालबेरी (राणासर)	,,
12.	,,	कबूली	,,
13.	,,	नेडीनाडी (धोरीमना)	,,
1.	सिवाना	जेठन्तरी	,,
2.	,,	करमावास	,,
3.	,,	फूलन	,,
4.	,,	खाखरलाई	,,
1.	पचपदरा	कल्याणपुरा	,,
2.	,,	बागलोप	,,
3.	,,	नेवरी	,,
4.	,,	डोली	,,

1	2	3	4
5.	पचपदरा	पारलू	500
6.	,,	कितनोद	,,
7.	,,	बुडीवाड़ा	,,
8.	,,	टापरा	,,
9.	,,	कालूडी	,,

जिला : जैसलमेर

क्रम सं०	नाम केन्द्र	जैसलमेर	लाभान्वित पशुओं की संख्या
1.	सुल्ताना	जैसलमेर	500
2.	पारेवर	,,	250
3.	लाणेला	,,	300
4.	देवा	,,	200
5.	जैसलमेर (ग्रामीण क्षेत्र)	,,	400
6.	,, ,,	,,	400
7.	भू	,,	200
8.	काणोद	,,	200
9.	मोहनगढ़	,,	300
10.	बान्धन	,,	500
11.	बडोडागांव	,	400
12.	रूपसी	,,	200
13.	जैसलमेर (शहरी क्षेत्र)	,,	500
14.	,,	,	500
15.	देवीकोट	,,	300
16.	मूलाना	,,	400
17.	फतेहगढ़	,,	500
18	मोढा	,,	400
19.	कूण्डा	,,	400
20.	झिंझियाली	,	500
21.	म्याजलार	,,	400
22.	चेलक	,,	500
23.	साजोत	,,	350
24.	अड़वाला	,	300
25.	कोटडी	,,	400

1	2	3	4
26.	खुहड़ो	जैसलमेर	450
27.	सम	,,	400
28.	दामोदरा	,,	400
29.	देवडा	,,	200
30.	हाबूर	,,	350
31.	रामगढ़	,,	450
32.	सिहुराड	,,	200
	तहसील : पोकरण		
33.	सत्याया	,,	250
34.	दिधू	,,	200
35.	नांचना	,,	500
36.	भारमसर	,,	500
37.	नोख	,,	300
38.	लाठो	,,	300
39.	खेतोलाई	,,	200
40.	लोहारकी	,,	500
41.	ऊजला	,,	400
42.	पोकरण (ग्रामीण क्षेत्र)	,,	450
43.	बारट का गांव	,,	400
44.	भनियाना	,,	500
45.	भोखोडाई	,,	400
46.	मैसडा	,,	400
47.	सांकड़ा	,,	500
48.	चोक	,,	400
49.	फलसूण्ड	,,	350
50.	केलावा	,,	200
51.	पोकरण (शहरी क्षेत्र)	,,	500
52.	,, ,,	,,	500
53.	राजमथाई	,,	500

परिशिष्ठ-13

अतारांकित प्रश्न संख्या 369 की सूची

राजस्थान राज्य में सन 1982-83 में प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत आवंटित केन्द्रों की जिलेवार सूची

क्र० सं०	जिले का नाम	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की सं०
1.	अजमेर	500
2.	जयपुर	300
3.	अलवर	600
4.	भरतपुर	300
5.	बीकानेर	300
6.	चुरू	300
7.	गंगानगर	300
8.	झुन्झुनू	300
9.	सीकर	500
10.	जोधपुर	300
11.	बाड़मेर	300
12.	जैसलमेर	300
13.	जालोर	300
14.	नागौर	300
15.	पाली	300
16.	सिरोही	400
17.	उदयपुर	300
18.	बांसवाड़ा	600
19.	भीलवाड़ा	300
20.	डूंगरपुर	600
21.	चित्तौड़गढ़	500
22.	कोटा	300
23.	बूंदी	300
24.	सवाई माधोपुर	500
25.	झालावाड़	300
26.	टोंक	400
27.	धौलपुर	300

परिशिष्ट—14

अतारांकित प्रश्न संख्या 374 की सूची

पंचायत समिति सांगोद, जिला कोटा में विद्युत कनेक्शनों के लिये लम्बित (पेंडिंग) उपभोक्ताओं की सूची जिन्होंने "एल" फार्म दे दिये हैं।

क्र. सं.	उपभोक्ता का नाम	श्रेणी	गांव का नाम	प्रार्थना पत्र देने की तिथि	डिमाण्ड नोटिस जमा कराने की तिथि	एल फार्म प्राप्त होने की तिथि
1.	श्री रामनारायण/रामचन्द्र	कृषि	अतरालिया	4-11-80	1-2-82	2-3-82
2.	,, मातादीनसिंह/कैलाश	,,	,,	24-11-80	10-2-82	11-5-82
3.	,, गोपाल, गोविन्द, गनपत दौलतराम/नारायण	,,	किशनपुरा	11-8-80	4-3-82	18-3-82
4.	,, परमानन्द/मोडूलाल, ओम प्रकाश	,,	रेलावद	18-6-80	11-3-82	7-8-82
5.	,, मांगी लाल/रामपाल	,,	घारखेड़ा	23-4-81	5-5-82	23-11-82
6.	,, बजरंग लाल/शंकर लाल	,,	,,	19-5-80	5-5-82	23-11-82
7.	,, कालू लाल/रामनारायण	,,	,,	23-4-81	5-5-82	23-11-82
8.	,, नूर मोहम्मद/जहांगीर	,,	नागराखेड़ी	19-3-81	19-1-83	39-1-83
9.	,, भंवरलाल/गौरीशंर	,,	आवाँ	24-3-81	21-1-82	21-1-82
10.	,, जानकीलाल/चुन्नीलाल	,,	खेड़लीकाकूला	30-9-80	23-1-82	16-3-82

11.	श्री शिवकरण/ जगन्नाथ	कृषि	आवाँ	16-1-81	9-2-82	20-7-82
12.	,, बालकिशन/ प्रभुलाल	,,	,,	16-2-81	9-2-82	20-7-82
13.	,, सुबहान/ भूराखां	,,	गरडाना	14-4-80	13-1-82	28-7-82
14.	,, रूघनाथ/ नारायण माली	,,	हिंगोनिया	13-3-78	8-2-82	5-8-82
15.	,, नाथूलाल/ नेनगा माली	,,	,,	30-3-81	8-2-82	5-8-82
16.	,, लटूरलाल	,,	माडूहेड़ा	10-11-81	19-10-82	19-10-82
17.	,, विशाना/ भैरूलाल चमार	,,	,,	5-9-81	16-11-81	3-5-82 29-10-82
18.	,, रूघनाथ/ नारायण	,,	गोपालपुरा	27-3-81	25-1-52	1-2-82
19.	,, हीरालाल/ देवलाल माली	,,	भालरी	8-7-80	25-1-82	4-3-82
20.	,, बरजीलाल/ नन्दलाल	,,	,,	8-7-80	25-1-82	4-3-82
21.	,, किशनगोपाल/ मोतीलाल	,,	भालरा	2 -2-81	15-2-82	5-3-82
22.	श्रीमती कालीबाई/ पन्नालाल	,,	गोपालपुरा	14-4-81	16-2-82	11-3-82 30-7-82
23.	श्री रामचन्द्र/ रामनाथ नायक	,,	,,	11-2-82	10-10-82	19-10-82
24.	श्रीमती मोत्याबाई/ बैजनाथ	,,	,,	14-4-81	16-2-82	16-3-82
25.	श्री किशनलाल/ नेनगा नागर	,,	मागोर	11-3-81	1-6-81	14-7-81
26.	,, जगन्नाथ/ भंवरलाल नागर	,,	मायोर	11-3-81	1-6 81	14-7-81 19-5-82

1	2	3	4	5	6	7
27.	श्री हीरालाल/बुच्चीलाल	कृषि	मायोर	11-3-81	1-6-81	14-7-81 19-5-82
28.	,, छीतरलाल/गोपाल नागर	,,	.	24-3-81	1-6-81	14-7-81 19-5-82
29.	,, सरदारसिंह/लालसिंह	,,	केसोली	16-2-81	13-4-81	5-5-81 30-7-82
30.	,, भंवरसिंह/गोर्धनसिंह	,,	,,	16-2-81	13-4-82	5-5-81 30-7-82
31.	,, भंवरसिंह/ओंकारसिंह	,,	,,	16-2-81	13-4-81	5-5-81 30-7-82
32.	,, बजरंगसिंह/नाथूसिंह	,,	,,	16-2-81	13-4-81	5-5-81 30-7-82
33.	,, लक्ष्मण/नन्दा बलाई	,,	,,	16-2-81	13-4-81	5-5-81 30-7-82
34.	,, काशीलाल/धन्नालाल	,,	सलूनिया	25-3-81	27-5-81	10-6-81 14-9-82
35.	,, मथुरालाल/धन्नालाल	,,	,,	25-2-81	27-5-81	10-6-81 14-9-82
86.	,, गोपाललाल/	घरेलू	सावनभादों	19-6-81	1-12-82	9-2-83
37.	,, नन्दकिशोर/	,,	घरेलू घूबेर	3-9-81	1-12-82	17-3-83

38	श्री हुकमचन्द	घरेलू	घरेलू	3–9–81	25–11–82	7–12–82
39.	,, मांगीलाल	,,	,,	3–3–82	22–11–82	7–12–82
40	,, द्वारकालाल मेहर	,,	,,	3–3–82	29–11–82	7–12–82
41.	,, बद्रीलाल मेहर	,,	,,	3–3–82	29–11–82	7–12–82
42.	,, मांगीलाल	,,	सावन-भादों	6–8–82	26–12–82	7–1–83
43.	,, गोपाललाल माली	,,	खजूरी	1–4–82	1–12–82	9–2–83
44.	,, रामदयाल	,,	खजूरी	1–4–82	23–11–82	9–2–83
45.	,, बाबुलाल माली	,,	,,	18–9–82	3–12–82	9–2–83
46.	,, दुर्गालाल मीणा	,,	बृजनगर	18–9–82	24–11–82	13–12–82
47.	,, पन्नालाल	,,	,,	18–9–82	24–11–82	13–12–82
48.	,, किशनलाल	,,	,,	18–9–82	24–11–82	13–12–82
49.	,, अमरलाल	,,	,,	18–9–82	24–11–82	13–12–82
50.	,, रामगोपाल	,,	,,	18–9–82	24–11–82	13–12–82
51.	,, दुर्गाशंकर	,,	देवली	1–4–82	1–12–82	7–2–83
52.	,, हीरालाल	,,	,,	1–4–82	24–11–82	7–2–83
53.	,, खलील अहमद	,,	गरडाना	1–4–82	11–11–82	9–2–83

1	2	3	4	5	6	7
54.	श्री घनश्याम	घरेलू	नरडाना	6–8–82	11–11–82	9–2–83
55.	,, छोटूलाल	,,	झावरी	28–7–82	30–11–82	7–1–83
56.	,, छोटूलाल	,,	गुन्दारा	2–11–81	29–11–82	17–2–83
57.	,, देवीलाल	,,	,,	3–11–81	27–10–82	17–2–83
58.	,, रामलाल	,,	,,	3–11–81	17–11–82	17–2–83
59.	,, लड्डूलाल	,,	,,	3–11–81	27–11–82	17–2–83
60.	,, फूलचन्द	,,	,,	10–11–81	27–11–82	17–2–83
61.	,, गोपाल	,,	,,	13–11–81	27–11–82	17–2–83
62	,, हीरालाल	,,	,,	13–11–81	27–11–82	17–2–83
63	हिन्दु धर्मशाला	एन.डी.एस	डगी	1–4–82	1–12–82	9–2–83
64.	मंदिर दिगम्बर जैन	,,	,,	1–4–82	24–11–82	9–2–83
65.	श्री नथराम नागर	घरेलू	,,	4–9–82	3–12–82	9–2–83
66.	,, सुशील कुमार.	,,	,,	4–9–82	3–12–82	9–2–83
67.	रीडलाई (सरपंच)	स्ट्रीट लाईट	बालुहेड़ा	2–3–82	15–5–82	12–11–82
68.	,,	,,	खेड़की का कून्या	2–3–82	15–5–82	12–11–82
69.	(कालूहेडा)	,,	अमरहेड़ी	2–3–82	15–5–82	14–11–82
70.	,, (बालूहेड़ा)	,,	झालरी	2–3–82	15–5–82	14–11–82

पंचायत समिति, सुल्तानपुरा, जिला कोटा में विद्युत कनेक्शनों के लिए संभिवन्धित (पेंडिंग) उपभोक्ताओं की सूची जिन्होंनें 'एल" फार्म दे दिये

क्रमांक	उपभोक्ता का नाम	श्रेणी	गांव का नाम	प्रार्थना पत्र देने की तिथि	डिमांड नोटिस जमा कराने की तिथि	एल फार्म प्राप्त होने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री छोटू लाल/ जगन्नाथ	घरेलु	रेलगांव	14-9-81	8-3-82	12-8-82
2	,, केशरी लाल/ रामचन्द्र	,,	,,	14-9-81	8-3-82	12-8-82
3.	,, बाबूलाल/गजाजी	,,	,,	14-9-81	8-3-82	12-8-82
4.	,, रामलाल/ परमा खटीक	,,	,,	14-9-81	8-3-82	12 8-82
5.	,, ग्राम मंदिर द्वारा					
	, रामकिशन	वाणिज्य	दरवीजी	21-11-81	11-3-82	12-8-82
6.	,, मेऊ लाल/ छूली लाल	घरेलु	,,	,,	,,	,,
7.	,, पन्ना लाल नन्द लाल	,,	,,	,,	,,	,,
8.	,, मोहन लाल/ जगन्नाथ	,,	,,	,,	,,	,,
9	,, कन्हैया लाल/कंवर लाल	,,	,,	,,	,,	,,
10.	,, देवीलाल/ चन्दा लाल	,,	,,	,,	,,	,,
11.	,, कालु लाल/ मेउ लाल	,,	,,	,,	,,	,,
12.	,, राजेन्द्र कुमार/ केसरी	,,	,,	,,	,,	,,
13.	,, राम कुमार/भंवर लाल					

1	2	3	4	5	6	7
14.	श्री गंगा राम/रघुनाथ	घरेलु	दरवीजी	21-11,81	11-3-82	12-8-82
15.	,, सुरजमल/जगन्नाथ	,,	,,	.	,,	,,
16.	,, ब्रजमोहन/भंवर लाल	,,	,,	,,	,,	,
17	,, कल्याण/घूली लाल	,,	,,	,,	.	,,
18.	,, केशरी लाल/मोती लाल	,,	,,	,,	,,	,,
19.	,, राम किशन/नारायण	,,	,	,,	,,	,,
20.	,, छीतर लाल श्यामदास	,,	,,	,,	,,	,,
21.	,, लटूर लाल/धन्ना लाल	,	,,	,,	,,	,,
22	,, गजानन्द/ग्यारसी राम	,,	,,	,,	,,	,,
23.	, कस्तूर चन्द, देवलाल	,,	,,	,,	,	,,
24.	, मोहन लाल/रामदास	,	,,	,,	,,	,
24.	,, केशरी लाल/चतुरभुज	,,	,,	,,	,,	,
26.	,, रामचन्द्र/मगालाल	,,	बरग	11-9-81	8-3-82	16-8-82
27.	,, रतन लाल, रंगलाल	,,	•	,,	,,	,,
28.	,, जगन्नाथ/माधो धोबी	,,	,,	,,	,,	.
29	,, रामचन्द्र/श्रवण रेगर	,,	बरग	14-10-81	8-3-82	16-8-82
30	,, राम बिलास/नन्द लाल	,,	,,	4-11-81	,,	,,
31.	,, लक्ष्मीनारायण/फूंदी	,,	,,	,,	,,	,,
32.	, मूर्ली लाल/नाथूलाल	,,	,,	,,	,,	,,
33.	,, हीरालाल/बशीलाल	,,	,,	,,	,,	,,

Page No.314

34	श्री लक्ष्मीनारायण/नन्द लाल	घरेलू	बरग	4-11-81	8-3-82	16.8-82
35.	,, राम भरोसे/लक्ष्मी	,,	,,	,,	,,	,,
36.	,, मुकुटबिहारी/प्रताप	,,	,,	,,	,,	,,
37.	,, बाबुलाल/धन्ना लाल	,,	चोमकटे	,,	29-4-82	,,
38.	,, ओम प्रकाश/हीरालाल	,,	,,	30-11-81	,,	,,
39.	,, लटूर लाल/नन्दलाल	,,	,,	,,	,,	,,
40.	,, महावीर प्रसाद/गोपाल	,,	डूगरल्या	11-3-82	21-8-82	21-8-82
41.	,, नन्द किशोर/गोरधन	,,	,,	,,	,,	,,
42,	,, पून्च शकर/बन्शी लाल	,,	,,	,,	,,	,,
43.	,, मन्ना लाल/किशन	,,	कराडिया	15-3-82	21-8-82	8-9-82
44.	,, चौथमल/मेऊलाल	,,	खेड़ली काल्या	25-2-82	20-8-82	,,
45.	,, नन्द किशोर/मथुरा	,,	रेवगांव	23-3-82	23-8-82	,,
46.	,, कन्हैया लाल/गोविन्द	,,	हनोतिया	,,	,,	8-9-82
47.	,, पुष्पचन्द्र/श्रीराम	,,	कराडिया	27-1-82	21-8-82	8-9 83
48.	,, अमर लाल/प्रभुलाल	,,	,,	,,	,,	,,
49.	,, मोड़ूलाल/ओंकार	,,	,,	,,	,,	,,
50.	,, मोहन लाल/कल्याण	,,	,,	,,	,,	,,
51.	,, राम गोपाल/गणपत	,,	सारोल	15-4-82	23-8-82	29-9-82
52.	,, मती संतोक्षो/राम कल्याण	,,	,,	,,	,,	,,
53.	,, राम पाल/मोतीराम	,,	,,	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7
54.	श्री बद्रीनाथ/गणपत लाल	घरेलू	सारोला	15-4-82	23-8-82	29-9-82
55.	,, राजेन्द्र कुमार/ बुध्द लाल	,,	निगोदी	22-12-81	[illegible]-5-82	12-10-82
56.	,, बिरधी लाल/ रामनायक	,,	कल्यास पुरा	4-1-82	19-8-82	11-11-82
57.	,, लट्टर चन्द्र/ भेरूलाल	,,	,,	3-9-82	18-10-82	,,
58.	,, राधेश्याम/ रामकथा	,,	,,	,,	,,	,,
59.	,, धन्ना लाल/पन्ना लाल	,,	,,	,,	,,	,,
60.	,, जोधराज/ प्रभुलाल	,,	,,	,,	,,	,,
61.	,, राधा किशन/गोबरी	,,	,,	,,	,,	,,
62.	,, पांचूलाल/ मांगीलाल	,,	,,	,,		

सुलतानपुर जिला कोटा

63.	श्री घनश्याम/प्रभुलाल	घरेलु	कल्याणपुर	3-9-85	18-10-82	1?-11-82
64.	,, छीतरलाल/ भैरूलाल	,,	,,	,,	,,	,,
65.	,, गणेशराम/ देवलाल	,,	,,	,,	,,	,,
66.	,, अब्दुल हमीद/ बशीर	,,	,,	,,	,,	,,
67.	,, रामप्रसाद/ भैरूलाल	,,	मोरया	31-3-82	22-11-82	25-11-82
68.	,, घनश्याम/छीतरलाल	,,	खेरली	29-9-82	7-12-82	27-11-82
69.	,, हरीलाल/कन्हैयालाल	,,	,,	,,	,,	,,

70.	श्री गोविन्दलाल/ मथुरा	,,	मेहन्दी	24–4–82	10–12–82	13–12–82
71.	,, शिवपाल/छोटुलाल		मोरया	3–5–82	23–11–82	,,
72.	,, आनन्दीलाल/जगन्नाथ	,,	,,	,,	,,	,,
73.	,, बन्शीलाल/ रघुनाथ	,,	,,	,,	,,	,,
74.	,, हंसराज/ घीसीलाल	,,	,,	28–7–82	,,	,,
75.	,, राधेश्याम/ रामनाथ	,,	,,	,,	,,	,,
76.	,, कालुलाल/ हीरालाल	,,	तीरन	25–8–82	13–12–82	24–12–82
77.	,, घनश्याम/घीसीलाल	,,	,,	,,	,,	,,
78.	,, बाबुलाल/ जुम्माशाहसी पी. डी.	,,	मोरया	,,	,,	15–1–83
79.	,, कालुलाल/चम्पालाल	,,	उद्योग	21–10–82	21–2–83	21–2–83
80.	,, प्रबंधक खेत द्वारा	निदेशक	दीगोद	24–9–81	18–11–82	1–2–82
81.	,, कार्यालय	,,	सीपीपी	,,	,,	,,
82.	,, प्रयोगशाला	,,	,,	,,	,,	,,
83.	,, कृषि	,,	कृषि	,,	,,	,,
84.	,, ,,	,,	घरेलु	,,	,,	,,
85.	,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,
86	,, ,,	,,	,,	,,	,,	,,
87.	श्री गिरराज कुमार/ बनवारी	डोएलए सुलतानपुरा		4-10-82	25-11-82	27-11-82
88.	,, अनुकुल चन्द/निदनाथ	घरेलु	,,	30-10-82	27-11-82	,,
89.	,, कवरलाल/केसरी	,,	,,	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7
90	,, छोटू लाल/मन्नालाल	घरेलु	सुलतानपुर	30-10-15	2-1-82	27-11-82
91.	,, राधेश्याम/ भंवरलाल	,,	,,	14-7-82	3-9-82	,,
92.	,, बजरंगलाल/बंशीलाल	,,	,,	16-9-82	27-11-82	,,
93.	,, दशरथ कुमार/ रामलाल	,,	,,	11-8-82	23-11-82	28-11-82
94.	,, अब्दुल वहिद/अमीर	,,	,,	,,	27-11-82	,,
95.	,, रामगोपाल/ जगन्नाथ	,,	,,	28-8-82	13-[illegible]-82	13-12-82
96.	,, बाल मुकन्द/ जगन्नाथ	,,	,,	8-2-82	3-9-82	13-12-82
97.	,, रामचन्द्र पटवारी	,,	,,	25-8-82	7-12-82	,,
98.	,, ओमप्रकाश/मांगी	,,	,,	,,	13-12-[illegible]2	,,
99.	,, भगवतीप्रसाद/ मांगी	,,	,,	29-9-82	7-12-82	
100	,, ओम प्रकाश/ शिवनाथ	,,	,,	,,	,,	,,
101.	,, कैलाश/सूरज मल	,,	,,	25-8-82	13-12-82	13-12-82
102.	,, अरविन्द कुमार/ प्रभु	,,	,,	,,	,,	,,
103.	,, हजारीसिंह/तारा	,,	,,	4-10-82	,,	,,
104.	,, महेन्द्र कुमार/बनवारी	,,	,,	29-9-82	,,	14-12-82
105.	,, जसवन्तसिंह/ मंगल	,,	,,	,,	7-12-82	,,
106.	,, भंवरदीन/अहमद शाह	,,	,,	4-10-82	,,	,,
107.	,, मदन मोहन/ रामनाथ	,,	,,	29-9-82	,,	,,
108.	,, रामप्रसाद/बद्री	,,	,,	4-10-82	13-12-82	15-12-82
109.	,, भैरूलाल/भोजराज	,,	,,	,,	6-12-82	,,

110.	श्री लाल मो०/अलादीन	घरेलू	सुलतानपुर	4·10·82	6-12-82	15-12-82
111.	,, नानुलाल/ याकूबखां	,,	,,	,,	,,	,,
112.	, निहाल अहमद/गजल	,,	,,	,,	,,	,,
113.	,, हनीफ/ बाकर	,,	,,	29-9-82	13-12-82	,,
114.	,, रोडलाइट ग्रा० प०	रोड लाईट बडोद		डुप्लीकेट पत्रावली	बनाई गई	,,
115.	,, नाथूलाल/ विरधी	घरेलू	बडोद	29·9-83	13-12-82	15-12·82
116.	,, प्रभूलाल/ गोपाल	,,	,,	4·10-82	22-11-82	24-12·82
117.	,, गंगाबिशन/ कंवरलाल	,,	,,	,,	13-12-82	,,
118.	, मूलचन्द/ गोविन्द	,,	,,	29-9-82		,,
119.	,, प्रभूलाल/ बालचन्द	,,	,,	,,	,,	,,
120.	,, पुरुषोत्तम/ रामनारायण	,,	सुलतानपुर	,,	6-12-82	,,
121.	,, रामनारायण/कालू	,,	,,	,,	,,	,,
122.	,, बद्रीलाल/ कालूलाल	,,	,,	,,	,,	,,
123.	श्रीमती अनोखी/कन्हैया	,,	,,	28-8-82	10-12-82	,,
124.	श्री शंकरलाल/ लटूर	,,	,,	,,	,,	,,
125.	,, सुन्दरदास/रामलाल	,,	,,	,,	,,	,,
126.	, मदनलाल/लटूरलाल	,,	,,	,,	,,	,,
127.	,, नूरमोहम्मद/ छीतर	,,	,,	17-7-81	27-8-82	,,
128.	,, जसवन्त/ गिरधारी	,,	,,	27-8-82	26·11-82	15-1-83
129.	,, नन्नूखां/नूरमोहम्मद	,,	,,	5-2-82	21-8·82	,,

1	2	3	4	5	6	7
130.	श्री राधेश्याम/माधो	घरेलू	सुलतानपुर	6-10-82	7-12-82	25-1-83
131.	,, महावी/ मांगी	,,	,,	25-8-82	29 11-82	2-3-83
132.	,, रामनारायण/बिशन मंडल कर्मचारी	,,	,,	,,	,,	,,
133.	,, हरीप्रकाश/रामकल्याण मंडल कर्मचारी	,,	,,	,,	,,	,,
134.	,, बद्रीलाल/किशना	,,	,,	,,	,,	,,
135.	,, सीताराम/नारायण	,,	,,	,,	,,	,,
136.	,, रामकल्याण/भूरा	,,	,,	,,	,,	,,
137	,, बाबूलाल/घासीलाल	,,	बम्बोली	4-10-82	13-12-82	,,
138.	,, नन्दकिशोर/गोविन्दा	,,	,,	,,	,,	,,
139.	,, भंवरलाल/केदार	,,	,,	,,	,,	,,
140.	,, सत्यनारायण/कन्हैया	,,	,,	,,	,,	,,
141.	,, सीताराम/कन्हैयालाल	,,	,,	,,	,,	,,
142.	,, बजरंगलाल/रामकरण	,,	,,	,,	,,	,,
143.	,, हनुमान/ओंकारलाल	,,	,,	,,	,,	,,
144.	,, प्रभुलाल/गोवरीलाल	,,	सुल्तानपुर	25-8-82	26-11-82	2-3-83

परिशिष्ट–15

अतारांकित प्रश्न संख्या 377 की सूची

जिला झुंझुनु में अविद्युतीकृत गांवों की पंचायत समितिवार सूची।

क्र. सं	गांव का नाम	कोड नम्बर	पं०स०	अन्य विवरण
1.	खाली	4·1·1	अलसीसर	
2.	बाडेर	4·1·2	,,	
3.	चिमनपुरा	3	,,	
4.	बास रामशेखपुरा	4	,,	
5.	पातुसर	5	,,	
6.	बासश्योदयालपुरा	6	,,	
7.	जालिमपुरा	7	,,	
8.	कालियासर	8	,,	
9.	बासकालियासर	9	,,	
10.	ढानी चारण	10	,,	
11.	खोरी	16	,,	
12.	भाण्डाकाबास	17	,,	
13.	चक राणासर	18	,,	
14.	ढाणी चारण	19	,,	
15.	नाथपुरा	20	,,	अवद्यीकृत ग्राम
16.	राणासर	21	,,	
17.	श्योपुर	23	,,	
18.	मनरूपपुरा	24	,,	
19.	जथवाखुर्द	27	,,	
20.	बास हरीपुरा	28	,,	
21.	चक नौला	29	,,	
22.	जथावा कला	30	,,	
23.	घेदसर	32	,,	
24.	चन्डावा	33	,,	
25.	कोडेसर	36	,,	
27.	नाथासर	37	,,	
27.	बिदासर	38	,,	
28.	नेहराबास	40	,,	
29.	मोगा	42	,,	

Page No.321

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नम्बर	पं. सं.	अन्य विवरण
30.	न्योला	43	अलसीसर	
31.	गोविन्दपुरा	44	,,	
32.	पाण्डासी	4-1-46	,,	
33.	मरोदा	50	,,	
34.	सेरीया	51	,,	
35.	ढाणी चारण	60	,,	
36.	हमीरवास	61	,,	
37.	खिणासर	62	,,	
38.	बिरमी	63	,,	
39.	बाशपुरिया	64	,,	
40.	पुरिया	65	,,	
41.	श्यामपुरा	81	,,	
42.	सिरवासर खुर्द	82	,,	अस्वीकृत ग्राम
43.	बिसनपुरा	83	,,	
44.	चुडेला	84	,,	
45.	दौलतपुरा	85	,,	
46.	हंसासर	86	,,	
47.	खडखडी	90	,,	
48.	लूणा	91	,,	
49.	जैतपुरा	92	,,	
50.	गोपालपुरा	93	,,	
51.	हणुतपुरा	96	,,	
52.	रिजानी	108	,,	
53.	नांद	109	,,	
54.	नांदकाबास	110	,,	
55.	दैयोता	4-3-65	खेतडी	
56.	तातीजा	67	,,	
57.	खडखेड़ा	120	,,	
58.	भोथेडा	126	,,	
59.	श्यामपुरा	127	,,	
60.	बाजोनी	128	,,	
61.	तेलाबटी	129	,,	
62.	बीलवा	130	,,	
63.	बुरका	162	,,	

Page No.322

क्र. स.	गांव का नाम	कोड नंबर	पं. सं	अन्य विवरण
64.	चुदेरा	175	,	स्वीकृत ग्राम
65.	खुरांद	164	,,	
66.	बगेरा	131	,,	
67.	रामपुरा	157	,,	
68.	बन्सीयाल	159	,,	
69.	तिहाड़	132	,,	
70.	मन्दरी	143	,,	
71.	त्योन्डा	158	,,	
72.	कांकरिया	144	,,	
73.	राजोड़ा	141	,,	
74.	खातीपुरा	142	,	
75.	रावन	145	,,	
76.	जुजारपुरा	138	,,	
77.	गोरधनपुरा	66	भुहाना	

परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 378 की सूची

कार्यालय आचार्य राजकीय केन्द्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर

क्रम संख्या	नाम अध्यापक/अध्यापिका	पद	योग्यता	विषय	विद्यालय में निरन्तर कार्य करने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती तारा सेठी	आचार्य	एम. ए. बी. एड.	राज. शा./बी. ए. जीव वि., वनस्पति, विज्ञान, रसायन	16-8-79
2.	,, सरोज मित्तल	प्रधानाध्यापिका	एम. एस. सी. बी. एड.	विज्ञान बी. एस. सी. गणित. रसायन. भौतिक एम. एस. सी. गणित	28-11-78
3.	श्रीमती पुष्पा सूद	व्याख्याता	एम. ए. बी. एड.	बी. ए. अर्थशास्त्र, इतिहास, हिन्दी, एम. ए. अर्थशास्त्र	27-7-67
4.	,, शीला सक्सेना	,,	,, ,,	बी. ए. हिन्दी, गृह वि. संगीत एम. ए. संगीत	10-10-65
5.	,, शारदा माथुर	,,	एम. एस. सी. बी. एड.	बी. एस. सी. हिन्दी, अंग्रेजी गणित, एम. ए. गणित	10-7-65
6.	,, वेद नारंग	,,	एम. ए. बी. एड.	बी. ए. अर्थ शा. हिन्दी, राज. शा. एम. ए. अर्थ शास्त्र	19-4-71
7.	,, सत्या कृष्ण	,,	बी. ए.	हिन्दी, इतिहास, मनोविज्ञान, एम. ए. हिन्दी	30-12-75
8.	,, जी. बी. थोर	,,	एम. ए. बी. एड. डी. पी. एड.	बी. ए. भूगोल समाज शास्त्र अर्थ शास्त्र एम. ए. भूगोल	6-11-70
9.	,, शकुन्तला गोयल	,,	एम. ए. बी. एड.	एम. ए. हिन्दी बी. ए. राज. शा. गृह शा. हिन्दी	8-8-81
10.	,, गायत्री गुप्ता	,,	एम. ए. बी. एड.	एम. ए. हिन्दी, बी. ए. समाज शा. गृह वि.	20-8-80
11.	,, मधुर भाषिणी कपूर	,,	एम. ए. बी. एड.	एम. ए. अंग्रेजी, बी. ए. राज. शा.	31-7-82

1	2	3	4	5	6
12.	श्रीमती सुमन सक्सेना	व्याख्याता	एम. ए. बी. एड.	एम. ए. हिन्दी, बी. ए. अर्थ शा. राज. शा ; हिन्दी	2-7-77
13.	,, मुंजु जैन	,,	एम. ए. बी. एड.	एम. ए. राज शा ; बी. ए. हिन्दी, राज. शा. इतिहास	4-10-78
14.	श्रीमती बीना कुलश्रेष्ठ	व्याख्याता	एम.एस.सी.बी.एड.	एम.एस.सी. जीव वि. बी.एस.सी. रसायन वि. जीव वि. वनस्पति	6-12-78
15.	,, गुणवंती केवलरमानी	,,	एम.ए. ,,	एम.ए. इतिहास, बी.ए. हिन्दी. साहित्य अर्थ शास्त्र समा. शा.	28-6-80
16.	,, निर्मला दवे	,,	,, ,,	एम.ए. संस्कृत, बी.ए. हिन्दी, अर्थ शा. राज. शा.	24-4-74
17.	,, आशा जैन	,,	एम.एस.सी. ,,	एम.एस.सी. भौतिक बी.एस.सी भौतिक रसायन जन्तु वि.	3-6-78
18.	,, मिथलेश तिवारी	,,	एम.ए. ,,	एम.ए. राज. शा. बी.ए. हिन्दी, राज. शा. समाज शा.	3-9-77
19.	श्री श्रीचन्द डियालानी	,,	एम.एस.सी. ,,	एम.एस.सी. भौतिक बी.एस.सी. भौतिक, रसायन गणित	6-8-79
20.	श्रीमती कम्मो जैन	,,	एम.ए. ,,	एम.ए. अंग्रेजी बी.ए. अंग्रेजी, इतिहास समाज शा.	8-9-80
21.	,, रजनी भार्गव	,,	,, ,,	,, ,, समाज शा, भूगोल	23-2-76
22.	,, निरजा वर्मा	,,	एम.एस.सी. ,,	एम.एस.सी. रसायन शा., बी.एस.सी. भौतिक रसायन जीव वि.	17-1-81
23.	,, बदरजहां	,,	एम.ए. ,,	एम.ए. उर्दू, बी.ए. उर्दू इतिहास, राज. शा.	17-1-81
24.	,, धामा खिची	,,	,, ,,	,, इतिहास, बी.ए इतिहास राज. शा.	12-8-81
25.	,, पुष्पा अवस्थी	,,	,, ,,	,, अंग्रेजी ,, हिन्दी राज. शा., समाज शा.	13-9-79
26.	,, मनोरमा भटनागर	सहायक अ. (दि.वे.शृं),	,,	,, राज. शा. राज. शा, हिन्दी अर्थ शा.	7-4-76
27.	,, कमला शर्मा	,,	,, ,,	,, हिन्दी ,, राज. शा. हिन्दी, समाज शा.	3-1-78
28.	,, उमा जोशी	,,	बी.ए. ,,	बी.ए. अर्थ शा. राज. शा. इतिहास समाज शा.	26-9-76

1	2	3	4	5	6
29.	श्रीमती लक्ष्मी टंडन	स.अ.दि.वे.श्रृ.	एम.ए. बी.एड	एम.ए. अर्थ शा. बी.ए. अर्थ. हिन्दी, अर्थ शा. राज शा.	31-7-80
30.	,, चांद तुनवाल	,,	,, ,,	एम.ए. इतिहास, बी.एस.सी. रसायन शा. ज्युलोजी, बोटनी	8-7-77
31.	,, तारा गुप्ता	,,	,, ,,	एम.ए. अर्थ शा. बी.एस.सी. भौतिक रसायन गणित	21-8-80
32.	,, प्रभा शर्मा	,,	,, ,,	,, इतिहास. बी.ए. राज. शा. संगीत समाज शा.	10-7-76
33.	,, आशा शर्मा	,,	,, ,,	,, राज. शा. बी.ए. हिन्दी राज. शा. अर्थ शा.	23-8-80
34.	,, सरला पुरोहित	,,	,, ,,	,, राज. शा. बी.एस.सी. रसायन, जीव वि. वनस्पति	25-7-79
35.	,, शकुन्तला चौधरी	,,	,, ,,	,, इतिहास, अर्थ शा. बी.ए. हिन्दी. गृह शा. अर्थ शा.	18-9-76
36.	,, सुशीला कांता पाठक	,,	,, एल.टी.	एम.ए. भूगोल बी.ए. हिन्दी, भूगोल, दर्शन शा.	28-6-76
37.	,, अनिलकुमारी		बी.ए.बी.एड.	बी.ए. अंग्रेजी, संस्कृत, राज. शा.	22-10-77
38.	श्रीमती राजकुमारी राठौड़	स.अ.द्वि. वे.श्रृ.	बी.ए.सी.बी.एड.	बी.ए. इतिहास, अर्थ शा. राज. शा.	12-11-75
39.	,, कमला शर्मा	,,	एम.ए. बी.एड.	एम. ए. राज. शा. बी. ए. हिन्दी राज. शा. अर्थ शा.	27-1-83
40.	,, संध्या माहेश्वरी	,,	,, ,,	,, इतिहास, बी. ए. इतिहास राज. शा., गृह शा.	2-7-80
41.	,, पुष्पा नरसिंहानी	,,	,, ,,	,, इतिहास बी. एस. सी. जीव वि., वनस्पति रसायन	2-7-80
42.	,, एस. डी. लाल	,,	,, ,,	बी. ए. राज. शा. समाज शा, हिन्दी	4-7-80

Page No.326

1	2	3	4	5	6
43.	श्रीमती सरस्वती तिवारी	स.अ. द्वि वे. श्रृ.	एम.ए. बी.एड.	एम. ए. राज. शा., बी. ए. राज. शा. इतिहास, अर्थ शा.	19-2-82
44.	,, विजय लक्ष्मी मिश्रा	,,	,, ,,	,, ,, ,, हिन्दी, गृह विज्ञान राज. शा.	5-7-80
45.	,, मधु बाला श्रीवास्तव	,,	,, ,,	,, ,, ,, हिन्दी, राज. शा. संगीत	4-8-80
46.	,, बृज राज दाधीच	,,	,, ,,	,, संस्कृत, ,, संस्कृत, हिन्दी अर्थ शा.	3-9-80
47.	,, सुमन कक्कड़	,,	,, ,,	,, इतिहास ,, इतिहास अंग्रेजी राज. शा.	20-9-80
48.	,, उषा शर्मा	,,	बी. ए. बी. एड.	बी. ए. अंग्रेजी इतिहास, हिन्दी	16-7-81
49.	,, शशि बाला माथुर	,,	एम. ए. बी. एड.	एम.ए. इतिहास, बी.एससी. रसा. शा. वन शा. जीव वि.	18-7-81
50.	,, प्रकायावति आसावा	,,	,, ,,	,, हिन्दी, बी. ए. हिन्दी, राज शा. गृह विज्ञान	18-7-81
51.	,, मीना राधाणी	,,	बी.एस.सी. बी.एड.	बी. एस. सी. भौतिक वि. रसायन, वि. गणित	20-7-81
52.	,, वासन्ती मेहरा	,,	एम. ए. बी. एड.	एम. ए. हिन्दी, बी. ए. हिन्दी भूगोल, समाज शा.	20-7-81
53.	,, स्नेहलता मुवेजा	,,	बी. ए. बी. एड.	बी. ए. अंग्रेजी, हिन्दी दर्शन शा.	17-8-81
54.	,, विद्या तिवारी	,,	एम. ए. ,,	एम. ए. राज. शा., बी. ए.	13-2-82
55.	,, विमला चौधरी	,,	बी. ए. ,,	बी. ए. हिन्दी गृह वि. संस्कृत	8-1-83
56.	,, गिरधर सिंह राठौड़	तृ.वे.श्रृ.	हायर स्कूल सी.पी.एड.	हायर स्कूल इतिहास, ड्राइंग	18-7-79
57.	श्री सुभाष चन्द्र गौड़	,,	इन्टर	इन्टर संगीत	23-10-64
58.	,, स्वरूप चन्द्र जैन	,,	हाई स्कूल एस.टी.सी.	हाई स्कूल वाणिज्य	1-4-79

1	2	3	4	5	6
59.	श्रीमती जसवंत कौर	तृ. वे. श्रृ.	एम. ए. बी. एड.	एम. ए. राज. शा., बी. ए. हिन्दी इतिहास राज. शा.	1·10·79
60.	,, कुन्ती माथुर	,,	,, ,,	,, अर्थ शा., बी. ए. हिन्दी अर्थ शा. गृह वि.	1·9·76
61.	,, विनोद भटनागर	स.अ.द्वि.वे.श्रृ.	,, ,,	,, हिन्दी	29-7-81
62.	,, प्रेमवती गोड़	,,	स्थानान्तरण पर विकल्प है।	,, अंग्रेजी	
63.	,, सरोज चौहान	,,	कार्यभार ग्रहण नहीं किया है।		

ह०/–
आचार्य
राजकीय केन्द्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय,
अजमेर

परिशिष्ट—17

अतारांकित प्रश्न संख्या 379 को सूची

"सूची ग्र"

राजस्थान पत्रिका दिनांक 2 अगस्त 1977; में प्रकाशित विज्ञापन की प्रति

श्री मंगल बिहारी तत्कालीन अध्यक्ष राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल जयपुर से

सावधान

श्री मंगल बिहारी ने अप्रैल 1975 में विदाई समारोह में प्रशिक्षण हेतु आये हुए सहायक अभियन्ताओं, कनिष्ठ अभियन्ताओं को संबोधित करते हुये कहा था कि अपने कर्त्तव्य से विचलित नहीं हों ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों से मत डरो जो पथ-भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं, अन्त में सच की विजय होगी। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही 28 मई 1977 को अधिशासी अभियन्ताओं को अधीक्षक अभियन्ताओं के 13 रिक्त पदों के भरने हेतु भ्रष्टाचारी श्री राजेन्द्र जैन तत्कालीन सचिव ने सब ही अकर्मण्य तथा भ्रष्टाचारी अधिशासी अभियन्ताओं का चयन करा दिया तथा श्री पृथ्वीसिंह टेकनिकल मेम्बर जिसने राजस्थान नहर के विद्युत सम्बन्धी निर्माण कार्य को रोक कर राजस्थान सरकार को करोड़ों रुपयों की हानि पहुंचाई तथा जिसके कारण कोटा तापगृह का कार्य कितने वर्षों से रुका हुआ है और जो निष्ठावान तथा कार्यशील अभियन्ताओं के घोर शत्रु हैं। उन्होंने सभी कार्य कुशल तथा सही अधिशासी अभियन्ताओं का चयन नहीं होने दिया। श्री वी. एन. 2 मुख्य अभियन्ता जो चयन कमेटी के मेम्बर थे और उपरोक्त के साथ सहमत नहीं थे और चयन हेतु श्री मंगल बिहारी ने उन्हें नहीं बुलाया। इस तरह श्री मंगल बिहारी ने अपने अधीनस्थों का ही सामना नहीं कर सके तथा विदाई समारोह में दिये उपदेश के अनुसार वे स्वयं ही झूठे रहे। इस समय वे सचिव, वित्त के पद पर आसीन हैं और क्योंकि वे प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना, करने वाले, अपने पद का दुरूपयोग करने वाले तथा झूठे हैं, अतः उनसे

सावधान। प्रार्थी

क्रमश- 28/7/1977

(मुरालीलाल गर्ग)

अधिशासी अभियन्ता (एम.आर.टी.)

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, बीकानेर (राज.)

"सूची"

राजस्थान पत्रिका 3 अगस्त, 1977 को प्रकाशित खेद प्रकाशन की प्रति

खेद प्रकाशन

दिनांक 2 अगस्त, 1977 के अंक में पृष्ठ दो पर एक विज्ञापन अधिशासी अभियन्ता (एम. आर. टी.), श्री मुरालीलाल गर्ग, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल बीकानेर के नाम से छपा है। चूंकि यह विद्युत मण्डल का विज्ञापन था, इसलिए रूटीन में छप गया है। इस असावधानी के लिये हमें खेद है। अधिशासी अभियन्ता ने पत्र क्रमांक एक्स.ई.एन.एम.आर.टी.बी. के एन.जी.इ.एन.डी 258, दिनांक 28-7-77 से यह विज्ञापन जारी किया था, जिस पर विधिवत् आर्डर तथा मुहर लगी हुई है।

व्यवस्थापक

राजस्थान पत्रिका

सूचो "स"

अपर मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग नं० 1 बीकानेर के मुकदमा संख्या 6 79 के निर्णय दिनांक 23-8-1979 के प्रभावी अंश की प्रति :

आदेश

वादी के निलम्बन का आदेश दिनांक 6 अगस्त 1977 इ ऐक्स 13 विदाउट ज्युरिसडिक्शन होने की वजह से शुन्य एवं प्रभाव हीन है। यह भी घोषित किया जाता है कि प्रतिवादी राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने तारीख 29.11.77 को वादी के निलम्बन आदेश 6-8-77 को पुष्ट करने की जो कार्यवाही की है। वह भी विधि विपरीत है एव प्रभावहीन है। वादी एम. एल. गर्ग लगातार पूर्ववत् पहले की तरह से अपने पद पर कायम हैं। वादी एम.एल. गर्ग प्रतिवादी राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड से 1685/– रुपया वेतन भत्तों की रकम पाने का अधिकारी है। वादी प्रतिवादी संख्या 1 से खर्चा मुकदमा पावेगा इस आशय की डिग्री तैयार की जावे।

एस. डी. गुलाब चन्द शर्मा 23-8-79
अपर मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
प्रथम वर्ग नं० 1 बीकानेर

निर्णय आज तारीख 23-8-79 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया जाकर सुनाया गया।

एस. डी. गुलाब चन्द शर्मा,
अपर मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
प्रथम वर्ग नं० 1 बीकानेर

सूची "द"

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बीकानेर के व्यवहार अपील डिक्री संख्या 61/79 के निर्णय दिनांक 26-11-1979 के प्रभावी अंश की प्रति

26. अन्त में, मैं यह अपील स्वीकार कर विद्वान अपर मुंसिफ, बीकानेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23-8-79 को निरस्त कर वादी प्रत्यार्थी श्री मुरारीलाल गर्ग द्वारा प्रस्तुत वाद अस्वीकार करता हूं। अपीलार्थीगण वादी प्रत्यार्थी से इस अपील का व अधीनस्थ न्यायालय में अपना व्यय वाद भी प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। डिक्री इस प्रकार अंकित हो।

ह०
[राजेन्द्र प्रसाद सक्सेना]

निर्णय आज दिनांक 26-11-79 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ह०
[राजेन्द्र प्रसाद सक्सेना]

परिशिष्ट-18

अतारांकित प्रश्न संख्या 382 की सूची

सूची "अ"

विद्युत मन्डल द्वारा 1 अप्रेल 81 से 28 फरवरी, 83 तक थर्मल पावर प्लांट (स्टीम टरबों आलटरनेटर सेट्स और गैस टरबाईन) को दी गई स्वीकृति का विवरण।

क्रमांक	उपभोक्ता का नाम		क्षमता (के. वी. ए. में)
1.	मेवाड शुगर मिल्स लिमिटेड भोपालसागर, चित्तौडगढ़	1875 764	टरबो आलटरनेटर टरबो आलटरनेटर
2.	एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी, लाखेरी	8824 4706	स्टील टरबो आलटरनेटर बी. टी. एच. टरबो आलटरनेटर
3.	नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि० जयपुर	2941	टरबो आलटरनेटर
4.	देहुली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स लिमिटेड कोटा	88235	टरबो आलटरनेटर
5.	भारत एलम्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड एम. आई. ए; अलवर	588	टरबो आलटरनेटर
6.	हिन्दुस्तान कापर लि०, खेतड़ी	23529	गैस टरबाईन
7.	प्रताप राजस्थान स्पेशल स्टील लिमिटेड, जयपुर।	14706	टरबो आलटरनेटर
	कुल	146168	के. वी. ए.

परिशिष्ट–19

अतारांकित प्रश्न संख्या 383 की तालिका

तालिका "अ"

कोयला, लिग्नाइट, जल एवं प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृहों से सम्बन्धित विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	नाम वस्तु जिस पर आधारित होंगे।	अनुमानित लागत लाख रुपये में	अपेक्षित वार्षिक विद्युत उत्पादन लाख यूनिटों में
1.	पलाना तापीय विद्युत परियोजना	(भूरा कोयला)	28400.00*	6384
2.	अनुपगढ़ पन बिजली योजना	जल	650.70	525
3.	आर. एम. सी. पन बिजली योजना, जिला कोटा	जल	611.00	376.6
4.	सूरतगढ़ पन बिजली योजना	जल	526.57	240.0
5.	जाखम पन बिजली योजना	जल	1100.50	363.6
6	चारण वाला पन बिजली योजना	जल	219.50	100.00
7.	माउन्ट आबू पन बिजली योजना	जल	534.00	149.5
8.	पूगल पन बिजली योजना	जल	303.2	110.5
9.	आर. एम. सी. माही पन बिजली योजना, जिला बांसवाड़ा	जल	109.00	42.00
10.	बिरसलपुर पन बिजली योजना	जल	231.00	80.00
11.	गैस ताप योजना, रामगढ़ जिला जैसलमेर	प्राकृतिक गैस	356.60	180.00

* लिग्नाईट के खनन हेतु आवश्यक पूंजीगत लागत सहित

परिशिष्ट-20

अतारांकित प्रश्न संख्या 385 के उद्देश्य

परिशिष्ट एक

प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य:

1. सामाजिक चेतना अर्थात अज्ञानता, शोषण एवं रूढ़िवादिता के विरुद्ध जागरूकता।
2. परिवार के लिये सह आर्थिक आधार पर स्रोत तैयार करना।
3. विकास की प्रक्रियाओं में भागीदार बनना।
4. लोकतान्त्रिक मूल्यों की पहचान।
5. उपयोगी नागरिकता का निर्माण।
6. आत्मनिर्भरता का बोध।
7. क्रियात्मक साक्षरता एवं अंकगणित का बोध।

परिशिष्ट दो

अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य:—

1. 9-14 आयु वर्ग के उन बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना जो किन्हीं परिस्थितियों के कारण औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश नहीं ले पाते।
2. उन बालक बालिकाओं को पुनः अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र पर लाना जो किन्हीं कारणों से प्राथमिक स्तरीय शिक्षा को भी अधूरी छोड़ कर घर बैठ गये हों।
3. नौ से चौदह वर्ग में सार्वजनिक शिक्षा के संकल्प की पूर्ति करना।
4. समुदाय को आर्थिक एवं सामाजिक विकास की नई दिशा देना।

परिशिष्ट—21

अतारांकित प्रश्न संख्या 384 की सूची

सूची "अ"

टोंक जिला खण्ड में सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदों का विवरण

क्र. स.	कार्यालय का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद	कब से रिक्त हैं
1.	**खण्ड कार्यालय:**				
	कनिष्ठ अभियन्ता	1	—	1	दिनांक 1-12-78 से रिक्त है।
2.	उप-खण्ड टोंक				
	सहायक अभियन्ता	1	1	—	
	कनिष्ठ अभियन्ता	2	2	—	
3.	उप-खण्ड (ग्रा०वि०नि०) निवाई।				
	सहायक अभियन्ता	1	1	—	
	कनिष्ठ अभियन्ता	5	3	2	1. उप-कार्यालय झिलाई में दिनांक 20-4-81 से रिक्त 2. उप-खण्ड कार्यालय मिनी स्कीम निवाई में 1-6-81 से रिक्त
4.	उप-खण्ड (ग्रा०वि०नि०) उनियारा:				
	सहायक अभियन्ता	1	1	—	—
	कनिष्ठ अभियन्ता	4	2	2	1. उप-कार्यालय (पिर एवं संधा) उनियारा में दिनांक 8-9-81 से 2. उप-कार्यालय दूनी में दि० 7-4-81 से

1	2	3	4	5	6
5.	उप-खण्ड (परि० एवं संघ) मालपुरा :				
	सहायक अभियन्ता	1	1	–	–
	कनिष्ठ अभियन्ता	2	2	–	–
6.	उप-खण्ड (ग्रा० वि०नि० प्रथम), मालपुरा				
	सहायक अभियन्ता	1	1	–	–
	कनिष्ठ अभियन्ता	3	–	3	दो पद माह मई, 80 से 1 पद 16-8-81 से रिक्त है।
7.	उप-खण्ड (ग्रा० वि० नि०-द्वितीय), मालपुरा				
	सहायक अभियन्ता	1	1	–	–
	कनिष्ठ अभियन्ता	3	1	2	2 पद माह मई, 80 से रिक्त है।

Page No.336

परिशिष्ट–22

अतारांकित प्रश्न संख्या 389 की सूची

दिनांक 8 मार्च 1983

वर्ष 1980-81 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों से माध्यमिक विद्यालय स्तर पर क्रमोन्नत विद्यालयों की जिलेवार सूची

1. जिला अलवर

1. जोताय चांवला
2. जिन्दासी
3. टापूकड़ा (कन्या)
4. बरखेड़ा
5. साहगेली (रामगढ़)
6. नोमूवाना
7. बारा भड़कोल
8. किशोरी
9. दौसोद (बहरोड़) जनसहयोग
10. बघेरीकलां (अलवर)
11. दरबारपुर (अलवर)
12. मालाखेड़ा (कन्या)
13. मवालवास
14. ढिगारिया भीम (बांदीकुई)
15. मरवा (दूदू)
16. पहाड़ गंज
17. महेशरा कलां
18. बेजुपाड़ा (बांदीकुई)
19. छिडवाता (फागी)
20. रूण्डल (आमेर)
21. छोटवाड़ा (कन्या)
22. भण्डारी (सिकराय)
23. पावूडाला (कोटपूतली)

24. गरूड़वासी (चाकसू)
25. विगारिया (दौसा)
26. लालसोर

2. जिला अजमेर

1. किशनगढ़ (अजमेर)
2. घूघरी (अजमेर)
3. बराखंड (ब्यावर)
4. मनोहरपुरा (भिनाय)
5. रामगढ़ (मसूदा)
6. माखुपुरा (अजमेर)
7. केन्ट ऐरिया (नसीराबाद)
8. बीसुन्धनी (अजमेर)
9. तबीजी (अजमेर)
10. सिंघावल (अजमेर)
11. खीमपुरा (मसूदा)
12. ढसूक (अराई)

3. जयपुर

1. बांसा (जयपुर)
2. जालस (जयपुर)
3. खातीपुरा (जयपुर)
4. मंडयागढ़ (जयपुर)
5. बीघावास अहीरान
6. दरबार (जयपुर)
7. साईवाड (बैराठ)
8. टसकोला (कोटपूतली)
9. लालगढ़ (बस्सी)
10. खोरां (लाडखानी-जयपुर) (जमवारामगढ़)
11. साली (दूदू)
12. दाबीच

4. भरतपुर

1. इब्राहीमपुर
2. छोकरवाड़ा

Page No.338

3. कलसाड़ा
4. बदरोका
5. सिटी कोतवाली धौलपुर
6. उमरेह
7. बुडली (नगर)
8. कोसोट (डीग)
9. महाराजसर (कुम्हेर)
10. कवई (नदवई)
11. आदर्शडीग
12. सोगर
13. नावली
14. वीरोधा (धौलपुर)
15. सिरस (वैर)
16. ऊनापुर (वैर)
17. सलेमखुर्द
18. रणधीर गढ़ (वैर)
19. सरानी खेड़ा (धौलपुर)
20. बरेहमोरी (धौलपुर)
21. जसुपुरा (राजाखेड़ा)
22. निरसा
23. समराया (वैर)
24. सलेमपुर कला (वैर)
25. नोथा
26. केतरी (धौलपुर)
27. पपरेरा
28. बीरमपुरा (बयाना)
29. उच्चैन (कन्या) (भरतपुर)
30. बसेड़ी (कन्या)
31. नगलातुला (रूपवास)
32. लहचाराकलां

5. बीकानेर

1. सोनगिरी कुंआ (कन्या)
2. बज्जू (कोलायत)
3. मेनसर
4. रामसर (लूणकरणसर)

6. चूरू

1. रिडी
2. शोभासर
3. टिडियासर
4. सेजूसर
5. चनगोई
6. नौरंगपुरा
7. महरी
8. झोथड़ा (तारानगर)

7. श्री गंगानगर

1. जोगीवाला
2. दीमलाना
3. कुलचन्द्र
4. मोरण्डखारी
5. सूरमोनएरिया, गंगानगर
6. मलकानाकलां
7. 4 जे० जे० (करणपुर)
8. 25 एन०पी० (रायसिंहनगर)
9. सूरावाली
10. लीलावाली (हनुमानगढ़)
11. बोरमाना (सूरतगढ़)
12. समैजा (रायसिंहनगर)
13. नीरवाना (सूरतगढ़)
14. सरदासपुरा भीका (सूरतगढ़)

8. सीकर

1. बठोट
2. पाटोदा
3. फागलवा
4. जोरावरनगर
5. होद
6. हुसामपुर
7. गावटी (दामारामगढ़)
8. मलपसर (फतेहपुर)
9. नवीपुरा (")

9. झुंझुनू

1. भोजनगर
2. बघेरा
3. मंडावा
4. मापड़ा (उदयपुर वाटी)
5. मठ्ठदाकलां (झूंझुनू)
6. छूलोठखुर्द
7. बरसरी का वामस
8. कासिमपुरा
9. लादूसर
10. मेहरादासी
11. बीजूसर
12. महीपालवास
13. छावसरी (गुढा)

10. जोधपुर

1. खिर्जाखास
2. मोहल्ला बम्बा (कन्या)
3. कालीबेरी (सूरसागर)
4. लूणावास
5. तिलवासनी
6. आटियाकलांक
7. बीजवा वड़िया नं० 1
8. खारा
9. महामंदिर

11. बाड़मेर

1. हीराकीढाणी
2. हुडों की ढाणी
3. छोट
4. बांवाड़ीकलां
5. समदड़ी (कन्या)
6. रामसर (शिव)

12. जालोर

1. कोडका
2. जूनीबाल

3. चांदराई
4. नं० 1 जालौर
5. आहोर (कन्या)

13. सिरोही

1. बरलट
2. नीताडा
3. दांतराई
4. सिलधर
5. कोजरा पिण्डवाडा)

14. पाली

1. लाम्बिया
2. बीलावास
3. सिरीयारी
4. दादोई
5. खुडाला
6. बावली (सुमेरपुर)
7. गुढाबीजा (सोजत)

15. नागौर

1. खियाली
2. शंखवास
3. रानीगाँव (मकराना)
4. लवाडिया (डीडवाना)
5. बिखरनियां (कलां)
6. भखरी
7. गुढ़ासाल्ट
8. गूलर (परबतसर)
9. जलसूनानक (डेगाना)
10. गागवा

16. कोटा

1. देसूरी
2. छावनी पराना
3. सुमेरगंज मंडी
4. मोरमा (दीगोद)

Page No.342

5. छावनी पुरानी, कोटा नहर
6. कालिया (छबड़ा)
7. कमोल ग्रठक

17. बून्दी

1. थाना
2. मनथड़ा
3. बायलगांव
4. समिधि

18. झालावाड़

1. जाबरगांव
2. दौता
3. सोजपुर
4. फलिया (छाबड़ा)

19. टोंक

1. घाड (उनियारा)
2. पनवाड़
3, रानोली
4. दतवास

20. सवाई माधोपुर

1. कोटा (महोली)
2. खीमकापुरा
3. बालोती
4 भोपर बहादुरपुर
5. पावडरा
6. भेडोली (बोली)
7. मोना बड़ोदा
8. खेरला गुजर
9. तालचिड़ी
10. साथा (महुआ)
11. जटवाड़ा कलां
12. टोकसी (गंगापुर)
13. सारसोप

• बिच्छोहुत

21. उदयपुर

1. झलारा
2. दरोला
3. सांकरोदा (मावली)
4. पीपली आचार्यान,
5. सेमल
6. शेरिया (सलुम्बर)
7. धीशारमा
8. पाटिया
9. लाम्बोडी
10. कुवांथल
11. पच्छमता
12. खेमली (मावली)
13. बाकड़ (फलासिया)
14. छायला (नाथद्वारा)
15. भोमाइमाल
16. धानमण्डी कन्या)
17. काबरा (रेलमगरा)
18. आयड़ (कन्या)
19. भटियाणी चोहटा
20. भीमड़ी

22. बांसवाड़ा

1. देवदा
2. भोडासेन (घाटोल)
3. सलोपाट (बागीदोरा)
4. चिडियावास
5. घाटोल (कन्या)
6. तायसेरा (कुशलगढ़)

23. डूंगरपुर

1. घाटा का गांव
2. करावाड़ा
3. तामड़ी
4. मूंजपुर
5. सुराता
6. झलाम [सिमलवाड़ा]

Page No.344

24. भीलवाड़ा

1. चांदरास
2. भोजुखरा
3. ईंटडा (जहाजपुर)
4. सांगरिया
5. कवालियास
6. चैनपुरा
7. नाहरी
8. बड़ा महुआ
9. चांदजी का खेड़ा
10. टीकड़ा [जहाजपुर]

25. चित्तौड़गढ़

1. चेची
2. रूंधल
3. घयाना
4. अरिणियापथ
5. लसड़ावन
6. देलवास
7. डिन्डोली [गंगरार]

सामयकित सूचना

	जिला	बालक	बालिका	योग
1.	अलवर	10 + 1	2	12
2.	अजमेर	12	–	12
3.	जयपुर	23 + 2	1	24
4.	भरतपुर	29	2	31
5.	बीकानेर	3	1	4
6.	चूरू	8	–	8
7.	गंगानगर	14	–	14
8.	झूंझनूं	13	–	13
9.	सीकर	9	–	9
10.	सिरोही	5	–	5
11.	बाड़मेर	5	1	6
12.	जालोर	4	1	5
13.	नागौर	9 + 1	–	9

Scanned by CamScanner

	जिला	बालक	बालिका	योग
14.	पाली	7	–	7
15.	जोधपुर	8	1	9
16.	उदयपुर	18	2	20
17.	भीलवाड़ा	10	–	10
18.	चित्तौड़गढ़	7	–	7
19.	बांसवाड़ा	5	1	6
20.	कोटा	5+1	–	5
21.	बून्दी	4	–	4
22.	झालावाड़	3	–	4
23	सवाई माधोपुर	13+1	–	13
24.	टोंक	3+1	–	3
24.	डूंगरपुर	6	–	6
25.	जैसलमेर	–	–	–
	योग:–	240	12	252

(कृ. गो. बीजावत)
उपनिदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची 1980-81

1. जिला : अजमेर

क्र. सं.	शाला का नाम	पंचायत समिति
1.	सिरोज	अराई
2.	पालड़ा	जवाजा
3.	मेवदाकलां	कैकड़ी
4.	हरपुरा	अराई
5.	सांवरोवा	श्रीनगर
6.	वरल	मसूदा

क्र. सं.	शाला का नाम	पंचायत समिति
7.	लोड़ियाना	मसूदा
8.	झीरोता	भराई
9.	नारोली	
10.	करकेड़ी (कन्या)	

2. जिला : अलवर

क्र. सं.	शाला का नाम	पंचायत समिति
1.	सिलारपुर	मीमराना
2.	बीलाहेड़ी	कोटकासिम
3.	टोडानगर	लक्षमणगढ
4.	पलावा	मुण्डावर
5.	इशवाना	रेणी
6.	बसेठा	कठूमर
7.	सैंडली सैय्यद	रामगढ
8.	बोलनी	किशनगढ
9.	मियाखो	मुण्डावर
10.	आमोठ	मुण्डावर
11.	किथून	खैरथल
12.	बीजवा	
13.	करकेड़ी	
14.	गोकुलपुर त० बहरोड़	

3. जिला : भरतपुर

क्र. सं.	शाला का नाम
1.	मैनापुरा
2.	दूबरा
3.	सिरथला
4.	नरहरपुरा
5.	ककरवा
6.	मारली
7.	सिगोरई
8.	बिड़यारी
9.	जगजीवनपुर
10.	भुसावर (डा० रौनियराजव)
11.	बीवली
12.	चेटोती
13.	सुन्दरपुर

क्र. सं.	शाला का नाम	पंचायत समिति
14.	वसहीनीम	
15.	राजोराकलां	
16.	बटोटी	
17.	रायसीस	
18.	धोर	
19.	सेमलाकलां	
20.	बारोली	
21.	बबेसर	
22.	हाथोड़ी	
23.	बिलोठी	
24	लखनपुरा	
25.	बसईसामन्ता	
26.	तलछेरा	
27.	निठार (कन्या)	

4. जिला : जयपुर

1.	मंडाभिण्डा	गोविन्दगढ़
2.	जेतपुरखीची	आमेर
3.	सोनड	लालसोट
4.	चिताणू	आमेर
5.	छापरवाड़ी	आमेर
6.	राजनसिया लक्ष्मणडूगरी बदनपुरा	
7.	मानपुर सिकराय	
8.	मोहल्ला महावतान	
9.	कीलवा	
10.	शिवसिंहपुरा	
11.	भूरथल	
12.	बासना	
13.	नवलपुरा	
14.	बगरु (कन्या)	
15.	कीट (सहायपुरा)	
16.	बासखी (बस्सी) (कन्या)	
17.	चिमनपुरा	
18.	बिहारीपुरा, दूदू	

Scanned by CamScanner

Page No.348

क्र. सं.	शाला का नाम	पंचायत समिति
19.	द्वारकापुरी, हाउसिंग बोर्ड किशनगढ़	
20.	परनामपुरा	
21.	तिबारिया, फुलेरा	
22.	बाईसगोदाम	
5.	जिला : झूंझूनू	
1.	टोडपुरा	
2.	सिगडा	
3.	उरिका	
4.	गिला की ढाणी (उदयपुरवाटी)	
5.	ब्राह्मणों की ढाणी	
6.	नयासर	
7.	कमालसर	
8.	सैनिकपुरा	
9.	गाडाखेडा	
10.	सिरोड (कन्या)	
6	जिला : सीकर	
1.	धीपुरा राजाजी	
2.	दीनवाकुमास	
3.	सावलोदा लाडखानी	
4.	वैध की ढाणी तन रानोली	
7.	रलावता (खन्डेला)	
6	बोसाना	
7.	ढाबांवाली	
8.	सावलपुरा तवरान (नीम का थाना)	
9.	नारी, फतेहपुर	
10.	लापुवा, श्रीमाधोपुर	
11	सांवलपुरा शेखावतान नीम का थाना	नीम का थाना
7.	जिला : बीकानेर	
1.	हरिजन बस्ती (गोगापट)	
2.	केसरदेसर (बौरान)	
3.	नाथूसर	
4.	आर.सी.पी. कोलोनी	
5.	भेऊसर	लूणकरणसर

Scanned by CamScanner

क्र स.	शाला का नाम	पंचायत समिति
8	**जिला : चुरु**	
1.	उपजी	
2.	लूघ	
3.	जोली	
4.	झारिया	
5.	ददरेवा (कन्या)	
6.	घरपाली बड़ी	
9.	**जिला : श्री गंगानगर**	
1.	डोबी	
2	पदमपुरा	नोहर
3.	गुडिया (टीबी)	
4.	रामसरा	नोहर
5.	अलीपुरा	
6	इन्द्रपुरा	
7.	ढीगोंवालीराठान	
8.	53 एफ (जोरावरसिंहपुरा)	
9.	अराईयांवाला 28 एफ एफ (रायसिंहनगर)	
10.	लोगवाला	
11	हरदेवाला (रायसिंहनगर)	
12.	रा. प्रा. वि. नं. श्रीगंगानगर	
13.	खांनूवाली	
14.	गोंलूवाल (कन्या)	
15.	धमड़िया	
16.	शाहपीणीं (कन्या)	सादुलशहर
17.	सुन्दरपुर	सादुलशहर
18.	मोहकमवाला, चक 9-10 के. एस. डी. त. रायसिंह नगर	
19.	अराईया वाला	हनुमानगढ़
10.	**जिला: जोधपुर**	
1.	सोजती गेट के अन्दर जोधपुर	
2.	कोकुन्डा (मन्डोर)	
3.	फिटकासनी	लूणी

Page No.350

क्र. सं.	शाला का नाम	पंचायत समिति
4.	बिरानी	
5.	हरियाड़ा	बिलाड़ा
6.	तिनवारी (कन्या)	
7.	छीला	फलोदी
8.	आगरावा	मन्डोर
9.	जिठानिया	शेरगढ़
10.	गेवा	
11.	मानेबड़ा	बाप
11.	**जिला : जालोर**	
1.	चरली	शाहोर
2.	सिकबाड़ा	जसवन्तपुरा
3.	सेवड़ी	भीनमाल
12.	**जिला : सिरोही**	
1.	डूंगरी	पिन्डवाड़ा
2.	मावल	आबूरोड
3.	सेजरिया	शिवगंज
4.	कृष्णशंग	सिरोही
13.	**जिला : नागौर**	
1.	आकोड़ा	जायल
2.	कुचेरा	
3.	जाखली	मकराना
4.	चावढ़िया	
5.	लाडपुरा	रियां
6.	मोररा	
7.	खोखर	परबतसर
8.	सबलपुरा	
9.	करखेड़ी	(त. नावा)
10.	कात्यासनी	
11.	शिव	
12.	जसवन्तगढ़ (कन्या)	
13.	रोहिण	
14.	इन्द्राखा	परबतसर

क्र.सं.	शाला का नाम	पंचायत समिति
18.	**जिला : टोंक**	
1.	बन्जारी	उनियारा
2.	गोरेली	देवली
3.	मान्दोलाई	टोडारायसिंह
4.	सन्देडा	टोंक
5.	खिड़गी	निवाई
19.	**जिला : सवाईमाधोपुर (करोली)**	
1.	मरुथल	
2.	जीरोता	
3.	जटनगला	
4.	चिरावडा	
5.	महू इब्राहिमपुर (कन्या) हीन्डौन	
6.	मोरण	
7.	जोला	
8.	बयारदाकलां	
9.	गहनोली	
10.	मून्डरी	
11.	कसुरपुर, गंगापुर	
12.	भानौली	
13.	रामगढ मुरडा	
14.	बेरखेडा	
20.	**जिला : बून्दी**	
1.	विजयगढ़	
2.	शिशोला	
3.	जवाहरनगर	
21.	**जिला : बांसवाड़ा**	
1.	टुकमाड़ा	घाटोल
2.	सुन्दराव	आनन्दपुरी
3.	भगोरा	गढ़ी

क्र. सं.	शाला का नाम	पंचायत समिति
22.	**जिला : चितौडगढ़**	
1.	कोठुन्दा	बेगू
2.	खारखन्दा	राश्मी
3.	करजाली	कपासन
4.	सहनवा	चितौड
5.	गादोला	निम्बाहेड़ा
6.	भाणुजा	बड़ीसादड़ी
7.	ऊंचा	रासी
8.	सेमरड़ा	छोटीसादड़ी
23.	**जिला : भीलवाड़ा**	
1.	गोविन्दपुरा	मांन्डल
2.	जलिन्दरी	मांडलगढ़
3.	इटडिया	शाहपुरा
4.	घरटा	बनेड़ा
5.	मोगर	आसीन्द
6.	सुरावास	सहाड़ा
7.	कोटाज	कोटड़ी
8.	आसोप	कोटड़ी
9.	गणेशपुरा	मांडलगढ
10.	बबराणा	बनेड़ा
24.	**जिला : डूंगरपुर**	
1.	बरबूनिया	सागवाड़ा
2.	सींथल	सीमलवाड़ा
3.	बागदरी	बीछीवाड़ा
4.	कराड़ा	सागवाड़ा
5.	नयागांव (चौरासी)	डूंगरपुर
25.	**जिला : उदयपुर**	
1.	मानपुर	लसाड़िया
2	बासड़ा	वल्लभनगर
3.	बड़गांव	मावली

1	2		3
4.	जीतावास		राजसमन्द
5.	बिजनोल		नाथद्वारा
6.	तूली		
7.	सराड़ा	(कन्या)	सराड़ा
8.	सागवाड़ा		खेरवाड़ा
9.	घनोली		
10.	बीरघांलिया		
11.	गिलून्ड	(कन्या)	रेलमगरा
12.	मावा		
13.	गुराड		
14.	आईन्दा		
15.	शेखावास		
16.	हिरणमगरी सेक्टर नं० 11	(कन्या)	
17.	ब्रह्ममाल		
18.	धार		
19.	सुन्दरवास	(कन्या)	

सन् 1981-82 में खोले गये उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्यात्मक सूची

क. स.	जिला	विद्यालयों की संख्या
1	2	3
1.	अजमेर	15
2.	भरतपुर	20
3.	अलवर	15
4.	जयपुर	32
5.	झुंझुनूं	14
6.	सीकर	19
7.	बीकानेर	7
8.	चूरू	23
9.	गंगानगर	23
10.	कोटा	10
11.	बून्दी	6

1	2	3
12.	झालावाड़	3
13.	सवाई माधोपुर	20
14.	टोंक	10
15.	जोधपुर	25
16.	पाली	17
17.	नागोर	23
18.	जालौर	9
19	सिरोही	7
20	बाड़मेर	13
21.	जैसलमेर	2
22.	बांसवाड़ा	14
23,	भीलवाड़ा	18
24.	डूंगरपुर	11
25.	चित्तौड़गढ़	16
26,	उदयपुर	29
	योग....	400

सत्र 1981-82 में स्वीकृत किये गये उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची

जिला–जयपुर

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	पंचायत समिति का नाम
1	2	3
1.	श्यान कोटड़ा	जमवारामगढ़
2.	बलोड़	जमवारामगढ़
3.	दांतरी	दूदू
4.	सोरड़ी	दूदू
5.	बासड़ी खुर्द	फुलेरा
6.	किशनगढ़	फुलेरा
7.	भूडला	बस्सी
8.	भटेरी	बस्सी
9.	राडावास (कन्या)	विराटनगर
10.	नायन	शाहपुरा
11.	बिहारीपुरा	आमेर
12.	कूंकस	आमेर

Page No.355

1	2	3
13.	भंकरोटा	फागी
14.	बोची	फागी
15.	खुर्री	लालसोट
16.	चोंडियावास	लालसोट
17.	रामपुरा	लालसोट
18.	गढीरा	सिकराय
19.	खाका	सिकराय
20,	जालूपुरा	जयपुर शहर
21.	हथरोई	जयपुर शहर
22	सी-स्कीम (कन्या)	जयपुर शहर
23.	फोजावाली	कोटपूतली
24	सुजात नगर	कोटपूतली
25.	पुरुषोत्तमपुरा	कोटपूतली
26.	सिन्डोली	दौसा
27.	नांगलछापा	दौसा
28.	जवाहरनगर सिन्धी	जयपुर शहर
29	जामडोली	जयपुर शहर
30.	चौथवाड़ी	गोविन्दगढ़
31.	महारकलां	गोविन्दगढ़
32.	सोमल्या	चाकसू

जिला-भरतपुर

1.	ओदी	धोलपुर
2.	पथेना (कन्या)	धोलपुर
3.	सतवाड़ी (कन्या)	कामा
4,	शेखपुर	कामा
5.	मटूकी	कामा
6.	मोरोली	बयाना
7.	महरावर	बयाना
8.	देरावर	कुम्हेर
9.	बरताई	कुम्हेर
10.	बद्रीपुर	डीग
11.	पालका	नगर
12.	पहलवास	नगर
13.	बहगपुर	धोलपुर

Page No.356

1	2	3
14	टाण्डा	धोलपुर
15.	गांवडी	भरतपुर
16.	तरोहर	भरतपुर
17.	जोटोली धाना	भरतपुर
18.	नयागांव	रूपवास
19.	कान्धोली	रूपवास
20.	पथेना (कन्या)	वैर

जिला—अजमेर

1.	कुरथल	भिनाय
2.	रामपालिया	भिनाय
3.	नला बाजार सिन्धी विद्यालय	अजमेर शहर
4.	तिलाना	श्रीनगर
5.	गांव ढ़ाल	श्रीनगर
6.	कोटड़ी	किशनगढ़
7.	नया शहर किशनगढ़	किशनगढ़
8.	नूरियावास	पीसांगन
9.	कायड़	श्रीनगर
10	मोजा काडेड़ा	जवाजा
11.	चौसला	केकड़ी
12.	लसाड़िया	केकड़ी
13.	तसवारिया	केकड़ी
14.	जालिया	ब्यावर
15.	चम्पानगर	ब्यावर

जिला—अलवर

1.	मगलवां पंचायत रामपुर	बानसूर
2.	रतनपुरा बालावास	बानसूर
3.	भोखाहेड़ी पहड़ावली	कठूमर
4.	होंगवाहेड़ा	तिजारा
5	सलारपुर	तिजारा
6.	बासनी	मुन्डावर
7.	नांगल उदिया	मुन्डावर
8	डेरी	रैणी

1	2	3
9.	भंडोडी	उमरेण
10.	न्याणा	गोविंदगढ़
11.	सेथली का बास	रामगढ़
12.	गढ़ राजोर	रामगढ़
13.	टहला (कन्या)	राजगढ़
14.	साती	नीमराना
15.	घिलोट	नीमराना
जिला : उदयपुर		
1.	फलासिया (कन्या)	फलासिया
2.	जिंक स्मेल्टर देबारी	गिर्वा
3.	पई	गिर्वा
4.	केसूली	नाथद्वारा
5.	मोलेला	खामनोर
6.	उसरवास पंचायत भैसकमेड	खामनोर
7.	पालोर्दडा	सराड़ा
8.	शक्तावती का गुढ़ा	सराड़ा
9.	खारताना	मावली
10.	घासा (कन्या)	मावली
11.	तलादरी	कुम्भलगढ़
12.	झीलवाडा (कन्या)	कुम्भलगढ़
13.	देवला	लसाड़िया
14.	मुंगाना (कन्या)	धरियावद
15.	धमनिया	वल्लभनगर
16.	तरावत	वल्लभनगर
17.	लसाड़िया	भीम
18.	बोरवाड़ा	गोगुन्दा
19.	धायला	राजसमन्द
20.	पीपली डोडियान	रेलमगरा
21.	सुन्दरा	खेरवाड़ा
22.	पीपली	खेरवाड़ा
23.	बलेवडी खनगेन	खेरवाड़ा
24.	आमलोदा	सलूम्बर
25	रामद्वारा स्कूल	सलूम्बर
26.	सेक्टर नम्बर 4	उदयपुर शहर
27.	पीलादर	सराड़ा

Page No.358

1	2	3

जिला–भीलवाड़ा

1.	बोरघोल	कोटड़ी
2.	ईरास	रायपुर
3.	मांडल	मांडल
4.	मोटा	रायपुर
5.	पनोतिया	शाहपुरा
6.	मेगरास	बनेड़ा
7.	भीमलरा	हुरड़ा
8.	गागलास	आसिन्द
9.	आन्टाली (कन्या)	आसिन्द
10	भरनिया	सहाड़ा
11	लाखोला (कन्या)	सहाड़ा
12.	मोखून्दा (कन्या)	सहाड़ा
13.	रेणवास	कोटड़ी
14.	टोटोड़ामाफी	जहाजपुर
15	बाकरा	जहाजपुर
16.	सलावटिया	मांडलगढ़
17.	मागतलां	मांडलगढ़
18.	रेडवास	कोटड़ी

जिला–डूंगरपुर

1.	डूंगरसारएं	सीमलवाड़ा
5.	पारड़ा महुता	सागवाड़ा
3.	रामसोर	सागवाड़ा
4,	बागदरी	डूंगरपुर
5.	मेताली	डूंगरपुर
6	पांतली	डूंगरपुर
7.	महुडी	चौरासी
8	सचियां	चौरासी
9	घोघरा	चौरासी
10.	खाखर खाड़या	आसपुर
11.	गलियोड़ा	आसपुर

Page No.359

1	2	3
	जिला–बांसवाड़ा	
1.	गामड़ी	बांसवाड़ा
2.	सागवोद	बांसवाड़ा
3.	कुशलपुर	बांसवाड़ा
4.	पाटन	कुशलगढ़
5.	सातसेरा	सज्जनगढ़
6.	खोडन (कन्या)	बांसवाड़ा
7.	सरेड़ी (कन्या)	बांसवाड़ा
8.	नयागांव परतापुर	बांसवाड़ा
9.	मेणाफादर	भूखिया
10.	केसरपुरा	गढ़ी
11.	पूजा खुडली	भूखिया
12.	भूखिया (कन्या)	भूखिया
13.	बरिदा	घाटोल
14.	गानौड़ा (कन्या)	घाटोल
	जिला – चित्तौड़गढ़	
1.	आरनी (कन्या)	राश्मी
2.	चाटेरिया	चित्तौड़गढ़
3.	अडाना	राश्मी
4.	भावलिया	निम्बाहेड़ा
5.	बोरखेड़ी	निम्बाहेड़ा
6.	नाहरगढ़	भदेसर
7.	सामरिया	बेगू
8.	जवाहरनगर	भैंसरोड़गढ़
9.	निम्बाहेड़ा	कपासन
10.	मुरला	भोपालसागर
11.	सालमगढ़ (कन्या)	अरनोद
12.	अम्बोरामा	अरनोद
13.	एराल	चित्तौड़गढ़
14.	पाडलपोल (कन्या)	चित्तौड़गढ़
15.	पोराना	डूंगला
16.	करखाना	डूंगला

Page No.360

1	2	3
	जिला–बीकानेर	
1.	रा. प्रा. वि. नं. 10	बीकानेर शहर
2.	सुनारों की गुवाड़	बीकानेर शहर
3	सादुलगंज	शहरी क्षेत्र
4.	रिडमलसर	लूनकरणसर
5.	दुलमेरा स्टेशन	लूनकरणसर
6.	रायसर वास बीरमसर	नोखा
7.	काकड़ा (कन्या)	नोखा
	जिला–श्री गंगानगर	
1.	नवां	हनुमानगढ़
2.	लीलावाली (कन्या)	हनुमानगढ़
3.	भोमपुरा	रायसिंहनगर
4.	लकाहाकम	रायसिंहनगर
5.	जगासरी छोटी	भादरा
6.	खचवाना	भादरा
7.	7 एल. सी.	अनूपगढ़
8.	अमरसिंहवाला	सूरतगढ़
9.	रामसरा जाखडान	सूरतगढ़
10.	ननाऊ	नोहर
11.	खुईयां	नोहर
12.	श्योरानी	नोहर
13.	लढ़ावाली	केसरीसिंहपुर
14.	बुदरवाली	सादुलशहर
15.	खारा	सादुलशहर
16.	21 एच	केसरीसिंहपुर
17.	ओडकी	केसरीसिंहपुर
18.	चाहूवाली	टिब्बी
19.	मोहनमगरिया	टिब्बी
20.	हरिजन बस्ती नं० 7 कपड़ा मिल	गंगानगर शहर
21.	प्रा. वि. नं. 5	गंगानगर शहर
22.	नाहरावाली	अनूपगढ़
23.	सतराना	अनूपगढ़

Page No.361

1	2	3
	जिला-सीकर	
1.	मांगल	श्रीमाधोपुर
2.	रूपपुरा उदलवास	श्रीमाधोपुर
3.	आनन्दनगर	सीकर शहर
4.	बराल	सीकर शहर
5	माचियों की स्कूल	सीकर शहर
6.	ढाल्यावास	खन्डेला
7.	शाहपुरा	खन्डेला
8.	ठींकरिया	खन्डेला
9.	रामसिंहपुरा	नीमकाथाना
10.	श्यालोदड़ा	नीमकाथाना
11	रानोली (कन्या)	पिपराली
12.	गानोड़ा	दांतारामगढ़
13	लालासी	लक्ष्मणगढ़
14.	मलखपुरा बेजन	लक्ष्मणगढ़
15.	गुणाठू	धोद
16.	सांवलोदा पुरोहितान	धोद
17.	वलोद वडी	फतहपुर
18.	जलेऊ	फतहपुर
19.	नेठवा	फतहपुर
	जिला : झुंझुनू	
1.	तोगड़ा	नवलगढ़
2	नाहरसिंहाजी	नवलगढ़
3.	चूडलां	अलसीसर
4.	बुंकाना	चिड़ावा
5.	भूरासर	मडावा
6	सांवलोदा (कन्या)	खेतडी
7.	तेतरा	झुंझनू
8.	कासिमपुरा (कन्या)	झुंझनू
9.	गोवला	चिडावा
10.	खानपुर मेहराना	बुहाणा
11	झारोड़ा	सूरजगढ़
12.	काजड़ा	सूरजगढ़
13.	असलसर	उदयपुरवाटी
14	खवरां केम्प	उदयपुरवाटी

1	2	3
	जिला-चूरू	
1.	ढांढर	चुरू
2.	रामपुरिया (सांतडा)	चुरू
3.	घरमास	चुरू
4.	बागसरा पूर्वी (शोभासर)	सुजानगढ़
5.	लोडसर	सुजानगढ़
6.	नेठवा	तारानगर
7.	झिगो	तारानगर
8.	गागडवास	राजगढ़
9.	चुबकियाताल	राजगढ़
10.	रामपुरा (कन्या)	सादुलपुर
11.	खोतड़ी	रतनगढ़
12.	रतनगढ़ नं. 8	रतनगढ़
13	जालेऊ	रतनगढ़
14.	हरिजन बस्ती	सरदारशहर
15.	स्कूल नं. 1	सरदारशहर
16.	आसपालसर	सरदारशहर
17.	सरदारशहर (कन्या)	सरदारशहर
18.	डागा प्रा. वि.	डूंगरगढ़
19.	रेदाजसर	डूंगरगढ़
20.	दुयारा	डूंगरगढ़
21.	अमरसर	डूंगरगढ़
22.	डागा (कन्या)	डूंगरगढ़
23.	ढाणी कुम्हारान	तारानगर
	जिला-कोटा	
1.	कडेयावन	छबड़ा
2.	झालरी	सांगोद
3.	हारपुरा	सांगोद
4.	दिगोदपार	दिगोद
5.	कुदायला	रामगंजमण्डी
6.	मोहनपुरा	इटावा
7.	कोटा (कन्या)	कोटा शहर
8.	मउ	मन्ता
9.	गिरधारीपुरा	लाडपुरा
10.	जाखोड़ा	लाडपुरा

Page No.363

1	2	3
	जिला–बून्दी	
1.	सांवतगढ़	हिन्डोली
2.	गोठड़ा (कन्या)	हिन्डोली
3.	मोतीपुरा	नेनवा
4.	ल्यावदा	तालेडा
5.	रायथल	बून्दी
6.	कोशया	तालेडा
	जिला–सवाई माधोपुर	
1.	जलोखरा	गंगापुर
2.	नोगावां	गंगापुर
3.	फाजलाबाद	हिन्डौन
4.	मोरड़ा	टोडाभीम
5.	तिमावा	नादोती
6.	किरवाड़ा	टोडाभीम
7.	फलौदी (कन्या)	खन्डार
8.	ऐचेर	सवाई माधोपुर
9.	मखोली	सवाई माधोपुर
10.	वार्ड नम्बर 19 सवाई माधोपुर	शहर
11.	कैलाशपुरी	शहर
12.	विशाला	महुवा
13.	टुन्डियाना	महुवा
14.	नेरना	करोली
15.	दोपपुरा	करोली
16.	कल्याणी	करोली
17.	हथडोली	बौंली
18.	नारोली चौड़	बामनवास
19.	बहादुरपुर	सपोटरा
20.	कल्याणपुरा	सपोटरा
	जिला–टौंक	
1.	थड़ोली	टोडारायसिंह
2.	कासोर	देवली
3.	सेंदरियां	निवाई

1	2	3
4.	दाखिया	टौंक
5.	सुनारा	निवाई
6.	चारनेट	देवली
7.	गोठड़ा	उनियारा
8.	गोठड़ा	देवली
9.	अंटाली	मालपुरा
10.	लावा (कन्या)	मालपुरा

जिला–झालावाड़

1.	सेमलीहाट	मनोहरथाना
2.	श्रामेठा	खानपुर
3.	हरनावदा गजा	चिड़ावा

जिला–जोधपुर

1.	वालेसर सत्ता	बालेश्वर
2.	नुडिया	शेरगढ़
3.	कोइन्दा	बालेसर
4	कलाऊ	बालेसर
5.	खराणी	बालेसर
6.	भवाद बोलों की ढाणी	श्रोसियां
7.	मेसेर कोतवाली	ओसियां
8.	लवेराकलां	ओसियां
9.	माडियाई खुर्द	श्रोसियां
10.	पोथावास	मन्डोर
11.	नाइयों की बगीची चौपासनी रोड़	सूरसागर
12.	नाड़िया खुर्द	ओसियां
13.	बिरसालूकलां	श्रोसियां
14.	नेवेरा जाटों की ढाणी	श्रोसियां
15.	पाचलां खुर्द	ओसियां
16.	दयाडमी	भोपालगढ़
17.	कुम्हारों का वास	फलौदी
18.	ननेऊ	बाप
19.	खिदरत	बाप
20.	लेड़ी साल्वा	भोपालगढ़

1	2	3
21.	भूडाना	भोपालगढ़
22.	खोखरिया	मन्डोर
23.	खडला	लूणी
24.	उदंसर	लूणी
25.	बोएडावास	लूणी

जिला–पाली

1.	हरी	पाली
2.	फालना स्टेशन	फालना
3.	दूधनी	देसूरी पाली
4.	घनेडी	देसूरी
5.	गादाणा	मारवाड़ जंक्शन
6.	कोसर	देसूरी
7.	सानाईमाजी	पाली
8.	कीरवा	रानी
9.	सिदड़	सुमेरपुर
10.	ढ़ोला	सुमेरपुर
11.	रेपड़ावास	सोजत
12.	नाइदाबेरा	सोजत
13.	वोमदड़ा	पाली
14.	जेतपुर	रोहट
15.	काणेचा	जेतारण
16.	कुड़की	जेतारण
17.	रामपुरकलां	रायपुर

जिला–बाड़मेर

1.	तामलोर	शिव
2	मोखाव	शिव
3.	डोलीकलां	बालोतरा
4.	मडलो	पचपदरा
5.	मोडा	चोहटन
6.	इशरोल	चोहटन
7.	भादेरेस	बाड़मेर
8.	देरासर	बाड़मेर

1	2	3
9.	कमठोई	सिधरी
10.	भलरों का बाड़ा	सिवाना
11.	उडासर	धोरीमन्ना
12.	डागरियां	धोरीमन्ना
13.	राणासर	धोरीमन्ना
	जिला–जैसलमेर	
1.	रातड़िया	
2.	ढिब्बापाड़ा	
	जिला–सिरोही	
1.	सिवेरा	पिण्डवाडा
2.	अचपुरा	पिण्डवाडा
3.	सियावा	पिण्डवाडा
4.	नागानी	रेवदर
5.	धवली	देवदर
6.	फूगनी	सिरोही
7.	केसरपुर	शिवगज
	जिला–जालोर	
1.	सुराचन्द	सांचोर
2.	दादोल	सायला
3.	राजेन्द्रनगर बस्ती	जालोर
4.	पुनककलां	जसवन्तपुरा
5.	रानीवाड़ा खुर्द	रानीवाडा
6.	चूड़ा	आहोर
7.	रोडला	आहोर
8.	दासपां (कन्या)	भीनमाल
9.	हापू की ढाणी	भीनमाल
	जिला–नागौर	
1.	बूडलू (कन्या)	मकराना
2.	मकराना न 1	मकराना
3.	गोदारों की ढाणी	मूंडवा
4.	केकडाय	मूंडवा

1	2	3
5.	अलतवा	मकराना
6.	गिगलिया	मकराना
7.	सिणोद	नागौर
8.	गुढ़ा (कन्या) न. 1	नागौर
9.	नोमड़ी चान्दावता	डेगाना
10.	दोदोली	लाडनूं
11.	बमोठ	लाडनूं
12.	चावडिया	कुचामन
13.	रजलिया	कुचामन
14	नगवाड़ा	कुचामन
15.	कुचामन सिटी नं. 3	कुचामन
16	पावा	डीडवाना
17.	बदलिया नौसर	डीडवाना
18.	लादड़िया (कन्या)	डीडवाना
19.	मोलासर	डीडवाना
20	बुगरड़ा	जायल
21.	दुगोली	जायल
22.	रेण	मेड़ता
23.	राजलोता	डेगाना

सत्र 1982-83 में खोले गये उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची

बीकानेर:

1. पिथरासर [नोखा]
2. मोहताचौक [बीकानेर]
3. खिमेरा [लूनकरणसर]
4. अवकासर [कोलायत]

चूरू:

1. खुडेराबड़ा [रतनगढ़]
2. घड़सीसर [सरदारशहर]
3. चारिया [सुजानगढ़]
4. रावतसर कुजला [राजगढ़]
5. रयाली [राजगढ़]
6 राणासर [चूरू]
7. पुनरास [तारानगर]
8. जोधासर [श्री डूंगरगढ़]

9. रेयाढून्डा [तारानगर]
10. फन्डरेऊ टीबा [तारानगर]
11. राजेडू [डूंगरगढ़]

झुन्झुनूं :

1. सेकसरिया [चिड़ावा]
2. जेही पहाड़ी [झुन्झुनूं]
3. लोरड़ा [नवलगढ़]
4. घरडाना [सूरजगढ़]
5. मेनपुरा [गुढ़ा गोडजी]
6. सिरियासर कलां [मडावा]
7. हमीरी [अलसेसर]
8. बीबासर [झुन्झुनूं]
9. चिरानी [खेतड़ी]
10. गदलाकलां [उदयपुरवाटी]

सीकर:

1. दांता नम्बर 3 [दांतारामगढ़]
2. अनोखू [धोद]
3. मऊ [कन्या] [श्री माधोपुर]
4. निझरा [नीमकाथाना]
5. रूल्याना माली [लक्ष्मणगढ़]
6. हुडेरा [फतहपुर]
7. तिजाडोका बास [नीमकाथाना]
8. जेरटी [सीकर]
9. सदीनसर [फतहपुर]
10. दिवराला [संस्कृत] [सीकर]

श्री गंगानगर :

1. मेनावाली [हनुमानगढ़]
2. वाद्यारावाली [पं० गणेशगढ़]
3. चक 15 बी० एल० डी० [ए] डबजाल [अनूपगढ़]
4. पक्का सारना [कन्या] [हनुमानगढ़]
5. मनाई [भादरा]
6. पीली बंगा गांव [पीलीबंगा]
7. लालगढ़ जाटान [कन्या] [सादुलशहर]

Page No.369

8. धानसियां [नोहर]
9. बुद्धवालिया [नोहर]
10. घारेगयांबाली [श्री करणपुर]
11. 13 क्यू वकताना [श्री गंगानगर]
12. जवाहर नगर [श्री गंगानगर]
13. बगीची [रायसिंहनगर]

जोधपुर:

1. उदलियावास [बीलाड़ा]
2. बासनी तम्बोलियान [सरदारपुरा]
3. निम्बाका तालाब [ओसियां]
4. हापोडीग्राम मोखेरो [फलौदी]
5. खियासरिया [शेरगढ़]
6. लाम्बा [बिलाड़ा]
7. प्रतापनगर [जोधपुर]
8. हंतूडी [ओसिया]

बाड़मेर:

1. कुमाणियों की ढाणी [बाड़मेर]
2. मूल की ढाणी [कोरना]
3. सणया [सिणधारी]
4. अर्थन्डो [सिवाना]
5. गढरारोड़ [कन्या] [शिव]
6. बीजराड़ सियाको का तला [चौहटन]
7. चौहटन [कन्या] [चौहटन]
8. बाड़मेर [संस्कृत] [बाड़मेर]

जालौर:

1. बणदर [रानीवाड़ा]
2. भादरूण ग्राम पं० चोहटा [सालोट]
3. जेसावास [भीनमाल]
4. भीनमाल [संस्कृत] [भीनमाल]

नागौर:

1. मावा [डीडवाना]
2. चूंटीसारा [नागौर]
3. छापड़ा [जायला]
4. खाखडको [मेड़ता]

5. मामडोली [मकराना]
6. चोनाई [परबतसर]
7. जीजोट [नावां]
8. हीरणी ढ़ाणी पं० खेरला [डेगाना]
9. ढ़ाणोपुरा [रियां]

जैसलमेर:

1. पोकरण [पोकरण नं 3] [हरिजन बस्ती]

सिरोही:

1. मीमाना [पिण्डवाड़ा]
2. जोगापुरा [सिरोही]
3. मकाथल खेदर]
4. देलदर [पिण्डवाड़ा]
5. मांडोली [संस्कृत] [सिरोही]

पाली:

1. भादरलाउ [रानी]
2. लोरोती [जेतारण]
3. मालनू [बाली]
4. लीलाम्बा [रायपुर]
5. नेतरा [पाली]
6. पीनावास [सोजत]
7. थराड़ी [खारची]
8. कुलथाना [रोहट]
9. गुढा जेतसिंह [रानी]
10. सावलता [देसूरी]

जयपुर :

1. घासीपुरा [शाहपुरा]
2. नयाबास [लालसोट]
3. बालावाला [सांगानेर]
4. उरसेवा [दूदू]
5. जोरपुरा सुन्दरियाबास [फुलेरा]
6. लालबास [जमवारामगढ़]
7. हिंगोनिया [दौसा]
8. चूरी [कोटपूतली]
9. फतहगढ़ [गोविन्दगढ़]

10. गढ़ [बस्सी]
11. नाथावाला [विराटनगर]
12. गांधी नगर (कन्या) [जयपुर शहर]
13. कालूवास [लालसोट]
14. टोरड़ा [कोटपूतली]
15. चन्दबाजी (कन्या) [आमेर]
16. रामपुरा उटी [सांगानेर]
17. गांगदवाडी [सिकराय]
18. खडियाला [दूदू]
19. निन्दोला [चौमू]
20. जोधपुरा [कोटपूतली]
21. विराटनगर (संस्कृत) [विराटनगर]

धौलपुर :

1. दुबाटी [धौलपुर]
2. दिहोली [राजाखेड़ा]
3. जोमई [बाड़ी]

भरतपुर :

1. काठोल [कामा]
2. कारवारी [बयाना]
3. नारायना चौथ प. पस्ता [डीग]
4. वहिरधा [रूपवास]
5. पाला [कुम्हेर]
6. जालूसी [नगर]
7. झाडोली [वैर]
8. गोगेरा [वैर]
9. मचेरा [नन्दबई]
10. नवारा [कामा]

अलवर :

1. पुनखर [उमरेण]
2. गोरधनपुरा [मल्लाना]
3. सालोली [राजगढ़]
4. तलवाना [बहरोड]
5. शेरपुर [बहरोड]
6. मडवा [कठूमर]
7. गढ़वास [मण्डावर]

8. रूपवास [तिजारा]
9. पारा [राजगढ़]
10. नसोपुर [लक्ष्मणगढ़]

कोटा :

1. मालम्बोरी [अन्ता]
2. ह्लाफाहडो [नावां]
3. बालापुर [किशनगंज]

अजमेर :

1. मेथाडिया [किशनगंज]
2. शेरगढ़ [भिनाय]
3. बामनहेड़ा [जवाजा]
4. देवपुरी [अराई]
5. विढर [किशनगंज]
6. जीवण [मसूदा]
7. गुडगांव [केकडी]
8. बोती [किशनगढ़]
9. रूपनगर [मसूदा]
10. रामपाली [केकडी]
11. स्यार [भिनाय]

सवाईमाधोपुर :

1. अरनिया [गंगापुर]
2. लूहावट [नांदौती]
3. जाटव बस्ती [हिन्डौन]
4. मावली [करोली]
5. शोशवाड़ा [महूवा]
6. भावंरा [बामनवास]
7. दौलतपुरा [खन्डार]
8. भजेड़ा [टोडाभीम]
9. तालविड़ा [नादोती]
10. डोडा [करौली]
11. ऐकिड [सगोटरा]
12. भूरीपहाडी [खन्डार]
13. उदगांव [बामनवास]

बून्दी :

1. बाम्बूली [नैनवा]
2. टोकड़ा [हिन्डोली]
3. ईश्वरनगर लाखेरी [केशवरायपाटन]
4. भडेडा [नैनवा]
5. लक्ष्मीपुरा [बून्दी]

टौंक :

1. नोहटा [निवाई]
2. नोरगपुरा पं. बगडवा [टौंक]
3. बोईन्वा [टोडारायसिंह]
4. जूनियां [देवली]
5. बनेठा (कन्या) [उनियारा]
6. चन्दलाई [टौंक]
7. अम्बापुरा [मालपुरा]
8. चैनपुरा [निवाई]
9. साडला [टोडारायसिंह]

झालावाड़ :

1. कंवरपुरा मडवालान [खानपुर]
2. लसूडियाशाह [मनोहर थाना]
3. दुबालिया [पिडावा]

चित्तौड़गढ़ :

1. कल्याणपुरा [बेगू]
2. बडवल [बड़ी सादड़ी]
3. चोकसी [चित्तौड़गढ़]

उदयपुर :

1. कालोड़ा (बडगांव)
2. पायरा (सलूम्बर)
3. बरड़ा (बड़गांव)
4. सिघटवाड़ा (सराड़ा)
5. लकाया (सलूम्बर)
6. बढ़ाडा (कुम्भलगढ़)
7. खडेल (रेलमगरा)
8. वरार (कन्या) (भीम)
9. छानी (कन्या) (खेरवाड़ा)

10. मेड़ता (मावली)
11. छोटा बाठरड़ा (वल्लभनगर)
12. झालो की मदार (नाथद्वारा)
13. सिघांडा (गोगून्दा)
14. बुजड़ा (गिर्वा)
15. चासर्दा (गिर्वा)
16. पलानाखुर्द (कन्या) (गिर्वा)
17. कानूवाड़ा (खेरवाड़ा)
18. सेमाल (सराड़ा)
19. बडगुला (सराड़ा)
20. बस्सी जोहेरा (सलूम्बर)
21. भितोड़ी (सलूम्बर)

भीलवाड़ा :

1. धाकडखेड़ी (माण्डलगढ़)
2. उमाजी का खेड़ा (माण्डलगढ़)
3. बित्तियां कलां (भीलवाड़ा)
4. चीडखेड़ा (सहाड़ा)
5. प्रतापपुरा (आसिन्द)
6. आमदला (माण्डल)
7. रेड़ (शाहपुरा)
8. जुना गुलाबपुरा (हुरड़ा)
9. भगुनगर (जहाजपुरा)
10. ककरोलिया माफी (कोटड़ी)
11. वडला (कोटड़ी)
12. जयनगर (आसिन्द)
13. देवरिया (शाहपुरा)
14. रूपाहेली खुर्द (बनेड़ा)

बांसवाड़ा :

1. बस्सी चन्दनसिंह (बांसवाड़ा)
2. कुशलकोट (बागीडोरा)
3. छोटी बदरेल (दानपुर)
4. मोरडी नीचली (घाटोल)
5. चोणासाग (बांसवाड़ा)

डूंगरपुर :

1. आरा (सागवाड़ा)
2. पगारा पं० खेड़ा (डूंगरपुर)
3. चारवाड़ा ग्राम पं0 बेजा (बीछीवाड़ा)
4. तालोरा (आसपुर)
5. झलाई (चारासीं)
6 बिलोया वडगांव (सागवाड़ा)
7. भाजोती का ओड़ा (डूंगरपुर)
8. बाकड़ा (सीमलवाड़ा)

परिशिष्ट—23

अतारांकित प्रश्न संख्या 390 की सूची

विधान सभा प्रश्न संख्या 864 के भाग (1) व (2) की सूची:—

क्र.स	नाम जिला	प्राप्त शिकायत का विवरण	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4
1.	जयपुर	1. रामप्रसाद लिपिक पं.स. आमेर के विरुद्ध	विभागीय कार्यवाही चालू है
2.	बीकानेर	शून्य	—
3.	डूंगरपुर	,,	,,
4.	बाड़मेर	,,	,,
5.	बांसवाड़ा	,,	,,
6.	अजमेर	,,	,,
7.	सिरोही	,,	,,
8.	अलवर	,,	,,
9.	चूरू	,,	,,
10	भरतपुर	1 श्री नानक पुत्र सुमेर, भरतपुर	इस्तगासा सी. जे. एम. कोर्ट, भरतपुर
		2. श्री अल्लो उर्फ मुरारी लाल पुत्र पल्टूनगर	एफ आई आर. दि. 22 1-81
		3. श्री विजयकुमार पुत्र नवल, भरतपुर	एफ. आई.आर. दि. 8 9-82
11.	उदयपुर	अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा फर्जी परमिट जारी कर अज्ञात व्यक्तिों द्वारा सीमेंट लिया जाना	अभियोग सं. 15/82 दि. 12-1-82 एवं अभियोग सं. 23/82 दि. 20-2-82
12.	टोंक	श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री शिवलहरी, निवासी टोंक	एफ. आई आर. 10-12-81 को दर्ज कराई/चालान सी. जे.एम. कोर्ट में 6-1-82 को प्रस्तुत किया

Page No.377

1	2	3	4
13.	गंगानगर	शून्य	–
14.	झालावाड़	"	"
15.	चित्तौड़गढ़	"	
16.	जालौर	"	
17.	जैसलमेर	"	
18.	धौलपुर	"	
19.	नागौर	"	
20.	झुंझुनू	"	
21.	सवाईमाधोपुर	1. तोताराम, कार्यवाहक, अधिशाषी अधिकारी टोड़ा भीम	निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर को आरोप ने विवरण पत्र अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु भेजे
22.	भीलवाड़ा	शून्य	
23.	बून्दी	शून्य	
24.	कोटा	1. मूलचन्द बंजारा मालिक फर्म हंसराज सीमेन्ट उद्योग, छावनी, कोटा	एफ.आई.आर. दि. 2-12-80
		2. हजारी बंजारा मालिक फर्म बंजारा सीमेन्ट उद्योग, गुमानपुरा	
		3. काशीराम कर्मचारी नगरपालिका	
		4. रामकिशन कर्मचारी नगरपालिका	
		5. प्रदीप सक्सेना, कर्मचारी नगरपालिका	
		6. चन्द्रसेन, कर्मचारी नगरपालिका	
25.	सीकर	शून्य	
26.	जोधपुर		
27.	पाली	अप्राप्त	

परिशिष्ट 24

अतारांकित प्रश्न संख्या 391 की सूची

क्र. सं.	परमिट दिनांक	परमिट सं.	नाम डीलर	गेहूं की दी गई मात्रा	
1.	22-6-81	37612	रामवतार मिश्रा मण्डावा	100	क्वि.
2.	22-6-81	37613	माणकचन्द जोशी माण्डावा	100	,,
3.	5-7-81	37638	,	100	,,
4.	9-7-81	37628	,,	100	,,
			योग :-	400	क्वि.

परिशिष्ट 25

अतारांकित प्रश्न संख्या 393 का विवरण

रोशनी का रथ उदयपुर द्वारा प्रदर्शित फिल्म प्रदर्शन एवं प्रदर्शनी का विस्तृत ब्यौरा

क्र. सं.	स्थान	प्रदर्शनी की संख्या	फिल्म प्रदर्शन की संख्या
चित्तौड़गढ़			
1.	प्रतापगढ़	8	5
2.	सालमगढ़	1	1
3.	दलोट	1	–
4.	निम्बौर	1	–
5	अरनोद	2	2
6.	मनोहरगढ़	1	1
7.	धामोतर	1	1
8.	देवगढ़	1	1
9.	अचलेश्वर	1	1
10.	छोटारसी	1	–
11.	कुनी	1	1
	योग:-	19	13
डूंगरपुर जिला			
12.	डूंगरपुर	4	4
13.	सीमलवाड़ा	1	1
14.	गलियाकोट	1	1
15.	सागवाड़ा	1	1
16,	बेणेश्वर धाम (मेले पर)	6	6
		13	13

उदयपुर जिला

17.	झाडोल	-	1
18.	नवानिया	-	1
19.	टीडो	1	2
20.	मावली	-	1
21.	सुखेर	-	1
22.	खेरवाड़ा	-	2
23.	पीपली	-	1
24.	पलोदड़ा	-	1
25.	सलूम्बर	1	1
	योग:-	2	11
	कुल योग	34	57

परिशिष्ठ–[illegible]

अतारांकित प्रश्न संख्या 401 की सूचना

1 अप्रेल, 1982 से जनवरी, 1983 तक जो कार्य स्वीकृत हुए उसकी सूची

क्र. सं.	निर्माण कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	82-83 की मांग	अप्रेल 82 से 31 जनवरी 83 तक का खर्च	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	पई, उदयपुर में स्टाफ क्वार्टर का निर्माण तीन	120000/-	14100/-	–	कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है व वर्ष 82-83 की मांग शुदा राशि का कार्य मार्च, 83 तक हो जायगा ।
2.	भैंसडा कला, उदयपुर एक	40000/-	4700/-	–	कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, जमीन के अभाव में
3.	देबारी, उदयपुर दो	80000/-	9400/-	–	चुनाई का कार्य छत तक हो गया है एवं वर्ष 82-83 की मांग शुदा राशि का कार्य मार्च, 83 तक हो जायगा ।
4.	मटून, उदयपुर एक	40000/-	4700/-	–	कार्य लिंटल लेवल तक हो गया है एवं वर्ष 82-लेवल 83 की मांग शुदा राशि का कार्य मार्च, 83 तक हो जायगा ।

1	2	3	4	5	6
5.	कलडवास, उदयपुर एक	40000/–	4700/–	–	कार्य लिटल लेवल तक हो गया है, एवं वर्ष 82, 83 की मांग शुदा राशि तक का कार्य मार्च, 83 तक हो जा येगा।
6.	नाई, उदयपुर एक	40000/–	4700/–	–	कार्य प्रारम्भ होगया है एवं वर्ष 82·83 की मांग शुदा राशि का कार्य मार्च, 83 तक हो जायगा।
7.	सिसारमा; उदयपुर एक	40000/–	4700/–	–	जमीन जो कार्य के लिये दी गई वह विवादपूर्ण है नई जमीन मिलने पर कार्य प्रारम्भ होगा।
8.	लकडवास, उदयपुर एक	40000/–	4700/–	–	कार्य प्लींथ लेवल तक है एवं वर्ष 82-83 की मांग शुदा राशि का कार्य मार्च, 83 तक हो जायगा।
9.	ओगणा, उदयपुर चार	160000/–	18800/–	–	कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है व वर्ष 82-83 की मांग शुदा राशि तक का कार्य मार्च, 83 तक हो जायगा।
10	झाडोल, उदयपुर छः	240000/–	28200/–	–	कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है व वर्ष 82-83 की मांग शुदा राशि तक का कार्य मार्च, 83 तक हो जायगा।